ईश माला, खंड 8, अंक 17

सोमवार, 21 मार्च, 2005
30 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FE-025
Block 'G'
Acc. No. 58
Dated 19/12/05

(खण्ड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2005/1926 (शक)

अंक 17, सोमवार, 21 मार्च, 2005/30 फाल्गुन, 1926 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	241 से 243	2-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	244 से 260	26-107
अतारांकित प्रश्न संख्या	2591 से 2820	107-541
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण		542
सभा पटल पर रखे गए पत्र		542-547, 653
राज्य सभा से संदेश		548
याचिका समिति		
पांचवां और छठा प्रतिवेदन		549
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
तीसरा प्रतिवेदन		549
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति		
(एक) तीसरा प्रतिवेदन		549
(दो) साक्ष्य		549
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
(एक) खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति		
श्री शरद पवार		550
(दो) निजी विश्वविद्यालय		
श्री अर्जुन सिंह		575-583
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2005		551-556
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अध्यादेश द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण		
श्री पी. चिदम्बरम		557

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	557
नियम 377 के अधीन मामले	583-591
(एक) हिमाचल प्रदेश की चांशल–शिमला–सोलन बहुउद्देशीय परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	584
(दो) कर्नाटक के हुबली–धारवाड़ शहरों की पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंडोवी नदी के जल का संरक्षण करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री ए. वेंकटेश नायक	584
(तीन) यह सुनिश्चित किए जाने कि नियंत्रण की दृष्टि से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं राज्य के विनियामक उपबंधों के माध्यम से सीमित न हो जाएं, की आवश्यकता	
श्री फ्रान्सिस फैन्थम	585
(चार) उत्तर प्रदेश की राजभर जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
डा. राजेश मिश्रा	585
(पांच) आश्रम एक्सप्रेस को राजस्थान के ब्यावर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	585-586
(छह) पाकिस्तान सामुद्रिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा कैद में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई और उनके प्रत्यावर्तन के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	586
(सात) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर कस्बे का पर्यटन के महत्व वाले स्थान के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चन्देल	586-587
(आठ) कर्नाटक के बेलारी में कृषि भूमि से लौह अयस्क के उत्खनन की अनुमति प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. करूणाकर रेड्डी	587
(नौ) केरल में त्रिवेन्द्रम स्थित जैव–प्रौद्योगिकी केन्द्र का सरकार द्वारा प्रबंध ग्रहण किए जाने की आवश्यकता	
श्री वरकला राधाकृष्णन	587-588
(दस) उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदी के तटबंधों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती ऊषा वर्मा	588
(ग्यारह) बिहार के नवादा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरचन्द्र पासवान	588-589

(बारह) उत्तर प्रदेश के शाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गर्रा नदी पर मौजूदा पुल का विस्तार करने के लिए "सम विकास योजना" के अंतर्गत अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी 589

(तेरह) जोलारपेट्टई और होसूर के बीच बरास्ता तिरूपट्टुर–सुलागिरी एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

श्री ई. जी. सुगावनम 589-590

(चौदह) केरल के क्विलोन में कुन्नीकोड स्थित मौजूदा ई.एस.आई. अस्पताल का एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में उन्नयन किए जाने और उसके लिए भवन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन 590

(पन्द्रह) उत्तर बिहार के बरौनी में एक उर्वरक कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सूरज सिंह 591

पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 2005 591-612

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 591-593, 611-612

श्री रामजीलाल सुमन 593

श्री किन्जरपु येरननायडु 593-594

श्री प्रभुनाथ सिंह 594

कुमारी ममता बनर्जी 594-595

श्री वरकला राधाकृष्णन 595-596

श्रीमती मेनका गांधी 596

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 596-597

श्री इलियास आजमी 597

श्री सुरेश कुरुप 597-598

श्री रामकृपाल यादव 598

श्री खारवेल स्वाईं 599

श्री गुरूदास दासगुप्त 599-600

श्री पवन कुमार बंसल 600-602

विषय	कॉलम
श्री रूपचंद पाल	602-603
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	603
श्री उदय सिंह	604
श्री कमल नाथ	604-609
श्री प्रणब मुखर्जी	609-611
नियम 193 के अधीन चर्चा	
नेपाल में घटनाक्रम तथा विदेश मंत्री की अफगानिस्तान और पाकिस्तान यात्राएं	612-690
श्री सी. के. चन्द्रप्पन	613-618
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	618-625
श्री सन्दीप दीक्षित	625-630
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	630-633
श्री रामजीलाल सुमन	634-635
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा	635-637
श्री अनंत गंगाराम गीते	637-640
श्री निखिलानन्द सर	640-642
योगी आदित्यनाथ	642-646
श्री के. एस. राव	646-650
श्री प्रबोध पाण्डा	650-653
श्री मोहन सिंह	653-656
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह	656-658
डा. राजेश मिश्रा	658-661
श्री रामदास आठवले	661-663
प्रो. रासा सिंह रावत	663-666
कुंवर मानवेन्द्र सिंह	666-668
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	669-670
श्री एल. राजगोपाल	670-672
श्री सुकदेव पासवान	672-673
श्री रामकृपाल यादव	673-676

विषय	कॉलम
श्री सुरेश अंगडि	676
श्री खारबेल स्वाईं	676-677
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	677-678
श्री के. नटवर सिंह	678-689
अनुबंध-I	690-698
तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	690-691
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका	691-698
अनुबंध-II	699-702
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	699-700
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका	699-702

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

सोमवार, 21 मार्च, 2005/30 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, हम प्रश्न काल शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 241।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल कुछ बातें कहनी हैं। मैंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले हम प्रश्न काल शुरू करेंगे।

[हिन्दी]

आपने जो कहना है प्रश्न काल के बाद कहें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। प्रश्न काल के बाद, आप इसे उठा सकते हैं। पहले, हम प्रश्न काल शुरू करेंगे। इसके बाद ही हम अन्य मामलों पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : 16 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट में और 17 मार्च को*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 241—श्रीमती अनुराधा चौधरी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद, आप इसे उठा सकते हैं। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठिए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठिए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

ठेका और औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

+

***241. श्रीमती अनुराधा चौधरी :**
श्री मो. ताहिर :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश के ठेका और औद्योगिक श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी की पुनरीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार श्रम कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (घ) जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों तथा ठेका आधार पर नियोजित श्रमिकों और औद्योगिक मजदूरों के लिए निम्नांकित तीन योजनाओं का प्रचालन करता रहा है :

(i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952

(ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और

(iii) कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976

इसी प्रकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) अपने सदस्यों के लिए रुग्णता और अशक्तता लाभ योजनाओं तथा उनके और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा और प्रसूति देखभाल संबंधी योजनाएं कार्यान्वित करता रहा है। हाल ही में, ई.एस.आई.सी. ने उन श्रमिकों को बेरोजगारी लाभ प्रदान करने के लिए 'राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना' की घोषणा की है जिनका रोजगार उनकी इच्छा के बगैर छिन जाता है। ई.एस.आई.सी. देश के सभी म्युनिसिपल क्षेत्रों में श्रमिकों को दायरे में लाने पर विचार कर रहा है। सरकार बीड़ी लपेटने में लगे श्रमिकों, कतिपय गैर-कोयला खान श्रमिकों तथा सिने कामगारों को उनकी संबंधित कल्याण निधियों के तहत आवास निर्माण, स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए समूह बीमा तथा चिकित्सा स्वास्थ्य देखरेख सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन भी करती रही है। सरकार ने हाल ही में निधि को बढ़ाने के लिए, प्रति हजार निर्मित बीड़ियों पर उपकर की दर को दो रुपये से बढ़ा कर चार रुपये कर दिया है।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र की समस्याओं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा शामिल है, की जांच-पड़ताल के लिए डा. अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में औपचारिक/असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग की नियुक्ति भी की है। सरकार एक ऐसा विधान लाने पर विचार कर रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। वर्तमान में "असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक, 2004" नामक ऐसे विधान के प्रारूप पर राज्य सरकारों, केन्द्रीय व्यवसाय संघों तथा अन्य पणधारियों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ) समुचित सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिहाड़ी आधार पर लगे कामगारों पर भी लागू होती है। इस अधिनियम में पांच वर्षों के भीतर न्यूनतम मजदूरी में संशोधन का प्रावधान है। जहां कहीं न्यूनतम मजदूरी के साथ परिवर्ती महंगाई भत्ता जुड़ा हो, वहां परिवर्ती महंगाई भत्ते में वर्ष में दो बार आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है।

(ङ) और (च) श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतनीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार द्वारा सामाजिक भागीदारों के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात् श्रम कानूनों में अपेक्षित संशोधन किए जाते हैं ताकि सभी पणधारियों के हितों में सामंजस्य बनाए रखा जा सके। कतिपय श्रम कानूनों जैसे मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; में संशोधन करने की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है ताकि मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके और कोई अनधिकृत कटौती न हो सके। फिलहाल, इसके दायरे में वे कर्मचारी हैं जिनकी मासिक मजदूरी 1600/- रुपये प्रतिमाह तक है। श्रमिकों के कवरेज को बढ़ाने के लिए इस सीमा को बढ़ाकर 6500/- रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। राज्य सभा ने संशोधन विधेयक 2.12.2004 को पारित कर दिया है। इसे समय आने पर लोक सभा में उठाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती अनुराधा चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या असंगठित क्षेत्र के लिए आयोग बनाने का कोई विचार सरकार द्वारा किया जा रहा है और क्या पिछले वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्यों के जिलों में असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का एक पायलट प्रोजैक्ट तैयार किया गया है। अगर किया गया है तो ऐसे प्रोजैक्ट के प्रस्ताव की वर्तमान में क्या स्थिति है?

[अनुवाद]

श्री के. चन्द्रशेखर राव : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए डा. अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उद्यम आयोग नियुक्त किया है। मामले की जांच की जा रही है, एक विधेयक विचाराधीन है, असंगठित क्षेत्र के मामलों की जांच पर परामर्श जारी है। जल्दी ही सरकार सभा के समक्ष विधेयक लाएगी।

[हिन्दी]

श्रीमती अनुराधा चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके

माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कुछ समय पहले समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि सरकारी पेंशनरों के लिए जो योजना सरकार ने तैयार की थी, उसमें यह घोषणा की गई थी कि आगे आने वाले समय में सरकारी पेंशन को बंद किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या उसको बंद किया जाएगा?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, वह पेंशन के बारे में जानना चाहती हैं।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : असंगठित क्षेत्र में कार्य बल के लिए संभावित पेंशन पर भी परामर्श जारी है। वह भी विधेयक में शामिल होगा।

[हिन्दी]

श्री मो. ताहिर : उपाध्यक्ष जी, क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा 50 जिलों की सामाजिक सुरक्षा का पायलट प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। ऐसे प्रस्ताव की वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या श्रमिक संघों, गैर–सरकारी संगठनों के साथ, मजदूरों की दिहाड़ी तथा वेतन में संशोधन करने पर भी इसमें विचार किया है?

[अनुवाद]

श्री के. चन्द्रशेखर राव : महोदय, योजना को देश के 50 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था। लेकिन उस योजना का सांविधिक आधार नहीं था। वह डा. अर्जुन सेन गुप्ता आयोग की जांच के अधीन है। हम जल्दी ही सभा के समक्ष इसे विधेयक के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार आती है और जाती है तथा हर बार नई–नई योजनाएं अपने नाम के लोगों को देने की बात कहती है। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि "राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है जिन का रोजगार उनकी इच्छा के बगैर छिन जाता है, ईएसआईसी, देश के सभी म्युनिसिपल क्षेत्रों में श्रमिकों के दायरे में लाने पर भी विचार कर रहा है।" चाहे म्युनिसिपल कार्पोरेशन के कर्मचारी हों, या पंचायतों के कर्मचारी हों, एयरपोर्ट में काम करने वाले कर्मचारी हों या रेलवे स्टेशन में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हों, इनकी सरकार ने कभी चिन्ता नहीं की। उनके स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई और उन्हें किताबें इत्यादि देने के बारे में कहीं कोई विचार नहीं किया जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन–जिन योजनाओं का नाम दिया जा रहा है, क्या उसके तहत कोई काम हो रहा है और क्या उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है? हमें कहीं इनका कार्यान्वयन देखने को नहीं मिल रहा है क्या इसका सर्वे किया गया है? दिहाड़ी में काम करने वाले कर्मचारी अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीब, बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं। इसका सर्वे कब तक किया जाएगा और सर्वे करके क्या उन्हें उचित न्याय दिलाया जाएगा?

श्री के. चन्द्रशेखर राव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ईएसआईसी की स्कीम अभी तक केवल 365 म्युनिसिपैलिटीज में चलती है जबकि 1600 के ऊपर देश में म्युनिसिपैलिटीज और 120 म्युनिसिपल कार्पोरेशन्स हैं। हाल में निर्णय लिया गया है कि ईएसआइसी को सारे देश में अमल में लाया जाएगा। जहां 10 हजार से ज्यादा आबादी है, वहां ईएसआईसी को अमल में लाने का सरकार ने निर्णय लिया है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना का जो माननीय सदस्य ने जिक्र किया, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ईएसआईसी के जो 80 लाख इंश्योर्ड पर्सन हैं, अगर उनकी लॉक आउट या दूसरी किसी वजह से नौकरी चली जाती है, मैंने सदन में उन्हें 6 महीने तक लास्ट ड्रॉन सैलरी में 50 परसैंट अनइम्पलॉयमैंट बैनिफिट देने की घोषणा की थी। हम इस योजना को अमल में लाएंगे।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : जो पंचायतों में काम करते हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। पहले उन्हें न्याय देना चाहिए।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : जैसा सभी लोग जानते हैं कि आज की स्थिति में केवल 7 परसैंट कर्मचारी ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर और 93 परसैंट वर्क फोर्स अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में हैं। इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में सभी वर्कर्स को कवर करने के बारे में सोचा जा रहा है। सरकार इसके बारे में जल्दी सदन में एक बिल लेकर आएगी।

चौधरी लाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों के बारे में बोलना मेरा परम धर्म है। चाहे कम्युनिटी पार्टीसिपेशन हो, चाहे विद्युत डिपार्टमैंट में डेली वेजिस पर काम करने वाले कर्मचारी हों, चाहे विलेज डिफेंस कमेटियों में काम करने वाले कर्मचारी हों और चाहे एसपीओज हों, वहां किसी को 500 रुपये माहवार मजदूरी मिलती है और किसी को 12 रुपये महीना मिलती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह : मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन सी पॉलसी के तहत मजदूरों को मनचाही दिहाड़ी मिलती है? सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री के. चन्द्रशेखर राव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मानता हूं कि अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में मीनिमम वेजिस लागू करने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए अनऑर्गेनाइल्ड वर्क फोर्स की देखभाल के लिए बिल लाने का प्रयास हो रहा है। वह बिल आ जाएगा तो सख्ती से लागू हो जाएगा जिससे उनकी भलाई होगी।

[अनुवाद]

श्रीमती सी. एस. सुजाता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ठेके श्रमिकों के पक्ष में ठेका श्रम (विनियमन ओर उत्सादन) अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि उन्हें अधिकतम विनियमन दिया जा सके।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : महोदय, ठेका श्रम अधिनियम को ठेका श्रम प्रणाली के उत्सादन हेतु वर्ष 1970 में अधिनियमित किया गया था। अधिनियम पहले से ही लागू है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यवार न्यूनतम वेतन तय करने की पद्धति और अभी भारत सरकार ने रोजगार गारंटी स्कीम के तहत पूरे देश में एक योजना लागू की है जिसके अनुसार राज्यों के अन्तर्गत जो निर्धारित न्यूनतम वेतन है, उस योजना के अन्तर्गत काम करने वाले को वही वेतन दिया जाएगा। पूरे देश में दिहाड़ी मजदूर के रोज का न्यूनतम वेतन किसी राज्य में तो ढाई सौ रुपये और किसी राज्य में 56 रुपये है। यह अंतराल गरीब राज्यों और धनी राज्यों के बीच में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या न्यूनतम वेतन के कानून में इस तरह का कोई परिवर्तन लाने की बात सरकार सोचेगी कि पूरे देश में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों के दैनिक वेतन में एकरूपता या एक न्यायसंगत पद्धति इवाल्व की जाए?

[अनुवाद]

श्री के. चन्द्रशेखर राव : महोदय, वर्ष 1948 के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित सरकारों ने मजदूरी सीमा निर्धारित की है। यह बदलते महंगाई भत्ते पर निर्भर है।

[हिन्दी]

वहां सरकार की कमेटी होती है, मिनिमम वेजिज बोर्ड होता है, सरकार उससे कन्सल्ट करके अपने राज्यों के हिसाब से फिक्स करती है। राज्य की परिधि में हैं वही लोग इसकी देखभाल करेंगे।

श्री ब्रजेश पाठक : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि तीन योजनाएं—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी जमा सावधि बीमा योजना, भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन बड़े दुख का विषय है और मैं पूरे सदन में यह बात रखना चाहता हूं कि उन मजदूरों के बारे में आंकड़े सरकारी अधिकारियों ने बनाए हैं। उन मजदूर संगठनों को, जो निर्माण कार्य में लगे हैं, जो बिल्डरों के यहां काम करते हैं या बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। एक तो मजदूरों के आंकड़े को कम करके दिखाया जाता है। उनको इस योजना से कैसे लाभ दे सकते हैं?

दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली में हजारों बिल्डिंगें बन रही हैं और बिल्डरों के यहां वे काम करते हैं। गरीब मजदूर चाहे पश्चिम बंगाल के मालदा से हो, बिहार से या पंजाब से, लोग आते हैं। गरीबों का शोषण बिल्डरों के द्वारा किया जाता है। उनको न संगठन में शामिल किया जाता है न किसी भारत सरकार की योजना में। चाहे न्यूनतम मजदूरी की बात हो, सरकारी दवा की बात हो, बच्चों को पढ़ने–लिखने की बात हो या मनोरंजन साधन की बात हो, इसके लिए कानून तो है। लेकिन उनको लागू करने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है?

श्री के. चन्द्रशेखर राव : माननीय सदस्य की बात मैं मानता हूं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वरकर्स के लिए भी एक एक्ट पास किया गया है जो केरल और दिल्ली राज्यों में लागू हो रहा है, बाकी के राज्यों का नोटिफिकेशन अभी करना है। एक बात मैं मानने के लिए तैयार हूं और दोबारा सदन को बताना चाहता हूं कि न्यूनतम वेतन की बात हो रही है, यह दिक्कत ज्यादातर अनआग्रेनाइज्ड सैक्टर में आ रही है। 1492 शैड्यूल एम्पलायमेंट में हैं जिनमें से 45 शैड्यूल सेंटर में हैं और 1447 स्टेट सैक्टर के स्फियर में हैं। यहां राज्य सरकार 1447 शैड्यूल एम्पलायमेंट में, आइडेंटिफाइड एम्पलायमेंट में मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिलाने के लिए राज्य सरकारें काम करती हैं। इसके साथ 45 सेंटरल सैक्टर में हैं, उनको न्यूनतम वेतन दिलाने के लिए सेंटर गवर्नमेंट काम करती है। मैं मानता हूं कि आज की स्थिति में किसी जगह ज्यादा से ज्यादा हमें यह मानना पड़ेगा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को हमारे तहत भी प्रिंसीपल एम्पलायमेंट से, जहां से भी शिकायतें मिलती रहती हैं कि न्यूनतम वेतन लागू नहीं हो रहा है। इस मामले को देखने के लिए इंटिग्रेटेड तरीके से पूरी तरह समझने के लिए सरकार द्वारा अर्जुन सेन कमेटी अपाइंट की गई है। कमेटी जल्दी से जल्दी इन चीजों को देख रही है और सरकार सदन के सामने बिल लाएगी।

मोहम्मद सलीम : उपाध्यक्ष जी, हम सब को मालूम है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में फौर्मल और इनफौर्मल सैक्टर में काम–काज शिफ्ट होता जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के बारे में बताया है जबकि

मूल प्रश्न यह था कि जो लोग ठेकेदार के अंडर काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र है, उनके लिए सरकार क्या करने जा रही है और मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि एक बिल ला रहे हैं। सरकार ने एक कमेटी अपाइंट करने की बात कही है लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि संगठित क्षेत्र में मजदूर कम होते जा रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। उनके लाभ की चीजें हैं, जैसे– सामाजिक सुरक्षा, आवास, बच्चों की पढ़ाई, मैडिकल बैनेफिट, अगर वे छुट्टी पर जाएंगे तो उनकी आय का साधन क्या होगा, उनके घर पर हांडी चढ़ेगी या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इन सब बातों के लिए क्या योजना है? सरकार ने बताया है कि उसकी अभी कोई योजना नहीं है। अफसोस की बात यह है कि आजादी के 57 साल बाद भी इन मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं है। मैं यू.पी.ए. सरकार के श्रम मंत्री से जानना चाहता हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत लिए गए श्रम कल्याण से संबंधित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं ली जा रही हैं?

श्री के. चन्द्रशेखर राव : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए श्रम मंत्रालय का एक्ट बना हुआ है जिसके अन्तर्गत हम प्रयास करते रहते हैं। सरकार के अन्य विभाग भी साथ में काम करते हैं। इन्दिरा आवास योजना के तहत बीपीएल के लोगों के लिए मकान बनाए जाते हैं। अभी हाल ही में सरकार द्वारा एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम चलाने के लिए प्रयास हो रहा है जिसे माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं। सरकार इनकी भलाई के लिए एन.आर.ई.जी.एस., रूरल हैल्थ स्कीम, अन्त्योदय योजना लागू कर रही है। उनके हितों के लिए सरकार के अन्य विभाग भी कार्य करते रहते हैं। यह कहना सही नहीं कि इन लोगों के लिए अधूरा काम छोड़ दिया गया है जिसे मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ न्यूनतम वेतन मिलने में जो नाइन्साफी हो रही है, उन सब बातों को देखने के लिए सरकार द्वारा कमेटी अपाइंट की गई है। कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही सरकार सदन के सामने बिल लाएगी जिसके अन्तर्गत सरकार उन्हें मिनिमम वेतन दिलाने का प्रयास करेगी।

श्री आलोक कुमार मेहता : उपाध्यक्ष जी, औद्योगिक क्षेत्र में ठेका प्रथा की वजह से श्रमिकों को श्रम कानूनों पर आधारित अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है और ठेकेदार उसका शोषण करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी उनकी सहायता करता है जिससे श्रम कानून के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं से वे बच सकें। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार ठेका प्रथा उन्मूलन के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाने पर विचार कर रही है?

श्री के. चन्द्रशेखर राव : उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने बताया सरकार इस संबंध में एक बिल लाने का प्रयास कर रही है। ठेकेदारी प्रथा या एग्रीकल्चर सैक्टर में जहां मजदूर अपने हक से वंचित हो रहे हैं, उन पर सरकार ध्यान रखेगी। और सरकार को असंगठित क्षेत्र से मजदूरों के संबंध में शिकायतें मिलती रहती हैं। केन्द्र सरकार पीरियोडिकल उनका रिव्यु करती है, इंस्पैक्शन करती है, कन्वीक्शन भी दिलाती है। इसलिए इन सब बातों की देखभाल करने के लिए सरकार सदन में बिल लाएगी और उसे अमली रूप देने का प्रयास करेगी।

श्री राजनारायण बुधौलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाल ही में आई.एस.आई.सी. ने उन श्रमिकों को बेरोजगारी लाभ प्रदान करने के लिए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है, जिन श्रमिकों का रोजगार उनकी इच्छा के बगैर छिन जाता है। उक्त घोषणा कब की गई थी और सरकार उसे कार्य रूप में कब तक लागू करेगी तथा श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता कब तक दिया जाएगा?

श्री के. चन्द्रशेखर राव : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले सदन के सामने यह घोषणा की थी कि राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के जो 80 लाख लोग ई.एस.आई.सी. कारपोरेशन में इंश्योर्ड पर्सन्स हैं, यदि लॉक आउट आदि की वजह से उनकी इच्छा के खिलाफ उनकी नौकरी छिन जाती है तो वे लोग जो वेतन पा रहे थे, छह महीने के लिए उसका आधा वेतन उन्हें दिया जाएगा। यह करन्ट फाइनेंशियल ईयर यानी बजट पास होने के बाद एक अप्रैल से अमल में लाया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी : महोदय, सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पैंशन सहित सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इसी तर्ज पर सरकार सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में ठेके पर काम करने वाले उन मजदूरों तथा अन्य औद्योगिक मजदूरों के लिए एक योजना लाने पर विचार कर रही है जो ई.एस.आई.सी. योजना के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं?

श्री के. चन्द्रशेखर राव : महोदय, मैंने पहले ही बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अभी देश में ई.एस.आई.सी. योजना अंशतः लागू है। सरकार ने पूरे देश में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ई.एस.आई.सी. का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बहुत शीघ्र हम इसे पूरे देश में क्रियान्वित करना शुरू करेंगे।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, असंगठित क्षेत्र में कृषि

और बीड़ी दोनों ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं। लेकिन इनका ठीक ढंग से पंजीयन न होने के कारण इन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। इनके बच्चों को भी बाकी योजना का जो लाभ मिलना चाहिए, वह भी नहीं मिल पाता है। बीड़ी के क्षेत्र में देखा गया है कि परिवार के एक सदस्य का पंजीयन होता है, उसके नाम से कार्ड बनता है, लेकिन देखने में आता है कि उसके परिवार के पांच–पांच, छः–छः सदस्य उस काम में उसके सहयोगी रहते हैं। उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं होता है और इस कारण से वे इस योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री के. चन्द्रशेखर राव : महोदय, पूरे देश के असैसमैंट के मुताबिक 80 लाख लोग बीड़ी क्षेत्र में कर्मचारी हैं। इनके लिए एक वैलफेयर सैस कलैक्ट किया जाता है, जिसमें हाल ही में मैंने दो रुपये और बढ़ा दिए हैं। हमें आशा है कि इस साल इसमें सौ करोड़ रुपये का इजाफा होगा, इससे इनके लिए वैलफेयर मैजर्स बढ़ाए जाएंगे।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ठेके के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी एक्ट के तहत मजदूरी मिलनी चाहिए। शिमला में जो प्राइस इंडैक्स है, उसके तहत इसमें संशोधन होता रहता है। क्या मंत्री जी को जानकारी है कि कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी एक्ट के तहत जो न्यूनतम मजदूरी तय है, उन्हें उससे भी कम मिलती है। इसी के साथ नियम यह है कि फर्स्ट कम, लास्ट गो। जो पहले रखा जाएगा, उसे बाद में निकाला जाएगा। लेकिन ठेके के मजदूर जिन्हें पहले रखा जाता है, उन्हें भी निकाल दिया जाता है। यह एक तरह का मजाक है कि जिन्हें उनकी इच्छा के विपरीत निकाला जाता है, उनको राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत काम पर रखा जाएगा। मेरा कहना यह है कि सबसे ज्यादा शोषित यही ठेके के मजदूर हैं। हम चाहते हैं कि इन्हें भी निकाला न जाए। इस बारे में जो नियम हैं, उनका पालन हो। क्या माननीय मंत्री जी जानकारी देंगे कि जिस मजदूरी की उन्होंने यहां बात की है, वह कब का है और कब से शिमला प्राइस इंडैक्स के तहत संशोधन नहीं हुआ?

श्री के. चन्द्रशेखर राव : जहां तक न्यूनतम वेतन का सवाल है, मैंने बता दिया है कि सिर्फ 45 शैड्यूल्ड इम्पलायमैंट भारत सरकार देती है। साथ ही राज्य सरकारों द्वारा 1445 अनुसूचित रोजगार का ध्यान रखा जा रहा है। राजीव गांधी कल्याण योजना वर्कर्स के वैलफेयर के लिए एक शुरूआत है, पहला कदम है। आज तक देश में ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। हमारे देश में अनइम्पलायमैंट बैनिफिट स्कीम नहीं थी।

यह एक शुरूआत है और आगे चलकर काफी बढ़ेगा। इसमें कवरेज बढ़ाने का भी हम प्रयास करेंगे। जो प्राइस इंडैक्स की बात हो रही है, न्यूनतम वेतन में कमी की शिकायत हमें कहीं से मिलती है तो हम उस पर एक्शन लेते हैं। माननीय सदस्य किसी जगह का कोई स्पैसिफिक केस हमारे ध्यान में लाएंगे तो हम उस पर एक्शन लेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपा कर बैठ जाइए। आपने प्रश्न पूछ लिया है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पढ़े–लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था सरकार भविष्य में करने जा रही है? बेरोजगारी की स्थिति विस्फोटक रूप ले रही है। देश में हर जगह अपराध बढ़ता जा रहा है। अभी सैन्ट्रल हाल में महामहिम राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी ने इस विषय पर चिन्ता व्यक्त की। मैं समझता हूं कि सम्मानित सदन मेरे विचारों से सहमत होगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उन बच्चों की नौकरी के लिए कोई प्रावधान नहीं है जो अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं। अगर इस ओर सरकार ने जल्दी ध्यान नहीं दिया तो यह स्थिति विस्फोटक रूप ले सकती है जिससे हमारे समाज में विष फैल जाएगा। आज नौजवान आत्महत्या करने लगे हैं। वे हम लोगों के पास अपनी समस्या लेकर आते हैं। उनकी नौकरी की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। इस पर सदन में गहन विचार होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सुझाव अच्छा है।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, हमारे विद्वान श्रम मंत्री ने कहा कि वे समितियां नियुक्त कर रहे हैं, प्रतिवेदनों का संपादन कर रहे हैं, मामलों को देख रहे हैं और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सारी बातें भविष्य काल में बोली हैं। हम एक दशक से भी अधिक समय से माननीय श्रम मंत्री से इस प्रकार के उत्तर सुनते आए हैं। इनके सभी पूर्ववर्ती चाहे वह किसी भी दल के हों, इसी भाषा में बोलते रहे हैं और यही वायदे करते रहे हैं।

किन्तु माननीय श्रम मंत्री को यह ज्ञात होना चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना नहीं निकाली जा रही है, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन नहीं किया जा रहा है और न्यूनतम मजदूरी को लागू नहीं किया जा रहा है। वह कह रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी नहीं देता है तो उसे सजा मिलेगी। वह सदन के समक्ष यह ब्यौरा रखें कि कितनी बार किसी व्यापारिक घराने या ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों का उल्लंघन करने के

कारण गिरफ्तार किया गया है अथवा उनकी खिंचाई की गई है। सब कुछ कागजों में है। श्रम समवर्ती सूची का विषय है। वह इसे राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ सकते हैं। यह समवर्ती सूची का विषय है।

अतएव मैं माननीय श्रम मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि कितने मामलों में लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देने के कारण सजा दी गई है और क्या उन्हें जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयां भी—जिनका स्वामित्व केन्द्र सरकार के पास है—न्यूनतम मजदूरी नहीं देतीं, भविष्य निधि का पैसा नहीं देतीं और ई.एस.आई.सी. बकाया का भुगतान नहीं करती हैं। इसके मद्देनजर, वह कम से कम सरकारी क्षेत्र के चूककर्ताओं के संदर्भ में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं?

श्री के. चन्द्रशेखर राव : महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि जब कभी भविष्य निधि में चूक के मामले होते हैं सरकार उस पर गंभीरता से कार्रवाई करती है। आज क्रम सं. 7 पर मुझे एक और प्रश्न का सम्भवतः उत्तर देना है जिसमें मैंने पूरा ब्यौरा दिया है। मेरे विचार से यह माननीय सदस्य के पास उपलब्ध है। इसमें एक वर्ष में दर्ज किए गए भविष्य निधि चूक के मामलों में दोषसिद्धि का पूरा ब्यौरा दिया गया है। वर्ष 2003–2004 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2396 मामलों में दोषसिद्धि कराई है।

ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती। हम निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। किन्तु मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि... *(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न न्यूनतम मजदूरी पर था न कि भविष्य निधि पर।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : हमें न्यूनतम मजदूरी के मामले में अभी भी कई शिकायतें मिलती हैं। मैंने पहले ही कहा है कि राज्य का क्षेत्र है और केन्द्र का भी क्षेत्र है। राज्य क्षेत्र में 1,445 अनुसूचित रोजगार हैं जिनका ध्यान संबंधित राज्य सरकारें रखती हैं। राज्य सरकारें इन बातों का ख्याल रखती हैं और वे न्यूनतम मजदूरी तय करती हैं। राज्य स्तर पर न्यूनतम मजदूरी बोर्ड होते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि केन्द्र स्तर पर 15,212 निरीक्षण किए गए थे; 1,87,000 अनियमितताओं को दूर किया गया; 3,956 दावे दायर किए गए थे और 5,260 लोगों पर अभियोजन चलाया गया। ये आंकड़े केन्द्रीय क्षेत्र के हैं।

मेरे पास 20 राज्यों की जानकारी है। व्यापक स्तर पर निरीक्षण किए जाते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को सजा दिलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार एकदम चुप बैठती है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : केन्द्रीय सरकार की इकाइयां भी चूक कर रही हैं। उनमें से कितने को सजा मिली है?

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. चन्द्रशेखर राव : महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ताओं से पूर्णतः सहमत हूं। सरकार भी एकीकृत दृष्टिकोण के साथ इस मामले पर ध्यान देने के लिए समान रूप से चिन्तित है। इसका हल निकालने के लिए अर्जुन सेन गुप्त आयोग की नियुक्ति की गई है। एक बार आयोग अपना प्रतिवेदन देता है तो सरकार उन सभी कामगारों का ध्यान रखने के लिए ठोस प्रस्ताव के साथ आगे आएगी जिन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। जिनके साथ आज अन्याय हो रहा है, उन्हीं लोगों के लिए यह कमीशन बनाया गया है। मैं सदस्य को आश्वस्त कराना चाहूंगा कि सरकार बहुत जल्द असंगठित क्षेत्र के कामगारों का ध्यान रखने के लिए एक विधेयक लाएगी।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उसमें खेत मजदूर भी शामिल किए गए हैं?

श्री के. चन्द्रशेखर राव : सारे देश में 40 करोड़ लोग अनआर्गेनाइज सैक्टर में हैं, जिसमें से 20 करोड़ लोग खेत में मजदूरी करते हैं। अनआर्गेनाइज सैक्टर में खेती के मजदूर भी शामिल हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुमारी ममता बैनर्जी।

...(व्यवधान)

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : मैंने जो पूछा था माननीय मंत्री ने उसका उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सुझाव दिया था; वह अनुपूरक प्रश्न नहीं था।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आपको अवसर दे चुका हूं। कृपया बैठ जाइए।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह : महोदय, आप माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर देने के लिए कहें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न ही नहीं पूछा है तो मैं उनसे उत्तर देने के लिए कैसे कह सकता हूं? कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सामाजिक सुरक्षा योजना के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि मुझे अच्छी तरह से यह याद है कि राजग सरकार ने भी चुनावों से पहले एक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की थी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी तीन या चार स्थानों का चयन किया गया था और मैंने एक समारोह का आयोजन किया था जिसमें भविष्य निधि आयुक्त भी उपस्थित थे। मैं यह जानना चाहती हूं कि उस सामाजिक सुरक्षा योजना का भविष्य क्या है जिसमें विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र को शामिल किया गया है।

पश्चिमी देशों में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं किन्तु आजकल हमारे देश में आर्थिक सुधारों के नाम पर वे कर्मचारियों के लाभ कम कर रहे हैं। हम आर्थिक सुधारों के पक्ष में हैं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें कर्मचारियों के लाभ कम करने होंगे। आज यह हो रहा है कि कर्मचारी चाहे वे राज्य सरकार क्षेत्र के हों अथवा केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र के, उन्हें भविष्य निधि की राशि नहीं मिल रही है। भविष्य निधि की चूक की संख्या इतनी अधिक है कि कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि की राशि नहीं मिल रही है। अब बजट में सरकार ने भविष्य निधि पर कर लगा दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बारे में आपने यह कहा है कि आप कर्मचारी भविष्य निधि योजना में किए गए अंशदान पर ब्याज की दर को 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत करने जा रहे हैं। इसे कब लागू किया जाएगा?

मैं विशेष तौर पर सरकार से यह जानना चाहती हूं कि वे सामाजिक सुरक्षा विधेयक को कब पारित करेगी। ऐसे विधेयक को पारित करने में 50 वर्ष लग जाएंगे। हम खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के बारे में यह जानना चाहती हूं। इसमें बीड़ी कामगार, रिक्शा चलाने वाले, बेरोजगार युवक, किसान और इसमें अन्य सभी को शामिल किया जा सकता है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकती हूं कि क्या वे हमें कोई समय–सीमा दे सकते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

सामान्यतया, मैं प्रश्न नहीं पूछती हूं किन्तु यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है। मैं सभा के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न पूछ रही हूं। अतः इस मुद्दे पर हमारे और आप में कोई अन्तर नहीं है।

क्या ऐसी कोई समय–सीमा है जिसके भीतर आप इस विधेयक को सभा में रखेंगे? मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री के. चन्द्रशेखर राव : महोदय, यह सच है कि 50 जिलों में प्रायोगिक आधार पर एक योजना शुरू की गई थी किन्तु उस योजना का कोई सांविधिक आधार नहीं था। वह स्वैच्छिक स्वरूप की थी और कर्मचारी अपना अंशदान करने हेतु आगे नहीं आ रहे थे।

जैसा कि हम सब यह जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से आकर अपना अंशदान जमा नहीं करता है। अतः सरकार इस विधेयक को प्रभावी बना रही है। इस विधेयक को प्रभावी बनाने और इसे सांविधिक आधार प्रदान करके योजना को जल्दी ही शुरू किया जाएगा। इस सारे मुद्दे पर समेकित दृष्टिकोण से गौर किया जा रहा है और सरकार ने इसी कारण अर्जुन सेन गुप्त आयोग की नियुक्ति की है।

मैं सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि जैसे ही अर्जुन सेन गुप्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गणेश सिंह अंतिम अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। इसलिए मैं भी इसी प्रश्न पर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृपया मुझे भी प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : पौन घंटा एक ही प्रश्न पर हो गया। आप कृपया बैठिए।

श्री गणेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश में श्रम कानून कई हिस्सों में बंटे हैं जिसके चलते भारत के किसी भी सैक्टर के मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है। महोदय, देश को और खासकर वामपंथी साथियों को यू.पी.ए. सरकार से बहुत अधिक उम्मीद थी कि श्रम कानूनों में निश्चित तौर पर आवश्यक सुधार लाया जाएगा और श्रमिकों को फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह सीमेंट इंडस्ट्रीज का क्षेत्र है। वहां इतनी बड़ी संख्या में ठेके के मजदूर काम कर रहे हैं जिस पर यह सवाल है। ठेके के मजदूरों से स्किल्ड वर्क कराया जाता है। वे लोग वहां 30–30 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें परमानेंट नहीं किया गया है। उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। उनसे सिर्फ जी.पी.एफ. का एक फार्म भरवाया गया है और उसके बाद उनसे स्किल्ड वर्क लिया जा रहा है और अभी भी उन्हें वेज बोर्ड के हिसाब से मजदूरी नहीं दी जा रही है।

इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है, उनके बारे में क्या भारत सरकार कोई नया कानून बनाने जा रही है? इसके अलावा कारखानों के श्रमिकों के जो पद रिक्त होते हैं, उन पदों पर ठेके के मजदूर और बिल्डिंग डिपोर्ट के कार्य में लगे मजदूरों की भर्ती करने हेतु कोई कानून बनाने जा रहे हैं या नहीं?

श्री के. चन्द्रशेखर राव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना

***242. श्री पंकज चौधरी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन को मूल उद्योग का दर्जा प्रदान करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पर्यटन पर आज दुनिया के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था निर्भर है। आज यह विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत बन गया है। पर्यटन में लगभग 11 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से और 47 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करते हैं। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने की अनेक संभावनाएं हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में अकेले बौद्ध परिपथ, वन पर्यटन, बनर्सियाखुद, कुशीनगर, सारनाथ, लेहरा देवी जी आदि अनेक ऐसे स्थल हैं जो धन के अभाव में पूर्ण विकसित नहीं किए जा सके हैं। मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं और क्या भविष्य में इस पर पुनर्विचार की कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्रीमती रेनुका चौधरी : महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं और आपके माध्यम से मैं यह विशेष प्रश्न उठाने के लिए माननीय सदस्य की प्रशंसा करना चाहती हूं। यह सही है कि पर्यटन को अवसंरचना का दर्जा और एक उद्योग के समान सभी सुविधाएं और रियायतें दी जानी चाहिए। तथापि, आप यह बात जानते हैं कि पर्यटन में कई पहलू, जिसमें सेवा शामिल है, निहित हैं। हमने राज्य सरकारों को इन्हें एक सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचानने हेतु प्रोत्साहन दिया है और देश के विभिन्न भागों में कुछ रियायतें पहले ही दी जा चुकी हैं। हम सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिए हैं। हमारा पर्यटन वित्त निगम आयकर अधिनियम के अन्तर्गत छूट सहित कई कतिपय रियायतें प्रदान करता है। यदि माननीय सदस्य इस मामले पर संबंधित राज्य से बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सरकार ने अतिथि देवो भवः अभियान चला रखा है, इसके लिए चालू वर्ष में कितनी राशि आवंटित की गई है? अतिथि देवो भवः को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को दर्जा देने के लिए पर्यटन को कितनी सहायता प्राप्त हो रही है?

[अनुवाद]

श्रीमती रेनुका चौधरी : हमें अपने देश में आने वाले पर्यटकों से सबसे ज्यादा शिकायतें ये मिलती हैं कि यहां पर सेवा प्रावधान स्तरीय नहीं है। स्तर से नीचे वाले सेवा प्रदाताओं जैसे—हमारे टैक्सी ड्राइवरों, टूर गाइडों, वेटरों आदि को प्रशिक्षण देने के लिए 'अतिथि देवो भवः' नामक एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय घरेलू कार्यक्रम शुरू किया गया है। हम सात राज्यों में प्राथमिक क्षेत्र में 'अतिथि देवो भवः' कार्यक्रम चला रहे हैं ताकि हमें फीडबैक मिल सके।

इस योजना के अन्तर्गत सात सूत्रों को कार्यान्वित किया जा रहा है। हमें माननीय सदस्य तथा पूरी सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसका जोरदार स्वागत किया गया है। अधिकांश होटल व्यवसायी तथा निजी आपरेटर इस महत्वपूर्ण सेवा, जो कि हम उपलब्ध करा रहे हैं, के जुड़ने के लिए आगे आए हैं। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग के पेट्रोल स्टेशनों सहित, दुकानें, रेस्त्रां पर्यटकों को सुविधा देने के लिए इस सेवा से जुड़ने हेतु प्रोत्साहित हो सकेंगे।

चालू सत्र के दौरान, हम बजट की समीक्षा पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्थापित की गई है। इसे पूरे भारत में शुरू करने से पहले हम फीडबैक की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र एक अल्पविकसित क्षेत्र है और भारत सरकार इसके विकास हेतु सभी प्रयास कर रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता

से समृद्ध है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में यदि पर्यटन का विस्तार किया जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करना सरल हो जाएगा। कई पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहां अभी भी ध्यान दिया जाना बाकी है। अवसंरचना तथा जन प्रचार के अभाव के कारण पर्यटन का सामान्य रूप से विकास नहीं हो पा रहा है। हम जानते हैं कि पर्यटन में ग्रामीण तथा स्थानीय लोगों के लिए आय सृजन की क्षमता है। इससे क्षेत्र का व्यापक विकास हो सकता है तथा साथ ही क्षेत्रीय असन्तुलन कम करने में मदद मिलेगी। हम चाहते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अविकसित पर्यटन स्थलों पर ध्यान दिया जाए अथवा इनका विकास किया जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार भुवन हिल्स तथा सोन वेल–असम की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील सहित नए पर्यटन स्थलों का विकास करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयास करेगी?

श्रीमती रेनुका चौधरी : मुझे खुशी है कि यह प्रश्न पूछा गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करने में आ रही समस्याओं को समझे बिना ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में काफी कुछ कहा गया है। शुरूआत में कहें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हमने विशेष प्रयास किए हैं, विशेष ध्यान दिया है क्योंकि इस सरकार के प्रधान मंत्री तक रोजगार सृजन के विचार से पूर्वोत्तर के विकास, विशेष रूप से यहां पर्यटन के विकास के लिए वचनबद्ध हैं। पर्यटन को इसके सही अवतार के रूप से समझा जाना चाहिए जिसका गुणक प्रभाव होता है। पूर्वोत्तर राज्यों में 'इनर लाइन परमिट' के मद्देनजर हमारे सामने कुछ प्रतिबंध थे जिनके कारण विगत काल में हमें रुकना पड़ा। "लुक ईस्ट पॉलिसी" से सामंजस्य में गैर–व्यपगत निधियों का सृजन किया गया है तथा हमने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। हमने कई टीमें भेजी हैं जो पूर्वोत्तर जाकर परियोजना स्थापित करेंगी, जो आज चल रही हैं। यह पूरा चक्र विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लिए विकसित किया जा रहा है। विमान संपर्क, जो कि कम और दूरी पर था, को अब बढ़ाया गया है। हम पर्वतीय विमान सेवाएं स्थापित करने पर भी विचार कर रहे हैं ताकि इन भागों में संपर्क बढ़ सके। मुझे खुशी होगी यदि इस क्षेत्र के संसद सदस्य, अपनी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में से कुछ राशि इस प्रयोजनार्थ निर्धारित करें तथा हमारी सरकार तथा मंत्रालय के रूप में हमारे साथ भागीदारी करें जिससे इन स्थानों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना हो सके। इनर लाइन परमिट आदि के मुद्दे को उठाया जा सके तथा यदि संभव हो तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार हेतु प्रशिक्षण संघटक का सृजन किया जा सके।

श्री पी. करुणाकरन : महोदय, यह सच है कि हमें पर्यटन विभाग से उचित मात्रा में धनराशि मिल रही है और हमें इसे बढ़ावा देना होगा। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। साथ ही विभिन्न केन्द्रों से पता चला है कि कुछ पर्यटन केन्द्रों में एक अहितकारी प्रवृत्ति उभर रही है। क्या माननीय मंत्री ने इस पर ध्यान दिया है? यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठाना चाहेगी?

श्रीमती रेनुका चौधरी : सर्वप्रथम, मुझे नहीं पता कि अहितकारी किस चीज को समझा गया है क्योंकि यहां विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात हो रही है। हमें ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिला है कि अहितकारी किसे समझा गया है। कुछ उग्रवाद है जो कि सब लोग जानते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों की रोजगार की आवश्यकता को पर्यटन द्वारा पूरा किया जा सके ताकि युवा लोग इन गतिविधियों की ओर रुख न करें। इससे अलावा हमें कोई शिकायत नहीं मिली है... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो फाइव स्टार होटल्स हैं, उनको स्टेटस देने के लिए कोई मापदण्ड होंगे, क्या उसमें यह भी है कि उस होटल में रहने वाले लोगों की प्राइवेसी को मेनटेन किया जाए? अगर किसी फाइव स्टार होटल में किसी कस्टमर की प्राइवेसी को वायलेट किया जाता है, नवदम्पत्ति वहां रहते हैं, उनकी वीडियो कैसेट बनाई जाती है। मैं आपको पंजाब में लुधियाना के पार्क प्लाजा होटल का एक पर्टिकुलर उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर नवदम्पत्ति ठहरे हुए थे, उनकी वीडियो कैसेट बनानी शुरू की गई, जब उन्होंने ऑबजैक्शन किया तो उनको पीटा गया और मैनेजमेंट ने उनको कोई भी हैल्प देने के बजाय होटल से निकाल दिया। उनके रिलेटिव्ज ने उनको जाकर अस्पताल में एडमिट कराया। अगर ऐसे इंस्टांसेज फाइव स्टार होटल में होते हैं तो सरकार उन पर क्या एक्शन लेती है? यह मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती रेनुका चौधरी : पांच सितारा होटल, दो, तीन तथा अन्य सितारा होटलों को वहां दी जा रही सेवाओं तथा अवसंरचना के आधार पर विभिन्न मानकीकरण देकर वर्गीकृत किया गया है। जहां तक इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का प्रश्न है, यह होटलों का कारोबार है जो वास्तव में सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। यदि वे अच्छा कारोबार करना चहते हैं तो उन्हें लोगों की गोपनीयता को बनाए रखना सीखना चाहिए। एक शिकायत हमारे सामने अवश्य आई है कि लुधियाना में एक होटल ने ऐसा किया है। हमने पहले ही एक कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। मैं आपको

व्यक्तिगत तौर पर आश्वासन देती हूं कि सरकार में हम लोगों द्वारा ऐसी कोई हेरा–फेरी बर्दाश्त, स्वीकार्य या प्रत्यायित नहीं की जाएगी। ऐसे होटलों में यदि और गलतियां की जाती हैं तो इन्हें बिना किसी राहत के काली सूची में डाल दिया जाएगा।

श्री सुखबीर सिंह बादल : पंजाब के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता इस होटल के मालिक हैं और वर्तमान मुख्य मंत्री इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती रेनुका चौधरी : इस बात का महत्व नहीं है कि यह कांग्रेस या किसी अन्य दल के नेता का है। यदि यह आपके होटल में हो तो भी समान नियम लागू होगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : एक्शन तो कोई किया ही नहीं। इस पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की है। यह कार्यवाही कब की जाएगी?

श्रीमती रेनुका चौधरी : मल्होत्रा जी, आपने सुना नहीं। मैंने कहा कि सो–काज नोटिस तो इश्यू हो गया है। जवाब के लिए एक प्रोसीजर तय करना पड़ता है, नहीं तो आप ही सवाल पूछेंगे।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : आप कार्रवाई करने के लिए कब तक प्रतीक्षा करेंगे? वे वर्षों से ऐसा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेनुका चौधरी : कितने साल हुए हैं, मल्होत्रा जी, अगर आप बता दें तो मैं देख लूंगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु : यद्यपि भारत सरकार और अन्य कई राज्यों ने पर्यटन को प्राथमिकता प्रदान की है। क्या यह सच्चाई है कि भारत में आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वर्ष–दर–वर्ष कमी आ रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रीमती रेनुका चौधरी : यह एक कोरी कल्पना है। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत गर्व होता है कि पिछले आठ महीनों में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में हमारे यहां 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वह भी वास्तविक रूप से और डालर के हिसाब से। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत में संख्या में इस तरह की वृद्धि पहली बार देखी गई है। यहां तक कि कम गर्मी वाले महीनों में इसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि होगी। भारत के लिए यह बल्ले–बल्ले वाली स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार के लिए कौन–कौन सी पर्यटन की योजनाएं हैं। दूसरी बात, उसमें भीमबाण, बाल्मीकि नगर, केसरिया का बौद्ध स्थान और फिर सीमामढ़ी, जहां माता जानकी ने जन्म लिया। उसके विकास के लिए पर्यटन के क्षेत्र में कौन सी कार्यवाही की जा रही है।

श्रीमती रेनुका चौधरी : बिहार तो खुद विपुल प्रोडेक्ट है। बिहार के बारे में बहुत लोग यह राह देखते हैं कि वहां पहुंचना है और बोध गया के लिए बहुत से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। बुद्धिस्ट सर्किट में 16 राज्यों के साथ–साथ बिहार को भी जोड़ा गया है। जेबीआईसी बैंक से कुछ करोड़ रुपये इनके विकास के लिए दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि आप जैसे सदस्य भी इसमें सहायता दें और अपने–अपने स्थलों में इंफ्रास्टक्चर के विकास के लिए आगे आएं।

उपाध्यक्ष महोदय : पंजाब को भी क्या इसमें जोड़ा जाएगा?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाइए। कृपया शांत रहिए।

...(व्यवधान)

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : मंत्री महोदया, मैं यहां उपस्थित हूं। मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई है...*(व्यवधान)* क्या आप मेरी बात सुनेंगी?

श्रीमती रेनुका चौधरी : हां, महोदय।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : धन्यवाद। जहां तक पर्यटन का संबंध है, उत्तरांचल एक ऐसा स्थान है जहां पर्यटन की विविधताएं उपलब्ध हैं। सामान्य पर्यटन के अतिरिक्त, हमारे पास यहां धार्मिक पर्यटन, जोखिम वाला पर्यटन, होली डे पर्यटन आदि उपलब्ध हैं। यहां पर सर्वोत्तम नैसर्गिक सौंदर्य भी उपलब्ध है। फिर भी, इन वर्षों में, उत्तरांचल के अस्तित्व में आने के पश्चात् पर्यटन का जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। मंत्री महोदया आप यह कह सकती हैं कि यह राज्य का विषय है और इसके संबंध में मुझे राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहिए। मैं मंत्री महोदया से इसलिए प्रश्न नहीं कर रहा हूं कि वहां पर इनकी सरकार है। जहां तक पर्यटन का संबंध है, हम राज्य सरकार को यह जताने अथवा जगाने में विफल रहे हैं। मैं मंत्री महोदया से

उत्तरांचल में विशेष रुचि लेने और कुछ करने का आग्रह करता हूं ताकि उत्तरांचल के लोग लाभान्वित हो सकें।

श्रीमती रेनुका चौधरी : मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य अंतिम बार कब उत्तरांचल गए थे।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : मैं प्रत्येक सप्ताहांत में वहां जाता हूं।

श्रीमती रेनुका चौधरी : मैं उत्तरांचल को तो बधाई दूंगी ही क्योंकि इसने पर्यटन को सर्वाधिक बढ़ावा देने का पारितोषिक प्राप्त किया है...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : इसका आधार यह नहीं है...*(व्यवधान)* आधार की स्थिति क्या है?...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेनुका चौधरी : उत्तरांचल राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रोत्साहन दिया जाने वाला एक नया राज्य है। मेरे अनुसार माननीय सदस्य को यह गर्व होना चाहिए कि उनके राज्य ने इतनी तरक्की की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां कौन सी सरकार है। लोगों ने वहां आपको भी वोट दिया है और हमें भी। आइए, हम सभी उत्तरांचल को एक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बधाई दें। वहां पर्यटन का दरवाजा शीघ्र खुल रहा है...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : यह इस आधार पर नहीं है...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.59 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले जी, इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं? आप जानते है कि इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

खाद्यान्नों की आपूर्ति

+

***243. श्री सुकदेव पासवान :**
श्री रामकृपाल यादव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को उस राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) को खाद्यान्नों की आपूर्ति की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं जहां से इनकी खरीद की जाती है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप अन्य राज्यों को खाद्यान्नों की ढुलाई पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस नीति की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम राज्य के भीतर वसूले गए खाद्यान्नों के स्टाक में से सर्वप्रथम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्न जारी करने की नीति का पहले से ही पालन कर रहा है। इसके बाद खाद्यान्नों की किसी अतिरिक्त आवश्यकता को दूसरे राज्यों से खाद्यान्नों की ढुलाई करके पूरा किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान : अध्यक्ष जी, सरकार का जो जबाव है, वह बिलकुल अस्पष्ट है। राज्यों के अंदर भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों की आपूर्ति सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। उस विषय में कोई स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद भारतीय खाद्य निगम का बीपीएल, अन्नपूर्णा, अंत्योदय योजनाओं के लिए चावल, गेहूं का जो स्टाक है, वहां पर आपराधिक तत्वों से मिल कर गेहूं और चावल को ब्लैक मार्केटिंग कर दिया गया है। लेकिन आज तक केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसकी देख–रेख नहीं होती। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में जांच की जा सकती है?

मध्याह्न 12.00 बजे

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा बिलकुल नहीं है। हम लोगों ने 1997–98 से डीसैंट्रलाइज स्कीम पूरे देश में लागू करने का काम किया है। माननीय सदस्य ने बिहार का जो सवाल उठाया है, अक्टूबर–नवम्बर महीने में हरियाणा और पंजाब में जिस तरह प्रोक्योरमैंट होता था, ट्रैडिशनल स्टेट्स में जिस तरह प्रोक्योरमैंट हुआ करता था, उस तरह हमने काम शुरू किया है। हमने इस महीने भी 12 तारीख को पटना में सारे प्रमंडलीय आयुक्तों को बुलाकर समीक्षा बैठक की थी।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह आपको जवाब भेजेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आपकी मदद की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह इसे आपको भेज देंगे। मंत्री महोदय, आप अपना जवाब श्री पासवान जी को भेजें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल पांच मिनट देर से शुरू हुआ था, इसलिए आपसे आग्रह है कि इसका समय बढ़ा दिया जाए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। भविष्य में इस तरह का दृष्टान्त नहीं होना चाहिए। श्री राम कृपाल यादव जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब बहुत असंतोषजनक है। इन्होंने नीति को स्पष्ट नहीं किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि एफसीआई की केन्द्रीय खरीद और राशन प्रणाली की आपूर्ति में गलत नीतियों के कारण ढाई हजार करोड़ रुपये की हानि प्रति वर्ष हो रही है? यदि यह सही है तो इसे रोकने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि गलत नीतियों की वजह से ढाई हजार करोड़ रुपये किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप अपनी नीतियों को परिवर्तित करने के लिए क्या करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त हुई कुल सहायता लगभग 20,000 करोड़ रुपये है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि 28,000 करोड़ रुपये का यह घाटा कैसे हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल अब वास्तव में समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उर्वरक इकाइयों का कार्य निष्पादन

***244. श्री बाडिगा रामकृष्णा :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ उर्वरक इकाइयों की दशा और उनका कार्य–निष्पादन संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी इकाइयों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) विद्यमान इकाइयों द्वारा प्रतिवर्ष उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन किया जाता है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त इकाइयों की दशा और उनके कार्य–निष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) इकाइयों की सूची और प्रतिशत क्षमता उपयोग संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) यूरिया संयंत्रों में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में कमी होना एक मुख्य कारण है। फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की सीमित उपलब्धता मुख्य कारण है।

(घ) उर्वरक उत्पादक बड़ी इकाइयों के उत्पादन का इकाईवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) सरकार ऐसी नीतियां अपनाती रही है जो उर्वरक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायक हों ताकि प्रमुख उर्वरकों की स्वदेशी आवश्यकता को पूरा करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। यूरिया के मामले में, सरकार ने हाल ही में (क) यूरिया की नई और विस्तार परियोजनाओं और (ख) फीडस्टाक/ईंधन के लिए विद्यमान गैर–गैस आधारित यूरिया इकाइयों को प्राकृतिक गैस/एलएनजी इकाइयों में परिवर्तित करने में निवेश करने के लिए मूल्य निर्धारण नीति की घोषणा की है। यूरिया की स्वदेशी उपलब्धता में वृद्धि करने

के लिए इफको और कृभको जैसी बहु–राज्य सहकारी समितियां सुर, ओमान में ओमान आयल कम्पनी के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित कर रही हैं और प्रति वर्ष होने वाला 16.32 लाख मी. टन यूरिया का संपूर्ण उत्पादन सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। दूसरी ओर, फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की संस्थापित क्षमता (पोषक तत्वों के रूप में 54.20 लाख मी. टन) आवश्यकता के वर्तमान स्तर (पिछले तीन वर्षों में 46–47 लाख मी. टन की औसत खपत) को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। देश में वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य पोटाश के स्रोतों के अभाव में सीधे उपयोग करने तथा मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन के लिए पोटाशयुक्त उर्वरकों की संपूर्ण मांग को आयात से पूरा किया जाता है।

विवरण-I

पिछले दो वर्षों के लिए पोषक दृष्टि से कम्पनी/इकाईवार उत्पादन और प्रतिशत क्षमता उपयोगिता

नाइट्रोजन

कंपनी/संयंत्र का नाम	संस्थापित क्षमता	उत्पादन (000 मी. टन)		प्रतिशत क्षमता उत्पाद	
	(31.03.04)	2002–2003	2003–04	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र					
एन एफ एल–नांगल–I	80.0	13.5	16.0	16.9	20.0
एन एफ एल–नांगल–II	220.1	220.1	220.1	100.0	100.0
एन एफ एल–भटिन्डा	235.3	235.5	235.4	100.1	100.0
एन एफ एल–पानीपत	235.3	225.4	235.3	95.8	100.0
एन एफ एल–विजयपुर	397.7	397.7	406.4	100.0	102.2
एन एफ एल–विजयपुर, विस्तार	397.7	398.8	400.3	100.3	100.7
बी वी एफ सी एल–नामरूप–III	144.9	85.7	110.7	59.1	76.4
फैक्ट–उद्योगमण्डल	77.0	69.4	68.1	90.1	88.4
फैक्ट–कोचीन–II	97.0	103.7	85.3	106.9	87.9
आर सी एफ–ट्राम्बे	45.0	45.6	44.4	101.3	98.7
आर सी एफ–ट्राम्बे–IV	75.1	51.7	48.8	68.8	65.0
आर सी एफ–ट्राम्बे–V	151.8	9.6	8.1	6.3	5.3
आर सी एफ–थाल	785.1	707.2	796.5	90.1	101.5
एम एफ एल–चैन्नई	366.7	256.5	253.5	69.9	69.1
सहकारी क्षेत्र					
इफको–लान्डला	318.9	368.0	322.1	131.5	101.0
इफको–वलोल	250.5	247.5	220.6	98.8	88.1
इफको–फुलपुर	253.5	253.6	246.7	100.0	98.1
इफको–फुलपुर–II	397.7	397.8	391.5	100.0	98.4

1	2	3	4	5	6
इफ्को–आंवला	397.7	398.4	397.8	100.2	100.0
इफ्को–आंवला–II	397.7	398.0	397.8	100.1	100.0
कृभको–हजीरा	795.4	737.6	815.6	92.7	102.5
निजी क्षेत्र					
जी एस एफ सी–बडोदरा	248.1	278.5	223.1	71.9	89.9
सी एफएल–विजाग	124.0	111.9	133.8	90.2	107.9
एस एफ सी–कोटा	174.4	181.1	167.4	103.9	96.0
जेड आई एल–गोवा	288.7	264.2	278.1	91.5	96.3
एस पी आई सी–तूतीकोरिन	370.7	324.3	344.3	87.5	92.9
एम सी एफ–मंगलौर	207.2	199.0	170.9	96.0	82.5
सी एफ एल–इन्नौर	41.2	30.8	34.0	74.8	82.5
जी एन एफ सी–भरुच	356.7	357.9	336.5	100.3	94.3
टी सी एल–हलदिया	121.5	111.7	91.1	91.9	75.0
जी एस एफ सी–सिक्का	105.8	117.9	81.0	114.4	76.6
जी एस एफ सी–सिक्का–II	71.3	0.0	9.5	–	13.3
जी एफ सी एल–काकीनाडा	120.6	134.7	142.8	111.7	118.4
आई जी एफ एल–जगदीशपुर	397.7	397.7	396.6	100.0	99.7
एच आई एल–दाहेज	72.0	54.2	40.9	75.3	56.8
डी एफ पी सी एल–तलोजा	52.9	38.7	34.6	73.2	65.4
एन एफ सी एल–काकीनाडा–I	274.8	258.4	275.3	94.0	100.2
एन एफ सी एल–काकीनाडा–II	274.8	287.7	273.9	104.7	99.7
सी एफ सी एल–गडेपन–I	397.7	397.9	417.6	100.1	105.0
सी एफ सी एल–गडेपन–II	397.7	397.8	393.1	100.0	98.8
टी सी एल–बबराला	397.7	397.8	397.7	100.0	100.0
ओ सी एफ–शाहजहांपुर	397.7	374.7	394.5	94.2	99.2
ओ सी एफ–पारादीप	325.2	132.2	65.1	40.2	20.0
पी पी एल–पारादीप*	129.6	134.5	164.9	103.8	127.2

*28-2-2002 को विनिवेश

फास्फेट

कंपनी/संयंत्र का नाम	संस्थापित क्षमता (31.03.04)	उत्पादन (000 मी. टन)		प्रतिशत क्षमता उत्पाद	
		2002–2003	2003–04	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5	6
निजी क्षेत्र					
फैक्ट–उद्योग मण्डल	29.7	31.1	28.2	104.7	94.9
फैक्ट–कोचीन–II	97.0	103.7	85.3	106.9	87.9
आर सी एफ–ट्राम्बे	45.0	45.6	44.4	101.3	98.7
आर सी एफ–ट्राम्बे–IV	75.1	51.7	48.8	68.8	65.0
एम एफ एल–चैन्नई	142.8	73.4	77.6	51.4	54.3
सहकारी क्षेत्र					
इफको–कांडला	825.1	949.5	832.6	131.0	100.9
निजी क्षेत्र					
जी एस एफ सी–वडोदरा	75.9	35.4	65.0	46.6	85.6
सी एफ एल–विजाग	166.0	150.2	175.7	90.5	105.8
जेड आई एल–गोवा	197.4	141.8	166.1	71.8	84.1
एस पी आई सी–तूतीकोरिन	218.5	143.0	146.2	65.4	66.9
एम सी एफ–मंगलौर	82.8	46.7	40.2	56.4	48.6
सी एल एफ–इन्नोर	48.0	37.7	38.4	78.5	80.0
जी एन एफ सी–भरुच	28.5	35.2	24.3	123.5	85.3
टी सी एल–हलदीया	310.5	310.0	234.0	99.8	75.4
जी एस एफ सी–सिक्का–I	270.5	301.2	206.9	111.3	76.5
जी एस एफ सी–सिक्का–II	182.2	0.0	24.2	0.0	13.3
जी एफ सी एल–काकीनाडा	308.2	285.2	362.2	92.5	117.6
एच आई एल–दाहेज	184.0	137.2	103.6	74.6	56.3
डी एफ पी सी एल–तलूजा	52.9	38.7	34.6	73.2	65.4
ओ सी एफ–पारादीप	802.8	337.7	151.6	42.1	18.9
पी पी एल–पारादीप	331.2	292.9	344.0	88.4	103.9

विवरण-II

वर्ष 2003–04 में उर्वरक का इकाईवार, उत्पादवार उत्पादन

(000' मी. टन)

क्र.सं.	कंपनी/संयंत्र का नाम	उत्पाद का नाम			कुल
		यूरिया	डीएपी	मिश्रित उर्वरक	
1	2	3	4	5	6
1.	एनएफएल : नांगल–II	478.5			478.5
2.	एनएफएल : भटिण्डा	511.7			511.7
3.	एनएफएल : पानीपत	511.6			511.6
4.	एनएफएल : विजयपुर	883.4			883.4
5.	एनएफएल : विजयपुर विस्तार	870.3			870.3
6.	फैक्ट : उद्योग मंडल			141.0	141.0
7.	फैक्ट : कोचीन–II			426.7	426.7
8.	आरसीएफ : ट्राम्बे			296.3	296.3
9.	आरसीएफ : ट्राम्बे–IV			234.8	234.8
10.	आरसीएफ : ट्राम्बे–V	17.7			17.7
11.	आरसीएफ : थाल	1731.4			1731.4
12.	एमएफएल : चेन्नै	387.7	10.8	414.9	813.4
13.	बीवीएफसीएल : नामरूप–II				
14.	बीवीएफसीएल : नामरूप–III	240.6			240.6
15.	इफ्को : कांडला		1246.0	854.2	2100.2
16.	इफ्को : कलोल	479.6			479.6
17.	इफ्को : फूलपुर–I	540.7			540.7
18.	इफ्को : फूलपुर–II	851.0			851.0
19.	इफ्को : आंवला–I	864.8			864.8
20.	इफ्को : आंवला–II	864.7			864.7
21.	कृभको : हजीरा	1773.1			1773.1
22.	जीएसएफसी : वडोदरा	300.4	116.6	56.8	473.8
23.	सीएफएल : विजाग			637.5	637.5

1	2	3	4	5	6
24.	एसएफसी : कोटा	363.9			363.9
25.	डीआईएल : कानपुर				
26.	जेडआईएल : गोवा	398.6	187.7	363.3	949.6
27.	स्पिक : तूतीकोरिन	621.2	313.0	11.6	945.8
28.	एमसीएफ : मंगलौर	334.8	83.5	9.1	427.4
29.	सीएफएल : इन्नौर			192.0	192.0
30	जीएनएफसी : भड़ौच	636.7		121.5	758.2
31.	टीएसी : तूतीकोरिन				0.0
32.	टीसीएल : हल्दिया		387.5	195.5	583.0
33.	डीएफपीसीएल : तलोजा			150.6	150.6
34.	आईजीसीएल : जगदीशपुर	862.1			862.1
35.	हिन्डालको इन्ड. : दहेज		215.0	17.0	232.0
36.	जीएसएफसी : सिक्का–I		504.4		504.4
37.	जीएसएफसी : सिक्का–II				
38.	जीएफसीएल : काकीनाडा		742.5	69.7	812.2
39.	एनएफसीएल : काकीनाडा–I	598.4			598.4
40.	एनएफसीएल : काकीनाडा–II	595.4			595.4
41.	सीएफसीएल : गडेपन–I	907.8			907.8
42.	सीएफसीएल : गडेपन–II	854.6			854.6
43.	टीसीएल : बबराला	864.8			864.8
44.	ओसीएफ : शाहजहांपुर	857.7			857.7
45.	ओसीएफ : पाराद्वीप		308.7	47.6	356.3
46.	पीपीएल : पाराद्वीप		617.9	271.0	888.9

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

*245. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :**
श्री राजेश वर्मा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ताओं के पक्ष का समर्थन करने हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके त्वरित क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रमों को मल्टीमीडिया अभियान के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों तथा अधिकारों का दावा प्राप्त करने और जहां आवश्यक हो, प्रतितोष की मांग करने के बारे में जानकारी दी जा सके।

[हिन्दी]

औषधीय पौधों की खेती

***246. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औषधीय पौधों की खेती करने और वनस्पति उद्यान स्थापित करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) सरकार द्वारा औषधीय पौधों की पहचान करने हेतु क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) औषधीय पौधों की खेती के लिए ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। बहरहाल, जड़ी–बूटी उद्यानों की स्थापना के लिए सर्वेक्षण कराए गए हैं। कृषि एवं सहकारिता विभाग की कृषि का वृहद प्रबंध कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण/सम्पूरण नामक चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत 27 जड़ी–बूटी उद्यानों की स्थापना की गई है। इन स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन.एम.पी.बी.) द्वारा भी इन प्रयासों के लिए सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार भारत में 343 औषधीय पादप उद्यान हैं। इनकी सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

जड़ी–बूटी उद्यानों के स्थान

1. आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय,
   हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
2. असम कृषि विश्वविद्यालय,
   जोरहाट, असम
3. आनन्द कृषि विश्वविद्यालय,
   आनन्द, गुजरात
4. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
   नादिया, पश्चिम बंगाल
5. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय,
   रांची, झारखण्ड
6. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
   हिसार, हरियाणा
7. इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,
   आई.एल. रायपुर
8. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,
   जबलपुर, मध्य प्रदेश
9. केरल कृषि विश्वविद्यालय,
   त्रिचूर, केरल
10. महात्मा फुले कृषि विद्या पीठ,
    राहुरी, महाराष्ट्र
11. महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
    उदयपुर, राजस्थान
12. एन.डी. कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
    फैजाबाद, उत्तर प्रदेश
13. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
    भुवनेश्वर, उड़ीसा
14. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
    लुधियाना, पंजाब
15. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
    बीकानेर, राजस्थान
16. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
    बिहार
17. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
    मेरठ, उत्तर प्रदेश
18. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय,
    कोयम्बटूर, तमिलनाडु

19. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
बंगलौर, कर्नाटक

20. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
धारवाड़, कर्नाटक

21. डा. वाई.एस. परमार कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय,
सोलन, हिमाचल प्रदेश

22. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सी.एस.आई.आर.),
भुवनेश्वर, उड़ीसा

23. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सी.एस.आई.आर.),
जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर

24. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (सी.एस.आई.आर.),
जोरहाट, असम

25. राष्ट्रीय औषधीय एवं सुगन्धित पादप अनुसंधान केंद्र,
आनन्द, गुजरात

26. मालाबार वानस्पतिक उद्यान,
कालीकट, केरल

27. जी.बी. पन्त हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान

विवरण-II

भारत में औषधीय पौधों के उद्यानों की सूची

अंडमान और निकोबार

1. भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, अंडमान व निकोबार सर्कल,
अंडमान और निकोबार–744102

2. भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, अंडमान व निकोबार सर्कल,
हार्टीकल्चर रोड, हेड्डो, पोर्ट ब्लेयर–744102

आन्ध्र प्रदेश

3. वनस्पति विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय,
प्रायोगिक उद्यान, वाल्थेयर–530003, आंध्र प्रदेश

4. उस्मानिया विश्वविद्यालय,
वनस्पति विज्ञान विभाग, वानस्पतिक उद्यान,
हैदराबाद–500027, आंध्र प्रदेश

5. केन्द्रीय औषधीय व सुगंधित पादप संस्थान,
क्षेत्रीय केन्द्र (प्रदर्शन फार्म), उप्पल रोड,
बोडप्पल, हैदराबाद–500039, आंध्र प्रदेश

6. केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
(औषधीय पादप उद्यान), 11/4/625, दखूशा,
ए.सी. गार्डस, हैदराबाद–500024, आंध्र प्रदेश

7. राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र (प्रायोगिक फार्म)
चेलवर, आंध्र प्रदेश

8. औषधीय मानवीकरण यूनिट (होम्योपैथी),
उस्मानिया विश्वविद्यालय, बिल्डिंग 32
32 आरएस 4, वनस्पति विज्ञान विभाग,
विक्रमपुरी, हबीसगंडा, हैदराबाद–500007, आंध्र प्रदेश

9. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आयुर्वेद),
ए ब्लाक, नार्थ विंग, इन्दिरा गांधी स्टेडियम काम्पलेक्स,
बांद्रा रोड, विजयवाड़ा–520010, आंध्र प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश

10. भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, अरुणाचल प्रदेश सर्कल
संकाये बॉलडमस एरिया,
एटानगर–791111, अरुणाचल प्रदेश

11. अरुणाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड,
(औषधीय पादप उद्यान), तिरपा जिला,
दीमाली–786629, अरुणाचल प्रदेश

12. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आयुर्वेद),
औषधीय पौध उद्यान–कम–प्रदर्शन केन्द्र,
संकाय ब्यू, रैंगर–791119

13. राज्य वन अनुसंधान संस्थान,
एटानगर, अरुणाचल प्रदेश

14. अरुणाचल विश्वविद्यालय,
एटानगर, अरुणाचल प्रदेश

15. आर्किड अनुसंधान व विकास केन्द्र वानस्पतिक उद्यान,
भालूकपोंग, तिपी–790114, अरुणाचल प्रदेश

असम

16. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट,
नार्थ–ईस्ट इकोलोजी पार्क, जोरहाट, असम

17. वानस्पतिक उद्यान,
गुवाहाटी चिड़ियाघर, गुवाहाटी, असम

18. इंस्टीट्यूट आफ ऐन एंड मोयास्ट डैसीडयूस फारेस्ट
रिसर्च (प्लांटेशन),
ए.टी. रोड, राजाजन पो.ओ., जोरहाट–786001, असम

19. वानस्पतिक उद्यान,
हाफोंग, असम

20. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आयुर्वेद),
सरकारी आयुर्वेदिक कालेज, जालूकवारी,
गुवाहाटी–791014, असम

बिहार

21. जुबली पार्क, निकट रेलवे स्टेशन,
जमशेदपुर–831005, बिहार

22. (प्रायोगिक फार्म) नबाव मंजिल गुजी,
पटना–800008, बिहार

23. अंकुरन, गुदरी मोहल्ला, हजारीबाग जिला,
छतरा–825401, बिहार

24. बिहार कृषि कॉलेज, वानस्पतिक उद्यान,
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
भागलपुर जिला, सेबूर, बिहार

25. भागलपुर विश्वविद्यालय,.
पोस्टग्रेजुएट वनस्पति विभाग,
वानस्पतिक गार्डन, भागलपुर–812007, बिहार

26. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,
वानस्पतिक विभाग,
दरभंगा–846004, बिहार

27. मगध विश्वविद्यालय,
पोस्टग्रेजुएट वनस्पति विभाग,
बोधगया–824234, बिहार

28. क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद),
राजेन्द्र मैमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्डिंग,
कदम कान, पटना–800007, बिहार

चंडीगढ़

29. पंजाब विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग,
सैक्टर–14, चंडीगढ़–160014

छत्तीसगढ़

30. रवि शंकर विश्वविद्यालय, बायोसाइंस विभाग,
रायपुर–492010, छत्तीसगढ़

दिल्ली

31. होली फेमिली हस्पताल (औषधीय पादप उद्यान)
ओखला रोड, नई दिल्ली–110020

32. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
स्कूल ऑफ लाइफ साइंसिज वानस्पतिक उद्यान,
नई महरौली रोड, नई दिल्ली–110067

33. लोदी गार्डन,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110033

34. मुगल गार्डन,
राष्ट्रपति भवन कैम्पस, दिल्ली

35. दिल्ली विकास प्राधिकरण (वानस्पतिक पादप उद्यान),
निकट काया माया आयुर्वेदिक हस्पताल, महरौली,
बदरपुर रोड, तुगलकाबाद, दिल्ली

36. बुद्धा जयंती पार्क,
ओल्ड रिज रोड, दिल्ली–110060

37. मौर्य शेराटन होटल (हर्बल फार्म),
डिप्लोमैटिक एन्कलेव, दिल्ली–110021, दिल्ली

38. राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान पार्क,
पुराने किले के दक्षिण में, दिल्ली–110006

39. ऑबराय होटल (हर्बल फार्म),
जाकिर हुसैन मार्ग, दिल्ली–110033

40. भारतीय औषधीय व सुगंधित पौध रोपण संवर्धन प्रतिष्ठान,
बी–221, चितरंजन पार्क, दिल्ली–110019

41. केन्द्रीय यूनानी चिकित्सालय अनुसंधान परिषद,
जेएलएन भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी,
अनुसंधान भवन, 61–65 इंस्टीट्यूशनल एरिया,
ओप 'डी' ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058

42. केन्द्रीय आयुर्वेदिक व सिद्धा अनुसंधान परिषद,
जेएलएन भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी,
अनुसंधान भवन, 61–65 इंस्टीट्यूशनल एरिया,
आपे 'डी' ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058

43. केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद,
जेएलएन भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी,
अनुसंधान भवन, 61–65 इंस्टीट्यूशनल एरिया,
ओप 'डी' ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058

44. वैज्ञानिक औद्योगिक व अनुसंधान परिषद,
प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय,
रॉ मैटिरयल हर्बयम व म्यूजियम,
डा. के.एस. कृशन मार्ग, नई दिल्ली–110012

45. दिल्ली विश्वविद्यालय वानस्पतिक विभाग,
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली–110007

46. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
माइकोलोजी व पौध पैथोलोजी डिवीजन,
हर्बएहरयम क्राइपटोगैमी इंडिया ओरियंटल्स,
पूसा, दिल्ली–110012

47. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
पौध इन्टरोडकशन डिवीजन,
पूसा, दिल्ली–110012

48. जामिया हमदर्द फैकल्टी ऑफ सांइस,
वनस्पति विज्ञान विभाग, महरौली–बदरपुर रोड,
हमदर्द नगर, दिल्ली–110062

49. राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर),
राष्ट्रीय हर्बएरियम ऑफ कल्टीवेटड प्लांट्स,
एफआईसी बिल्डिंग,
भारतीय कृषि अनुसंधान रिसर्च कैम्पस, पूसा,
नई दिल्ली–110012

50. अनुसंधान डिवीजन वन विभाग,
गोवा (सतपाल एरोवोरेटम)

गुजरात

51. वानस्पतिक उद्यान वघई सतपुरा रोड,
डांग जिला, वघई–394730, गुजरात

52. वानस्पतिक उद्यान राजपिपला, गुजरात

53. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय,
कृषि वानस्पतिक विज्ञान विभाग, वोटेनिकल गार्डन,
जूनागढ़–362001, गुजरात

54. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय (औषधीय पादप उद्यान),
आनंद–388110, गुजरात

55. साउथ गुजरात विश्वविद्यालय, बाटेनिकल गार्डन,
नियर सूरत रेलवे स्टेशन, सूरत–39500, गुजरात

56. एम.एन. कालेज, वीसनगर,
गुजरात (एन.जी.)

57. बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा, गुजरात

58. केन्द्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान,
भावनगर–364002, गुजरात

59. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय,
कृषि वनस्पति विभाग,
जूनागढ़–232001, गुजरात

60. गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय,
जामनगर–362001, गुजरात

61. क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद),
ताज मंजिल, सरदार बाग,
जूनागढ़–362001, गुजरात

62. साराभाई प्रतिष्ठान,
रिट्रिट बॉटनिकल गार्डन, शाहीबाग,
अहमदाबाद–380004, गुजरात

63. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय,
जैविकीय विज्ञान विभाग,
राजकोट–360005, गुजरात

हिमाचल प्रदेश

64. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
मनाली वनस्पति वाटिका, मनाली, हिमाचल प्रदेश

65. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद परिसर,
पालमपुर (औषधीय पादप उद्यान),
अप्रोच रोड, जोगिन्दर नगर–176120, हिमाचल प्रदेश

66. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,
जम्मू विस्तार केन्द्र (प्रायोगिक फार्म),
पालमपुर, हिमाचल प्रदेश

67. राज्य सरकार आयुर्वेदिक फार्मेसी (औषधीय पादप उद्यान),
जोगिन्दर नगर–176120, हिमाचल प्रदेश

68. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
वानिकी विभाग, वनस्पति उद्यान एवं वनस्पति वाटिका,
एस.एन.एस. नंगर, नौनी, सोलन–173230,
हिमाचल प्रदेश

69. डा. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,
(प्रायोगिक फार्म), नौनी,
सोलन–173230, हिमाचल प्रदेश

70. तिब्बती मेडिकल एवं एस्ट्रो इंस्टीट्यूट
(औषधीय पादप उद्यान) खरबन्दा रोड,
कांगड़ा जिला–धर्मशाला–176215,
हिमाचल प्रदेश

71. उष्णकटीबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (पौध रोपण),
शिमला, हिमाचल प्रदेश

72. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
निकट नरकन्डा रेलवे स्टेशन, कांगड़ा जिला,
पालमपुर–176062, हिमाचल प्रदेश

73. स्वदेशी चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान,
एप्रोच रोड, जोगिन्दर नगर–176120,
हिमाचल प्रदेश

74. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आयुर्वेद) गांधी भवन,
मण्डी, हिमाचल प्रदेश

75. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, विस्तार केन्द्र
पालमपुर–176062, हिमाचल प्रदेश

जम्मू व कश्मीर

76. जम्मू व कश्मीर राज्य वन विभाग
(औषधीय पादप उद्यान), वन संरक्षक,
श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर

77. इम्पोरियम बॉटनिकल गार्डन,
श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर

78. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,
जम्मू क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (प्रायोगिक फार्म),
बेरीनाग कश्मीर, जम्मू व कश्मीर

79. केन्द्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान,
क्षेत्रीय केन्द्र (प्रदर्शन फार्म), पुलवामा जिला,
बोनेरा, जम्मू व कश्मीर

80. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,
जम्मू क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (प्रायोगिक फार्म),
जम्मू छावनी, चाथा, जम्मू व कश्मीर

81. नेहरू वनस्पति उद्यान,
चश्मे शाही श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर

82. यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान,
कश्मीर विश्वविद्यालय,
विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र, हजरतबल, श्रीनगर

83. केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद,
तिब्बती चिकित्सा प्रणाली अनुसंधान परियोजना,
अमची एसोसिएशन बिल्डिंग, लेह, जम्मू व कश्मीर

84. कश्मीर विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग,
श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर

85. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आयुर्वेद),
रेहड़ी चौक, जम्मू, जम्मू व कश्मीर

86. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,
केनाल रोड जम्मू तवी, जम्मू व कश्मीर

झारखण्ड

87. रांची विश्वविद्यालय वनस्पति उद्यान,
रांची, झारखण्ड

88. वानिकी उत्पादकता संस्थान (पौध रोपण),
रांची, झारखण्ड

89. बिडला कृषि विश्वविद्यालय (औषधीय वृक्षारोपण),
रांची, झारखण्ड

90. टेल्को गार्डन एण्ड नर्सरी,
निकट टाटा नगर रेलवे स्टेशन, सिंहभूम,
जमशेदपुर, झारखण्ड

कर्नाटक

91. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान,
हैस्सरघट्टा लेक, बंगलौर, कर्नाटक

92. अनुसंधान केन्द्र (औषधीय पादप उद्यान),
सीरसी तालुका, उत्तर कन्नड जिला,
तेराकनाहाली, कर्नाटक

93. गांधी कृषि विज्ञान केन्द्र,
वनस्पति उद्यान, बंगलौर, कर्नाटक

94. कर्नाटक राज्य वन विभाग (औषधीय पादप उद्यान),
गंगरागट्टी गांव, धारवाड़, कर्नाटक

95. कृषि विज्ञान कृषि विश्वविद्यालय,
बागवानी प्रभाग, गांधी कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर,
बंगलौर, कर्नाटक

96. तारकबाबू ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान
(औषधीय पादप विज्ञान),
चित्रदुर्ग तालुका, श्रीगेरे, कर्नाटक

97. केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान केन्द्र,
किद्दू मेतना दक्षिण कनारा,
जिला नरिमोगुरू, कर्नाटक

98. फामपावन गार्डन रायचूर जिला,
मुन्नाराबाद, कर्नाटक

99. केन्द्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप संस्थान,
क्षेत्रीय केन्द्र (प्रदर्शन फार्म),
अल्लासंदरा (इयर येलाहंका), बंगलौर, कर्नाटक

100. स्नेहकुंज (ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग परियोजना),
औषधीय पादप उद्यान,
जिला सी.आर. शुगर, कर्नाटक

101. अवधूत दत्त पीठम (औषधीय पादप उद्यान),
ऊटी रोड, मैसूर, कर्नाटक

102. वृन्दावन गार्डन, माण्डया जिला,
के.आर. शुगर, कर्नाटक

103. काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पौध रोपण),
18 क्रास रोड, मल्लेश्वरम, बंगलौर, कर्नाटक

104. हिलग्रीन कम्पनी (औषधीय पादप उद्यान),
17, 13 क्रास, वात नगर, ए. बंगलौर, कर्नाटक

105. लालबाग गार्डन, बंगलौर, कर्नाटक

106. फाउंडेशन फॉर रिवाईटलाइजेशन ऑफ लोकल हैल्थ ट्रैडीशन्स (औषधीय पादप उद्यान),
50 एम.एचस.एस. लेआउट, थर्ड मेन, आनन्द नगर,
बंगलौर, कर्नाटक

107. सोमनाथपुर सन्दल रिजर्व द्वारा मैसूर वन विभाग,
निकट गुन्डूपेट, मैसूर, कर्नाटक

108. भारतीय चिकित्सा निदेशालय,
धनवनतरी वन (औषधीय पादप उद्यान),
जी.सी.आई.एम. निकट बंगलौर विश्वविद्यालय, कर्नाटक

109. तारानाथ शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
(औषधीय पादप उद्यान) अनन्तपुर रोड बेल्लारी, कर्नाटक

110. सदर्न हरबल लिमिटेड, 45, रामराज मेन्शन,
विजया बैंक कालोनी, बी.टी.एम.,
बंगलौर, कर्नाटक

111. वन अनुसंधान केन्द्र,
तेराकनाहल्ली, सराय तालिका जिला उत्तरी कन्नड़,
कर्नाटक

112. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान,
हैस्सरघट्टा लेक, बंगलौर, कर्नाटक

113. तार्लाबालू ग्रामीण विकास फाउंडेशन,
श्रीगेरे, चित्रदुर्गा तालुका, कर्नाटक

114. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आयुर्वेद),
केन्द्रीय सरकार फार्मेसी एनेक्सी,
अशोक पिल्लर, कर्नाटक

115. सैंट जोसफ कालेज विष विज्ञान अध्ययन केन्द्र,
पी.बी. 5031, बंगलौर, कर्नाटक

केरल

116. नैयर डैम गार्डन,
तिरूअनन्तपुरम, केरल

117. मसाला बोर्ड सुगन्ध भवन,
एन.एच. बाई पास कोचिन, केरल

118. केरल पर्यावरण शिक्षा सोसायटी (औषधीय पादप उद्यान),
सीक भवन, कन्नूर, केरल

119. चित्तायल मैमोरियल ट्रस्ट (औषधीय पादप उद्यान),
ओटावीपुर, केरल

120. केन्द्रीय कन्दमूल फसल अनुसंधान (पौध रोपण),
श्रीकरयम, तिरूअनन्तपुरम, केरल

121. आयुर्वेद का आर्यवेदान रमन वेरियन शिक्षा फाउंडेशन
(औषधीय पादप उद्यान), गांजीकोड, केरल

122. राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र,
इलायची अनुसंधान केन्द्र, अपनगल्ला, केरल

123. औषधीय द फार्मास्यूटिकल का. केरल लि.
(औषधीय पादप उद्यान), त्रिचूर, केरल

124. केरल कृषि विश्वविद्यालय सुगन्धित और औषधीय पौध अनुसंधान स्टेशन,
जिला ओडकली, केरल

125. केन्द्रीय पौध रोपण फसल अनुसंधान संस्थान और यूनिट (पौध रोपण),
पो. कुडलू, केरल

126. केरल विश्वविद्यालय बॉटनी विभाग,
बॉटनी गार्डन, तिरूवनंतपुरम, केरल

127. कालीकट विश्वविद्यालय वनस्पति विभाग,
वनस्पति विज्ञान, कालीकट, केरल

128. केरल कृषि विश्वविद्यालय काली मिर्च अनुसंधान केन्द्र,
थालीपरम्बा, केरल

129. वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान,
प्रायोगिक क्षेत्रीय केन्द्र (प्रायोगिक प्लाट),
वलायूर, केरल

130. केरल वन अनुसंधान संस्थान (औषधीय पादप उद्यान),
त्रिचूर, केरल

131. शासकीय वनस्पति उद्यान,
तिरूअनन्तपुरम, केरल

132. आर्य वैद्यशाला,
कोट्टक्कल मल्लापुरम, केरल

133. ए.वी.आर.ई.एफ.ए. हर्बल गार्डन,
ए.वी.पी. फैक्ट्री काम्प्लैक्स, पालघाट, केरल

134. चित्ताइल मैमोरियल ट्रस्ट,
जिला अलपुच्चा, केरल

135. ऊष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान,
करीमनकोड, त्रिवेन्द्रम, केरल

136. क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद),
पूजापुरा, तिरूअनन्तपुरम, केरल

मध्य प्रदेश

137. राज्य वन अनुसंधान संस्थान (औषधीय पादप उद्यान),
पोलीपथर, नर्मदा रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश

138. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,
कृषि नगर, आधारताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश

139. डा. हरिसिंह गौड कृषि विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग,
वनस्पति उद्यान (1962), सागर, मध्य प्रदेश

140. रवि शंकर विश्वविद्यालय,
जैविकी विज्ञान विभाग, वनस्पति उद्यान,
रायपुर, मध्य प्रदेश

141. जबलपुर विश्वविद्यालय वनस्पति उद्यान,
पिपलानी, भोपाल, मध्य प्रदेश

142. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. (शहरी उद्यान, पौध रोपण),
पिपलानी, भोपाल, मध्य प्रदेश

143. ऊष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान,
गैरकाष्ठ वन उत्पाद उद्यान, मंडला रोड,
जबलपुर, मध्य प्रदेश

144. विक्रम विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान अध्ययनशाला,
वनस्पति उद्यान, उज्जैन, मध्य प्रदेश

145. जबलपुर विश्वविद्यालय,
पांचपेडी, जबलपुर, मध्य प्रदेश

146. क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद),
उल्हास भवन, खेडापति किला रोड,
ग्वालियर, मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

147. भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण,
पश्चिमी मंडल (प्रायोगिक उद्यान),
मुन्धवा, महाराष्ट्र

148. ग्लैक्सो लैब्स (इंडिया) लि. (पौध रोपण),
डा. ऐनी बिसेन्ट रोड, वर्ली,
मुम्बई, महाराष्ट्र

149. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय वनस्पति उद्यान,
औरंगाबाद, महाराष्ट्र

150. एक्सप्रैस बॉटनीकल गार्डन,
पुणे, महाराष्ट्र

151. सिपला लिमिटेड (प्लान्टेशन),
289 बेलासिस रोड, मुम्बई सैन्ट्रल,
मुम्बई, महाराष्ट्र

152. सिल्स–गायगी रिसर्च सैन्टर (प्लान्टेशन) आरे रोड,
गोरेगांव पूर्व, मुम्बई, महाराष्ट्र

153. शासकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसी
(औषधीय पादप उद्यान),
नांदेड, महाराष्ट्र

154. भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान,
कामधेनु, सेनापति बापट रोड,
पुणे, महाराष्ट्र

155. पुणे विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग,
वनस्पति उद्यान, निकट किर्कि रेलवे स्टेशन,
पुणे, महाराष्ट्र

156. पंजाब राव कृषि विद्या पीठ,
नागार्जुन (औषधीय पादप उद्यान),
कृषि नगर, अकोला, महाराष्ट्र

157. बॉटनीकल सर्कल,
7, गोरेगांव रोड, पुंणे, महाराष्ट्र

158. हिमालय ड्रग कम्पनी प्रा. लि. (प्लान्टेशन),
शिवसागर स्टेट, डा. ऐनी बिसेन्ट रोड, वर्ली,
मुम्बई, महाराष्ट्र

159. मैक लैबोरेटरीज प्रा. लि. (प्लान्टेशन),
मुम्बई, महाराष्ट्र

160. इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स बॉटनीकल गार्डन,
15, मैडम कामा रोड फोर्ट,
मुम्बई, महाराष्ट्र

161. भाभा अणु शक्ति अनुसंधान केन्द्र लैण्डस्केप एण्ड कॉस्मेटिक सैक्शन (गार्डन) ट्राम्बे,
मुम्बई, महाराष्ट्र

162. इंडियन ड्रग्स रिसर्च एसोसिएशन (औषधीय पादप उद्यान),
शिवाजीनगर,
पुणे, महाराष्ट्र

163. जोशी नटवर लाल डा. (औषधीय पादप उद्यान),
जोशी स्टेट, एस.वी. रोड, अन्धेरी वैस्ट,
मुम्बई, महाराष्ट्र

164. जवाहर लाल नेहरू आयुर्वेदिक औषधीय पादप उद्यान एवं हरबेरियम,
कोथरूड, पुणे, महाराष्ट्र

165. अनुध गार्डन, महाराष्ट्र

166. तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय (औषधीय पादप उद्यान),
रस्ता पेठ, पुणे, महाराष्ट्र

167. वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान एवं प्राणी संग्रहालय,
भाइखला, मुम्बई, महाराष्ट्र

168. एकेडमी ऑफ आयुर्वेद धन्वन्तरी मूलिका वनम (औषधीय पादप उद्यान),
कर्जत तालुका, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र

169. वैथ लेबोरेटरीज लि. (प्लान्टेशन),
स्टीलक्रीट हाउस दिनशा वाचा रोड,
मुम्बई, महाराष्ट्र

170. एकेडमी ऑफ डेवलेपमैंट साइन्स,
कर्जत, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र

171. जानवी मण्डल,
कोटरी रोड, नन्दूरबार, महाराष्ट्र

172. पंजाब राव कृषि विद्या पीठ,
नागार्जुन औषधीय पादप उद्यान,
कृषि नगर, अकोला, महाराष्ट्र

173. डा. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय,
औरंगाबाद, महाराष्ट्र

174. अमरावती विश्वविद्यालय,
अमरावती, महाराष्ट्र

175. डा. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्या पीठ,
अकोला, महाराष्ट्र

176. यशवन्तराव चव्हाण विज्ञान संस्थान,
सातारा, महाराष्ट्र

177. इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस,
नागपुर, महाराष्ट्र

178. भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण,
पश्चिमी मंडल, 7 गोरेगांव रोड,
पुणे, महाराष्ट्र

179. महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस रिसर्च इन्सटीट्यूट,
लॉ कालेज रोड, पुणे, महाराष्ट्र

180. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आयुर्वेद),
1093, गोरेपेठ, नागपुर, महाराष्ट्र

181. सैन्ट जेवियर कॉलेज वनस्पति विज्ञान विभाग,
ब्लेटर हरबेरियम, महापालिका मार्ग,
मुम्बई, महाराष्ट्र

182. झण्डू फार्मास्यूटिकल वर्क्स लि.,
गोखले रोड, दक्षिण दादर,
मुम्बई, महाराष्ट्र

183. स्टेट बॉटनीकल गार्डन खोगंमपेठ,
वन एवं पर्यावरण विभाग, मणिपुर सरकार

184. मणिपुर सरकार, लुवंगसंगबत,
इम्फाल, मणिपुर

185. नॉर्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी,
वनस्पति उद्यान, शिलांग, मेघालय

186. भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण,
पूर्वी मंडल, राष्ट्रीय आर्किड एवं वनस्पति उद्यान,
वुडलैंड्स, शिलांग, मेघालय

187. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण,
पूर्वी मंडल, बारापानी, प्रायोगिक उद्यान,
बारापानी, ईस्ट खासी हिल्स, शिलांग, मेघालय

मिजोरम

188. वन विभाग,
मिजोरम सरकार, एजाल

189. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,
जोरहट (प्रयोगिक फार्म), चैगटोंगया डाकखाना,
मोक्कचोंग जिला योनजी स्न, नागालैण्ड

उड़ीसा

190. राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी (औषधीय पादप उद्यान),
बालनगीर, उड़ीसा

191. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,
भुवनेश्वर सचिवालय मार्ग,
भुवनेश्वर–751013, उड़ीसा

192. नंदन कानन स्टेट बाटेनिकल गार्डन,
कटक, बैरग, भुवनेश्वर–754005, उड़ीसा

193. क्षेत्रीय पौध संसाधन केन्द्र,
चन्डका रिजर्व फारेस्ट से लगा हुआ,
बाटेनिकल गार्डन, एन–2/20 न्यापली,
भुवनेश्वर, उड़ीसा–751004

194. क्षेत्रीय यूनानी औषधी अनुसंधान संस्थान (प्रयोगात्मक फार्म),
बकासोर जिला भद्रक, उड़ीसा–756100

195. उतकल विश्वविद्यालय, वनस्पति विभाग,
बाटेनिकल गार्डन, वाणी विहार, भुवनेश्वर, उड़ीसा

196. एन.बी.पी.जी.आर., बेस सेंटर,
सी.आर.आर.आई. कैम्पस, कटक, उड़ीसा–753006

197. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान,
राजधानी कालेज के निकट, नई राजधानी,
अशोक नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा–751009

198. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,
सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर, उड़ीसा–751013

पांडिचेरी

199. इंस्टीट्यूट फैंके,
10, सैंट लूई स्टेट, पांडिचेरी–605001

200. औरोवीले, मातृमंदिर गार्डेन,
औरोवीले, पांडिचेरी–605101

201. बाटेनिकल गार्डेन, पांडिचेरी

पंजाब

202. रामबाग, अमृतसर–143001, पंजाब

203. पंजाब विश्वविद्यालय,
बाटेनिकल गार्डेन, पटियाला–147002, पंजाब

204. पंजाब विश्वविद्यालय, वनस्पति विभाग,
बाटेनिकल गार्डेन, अमृतसर–143005

205. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जीव विज्ञान विभाग,
बाटेनिकल गार्डेन, अमृतसर–143005, पंजाब

राजस्थान

206. राजस्थान विश्वविद्यालय,
वनस्पति विभाग, जयपुर–302004, राजस्थान

207. गोपी कृष्ण परिहार,
गांव पोस्ट–विराई, तहसील–भोपालगढ़,
जिला–जोधपुर, राजस्थान

208. जागरण जन विकास समिति वली (औषधीय पौध उद्यान),
282, फतेहपुर, घुगीलेक,
उदयपुर–313001, राजस्थान

209. गंगा निवास, बीकानेर, राजस्थान

210. केन्द्रीय शुष्क अंचलीय अनुसंधान संस्थान
(प्रायोगिक उद्यान)
लाइट इंडस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर–342003, राजस्थान

211. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान,
पी.ओ., कृषि उपज मंडी, न्यू पाली रोड,
जोधपुर–342005, राजस्थान

212. नेहरू पार्क, जोधपुर डिस्ट्रीक्ट,
शारदापुर, राजस्थान

213. जोधपुर विश्वविद्यालय, बाटेनिकल गार्डेन,
जोधपुर, राजस्थान

214. क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद गुग्गलू हर्बल फार्म),
अजमेर, मंगलीवास–303001, राजस्थान

215. उमेद उद्यान, हाई कोर्ट रोड,
जोधपुर, राजस्थान

216. बाटेनिकल सर्वे आफ इंडिया,
एरीड जोन सर्किल, डी–7, शास्त्री नगर,
जोधपुर–342003, राजस्थान

217. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
वनस्पति विभाग, जोधपुर, राजस्थान

218. राजस्थान एग्रो फारेस्ट्री कारपोरेशन स्नोमुखी नगर,
सनगारिया पन्ता, पन्ता, जोधपुर–342005, राजस्थान

219. क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद),
माधव विलास पैलेस, अमेर रोड,
जयपुर–302002, राजस्थान

220. स्वामी महेश्वरानंद आश्रम,
गांव पोस्ट–जदन, जिला पली मरवाढ़, राजस्थान

सिक्किम

221. बोटेनिकल सर्वे आफ इन्डिया सिक्किम हिमालयन सर्किल
(एक्सपेरीमेण्टल गार्डेन),
राजभवन के नजदीक, गैंगटोक–737101, सिक्किम

222. राज भवन उद्यान,
गवर्नर पैले, गैंगटोक–737101, सिक्किम

223. जवाहरलाल नेहरू बाटेनिकल गार्डेन,
रूमीक, सिक्किम

224. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (आयुर्वेद),
टडोंग, गैंगटोक–737101, सिक्किम

225. सिक्किम स्टेट फारेस्ट विभाग,
गैंगटोक, सिक्किम

तमिलनाडु

226. इंस्टीट्यूट आफ फारेस्ट जेनेटिक एण्ड ट्री ब्रीडिंग,
बाटेनिकल गार्डेन एण्ड एरोबोरेटम फारेस्ट कालेज कैम्पस,
आर. एस. पुरम,
कोयम्बटूर–641002, तमिलनाडु

227. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय,
वन महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान (बागान),
कोयम्बटूर जिला, मिटूपल्लम–641301, तमिलनाडु

228. इरूला जनजातीय महिला कल्याण समिति (औषधीय पौध बाग),
मद्रास से 60 किलोमीटर, थण्डाराई, तमिलनाडु

229. सथानुर डैम गार्डेन,
तिरूवन्नामलई, तमिलनाडु

230. राज्य बागवानी फार्म,
निलगिड़ी, बुरलियार, तमिलनाडु

231. बाटेनिकल सर्वे आफ इंडिया,
दक्षिणी सर्किल, नेशनल आर्बिडेरियम एण्ड एक्सपेरिमेंटल
गार्डेन, सालेम जिला,
यरकोड–636601, तमिलनाडु

232. मदुरई, कुभराज विश्वविद्यालय,
पौधा विज्ञान प्रभाग, बाटेनिकल गार्डेन,
मदुरई–625021, तमिलनाडु

233. कृषि बागवानी समिति,
31, कैथेडल रोड, मद्रास–600086, तमिलनाडु

234. सिम्स पार्क,
निलगिड़ी, कारनुर, तमिलनाडु

235. तमिलनाडु कृषि बाटेनिकल गार्डेन विश्वविद्यालय,
लले रोड, कोयम्बटूर–641003, तमिलनाडु

236. केन्द्रीय औषधीय सुगंधित पौध संस्थान,
क्षेत्रीय केन्द्र (विकास मार्ग) अटूवामपट्टी,
पी.बी. 22, कोडाईकन्नल–642101, तमिलनाडु

237. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सिद्धा) (औषधीय पौध बागान),
अरीनगर, अन्ना सरकारी अस्पताल परिसर,
अरूण्डकम, मद्रास–600106, तमिलनाडु

238. भर्थियार विश्वविद्यालय,
वनस्पति विभाग, बाटेनिकल गार्डेन,
कोयम्बटूर–641041, तमिलनाडु

239. क्षेत्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान संस्थान
(प्रयोगात्मक खेत),
वन वेस्ट माडा चर्च गेट, रोयापूरम,
मद्रास–600013, तमिलनाडु

240. औषधीय पौधों एवं संग्रहण इकाई का सर्वेक्षण (औषधीय पौध बागान), 112 राजकीय आर्ट्स कालेज कैम्पस, उधगमण्डलम–643002, तमिलनाडु

241. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, बागवानी अनुसंधान केन्द्र, पीओ–ओबजरवेटरी, कोडाईकन्नल–642013, तमिलनाडु

242. गार्वमेण्ट बाटेनिकल गार्डेन, नीलगिढ़ी, उधगमण्डलम–643001, तमिलनाडु

243. स्टेट बागवानी कृषि नीलगिरी, पीओ–मैट्टूपयायम, कोयम्बटूर जिला, कलतार–641301, तमिलनाडु

244. तमिलनाडु सरकार सिनकौना विभाग (पौध रोपण), अन्नामलारज, तमिलनाडु

245. तमिलनाडु औषधीय पौध फार्म्स एवं हर्बल मेडिसीन निगम लि., अरीनगर, अन्ना गवर्मेण्टस हास्पीटल, अरूमबकम, मद्रास–600106, तमिलनाडु

246. तमिलनाडु सरकार सिनकोना विभाग (पौध रोपण), उधगमण्डलम–643001, तमिलनाडु

247. तमिलनाडु सरकार सिनकोना विभाग (पौध रोपण), पदनथोराई, तमिलनाडु

248. तमिलनाडु सरकार सिनकोना विभाग (पौध रोपण), नादोवत्तम, तमिलनाडु

249. ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सामाजिक शिक्षा केन्द्र, ए–11, अशोक नगर, तिरूपुत्तूर एन ए ए जिला, तमिलनाडु–605601

250. सैंट जोन्स कालेज, पलायनकोटाई, तमिलनाडु

251. विशप हर्बल कालेज, तिरूश्रापल्ली, तमिलनाडु

252. कर्पगम आर्ट्स एवं साइन्स कालेज, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

253. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, दक्षिणी सर्कल, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय परिसर, लाले मार्ग, कोयम्बटूर–641003, तमिलनाडु

254. केन्द्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, अटूवामपट्टी, पी बी 22, कोडाईकन्नल–624101, तमिलनाडु

255. डा. ए. लक्ष्मीपति आयुर्वेद अुनसंधान केन्द्र, वी.एच.एस. मेडिकल केन्द्र, टी.टी.आई. डाकखाना, मद्रास–600113, तमिलनाडु

256. एन.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन कम्यूनिटी जीन बैंक, तीसरा ट्रांस रोड, तारामणी, संस्थानिक क्षेत्र, मद्रास–600113, तमिलनाडु

257. मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, पौध विज्ञान विभाग, मदुरई–622021, तमिलनाडु

258. प्रेसीडेंसी कालेज, वनस्पति विभाग, मद्रास–600005, तमिलनाडु

259. क्षेत्रीय यूनानी मेडिसिन अनुसंधान संस्थान, 1 वेस्ट माडा चर्च स्ट्रीट, रोयापुरम, मद्रास–600013, तमिलनाडु

260. औषधीय पौध एवं संग्रहण इकाई सर्वेक्षण (होम्योपैथी), 112 गार्वमेण्ट आर्ट्स कालेज कैम्पस, उधगमण्डलम–643002, तमिलनाडु

261. औषधीय पौध इकाई सर्वेक्षण (सिद्धा), गवर्मेण्ट कालेज आफ इन्डियन मेडिसीन, तिरूनावलई, जिला पलायनकोटाई–627002, तमिलनाडु

262. ब्रीयन्ट पार्ट, कोडाईकन्नल, तमिलनाडु

263. सेंट जासेफ कालेज, रानीपत, हरबेरियम, तिरूचिरपल्ली–620002, तमिलनाडु

त्रिपुरा

264. त्रिपुरा वन विकास एवं पौध रोपण निगम लि., (पौध रोपण), अगरतला–799001, त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

265. महर्षि आयुर्वेद संस्थान (औषधीय पौध बागान), महर्षि आयुर्वेद नोयडा निर्यात प्रसंस्करण जोन, नोयडा, उत्तर प्रदेश

266. ग्रामोन्नित संस्थान (मैडिसिनल प्लांट गार्डन), जिला हमीरपुर, पो. माहोदा, उत्तर प्रदेश

267. नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट,
बन्थरा रिसर्च स्टेशन (प्लांटेशन),
कानपुर रोड, जिला लखनऊ,
बन्थरा–227101, उत्तर प्रदेश

268. नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट,
बितल वाइन एक्सटेंशन सैन्टर,
जिला हमीरपुर, महोबा–210427

269. गवर्नमेंट गार्डन,
इलाहाबाद–211002, उत्तर प्रदेश

270. मेरठ यूनिवर्सिटी बोटॉनिकल गार्डन,
बोटॉनिकल गार्डन, मेरठ, उत्तर प्रदेश

271. कुलभूषण आश्रम पोस्ट ग्रेज्यूएट कालेज बोटॉनिकल गार्डन, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
इलाहाबाद–211001, उत्तर प्रदेश

272. हिमालय जड़ी–बूटी विज्ञान सेवा संस्थान
(मैडिसिनल प्लांट गार्डन), अंगी–उत्तर प्रदेश,
हैडक्वार्टर छिनालया, उत्तर प्रदेश

273. होम्योपैथिक फार्मोकोपोइया यूनिवर्सिटी (मैडिसिनल प्लांट गार्डन), सैन्ट्रल गवर्नमेंट आफिस काम्पलैक्स,
हापुड़ रोड चुंगी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

274. सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ मैडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स,
निकट कुकरेल पिकनिक स्पॉट, फरीदानगर,
पो. बैग–1, पो. राम सागर मिश्रा नगर, लखनऊ–226016

275. सैन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बोटॉनिकल गार्डन,
छत्तर मंजिल प्लेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

276. सैन्ट्रल काउन्सिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मैडिसिन,
सैन्ट्रल हर्ब गार्डन एंड म्यूजियम,
नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कैम्पस,
राणा प्रताप बाग, लखनऊ–226002

277. रिजनल रिसर्च सैन्टर (आयुर्वेद) (मैडिसिनल प्लांट गार्डन),
ग्वालियर रोड, झांसी–248003

278. बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी बोटॉनिकल गार्डन,
वाराणसी–221005, उत्तर प्रदेश

279. रिजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन,
पो. बैग–70, अजमल खां तिब्बिया कालेज हास्पिटल,
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़–202001, उत्तर प्रदेश

280. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोटॉनी डिपार्टमेंट,
बोटॉनिकल गार्डन, अलीगढ़–202001

281. बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सैन्ट्रल सर्किल,
10 छत्तम लाईन, इलाहाबाद–211001

282. हार्टिकल्चर एक्सपरिमेंट एंड ट्रेनिंग सैन्टर,
कम्पनी बाग, चकरौता रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

283. एन डी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टैक्नोलॉजी,
नरेन्द्र नगर (कुमारगंज), फैजाबाद–224229

284. सी.सी.एस. यूनिवर्सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश

285. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बोटनी डिपार्टमेंट,
इलाहाबाद–211001, उत्तर प्रदेश

286. बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सैन्ट्रल सर्किल,
10 छत्तम लाईन, इलाहाबाद–211001

287. ड्रग स्टैंर्डडाइजेशन यूनिट (होम्योपैथी),
होम्योपैथी फार्माकोपिया लैबोट्री,
सैन्ट्रल गवर्नमेंट आफिस काम्पलैक्स,
हापुड़ रोड चुंगी, गाजियाबाद–201002

288. होम्योपैथी ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट,
बी–1433 इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016

289. होम्योपैथी फार्माकोपिया लैबोट्री,
सैन्ट्रल गवर्नमेंट आफिस काम्पलैक्स,
हापुड़ रोड चुंगी, गाजियाबाद

290. लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ–226007

291. फार्मोकोपिया लैबोट्री फॉर मैडिसिन,
'ए' विंग, तीसरी मंजिल,
सैन्ट्रल गवर्नमेंट आफिस बिल्डिंग,
कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद–201002

292. रिजनल रिसर्च सैन्टर,
ग्वालियर रोड, झांसी–248003

293. रिजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट (आयुर्वेद),
476/6 सीतापुर रोड, लखनऊ–226007

उत्तरांचल

294. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट,
नॉन–वुड फॉरेस्ट प्रो. डिविजन
(मैडिसिनल प्लांट गार्डन), चकराता, उत्तरांचल

295. राष्ट्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (रिसर्च फार्म),
ग्राम सिलाकुई, चकराता रोड, देहरादून–248195

296. लूपिन हर्बल रिसर्च सैन्टर (मैडिसिनल प्लांट गार्डन),
शिवानंद नगर, पो. टिहरी गढ़वाल,
जिला तपोवन, उत्तरांचल

297. हार्टिकल्चर एक्स्पैरिमेंट एंड ट्रेनिंग सैन्टर,
जिला अल्मोड़ा, पो. चौबतिया,–263651

298. सैन्टर ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर
रूरल डेवलैपमेंट एंड इन.,
एच आई जी 2/8, जनरल महादेव रोड, इन्दिरापुरम,
पो. कनवाली, देहरादून–248001

299. हर्बस डेवलैपमेंट स्कीम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट,
(मैडिसिनल प्लांट गार्डन),
जिला अल्मोड़ा, रानीखेत, उत्तरांचल

300. भागीरथी रिसार्ट्स, ग्राम सिलाकुई,
चकराता रोड, देहरादून, उत्तरांचल

301. सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट्स
रिजनल सैन्टर (डिमान्स्ट्रेशन फार्म),
पो. डेरी फार्म, जिला नैनीताल,
नागला–263174, उत्तरांचल

302. हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सैन्टर,
पो. बैग–14, एच एन बी गढ़वाल यूनिवर्सिटी बोटॉनिकल गार्डन,
श्रीनगर–246174, उत्तरांचल

303. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च
(मैडिसिनल प्लांट गार्डन सैफरान फार्म),
निकट रानीखेत, रानीखेत–263645, उत्तरांचल

304. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोटनी डिविजन,
बोटनिकल गार्डन कैम्पस, पो. न्यू फॉरेस्ट,
देहरादून–248006, उत्तरांचल

305. दून स्कूल कैम्पस बोटनिकल गार्डन,
देहरादून–248006, उत्तरांचल

306. इंडियन मैडिसिन्स फार्मास्यिटिकल कार्पोरेशन लि.
(मैडिसिनल प्लांट गार्डन),
जिला अल्मोड़ा, मोहन, उत्तरांचल

307. बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
नार्दन सर्किल, जिमनोस्पर्म सैन्चूरी, नागदेव ब्लाक,
पौढ़ी–246001, उत्तरांचल

308. बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
नार्दन सर्किल, गढ़वाल खिरसू–246001, उत्तरांचल

309. फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नॉन–वुड फॉरेस्ट,
प्रोडक्शन डिविजन (मैडिसिनल प्लांट गार्डन) कैम्पस,
पो. न्यू फॉरेस्ट, देहरादून–248006, उत्तरांचल

310. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च,
(मैडिसिनल प्लांट गार्डन),
जिला चम्बा, टिहरी, उत्तरांचल

311. बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
नार्दन सर्किल, 192 कौलागढ़ रोड,
देहरादून–2489195

312. जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन
एन्वॉयरमेंट एंड डेवलैपमेंट,
कोसी–कतानाल, अल्मोड़ा–263613, उत्तरांचल

पश्चिम बंगाल

313. नेशनल लाइब्रेरी गार्डन,
बलवेदे रोड, अलीपुर, कोलकाता–700027

314. पदमजा नायडू हिमालयन ज्यूलॉजिकल पार्क,
दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

315. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी
(मैडिसिनल प्लांट गार्डन),
ब्लाक जी ई, सैक्टर 3, भिडा नगर,
साल्ट लेक, कोलकाता–700091

316. नेशनल कांग्रेस पार्क,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल

317. शांति निकेतन गार्डन,
विश्वा भारती यूनिवर्सिटी कैम्पस,
शांति निकेतन–731235

318. ईडन गार्डन (गवर्नमेंट गार्डन),
कोलकाता–700021

319. डायरेक्टोरेट ऑफ सिन्चोना एंड अदर मैडिसिनल प्लांट्स,
गवर्नमेंट ऑफ वैस्ट बंगाल,
गवर्नमेंट सिन्चोना प्लांटेशन, लतपन्चोर, पश्चिम बंगाल

320. एसैम्बली हाउस गार्डन (1928),
कोलकाता, पश्चिम बंगाल

321. स्टेट आयुर्वेदिक फार्मेसी (मेडिसन प्लांट गार्डन),
कालयार्ड, पश्चिम बंगाल

322. लॉयड बोटॉनिकल गार्डन, दार्जिलिंग–734101

323. देशबंधु पार्क, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

324. जवाहर कुंज आयुर्वेदिक मैडिसिनल प्लांट्स,
बैरकपुर, पश्चिम बंगाल

325. दार्जिलिंग गवर्नमेंट कालेज, बोटनी डिपार्टमेंट,
बोटनी गार्डन, दार्जिलिंग–734101, पश्चिम बंगाल

326. अरगी–हार्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया,
1, अज़ीपुर रोड, कोलकाता–700027

327. कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बोटनी डिपार्टमेंट,
एक्सीपेरिमैंटल एवं बोटनिकल, 35 इटली गंज,
सरक्यूलर रोड, कोलकाता–700019

328. डायरैक्टोरेट ऑफ सिनचोना एंड अदर मैडिसिनल प्लांट,
पश्चिम बंगाल सरकार,
गवर्नमेंट सिनचोना प्लांटेशन,
मंगसांग, पश्चिम बंगाल

329. बर्दमान यूनिवर्सिटी, बोटनी डिपार्टमेंट,
बोटनिकल गार्डन, बर्दमान, पश्चिम बंगाल

330. नरेन्द्र नारायण पार्क,
कूच बिहार–736101, पश्चिम बंगाल

331. जतिन्द्र मोहन पार्क,
पैकपुरा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

332. डायरेक्टोरेट ऑफ सिनचोना एंड अदर मैडिसिनल प्लांट,
पश्चिम बंगाल सरकार,
गवर्नमेंट सिनचोना प्लांटेशन, मंगपु,
दार्जिलिंग–734313, पश्चिम बंगाल

333. मिल मिल सांगरी पार्क,
साल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700019

334. बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
इंडियन बोटानिकल गार्डन,
वर्षा उद्यान, सैन्ट्रल नेशनल हर्बोरियम बिल्डिंग,
सिबपुर, हावड़ा–711103, पश्चिम बंगाल

335. सुभाष सरोबर गार्डन काम्पलैक्स,
कोलकाता–700010, पश्चिम बंगाल

336. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस्टिफिक रिसर्च,
78 सैयद अमरी अली एवेन्यू, कोलकाता–700019

337. बिधान शिशु उद्योग,
1, बिधान शिशु सारनी, कोलकाता–700054

338. बिक्टोरिया मेमोरियल गार्डन,
1, क्वीनस् वे, कोलकाता–700073

339. बिधान चन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय,
बोटानिकल गार्डन, नार्थ बंगाल कैम्पस,
कूच बिहार–736101

340. बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन म्यूज़ियम,
इंडस्ट्रियल सैक्शन, इकोनामिक हर्बोरियम,
1, सदर स्ट्रीट, कोलकाता–700016

341. कोलकाता यूनिवर्सिटी, बोटनी डिपार्टमेंट,
35 बेलीगंज, सरक्यूलर रोड, कोलकाता–700019

342. रिजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट (आयुर्वेद),
14 जगन्नाथ दत्ता लेन, कोलकाता–700009

343. स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मैडिसिन,
चितरंजन एवेन्यू, कोलकाता–700073

[अनुवाद]

चूककर्ता नियोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली

*247. **श्री विजय कृष्ण :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक नियोक्ताओं ने भविष्य निधि (पी.एफ.) और पेंशन फंड में कर्मचारियों के अंशदान का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) ने इस संबंध में वसूली अभियान शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस अभियान को अधिक सफलता नहीं मिली है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा चूक करने वाले नियोक्ताओं से बकाया राशि की शीघ्र वसूली करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत शामिल किए गए 370386 प्रतिष्ठानों में से, 52302 प्रतिष्ठान ने चूक की थी। 1952 से 31.3.2004 तक 1862.80 करोड़ रुपये की संचयी (क्यूम्यूलेटिव) चूक की गई जिसमें शामिल हैं :

भविष्य निधि	–	1091.61 करोड़ रुपये
पेंशन निधि	–	408.79 करोड़ रुपये
कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा निधि	–	37.83 करोड़ रुपये
दांडिक हर्जाना	–	267.50 करोड़ रुपये
प्रशासनिक एवं निरीक्षण प्रभार	–	57.07 करोड़ रुपये

पिछले पांच वर्षों के दौरान एकत्रित अंशदानों तथा चूक की राशि की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	प्राप्त अंशदान (पीएफ, पेंशन तथा ईडीएलआई)	वर्ष के दौरान चूक में वृद्धि	चूक में प्रतिशत वृद्धि
1999–2000	13418.16	485.12	3.62
2000–2001	14500.41	125.80	0.87
2001–2002	15790.77	152.14	0.96
2002–2003	16334.60	175.55	1.07
2003–2004	18473.88	351.01	1.90

31.3.2004 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया 1862.80 करोड़ रुपये में से 1321.49 करोड़ रुपये की राशि (यानी कुल बकाये का 70.94 प्रतिशत) विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा किए गए स्थगनों, प्रतिष्ठानों के परिसमापनाधीन होने, अनुमत्त किस्तों, बीआईएफआर के तहत प्रतिष्ठानों के होने आदि जैसी विभिन्न दिक्कतों के कारण तत्काल वसूल योग्य नहीं थी। ब्यौरा निम्नवत् है :

क्र.सं.	बकाया तत्काल वसूल योग्य न होने के कारण	मामलों की संख्या	शामिल राशि (करोड़ रुपये)
1.	अदालती स्थगन	3892	711.24
2.	परिसमापनाधीन	2088	142.95
3.	अन्य*	8992	467.30
	कुल	14972	1321.49

*अन्य में किस्त सुविधा, बीआईएफआर आदि शामिल हैं।

31.3.2004 की स्थिति के अनुसार 919 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 695.64 करोड़ रुपये की चूक थी। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 1.76 प्रतिशत चूककर्ता प्रतिष्ठानों ने बकाए के तौर पर 37.34 प्रतिशत से अधिक की चूक की थी।

(ग) से (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बकाया राशियों की वसूली के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया और वर्ष 2003–2004 के दौरान 1832.70 करोड़ रुपये की धनराशि की वसूली की, जो पिछले वर्ष के दौरान की गई वसूली से 105 प्रतिशत अधिक थी।

(करोड़ रुपये)

वर्ष	वसूली के लिए बकाया राशि	वर्ष के दौरान वसूली गई	प्रतिशत संग्रह
1999–2000	1684.63	626.33	37.18
2000–2001	1981.08	796.98	40.23
2001–2002	2194.77	858.53	39.12
2002–2003	2397.78	885.99	36.95
2003–2004	3695.50	1832.70	49.59

1999–2004 की अवधि के दौरान ईपीएफओ 5000.53 करोड़ रुपये की वसूली करने में सफल रहा है जो पिछले नौ वर्षों (1990–1999) के दौरान वसूली गई राशि (778.50 करोड़ रुपये) से 642 प्रतिशत अधिक है।

सार्वजनिक क्षेत्र में भी, इस वसूली अभियान के अच्छे परिणाम रहे हैं और 2003–2004 के दौरान ईपीएफओ ने चूककर्ता सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से 520.60 करोड़ रुपये की वसूली की। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत् हैं :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान वसूली	अंतशेष
2001–2002	973.22	211.57	761.65
2002–2003	906.05	299.01	607.04
2003–2004	1216.24	520.60	695.64

चूककर्ताओं के विरुद्ध दबावकारी कार्रवाई

बकाया राशि की वसूली के लिए ईपीएफओ ने दबावकारी कार्रवाइयां की हैं। ईपीअफओ की इन कार्रवाइयों के फलस्वरूप बकाया रा.शि की वसूली में भारी वृद्धि हुई है। वसूली के लिए की गई दबावकारी कार्रवाइयों का ब्यौरा निम्नवत् है :

वर्ष	धारा 14 के अंतर्गत दायर अभियोजन	आईपीसी की धारा 406/409 के तहत दायर एफआईआर	जब्त बैंक खाते	चल/अचल संपत्ति की कुर्की	चूककर्ताओं की गिरफ्तारी
2001–2002	6712	570	8301	775	145
2002–2003	2451	945	6390	609	144
2003–2004	2426	1387	19278	1001	121

वर्ष 2003–2004 के दौरान ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत 2396 मामलों में दोषसिद्ध किए।

(घ) भविष्य निधि बकायों की त्वरित वसूली के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदम :

- वसूलीतंत्र का सुदृढ़ीकरण–बकायों के आकलन और वसूली की निगरानी के लिए मुख्यालय में एक वसूली निदेशालय अलग से स्थापित किया गया है।
- अधिकारियों के व्यक्तिशः और क्षेत्रों के निष्पादन पर नजर रखने के लिए मुख्यालय में एक विशिष्ट कार्यबल का गठन किया गया है। कार्यबल के प्रधान मुख्य भविष्य निधि आयुक्त हैं जिनकी सहायता अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अनुपालन) और निदेशक (वसूली) करते हैं।
- अधिकारियों के व्यक्तिशः वसूली कार्य पर खासतौर से नजर रखने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी इसी प्रकार के कार्यबलों का गठन किया गया है जिनके प्रधान, क्षेत्र के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त–I हैं।
- क्षेत्र कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे मुकदमे, परिसमापन आदि के कारण तत्काल अवसूलनीय मामलों पर खासतौर से नजर रखें ताकि मांग को वसूली योग्य श्रेणी में परिवर्तित करने की संभावनाएं तलाश जा सकें।
- प्रमुख चूककर्ता प्रतिष्ठानों के मामलों पर प्रधान कार्यालय नजर रखता है और उनकी सूची तथा बकाया राशि संबंधी विवरण संगठन की वेबसाइट पर दिए जाते हैं।
- दस सबसे बड़े चूककर्ताओं के अनुपालन के मामले पर प्रधान कार्यालय कड़ी नजर रखता है। इसी प्रकार क्षेत्र के दस सबसे बड़े चूककर्ताओं पर क्रमशः क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त–I और प्रभारी अधिकारी कड़ी नजर रखते हैं।
- क्षेत्र कार्यालयों को निदेश दिए गए हैं कि वे बकाया राशि में से अधिकतम की वसूली के लिए मार्च, 2005 के दौरान विशेष वसूली अभियान चलाएं।

[हिन्दी]

समुद्री पर्यटन

*248. **श्री संतोष गंगवार** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समुद्री पर्यटन पोत परिवहन नीति लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) उपयुक्त विदेशी समुद्री पर्यटकों को आकर्षित करने तथा भारतीय पर्यटकों के बीच पोत–परिवहन लोकप्रिय बनाने और भारत को एक प्रमुख पोत–परिवहन पर्यटन गंतव्य बनाने के उद्देश्य से, पोत–परिवहन मंत्रालय द्वारा, पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से, एक पोत परिवहन नीति तैयार करने के लिए, एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी समिति

*249. **श्रीमती जयाप्रदा :**
श्री रामदास आठवले :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए इस प्रयोजनार्थ पहले गठित कृतिक बल के स्थान पर एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति की संरचना और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं और समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या पूर्व कृतिक बल द्वारा अध्ययन और परामर्श संबंधी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) दिनांक 31.12.2004 से नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल (टीएफ–आईएलआर) को समाप्त करने के पश्चात टीएफआईएलआर के शेष नेमी कार्य को देखने और नदियों को परस्पर जोड़ने के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) के अन्तर्गत एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जल संसाधन मंत्रालय ने नदियों को परामर्शी आधार पर परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यवाही करने के दृष्टिकोण से सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में पर्यावरणविदों, समाजशास्त्रियों तथा अन्य विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है। इस समिति की भूमिका परामर्शदात्री स्वरूप की है और इससे इसके विचारार्थ विषयों पर समय–समय पर सरकार को सलाह देना अपेक्षित है। इस समिति से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

इस समिति का संघटन और विचारार्थ विषय नीचे दिए गए अनुसार हैं :

अ. संघटन

1. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली — अध्यक्ष
2. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली — सदस्य
3. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली — सदस्य
4. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली — सदस्य
5. श्री जेड. हसन, पूर्व सचिव (जल संसाधन मंत्रालय), भारत सरकार, नोएडा — सदस्य
6. श्री ए.सी. कामराज, अध्यक्ष, एनएडब्ल्यूएडी परिषद, मदुरई, तमिलनाडु — सदस्य
7. श्री पी. सेन, सेवानिवृत्त, सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल — सदस्य
8. श्री राजिन्दर सिंह, प्रख्यात समाजशास्त्री, अलवर, राजस्थान — सदस्य
9. डा. माला कपूर शंकरदास, अध्यक्ष विकास कल्याण और अनुसंधान फाउन्डेशन (डीडब्ल्यूएआरएफ), नई दिल्ली — सदस्य
10. डा. अशोक खोसला, अध्यक्ष, विकास विकल्प, नई दिल्ली — सदस्य
11. प्रो. एम.एन. मध्यस्थ, पर्यावरणविद, पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्र, मंगलौर विश्व–विद्यालय, कर्नाटक — सदस्य
12. महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली — सदस्य–सचिव

ब. विचारार्थ विषय

यह समिति प्रस्तावित परियोजना के निम्नलिखित पहलुओं पर सरकार को सलाह देगी :

1. कार्यबल द्वारा अंतिम रूप दी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआरएफ) की तैयार के लिए विचारार्थ विषयों (टीओआर) में शामिल पर्यावरणीय और सामाजिक–आर्थिक मुद्दे।
2. राष्ट्रीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति तथा इसके कार्यान्वयन के लिए अभिकरण के लिए संरचना को ध्यान में रखते हुए नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम द्वारा प्रभावित लोगों के लिए पुनर्स्थापना और पुनर्वास पैकेज।
3. नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम में किन्हीं अन्य मुद्दों पर ध्यान देने के लिए किए जाने वे वास्ते आवश्यक अतिरिक्त अध्ययन।
4. विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करते समय बस्तियों, व्यवसायों तथा अन्य सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापों पर

जल संपर्कों के प्रस्तावित अंतरबेसिन स्थानान्तरण के प्रभाव।

5. विभिन्न विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करते समय विशेष रूप से जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित जल के अधिकतम उपयोग के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाना।

(ग) और (घ) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल (टीएफआईएलआर) ने कार्रवाई योजना–I और कार्रवाई योजना–II के रूप में अपनी रिपोर्ट क्रमशः 30 अप्रैल, 2003 और 16 अप्रैल, 2004 को प्रस्तुत कर दी है। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां और सिफारिशें की हैं :

1. नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल ने परियोजना के व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को पूरा करने के लिए समय सीमा, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन कार्यक्रम, ठोस लाभों की रूपरेखा दी है।

2. नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल ने सिफारिश की है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वैज्ञानिक ढंग से तैयार की जानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआरएस) तैयार करने के लिए कार्यबल द्वारा विचारार्थ विषय (टीओआर) तैयार किए गए हैं।

3. कार्यबल ने यह पाया है कि प्रस्तावित संपर्क प्रस्तावों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के वास्ते समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यों को राजी करने के लिए मनाना एक समय लेने वाला क्रियाकलाप है। इसने सिफारिश की है कि राज्यों के बीच सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सर्वोच्च स्तर पर बैठकों के साथ प्रारंभ और तदनन्तर सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफार्म बनाने के वास्ते इसे तकनीकी स्तर पर जारी रखा जा सकता है। विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अंतिम अवस्था में मुख्य मंत्री स्तर पर बैठक आयोजित की जा सकती है।

4. कार्यबल ने यह पाया कि इस समय नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के हिमालयी घटक के मामले को पड़ोसी देशों के साथ उठाना बहुत जल्दबाजी होगी। कार्यबल ने यह पाया कि नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए प्रायद्वीपीय संपर्क सही घटक हैं। इसने सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच क्रमशः केन–बेतवा संपर्क और पारबती–काजीसिंध–चंबल संपर्क सर्वोच्च प्राथमिकता संपर्क हो सकते हैं।

5. कार्यबल ने प्रस्ताव किया है कि वित्तपोषण निजी भागीदारी, उपयुक्त सार्वजनिक निधि सहभागिता और विशुद्ध सार्वजनिक वित्तपोषण के संयोजन के माध्यम से किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

मूंगफली और तिल के बीजों की आपूर्ति

*250. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से मूंगफली और तिल के बीजों की आपूर्ति हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) खरीफ 2005 के लिए मूंगफली के बीजों की आपूर्ति हेतु राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारत सरकार ने गुजरात सरकार की ओर से तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का से संबंधित समेकित स्कीम (आइसोपोम) के अन्तर्गत ब्लाक प्रदर्शन कार्यक्रम हेतु मूंगफली के जी.जी.–2 तथा एस.बी.–11 किस्म के मूंगफली लेबल्ड बीज दानों (केर्नल) के रूप में आपूर्ति करने तथा 13000 क्विंटल मूंगफली लेबल्ड बीजों की फलियों के रूप में तथा 7900 क्विंटल दानों हेतु 600/– रुपये प्रति क्विंटल की दर से वितरण सब्सिडी की अनुमति देने का अनुरोध प्राप्त किया है। भारत सरकार ने उक्त विषयों पर गुजरात सरकार को पहले ही दिनांक 1 मार्च, 2005 को अनुमति दे दी है।

तिल के बीजों के बारे में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

दुग्ध उत्पादन

*251. **श्री राकेश सिंह** :
श्री एम. शिवन्ना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश

में प्रति दुधारू पशु दुग्ध उत्पादन औसत विश्व औसत से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां। भारत में दूध में गोपशु की औसत उत्पादकता विश्व औसत से काफी कम है। किन्तु भारत में दूध में भैंसों की औसत उत्पादकता विश्व औसत से मामूली अधिक है।

(ख) खराब आनुवंशिक गुणवत्ता (जैसा कि वर्ण संकर तथा उच्च उत्पादक गोपशु की तुलना में स्वदेशी गोपशु की काफी अधिक संख्या से स्पष्ट है) तथा पोषक मूल्य वाले आहार और चारे की अपर्याप्त उपलब्धता मुख्य कारण हैं।

(ग) भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है :

1. आनुवंशिक उन्नयन के लिए राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजन,
2. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता,
3. क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन,
4. केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म,
5. केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम।

[अनुवाद]

घरेलू मत्स्य उद्योग को संरक्षण

*252. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मछलियों के आयात से घरेलू मत्स्य उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या घरेलू मत्स्य उद्योग के संरक्षण के लिए कदम उठाने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) देश में आयात की जाने वाली मछली की मात्रा बहुत ही कम है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि इससे घरेलू मत्स्य उद्योग पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

(ख) और (ग) मछली के आयात के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। स्वदेशी मत्स्य उद्योग के हितों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय मौजूद हैं।

भूमि सुधार

*253. **श्री पी. करुणाकरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों में भूमि सुधारों पर निगरानी रख रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भूमिहीन गरीबों को राज्यवार कितनी भूमि दी गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां। सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के राजस्व मंत्रियों/सचिवों के सम्मेलन आयोजित करके भूमि वितरण सहित भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की मानिटरिंग कर रही है।

(ख) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे सरप्लस सीलिंग भूमि को वितरित करने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करें और इसे भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को वितरित करें। सीलिंग सरप्लस भूमि, भूदान भूमि और सरकारी बंजर भूमि के वितरण की प्रगति दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमशः विवरण I, II और III के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

(क्षेत्र एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य/कें.शा.प्र.	सरप्लस घोषित क्षेत्र	अधिकार में लिया गया क्षेत्र	व्यक्तिगत लाभार्थी को वितरित क्षेत्र	लाभार्थियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	789,910	646,521	582,188	525,663

1	2	3	4	5	6
2.	असम	613,405	575,337	545,875	445,862
3.	बिहार	415,447	390,752	306,964	379,528
4.	गुजरात	226,043	161,716	146,578	33,312
5.	हरियाणा	107,067	103,171	102,388	29,346
6.	हिमाचल प्रदेश	316,556	304,895	6,167	6,259
7.	जम्मू और कश्मीर	455,575	450,000	450,000	450,000
8.	कर्नाटक	268,478	164,675	123,412	33,727
9.	केरल	141,427	96,851	68,745	166,814
10.	मध्य प्रदेश	298,763	260,323	186,942	74,705
11.	महाराष्ट्र	708,098	650,031	613,965	135,301
12.	मणिपुर	1,830	1,685	1,682	1,258
13.	उड़ीसा	180,301	168,035	158,030	141,155
14.	पंजाब	223,115	105,858	104,257	28,582
15.	राजस्थान	611,912	570,290	463,547	82,441
16.	तमिलनाडु	202,795	194,118	183,670	145,608
17.	त्रिपुरा	1,995	1,944	1,598	1,424
18.	उत्तर प्रदेश	366,147	335,525	260,509	300,163
19.	पश्चिम बंगाल	1,394,180	1,304,185	1,088,445	2,759,791
20.	दादरा और नागर हवेली	9,406	9,305	6,851	3,353
21.	दिल्ली	1,132	394,	394	654
22.	पांडिचेरी	2,236	1,286	1,070	1,464
	कुल	7,335,908	6,496,897	5,403,277	5,746,410

विवरण-II

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार भूदान भूमि का वितरण

(क्षेत्र लाख एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य	दान की गई	वितरित	शेष
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2.52	1.1	1.42
2.	असम	0.01	0.01	शून्य
3.	बिहार*	21.18	7.23	13.95
4.	गुजरात	0.34	0.27	0.07
5.	हरियाणा	0.02	0.02	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	नगण्य	नगण्य	नगण्य

1	2	3	4	5
7.	जम्मू एवं कश्मीर	नगण्य	नगण्य	नगण्य
8.	कर्नाटक	0.11	0.05	0.06
9.	केरल	0.02	0.02	शून्य
10.	मध्य प्रदेश#	1.72	1.41	0.31
11.	महाराष्ट्र	1.04	0.27	0.77
12.	उड़ीसा	6.39	5.8	0.59
13.	पंजाब	0.05	0.01	@0.04
14.	राजस्थान	1.15	1.14	0.01
15.	तमिलनाडु	0.24	0.21	0.03
16.	उत्तर प्रदेश%	4.37	4.21	0.16
17.	पश्चिम बंगाल	नगण्य	नगण्य	नगण्य
	कुल	39.16	21.75	17.41

@क्षेत्र जो अधिकार में नहीं लिया गया। *झारखण्ड सहित।
#छत्तीसगढ़ सहित। %उत्तरांचल सहित।

विवरण-III

31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार सरकारी बंजर भूमि का वितरण

(क्षेत्र लाख एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य/कें.शा.प्र. का नाम	वितरित क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	42.02
2.	असम	5.89
3.	बिहार*	13.21
4.	गुजरात	13.81
5.	हरियाणा	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.17
7.	कर्नाटक	13.72
8.	केरल	4.57
9.	मध्य प्रदेश#	0.79
10.	महाराष्ट्र	10.23
11.	मणिपुर	0.32
12.	पंजाब	1.10
13.	उड़ीसा	7.26
14.	तमिलनाडु	2.07
15.	त्रिपुरा	1.32
16.	उत्तर प्रदेश%	24.89
17.	पश्चिम बंगाल	4.32
18.	गोवा	0.05
19.	मिजोरम	0.74
20.	राजस्थान	0.93
21.	दिल्ली	0.06
	कुल	147.47

*झारखण्ड सहित। #छत्तीसगढ़ सहित। %उत्तरांचल सहित।

राजसहायता कोष का दुर्विनियोजन

***254. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश की अनेक उर्वरक कंपनियों द्वारा राजसहायता कोष का दुर्विनियोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे राज्यों में किसानों को बेचे गए उर्वरकों के खातों में भारी अनियमितताओं का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(छ) सरकार को इसके फलस्वरूप कितना घाटा उठाना पड़ा; और

(ज) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (घ) नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की रियायत योजना के अन्तर्गत रियायत लेने के मामले में उर्वरक कंपनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान की गई बिक्री के संबंध में सरकार के ध्यान में लाए गए दुर्विनियोजन/गलत दावों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) उपर्युक्त तीन मामलों में से दो मामलों में तकनीकी लेखा परीक्षा और निरीक्षण प्रकोष्ठ (टीएसी) के माध्यम से की गई जांच में रियायत दावों के दुर्विनियोजन/अनियमितताओं के आरोप सिद्ध नहीं हो सके। जहां तक तथाकथित दुर्विनियोजन/अनियमितताएं, यदि कोई हों, तो उनसे सरकार को हुई हानि का पता मामलों की जांच पूरी होने के बाद ही लग सकता है। तथापि, पता लगाए गए रियायत के गलत दावे की राशि को दावेदार के लंबित/भावी रियायत दावों से वसूल कर लिया जाता है।

(ज) नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री के गलत दावों तथा अन्य कदाचारों की जांच करने के लिए सरकार ने और अधिक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसएसपी इकाइयां वास्तव में रॉक फॉस्फेट के अधिसूचित ग्रेडों का इस्तेमाल कर रही हैं, एसएसपी का निरीक्षण करने के लिए एक तकनीकी लेखा–परीक्षा और निरीक्षण प्रकोष्ठ (टीएसी) का गठन किया गया है।

(ii) दिनांक 5.8.2002 को जारी रियायत योजना को मौजूदा दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत एसएसपी इकाइयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे टीएसी द्वारा पहली बार तकनीकी निरीक्षण कराएं। केवल वही इकाइयां रियायत का दावा करने के लिए पात्र हैं जो टीएसी द्वारा संयंत्र तथा आधारभूत सुविधाओं पर विचार करने के बाद एफसीओ मानदण्डों के अनुरूप एसएसपी का उत्पादन करने में सक्षम हैं।

(iii) इस योजना के अन्तर्गत रॉक फॉस्फेट के अधिसूचित ग्रेडों के प्रयोग तथा एसएसपी की उत्पादन और बिक्री की जांच के लिए टीएसी द्वारा एसएसपी इकाइयों का आवधिक (छमाही) लेखा–परीक्षा निरीक्षण करना भी अनिवार्य है।

(iv) सरकार ने वर्ष 2001–02 के प्रारम्भ से उर्वरक के उत्पादन तथा प्रथम प्वाइंट बिक्री की जांच के लिए टीएसी को डीएपी और मिश्रित उर्वरक उत्पादन संयंत्रों की वार्षिक लेखा–परीक्षा निरीक्षण का कार्य सौंपा है।

विवरण

वर्ष	उत्पादक	उत्साद	शिकायत की प्रकृति	जांच का निष्कर्ष
1	2	3	4	5
2002–03	टेडको ग्रेनाइट	एसएसपी	वर्ष 2001–02 तथा 2002–03 के लिए खातों आदि में रॉक की झूठी खरीद तथा झूठा एसएसपी उत्पादन।	ये आरोप सिद्ध नहीं हुए क्योंकि दिनांक 17.5.2001 के रियायत योजना संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में प्रोजेक्ट्स एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड के तत्वावधान में गठित तकनीकी लेखा–परीक्षा और निरीक्षण प्रकोष्ठ (टीएसी) द्वारा आयोजित जांच में आरएसएमएम से रॉक खरीदे जाने की पुष्टि हुई थी।
	रामा फॉस्फेट्स लिमिटेड	एसएसपी	दिनांक 1.7.2001 से 30.6.2002 तक की अवधि के लिए इकाई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट आंकड़ों में एसएसपी के उत्पादन को बढ़ा–चढ़ा कर दर्शाया था तथा उसमें विसंगतियां थीं।	टीएसी द्वारा आयोजित जांच में आरोप सिद्ध नहीं हुए थे।

1	2	3	4	5
2003–04	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	यूरिया और मिश्रित उर्वरक	गैर–मानक उर्वरकों पर जानबूझ कर राजसहायता का दावा किया गया।	इस मामले की अभी जांच चल रही है।
2004–05 (28.2.2005 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

मैंग्रोव वनों का संरक्षण

***255. श्री लक्ष्मण सिंह :**
श्री जुएल ओराम :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न तटीय राज्यों में मैंग्रोव वनों के नष्ट होने में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान मैंग्रोव वन क्षेत्रों के उचित संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या तटीय राज्यों विशेषकर सुनामी से प्रभावित हुए राज्यों में मैंग्रोव वनों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) वन स्थिति रिपोर्ट, 2001 के अनुसार कच्छ वनस्पतियों के तहत 4482 वर्ग कि.मी. क्षेत्र है। यह वर्ष 1999 में रिपोर्ट किए गए 4871 वर्ग कि.मी. क्षेत्र से कम है। रिपोर्ट किए गए कच्छ वनस्पति क्षेत्र में इसक कमी का मुख्य कारण विधि (डिजिटल विवेचना) तथा विवेचना के पैमाने (1 : 50,000) में परिवर्तन का होना है जिसकी वजह से छोटे जल निकायों (क्रीक्स, स्ट्रेट्स आदि) तथा गैर–कच्छ वनस्पति क्षेत्रों (जो पहले चित्रित नहीं किए जा सके) का पता लगाया जा सका तथा उन्हें कच्छ वनस्पति आवरण से बाहर कर दिया गया है। ये नाजुक पारि–प्रणालियां जबर्दस्त जैवीय दबाव में हैं।

(ख) कच्छ वनस्पति क्षेत्रों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

नियामक उपाय :

(1) कच्छ वनस्पतियों को तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के तहत श्रेणी (i) घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों को उच्चतम दर्जे की सुरक्षा प्रदान की जाती है तथा अधिसूचना के तहत अनुमित गतिविधियों के अलावा अन्य विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति नहीं है।

(2) अधिसूचित वन क्षेत्रों के भीतर स्थित कच्छ वनस्पतियों को भी भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कवर किया गया है।

संवर्धक उपाय

कच्छ वनस्पति प्रबंधन कार्य योजना के तहत देश में 35 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों के सघन संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए पहचान की गई है। केन्द्र सरकार ने 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान संबंधित तटीय राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को 8.27 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने कच्छ वनस्पतियों सहित तटीय पारिप्रणालियों को हाल ही की सुनामी की वजह से हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए समय शृंखला उपग्रह इमेजरीज पर आधारित शीघ्र मूल्यांकन के लिए 9 प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों की पहचान की है। इन एजेंसियों से रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं जिनसे कच्छ वनस्पतियों सहित तटीय पारिप्रणालियों के विनाश का संकेत मिलता है। इन पारिप्रणालियों की पुनः बहाली के लिए तीव्र मूल्यांकन अध्ययनों के परिणाम के आधार पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन

***256. श्री गुरूदास दासगुप्त :**
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी उक्त अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम में 'राज्यवार संशोधन' करने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में राज्यवार संशोधन के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त संशोधन प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य का नाम	संशोधन प्रस्ताव का सार	सरकार की टिप्पणियां/विचार
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	**आंध्र प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2002**	
		(i) धारा 2 (ञ)—कतिपय क्रियाकलापों को 'उद्योग' की परिभाषा के दायरे से बाहर करना।	सहमत नहीं।
		(ii) धारा 25 (क)—धारा 25 (ग) से 25 (ङ) को लागू करना।	सहमत नहीं।
		(iii) धारा 25 च—छंटनी, क्षतिपूर्ति को 15 दिन से बढ़ाकर 35 दिन तक करना।	यह सुझाव दिया गया कि छंटनी क्षतिपूर्ति को प्रस्तावित 30 दिन से बढ़ाकर औसत वेतन का 45 दिन कर दिया जाए।
		(iv) धारा 25 च च क—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 ण के अंतर्गत निर्धारित व्यापक उपबंधों को शामिल करके धारा 25 च च क के विद्यमान उपबंधों को बदलना।	सहमत नहीं।
		(v) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अध्याय Vख का लोप करना।	यह सुझाव दिया गया कि अधिकतम सीमा को 100 से बढ़ा कर 300 करके धारा 25 ट को संशोधित किया जाए।
		(vi) धारा 36—पक्षकारों को प्रतिनिधित्व।	सहमत नहीं।
2.	गुजरात	**औद्योगिक विवाद (गुजरात संशोधन) अध्यादेश, 2003**	
		(i) धारा 2 (ट)—औद्योगिक विवाद—कामगार की सेवा समाप्ति को प्रस्तावित नए अध्याय Vघ के उपबंधों के अनुसार औद्योगिक विवाद की परिभाषा से बाहर रखना।	सहमत।
		(ii) धारा 2 (ण ण)—छंटनी—विशेष आर्थिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क में स्थित किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कामगार की सेवा समाप्ति को छंटनी की परिभाषा से बाहर रखा जाए।	सहमत।

1	2	3	4
		(iii) खण्ड 2 (थ क)—सेवा समाप्ति—सेवा समाप्ति की परिभाषा को जोड़ना।	सहमत।
		(iv) नया अध्याय Vघ जोड़ा जाना।	इस शर्त के अधीन सहमत कि सेवा समाप्ति के मामले में क्षतिपूर्ति की धनराशि सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 30 दिन के वेतन के स्थान पर 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य होगी।
3.	गुजरात	**गुजरात औद्योगिक पार्क अध्यादेश, 2003** धारा 39—शक्तियों का प्रत्यायोजन—श्रम आयुक्त की शक्तियां विकास आयुक्त को दिया जाना।	कोई आपत्ति नहीं।
		धारा 13—1947 का XIV के अध्याय Vघ को पार्क पर लागू किया जाना—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में औद्योगिक पार्कों के लिए नया अध्याय Vघ जोड़ा जाना।	यह सुझाव दिया गया कि अध्याय Vघ को जोड़ने के बजाय, राज्य सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के विद्यमान उपबंधों में उपयुक्त संशोधन कर सकती है। राज्य सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25च में संशोधन करे ताकि छंटनी क्षपिपूर्ति को सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन के स्थान पर 45 दिन के औसत वेतन के समतुल्य किया जाए तथा कामगारों की अधिकतम सीमा को 100 से बढ़ा कर 300 करके धारा 25ट में संशोधन किया जाए। राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वह इस संशोधन के संबंध में इस मामले पर मंत्रालय के साथ आगे विचार-विमर्श करे।
4.	गुजरात	**विशेष आर्थिक क्षेत्र अध्यादेश, 2003** धारा 39—शक्तियों का प्रत्यायोजन—श्रम आयुक्त की शक्तियों को विकास आयुक्त को दिया जाना।	सहमत।
		औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए नया अध्याय Vघ जोड़ा जाना।	इस शर्त के अधीन कि सेवा समाप्ति के मामले में क्षतिपूर्ति की राशि सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 30 दिन के वेतन के बजाय 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य होगी।
5.	आंध्र प्रदेश	**आंध्र प्रदेश विशेष एन्क्लेव (विशेष शर्तें तथा औद्योगिक संकल्प) अध्यादेश, 2003** (i) प्राधिकारी की नियुक्ति, अधिकार तथा कर्तव्य—नियुक्त प्राधिकारी को औद्योगिक विवाद प्राधिकारी कहा जाएगा जो एन्क्लेव में उत्पन्न होने वाले औद्योगिक विवादों तथा न्यूनतम मजदूरी संबंधी दावों की सुनवाई करेगा और निर्णय देगा।	सहमत।

1	2	3	4
		(ii) धारा 18—वे व्यक्ति जिन पर समझौते बाध्यकारी हैं—समझौतों का लागू होना।	सहमत।
		(iii) कामगार की बर्खास्तगी अथवा नौकरी से हटाए जाने के मामले में राहत देने के संबंध में प्राधिकारी की शक्तियां।	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11क के अन्तर्गत दिए गए मौजूदा उपबंधों के स्थान पर इस खंड को प्रतिस्थापित किया जाए।
		(iv) हड़तालें, जबरी छुट्टी तथा छंटनी—धारा 22 और धारा 23 में संशोधन।	यह सुझाव दिया गया कि कोई भी कामगार अथवा संघ हड़ताल के ऐसे मतदान के बिना हड़ताल पर नहीं जाएगा जिसमें हड़ताल के लिए 51 प्रतिशत कामगार सहमत न हों।
		(v) धारा 25 ग—जबरी छुट्टी तथा छंटनी किए गए कामगारों को क्षतिपूर्ति के संबंध में अधिकार, धारा 25 ङ—कतिपय मामलों में कामगार क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं, 25 च—कामगारों की छंटनी की पूर्ववर्ती शर्त, धारा 25 च च—उपक्रमों के स्थानांतरण के मामले में कामगार की क्षतिपूर्ति, धारा 25 छ—छंटनी की प्रक्रिया, धारा 25 च च क—किसी उपक्रम के बंद किए जाने के आशय के संबंध में 60 दिन का नोटिस, 25 च च च—उपक्रमों को बंद किए जाने के मामले में कामगार को क्षतिपूर्ति।	धारा 25 च को छोड़कर सहमत।
6.	मध्य प्रदेश	**औद्योगिक विवाद (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2003** औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 ग—पीठासीन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करना।	सहमत।
7.	मध्य प्रदेश	**मध्य प्रदेश श्रम कानून संशोधन विधेयक, 2003** अध्याय Vख को विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू न किया जाना।	सहमत नहीं।
8.	राजस्थान	**औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004** औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 क की उपधारा 1 के बाद नई उपधारा (i) जोड़ा जाना।	सहमत नहीं।
9.	महाराष्ट्र	**औद्योगिक विवाद (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2003** एक नया अध्याय IIग जोड़ा जाना जिसमें अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए किसी उपक्रम में एक संघ को एकमात्र वार्ताकारी एजेंट की मान्यता प्रदान करने, मान्यता प्राप्त संघ के अधिकार और कर्तव्यों, गुप्त	इस संशोधन के अध्यधीन सहमत कि धारा 9घ, उपधारा 2 खंड 3, उप-खंड (क) में 'नियुक्ति' शब्द के स्थान पर 'निर्वाचित' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा और कार्यकाल की अवधि प्रत्येक वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष में एक बार संशोधित की जाएगी।

1	2	3	4
		मतदान द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान हो तथा अनुचित श्रम प्रथाओं आदि के आरोप की जांच–पड़ताल और समाधान के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु नियम बनाने का प्रावधान हो।	
10.	झारखण्ड	**औद्योगिक विवाद (झारखण्ड संशोधन) विधेयक**	राज्य सरकार से 18 फरवरी, 2005 को प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के लंबित प्रस्ताव

***257. श्री बीर सिंह महतो :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस. वाई.) के मार्ग में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एक बाधा साबित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी स्वीकृति हेतु ऐसे कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई स्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत शेष बची सभी परियोजनाओं को बिना और विलम्ब किए स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एक विनियामक अधिनियम है न कि निषेधात्मक अधिनियम। वन क्षेत्रों के भीतर 1980 से पूर्व की मौजूद सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए इस अधिनियम के तहत अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के मामले में ऐसी मरम्मत एवं रखरखाव के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति लेना अपेक्षित है। ऐसी सड़कों को चौड़ा करने हेतु अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार की अनुमति लेना अपेक्षित है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मामलों की मंजूरी एक निरन्तर प्रक्रिया है और कुछ मामले किसी खास समय के लिए लम्बित रहते ही हैं। उपलब्ध सूचना और अधिनियम तथा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्तमान में इस मंत्रालय के लखनऊ और चंडीगढ़ में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सात प्रस्ताव विचारार्थ विभिन्न चरणों में हैं। इन प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों (1.3.2002 से) के दौरान मंजूर किए गए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) वन (संरक्षण) नियम, 2003 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने स्वयं के लिए प्रस्ताव पर कार्यवाही करने और उस पर निर्णय लेने के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की हुई है। विभिन्न प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने के प्रयोजन से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रस्तावों के विचारार्थ वन सलाहकार समिति/राज्य सलाहकार समूहों की मासिक बैठकों के लिए तिथि निर्धारित की हुई है।

विवरण-I

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	क्षेत्र हैक्टेयर में
1	2	3	4
1.	बारगल गांव तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	1.0956

1	2	3	4
2.	पोशाना मार्ग से चाकोल्ट तक ब्राड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	3.798
3.	भानुइन बेओथी–कोनी की वेही मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	3.62
4.	सैन्ज वारा वाटा रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.70
5.	पटोथा से कुरसेना धर मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	3.58
6.	चाहतावरी से जन्तरा मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	1.5841
7.	शिवपुरी–तिमली मार्ग का निर्माण टेहरी जिला	उत्तरांचल	16.055

विवरण-II

(1.3.2002 तक मंजूर किए गए प्रस्ताव)

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	क्षेत्र हैक्टेयर में
1	2	3	4
1.	गुड़गांव महरौली से ग्रुप हाउसिंग काम्लैक्स हैरिटैज सिटी तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हरियाणा	0.0017
2.	पंचकुला से मोरनी तक मार्ग का निर्माण	हरियाणा	0.0025
3.	खेतपरली से दुधगढ़ तक मार्ग का निर्माण	हरियाणा	0.728
4.	टिक्कर से ब्रारत तक सड़क का निर्माण	हरियाणा	1.34
5.	धन से थापती तक सड़क का निर्माण	हरियाणा	6.58
6.	धीर से सिरमौल तक जीपेवल मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.06
7.	मंगला ओहिल–भारेन रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.34
8.	गांव घई वन प्रभाग तक संपर्क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.635
9.	वदवार खानन मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.9
10.	पुरवेरी–भू मानी मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.952
11.	16 मीन सकराह मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	1.025
12.	कुई चरना खदराला मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	1.2
13.	कुथान शारमाला मार्ग का निर्माण कि.मी. 3/500	हिमाचल प्रदेश	1.227
14.	भीटलू से होते हुए चारी से चामीरा तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	1.9916
15.	धानवी–किओ मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.0028
16.	पाजीघर से फानचा तक मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.1057
17.	रिदी–गैला गतयानु मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.112
18.	सुन्दा-जागुनी मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.22

1	2	3	4
19.	किरादगांव तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.333
20.	कटेरू सलेपर मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.36
21.	कोटला वासी मालोट सेऊल मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.52
22.	गनवी लम्वाना सदाना रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.7638
23.	अवेरा लम्वाना सदाना रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	3.15
24.	पुजराह साराइनघर मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	4.5
25.	जोहर में धोलग मालसोएन मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	4.9
26.	ब्रहामणी काला जूदू कालीजा रोड	हिमाचल प्रदेश	7.7
27.	लारोट दोदरा कंवर मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	8.25
28.	नाना बदीनी पादेर वासा जोले घाटनालु मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	10.14
29.	याच खालीनी 2 मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	11.079
30.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 22 से भारतीय प्राण विज्ञान स्टाफ क्वाटरों तक लिंक रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.063
31.	प्रा.ग्रा.स. योजना के अन्तर्गत शालुन गांव वन प्रभाग तक संपर्क मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.092
32.	प्र.गा.स.यो. के अंतर्गत बहल दाओकेयर जव्वल टेपेएरिआन मार्ग का निर्माण 12/375 कि.मी. वन प्रभाग नालागढ़	हिमाचल प्रदेश	0.135
33.	प्र.गा.स.यो. के अंतर्गत या कोर–चाकी रोड का निर्माण नूरपुर बन प्रभाग	हिमाचल प्रदेश	0.16
34.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मैकलोडगंज भारामकोर से लोअर धरनकोट तक संपर्क मार्ग	हिमाचल प्रदेश	0.207
35.	प्र.ग्रा.स. योजना के अंतर्गत वनगौरा–कालालीहाटी कोहगाम नास्तीगुनाना मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.220.22
36.	प्र.ग्रा. सड़क योजना के अंतर्गत दिनका से कहनी मार्ग का निर्माण प्रतिशत 3/357 कि.मी. भारमोर प्रभाग	हिमाचल प्रदेश	0.530.53
37.	प्र.ग्रा. सड़क योजना के अंतर्गत पुजारली चलैला मार्ग का निर्माण वन प्रभाग रोहरू	हिमाचल प्रदेश	0.60.6
38.	प्र.ग्रा. सड़क योजना के अंतर्गत गांधी ग्राम से किराद तक मार्ग सोलन वन प्रभाग	हिमाचल प्रदेश	0.630.63
39.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत कसौली गांव टोगुनई सड़क वन डिवीजन सोलन का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.726
40.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अतर्गत कुल्लु में सियाल पाशा–शीन रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.7669
41.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत हलोनीपुल–दहान सड़क निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.81

1	2	3	4
42.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन नाहन में पंजाल से चहली–महराग सम्पर्क सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.85
43.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन रेनुका में मीगवा–सुइन सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.86
44.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन रोहरू में शुलीधार–शिलान सड़क कि.मी. 0/0–2/700 का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.87
45.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत मण्डी वन डिवीजन में तलेर–पिंगला–थोना–सड़कघाट सड़का का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	0.913
46.	पधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन नूरपुर में पोलान–जाखबार सड़क, सड़क 0/0–2/84 का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	1
47.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत जगतसुकल से भनारा सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	1.0017
48.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत कोठी जंगली भालाउट सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	1.05
49.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन रामपुर में खनोग–गदासु–पुनान सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	1.06
50.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन शिमला में संजोली–ढाली बाईपास सड़क कि.मी. 0/0–14/0 मण्डी से नाला से करखोड सड़क का विस्तार	हिमाचल प्रदेश	1.087
51.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वाया बरोउन खलानु कि.मी. 0/0–14/0 मण्डी से नाला से करखोड सड़क का विस्तार	हिमाचल प्रदेश	1.1074
52.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन कुनिहाट में एचपीपीडब्ल्यूडी द्वारा चांदी–चियान सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	1.2
53.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन कुनिहाट में एचपीपीडब्ल्यूडी द्वारा चांदी–चियान सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	1.437
54.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत भरमांर डिवीजन में पट्टी–भरमानी माता वियामल कांता सड़क कि.मी. 0/0–3/277	हिमाचल प्रदेश	1.5255
55.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन धर्मशाला में साम्बर लोहार से गांव थटरी तक लिंक रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	1.599
56.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत मारिक–घाट–सुल्तानपुर सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.055
57.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन पांगी में साइचु से चास्का तक सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.228
58.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत कुल्लु वन डिवीजन में कटाहार से गडानी का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.4807
59.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत पहारारी से काठी कुकी सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.4895

1	2	3	4
60.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन सोलन में प्रेम नगर से चान्दोग सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.53
61.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन नचान एच पी पी डब्ल्यू डी द्वारा गोहार सिमाधर सड़क का कि.मी. 1.030–10.0 का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.57
62.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन पांगी में पुरथी से राय सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.5744
63.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन भरमौर के अंतर्गत खरमुख–सुरानीघास–अकजु सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.8288
64.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वन डिवीजन देहरा में कुटियार–मजहीन सड़क, एस एच 5 का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	2.88
65.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत बेंछी मंझीहार सड़क का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	3.06
66.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत गांव धरोगरा से मालगीपुर से लिंक रोड का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	3.5031
67.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत नन्देरू–चेली देहवा– घाटहूलू मार्ग वन प्रभाग नूरपूर	हिमाचल प्रदेश	3.676
68.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वागह टोली से बासतूरी गांव तक मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	3.8501
69.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत मारोग से बैम्टेबी एच पी पी डब्ल्यू डी तक सड़क का निर्माण वन प्रभाग चौपाल	हिमाचल प्रदेश	4.443
70.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत वियूती–गेरोला–विलन्सा जी पेबेल मार्ग का निर्माण	हिमाचल प्रदेश	4.7105
71.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत काथीउम–गुजरेहारा–डिओटस–डी एच रोड का निर्माण–बिलासपुर वन प्रभाग	हिमाचल प्रदेश	5.95
72.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत डागंर–चोना वादाहाघाट मार्ग का निर्माण 0/0–14/0 कि.मी. वन प्रभाग बिलासपुर	हिमाचल प्रदेश	6.8
73.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना द्वारा सड़क का निर्माण	मध्य प्रदेश	1.21
74.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत नालाम तालापाड़ा मार्ग	उड़ीसा	0.4
75.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत बुरजा–टोहरा मार्ग का निर्माण	उड़ीसा	4.9978
76.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत घुराकर तक अप्रोच रोड	राजस्थान	0.8175
77.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत सिकिप से पालेजर तक ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का निर्माण 3.0 कि.मी.	सिक्किम	0.21
78.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत कामरंग पी डब्ल्यू डी रोड से किटचू डूमरा तक ग्रामीण सम्पर्क मार्ग	सिक्किम	0.604

1	2	3	4
79.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत नामफिंग टर्निंग से टीशेलामथांग जूनियर हाई स्कूल तक ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का निर्माण	सिक्किम	0.706
80.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत सेमडोंग से तालाम तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण	सिक्किम	0.792
81.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत सम्पीकट से अप्रोच रोड का निर्माण	सिक्किम	0.957
82.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सुधार योजना के अंतर्गत सुम्बुक लगंचोक एस पी डब्ल्यू डी रोड तक ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का निर्माण	सिक्किम	1.4

[अनुवाद]

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन

***258. श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अधिकतम मजदूरी सीमा में आवधिक रूप से वृद्धि करने की शक्ति देने हेतु न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक में अन्तर्विष्ट करने हेतु किन अन्य संशोधनों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) से (ग) फिलहाल, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बागवानी का विकास

***259. श्री सदाशिव दादोबा मंडलिक :**
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बागवानी के विकास हेतु प्रत्येक राज्य को वर्षवार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) ऐसी सहायता देने के मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने बागवानी के विकास और संवर्धन हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) कृषि मंत्रालय दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिनके तहत बागवानी विकास के लिए सहायता मुहैया कराई जा रही है। ये स्कीमें हैं :

(i) कृषि में वृहत प्रबंधन–कार्य योजना के माध्यम से राज्य के प्रयासों में अनुपूरण/सम्पूरण (मदद/सहायता)। इस स्कीम के अंतर्गत बागवानी सहित कृषि विकास के विभिन्न पहलुओं के लिए सहायता मुहैया कराई जा रही है।

(ii) सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन।

स्कीम के अधीन बागवानी क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष हेतु आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण–I व विवरण–II में दिया गया है।

(ख) इन स्कीमों के अधीन निधियों का आवंटन बागवानी विकास की संभावना, राज्य क्रियान्वयक एजेंसियों के पास उपलब्ध बुनियादी ढांचा और क्षमता और विगत में खर्च के स्तर पर आधारित हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने सर्वांगिण दृष्टिकोण अपनाकर बागवानी विकास के सभी पहलुओं अर्थात् अनुसंधान, उत्पादन और उत्पादकता, कटाई पश्चात् प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन पर समग्र कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करने की घोषणा की है।

विवरण-I

वृहत कृषि प्रबंधन की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत बागवानी हेतु निधियों की राज्यवार निर्मुक्ति का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2340.00	1370.57	1323.35	1168.90
2.	बिहार	0.00	0.00	747.39	500.00
3.	झारखण्ड	0.00	0.00	95.00	103.00
4.	गोवा	549.90	447.00	106.00	101.25
5.	गुजरात	220.50	621.61	383.33	591.00
6.	हरियाणा	75.83	131.00	277.00	300.00
7.	हिमाचल प्रदेश	595.66	537.22	483.53	0.00
8.	जम्मू–कश्मीर	300.00	277.77	505.83	91.81
9.	कर्नाटक	520.00	537.23	1500.55	1555.55
10.	केरल	400.00	674.32	1059.75	2046.95
11.	मध्य प्रदेश	2650.00	2000.00	444'44	600.00
12.	छत्तीसगढ़	767.92	1315.00	425.00	384.00
13.	महाराष्ट्र	646.00	550.00	3890.00	2265.00
14.	उड़ीसा	250.00	497.00	805.55	890.00
15.	पंजाब	1353.00	3810.00	180.00	180.00
16.	राजस्थान	0.00	0.00	775.00	684.41
17.	तमिलनाडु	0.00	0.00	1890.00	916.00
18.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	500.00	675.00
19.	उत्तरांचल	0.00	0.00	250.00	24.00
20.	पश्चिम बंगाल	610.00	583.33	511.00	450.00
21.	अरुणाचल प्रदेश	237.00	216.10	0.00	0.00
22.	असम	626.86	575.00	0.00	0.00
23.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	मिजोरम	1759.47	1802.08	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
25.	मेघालय	0.00	50.00	2.50	0.00
26.	नागालैण्ड	325.00	340.00	0.00	0.00
27.	सिक्किम	160.74	227.00	0.00	0.00
28.	त्रिपुरा	500.00	440.00	0.00	0.00
29.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	22.50	26.15	11.75	0.00
31.	दिल्ली	117.00	79.00	37.70	30.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	72.50	49.00	0.00
33.	पांडिचेरी	129.13	0.00	35.00	35.00
34.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	52.70	55.12	124.27	9.50
	कुल	15209.21	17235.00	16412.94	13601.37

विवरण-II

पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल सहित समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत बागवानी हेतु राज्यवार निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	
	निर्मुक्त	निर्मुक्त	निर्मुक्त	आवंटन	निर्मुक्त
क. मिनी मिशन-I					
1. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	250.00	175.00	100.00	700.00	700.00
2. जम्मू व कश्मीर	–	–	100.00	100.00	100.00
3. हिमाचल प्रदेश	–	–	100.00	100.00	100.00
4. उत्तरांचल	–	–	100.00	100.00	154.00
ख. मिनी मिशन-II					
1. अरुणाचल प्रदेश	728.85	1099.00	1220.00	1500.00	1500.00
2. असम	611.12	1092.15	1400.00	1425.00	525.00
3. मणिपुर	487.03	685.00	638.00	1100.00	1100.00
4. मेघालय	625.71	775.60	850.00	1211.00	1211.00
5. मिजोरम	508.95	1099.73	1089.00	1632.20	1632.00

	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	
	निर्मुक्त	निर्मुक्त	निर्मुक्त	आवंटन	निर्मुक्त
6. नागालैण्ड	551.70	979.00	1256.00	1875.00	1467.30
7. सिक्किम	616.77	855.00	1000.00	1150.00	1099.83
8. त्रिपुरा	512.40	785.00	900.00	1012.80	1012.80
9. जम्मू–कश्मीर	–	–	650.00	1450.00	1233.00
10. हिमाचल प्रदेश	–	–	650.00	1300.00	1300.00
11. उत्तरांचल	–	–	564.72	1300.00	975.00
12. तकनीकी समर्थन/एसएफएसी	–	–	–	–	–
सेवा शुल्क तथा अन्य परियोजना आधारित प्रस्ताव	102.43	129.52	101.28	194.00	83.29
ग. मिनी मिशन-III					
1. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	1380.96	1350.00	700.00	2750.00	1480.49
2. जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल	–	–	320.00	550.00	192.00
3. जम्मू व कश्मीर (पुनर्संरचना योजना)					178.50
घ. मिनी मिशन-IV					
1. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	350.00	75.00	*	*	*
2. जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल	–	–	100.00	550.00	120.00
3. जम्मू व कश्मीर (पुनर्संरचना योजना)	–	–	–	–	321.50
कुल योग	6724.96	9100.00	11839.00	20000.00	16485.71

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिशन कार्यक्रमों के लिए अपने परिव्यय के 10 प्रतिशत आवंटन से अपनी स्कीमें कार्यान्वित करेगा। अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई हो, को मिशन द्वारा मुहैया कराया जाएगा।

नई पर्यटन नीति

***260. श्री एन. पी. वीरेन्द्र कुमार :**
श्री हितेन बर्मन .

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक नई पर्यटन नीति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार, चिकित्सा पर्यटन, साहसी पर्यटन, विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) वर्तमान राष्ट्रीय पर्यटन नीति की घोषणा वर्ष 2002 में की गई थी। इस नीति की मौजूदा घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन परिस्थितियों के आधार पर निरन्तर समीक्षा की जाती है और उसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2003 में 2.73 मिलियन विदेशी पर्यटकों की तुलना में वर्ष 2004 में लगभग 3.37 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए जो 23.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ङ) और (च) जी, हां। चिकित्सा पर्यटन, साहसी पर्यटन तथा हैरिटेज पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए हाल में सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। आयुर्वेद, योग, पंचकर्म, पुनर्यौवन, उपचार आदि जैसी परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के अलावा भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सा तथा अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हैं जो काफी सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। भारत का एक स्वास्थ्य गंतव्य के रूप में संवर्धन करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो इसके विभिन्न पुहदों पर विचार कर रहा है। जहां तक हैरिटेज पर्यटन का संबंध है पर्यटन मंत्रालय ने हैरिटेज तथा संस्कृति विशिष्ट पर्यटन का संवर्धन एवं संरक्षण करने के उद्देश्य से 'अतिथि देवो भव' शीर्षक से एक जागरूकता अभियान आरंभ किया है। इन्क्रेडिबल इंडिया अभियान हैरिटेज एवं भारत के स्मारकों पर जोर देता है। साहसी पर्यटन का संवर्धन भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ट्रैकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, स्कीइंग, हैंड ग्लाइडिंग, पैरा ग्लाइडिंग, रीवर राफ्टिंग, सेलिंग तथा विंड सर्फिंग आदि के लिए भारत में उपलब्ध स्थलों एवं सुविधाओं को उजागर करते हुए एक ब्रोशर निकाला गया है जिसका देश एवं विदेश स्थित पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो में वैज्ञानिक

2591. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मानक ब्यूरो में वरिष्ठ पदों पर वर्तमान में कार्यरत वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविदों की नियुक्ति के संबंध में कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो में महानिदेशक अथवा सहायक महानिदेशक के रूप में वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविदों को नियुक्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो में इस समय वरिष्ठ पदों पर कार्य कर रहे वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों की संख्या इस प्रकार है :

वैज्ञानिक जी (अपर महानिदेशक) (18400–500–22400 रुपये)	–	2
वैज्ञानिक एफ (16400–450–20000 रुपये)	–	39
वैज्ञानिक ई (14300–400–18300 रुपये)	–	188
कुल	–	229

(ख) और (ग) जी, हां। मृदु पेयों, फलों के रस तथा अन्य पेयों में कीटनाशकों के अवशिष्टों की मौजूदगी तथा सुरक्षा मानकों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमुख कोई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक होना चाहिए।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रिक्त पद के बारे में 12 मार्च, 2005 को रोजगार समाचार तथा अन्य प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में हिन्दी और अंग्रेजी में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। उपयुक्त अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए रिक्ति को सभी वैज्ञानिक तथा तकनीकी संगठनों को भी परिचालित किया गया है। विज्ञापन को भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता मामले विभाग के वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो में सहायक महानिदेशक का कोई पद नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्य मानचित्र

2592. श्री बापू हरी चौरे : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यापक खाद्य मानचित्र तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के उत्पादन में लगे क्षेत्रों की पहचान के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) कृषि उपज पर आंकड़ा आधार कृषि मंत्रालय और उसके अधीनस्थ एजेंसियों द्वारा रखा जाता है। कृषि उपज के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार में सहायता करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता नियंत्रण और बुनियादी विकास हेतु भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। खाद्य पार्क क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को बुनियादी सहायता उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय की एक प्रमुख स्कीम यानी खाद्य पार्क

स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में अब तक 49 खाद्य पार्क स्वीकृत किए गए हैं।

इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन हेतु एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे इस क्षेत्र में अध्ययन आयोजित करें ताकि वे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि के लिए अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर सकें और नीति–निर्माण कर सकें।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में पर्यटन

2593. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अपनी वेबसाइट बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वर्ष 2002, 2003 तथा 2004 के दौरान प्रत्येक राज्य के प्रमुख पर्यटन केन्द्रों का दौरा करने वाले विदेशी तथा घरेलू पर्यटकों की संख्या कितनी रही?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) मणिपुर को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की अपनी–अपनी वेबसाइट हैं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यटकों को पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन आकर्षणों से संबंधित सूचना ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें वेबसाइट चालू करना भी शामिल है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. इन्क्रेडिबलइंडिया.आर्ग वेबसाइट भी शुरू की है जो पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के पर्यटक आकर्षणों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करती है।

(ग) कुछ प्रमुख पर्यटक आकर्षणों तथा वर्ष 2002–03 के लिए पर्यटक आगमन से संबंधित आकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं :

राज्य का नाम	प्रमुख पर्यटन आकर्षण	पर्यटक आगमन			
		2002		2003	
		विदेशी	घरेलू	विदेशी	घरेलू
अरुणाचल प्रदेश	बोमदिला, तवांग, गोम्पा (धार्मिक)	187	4372	123	2195
असम	काजीरंगा नेशनल पार्क, सिबसागर	6409	1953915	6610	2156675
मणिपुर	वार सिमेट्री, लोकतक झील	221	89633	257	92923
मिजोरम	आइजोल, चम्फाई	259	29417	279	35129
मेघालय	शिलांग, उमियाम झील	3146	268609	6304	371953
नागालैण्ड	वार सिमेट्री, अरादुरा हिल्स (धार्मिक)	657	14263	743	5605
सिक्किम	गंगटोक, मोनेस्ट्री (धार्मिक)	8566	159342	11966	179661
त्रिपुरा	उन्ना–कोटी तथा पिलक में रॉक कटस् फॉरटीन गॉडेसेस टेम्पल (धार्मिक)	2602	260586	3196	257331

वर्ष 2004 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

औषधियों का उत्पादन

2594. श्री गणेश सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मानवों तथा पशुओं के काम आने वाली औषधियों के उत्पादन में लगी सरकारी तथा गैर सरकारी भेषज कंपनियां जिन्हें आई एस ओ 9000 तथा 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हैं के राज्यवार नाम क्या हैं; और

(ख) स्वयं की प्रयोगशाला वाली कंपनियों के नाम क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) देश में बड़ी संख्या में औषधों और संबंधित मदों की विनिर्माण इकाइयां संगठित और लघु क्षेत्र में कार्यरत हैं। तथापि भारत के औषध महानियंत्रक के कार्यालय से उपलब्ध जानकारी के अनुसार नवम्बर, 2003 से लागू देश में कार्यरत औषध विनिर्माताओं के राज्यवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं। इनमें से अधिकांश कंपनियों के पास अपनी जांच प्रयोगशालाएं हैं। औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधान के तहत औषधों के विनिर्माण और बिक्री को विनियमित करने सहित उनकी गुणवत्ता को मानीटर करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार में सन्निहित है। औषध और सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत फार्मा कंपनियों को अच्छी विनिर्माण पद्धति (जी एम पी) का अनुपालन करना होता है और आई एस ओ 9000 और 9002 इस अधिनियम के तहत अपेक्षित नहीं है।

विवरण

राज्यों में विनिर्माण लाइसेंसों की श्रेणीवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्रपुंज औषध	सूत्रयोग	लार्ज वाल्युम पैरेन्टर	टीका	रक्तकोष	मरहम पट्टी	डिस-इन्फैक्टेंट	रिपैकिंग	ऋण-लाइसेंस	चिकित्सा उपकरण	सौन्दर्य प्रसाधन	आयुर्वेदिक यूनानी सिद्ध	होम्यो-पैथी	विविध जो शामिल नहीं हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	200	416	5	14	179	21		27	620		59			31
2.	असम	2	19	2		51	15	12	3		1	10	38	1	6
3.	अरुणाचल प्रदेश		2			3									
4.	बिहार		235	3	1	38	236 में शामिल			7		7	3240	26	2
5.	चंडीगढ़	1	13			3		4				2	3		
6.	छत्तीसगढ़	2	37			1	7	7		2	4	5	44	2	
7.	दादरा नगर हवेली	5	56					1	2	47		54	15		
8.	दिल्ली	4	90		1	42	28	4	1	89	1	499		69	
9.	गोवा	5	88	2		7	1	1	2	186	1	16	6		
10.	गुजरात	430	526	18	6	159	52	19	15	644	117	324	930	11	
11.	हरियाणा	23	230	5	2	42	65	8	6	13	4	39		10	
12.	जम्मू-कश्मीर	3	15		1	14	5	2			1	1	10		
13.	कर्नाटक	57	84	2	2	135	21	32	9	291	3	74			33
14.	केरल	4	60	10	1	125	2	2	6	15	4	11	800	17	
15.	महाराष्ट्र	347	693	17	9	245	38	29	49	1931	19	513	655	25	68
16.	मध्य प्रदेश	54	435	12	1	101	44	20	43	253	4	54	539	17	15
17.	मेघालय		2		1	4						3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	मिजोरम		1			5	1								
19.	उड़ीसा	4	43		2	63	19	30	31	14		39		25	6
20.	पांडिचेरी	7	34			8		3	3	12	3	52	51	7	2
21.	पंजाब	9	167	3	2	72	13			12		71		3	13
22.	राजस्थान	19	85	2	1	60	48	10	9	58	5	24		4	31
23.	सिक्किम		1			3						3	1	1	
24.	तमिलनाडु	62	436	15	5	192	103	21	20	325	12	175	531	7	58
25.	त्रिपुरा		4			6	1						1		
26.	उत्तरांचल	10	8	1	1	18	7	11	1	6	1	3		1	
27.	उत्तर प्रदेश	44	329	9	3	126	115	30	53	16	12	51		40	12
28.	पश्चिम बंगाल	45	280	27	3	104	32	30	40	131	7	191	850	700	10
	कुल	1338	4410	134	56	1805	638	273	320	4692	199	2282	4714	956	287

श्रम कानून

2595. श्री चालेश्वर यादव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग परिसंघ ने देश में श्रम कानूनों के सरलीकरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) जी, हां।

(ख) श्रम कानूनों को सरल बनाया जाना श्रम कानून सुधारों का एक हिस्सा है। सरकार श्रम कानून सुधारों पर विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त करती है जिन पर सभी पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) के हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामाजिक भागीदारों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है।

भू-क्षरण

2596. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरयू घग्गर, नारायणी तथा राप्ती नदियों के किनारों पर रहने वाले व्यक्तियों को नदियों के भू-क्षरण के कारण जान तथा माल की हानि उठानी पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निवारक उपाय किए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण वाली स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों की अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उनकी राज्य योजना निधि में से किया जाता है जिसे उन्हें योजना आयोग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, उत्प्रेरक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की होती है। सभी गंगा बेसिन राज्यों से 136.17 करोड़ रुपये के केन्द्र के हिस्से सहित "गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य" नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम, जो वर्ष 2004-07 के दौरान प्रचालनाधीन है, के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) को कटावरोधी स्कीमों से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस स्कीम में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार राप्ती नदी संबंधी स्कीमों को गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा अनुमोदन दिया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा नदियों के कटाव से बाढ़ मैदान क्षेत्र में स्थित गांवों की

सुरक्षा करने के लिए कोई उपाय प्रस्तावित नहीं हैं। तथापि, जिला प्राधिकारी और राजस्व विभाग बाढ़ मैदान क्षेत्र में स्थित ग्रामवासियों को सुरक्षित क्षेत्र में चले जाने की सलाह देते हैं।

फलों की किस्मों में सुधार

2597. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में फलों की किस्मों में सुधार, उनका विपणन तथा प्रसंस्करण के लिए कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी; और

(घ) प्रथम चरण में यह योजना किन राज्यों में शुरू की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार फल वाली फसलों की किस्म में सुधार सहित बागवानी के विकास की संभावना को स्वीकार करते हुए पहले से ही वर्ष 2001–02 से "सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन" की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित करता रहा है। इस स्कीम का विस्तार वर्ष 2003–04 में तीन अन्य निकटस्थ पर्वतीय राज्यों अर्थात जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल तक किया गया है। इस स्कीम का कार्यान्वयन इसके चार मिनी मिशनों के माध्यम से फलों की फसलों की किस्म के सुधार और उनके विपणन और प्रसंस्करण सहित बागवानी के विकास से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान करने के लिए मिशन मोड दृष्टिकोण में किया जा रहा है। अनुसंधान से संबंधित मिनी मिशन–I, केन्द्रक बीज एवं पौध रोपण सामग्री के उत्पादन व आपूर्ति के अलावा प्रौद्योगिकियों के विकास, परिष्करण और प्रदर्शन में लगा है। उत्पादन और उत्पादकता से संबंधित मिनी मिशन–II क्षेत्र विस्तार पौध रोपण सामग्री के उत्पादन, सिंचाई सुविधाओं के सृजन, संरक्षित खेती हेतु अवसंरचना विकास, आर्गेनिक खेती और अन्यों के माध्यम से बागवानी के उत्पादन व उत्पादकता सुधार में लगा है। विपणन से संबंधित मिनी मिशन–III शीतागार रीफर वैन्स, पैकेजिंग तथा हैंडलिंग एककों जैसे फसल कटाई पश्चात प्रबंध के लिए अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के अलावा थोक मण्डियों, ग्रामीण प्राथमिक मण्डियों, अपनी मंडियों तथा स्टेट ग्रेडिंग लेबोरेट्रिज जैसी पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं के सृजन में लगा है। मिनी मिशन–IV, जो प्रसंस्करण से संबंधित है, व्यावहारिक प्रसंस्करण एककों की स्थापना/उन्नयन के माध्यम से बागवानी के प्रसंस्करण के संवर्धन में लगा हुआ है।

इस मिशन को 11 पर्वतीय राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल में कार्यान्वित किया जा रहा है।

मिशन के अधीन वर्ष 2001–02 से जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में "समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

(लाख रुपये में)

	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	
	निर्मुक्त	निर्मुक्त	निर्मुक्त	आवंटन	निर्मुक्त
क. मिनी मिशन-I					
1. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	250.00	175.00	100.00	700.00	700.00
2. जम्मू व कश्मीर	–	–	100.00	100.00	100.00
3. हिमाचल प्रदेश	–	–	100.00	100.00	100.00
4. उत्तरांचल	–	–	100.00	100.00	154.00

	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	
	निर्मुक्त	निर्मुक्त	निर्मुक्त	आवंटन	निर्मुक्त
ख. मिनी मिशन-II					
1. अरुणाचल प्रदेश	728.85	1099.00	1220.00	1500.00	1500.00
2. असम	611.12	1092.15	1400.00	1425.00	525.00
3. मणिपुर	487.03	685.00	638.00	1100.00	1100.00
4. मेघालय	625.71	775.60	850.00	1211.00	1211.00
5. मिजोरम	508.95	1099.73	1089.00	1632.20	1632.00
6. नागालैण्ड	551.70	979.00	1256.00	1875.00	1467.30
7. सिक्किम	616.77	855.00	1000.00	1150.00	1099.83
8. त्रिपुरा	512.40	785.00	900.00	1012.80	1012.80
9. जम्मू–कश्मीर	–	–	650.00	1450.00	1233.00
10. हिमाचल प्रदेश	–	–	650.00	1300.00	1300.00
11. उत्तरांचल	–	–	564.72	1300.00	975.00
12. तकनीकी समर्थन/एसएफएसी	–	–	–	–	–
सेवा शुल्क तथा अन्य परियोजना आधारित प्रस्ताव	102.43	129.52	101.28	194.00	83.29
ग. मिनी मिशन-III					
1. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	1380.96	1350.00	700.00	2750.00	1480.49
2. जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल	–	–	320.00	550.00	192.00
3. जम्मू व कश्मीर (पुनर्संरचना योजना)					178.50
घ. मिनी मिशन-IV					
1. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	350.00	75.00	*	*	*
2. जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल	–	–	100.00	550.00	120.00
3. जम्मू व कश्मीर (पुनर्संरचना योजना)	–	–	–	–	321.50
कुल योग	6724.96	9100.00	11839.00	20000.00	16485.71

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिशन कार्यक्रमों के लिए अपने परिव्यय के 10 प्रतिशत आवंटन से अपनी स्कीमें कार्यान्वित करेगा। अतिरिक्त आवश्यकताओं, यदि कोई हो, को मिशन द्वारा जुटाया कराया जाएगा।

[अनुवाद]

बीज फसल बीमा योजना

2598. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीज फसल योजना संबंधी पायलट योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) प्रथम चरण में यह योजना किन राज्यों में शुरू की गई है; और

(घ) पूरे देश में योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरेया) : (क) जी, हां। यह स्कीम रबी 1999 में शुरू की गई थी।

(ख) यह स्कीम बीज फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में प्रजनक/बीज उत्पादक को वित्तीय सुरक्षा एवं आय स्थिरता प्रदान करने और विद्यमान प्रजनक/उत्पादक के आत्मविश्वास को मजबूत बनाने तथा इसके साथ ही नई जारी की गई संकर/उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाने हेतु नए प्रजनक/उत्पादक की भागीदारी प्रेरित करने के लिए शुरू की गई थी।

इसमें कवर की गई फसलें हैं—धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, चना, अरहर, उड़द, मूंग, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, एरण्ड, सरसों, कपास तथा आलू।

कवर की गई बीज किस्में हैं—प्रजनक, आधारी तथा प्रमाणित बीज।

यदि फसल बुआई के 45 दिनों के भीतर नष्ट होती है तो फील्ड स्टेज पर जोखिम कवरेज बीमित राशि की 40 प्रतिशत होगी तथा यदि फसल बुआई के 45 दिनों के बाद और फसल कटाई तक नष्ट होती है तो कवरेज 80 प्रतिशत होगी। यदि उत्पादित बीज "बीज" के रूप में पात्र माने जाने में असफल होता है तो उसकी कीमत सैलवेज (कम) होगी। संकर बीजों के लिए सैलवेज (कम) रेंज 20 से 40 प्रतिशत तक और अन्य दूसरी किस्मों के लिए यह 20 से 60 प्रतिशत तक होती है। सैलवेज केवल प्रमाणिकरण के चरण पर होने वाली हानियों के मामले में लागू है।

प्रीमियम दर गेहूं और मूंगफली के लिए 20 प्रतिशत, सूरजमुखी 2.5 प्रतिशत, धान 3 प्रतिशत, ज्वार 3.5 प्रतिशत, चना अरहर, कपास, बाजरा तथा मक्का के लिए 5 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) इस स्कीम को पहले चरण में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। तथापि, इस स्कीम ने गति नहीं पकड़ी और इसे और आगे नहीं बढ़ाया गया।

वाइल्ड फाउल्स का लुप्त होना

2599. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने रेड जंगल फाउल्स के प्रजनन तथा संरक्षण कार्यक्रम के लिए कतिपय धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान संवितरित की गई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी धनराशि के संवितरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(घ) क्या सरकार ने शिकार तथा प्राकृतिक पर्यावास के नष्ट होने के कारण भारत में लुप्तप्राय संकटापन्न भारतीय वाइल्ड फाउल्स के चित्र वाले कलैंडर जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी, हां।

(ख) 3 जनवरी, 2005 को आयोजित तकनीकी समिति की 40वीं बैठक में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने आइजवाल चिड़ियाघर, मिजोरम में इंडियन जंगल फाउल के लिए बाड़े (एनक्लोजर्स) का निर्माण करने हेतु 20.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में सराहन फीसेन्टरी को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 79.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(ग) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद संबंधित चिड़ियाघरों को धनराशि किस्तों में दी जाएगी।

(घ) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इंडियन फीसेन्ट्स के बारे में वर्ष 2005 का सचित्र केलेण्डर प्रकाशित किया है। आरवेट और पर्यावास विनाश के कारण भारत में उनके लुप्तप्राय होने के बारे में इस केलेण्डर में कोई बयान नहीं किया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2600. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, जो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। चाय क्षेत्र को छोड़कर कृषि क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति सरकार के पूर्व अनुमोदन से चाय बागानों सहित चाय क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक है तथा यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(अ) पांच वर्षों की अवधि के अन्दर भारतीय सहभागी/भारतीय जनता के पक्ष में 26 प्रतिशत इक्विटी का अनिवार्य विनिवेश; तथा

(ब) भविष्य में भूमि उपयोग के किसी भी परिवर्तन के मामले में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक।

[हिन्दी]

संयुक्त वन प्रबंधन के जरिए वनरोपण

2601. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को संयुक्त वन प्रबंधन के जरिए नष्ट हुई भूमि पर वनरोपण करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां। संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से अवक्रमित वन भूमि के पुनरुद्भव के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा और स्वीकृत परियोजनाएं संलग्न विवरण–I में दी गई हैं।

(घ) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त किए गए और स्वीकृत किए गए एफ डी ए प्रस्तावों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	प्राप्त किए गए एफ डी ए परियोजना प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित एफ डी ए परियोजना प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4
1.	हरियाणा	16	16
2.	उड़ीसा	29	28
3.	जम्मू और कश्मीर	31	31
4.	उत्तर प्रदेश	61	56
5.	हिमाचल प्रदेश	26	26
6.	उत्तरांचल	30	28
7.	पंजाब	9	4
8.	बिहार	9	6
9.	गुजरात	15	14
10.	झारखंड	27	26
11.	महाराष्ट्र	41	39
12.	राजस्थान	14	13
13.	तमिलनाडु	32	30
14.	पश्चिम बंगाल	20	16
15.	आंध्र प्रदेश	32	28
16.	छत्तीसगढ़	31	29
17.	गोवा	3	3
18.	कर्नाटक	45	38
19.	केरल	25	14
20.	मध्य प्रदेश	44	37
21.	अरुणाचल प्रदेश	16	13

1	2	3	4
22.	असम	28	24
23.	मणिपुर	13	12
24.	मेघालय	7	7
25.	मिजोरम	30	19
26.	नागालैंड	18	16
27.	सिक्किम	7	7
28.	त्रिपुरा	13	12
	योग	672	592

विवरण-II

एफ डी ए परियोजनाओं के लिए जारी की गई राज्यवार निधियां

(करोड़ रुपये)

1.	आंध्र प्रदेश	33.99
2.	छत्तीसगढ़	34.41
3.	गुजरात	16.15
4.	हरियाणा	35.03
5.	हिमाचल प्रदेश	20.1
6.	जम्मू और कश्मीर	17.76
7.	कर्नाटक	52.49
8.	मध्य प्रदेश	54.58
9.	महाराष्ट्र	31.42
10.	उड़ीसा	30.06
11.	पंजाब	2.24
12.	राजस्थान	14.89
13.	तमिलनाडु	37.18
14.	उत्तर प्रदेश	66.66
15.	उत्तरांचल	19.32
16.	गोवा	0.64
17.	झारखंड	17.87
18.	बिहार	4.31
19.	केरल	5.57
20.	पश्चिम बंगाल	13.84
	योग (अन्य राज्य)	508.51
21.	अरुणाचल प्रदेश	9.41
22.	असम	13.66
23.	मणिपुर	12.96
24.	नागालैंड	22.75
25.	सिक्किम	14.19
26.	त्रिपुरा	11.42
27.	मिजोरम	35.91
28.	मेघालय	2.45
	योग (उत्तर–पूर्वी राज्य)	122.75
	कुल योग	631.26

[अनुवाद]

पशुपालन, मुर्गीपालन तथा मत्स्यन के लिए योजनाएं

2602. श्री अधीर चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पशुपालन, मुर्गीपालन तथा मत्स्यन के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनके क्रियान्वयन के लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के लिए राजसहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सरकार द्वारा पशुपालन, कुक्कुट तथा मात्स्यिकी के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) सरकार पशुपालन, कुक्कुट तथा मात्स्यिकी से संबंधित किसी योजना के अंतर्गत कोई राज्यवार आवंटन नहीं करती है। तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की व्यवहार्यता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर उन्हें धनराशि जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनावार आवंटन तथा व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) "अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास" तथा "समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी ढांचा तथा पोस्ट हार्वेस्ट प्रचालन का विकास" से संबंधित मात्स्यिकी योजनाओं के अंतर्गत, वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में कुल 28.09 करोड़ रुपये तथा 29.89 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पशुपालन, कुक्कुट तथा मात्स्यिकी योजनाओं के लिए किया गया आवंटन तथा व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	2001–2002		2002–2003		2003–2004	
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बजट प्राक्कलन	वास्तविक व्यय	बजट प्राक्कलन	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**सचिवालय एवं आर्थिक सेवा**	2.20	2.29	4.50	2.57	3.00	2.23
II.	**पशुपालन एवं कुक्कुट क्षेत्र**						
1.	राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन परियोजना	46.00	41.87	50.00	41.04	48.00	35.99
2.	राष्ट्रीय मृग/भेड़ा उत्पादन कार्यक्रम	1.25	2.87				0.00
3.	एकीकृत सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता	2.00	2.65		0.00		0.00
4.	राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता	2.70	5.05	5.00	10.67	5.00	5.06
5.	आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता	3.00	1.58	0.00	3.42	3.50	2.00
6.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	12.00	12.40	15.30	18.14	21.00	33.21
7.	एफ एम डी नियंत्रण कार्यक्रम	27.00	0.00	30.00	0.00	40.00	30.59
8.	केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन	8.85	7.43	10.00	7.53	10.00	8.12
9.	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	1.50	1.31	1.48	1.15	1.50	1.15
10.	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	5.71	4.51	6.00	4.82	4.00	4.79
11.	केन्द्रीय चारा विकास संगठन	4.53	5.18	6.00	6.56	7.00	6.71
12.	पशु स्वास्थ्य निदेशालय	10.00	4.66	3.50	5.95	9.50	5.69
13.	व्यावसायिक दक्षता विकास	6.00	6.30	3.20	2.76	2.50	2.19
14.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	13.00	10.67	12.00	10.69	7.00	6.88
15.	बूचड़खानों/सी यू सी में सुधार	6.00	3.63	6.00	0.00	4.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	समेकित नमूना सर्वेक्षण	4.40	3.43	6.00	3.85	4.50	4.88
17.	भारवाही पशुओं का विकास	0.30	0.21		0.00		0.00
18.	पशुपालन विस्तार कार्यक्रम	2.00	1.05		0.00		0.00
19.	पशुपालन प्रभाग का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.00		0.00		0.00
20.	पशु प्रणाली पर परियोजना	0.25	0.12		0.00		0.00
21.	पूरी की गई/अस्वीकृत योजनाएं				2.83		1.97
22.	आहार तथा चारा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम			1.00	0.00	0.10	0.00
23.	पशुपालन के लिए बुनियादी ढांचा			0.50	0.00	0.00	0.00
24.	भारवाही नस्लों का संरक्षण			0.50	2.96	0.50	0.50
25.	पशुधन संगणना			0.00	2.99	4.00	31.48
26.	पशुधन गणना						0.00
	कुल (पशुपालन एवं कुक्कुट क्षेत्र)	156.49	114.92	156.48	125.36	172.10	181.20
III.	**मात्स्यिकी क्षेत्र**						
27.	मात्स्यिकी बंदरगाहों की स्थापना	14.00	11.54	12.00	10.72	7.00	5.45
28.	ताजा जल जलकृषि का विकास	14.00	11.67	19.00	11.12	15.00	10.05
29.	समुद्री मात्स्यिकी का विकास	11.00	8.30	2.00	0.00	4.00	1.00
30.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण	22.00	20.34	19.00	16.95	20.00	18.84
31.	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण	30.20	17.17	40.73	18.15	41.58	27.56
32.	गहरे समुद्र में मात्स्यिकी				11.20	0.00	0.00
33.	केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन संस्थान	1.68	1.11	2.00	4.25	0.61	1.27
34.	केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान	1.18	0.69	0.30	0.30	0.10	0.25
35.	एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना	2.70	1.36	1.97	0.56	0.71	0.50
36.	प्रशिक्षण तथा विस्तार	1.32	1.40	1.00	1.69	1.00	0.92
37.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी	1.10	1.13		0.00		0.00
38.	अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी	1.00	0.87	2.00	0.00	1.00	0.00
39.	पर्वतीय क्षेत्रों में मात्स्यिकी का विकास	1.00	4.00		0.00		0.00
40.	तटरक्षकों को सहायता	0.10	0.10		0.00		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी विपणन	0.04	0.04		0.00		0.00
42.	एकीकृत तटवर्ती जलकृषि	2.00	2.10		0.00		0.00
43.	ट्रेजिंग उपकरणों का अधिग्रहण/रखरखाव	0.40	0.39	1.00	0.54	2.00	1.50
44.	झींगा पालन पर विश्व बैंक परियोजना	0.14	0.09		0.00		0.00
45.	अंतर्देशीय लवणीय भूमि की उपयोगिता	0.00	0.76		0.00		0.00
46.	जलभराव क्षेत्रों का जलकृषि सम्पदा के रूप में विकास	0.00	0.97		0.00		0.00
47.	डाटाबेस तथा सूचना नेटवर्किंग को बनाना			1.00	0.50	2.00	1.38
	कुल (मात्स्यिकी क्षेत्र)	103.86	84.03	102.00	75.98	95.00	68.72
	सकल योग (सभी योजनाएं)	262.55	201.24	262.98	203.91	270.10	252.15

मछलियों की उपलब्धता

2603. श्रीमती सी. एस. सुजाता : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुनामी से हुई तबाही के बाद अरब सागर तथा हिन्द महासागर में मछलियों की उपलब्धता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति को समझने के लिए कोई अध्ययन किया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। स्थिति को समझने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक विस्तृत अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) किए जाने वाले प्रस्तावित अध्ययन इस प्रकार हैं :

(1) अंडमान के कोरल रीफ पारिस्थितिकी पर सुनामी के प्रभाव का त्वरित जायजा लेना।

(2) प्रायद्वीपीय भारत में समुदाय की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों पर सुनामी का प्रभाव।

(3) तटवर्ती मछली स्टाकों पर सुनामी का प्रभाव।

(4) अंडमान द्वीप समूहों के सीग्रास, सी वी तथा मैनग्रोव की जैव विविधता पर सुनामी का प्रभाव संबंधी जायजा।

(5) तमिलनाडु, पांडिचेरी तथा केरल के समुद्र तटों पर तटवर्ती पर्यावरण संबंधी सुनामी प्रभाव का जायजा।

(6) फिश एग्रीगेटिंग डिवाइस के सतत मोडल का विकास तथा सुनामी लहरों के प्रभाव को कम करने में इसकी भूमिका।

(7) समुद्री खाद्यों में जन स्वास्थ्य के महत्व संबंधी पोस्ट सुनामी माइक्रोबिअल तथा रसायन जोखिम का जायजा लेना।

जल संरक्षण के बारे में जागरूकता

2604. श्री हितेन बर्मन :
श्री सुव्रत बोस :
श्री रमेन बर्मन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जल संरक्षण तथा प्रबंधन के संबंधी जागरूकता के बारे में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। यह मंत्रालय भूजल की

सुरक्षा और संरक्षण, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के संबंध में विशेष संदर्भ जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य समूह में अन्य के साथ–साथ महिलाएं और बालिकाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2003 जो कि इस मंत्रालय द्वारा 'स्वच्छ जल वर्ष' के रूप में मनाया गया था, के दौरान महिलाओं और बच्चों के लिए एक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि से लगभग 6300 महिलाओं ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

[हिन्दी]

उर्वरकों का उत्पादन

2605. श्री धावरचन्द गेहलोत : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004–05 के दौरान सरकार द्वारा उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेश की स्थिति क्या है;

(ग) देश में वर्तमान में यूरिया के उत्पादन तथा खपत का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2004 के दौरान यूरिया की कीमतों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) उर्वरकों का उत्पादन और स्वदेशी उर्वरक उत्पादक कंपनियों को राजसहायता/रियायत के भुगतान का विनियमन, यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना और नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों संबंधी रियायत योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ख) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) केवल यूरिया उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो उर्वरक विभाग के नियंत्रणाधीन है जिसमें साम्या सहभागिता के माध्यम से विदेशी निवेश है। नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी (एनआईओसी) की एम. एफ.एल. में 25.77 प्रतिशत साम्या अंश पूंजी है, जो 161.10 करोड़ रुपये की कुल साम्या में से 41.52 करोड़ रुपये है। निजी क्षेत्र में यूरिया उत्पादक कंपनियों में विदेशी निवेश, यदि कोई हो, के संबंध में सूचना उर्वरक विभाग द्वारा नहीं रखी जाती।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया के उत्पादन और उपयोग संबंधी आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं।

(लाख मी. टन)

वर्ष	उत्पादन	खपत
2001–02	191.73	199.17
2002–03	187.27	184.93
2003–04	192.00	197.67
2004–05 (अनुमानित)	201.73	206.00

(घ) और (ङ) 28.2.2002 के बाद उर्वरकों के विक्रय मूल्य में वृद्धि नहीं की गई है। दिनांक 28.2.2003 को उर्वरकों के विक्रय मूल्य में मामूली वृद्धि की घोषणा को दिनांक 12.3.2003 से वापस ले लिया गया था।

[अनुवाद]

भंडारण स्थान की कमी

2606. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत रबी फसल के बाद विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में पर्याप्त भंडारण क्षमता में कमी के कारण भारी मात्रा में खरीदा गया गेहूं खुले में पड़ा रहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आने वाली रबी फसल के बाद गेहूं के उचित भंडारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) 31.5.2004 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा 148.49 लाख टन ढके हुए भंडारण के प्रति ढकी और प्लिंथ क्षमता के तहत केवल 15.15 लाख टन खाद्यान्नों का भंडारण किया गया था। पिछले रबी विपणन मौसम के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा महाराष्ट्र में गेहूं के किसी स्टाक की वसूली नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) 1.2.2005 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के पास संपूर्ण देश में 133.96 लाख टन खाली स्थान सहित कुल 259.95 लाख टन (ढकी हुई और कैप) भंडारण क्षमता

है जो आगामी रबी विपणन मौसम में वसूल किए जाने वाले गेहूं की भंडारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के पास 8.67 लाख टन खाली स्थान (7.41 लाख टन ढका हुआ और 1.26 लाख टन कैप (खुला)) है जो खाद्यान्न स्टाक की भंडारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

[हिन्दी]

राजसहायता की मांग

2607. श्री रामस्वरूप कोली : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2002 के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विभिन्न उर्वरक कंपनियों को दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्तमान में इन राज्यों में उर्वरक कंपनियों द्वारा मांगी जा रही राजसहायता का कंपनीवार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थित उर्वरक उत्पादक कंपनियों को 1999–2000 से 2004–05 तक की अवधि में उर्वरकों की वर्षवार बिक्री के लिए अब तक दी गई राजसहायता/रियायत को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	दी गई रियायत					
		1999–00	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तर प्रदेश						
1.	एशियन फर्टि.	3.67	2.39	1.47	1.84	3.56	1.94
2.	जुबलिएंट ऑरगनोसिस	4.88	5.58	7.99	8.58	7.81	3.87
3.	खेतान कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (श्रीनिवास कैमि.)	2.44	2.98	2.89	1.14	4.17	3.01
4.	महादेव फर्टिलाइजर्स	0	1.12	0.42	0.44	0.31	0
5.	नटराज ऑरगेनिक्स	2.36	1.18	0.11	0.02	0.02	0
6.	काशी उर्वरक	0.15	0	0.05	0.05	0.02	0
7.	डायनाटैक	0.75	0	0	0	0	0
8.	खैतान फर्टिलाइजर्स	5.13	1.65	0	0	0	0
9.	श्री एसिडस	2.31	0.37	0.81	0.41	0	0
10.	डंकन इंडस्ट्रीज लि.	533.83	683.42	312.19	74.63	0	0
11.	इफ्को	1397.68	1361.42	1212.53	1671.24	1329.74	1421.3
12.	हिण्डालको (इण्डो–गल्फ)	271.24	260.68	116.82	197.48	106.28	181.56
13.	ओसवाल केमिकल्स	409.31	314.5	204.1	200.46	201.43	305.5
14.	टाटा केमिकल्स	439.17	374.03	248.99	219.04	175.88	294.41

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	अवध फर्टिलाइजर्स	0.72	0	0	0	0	0
16.	ब्रिज फर्टिलाइजर्स	0.01	0	0	0	0	0
17.	गंगा फर्टि. एण्ड केमिकल्स लि.	0.69	0	0	0	0	0
18.	गिरीराज फर्टिलाइजर्स	0.19	0	0	0	0	0
19.	मदन माधव	0.38	0	0	0	0	0
20.	ओम फर्टिलाइजर्स	0.27	0	0	0	0	0
21.	त्रिपूर्ति फर्टिलाइजर्स	2.31	0	0	0	0	0
22.	श्री दुर्गा बंसल	0	0	0	0	0	0
23.	शक्ति फर्टिलाइजर्स/पैसिफिक ऑरगोकैम	1.02	0	0	0	0	0
24.	रवि पैसटीसाइड	0.99	0	0	0	0	0
	मध्य प्रदेश						
1.	अरिहन्त फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि.	0	1.27	0	0	0	0
2.	आशा फॉस्फेट	1.56	1.9	0.27	0	0.07	0
3.	खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	18.85	10.77	10.2	9.35	10.8	7.67
4.	लिबर्टी उर्वरक	0	0	0	0	0.87	2.28
5.	मध्य भारत फॉस्फेट	0	0	0	0	0.12	0.33
6.	मैक्सिकन फॉस्फेट्स लि.	0.97	1.05	0.61	0	0	0
7.	एमपी ऑरगोकैम	1.01	0.75	0.34	0.09	0.02	0
8.	रेवती मिनरल्स एण्ड केमिकल्स	0.14	0.14	0.05	0.09	0	0
9.	श्रीजी फॉस्फेट लि.	0.54	0.34	1.91	0	0	0
10.	मधुवन केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	0.08	0.01	0	0	0	0
11.	उनालकम फर्टिलाइजर्स	0.15	0	0	0	0	0
12.	मुक्तेश्वर फर्टिलाइजर्स	0.06	0.04	0.34	0.18	0.01	0
13.	रामा फॉस्फेट	8.07	4.99	9.61	6.32	6.04	4.99
14.	स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स	1.03	0.45	1.26	1.44	1.31	0.42
15.	नेशनल फर्टिलाइजर्स	485.54	297.54	450.55	421.69	448.63	392.98
16.	मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स	0.37	0.83	0.74	0.4	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	राजस्थान						
1.	अरावली फॉस्फेट	0	0.45	0.35	1.06	1.53	0.93
2.	अरिहन्त फॉस्फेट	4.13	0.33	2.36	2.08	1.85	0.49
3.	बोहरा इण्डस्ट्रीज	0	0.13	5.1	5.71	4.37	0.65
4.	डीएमसीसी	31.98	22.17	16.77	16.73	10.53	3.48
5.	गायत्री स्पिनर्स	1.53	0.39	0.51	0.64	0.74	0.47
6.	हर्षवर्धन केमिमल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	0.54	0.09	0	0	0	0
7.	लिबर्टी फॉस्फेट	4.72	6.44	15.14	13.36	14.64	7.94
8.	मंगलम फॉस्फेट	0	0	0.66	0.5	0.17	0.15
9.	प्रेम शक्ति फर्टिलाइजर्स	0	0.55	1.11	1.46	1.75	0.96
10.	रामा फॉस्फेट्स	7.37	3.2	4.72	3.62	3.71	1.65
11.	साधना फॉस्फेट्स	4.19	3.76	3.54	0.58	0.82	0.17
12.	श्री गणपति	0	0.08	0.2	0.06	0.04	0
13.	शूरवी कलर	0.87	0.45	0.3	0.37	0.3	0.26
14.	टैडको ग्रेनाइट	7.12	1.74	0.69	0.01	2.05	1.78
15.	चम्बल फर्टिलाइजर्स	642.73	934.44	933.13	812.04	848.99	929.06
16.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स	222.32	278.32	198.11	219.41	299.37	227.31

*यूरिया से संबंधित आंकड़ों को छोड़कर शेष आंकड़े निश्चित नहीं हैं। तिर्यक रूप में दिए गए आंकड़े यूरिया के हैं।

खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी संरचना

2608. श्री अतीक अहमद : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी संरचना प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर फल तथा सब्जी का उत्पादन करने वाले कतिपय जिलों की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) भारत विश्व में फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और उपज की सार–संभाल और उपयोग के लिए पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण की पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिसमें बुनियादी सुविधा का सृजन शामिल है, के समग्र विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यह मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी बुनियादी सुविधाओं/यूनिटों की स्थापना नहीं करता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु सामान्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता हेतु 49 खाद्य पार्कों को अनुमोदित किया है। अनुमोदित किए गए खाद्य पार्कों की राज्य–वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहायता के लिए अनुमोदित खाद्य पार्कों की सूची

1.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर
2.	असम	छायागांव, जिला कामरूप
3.	बिहार	हाजीपुर, जिला वैशाली

4.	छत्तीसगढ़	गांव टेडेसराय, जिला राजनंदगांव
5.	हरियाणा	साहा, अम्बाला
6.	हरियाणा	राई, सोनीपत
7.	जम्मू कश्मीर	खुन्मोह, श्रीनगर
8.	जम्मू कश्मीर	जम्मू
9.	जम्मू कश्मीर	सोपोर, बारामूला
10.	कर्नाटक	कोलार
11.	कर्नाटक	बागलकोट
12.	कर्नाटक	जेवरगी
13.	केरल	जिला मल्लापुरम
14.	केरल	अरूर, आलपुझा
15.	केरल	मचुवन्नूर
16.	मध्य प्रदेश	मंदसौर
17.	मध्य प्रदेश	निमरानी, जिला खरगौन
18.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद
19.	मध्य प्रदेश	बोरगांव, जिला छिंदवाड़ा
20.	मध्य प्रदेश	मालनपुर, जिला भिरौंगी, भिण्ड
21.	मध्य प्रदेश	मनेरी, जिला मांडला
22.	महाराष्ट्र	बूटिबोरी, नागपुर
23.	महाराष्ट्र	विंचूर, जिला नासिक
24.	महाराष्ट्र	मौजा, गुमथला, नागपुर
25.	महाराष्ट्र	गांव सांगवी, तालुक खण्डाला, जिला सतारा (पुणे के पास)
26.	महाराष्ट्र	पालस, जिला सांगली
27.	मणिपुर	लम्फेलपट, इम्फाल
28.	मणिपुर	उखरूल
29.	मिजोरम	छिंगछिप
30.	उड़ीसा	खुर्दा
31.	पंजाब	सरहिंद, जिला फतेहगढ़ साहिब
32.	राजस्थान	रणपुर, जिला कोटा
33.	राजस्थान	बोरनाडा, जिला जोधपुर
34.	राजस्थान	श्रीगंगानगर
35.	तमिलनाडु	विरूद्धनगर
36.	तमिलनाडु	निलकोट्टाई औद्योगिक संपदा, जिला डिण्डीगल
37.	त्रिपुरा	बोधजंग नगर, पश्चिम त्रिपुरा
38.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
39.	उत्तर प्रदेश	कुर्सीरोड, बाराबंकी
40.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
41.	उत्तर प्रदेश	गांव कुशालीपुर, जिला सहारनपुर
42.	उत्तर प्रदेश	सहजनवा, गोरखपुर
43.	पश्चिम बंगाल	धनकुनि, जिला हुगली
44.	पश्चिम बंगाल	मौजा छगरिया, 24 परगना (दक्षिण)
45.	पश्चिम बंगाल	हल्दिया, जिला मिदनापुर
46.	पश्चिम बंगाल	सुल्तानपुर, 24 परगना (दक्षिण)
47.	पश्चिम बंगाल	मालदा
48.	पश्चिम बंगाल	शंकरपुर, जिला पूर्व मेदिनीपुर
49.	पश्चिम बंगाल	संखरेल, हावड़ा

पर्यटन से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण

2609. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :
श्री अनंत कुमार :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को आतिथ्य के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना खर्च होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 21 होटल प्रबंध, केटरिंग तकनालौजी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान हैं, जो होटल प्रबंध एवं

केटरिंग तकनालॉजी में विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों, अर्थात् एम.एससी. आतिथ्य प्रशासन, बी.एससी. आतिथ्य एवं होटल प्रशासन; स्नातकोत्तर डिप्लोमा और अन्य प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं। इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के आधिन एक स्वायत्त निकाय, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आई.आई.टी.टी.एम.) भी अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से, सीधे स्नातकों तथा पूर्व स्नातकों को शैक्षणिक अवसरों की पेशकश करता है। नियमित पाठ्यक्रमों की पेशकश, यात्रा उद्योग, टूअर प्रचालनों, एयर कार्गो, इंटरप्रेटेशन, आदि को शामिल करते हुए, अवकाश एवं सावकाश प्रबंधन में उनके सफल केरियर के लिए फ्रेश स्नातकों को, की जाती है। इनके अलावा, पर्यटन मंत्रालय, असंगठित/संगठित क्षेत्र में पर्यटन सेवा प्रदाताओं यथा, टैक्सी ड्राइवरों, पुलिस कार्मिकों, आटो चालकों, ढाबा कर्मचारियों, एयरपोर्टों पर आप्रवासन कर्मचारी एवं सुरक्षा कार्मिक, अनुमोदित न किए गए और अनुमोदित गाइडों, कुलियों, आदि के लिए, 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' (सी. बी.एस.पी.) योजना के अंतर्गत, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है। यह योजना पूरे भारत में कार्यान्वित की जा रही है।

वर्ष 2004–2005 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय द्वारा सात शहरों, अर्थात् दिल्ली, जयपुर, आगरा, मुम्बई, औरंगाबाद, गोवा और हैदराबाद में 'अतिथि देवो भव' नामक अभियान, की भी शुरूआत की गई है। 'अतिथि देवो भव' एक सामाजिक चेतना अभियान है जिसका लक्ष्य देश में आने वाले पर्यटकों को देश के द्वारा स्वागत प्रदान करना है। मुख्य रूप से पर्यटन उद्योग के स्टेक धारकों पर ध्यान देते हुए यह अभियान पूर्ण रूप से आम नागरिक को लक्ष्य करता है। प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए एक साथ ब्रांड इक्विटी का निर्माण करते हुए इस अभियान के मुख्य घटक टैक्सी चालकों, गाइडों, आप्रवासन अधिकारियों, पर्यटक पुलिस तथा पर्यटकों के साथ सीधा व्यवहार करने वाले अन्य कार्मिकों का प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण हैं। 'अतिथि देवो भव' में सुग्राहीकरण, स्क्रीनिंग, प्रेरणा, प्रशिक्षण एवं अभिमुखीकरण, प्रमाणीकरण तथा भारत में पर्यटन उद्योग के प्रमुख स्टेक धारकों की प्रतिपुष्टि शामिल हैं। लगभग 26300 स्टेक धारकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें टैक्सी चालक, पोर्टर, सुरक्षाकर्मी, आप्रवासन एवं सीमा शुल्क कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी शामिल हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, क्रमशः सी.बी.एस.पी. योजना के लिए 300 लाख रुपये और 'अतिथि देवो भव' अभियान के लिए 497 लाख रुपयों का बजट प्रावधान किया गया है।

नई वनरोपण नीति

2610. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वनरोपण को बढ़ावा देने के लिए नई नीति क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति किन राज्यों में क्रियान्वित की गई है तथा उन्हें इसके अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में ऐसी नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनारायन मीना) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने देश में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवक्रमित वन भूमियों और वन क्षेत्रों से जुड़ी भूमियों के पुनरुद्भव के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन.ए.पी.) शुरू किया है। स्थानीय लोगों की सहभागिता इस कार्यक्रम का एक अभिन्न घटक है। यह कार्यक्रम प्रादेशिक वन प्रभाग स्तर और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जे.एफ.एम.सी.) स्तर पर स्थापित वन विकास एजेंसी (एफ.डी.ए.) की द्विस्तरीय विकेंद्रीकृत मेकनिजम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

वन विकास एजेंसियों को जारी की गई राज्यवार निधियां

(करोड़ रुपये में)

1.	आंध्र प्रदेश	33.99
2.	छत्तीसगढ़	34.41
3.	गुजरात	16.15
4.	हरियाणा	35.03
5.	हिमाचल प्रदेश	20.1
6.	जम्मू और कश्मीर	17.76
7.	कर्नाटक	52.49
8.	मध्य प्रदेश	54.58
9.	महाराष्ट्र	31.42
10.	उड़ीसा	30.06

11.	पंजाब	2.24
12.	राजस्थान	14.89
13.	तमिलनाडु	37.18
14.	उत्तर प्रदेश	66.66
15.	उत्तरांचल	19.32
16.	गोवा	0.64
17.	झारखंड	17.87
18.	बिहार	4.31
19.	केरल	5.57
20.	पश्चिम बंगाल	13.84
	कुल (अन्य राज्य)	508.51
21.	अरुणाचल प्रदेश	9.41
22.	असम	13.66
23.	मणिपुर	12.96
24.	नागालैंड	22.75
25.	सिक्किम	14.19
26.	त्रिपुरा	11.42
27.	मिजोरम	35.91
28.	मेघालय	2.45
	योग (उत्तर पूर्वी राज्य)	122.75
	कुल योग	631.26

[अनुवाद]

केंद्रीय आवंटन का उपयोग

2611. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के अंतर्गत लिए जाने वाले अनाज की मात्रा में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केंद्र द्वारा आवंटित अनाज का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खोले गए खुदरा बिक्री केंद्रों की राज्यवार संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लगभग सभी राज्यों में खाद्यान्नों के उठान में पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है। वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के उठान के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान तथा तीनों श्रेणियों अर्थात गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर और अंत्योदय अन्न योजना की प्रत्येक श्रेणी के अधीन प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए खाद्यान्नों के उपयोग का प्रतिशत संलग्न विवरण II से IV में दिया गया है।

(घ) 2003–04 के दौरान बढ़ाई गई खुदरा दुकानों की संख्या संलग्न विवरण–V में दी गई है।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2001–02 से 2003–04 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उठान		
		2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1735.40	2026.101	2084.179
2.	अरुणाचल प्रदेश	51.32	78.972	95.628
3.	असम	573.65	1050.328	1084.048
4.	बिहार	487.68	775.754	1015.091
5.	छत्तीसगढ़	267.82	92.402	679.514

1	2	3	4	5
6.	दिल्ली	114.25	287	524.951
7.	गोवा	9.83	15.354	14.33
8.	गुजरात	504.90	538.917	570.69
9.	हरियाणा	94.00	268.677	373.217
10.	हिमाचल प्रदेश	166.08	195.968	279.265
11.	जम्मू–कश्मीर	345.21	498.084	558.245
12.	झारखंड	298.32	339.475	448.195
13.	कर्नाटक	1330.33	1834.684	2084.413
14.	केरल	552.54	597.623	694.716
15.	मध्य प्रदेश	762.93	1266.548	1397.86
16.	महाराष्ट्र	1400.59	1768.241	2000.008
17.	मणिपुर	26.20	59.07	73.5
18.	मेघालय	56.94	84.376	101.082
19.	मिजोरम	47.14	75.388	79.723
20.	नागालैंड	48.42	77.277	118.611
21.	उड़ीसा	587.51	606.564	991.086
22.	पंजाब	54.01	113.929	153.076
23.	राजस्थान	672.77	932.6[illegible]5	900.812
24.	सिक्किम	19.09	26.169	31.438
25.	तमिलनाडु	1065.51	1625.557	2322.977
26.	त्रिपुरा	86.26	146.637	155.181
27.	उत्तर प्रदेश	1404.37	3079.394	2939.313
28.	उत्तरांचल	0.00	121.378	194.875
29.	पश्चिम बंगाल	768.47	1435.586	1911.909
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16.99	22.806	21.127
31.	चंडीगढ़	0.42	2.388	1.518
32.	दादरा और नगर हवेली	4.72	4.997	4.773
33.	दमन व दीव	0.42	0.648	1.136
34.	लक्षद्वीप	3.00	2.65	2.85
35.	पांडिचेरी	9.85	14.6	21.629
	जोड़	13566.92	20066.192	23930.946

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2001–2002 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				% उठान			
		गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1470.96	1591.68	186.84	3249.48	972.35	571.53	191.52	1735.40	66.10	35.91	102.51	53.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.02	76.68	1.13	104.84	26.72	23.86	0.74	51.32	98.88	31.12	65.26	48.95
3.	असम	515.06	434.88	28.15	978.09	429.83	115.31	28.52	573.65	83.45	26.51	101.29	58.65
4.	बिहार	1820.87	174.34	150.00	214.21	378.11	1.01	108.55	487.68	20.77	0.58	72.37	22.73
5.	छत्तीसगढ़	693.35	101.11	86.22	580.68	187.94	2.00	77.88	267.82	47.78	1.98	90.33	46.12
6.	दिल्ली	114.17	576.84	2.40	693.41	86.76	26.30	1.20	114.25	76.00	4.56	49.79	16.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	गोवा	9.85	63.12	0.98	73.95	3.54	5.56	0.73	9.83	35.93	8.81	74.97	13.29
8.	गुजरात	869.54	570.00	61.75	1501.29	444.18	3.97	56.75	404.90	51.08	0.70	91.89	33.63
9.	हरियाणा	182.54	8.64	27.35	218.53	71.35	0.00	22.66	94.00	39.09	0.00	82.85	43.02
10.	हिमाचल प्रदेश	248.24	101.16	23.62	373.01	133.73	9.26	23.09	166.08	53.87	9.15	97.78	44.52
11.	जम्मू–कश्मीर	151.76	238.44	25.41	415.61	162.51	175.44	7.27	345.21	107.08	73.58	28.60	83.06
12.	झारखंड	567.49	63.26	91.63	722.39	229.06	6.47	62.79	298.32	40.36	10.23	68.53	41.30
13.	कर्नाटक	807.72	555.00	84.11	1446.83	798.87	45.66	80.80	1330.33	98.90	81.20	96.06	91.95
14.	केरल	374.96	1828.08	71.46	2274.50	371.49	119.54	61.51	552.54	99.08	6.54	86.07	24.29
15.	मध्य प्रदेश	985.98	174.89	189.72	1350.59	582.27	7.10	173.56	762.93	59.05	4.06	91.48	56.49
16.	महाराष्ट्र	2096.21	765.12	267.86	3129.19	1162.91	3.31	234.37	1400.59	55.48	0.43	87.50	44.76
17.	मणिपुर	35.14	54.84	1.91	91.89	25.46	0.00	0.74	26.20	72.45	0.00	38.66	28.51
18.	मेघालय	44.24	126.36	3.52	174.12	43.28	10.85	2.81	56.94	97.83	8.58	80.00	32.70
19.	मिजोरम	16.46	93.84	3.16	113.46	16.17	27.82	3.16	47.14	98.22	29.64	100.00	41.55
20.	नागालैंड	30.12	122.04	2.84	155.00	30.12	15.46	2.84	48.42	100.00	12.67	100.00	31.24
21.	उड़ीसा	907.05	44.64	88.47	1040.15	488.65	11.58	87.28	587.51	53.87	25.95	98.66	56.48
22.	पंजाब	114.36	21.48	19.72	155.57	45.94	0.00	8.07	54.01	40.17	0.00	40.92	34.72
23.	राजस्थान	916.27	401.52	111.78	1429.57	559.37	10.62	102.78	672.77	61.05	2.64	91.95	47.06
24.	सिक्किम	11.21	36.84	1.18	49.22	11.37	6.57	1.15	19.09	101.48	17.84	97.45	38.78
25.	तमिलनाडु	1350.42	461.28	35.48	1847.18	1040.75	0.00	24.76	1065.51	77.07	0.00	69.80	57.68
26.	त्रिपुरा	62.72	124.80	7.92	195.44	61.12	18.36	6.79	86.26	97.44	14.71	85.71	44.14
27.	उत्तर प्रदेश	2339.79	377.30	260.79	2977.88	1149.20	8.75	246.43	1404.37	49.12	2.32	94.49	47.16
28.	उत्तरांचल	109.72	23.14	11.45	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	1254.37	905.16	109.93	2269.46	523.26	188.30	56.91	768.47	41.71	20.80	51.77	33.86
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5.45	36.36	0.82	42.63	4.44	12.12	0.43	16.99	81.38	33.33	52.43	39.84
31.	चंडीगढ़	5.68	13.68	0.32	19.68	0.11	0.00	0.32	0.42	1.85	0.00	100.00	2.15
32.	दादरा और नगर हवेली	3.76	2.76	0.84	7.36	2.96	0.98	0.78	4.72	78.79	35.33	92.38	64.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	दमन व दीव	0.97	1.80	0.18	2.95	0.08	0.23	0.11	0.42	7.84	13.00	63.33	14.38
34.	लक्षद्वीप	0.04	7.06	0.04	7.14	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	42.49	0.00	41.99
35.	पांडिचेरी	22.70	3.72	1.13	27.55	8.50	0.44	0.92	9.85	37.45	11.69	81.51	35.77
	जोड़	17866.19	10181.86	1960.08	30008.12	10052.37	1836.37	1678.19	13566.92	56.26	18.04	85.62	45.21

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2002–2003 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				% उठान			
		गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1444.8	2286.74	261.576	3973.116	1441.322	350.133	234.646	2026.101	99.759	15.447	89.705	51.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.148	73.701	6.348	115.197	32.103	41.161	5.708	78.972	91.337	55.849	89.918	68.55
3.	असम	682.284	958.115	118.236	1758.635	529.474	415.923	104.931	1050.328	77.603	43.411	88.747	59.72
4.	बिहार	2244.184	2291.52	420	4955.704	438.328	3.517	333.090	775.754	19.532	0.153	79.502	15.65
5.	छत्तीसगढ़	579.672	1045.8	120.708	1746.18	82.816	4.932	4.654	92.402	14.287	0.472	3.856	5.29
6.	दिल्ली	158.34	1102.917	13.44	1274.697	130.366	145.04	11.594	287	82.333	13.151	86.265	22.52
7.	गोवा	12.888	119.802	3.072	135.762	6.456	6.644	2.254	15.353	50.093	5.546	73.372	11.31
8.	गुजरात	762.713	2858.433	136.5	3757.646	393.747	29.631	115.539	538.917	51.625	1.037	84.644	14.34
9.	हरियाणा	260.892	1148.838	46.968	1456.698	182.229	43.549	42.899	268.677	69.848	3.791	91.337	18.44
10.	हिमाचल प्रदेश	170.873	359.325	33.06	563.257	141.479	21.856	32.633	195.968	82.798	6.083	98.708	34.79
11.	जम्मू–कश्मीर	228.077	425.04	47.424	700.541	209.119	256.733	32.232	498.084	91.688	60.402	67.966	71.10
12.	झारखंड	814.692	216.3	153.936	1184.928	226.117	3.657	109.701	339.475	27.755	1.691	71.264	28.65
13.	कर्नाटक	1113.903	2070.6	200.373	3384.876	1095.286	559.455	179.943	1834.684	98.329	27.019	89.804	54.20
14.	केरल	552.564	1808.94	100.044	2461.548	323.623	174.472	99.528	597.623	58.568	9.645	99.484	24.26
15.	मध्य प्रदेश	1274.292	2765.469	265.608	4305.369	985.419	29.508	251.621	1266.548	77.331	1.067	94.734	29.42
16.	महाराष्ट्र	2323.584	5013.615	420.72	7757.919	1383.894	20.66	363.687	1768.241	59.559	0.412	86.444	22.79
17.	मणिपुर	43.884	47.46	10.716	102.06	38.314	9.793	10.963	59.07	87.307	20.834	102.305	57.88
18.	मेघालय	65.052	44.058	11.808	120.918	60.788	12.712	10.86	84.376	93.445	28.853	92.107	69.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	मिजोरम	24.264	48.114	4.416	76.794	24.263	46.709	4.416	75.388	99.996	97.060	100.00	98.17
20.	नागालैंड	44.136	73.503	7.944	125.583	45.264	24.06	7.953	77.227	102.556	32.733	100.113	61.53
21.	उड़ीसा	1484.376	1285.098	212.316	2981.79	362.044	62.823	181.697	606.564	24.390	4.889	85.579	20.34
22.	पंजाब	166.416	1632.975	30.12	1829.511	88.179	10.539	15.211	113.929	52.987	0.645	50.501	6.23
23.	राजस्थान	804.048	3002.592	156.492	3963.132	636.493	147.013	149.144	932.65	79.161	4.896	95.305	23.53
24.	सिक्किम	15.42	39.204	2.82	57.444	15.062	8.229	2.878	26.169	97.678	20.990	102.057	45.56
25.	तमिलनाडु	1751.881	3841.95	290.495	5884.326	1316.734	21.27	287.553	1625.557	75.161	0.554	98.987	27.63
26.	त्रिपुरा	104.904	181.674	18.996	305.574	100.562	27.23	18.845	146.637	95.861	14.988	99.205	47.99
27.	उत्तर प्रदेश	3688.477	7840.76	685.418	12214.655	2366.408	17.179	695.807	3079.394	64.157	0.219	101.516	25.21
28.	उत्तरांचल	161.814	431.919	32.052	625.785	96.214	5.92	19.244	121.378	59.460	1.371	80.040	19.40
29.	पश्चिम बंगाल	1702.752	4246.77	307.788	6257.31	953.272	278.739	203.575	1435.588	55.984	6.584	66.141	22.94
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7.44	36.36	1.8	45.6	3	19.806	–	22.806	40.323	54.472	0.000	50.01
31.	चंडीगढ़	8.748	79.212	0.888	88.848	1.44	0.06	0.888	2.388	16.461	0.076	100.000	2.69
32.	दादरा और नगर हवेली	5.544	7.14	1.176	13.86	2.829	1.308	0.86	4.997	51.028	18.319	73.129	36.05
33.	दमन व दीव	1.428	10.005	0.252	11.685	0.34	0.127	0.181	0.648	23.810	1.269	71.825	5.55
34.	लक्षद्वीप	0.372	5.195	0.168	5.735	–	2.65	–	2.65	0.000	51.011	0.00	46.21
35.	पांडिचेरी	31.262	50.853	3.85	85.965	10.75	0.707	3.143	14.6	34.387	1.390	81.636	16.98
	जोड़	22.771.123	47429.997	4,127.528	74328.647	13723.734	2803.745	3538.713	20066.192	60.268	5.911	85.734	26.997

विवरण-IV

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2003–2004 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				% उठान			
		गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1368.43	2266.74	337.946	3973.116	1319.231	434.289	330.659	2084.179	96.405	19.159	97.844	52.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.148	64.206	6.348	105.702	33.897	55.5	6.231	95.628	96.441	86.441	98.157	90.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	682.284	735.14	118.236	1535.66	628.166	343.616	112.266	1084.048	92.068	46.742	94.951	70.59
4.	बिहार	2219.184	2291.52	420	4930.704	627.119	7.1	380.872	1015.091	28.259	0.310	90.684	20.59
5.	छत्तीसगढ़	566.226	1045.8	155.967	1767.993	509.173	23.2	147.141	69.514	89.924	2.218	94.341	38.43
6.	दिल्ली	158.34	996.516	13.44	1168.296	165.223	346.739	12.989	524.951	104.347	34.795	96.644	44.93
7.	गोवा	12.888	118.296	3.072	134.256	6.959	4.963	2.408	14.33	53.996	4.195	78.385	10.67
8.	गुजरात	753.948	2787.564	136.5	3678.012	473.951	41.453	55.286	570.69	62.863	1.487	40.503	15.52
9.	हरियाणा	274.004	1014.204	47.664	1335.872	228.889	98.524	45.804	373.217	83.535	9.714	96.098	27.94
10.	हिमाचल प्रदेश	195.872	348.9	33.06	577.832	177.198	68.968	33.099	279.265	90.466	19.767	100.118	48.33
11.	जम्मू व कश्मीर	261.66	443.94	47.424	753.024	253.097	257.78	47.368	558.245	96.727	58.066	99.882	74.13
12.	झारखंड	839.268	216.3	153.936	1209.504	297.369	11.285	139.541	448.195	35.432	5.217	90.649	37.06
13.	कर्नाटक	1095.996	2070.6	218.28	3384.876	1048.154	839.788	196.471	2084.413	95.635	40.558	90.009	61.58
14.	केरल	534.551	1808.94	118.057	2461.548	440.186	137.125	117.405	694.716	82.347	7.580	99.448	28.22
15.	मध्य प्रदेश	1225.343	2535.372	330.605	4091.32	1049.194	30.369	318.297	1397.86	85.625	1.198	96.277	34.17
16.	महाराष्ट्र	2293.204	4700.88	451.1	7445.184	1580.159	28.524	391.325	2000.008	68.906	0.607	86.749	26.86
17.	मणिपुर	43.884	47.46	10.716	102.06	44.356	18.05	11.094	73.5	101.076	38.032	103.527	72.02
18.	मेघालय	65.052	45.024	11.808	121.884	69.503	18.992	12.567	101.062	106.842	42.182	106.428	82.92
19.	मिजोरम	23.19	54.564	5.49	83.244	23.727	51.043	4.953	79.723	102.316	93.547	90.219	95.77
20.	नागालैंड	42.12	86.688	9.96	138.768	43.228	66.079	9.304	118.611	102.631	76.226	93.414	85.47
21.	उड़ीसा	1484.376	1155.564	212.316	2852.256	632.892	148.92	209.274	991.086	42.637	12.887	98.587	34.75
22.	पंजाब	166.416	1473.24	30.12	1669.776	120.195	16.057	16.824	153.076	72.226	1.090	55.857	9.17
23.	राजस्थान	757.509	2763.756	181.852	3703.117	619.442	111.073	107.297	900.812	81.774	4.019	93.646	24.33
24.	सिक्किम	14.636	25.812	3.604	44.052	14.676	13.272	3.49	31.438	100.273	51.418	96.837	71.37
25.	तमिलनाडु	1742.352	3787.98	300.024	5830.356	1782.975	228.641	311.361	2322.977	102.332	6.036	103.779	39.84
26.	त्रिपुरा	104.904	179.232	18.996	303.132	102.15	34.109	18.922	155.181	97.375	19.031	99.610	51.19
27.	उत्तर प्रदेश	3654.295	6494.46	830.885	1099.64	2121.809	10.669	806.835	2939.313	58.063	0.164	97.105	26.77
28.	उत्तरांचल	177.12	333.552	32.052	542.724	148.288	19.412	27.175	194.875	83.722	5.820	84.784	35.91
29.	पश्चिम बंगाल	1702.752	4089.18	307.788	6099.72	1215.756	477.595	218.558	1911.909	71.399	11.679	71.009	31.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7.434	36.36	1.806	45.6	4.67	14.151	2.306	21.127	62.819	38.919	127.685	46.33
31.	चंडीगढ़	8.748	75.516	0.888	85.152	0.785	–	0.733	1.518	8.973	0.000	82.545	1.78
32.	दादरा और नगर हवेली	5.54	7.14	1.176	13.86	3.044	0.899	0.83	4.773	54.906	12.591	70.578	34.44
33.	दमन व दीव	1.428	9.42	0.252	11.1	0.792	0.195	0.149	1.136	55.462	2.070	59.127	10.23
34.	लक्षद्वीप	0.372	3.708	0.168	4.248	–	2.85	–	2.85	0.000	76.861	0.000	67.09
35.	पांडिचेरी	30.736	13.2	4.376	48.312	17.667	0.549	3.413	21.629	57.480	4.159	77.994	44.77
	जोड़	22.549.214	44126.774	4555.912	71231.9	15803.92	3961.779	4165.247	23930.946	70.086	8.978	91.425	33.596

विवरण-V

वर्षवार उचित दर दुकानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.03 की स्थिति के अनुसार	7.4.04 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	40688	40688
2.	अरुणाचल प्रदेश	1284	1284
3.	असम	33229	33229
4.	बिहार	41818	41818
5.	छत्तीसगढ़	7839	7869
6.	दिल्ली	3172	3121
7.	गोवा	529	528
8.	गुजरात	14176	14284
9.	हरियाणा	7193	7228
10.	हिमाचल प्रदेश	3995	4043
11.	जम्मू–कश्मीर	3926	3927
12.	झारखंड	14395	14395
13.	कर्नाटक	20373	20575
14.	केरल	14173	14135
15.	मध्य प्रदेश	18688	18688
16.	महाराष्ट्र	49638	49921
17.	मणिपुर	2551	2551
18.	मेघालय	4297	4297
19.	मिजोरम	1011	1011
20.	नागालैंड	353	290
21.	उड़ीसा	23579	23579
22.	पंजाब	14050	13874
23.	राजस्थान	19923	20391
24.	सिक्किम	1071	1071
25.	तमिलनाडु	27995	27995
26.	त्रिपुरा	1432	1432
27.	उत्तर प्रदेश	74788	74788
28.	उत्तरांचल	7332	7332
29.	पश्चिम बंगाल	7332	7332
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	437	483

1	2	3	4
31.	चंडीगढ़	61	56
32.	दादरा और नगर हवेली	78	78
33.	दमन व दीव	38	51
34.	लक्षद्वीप	35	35
35.	पांडिचेरी	409	408
	जोड़	475034	475896

[हिन्दी]

वन संसाधनों का सदुपयोग

2612. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में औषधीय उद्देश्यों, खाद्य अनुपूरकों, भेषजों, कॉस्मेटिक सुगंधों के लिए पौधों की अत्यधिक मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की भागीदारी कितनी है;

(घ) क्या सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ाने की कोई कार्य योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीणा) : (क) जी, हां।

(ख) संबंधित मद के संबंध में निर्यात आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इसका पता लगाया जाना कठिन है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने आयुर्वेद तथा चिकित्सा की अन्य भारतीय विधियों में प्रयोग की जाने वाली औषधियों के निर्माण के लिए औषधीय पौधों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड ने इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उन्नयनकारी तथा वाणिज्यिक स्कीमें क्रियान्वित की हैं। फलों, सब्जियों, फूलों, लघु वन उत्पाद तथा उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार के उत्पादों के निर्यातकों को प्रोत्साहन देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सामान्य निर्यात उन्नयन उपायों के अलावा उक्त वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'विशेष कृषि उपज योजना' नामक एक स्कीम शुरू की गई है।

विवरण

संबंधित शीर्ष के तहत वस्तुओं के निर्यात की स्थिति

(लाख रु. में)

एच.एस.कोड	वस्तु	2003–2004	2004–2005 (अप्रैल–जून)
1	2	3	4
6011000	बल्ब, ट्यूबर्स, ट्यूबेर्स रुटस, कोर्मस, क्राउन एंड रिज्मोस, डोरमेंट	128	28
6012021	शिकोरी प्लांट्स	57	20
6012022	शिकोरी रुट्स	2	–
6012090	अन्य ब्लब, ट्यूबेर, ट्यूबेर्स रुट आदि	53	7
6021000	जीवित पौधों की उखाड़ी न गई कटिंग्स तथा स्लिप्स	38	34
6029020	फूलदार पौधे (एक्सल गुलाब तथा रोडोन्डरन)	56	12
6029030	टिश्यू कल्चर के लिए पौधे	1,759	321
6029090	अन्य जीवित पौध	221	161

1	2	3	4
12111000	लिक्रोराइस रुट्स क्रस/ड्रिप डब्ल्यू/एन क्रशड/पी.डब्ल्यू.डी.आर.डी	11	11
30034009	एम.डी.सी.एम.एन.टी.एस. कांट, ए.एल.के.एल.डी.एस/टी.एच.आर.डी.आर.पी.टी.एस.बट नॉट/ हार्मस/एच.डी.एन.जी. सं. 29.37/ए.एन.टी.बी.टी. के अन्य उत्पाद	33	8
300390	अन्य मेडिकेन्ट (एक्सल हैडिंग 3002, 3005, 3006) थेरापियुटिक परोफालेक्टिक प्रयोग के लिए, खुदरा बिक्री के लिए नहीं	50,077	17,739
30039011	आयुर्वेदिक पद्धति के लिए मेडिकेमेंट	10,032	7,118
30039012	यूनानी पद्धति के लिए मेडिकेमेंट	53	26
30039013	सिद्धा पद्धति के मेडिकेमेंट	8	19
30039014	होम्योपैथिक पद्धति के लिए मेडिकेमेंट	312	22
30039015	बायो–केमिक पद्धति के लिए मेडिकेमेंट	401	10
30039021	मेंथॉल क्रिस्टल	2,482	830
300490	खुदरा बिक्री के लिए अन्य दवाइयां	424,625	107,064
30049011	आयुर्वेदिक पद्धति के लिए मेडिकेमेंट	9,243	2,009
30049012	यूनानी पद्धति के लिए मेडिकेमेंट	155	8
30049013	सिद्धा पद्धति के लिए मेडिकेमेंट	35	0
30049014	होम्योपैथिक औषधि	718	15
30049015	बायो–केमिक पद्धति के मेडिकेमेंट	430	92

[अनुवाद]

नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने की योजना

2613. श्री जोवाकिम बखला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न राज्यों में नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोई पृथक योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2004–2005 के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को धनराशि प्रदान की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार का नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई अलग स्कीम तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कपास, पटसन, गन्ना, तिलहन, मसाले आदि जैसी विभिन्न नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं :

1. कपास प्रौद्योगिकी मिशन।
2. तिलहन, दलहन, ऑयल पाम तथा मक्का की केंद्रीय प्रायोजित समेकित स्कीम (आईसोपाम)।
3. अक्तूबर, 2000 से वृहत कृषि प्रबंधन विधि (मोड) के तहत कार्यान्वित की जा रही स्कीमें :

(i) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम,

(ii) गन्ना आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों का सतत विकास (सुबाक्स),

(iii) वानस्पतिक बीजों का उत्पादन तथा आपूर्ति,

(iv) वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास,

(v) औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास,

(vi) कंद एवं मूल फसलों का विकास,

(vii) कोको और काजू का विकास,

(viii) समेकित मसाला विकास कार्यक्रम।

इन स्कीमों के अंतर्गत प्रदर्शनों तथा किसानों और विस्तार कर्मियों आदि के प्रशिक्षण के माध्यम से बीजों, कृषि उपकरणों, सूक्ष्म सिंचाई, कीट नियंत्रण उपायों, फसल उत्पादन एवं पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी के अंतरण जैसे विभिन्न आदानों के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है।

सरकार ने सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाकर बागवानी विकास के सभी पहलुओं नामतः अनुसंधान, उत्पादन एवं उत्पादकता, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन के समग्रतावादी रूप से डीलिंग के लिए एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू करने की घोषणा की है।

भेषज उद्योग के विकास के लिए योजना

2614. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भेषज उद्योग के तीव्र विकास और उसके उन्नयन के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न 'बल्क ड्रग्स' के मूल्यों को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) सरकार ने भेषज नीति, 2002 फरवरी, 2002 में, अन्य बातों के साथ–साथ भेषज सेक्टर में व्यापार बाधाओं को दूर करने तथा भेषज उद्योग के लिए एक प्रोत्साहक ढांचे के सृजन, जो भेषज उद्योग में नए निवेशों को बढ़ावा दे और नई प्रौद्योगिकियों एवं नए औषधों को प्रोत्साहित करे, के द्वारा लागत प्रभावी उच्च गुणवत्ता उत्पादन की स्वदेशी क्षमता और भेषजों के निर्यात के सशक्तिकरण के उद्देश्यों के साथ घोषित की।

(ग) और (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार इसकी पहली अनुसूची में शामिल औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्यों को निर्धारित/संशोधित करती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

बिहार की चीनी मिलों को राहत प्रदान करना

2615. श्री कैलाश बैठा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की चीनी मिलों को राहत के रूप में प्रदान की गई 19 करोड़ रुपये की धनराशि संवितरित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन चीनी मिलों को उक्त राशि प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो किन–किन मदों में उक्त धनराशि को समायोजित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गिल्पीजाइड का मूल्य

2616. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में फेरबदल और आदानों की मात्रा के कारण गिल्पीजाइड और डेस्ट्रोप्रोक्सीफीन और उनके सॉल्ट के मूल्यों में वृद्धि कर दी गई है;

(ख) क्या डी.पी.सी.ओ. 1995 के अंतर्गत निर्धारित इन उत्पादों के प्रमुख नुस्खों की बिक्री को शामिल करने हेतु यह मूल्यवृद्धि की गई है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज ओषध और उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और

उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा डी.पी.सी. ओ., 1995 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। प्रपुंज औषध गिलपीजाइड और डेक्सट्रोप्रोपोक्सीफेन एच.सी.एल. की कीमतें एन.पी.पी.ए. द्वारा इनपुट कच्चे माल और यूटिलिटीज की लागत, परिवर्तन लागत और विनिर्माताओं द्वारा विधिवत सत्यापित अन्य संबद्ध खर्च को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों की कीमत का निर्धारण/संशोधन एक सतत प्रक्रिया है।

मत्स्यन संबंधी नीतियां

2617. डा. के. एस. मनोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्यन और गहरे समुद्र में मत्स्यन संबंधी नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मुरारी समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकार्यता और कार्यान्वयन के संबंध में सिफारिशों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस समय कितने ट्रॉलर कार्यरत हैं;

(ङ) इनके लाइसेंस की अवधि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार नए लाइसेंस देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) चार्टर, संयुक्त उद्यम, पट्टा तथा परीक्षण मत्स्यन संबंधी पहले की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीतियां 1996 में रद्द कर दी गई हैं। भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जैड.) में गहरे समुद्र में मत्स्यन सहित समुद्री मात्स्यिकी के विकास के सभी मामलों को देखने के लिए नवंबर, 2004 में एक व्यापक समुद्री मत्स्यन नीति की घोषणा की गई है।

(ख) और (ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति की समीक्षा करने के लिए मार्च, 1995 में श्री पी. मुरारी की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1996 में सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। इन सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की गई थी तथा नवंबर, 1996 में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन से मुरारी समिति की अधिकांश सिफारिशों को आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया था। मुरारी समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति की आवधिक रूप से 3–5 वर्षों में समीक्षा की जाए। तद्नुसार, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति की समीक्षा करने के लिए उप महानिदेशक (मात्स्यिकी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिसंबर, 1999 में एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था। इस विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आने तक तथा निर्यात–आयात नीति 2000–01 के तहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले कुछ जलयानों के आयात के परिदृश्य को देखते हुए, सरकार द्वारा कार्यकारी आदेश के जरिए भारतीय ई.ई.जैड. में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के संचालन के लिए 1 नवंबर, 2002 को दिशानिर्देश घोषित करके अनंतिम उपाय किए थे। आयात, खरीद तथा भारतीय ई.ई.जैड. में पुराने जलयानों के संचालन के लिए आवेदनों पर विचार किया गया था और अब तक 25 भारतीय कंपनियों को आस्थगित भुगतान के तहत 95 जलयान खरीदने की अनुमति दी गई है। दिनांक 1.11.2002 के दिशानिर्देशों को 6.9.2004 को संशोधित किया गया है।

(घ) इस समय, भारतीय ई.ई.जैड. में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले लगभग 87 जलयान संचालन में हैं। इनमें से 60 जलयान झींगा ट्रॉलर हैं जो मुख्य रूप से पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम से संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा, 27 जलयानों को तटरक्षक मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार मौजूद दिशानिर्देशों के तहत ई.ई.जैड. में संचालन की अनुमति दी गई है।

(ङ) से (छ) भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, इन जलयानों द्वारा शर्तों के उल्लंघन पर अनुमति पत्र को रद्द किया जा सकता है। सरकार द्वारा भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिए नए अनुमति पत्र प्रदान करने के मुद्दों पर विचार करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

कर्मचारी पेंशन योजना के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.)

2618. मो. मुकीम : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी पेंशन योजना को संभालने वाला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपनी कर्मचारी पेंशन योजना में 552 करोड़ रुपये की कमी का सामना कर रहा है, जैसा कि दिनांक 2 दिसंबर, 2004 के 'इकॉनोमिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ पेंशन सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित होती है जो पे–एज–यू–गो प्रणाली के आधार पर एक परिभाषित लाभ योजना स्वरूप की है। इससे पड़ने वाले दायित्वों को पूरा करने के लिए अलग से एक पेंशन–सह–ग्रेच्युटी निधि खाता है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि का केंद्रीय न्यासी बोर्ड प्रत्येक वर्ष कुल परिलब्धियों के 12.4 प्रतिशत की दर से प्रशासनिक खाते से निधि को अंतरित करता है। यह योजना पूर्ण रूप से वित्तपोषित नहीं है क्योंकि इसके दायित्व के कुछ भाग को प्रशासनिक खाते से पूरा किया जाता है। इस योजना का एक बीमांकिक मूल्यांकन कराया गया था। बीमांकक ने सिफारिश की थी कि इस योजना का पे–एज–यू–गो प्रणाली से पूर्णतः वित्तपोषित स्कीम में परिवर्तित करने के लिए प्रारंभिक अंशदान के रूप में 552.08 करोड़ रुपये राशि अपेक्षित है।

मच्छरदानियां

2619. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को यह जानकारी है कि तमिलनाडु का करूर जिला देश में मच्छरदानी निर्माण का मुख्य केंद्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मच्छरदानियों का विभिन्न देशों में निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस उद्योग से जुड़े लोगों को क्या प्रोत्साहन दिये गये/दिये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में रसायन अनुसंधान संस्थान की स्थापना

2620. श्री चिक्कमभाई अर्जनभाई भाडम : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में रसायन अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रसायनों के लिए भारत में कहीं भी एक नया अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अवैध उत्खनन

2621. श्री रघुनाथ झा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में और राजस्थान में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध उत्खनन और उससे इन क्षेत्रों के विरासत स्थलों को खतरा और पारिस्थितिकीय संतुलन के बिगड़ने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो ब्रज क्षेत्र में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चल रही सिंचाई परियोजनाएं

2622. श्री तथागत सत्पथी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में चल रही सिंचाई परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई है और उनकी मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) इस वित्त वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) 1.4.2004 की स्थिति के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना में 169 वृहद एवं 219 मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं हैं। निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार विस्तृत स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी, निष्पादन एवं वित्तपोषण राज्य

सरकार द्वारा उनके अपने संसाधनों से तथा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। चूंकि सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में मुख्य बाधा का कारण राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधन हैं इसलिए वर्ष 1996–97 के दौरान केंद्र सरकार ने अनुमोदित निर्माणाधीन वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हैं और जो पूरा होने की अन्तिम अवस्था में हैं, को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय ऋण सहायता (सीएलए) मुहैया कराने के उद्देश्य से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) प्रारंभ किया। ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सी.एल.ए. प्रदान करने के लिए वर्ष 2004–05 के दौरान 3050 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है और एआईबीपी के अंतर्गत 64 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 15 मार्च, 2005 तक अनुदान के रूप में 59.57 करोड़ रुपये सहित 1250.52 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत आने वाली इन परियोजनाओं को 10वीं/11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

विवरण

(राशि रुपये करोड़ में) (क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्माणाधीन परियोजनाएं			नवीनतम अनुमानित लागत	मार्च 2004 तक संभावित व्यय	1.4.2004 को शेष लागत (प्रत्याशित)	चरम क्षमता	मार्च 2004 तक संभावित सृजित क्षमता	1.4.2004 को शेष क्षमता (प्रत्याशित)
		वृहद	मध्यम	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	15	9	24	18075.03	9496.03	8579	2353.48	1647.4	706.08
2.	असम	5	5	10	1840.88	496.13	1344.75	268.17	131.22	136.95
3.	बिहार	9	3	12	4624.82	2320.66	2304.16	811.19	131.88	679.33
4.	छत्तीसगढ़	3	5	8	1932.33	1582.3	350.03	744.62	586.39	158.23
5.	गोवा	1	0	1	966.56	501.61	464.95	26.89	13.21	13.68
6.	गुजरात	3	18	21	31961.79	17255.66	14706.13	1908	269.48	1638.52
7.	हरियाणा	4	0	4	962.13	770.82	191.31	254	168	86
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	3	288.57	93.02	195.55	33.15	1.11	32.04
9.	जम्मू–कश्मीर	0	7	7	226.3	143.07	83.23	34.55	10.34	24.21
10.	झारखंड	5	19	24	5747.99	1844.81	3903.18	513.57	11.46	502.11
11.	कर्नाटक	16	18	34	20538.85	12976.67	7562.18	1872.72	1068.03	-804.69
12.	केरल	4	4	8	2608.8	1520.25	1088.55	220.73	86.09	134.64
13.	मध्य प्रदेश	16	5	21	17996.63	6149.63	11847	1827.61	203.15	1624.46
14.	महाराष्ट्र	56	95	151	39695.56	18807.73	20887.83	3703.24	1382.44	2320.8
15.	मणिपुर	2	1	3	702.32	434.74	267.58	55.94	4	51.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	मेघालय	0	1	1	57.07	22.59	34.48	5.15	0	5.15
17.	उड़ीसा	10	10	20	7178.52	3553.9	3624.62	793.78	291.92	501.86
18.	पंजाब	1	0	1	1324.18	128.09	1196.09	0	0	0
19.	राजस्थान	4	4	8	6863.95	4497.23	2366.72	1217.35	818.69	398.66
20.	तमिलनाडु	0	2	2	105.36	86.12	19.24	7.19	0.	7.19
21.	त्रिपुरा	0	3	3	178	137.61	40.39	26.72	3.3	23.42
22.	उत्तरांचल	3	0	3	5334.11	253.08	5081.03	311.6	21	290.6
23.	उत्तर प्रदेश	9	0	9	7534.32	4247.39	3286.93	2152.27	711.99	1440.28
24.	पश्चिम बंगाल	2	8	10	2728.42	1038.95	1689.47	660.58	139.79	520.79
	कुल	169	219	388	179472.49	88358.09	91114.4	19802.5	7700.87	12101.63

पेंशन निधि का निवेश

2623. श्री महबूब जाहेदी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक पृथक पेंशन निधि नियंत्रण और विकास प्राधिकरण बनाया है और एक अध्यादेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अध्यादेश में श्रमिकों के हितों की उपेक्षा की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार पेंशन परियोजना के निजीकरण का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार पेंशन निधि को किन–किन क्षेत्रों में निवेश करने का है; और

(ङ) श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) से (ङ) 29 दिसंबर को प्रख्यापित पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2004, सरकार को पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) नामक सांविधिक नियामक गठित करने में समर्थ बनाता है ताकि पेंशन क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास का संवर्धन और सुनिश्चय किया जा सके एवं पेंशन निधियों, केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी तथा अन्य मध्यस्थों पर पर्याप्त शक्तियों के साथ अंशदाताओं के हितों की रक्षा की जा सके। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। सरकार का प्रतिस्पर्धी आपरेटरों, जिसमें निजी आपरेटर शामिल हैं, के लिए पेंशन निधि को खोलने का प्रस्ताव है, जिसे पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण पेंशन निधि के निवेश संबंधी दिशा–निर्देश तैयार करेगा। निधियों की सुरक्षा हेतु कानूनी ढांचे में अनेक उपायों का प्रावधान किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, विनियामक उपबंध का पालन न करने के लिए 25 करोड़ रुपये तक की शास्तियों और/अथवा 10 वर्ष तक का कारावास शामिल है।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नीति

2624. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हस्तक्षेप रोकने तथा किसानों और कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए सरकार की नीति क्या है; और

(ख) ठेका कृषि और कृषि उपज की सीधे खरीद और कृषि वस्तुओं के भावी व्यापार का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एयर इंडिया लिमिटेड की
'ग्राउंड केटेगरीज यूनियन्स'

2625. श्री अशोक अर्गल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2004 के अप्रैल माह के दौरान एयर इंडिया लिमिटेड की 'ग्राउंड केटेगरीज यूनियन्स' में गुप्त मतदान कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तब से दो बार चुनाव स्थगित करा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चुनाव प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या एयर इंडिया के प्रबंधन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए मौजूदा यूनियन्स के बीच बराबरी के दर्जे से संबंधित निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों को कार्यान्वित किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्योंकि एयर इंडिया का प्रबंधन मतदाता सूचियों को निर्धारित समय सीमा अर्थात् 17.9.2004 तक अंतिम रूप नहीं दे सका, चुनाव अधिकारी ने गुप्त मतपत्र द्वारा किए जाने वाले मतदान को स्थगित कर दिया था। तदन्तर, मतदान के लिए निर्धारित दिनांक 22.11.2004 को मतदान अधिकारी द्वारा स्थगित कर दिया गया था क्योंकि एयर इंडिया के प्रबंधन ने चुनाव अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से तैयार मतदान सूचियों की एक वरिष्ठ अधिकारी से समीक्षा करवाने का अनुरोध किया था।

(घ) इस अवस्था में यह बता पाना संभव नहीं है कि निर्वाचन प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। यह एयर इंडिया के प्रबंधन और व्यवसाय संघों के सहयोग पर निर्भर होगी।

(ङ) जी, हां।

(च) उपर्युक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि

2626. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पैसीफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन (पी.ए.टी.ए.) द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2003–2007 के दौरान भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या में 13.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्यटकों हेतु बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु वर्ष 2005–2006 के दौरान राज्य सरकारों के लिए धनराशि स्वीकृत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन (पाटा) ने 2004–06 के अवधि के लिए पर्यटन संबंधी अपना पूर्वानुमान जारी किया है जिसके अनुसार वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के लिए भारत में पर्यटन आगमन में क्रमशः 3.52 प्रतिशत, 4.17 प्रतिशत तथा 4.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है।

(ख) और (ग) पर्यटकों के लिए अवसंरचना में सुधार करने की दृष्टि से पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की है। पिछले तीन वर्षों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे वर्ष 2005–06 के लिए अपने परियोजना प्रस्ताव 30 अप्रैल, 2005 तक भेज दें, जिन पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए विचार उनकी गुणवत्ता, परस्पर प्राथमिकता तथा धनराशि की उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा।

विवरण

दसवीं योजना (31.12.2004 तक) के दौरान स्वीकृत की गई राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000–03			2003–04			2004–05 (31.12.2004 तक)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	507.50	195.00	6	946.50	896.44	11	2750.81	2191.92
2.	असम	9	768.13	618.85	3	313.46	313.06	6	955.88	742.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	41.30	32.50	6	1044.60	700.00	6	1285.70	905.52
4.	बिहार	8	505.00	505.00	6	1019.42	913.89	7	1901.23	1527.65
5.	छत्तीसगढ़	9	308.00	98.50	6	1005.00	364.00	4	1086.26	869.01
6.	गोवा	1	0.50	0.50	2	36.76	34.76	2	10.00	8.00
7.	गुजरात	2	197.12	59.13	8	920.51	815.82	2	138.93	111.14
8.	हरियाणा	8	332.25	311.00	16	1215.38	879.23	5	678.55	501.64
9.	हिमाचल प्रदेश	30	779.32	760.38	4	183.32	85.00	5	2620.00	1736.00
10.	जम्मू–कश्मीर	3	94.38	89.47	5	895.00	895.00	2	805.00	644.00
11.	झारखंड	0	0	0	2	1109.00	774.60	1	474.97	379.97
12.	कर्नाटक	6	902.49	625.49	14	932.66	792.51	8	2432.76	1914.37
13.	केरल	11	861.36	829.86	6	608.50	764.15	5	2148.63	1718.88
14.	मध्य प्रदेश	18	711.18	574.79	10	621.90	394.51	8	1285.46	783.03
15.	महाराष्ट्र	8	623.46	546.25	10	931.83	914.58	6	1576.38	1260.10
16.	मणिपुर	2	5.24	2.62	1	82.44	24.73	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	3	70.35	21.20	2	40.22	24.92	2	969.30	807.91
18.	मिजोरम	6	141.16	48.46	5	587.70	186.75	3	1081.28	927.09
19.	नागालैंड	5	360.50	323.43	4	711.00	220.80	5	2165.69	1731.40
20.	उड़ीसा	2	47.50	15.75	5	419.55	138.50	5	1316.48	999.69
21.	पंजाब	3	23.00	14.60	2	96.00	12.30	4	846.41	561.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	राजस्थान	13	108.70	1098.20	14	1644.81	1414.25	2	39.31	31.45
23.	सिक्किम	13	346.24	269.76	6	1151.09	681.49	6	1005.81	805.13
24.	तमिलनाडु	6	559.00	316.10	14	1339.82	850.53	6	876.92	702.72
25.	त्रिपुरा	5	216.13	67.78	6	450.17	135.16	0	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	5	216.13	67.78	6	450.17	135.16	0	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	3	295.00	295.00	7	1115.80	916.28	7	1037.43	825.19
28.	पश्चिम बंगाल	5	201.10	60.00	10	717.44	384.34	5	480.04	384.03
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	3	7.75	6.63	2	10.00	8	1	457.00	365.60
31.	दादरा और नगर हवेली	2	8.07	6.48	0	0	0	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	14	504.00	449.02	17	3316.28	3222.13	1	500.00	400.00
33.	दमन एवं दीव	3	49.50	16.90	1	265.07	238.56	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	2	7.87	6.30	1	245.17	73.55	2	451.00	360.00
	कुल	212	11121.10	8880.93	207	24185.84	18073.76	130	32784.16	25320.26

किसानों की ऋणग्रस्तता

2627. श्री पी. मोहन :
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आदान सघन 'हरित क्रान्ति' से उत्पादन की लागत बढ़ी है जिसके परिणामस्वरूप किसान ऋणग्रस्त हुए हैं तथा वे ऋण को चुकाने के लिए अपनी कृषि भूमि को बेचकर मजदूरों के रूप में नगरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार किसानों को ऋण प्रदान करके उनके हितों की रक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) आदान सघन हरित क्रान्ति से केवल लागत में ही नहीं अपितु उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, जिससे यूनिट लागत अर्थात् प्रति क्विंटल उत्पादन लागत में कमी आई है। इस प्रकार 'हरित क्रांति' को ऋणग्रस्तता और नगरों की ओर पलायन जैसी संबंधित समस्याओं के लिए एक कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(ख) और (ग) दिनांक 18.6.2004 को वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा ऋण की पुनर्संरचना की जानी है। उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

किसानों की ऋणग्रस्तता

- विपदाग्रस्त किसान—संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आपदा प्रभावित घोषित जिलों में 31 मार्च, 2004 की स्थिति के

अनुसार किसानों के ऋणों का पुनर्निर्धारण/पुनर्संरचन किया जाएगा। 31 मार्च, 2004 तक ऐसे ऋणी के खाते में बकाया ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ दिया जाएगा और समग्र धनराशि 2 वर्षों के प्रारंभिक ऋण स्थगन के साथ ब्याज की वर्तमान दरों पर पांच वर्ष की अवधि में वापस की जाएगी।

- बकायेदार किसान–चूक की स्थिति में वे किसान, जो पहले के ऋण को अवमानक अथवा संदेहास्पद के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कारण नए ऋण के लिए अयोग्य हो गए हैं, के ऋणों को नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार पुनर्निर्धारित किया जाएगा ताकि ऐसे किसान नए ऋण के पात्र हो जाएं।

- छोटे और सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान–छोटे और सीमांत किसान, जिन्हें चूककर्त्ता घोषित कर दिया गया है और जो उधारदान संस्थाओं से नए ऋण के लिए अयोग्य हो गए हैं, के लिए एकबारगी निपटान करने के लिए बैंकों और सहकारी समितियों का लचीलापन बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। बैंक और सहकारी समितियों के प्रबंधन को उन मामलों की समीक्षा करने की सलाह दी जाएगी जहां ऋण केवल इस आधार पर मना कर दिया गया है कि ऋण खाता समझौता अथवा बट्टे खाते में डालकर निपटाया गया था।

- देश के कुछ भागों में किसान गैर–संस्थागत ऋणदाताओं (अर्थात साहूकारों) के ऋण के भारी बोझ के कारण गंभीर विपत्ति का सामना करते हैं। बैंकों को उपयुक्त ऋणधार अथवा सामूहिक सुरक्षा के बदले ऋणग्रस्तता से उन्हें राहत देने के लिए ऐसे किसानों को ऋण देने की अनुमति दी गई है। 31 जनवरी, 2005 तक बैंकों द्वारा दी गई राहत का ब्यौरा निम्नलिखित है :

विपत्ति/बकाया में किसानों के लिए ऋण की पुनः संरचना

(करोड़ रुपये में)

एजेंसी	विपदाग्रस्त किसान खाते की संख्या	धनराशि	बाकीदार किसान खाते की संख्या	धनराशि	एकबारगी विपणन खाते की संख्या	धनराशि
वाणिज्यिक बैंक	988187	2,696.30	211727	682.77	91206	220.35
सहकारी समितियां		2332.65		621.03		149.82
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		1007.61		133.17		105.44
कुल		6036.56		1436.97		475.61

*वाणिज्यिक बैंकों ने साहूकारों जैसे अनौपचारिक स्रोतों से ऋणग्रस्त 10306 किसानों को ऋण दिया है ताकि उन्हें ऋण से मुक्ति मिल सके तथा 31 जनवरी, 2005 तक 33.00 करोड़ रुपये दिए हैं।

क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट

2628. श्री गिरिधारी यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रों द्वारा हरियाली कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर विषैले उत्सर्जन को कम करने के लिए हाल ही में क्योटो प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो कौन–कौन से देशों ने इसकी मंजूरी दी है;

(ग) क्या अपने देश में वृक्षों को लगाने में असमर्थ कुछ देश 'कार्बन क्रेडिट' प्रदान करके तृतीय देशों में यह कार्य कर सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हमारे देश में कार्बन क्रेडिट के आने को मंजूरी दे दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी, हां।

(ख) क्योटो प्रोटोकाल का अनुसमर्थन/स्वीकृत करने वाले देशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकाल

के पक्षकार विकसित देश विकासशील देशों में वनीकरण एवं पुनरुद्धार की परियोजनाओं का कार्य कर सकते हैं और उससे कार्बन क्रेडिट पा सकते हैं।

(ङ) परियोजना भागीदार द्वारा उत्पन्न प्रमाणित उत्सर्जन कमी को क्योटो प्रोटोकाल के विकासशील देश से परियोजना भागीदारों को बेचा जा सकता है।

(च) राष्ट्रीय स्वच्छ विकास तंत्र प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई स्वच्छ विकास तंत्र परियोजना की उत्सर्जन अतिरिक्तता और सतत विकास की दृष्टि से जांच की जाती है और यदि इसे उपयुक्त पाया जाता है तो इसे मेजबान देश द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। परियोजना प्रस्ताव तब इसके बाद नामित प्रचालक समूह को नियुक्त करेगा जो जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा अधिकार प्राप्त हैं। यह नामित प्रचालक समूह परियोजनाओं को वैधता प्रदान करता है और पंजीकरण के लिए इसे स्वच्छ विकास तंत्र कार्यकारी बोर्ड को प्रस्तुत करता है। परियोजना के एक बार शुरू हो जाने पर यू.एन.एफ.सी.सी.सी. द्वारा अधिकार प्राप्त दूसरा नामित दल प्राप्त की गई उत्सर्जन कमी की जांच करके प्रमाणित करेगा और परियोजना भागीदारों को प्रमाणित उत्सर्जन कमी जारी करने के लिए कार्यकारी बोर्ड से सिफारिश करेगा।

विवरण

क्योटो प्रोटोकाल अनुसमर्थन की स्थिति

क्र.सं.	देश	हस्ताक्षर	अनुसमर्थन, स्वीकृति, पहुंच, अनुमोदन
1	2	3	4
1.	अल्जीरिया		16.02.05 (अनुमोदन)
2.	एंटीगुआ और बारबुदा	16.03.98	03.11.98 (अनुसमर्थन)
3.	अर्जेंटीना	16.03.98	28.09.01 (अनुसमर्थन)
4.	अरमेनिया	—	25.04.03 (अनुमोदन)
5.	आस्ट्रेलिया*	29.04.98	
6.	आस्ट्रिया*	29.04.98	31.05.02 (अनुसमर्थन
7.	अजर्बेजान	—	28.09.00 (अनुमोदन)
8.	बाहमास	—	09.04.99 (अनुमोदन)
9.	बंगलादेश	—	22.10.01 (अनुमोदन)
10.	बारबदोस	—	07.08.00 (अनुमोदन)
11.	बेल्जियम*	29.04.08	31.05.02 (अनुसमर्थन)
12.	बेलीजी	—	25.02.02 (अनुमोदन)
13.	बेनिन	—	25.02.02 (अनुमोदन)
14.	भूटान	—	26.08.02 (अनुमोदन)
15.	बोलिविया	09.07.98	30.11.99 (अनुसमर्थन)
16.	बोत्सवाना	—	08.08.03 (अनुमोदन)
17.	ब्राजील	29.04.98	23.08.02 (अनुसमर्थन)
18.	बुल्गारिया	18.09.98	15.08.02 (अनुसमर्थन)
19.	बुरुंडी	—	18.10.01 (अनुसमर्थन)
20.	कंबोडिया	—	22.08.02 (अनुमोदन)
21.	केमरोन	—	28.08.02 (अनुमोदन)
22.	कनाडा*	29.04.098	17.12.02 (अनुसमर्थन)
23.	चिली	17.06.98	26.08.02 (अनुसमर्थन)
24.	चीन	29.05.98	30.08.02 (पहुंच)
25.	कोलंबिया	—	30.11.01 अनुमोदन
26.	कोक द्वीप	16.09.98	27.08.01 अनुसमर्थन
27.	कोस्टारिका	27.04.98	09.08.02 (अनुसमर्थन)
28.	क्रोटिया*	11.03.99	
29.	क्यूबा	15.03.99	30.04.02 (अनुसमर्थन)
30.	साइप्रस	—	16.07.99 (अनुमोदन)
31.	चेक गणराज्य	23.11.98	15.11.01 (पहुंच)
32.	डेनमार्क*	29.04.98	31.05.02 (अनुसमर्थन)
33.	डिजीबुटी	—	12.03.02 (अनुमोदन)
34.	डोमीनिका	—	25.01.05 (अनुमोदन)
35.	डेमीनिकन गणराज्य	—	12.02.02 (अनुमोदन)
36.	इक्युडोर	15.01.99	13.01.00 (अनुसमर्थन)
37.	इजिप्ट	15.03.99	12.01.05 (अनुसमर्थन)

1	2	3	4
38.	एलसालवदोर	08.06.98	30.11.98 (अनुसमर्थन)
39.	इक्वीटोरियल गुयनिया	—	16.08.00 (अनुमोदन)
40.	इस्टोनिया*	03.12.98	14.10.02 (अनुसमर्थन)
41.	यूरोपियन समुदाय*	29.04.98	31.05.02 (पहुंच)
42.	फिजी	17.09.98	17.09.98 (अनुसमर्थन)
43.	फिन्लैंड*	29.04.98	31.05.02 (अनुसमर्थन)
44.	फ्रांस*	29.04.98	31.05.02 (पहुंच)
45.	गाम्बिया	—	01.06.01 (अनुमोदन)
46.	जोर्जिया	—	16.06.99 (अनुमोदन)
47.	जर्मनी*	29.04.98	31.05.02 (अनुसमर्थन)
48.	घाना	—	30.05.03 (अनुमोदन)
49.	ग्रीक*	29.04.98	31.05.02 (अनुसमर्थन)
50.	ग्रेंडा	—	06.08.02 (अनुमोदन)
51.	ग्वाटेमाला	10.07.98	05.10.99 (अनुसमर्थन)
52.	गुनिया	—	07.09.00 (अनुमोदन)
53.	गुयाना	—	05.08.03 (अनुमोदन)
54.	होन्डुरस	25.02.99	19.07.00 (अनुसमर्थन)
55.	हंगरी*	—	21.08.02 (अनुमोदन)
56.	आइसलैंड*	—	23.05.02 (अनुमोदन)
57.	भारत	—	26.08.02 (अनुमोदन)
58.	इंडोनेशिया	13.07.98	03.12.04 (अनुसमर्थन)
59.	आयरलैंड*	29.04.98	31.05.02 (अनुसमर्थन)
60.	इजराइल	16.12.98	15.03.04 (अनुसमर्थन)
61.	इटली*	29.04.98	31.05.02 (अनुसमर्थन)
62.	जमायका	—	28.06.99 (अनुमोदन)
63.	जापान*	28.04.98	04.06.02 (स्वीकृत)
64.	जोर्डन	—	17.01.03 (अनुमोदन)
65.	कजाकिस्तान	12.03.99	
66.	केन्या		25.02.05 (अनुमोदन)
67.	किरीबाती	—	07.09.00 (अनुमोदन)
68.	क्यारिगस्तान	—	13.05.03 (अनुमोदन)
69.	लाओ प्रजातांत्रिक गणराज्य	—	06.02.03 (अनुमोदन)
70.	लतावियां*	14.12.98	05.07.02 (अनुसमर्थन)
71.	लिसोथो	—	06.09.00 (अनुमोदन)
72.	लिबेरिया	—	05.11.02 (अनुमोदन)
73.	लाइचेन्टेसटाइन	29.06.98	03.12.04 (अनुसमर्थन)
74.	लिथुनिया*	21.09.98	03.01.03 (अनुसमर्थन)
75.	लक्सम्बर्ग*	29.04.98	31.05.02 (अनुसमर्थन)
76.	मैडागास्कर	—	24.09.03 (अनुमोदन)
77.	मालवी	—	26.10.01 (अनुमोदन)
78.	मलेशिया	12.03.99	04.09.02 (अनुसमर्थन)
79.	मालदीव	16.03.98	30.12.98 (अनुसमर्थन)
80.	माली	27.01.99	28.03.02 (अनुसमर्थन)
81.	माल्टा	17.04.98	11.11.01 (अनुसमर्थन)
82.	मार्शल द्वीप	17.03.98	11.08.03 (अनुसमर्थन)
83.	मारीटियस	—	09.05.01 (अनुमोदन)
84.	मैक्सिको	09.06.98	07.09.00 (अनुसमर्थन)
85.	माइक्रोनेशिया (फेडरेटिड स्टेट आफ)	17.03.98	21.06.99 (अनुसमर्थन)
86.	मोनेको*	29.04.98	
87.	मंगोलिया	—	15.12.99 (अनुमोदन)
88.	मोरोक्को	—	25.01.05 (अनुमोदन)
89.	मोजाम्बीक्यु	—	18.01.05 (अनुमोदन)
90.	म्यांमार	—	13.08.03 (अनुमोदन)

1	2	3	4
91.	नांबिया	—	04.09.03 (अनुमोदन)
92.	नुरू	—	16.08.01 (अनुसमर्थन)
93.	नीदरलैंड*	29.04.98	31.05.02 (स्वीकृत)
94.	न्यूजीलैंड*	22.05.98	12.12.02 (अनुसमर्थन)
95.	निकारागुआ	07.07.98	18.11.99 (अनुमसर्थन)
96.	नाइजीर	23.10.98	30.09.04 (अनुसमर्थन)
97.	नाइजीरिया	—	10.12.04 (अनुमोदन)
98.	नियु	08.12.98	06.05.99 (अनुसमर्थन)
99.	नार्वे*	29.04.98	30.05.02 (अनुसमर्थन)
100.	ओमन	—	19.01.05 (अनुमोदन)
101.	पाकिस्तान	—	11.01.05 (अनुमोदन)
102.	पलायु	—	10.12.99 (अनुमोदन)
103.	पनामा	08.06.98	05.03.99 (अनुमोदन)
104.	पापुआ न्यू गुइन	02.03.99	28.03.02 (अनुमोदन)
105.	पारागुआ	25.08.98	27.8.99 (अनुमोदन)
106.	पीरू	13.11.98	12.09.02 (अनुमोदन)
107.	फिलिपाइन	15.04.98	20.11.03 (अनुमोदन)
108.	पौलैंड*	15.07.98	13.12.02 (अनुसमर्थन)
109.	पुर्तगाल*	29.04.98	31.05.02 (पहुंच)
110.	कतार	—	11.01.05 (अनुमोदन)
111.	कोरिया गणराज्य	25.09.98	08.11.02 (अनुसमर्थन)
112.	मोलडोवा गणराज्य	—	22.04.03 (अनुमोदन)
113.	रोमानिया*	05.01.99	19.03.01 (अनुसमर्थन)
114.	रूसी फेडरेशन	11.03.99	18.11.04 (अनुसमर्थन)
115.	रवांडा	—	22.07.04 (अनुमोदन)
116.	सेंटलुसीया	16.03.98	20.08.03 (अनुसमर्थन)
117.	सेंट विसेंट एंड द ग्रीनाडाइन	19.03.98	331.12.04 (अनुसमर्थन)
118.	समोया	16.03.98	27.11.00 (अनुसमर्थन)
119.	सऊदी अरब	—	31.01.05 (अनुमोदन)
120.	सेनेगल	—	20.07.01 (अनुमोदन)
121.	सियाचैलिस	20.03.98	22.07.02 (अनुसमर्थन)
122.	स्लोवाकिया*	21.10.98	02.08.02 (अनुसमर्थन)
123.	स्लोवीनिया*	21.10.98	02.08.02 (अनुसमर्थन)
124.	सोलोमोन द्वीप	29.09.98	13.03.03 (अनुसमर्थन)
125.	दक्षिण अफ्रीका	—	31.07.02 (अनुमोदन)
126.	स्पेन*	29.04.98	31.05.02 (अनुसमर्थन)
127.	श्रीलंका	—	03.09.02 (अनुमोदन)
128.	सूडान	—	02.11.04 (अनुमोदन)
129.	स्वीडन*	29.04.98	31.05.02 (अनुसमर्थन)
130.	स्विट्जरलैंड	16.03.98	09.07.03 (अनुसमर्थन)
131.	थाईलैण्ड	02.02.99	28.08.02 (अनुसमर्थन)
132.	पूर्व युगोस्लाव मैकीडोनिया गणराज्य	—	18.11.04 (अनुमोदन)
133.	टोगो	—	02.07.04 (अनुमोदन)
134.	त्रिनीदाद और टोबेगो	07.01.99	28.01.99 (अनुसमर्थन)
135.	टुनिसिया	—	22.01.03 (अनुमोदन)
136.	तुर्कमेनिस्तान	28.09.98	11.01.99 (अनुसमर्थन)
137.	तुवालु	16.11.98	16.11.98 (अनुसमर्थन)
138.	युगांडा	—	25.03.02 (अनुमोदन)
139.	उक्रेन*	15.03.99	12.04.04 (अनुसमर्थन)
140.	संयुक्त अरब अमीरात	—	26.01.05 (अनुमोदन)
141.	यूनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड	29.04.98	31.05.02 (अनुसमर्थन)
142.	तंजानिया गणराज्य	—	26.08.02 (अनुमोदन)

1	2	3	4
143.	संयुक्त राष्ट्र अमरीका	12.11.98	
144.	उरुगुया	29.07.98	05.02.01 (अनुसमर्थन)
145.	उज्बेकिस्तान	20.11.98	12.10.99 (अनुसमर्थन)
146.	वनातु	—	17.07.01 (अनुमोदन)
147.	वेनेजुएला		18.02.05 (अनुमोदन)
148.	वियतनाम	03.12.98	25.09.02 (अनुसमर्थन)
149.	यमन	—	15.09.04 (अनुमोदन)
150.	जांबिया	05.08.98	
	कुल	84	144

*जलवायु परिवर्तन पर युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन की एक एनेक्स I पार्टी का सदस्य।

रॉयल्टी का निर्धारण

2629. श्री निखिल कुमार : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टी.आर.आई.पी.एस. (ट्रिप्स) समझौते के अंतर्गत देश में पेटेंट वाले भेषज घटकों/दवाइयों का उत्पादन करने वाली औषधीय इकाइयों को रॉयल्टी का निर्धारित प्रतिशत प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

आजीविका सुरक्षा परियोजना

2630. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा गुजरात में भूकंप से प्रभावित ग्रामीण परिवारों हेतु आजीविका सुरक्षा परियोजना में सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सहायता का मानदंड क्या है;

(घ) इससे अभी तक कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं; और

(ङ) उक्त सहायता की निबंधन और शर्तें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) इस मामले में सूचना गृह मंत्रालय जो नोडल मंत्रालय है से एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में खाद्यान्न वितरण में अनियमितताएं

2631. श्री शिशुपाल एन. पाटले : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004–05 के दौरान महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया गया;

(ख) क्या महाराष्ट्र में, विशेषकर गोंडिया और कंडारा जिलों में खाद्यान्न के वितरण में अनियमितताओं का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कोई आदेश जारी किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) राज्य में अप्रैल, 2004 से दिसम्बर, 2004 की अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 16,89,593 टन खाद्यान्न वितरित किए गए।

(ख) राज्य के गोंदिया और भांडारा जिलों में खाद्यान्नों के वितरण में अनियमितताएं देखी गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार द्वारा गोंदिया और भांडारा जिलों में निम्नलिखित कार्रवाई की गई है–

कार्रवाई	गोंदिया	भांडारा
उचित दर दुकान लाइसेंस निरस्त किए गए	11	27
उचित दर दुकान लाइसेंस निलंबित किए गए	21	21
जमानत की राशि जब्त की गई	91	61
जुर्माना किया गया	67	0
अपराध दर्ज कराए गए	0	8
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	0	81

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) महाराष्ट्र राज्य में खाद्यान्नों के वितरण में अनियमितताओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में दरिंगबाड़ी का विकास

2632. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दरिंगबाड़ी का पूर्ण रूप से हिल स्टेशन के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव मंजूरी हेतु केंद्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तटीय राज्यों में समुद्र से कटाव

2633. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल की सुनामी लहरों द्वारा हुई क्षति के मद्देनजर देश के विभिन्न तटवर्ती राज्यों के खनन क्षेत्रों में समुद्र से कटाव के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा समुद्र से कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को कितना अनुदान स्वीकृत/जारी किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) जल संसाधन मंत्रालय ने विभिन्न तटवर्ती राज्यों के खनन क्षेत्र में समुद्र से कटाव के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कराया है।

शो-रेल्पा ग्लेशियर में जल का बढ़ना

2634. डा. राजेश मिश्रा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शो–रोल्पा ग्लेशियर के जल स्तर में धीरे–धीरे हो रही वृद्धि से भारत और उसके पड़ोसी देशों को खतरा उत्पन्न हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। शो–रोल्पा ग्लेशियर झील में आस–पास के हिम के पिघलने से जल स्तर में धीरे–धीरे बढ़ोत्तरी हुई है। यह पिछले 40 वर्षों में लगभग छः गुणा वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक ऊष्मीकरण के फलस्वरूप झील के ऊपर स्थित ट्रेटकार्डिंग ग्लेशियर के पीछे की ओर हटने के कारण जल–स्तर में वृद्धि हुई है। यह झील नेपाल में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है।

(ग) आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण (एनआरएसए) हिमालय क्षेत्र में स्थित ग्लेशियरों में किसी संभावित दरार के लिए विभिन्न वृहद ग्लेशियर झीलों की निरन्तर निगरानी करता रहा है। एनआरएसए भारतीय दूर संवेदी आंकड़ों का प्रयोग करते हुए शो–रोल्पा ग्लेशियर के संबंध में भी गहन निगरानी रखेगा।

[अनुवाद]

बाल श्रम

2635. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने वाले वर्तमान कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2003–2004 में कानूनों का उल्लंघन करके बाल श्रमिकों से कार्य लेने वाले नियोजकों के विरुद्ध राज्यवार कितने मामले शुरू किये गये हैं;

(घ) क्या कर्नाटक के देवनागरे में मुरमुरा कारखानों में कानूनों का उल्लंघन कर बाल श्रमिकों को लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। सभी राज्य बाल श्रम प्रतिषेधकारी श्रम कानूनों का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची के भाग क तथा ख में यथोल्लिखित 70 जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रमों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध किया गया है (धारा 3)। अधिनियम में शामिल जोखिमकारी प्रक्रमों में मुरमुरा निर्माता कारखानों में प्रायः 20 से कम श्रमिक नियोजित रहते हैं। अतः, वे कारखाना अधिनियम, 1948 के दायरे में भी नहीं आते।

विवरण

मौजूदा कानूनों का उल्लंघन का बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध 2003–04 के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (सं.रा.क्षे.) का नाम	मौजूदा कानूनों का उल्लंघन कर, बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोक्ताओं के लिए शुरू किए गए मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4870
2.	अंडमान और निकोबार सं.रा.क्षे.	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	24
4.	असम	4*
5.	बिहार	354*
6.	चंडीगढ़ सं.रा.क्षे.	0*
7.	छत्तीसगढ़	104*
8.	दादरा और नगर हवेली सं.रा.क्षे.	0*
9.	दमन और दीव सं.रा.क्षे.	0
10.	दिल्ली सं.रा.क्षे.	66
11.	गोवा	0
12.	गुजरात	29
13.	हरियाणा	38
14.	हिमाचल प्रदेश	1
15.	जम्मू–कश्मीर	17
16.	झारखंड	76
17.	कर्नाटक	1814
18.	केरल	0
19.	लक्षद्वीप सं.रा.क्षे.	0
20.	मध्य प्रदेश	28
21.	महाराष्ट्र	0*
22.	मणिपुर	0*
23.	मेघालय	0*
24.	मिजोरम	0*
25.	नागालैंड	0*
26.	उड़ीसा	3
27.	पांडिचेरी सं.रा.क्षे.	0
28.	पंजाब	35
29.	राजस्थान	0
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	385
32.	त्रिपुरा	0

1	2	3
33.	उत्तर प्रदेश	399
34.	उत्तरांचल	3*
35.	पश्चिम बंगाल	0
	कुल	8246

*दर्शाए गए आंकड़े 2002-03 के हैं क्योंकि इन राज्यों से 2003-04 के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

सुपारी बोर्ड की स्थापना

2636. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :
श्री पी. करूणाकरन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुपारी बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) सरकार क पास सुपारी बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जीवन-रक्षक औषधियों के मूल्य

2637. श्री ए. वी. वेल्लारमिन :
श्री एम. शिवन्ना :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हैमोफेलिया के मरीजों को दी जाने वाली फैक्टर के जैसी कतिपय जीवन-रक्षक औषधियों के मूल्य हाल में तेजी से बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ही ऐसी जीवन-रक्षक औषधियों का उत्पादन करने और उन्हें वहनीय मूल्यों पर बेचने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) 'फैक्टर के' औषध जिसका उपयोग हीमोफिलिया के रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है, उसकी अधिक मूल्यवृद्धि के बारे में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों यथा हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा दवाइयों का उत्पादन किया जा रहा है ताकि उन्हे वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सके।

कर्मचारी भविष्य निधि से अप्रतिदेय अग्रिम

2638. श्री डी. विट्टल राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुनामी से विध्वंस हुए क्षेत्रों में भविष्य निधि खातों के अंशदाताओं को 5000 रुपये की अप्रतिदेय अग्रिम धनराशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किया गया है; और

(ग) अब तक इस योजना का लाभ उठाने वाले अंशदाताओं का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 68ठ में पहले ही व्यवस्था की गई है कि बाढ़, भूकम्प आदि जैसी आपवादिक प्राकृतिक आपदा के कारण चल या अचल सम्पत्ति के नुकसान जैसी असामान्य परिस्थितियों में बतौर अप्रतिदेय अग्रिम 5000/- रुपये या सदस्य के अपने अंशदान के 50 प्रतिशत के बराबर की राशि, जो भी कम हो, दी जाएगी।

(ग) पैरा 68ठ के अन्तर्गत अंशदाताओं के निपटाए गए दावों का ब्यौरा निम्नवत् है :

क्षेत्र	निपटाए गए दावों की संख्या
केरल	12
पश्चिम बंगाल	1658
तमिलनाडु	49

[हिन्दी]

रिहन्द बांध

2639. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री मुन्नी राम :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्रीमती अनुराधा चौधरी :
श्री मो. ताहिर :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाद के कारण उत्तर प्रदेश में रिहन्द बांध के जलद्वार अवरुद्ध हो गए हैं और बांध के चैक वाल में दरार आ गई है जिससे पानी का रिसाव हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बांध की सुरक्षा हेतु क्या एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध के स्लूइस गाद जमा होने के कारण अवरुद्ध हो गए हैं। बांध में कुछ दरारें पाई गई हैं जिनके लिए उनसे होने वाले रिसाव को रोकने के लिए दरारों को सुधारने के वास्ते तथा बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने उपयुक्त उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

कपास हेतु समर्थन मूल्य

2640. श्री अर्जुन सेठी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय कपास निगम के अतिरिक्त कपास समर्थन मूल्य की घोषणा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ को एक एजेन्सी घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) मूल्य समर्थन स्कीम के अधीन कपास की खरीद के लिए भारतीय कपास निगम के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, लि. को एक एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है। नैफेड किसानों के हित में कपास की शीघ्र खरीद के लिए सहकारी समितियों के नेटवर्क का उपयोग करेगा जिसके लिए नैफेड को सेवा प्रभार का भुगतान किया जायेगा जैसा कि तिलहन और दलहन के मामले में किया जाता है।

[हिन्दी]

वर्तमान कृषि फसल बीमा योजना में संशोधन

2641. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान कृषि फसल बीमा योजना में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) भारत सरकार ने विद्यमान फसल बीमा स्कीमों में अपेक्षित सुधारों के अध्ययन के लिए एक संयुक्त ग्रुप गठित किया थां ग्रुप ने संबंधित मुद्दों का गहराई से अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट 21.12.2004 को प्रस्तुत कर दी। इस ग्रुप ने अनेक सिफारिशें की हैं। मुख्य सिफारिशें 80% तथा 90% के अधिक क्षतिपूर्ति स्तर, पूर्व–बुआई/पौध रोपण जोखिमों तथा फसल कटाई पश्चात होने वाली हानियों की कवरेज की सिफारिश करते हुए, न्यूनतम उपज की गणना के आधार पर सुधार करके मुख्य फसलों के लिए बीमा के यूनिट क्षेत्र को ग्राम पंचायत तक लाने के संबंध में हैं ताकि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर तथा पैकेज बीमा पॉलिसी आदि मुहैया कराए जा सकें।

सरकार संयुक्त ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा स्कीम (एनएआईएस) को संशोधित करने के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों से परामर्श कर रही है।

[अनुवाद]

ई.पी.एफ. योजना को पी.पी.एफ. योजना के साथ जोड़ना

2642. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जब ई.पी.एफ. की ब्याज दर की घोषणा में विलमब हो तो ऐसे समय अंशदाताओं के दावे का पी. पी.एफ. की ब्याज दर पर निपटान हेतु कर्मचारी भविष्य निधि योजना को लोक भविष्य निधि योजना से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधान के लाभ

2643. श्री महेश कनोडीया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि अनुसंधान के लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि अनुसंधान के लाभ निम्नलिखित तंत्रों के जरिए किसानों तक पहुंचाए जाते हैं :

(i) सभी राज्य सरकारों द्वारा स्थायी सार्वजनिक विस्तार प्रणाली चलाई जाती है। राज्य कृषि विभाग के विस्तार कार्यकर्ता जिन्हें राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा सहायता दी जाती है, किसानों तक फार्म प्रौद्योगिकीयां अंतरित करने की व्यवस्था करते हैं।

(ii) भारत सरकार निम्नलिखित रूप में इस संबंध में राज्य के प्रयासों में सहायता देती है :

– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में 451 कृषि विज्ञान केंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया है। कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्यकलापों में शामिल हैं–विभिन्न कृषि प्रणालियों में प्रौद्योगिकियों की स्थान विशिष्टता की पहचान करने के लिए फार्म परीक्षण; किसानों के खेतों पर इसकी उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए फ्रंटलाइन प्रदर्शन; किसानों को उनके ज्ञान और दक्षता को अद्यतन बनाने के लिए प्रशिक्षण; विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण ताकि प्रौद्योगिकी विकास के फ्रंटियर क्षेत्रों में उन्हें अभिमुख किया जा सके।

– विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग कई कार्यक्रम/स्कीम/कार्यकलाप चला रहा है, जैसे कृषि विस्तार को मास मीडिया समर्थन, किसान काल सेंटर, एग्रीक्लिनिक और एग्री बिजनेस केंद्र स्थापित करना, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अधीन प्रौद्योगिकी प्रसार में नवाचार, ज्येष्ठ और मध्यम स्तर के विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण और कृषि में महिलाओं का हस्तक्षेप (जेंडर इंटरवेंशन)।

[अनुवाद]

बांधों का निर्माण

2644. श्री डी. वी. सदानन्द गौडा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और उडूपी जिलों में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों और धाराओं पर जल निर्गामी बांधों के निर्माण हेतु कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए राज्य सरकारें वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना प्रस्तावों को विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआरएस) के रूप में प्रस्तुत करती हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और उडूपी जिलों में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों और धाराओं पर जल निर्गामी बांधों के निर्माण हेतु कर्नाटक सरकार से ऐसी कोई डीपीआर तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए केंद्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत पर वन्यजीव व्यापार प्रतिबंध

2645. श्री असादुद्दीन ओवैसी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की वन्यजीव विश्वसनीयता पर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की अलग कानून संबंधी आवश्यकता विशेषकर वन्य जानवरों और पौधों की सुरक्षा से संबंधित कानून की आवश्यकता का अनुपालन न करने हेतु आलोचना की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड इन

इनडेन्जरड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एण्ड फौना संबंधी अभिसमय ने भारत पर व्यापार प्रतिबंध लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो इससे आयात और निर्यात के किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) लोकतांत्रिक व्यवस्था में, विधान बनाना एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अधिक समय लगता है। साईटिस–विशिष्ट विधान लागू करने में हुए विलंब के कारण, संधि के पक्षकरों को साईटिस सचिवालय द्वारा परामर्श दिया गया है कि वे भारत के साथ साईटिस में सूचीबद्ध प्रजातियों का वाणिज्यक व्यापार अस्थायी रूप से निलंबित रखें।

(ङ) और (च) भारत का वन्यजीव और इसके व्युतपन्नों में कोई उल्लेखनीय व्यापार नहीं है। सरकार द्वारा साईटिस सचिवालय को साईटिस–विशिष्ट विधानों को तैयार किए जाने और उन्हें संप्रेषित किए जाने की विस्तृत अनुसूची के बाद 14 मार्च, 2005 को व्यापार को निलंबित किए जाने के परामर्श को साईटिस द्वारा वापस ले लिया गया है।

एम.एस.पी. हेतु राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग

2646. श्री प्रहलाद जोशी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 और 2005–06 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग द्वारा जिन फसलों पर विचार किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) केंद्र सरकार द्वारा आगामी वर्ष 2005–06 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा सूची में शामिल करने हेतु प्रस्तावित फसलों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सरकार द्वारा 25 कृषि जिंसों, नामतः धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, गेहूं, जौ, चना, अरहर (तुर), मूंग, उड़द, मसूर (लेंटिल), गन्ना, कपास, मूंगफली (छिलका सहित), पटसन, तोरिया/सरसों, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, कुसुम, तोरिया, तम्बाकू (वी. एफ.सी.), कोपरा, तिल और रामतिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। गन्ने के मामले में समर्थन मूल्य सांविधिक न्यूनतम मूल्य है क्योंकि यह गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपखण्ड 3 के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है।

(ख) कर्नाटक सरकार ने यह राय व्यक्त की है कि सुपारी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च तथा गुड़ को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में गन्ने का उत्पादन

2647. श्री किरेन रिजीजू :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में वर्तमान में कुल कितने गन्ने का उत्पादन होता है;

(ख) सरकार द्वारा उत्तरांचल में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य राज्यों में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कार्य–योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में गन्ने का सामान्य उत्पादन (वर्ष 1998–99 से 2002–03 के दौरान उत्पादन के पांच वर्षों के आधार पर) क्रमशः 112.64 मिलियन टन तथा 7.41 मिलियन टन है।

(ख) जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गन्ना संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की सहायता के माध्यम से उत्तरांचल राज्य में गन्ने की समस्याओं का समाधान कर रहा है।

इसके अलावा, गन्ने का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उत्तरांचल में वृहत कृषि प्रबंधन के तहत गन्ना फसलन प्रणाली क्षेत्रों का सतत विकास (सुबाक्स) संबंधी एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ) गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गन्ने पर ए.आई.सी.आर.पी. के तहत नियमित और स्वैच्छिक अनुसंधान केंद्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से अनुसंधान

कार्यनीतियां कार्यान्वित की जा रही हैं। अधिदेश के अनुसार, देश के पांच कृषि–जलवायु अंचलों के अधीन वृद्धित उत्पादकता से वाणिज्यिक खेती के लिए अनुकूल फसल उत्पादन उन्नत गन्ना किस्मों, फसल उत्पादन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास पर जोर दिया जाता है। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, सुबाक्स (एस.यू.बी.ए. सी.एस.), जिसे वर्ष 1995–96 में शुरू किया गया था, को 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया गया था। तथापि, राज्य की प्राथमिकताओं और जरूरतों के आधार पर कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में राज्यों को और अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए अक्टूबर, 2000 से सुबाक्स स्कीम को अन्य 26 स्कीमों के साथ वृहत् कृषि प्रबंधन विधि में मिला दिया गया है। अधिकतर घटकों हेतु भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 90 : 10 के अंश के वहन करने के आधार पर राज्यों को निधियां आवंटित की जाती हैं।

स्कीम का मुख्य अभिबल फील्ड प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण, कृषि उपकरणों की आपूर्ति, बीज उत्पादन बढ़ाने तथा कीट उपायों आदि के माध्यम से किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकी अंतरण पर है।

केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान

2648. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री महावीर भगोरा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के अविकानगर में गत चार दशकों से केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान भेड़ और बकरी पालकों के लाभार्थ कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान द्वारा अब तक विकसित उन्नत प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भेड़ और बकरी के अलावा अन्य पशुओं के संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अनुसंधान कार्य की प्रकृति और परिणाम क्या हैं और अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ङ) पशुपालकों और किसानों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या उक्त संस्थान का विचार पक्षियों और पशुओं सहित अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

(ग) जी, हां। भेड़ और बकरी के अलावा मांस और अंगोरा ऊन के लिए खरगोशों पर अनुसंधान किया जा रहा है।

(घ) अध्ययनों ने प्रदर्शित किया है कि ऊन वाले खरगोश (अंगोरा) केवल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं, जबकि ब्रायलर खरगोशों (मांस/फर टाईप) को देश में विभिन्न कृषि–जलवायुवीय दशाओं के अन्तर्गत पाला जा सकता है। खरगोश उत्पादन के लिए प्रक्रियाओं का एक पैकेज (प्रबन्धन, आवास, पुनरुत्पादन, ऊन उपयोग और त्वचा प्रसंस्करण) विकसित किया गया है। खरगोशों के लिए स्थानीय रूप में उपलब्ध वृक्षों की पत्तियां तथा अनाज/कृषि उपोत्पादों का उपयोग करके गोलीनुमा आहार विकसित किया गया है।

(ङ) प्रशिक्षण देने और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए भेड़ और खरगोश पालकों, ऊन दस्तकारों और विकास अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(च) और (छ) अन्य पशुओं और कुक्कुट पालन (पोल्ट्री) पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दूसरे पशु विज्ञान संस्थानों में कार्य किया जा रहा है।

विवरण

संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियां

1. तंदरुस्त मेमनों का उत्पादन
2. हथकरघा से बुने कम्बल
3. ऊन, ऊंट के बालों से सम्मिश्रित उत्पाद
4. हाथ से बुने फेल्ट्स
5. रोग डाटा सूचना प्रणाली तथा स्वास्थ्य प्रबन्धन पैकेज
6. तरल शीतित वीर्य का उपयोग करके भेड़ का कृत्रिम गर्भाधान
7. अर्ध–शुष्क दशाओं के लिए वन–चरागाह, बहु–पंक्ति कृषि–वानिकी तथा चरागाह पद्धति का मूल्यांकन और स्थापना

8. यूरिया–अमोनिया उपचार का उपयोग करके घटिया गुणवत्ता वाली घास–फूसों का संवर्धन

9. स्थानीय रूप में उपलब्ध मोटे चारे और अनाजों/कृषि उपोत्पादों का उपयोग करके सम्पूर्ण आहार ब्लाकों का विकास करना

10. उच्चतर बढ़वार और ऊन उत्पादन के लिए भेड़ का सम्पूरक आहार।

[अनुवाद]

कृषि विज्ञान केंद्र

2649. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर–सरकारी संगठन को आवंटित 'कृषि विज्ञान केंद्र' का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप किसानों को क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार देश में प्रत्येक आदिवासी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में वर्ष 2004–2005 के दौरान कितने कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या इन केंद्रों की स्थापना हेतु स्थानों का चयन कर लिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कान्तिलाल भूरिया) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) ने देश में गैर–सरकारी संगठनों को 83 कृषि विज्ञान केंद्र आवंटित किए हैं।

(ख) कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्यकलापों द्वारा किसानों को मिलने वाले संभावित लाभों में विभिन्न खेती प्रणालियों के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी की स्थान विशिष्टता की स्थापना करने के लिए खेत परीक्षण, किसानों के खेतों पर उत्पादन क्षमता की स्थापना करने के लिए अग्रपंक्ति प्रदर्शन तथा उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों में किसानों को जानकारी देने और कौशल को अद्यतन करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार ने देश के सभी 578 ग्रामीण जिलों में (भारत, 2002 के अनुसार) कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना करने की स्वीकृति दे दी है। इसमें 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जनजाति बहुल आबादी वाले 39 जिले विशेष प्रशासनिक यूनिटों में जनजाति सम्पन्न आबादी वाले 8 राज्यों के 64 जिले तथा बिखरी जनजाति आबादी वाले 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 197 जिले शामिल हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण–I के रूप में दिया गया है।

(ङ) वर्ष 2004–05 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का देश के 128 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना करना प्रस्तावित है।

(च) और (छ) सभी 128 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II के रूप में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्र	जिलों की संख्या
1	2	3
	जनजाति बहुल	
1.	अरुणाचल प्रदेश	14
2.	नागालैंड	8
3.	मेघालय	7
4.	मिजोरम	8
5.	लक्षद्वीप	1
6.	दादरा और नगर हवेली	1
	उप–योग	39
	जनजाति सम्पन्न आबादी	
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	बिहार (बटवारे से पूर्व)	4
3.	गुजरात	6
4.	हिमाचल प्रदेश	3
5.	मध्य प्रदेश (बटवारे से पूर्व)	19

1	2	3
6.	महाराष्ट्र	11
7.	उड़ीसा	10
8.	राजस्थान	5
	उप–योग	64
	बिखरी जनजाति आबादी	
1.	सिक्किम	4
2.	असम	23
3.	मणिपुर	9
4.	त्रिपुरा	4
5.	प. बंगाल	17
6.	उत्तर प्रदेश	69
7.	तमिलनाडु	29
8.	केरल	14
9.	कर्नाटक	26
10.	दमन व दीव	2
	उप–योग	197
	योग	300

विवरण-II

वर्ष 2004–05 के दौरान स्वीकृत कृषि विज्ञान केंद्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिले का नाम
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	1. तिराप
2.	आंध्र प्रदेश	2. नेलोर
		3. अदिलाबाद
		4. प्रकाशम
3.	असम	5. बारपेटा
		6. बोंगईगांव
		7. कार्बी अंगलोंग
		8. नवगांव
		9. कामरूप
		10. करीमगंज
		11. लखीमपुर
		12. तिनसुकिया
4.	बिहार	13. समस्तीपुर
		14. सीवान
		15. प. चम्पारन
		16. रोहतास
		17. भागलपुर
5.	छत्तीसगढ़	18. रायपुर
		19. जंजगीर चम्पा
		20. रायगढ़
		21. घमंत्री
		22. महासमुंद
6.	गोवा	23. दक्षिण गोवा
7.	गुजरात	24. अमरेली
		25. अहमदाबाद
		26. साबरकांठा
		27. पोरबन्दर
		28. जामनगर
		29. राजकोट
		30. सूरत
8.	हिमाचल प्रदेश	31. लाहौल–स्पिती
		32. बिलासपुर
		33. सोलन
9.	हरियाणा	34. फतेहाबाद
		35. झज्जर

1	2	3
		36. भिवानी
10.	जम्मू–कश्मीर	37. करगिल
11.	झारखंड	38. गुम्ला
		39. पाकुर
		40. लोहरदग्गा
		41. गिरिडिह
		42. बोकारो
		43. साहेबगंज
		44. पूर्वी सिंहभूम
		45. चत्रा
		46. गढ़वा
		47. कोदर्मा
		48. धनबाद
		49. दुमका
12.	कर्नाटक	50. दक्षिण कन्नड़
		51. देवनगिरी
		52. चमराजनगर
		53. मांड्या
		54. सिमोगा
		55. टुमकुर
		56. ब्रह्मवार
		57. चित्रदुर्ग
		58. गुलबर्गा
		59. बीजापुर
		60. उत्तर कन्नड़
13.	केरल	61. त्रिशूर
		62. कोट्टायाम
		63. एलैपी
14.	मध्य प्रदेश	64. जबलपुर
		65. हर्दा
		66. दमोह
		67. नरसिंहपुर
		68. होशंगाबाद
		69. मुरैना
		70. सागर
		71. खरगांव
15.	महाराष्ट्र	72. गढ़चिरौली
		73. चन्द्रपुर
		74. यवतमाल
		75. रायगढ़
		76. उस्मानाबाद
16.	मेघालय	77. प. खासी
17.	उड़ीसा	78. सुन्दरगढ़
		79. नयागढ़
		80. सम्बलपुर
		81. गजपति
		82. जगतसिंहपुर
		83. रायगढ़ा
		84. भद्रक
		85. नवरंगपुर
18.	पंजाब	86. मुक्तसर
		87. अमृतसर
		88. लुधियाना
		89. फतेहगढ़ साहिब
		90. मोगा
		91. रोपड़

1	2	3
19.	राजस्थान	92. करौली
		93. श्रीगंगानगर
20.	सिक्किम	94. उत्तर–सिक्किम
21.	तमिलनाडु	95. वेलौर
		96. थिरुवल्लूर
		97. थिरुवारूर
		98. नागापट्टणम
		99. नम्मकल
		100. कन्याकुमारी
		101. पुडुकोटाई
		102. रामनाथपुरम
22.	उत्तर प्रदेश	103. संत रविदास नगर
		104. बुलंदशहर
		105. आजमगढ़
		106. फिरोजाबाद
		107. बागपत
		108. बाराबंकी
		109. मुरादाबाद
		110. हमीरपुर
		111. लखीमपुर खीरी
		112. फर्रुखाबाद
		113. जालौन
		114. ललितपुर
		115. कानपुर देहात
		116. मैनपुरी
		117. महोबा
		118. फैजाबाद
		119. गोरखपुर
		120. महाराजगंज
		121. सोनभद्र
23.	उत्तरांचल	122. ऊधमसिंह नगर
		123. पिथौरागढ़
		124. देहरादून
		125. उत्तर काशी
		126. नैनीताल
24.	पश्चिम बंगाल	127. उत्तर दीनापुर
		128. कूच बिहार
	योग	128

उर्वरकों का आयात

2650. श्री रूपचन्द मुर्मू :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से कितने प्रकार के उर्वरकों का आयात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(ग) क्या आयातित उर्वरकों का परीक्षण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो उर्वरकों के परीक्षण के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) भारत सरकार की वर्तमान निर्यात आयात नीति के अनुसार यूरिया को छोड़कर सभी उर्वरक और उर्वरक आदान असारणीबद्ध हैं जिनका आयात स्वतंत्र रूप से निजी तौर पर किया जाता है। यूरिया एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य और आंशिक संचलन नियंत्रण के अन्तर्गत आता है। यूरिया का आयात राज्य व्यापार उद्यमों अर्थात् एम.एम.टी.सी., एस.टी.सी. और भारतीय पोटाश लि. के माध्यम से किया जाता है। सीधे खाद के

रूप में प्रयोग किए जाने के लिए यूरिया का आयात सरकारी तौर पर किया जा रहा है। तथापि, मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन में प्रयोग करने के लिए फास्फेटयुक्त उर्वरक निर्माता भी, सरकार की पूर्व अनुमति से यूरिया का आयात कर रहे हैं। सीधे प्रयोग करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी तौर पर आयात किया गया यूरिया तथा अमेरिकी डॉलर में उसका मूल्य नीचे दिया गया है :

(मात्रा हजार टन में और मूल्य लाख अमेरिकी डॉलर में)

देश	2001–2002		2002–2003		2003–2004	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बंगलादेश	31	34.31	0	0	0	0
सी.आई.एस.	155	164.06	0	0	0	0
लीबिया	19	21.30	0	0	0	0
यू.ए.ई.	15	15.84	0	0	0	0
कुल	220	235.51	0	0	0	0

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए उर्वरकों (सीधे प्रयोग करने के लिए आयात किए गए यूरिया को छोड़कर) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। बंदरगाह पर पहुंचने के बाद आयातित सभी उर्वरकों की जांच उर्वरक नियंत्रण (आदेश) 1985 में निर्धारित प्रक्रिया और विनिर्देशों के अनुसार की जाती है।

विवरण

(मात्रा हजार टन में)

डी ए पी

देश	2001–2002	2002–2003	2003–2004*
यू एस ए	497	202	496
सी आई एस	21	76	118
जोर्डन	258	73	60
मोरोक्को	108	32	0
आस्ट्रेलिया	49	0	0
लिथुनिया	0	0	35
सऊदी अरब	0	0	25
योग	933	383	734

एम ओ पी

देश	2001–2002	2002–2003	2003–2004*
कनाडा	175	206	451
जर्मनी	97	167	118
इजराइल	356	412	255
जोर्डन	614	446	658
सी आई एस	1568	1372	1098
योग	2810	2603	2580

एस ओ पी

देश	2001–2002	2002–2003	2003–2004*
जर्मनी	22	13	10.50

एम ए पी

देश	2001–2002	2002–2003	2003–2004*
चीन	0	0	21
यू एस ए	35	0	0
रूस	90	100	0
सी आई एस	0	0	44
योग	125	100	65

मिश्रित उर्वरकों के लिए यूरिया

देश	2001–2002	2002–2003	2003–2004*
चीन			25
सी आई एस	23		
ईरान	17	54	10
कुवैत	0	21	13
लीबिया	0	19	0
कतर	42	0	35
सउदी अरब	43		
यू ए ई	60	25	60
योग	185	119	143

*अनंतिम। स्रोत : उर्वरक आंकड़े एफ.ए.आई.

पाम ऑयल का आयात

2651. श्री वसुदेव आचार्य :
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में किन–किन देशों से पाम ऑयल का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या अप्रतिबंधित आयात के कारण देश में पाम ऑयल का मूल्य काफी कम है जिसके कारण किसानों के सामने कठिनाइयां आ रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) मलेशिया और इंडोनेशिया पाम तेल के दो प्रमुख निर्यातक हैं।

(ख) और (ग) पाम तेल सहित खाद्य तेलों (नारियल तेल के अलावा) का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। किसानों, संसाधकों और उपभोक्ताओं के हितों में तालमेल बिठाने और संभव सीमा तक खाद्य तेलों के भारी मात्रा में आयात को नियमित करने के लिए खाद्य तेलों पर आयात शुल्क के ढांचे की समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कुछ उपाय किए गए हैं :

(i) कच्चे पाम तेल/कच्चे पामोलीन पर 15.2.2005 से आयात शुल्क को 65% से बढ़ाकर 80% और रिफाइंड पाम तेल/आर.बी.डी. पामोलीन पर 75% से बढ़ाकर 90% कर दिया गया है।

(ii) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके किसानों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में वृद्धि की गई है।

(iii) पाम तेल सहित तिलहनों का उत्पादन और उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कुछ राज्यों में 'एकीकृत तिलहन, दलहन, पामतेल और मक्का योजना' की एक नए ढांचे की केंद्रीय प्रायोजित योजना लागू की जा रही है।

(iv) फाउंडेशन और प्रमाणित बीजों का उत्पादन करने, प्रमाणित बीजों का वितरण करने, बीज मिनीकिटों का वितरण करने, आधार–ढांचे का विकास करने, एकीकृत जन्तु बाधा प्रबंधन करने, स्प्रिंकलर सेटों की आपूर्ति करने और राइजोबियम कल्चर का वितरण आदि करने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(v) तेल पाम के ताजा फलों के गुच्छों की खरीद के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन लि. (नेफेड) के जरिए बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की जा रही है।

जीवन-रक्षक औषधियों की सूची

2652. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान जीवन–रक्षक औषधियों की सूची में शामिल की गई औषधियों/दवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस सूची में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित औषधियों/दवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सूची में इन दवाओं को शामिल करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इससे कितने मरीज/व्यक्ति लाभान्वित होंगे?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी. सी.ओ., 95) जीवन–रक्षक औषधों और अन्य औषधों के बीच कोई फर्क नहीं करता है। यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सा औषध

जीवन रक्षक औषध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, कोई विशिष्ट प्रतिमानक या दिशा–निर्देश नहीं है। सामान्यतः प्रत्येक औषध को जीवन की रक्षा करने और उसे बढ़ाने में उपयोगी माना जाता है।

उड़ीसा में वन भूमि का अवैध अन्य उपयोग

2653. श्री अनन्त नायक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय प्राधिकारियों ने हाल में उड़ीसा राज्य के वन्यजीव स्कंध की सहमति के बिना ही करलापट वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत वन भूमि का अन्य उपयोग करने को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मास्टर प्लान में कपालेशवरी और केलेघई नदियां

2654. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए जाने वोल मास्टर प्लान में कपालेशवरी और केलेघई नदियों को सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में इस मास्टर प्लान पर कितना परिव्यय हुआ है;

(घ) इस मास्टर प्लान के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ–साथ असम तथा अन्य पड़ोसी राज्यों में बाढ़ की समस्या की जांच करने के लिए एक बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण संबंधी कार्यबल का गठन किया है। पश्चिम बंगाल सरकार के साथ वार्ता के पश्चात ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू करने के लिए 32.75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 'कालीघई– कपालेश्वरी–बघई बेसिन जलनिकास प्रणाली' नामक एक स्कीम कार्यबल द्वारा संस्तुत की गई है।

चूककर्ता नियोक्ताओं के लम्बित मामले

2655. श्री एम. अंजनकुमार यादव :

श्री काशीराम राणा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कानून के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत चूककर्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध कितने मामलों पर कार्यवाही की है;

(ख) आज की तारीख तक ऐसे कितने मामले लम्बित हैं; और

(ग) इनमें से कितने मामले तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) से (ग) इसका विवरण निम्नवत् है :

	पिछले वर्ष के दौरान शुरू किए गए मामलों की संख्या	आज तक की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या	तीन वर्षों से अधिक के पुराने मामलों की संख्या
कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा–14 के अंतर्गत मामले	2426	23709	12026
भारतीय दण्ड संहिता की धारा–406/409 के अंतर्गत मामले	1387	6130	2316
अपराध दण्ड संहिता की धारा–110 के अंतर्गत मामले	63	1549	1362

तीर्थयात्रा पर्यटन

2656. श्री पी. सी. थामस : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में तीर्थयात्रा पर्यटन को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल के सबरीमाला, मलयत्तूर मंजनीककरा वरकला, ऐरूमेली कंजरीमेत्तूम के द्वारा प्रत्येक वर्ष और अधिक तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) दसवीं योजना की अवधि के दौरान पर्यटन मंत्रालय, पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास उत्पाद/अवसंरचना, गंतव्य विकास की अपनी योजना के अंतर्गत, अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों की उनसे प्राप्त परियोजना प्रस्तावों, परियोजना की गुणवत्ता, परस्पर प्राथमिकता तथा धनराशि के आधार पर सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना में तीर्थ स्थान भी शामिल हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) 31.12.2004 तक चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004–05 (31.12.2004 तक) के दौरान राज्यवार स्वीकृत पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004–05 (31.12.2004 तक)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11	2750.81	2191.92
2.	असम	6	955.88	742.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	1285.70	905.52
4.	बिहार	7	1901.23	1527.55
5.	छत्तीसगढ़	4	1086.26	869.01
6.	गोवा	2	10.00	8.00
7.	गुजरात	2	138.93	111.14
8.	हरियाणा	5	678.55	501.64
9.	हिमाचल प्रदेश	5	2620.00	1736.00
10.	जम्मू–कश्मीर	2	805.00	644.00
11.	झारखंड	1	474.97	379.97
12.	कर्नाटक	8	2432.76	1914.37
13.	केरल	5	2148.63	1718.88
14.	मध्य प्रदेश	8	1285.46	783.03
15.	महाराष्ट्र	6	1576.38	1260.10
16.	मणिपुर	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	2	963.30	807.91
18.	मिजोरम	3	1081.28	927.09
19.	नागालैंड	5	2165.69	1731.40
20.	उड़ीसा	5	1316.48	999.69
21.	पंजाब	4	846.41	561.26
22.	राजस्थान	2	39.31	31.45
23.	सिक्किम	6	1005.81	805.13
24.	तमिलनाडु	6	876.92	702.72
25.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	3	1412.93	1125.56
27.	उत्तर प्रदेश	7	1037.43	825.19
28.	पश्चिम बंगाल	5	480.04	384.03
29.	अंडमान एवं निकोबार	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	1	457.00	365.60
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	1	500.00	400.00
33.	दमन एवं दीव	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	2	451.00	360.00
	कुल	130	32784.16	25320.26

पर्यटन का विकास

2657. श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा केरल और पश्चिम बंगाल सहित देश के पर्यटन विकास के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा वर्ष 2004–05 के दौरान पर्यटन की मूलभूत संरचना में सुधार हेतु राज्यों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है/जारी की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को अपनी निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव की गुणवत्ता, परस्पर प्राथमिकता एवं धनराशि की उपलब्धता के आधार पर पर्यटक अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है :

1. पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास

2. गंतव्यों का उत्पाद/अवसंरचना विकास।

(ग) वर्ष 2004–05 (31.12.2004 तक) के दौरान राज्य सरकारों के प्रस्तावों को प्रदान किए गए अनुमोदन/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004–05 (31.12.2004 तक) के दौरान राज्यवार स्वीकृत पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004–05 (31.12.2004 तक)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11	2750.81	2191.92
2.	असम	6	955.88	742.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	6	1285.70	905.52
4.	बिहार	7	1901.23	1527.55
5.	छत्तीसगढ़	4	1086.26	869.01
6.	गोवा	2	10.00	8.00
7.	गुजरात	2	138.93	111.14
8.	हरियाणा	5	678.55	501.64
9.	हिमाचल प्रदेश	5	2620.00	1736.00
10.	जम्मू–कश्मीर	2	805.00	644.00
11.	झारखंड	1	474.97	379.97
12.	कर्नाटक	8	2432.76	1914.37
13.	केरल	5	2148.63	1718.88
14.	मध्य प्रदेश	8	1285.46	783.03
15.	महाराष्ट्र	6	1576.38	1260.10
16.	मणिपुर	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	2	963.30	807.91
18.	मिजोरम	3	1081.28	927.09
19.	नागालैंड	5	2165.69	1731.40
20.	उड़ीसा	5	1316.48	999.69

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	4	846.41	561.26
22.	राजस्थान	2	39.31	31.45
23.	सिक्किम	6	1005.81	805.13
24.	तमिलनाडु	6	876.92	702.72
25.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	3	1412.93	1125.56
27.	उत्तर प्रदेश	7	1037.43	825.19
28.	पश्चिम बंगाल	5	480.04	384.03
29.	अंडमान एवं निकोबार	0	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	1	457.00	365.60
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	1	500.00	400.00
33.	दमन एवं दीव	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	2	451.00	360.00
	कुल	130	32784.16	25320.26

कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश की कमी

2658. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के क्षेत्र में वर्षों से निजी क्षेत्र के निवेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र ने अन्य श्रेणियों के लिए उपलब्ध प्राइम लेंडिंग रेट (मुख्य उतराई दर) की तर्ज पर एक पृथक् उतराई (लेंडिंग रेट) दर का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सकल पूंजी निर्माण के संबंध में संवर्गी क्षेत्रों सहित कृषि में आंके गए निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है, जैसा कि संलग्न विवरण से देखा जा सकता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वर्ष 2003–04 के दौरान मूल उधारदान दर के प्रतिमान पर अलग से कृषि उधारदान दर तैयार करने का प्रस्ताव किया गया। वर्ष 2003–04 के दौरान तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री ने तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 जुलाई, 2003 को कृषि हेतु उधारदान दर में कमी की घोषणा की थी ताकि कृषि क्षेत्र, खासकर छोटे और सीमांत किसानों, को घटती हुई ब्याज दर का पूरा लाभ दिया जा सके। परिणामस्वरूप भारतीय बैंक संघ ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी कि वे 50,000/– रु. की सीमा तक के फसल ऋणों पर अपनी उधारदान दर को कम करके एक अंक में लाएं, जो 9% वार्षिक से अधिक न हो।

सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु संकेंद्रित और प्राथमिकता से ध्यान दिए जाने के लिए जिन अभिवृद्धि क्षेत्रों की पहचान की है उनमें कृषि ऋण, सिंचाई, बागवानी और विपणन सुधार शामिल हैं। वर्ष 2005–06 के केंद्रीय बजट में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का ध्यान कृषक परिवारों को ऋण, खासकर उत्पादन ऋण, देने की ओर ले जाने के लक्षित प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया गया है। बजट में उजागर अन्य क्षेत्रों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी, पश्च और अग्र संपर्कों और कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग ओर मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय बागवानी मिशन शामिल हैं।

विवरण

संवर्गी क्षेत्रों सहित कृषि में निजी क्षेत्र का सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ)

(वर्ष 1993–94 के मूल्यों पर करोड़ रुपये में)

वर्ष	जीसीएफ
1	2
1993–1994	10331
1994–1995	11416
1995–1996	12367
1996–1997	13176

1	2
1997–1998	13791
1998–1999	13026
1999–2000	15268
2000–2001	15374
2001–2002	14872
2002–2003	16740
2003–2004	18487

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

मत्स्यन बंदरगाह

2659. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मत्स्यन बंदरगाह कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में वर्ष 2005–06 के दौरान कुछ नए मत्स्यन बंदरगाहों के निर्माण का है;

(ग) प्रत्येक बंदरगाह पर गुणवत्ता और स्वास्थ्य संबंधी बात सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) राज्य में मत्स्यन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में चार मत्स्यन बंदरगाह अर्थात् जूनागढ़ जिले में वेरावल, जूनागढ़ जिले में मंगरौल (चरण–1 तथा चरण–2), पोरबंदर जिले में पोरबंदर तथा कच्छ जिले में जखाऊ कार्यरत हैं।

(ख) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2004–05) के दौरान दो नए मत्स्यन बंदरगाहों जिनमें एक नावासरी जिले में धौलाई तथा दूसरा जामनगर जिले में ओखा के निर्माण के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। इस समय गुजरात सरकार ने वर्ष 2005–06 के लिए किसी नए मत्स्यन बंदरगाह का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ग) भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मत्स्य कैच के स्वास्थ्यकर हैंडलिंग को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केंद्रों के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। मार्च, 2001 में, जूनागढ़ जिले में वेरावल, जूनागढ़ जिले में मंगरौल तथा पोरबंदर जिले में पोरबंदर नामक तीन मत्स्यन बंदरगाहों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए गुजरात सरकार को 49 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(घ) भारत सरकार गुजरात में मात्स्यिकी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है :

(1) चार मत्स्यन बंदरगाहों के अलावा, गुजरात तट के साथ–साथ केंद्रीय सहायता से 21 मछली उतारने के केंद्र विकसित किए गए हैं।

(2) एचएसडी तेल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना के अंतर्गत, वर्ष 1997–98 से 2001–02 की अवधि के दौरान कुल 37895 मत्स्यन जलयानों को एचएसडी राजसहायता प्रदान की गई।

(3) पारंपरिक नौकाओं के मोटरीकरण संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 1999 से 2003–04 की अवधि के दौरान कुल 675 पारंपरिक नौकाओं को मोटरीकृत किया गया है।

(4) ताजा जल जलकृषि विकास कार्यक्रम 21 मत्स्य पालक विकास एजेंसियों (एफएफडी) के जरिए क्रियान्वित किया गया है तथा वर्ष 2003–04 तक 17583 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 61322 हैक्टेयर क्षेत्र को मत्स्य पालन के अंतर्गत लाया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 25886 मत्स्य पालकों को भी उन्नत मछली पालन प्रैक्टिस में प्रशिक्षत किया गया है।

(5) राष्ट्रीय मधुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार को 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से आज की तारीख तक 2428 मधुआरा घरों, 72 ट्यूबवैलों तथा 10 सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(6) मात्स्यिकी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटा बेस एवं सूचना नेटवर्किंग के सुदृढ़ीकरण संबंधी केंद्रीय क्षेत्र

की योजना के तहत गुजरात सरकार को चालू वित्त वर्ष (2004–05) के दौरान 30.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

इसके अलावा, भरुच जिले के उमरवाड़ा में प्रतिवर्ष 40 मिलियन पोस्ट लार्वा उत्पादन की क्षमता के साथ ताजा जल प्रॉन बीज हैचरी के विकास के लिए गुजरात सरकार को आसान ऋण के जरिए फैंच तकनीकी/वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।

लघु सिंचाई विकास हेतु धनराशि

2660. श्री ए. साई प्रताप :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संरचना कोष से लघु सिंचाई विकास के लिए धनराशि आवंटित करने संबंधी आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आर.आई.डी.एफ.) के अंतर्गत 588.15 करोड़ रु. मंजूर करने के लिए नाबार्ड को वर्ष 2003–04 के दौरान एक प्रस्ताव भेजा था। नाबार्ड ने वर्ष 2003–04 के दौरान आर.आई.डी.एफ.–IX के तहत ऋण के रूप में 588.15 करोड़ रु. मंजूर किए हैं और परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

गेहूं की खरीद

2661. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2005–06 में रबी के मौसम के दौरान गेहूं के उत्पादन और खरीद में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि वह खरीद का विकेंद्रीकरण करें और खरीद संबंधी कार्य प्रारंभ होने से पूर्व पर्याप्त भंडारण क्षेत्र का सृजन करें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। फसल वर्ष 2004–05 के दौरान दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 73.03 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि फसल वर्ष 2003–04 के दौरान 72.06 मिलियन टन गेहूं का अनुमानित उत्पादन हुआ था। रबी विपणन मौसम 2005–06 के दौरान 180.00 लाख टन गेहूं की वसूली होने का अनुमान है जबकि रबी विपणन मौसम 2004–05 के दौरान 167.96 लाख टन गेहूं की वसूली हुई है।

(ग) और (घ) जी, हां। गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों के खाद्य सचिवों की 8 फरवरी, 2005 को हुई बैठक के दौरान रबी विपणन मौसम के लिए गेहूं तथा मोटे अनाजों की वसूली तथा भंडारण के सभी प्रबंधों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

[हिन्दी]

वर्षा जल सिंचित कृषि क्षेत्र का विकास

2662. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षा जल सिंचित कृषि क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं;

(ख) क्या उत्पादन को बढ़ाने के लिए विद्यमान और व्यापक सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया है और इनका प्रभावी रूप से दोहन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारत सरकार वर्षासिंचित कृषि क्षेत्र तथा अवक्रमित (डीग्रेडेड) भूमि की कुछ श्रेणियों के विकास हेतु निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित कर रही है :

कृषि मंत्रालय की स्कीमें

1. वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।

2. नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण (कैचमेंट) क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

3. झूम खेती के क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीमें

1. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम।

2. मरुस्थल विकास कार्यक्रम।

3. समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम।

नौवीं योजना के अंत तथा दसवीं योजना (2002–03 तथा 2003–04) के प्रथम दो वर्षों तक इन स्कीमों के अंतर्गत उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) नौवीं योजना के अंत तक उपयोग की गई 80.06 मिलियन हैक्टेयर क्षमता के तहत 93.81 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

विवरण

वर्षासिंचित कृषि क्षेत्रों और अवक्रमित भूमियों की कुछ श्रेणियों के लिए भारत सरकार की स्कीमों के अंतर्गत उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	क्रियान्वयक मंत्रालय	नौवीं योजना तक उपलब्धियां		दसवीं योजना में उपलब्धियां (मार्च, 2004 तक)	
			वास्तविक (मिलियन है. में)	वित्तीय (करोड़ रु. में)	वास्तविक (मिलियन है. में)	वित्तीय (करोड़ रु. में)
1.	एनडब्ल्यूडीपीआरए	कृषि	6.99	1877.73	0.50	284.83
2.	आरवीपी व एफपीआर	मंत्रालय	5.48	1516.23	0.39	247.41
3.	डब्ल्यूडीपीएससीए		0.26	166.27	0.04	41.21
4.	डीपीएपी	ग्रामीण	9.82	1768.24	2.50	544.99
5.	डीडीपी	विकास	2.38	1242.58	1.58	399.80
6.	आईडब्ल्यूडीपी	मंत्रालय	1.73	1039.76	1.34	521.82

[अनुवाद]

कृषि उपज के मूल्य

2663. श्री एस. अजय कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि उपज के मूल्यों में विशेषकर नकदी फसल के मूल्यों में गिरावट का रुझान बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक (1993–94 = 100) के अनुसार कृषि जिंसों के मूल्य में वर्ष 2002–03 में 3.4% की तुलना में वर्ष 2003–04 में 4.1% की वृद्धि हुई। वर्ष 2004–05 (अप्रैल–जनवरी) के दौरान कृषि जिंसों हेतु थोक मूल्य सूचकांक में 2.8% की अपेक्षाकृत निम्न दर पर वृद्धि हुई। तिलहन, कच्चे रबड़, और कच्चे कपास जैसी नकदी फसलों के संबंध में थोक मूल्य सूचकांक में मिश्रित प्रकृति दिखाई दी। एक समूह के रूप में तिलहन के लिए थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2002–03 में 16.4% की तुलना में वर्ष 2003–04 में 11% बढ़ गया। अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 तक तिलहन का थोक मूल्य सूचकांक 3.1% के निम्नतर दर पर बढ़ा।

जहां तक कच्चे रबड़ का संबंध है, वर्ष 2002–03 और वर्ष 2003–04 में थोक मूल्य सूचकांक में क्रमशः 18.1% और 16.3% की वृद्धि हुई। अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 के दौरान कच्चे रबड़ के थोक मूल्य सूचकांक में 13.5% की वृद्धि हुई।

जहां तक कच्चे कपास का संबंध है वर्ष 2002–03 में 4.4% की गिरावट की तुलना में वर्ष 2003–04 में थोक मूल्य सूचकांक में 27.1% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। तथापि, अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 तक कच्चे कपास के थोक मूल्य सूचकांक में 4.5% की गिरावट आई, जो वर्ष 2003–04 की तुलना में वर्ष 2004–05 में अपने देश में तथा विदेश में उच्चतर उत्पादन प्रदर्शित करती है।

(ग) जिंसों के मूल्य आपूर्ति और माग पर निर्भर करते हैं तथा मांग की तुलना में आपूर्ति में परिवर्तन मूल्यों पर प्रभाव डालता है। मजबूरी में बिक्री करने से किसानों को रोकने के लिए सरकार अनाज, दलहन, तिलहन और कपास को कवर करते हुए प्रत्येक मौसम में मुख्य फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों की तुलना में मूल्यों में गिरावट की अवधि के दौरान किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा के बाद अभिनामित एजेंसियों द्वारा खरीद की जाती है।

[हिन्दी]

कामगारों के परिवार के लिए अस्पताल और विद्यालय

2664. श्री ब्रजेश पाठक : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के विभिन्न कारखानों में कार्य करने वाले कामगारों के परिवारों के लिए अस्पताल स्थापित करने और विद्यालय खोलने की केंद्र सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को इस संबंध में जनवरी, 2005 के दौरान जन–प्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने बीमित व्यक्तियों को केवल चिकित्सा देख–रेख सुविधा प्रदान करता है न कि शैक्षणिक सुविधाएं।

(ग) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय औषध और भेषज लिमिटेड

2665. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री सी. के. चन्द्रप्पन :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषध और भेषज लिमिटेड (आई.डी.पी.एल.) के भविष्य पर ध्यान देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। विभाग ने आई.डी.पी.एल. के पुनर्वास हेतु तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराने के लिए एक पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति से अपनी अंतिम रिपोर्ट 15 अप्रैल, 2005 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

नि:शक्त लोगों को रोजगार

2666. श्री मुन्नी राम :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कितने नि:शक्त लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) कुल कितने प्रतिशत नि:शक्त लोग बेरोजगार हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) जुलाई–दिसंबर 2002 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विकलांग व्यक्तियों में से लगभग 0.7% सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगार थे।

(ग) दसवीं योजना दस्तावेज अधिक से अधिक विकलांग व्यक्तियों को सक्रिय, आत्मनिर्भर तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादक अंशदाता बनाकर उनके सशक्तीकरण हेतु प्रयासों का प्रावधान करते हैं।

[हिन्दी]

बौद्ध अनुसंधान संस्थान में निर्माण कार्य

2667. योगी आदित्यनाथ : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित बौद्ध अनुसंधान संस्थान का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) ऐसी कोई परियोजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश औषध तथा भेषज लिमिटेड

2668. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी ने भारत से जेनेटिक औषधों को खरीदने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हंगरी को किस ब्रांड की जेनेटिक औषधियों की आवश्यकता है;

(ग) उन भारतीय कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें हंगरी द्वारा बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है; और

(घ) इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (घ) 20 से 25 फरवरी, 2005 तक बुडापेस्ट में भारतीय राजदूत की इच्छानुसार फार्मेक्सिल के प्रतिनिधियों और मैसर्स कैडिला फार्मास्युटिकल्स लि., मैसर्स इप्का लैबोरेट्रीज लि., मैसर्स लुपिन लि., मैसर्स रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज लि., मैसर्स टौरेंट फार्मास्युटिकल्स लि. और मैसर्स यूनिक फार्मास्युटिकल्स लैबोरेट्रीज जैसी भारतीय कंपनियों ने बुडापेस्ट, हंगरी की यात्रा की। शिष्टमंडल ने हंगरी सरकार के अधिकारियों तथा हंगरी के व्यापार और उद्योग समुदाय से वार्ताएं कीं। हंगरी के पक्ष द्वारा विनियामक मानकों तथा व्यापार अवसरों के ब्यौरों को स्पष्ट किया गया, किंतु कोई क्रय-विक्रय फैसला नहीं लिया गया।

मिर्गी रोधी औषधियों की कमी

2669. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिर्गी रोधी औषधियों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रोगियों को प्राथमिकता के आधार पर औषधियां प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) राज्य औषध नियंत्रकों की मासिक रिपोर्टों, गैर सरकारी संगठनों और जनशिकायतों आदि के आधार पर राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) दवाओं की उपलब्धता और कमी को मानीटर करता है। निकट अतीत में, एन.पी.पी.ए. को किसी भी राज्य औषध नियंत्रक और अन्य स्रोतों से मिर्गी रोधी औषधों की अत्यधिक कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि जब कभी देश के किसी भाग में किसी विशेष औषध/औषधों की कमी की रिपोर्ट प्राप्त होती है, संबंधित कंपनी को तुरंत स्टाक की आपूर्ति करने तथा औषधि उपलब्ध कराने की सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

रावी नदी जल का उपयोग

2670. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए समझौते के अनुसार रावी नदी के जल का उपयोग भारत द्वारा किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या रावी नदी अभी भी पाकिस्तान की ओर बह रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध

में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) भारत और पाकिस्तान के बीच सिन्धु जल संधि, 1960 में यह व्यवस्था है कि सभी पूर्वी नदियों अर्थात रावी, व्यास और सतलज का जल जब तक अन्यथा स्पष्ट उल्लेख न हो, भारत के निर्बाध उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। इस संधि में यह भी बताया गया है कि जल के घरेलू और गैर–खपतकारी उपयोग को छोड़कर, पाकिस्तान को ऐसे स्थानों पर सतलज मुख्य और रावी मुख्य को बहने देना होगा, और उसे हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी जहां ये पाकिस्तान में बहती तो हैं परंतु इन्होंने अंतिम रूप से पाकिस्तान की सीमा पार नहीं की है।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में नगण्य प्रवाह रहा है।

(ग) पंजाब सरकार से हेडवर्क्स के अनुरक्षण और उन्नयन को शुरू करने तथा रावी जल के बेहतर उपयोग के लिए शाहपुरकांडी बांध को शीघ्रता से पूरा करने का अनुरोध किया गया है। संबंधित राज्य सरकारों से भी रावी नदी की वितरिकाओं/नालों संबंधी उपयुक्त स्कीमों को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय

2671. श्री के. एस. राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पशुचिकित्सकों और नर्सिंग स्टॉफ की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बीमार जानवरों की देखभाल के लिए गांव के युवकों को बेसिक ट्रेनिंग देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को पृथक् से पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सरकार को पशुचिकित्सकों तथा नर्सिंग स्टाफ की कमी के बारे में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय गोपशु तथा मैंस प्रजनन परियोजना नामक योजना के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करने के लिए ग्रामीण बेरोजगार युवकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ङ) और (च) पशुचिकित्सा शिक्षा राज्य का विषय है तथा पशुचिकित्सा विश्वविद्यालयों एवं कालेजों की स्थापना संबंधित राज्यों द्वारा की जाती है।

बीज अधिनियम, 1966 में संशोधन

2672. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री पी. मोहन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीज अधिनियम, 1966 में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या सरकार की योजना भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में भी संशोधन करने की है ताकि किसानों को ट्रांजनिक बीजों के संबंध में पेटेंट अधिकार की धनराशि अदा की जा सके;

(घ) प्रस्तावित संशोधन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रस्तावित संशोधन में सभी राज्य सरकारों के सुझावों को सम्मिलित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्तमान बीज अधिनियम, 1966 के स्थान पर एक नया अधिनियम लाने का निर्णय लिया है जिसके लिए बीज विधेयक, 2004 का प्रारूप संसद में प्रस्तुत किया गया है और फिलहाल यह कृषि संबंधी स्थायी समिति की जांच के अधीन है।

(ग) और (घ) पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 द्वारा यथा संशोधित पेटेंट अधिनियम, 1970 में बीजों को पेटेंट करने का प्रावधान नहीं है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों ने विशेष रूप से किस्म के पंजीकरण, परिभाषाओं, बीज जांच प्रयोगशालाओं, शीर्ष निकायों का गठन, बीज प्रमाणीकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रों के प्रत्यायन, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस.ए.यू.), किस्मों की जांच हेतु संगठनों, लेबलिंग प्रावधानों तथा उल्लंघन आदि के लिए दंड से संबंधित मुद्दों पर बीज विधेयक में समाविष्ट करने हेतु अपनी टिप्पणियां दी हैं।

राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों की जांच की गई थी और उन्हें समुचित रूप से प्रस्तावित बीज विधेयक, 2004 में शामिल कर लिया गया था।

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों के लिए आवास

2673. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों के जिलों में बीड़ी कामगार आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण कराने का प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इसकी लागत कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा कब तक कार्य शुरू कराये जाने/उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) श्रम कल्याण संगठन के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है। अतः वर्ष 2004–05 में अभी तक हमने 9949 मकानों के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन जारी किये हैं। अपूर्ण प्रस्ताव परिशोधन हेतु लौटा दिए जाते हैं। तथापि, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान राज्य सरकारों से हाल ही में प्राप्त प्रस्तावों की पात्रता के आधार पर तुरंत प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए जायेंगे।

(ग) सरकार बीड़ी कामगारों के लिए एक एकीकृत आवास योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत, 01 जुलाई, 2004 से विभिन्न बीड़ी राज्यों में बीड़ी बनाने के कार्य में लगे पात्र कामगारों को बीड़ी कामगार कल्याण निधि के अंतर्गत 40,000/– रुपये अथवा वास्तविक निर्माण लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, प्रति कामगार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निर्माण में लगने वाली बाकी लागत कामगार द्वारा स्वयं मकान बनाए जाने के मामले में कामगारों से और आर्थिक योजना के अंतर्गत निर्माण के मामले में शेष निधियां लाभार्थियों के उनके अनुदान से अथवा कर्मचारी भविष्य निधि से और हुडको आदि जैसी वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से ली जाती हैं।

(घ) एकीकृत आवास योजना, 2004 के अंतर्गत राज्य सरकारों और अलग–अलग बीड़ी कामगार द्वारा निर्माण के लिए 18 माह की अवधि, समूह आवास योजना के अंतर्गत निर्माण के मामले में परियोजना पूरी करने की अवधि 24 माह निर्धारित की गई है। आर्थिक सहायता कुर्सी स्तर, छत–स्तर तक कार्य होने और हर तरह से पूर्ण हुए निर्माण कार्य के संबंध में क्रमशः 35 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की दर से तीन चरणों में जारी की जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना के मामले में छत स्तर तक निर्माण कार्य पहुंचने पर संबंधित राज्य सरकार को पूर्ण आर्थिक सहायता जारी कर दी जाती है।

खरीद में अनियमितताएं

2674. श्री इलियास आजमी : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री 20 दिसंबर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3131 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्वीकृतता सीमा से नीचे (बी.आर.एल.) की गुणवत्ता में पाए गए चावल की कुल मात्रा तथा कीमत क्या थी;

(ख) उक्त बी.आर.एल. चावल के निपटान का क्या तरीका है;

(ग) इसके फलस्वरूप एफ.सी.आई. को हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों से उक्त राशि वसूलने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जांच लंबित होने के बावजूद उन्हें खरीद के लिए नियुक्त किया गया था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) 98.00 लाख रुपये कीमत की 10,177

टन चावल की कुल मात्रा अस्वीकृति की सीमा से नीचे पाई गई थी।

(ख) अस्वीकृति की सीमा से नीचे के चावल का उपर्युक्त स्टॉक जारी की जा सकने वाली सीमा के अन्दर था और राज्य सरकार की स्वीकार्यता के साथ विभिन्न योजनाओं के अधीन जारी किया गया था। भारतीय खाद्य निगम की संचलन योजना के अनुसार कुछ स्टॉक अन्य स्टेशनों पर भेजा गया था।

(ग) अस्वीकृति की सीमा से नीचे के चावल के स्टॉक को सामान्य चैनल के जरिए जारी किया गया था। इस प्रकार कोई हानि नहीं हुई थी।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चावल की खरीद

2675. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल की खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार को राज्य में चावल की खरीद को बढ़ाने तथा भंडारण हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के सृजन का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) राज्यों के लिए चावल की वसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, राज्यवार चावल की वसूली के अनुमानों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) कर्नाटक सरकार ने विकेंद्रीकृत वसूली योजना के अधीन चावल/धान की वसूली का विकल्प चुना है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के बीच 23.2.2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।

विवरण

(लाख टन में)

राज्य	वसूली		
	धान	लेवी चावल	अनुमानित वसूली (चावल के रूप में)
मध्य प्रदेश	2.00	1.00	2.00
छत्तीसगढ़	25.00	5.00	22.00
बिहार	9.00	–	6.00
पश्चिम बंगाल	5.00	7.00	10.00
महाराष्ट्र	2.00	2.00	3.00
पंजाब	93.00	20.00	82.00
हरियाणा	9.00	6.00	12.00
उत्तर प्रदेश	9.00	14.00	20.00
उड़ीसा	3.00	11.00	13.00
उत्तरांचल	–	3.00	3.00
आंध्र प्रदेश	5.00	42.00	45.00
तमिलनाडु	8.00	–	5.00
अन्य	3.00	–	2.00
जोड़	173.00	111.00	225.00

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत स्वीकृति न लेने वाले उद्योगों को बंद करना

2676. श्री उदय सिंह :
श्री कमला प्रसाद रावत :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आवश्यक स्वीकृति न लेने के लिए पूरे देश की अनेक औद्योगिक तथा खनन इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक तथा खनन इकाइयों

का ब्यौरा क्या है जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने बंद करने का आदेश दिया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनारायन मीना) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 2004 की 460 संख्या गोवा फाउंडेशन बनाम युनियन ऑफ इंडिया, में दिनांक 21.2.2005 के अपने आदेश के द्वारा भारत सरकार को निदेश दिया है कि वह पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाली उन चूककर्ता इकाइयों को 10 दिन की अवधि के भीतर बंद करने के लिए अपेक्षित आदेश जारी करें जो प्रचालन में हैं।

(ग) और (घ) उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा (5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 2 मार्च, 2005 को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों को पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाली उन सभी चूककर्ता इकाइयों को बंद करने का निदेश दिया जो प्रचालन में हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 11.3.2005 के अपने बाद के आदेश के माध्यम से रिट याचिका (सिविल) 2004 का 460 में, अगली सुनवाई तक उपरोक्त आदेश के प्रचालन पर रोक लगा दी है।

[हिन्दी]

जल प्रबंधन योजना

2677. श्रीमती किरण माहेश्वरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्यों में एक व्यापक जल प्रबंधन योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) सरकार राज्यों में विस्तृत जल प्रबंधन स्कीमों को शुरू करने पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि जल प्रबंधन पहलुओं की देखरेख विभिन्न मंत्रालयों की मौजूदा स्कीमों के तहत की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों को मारा जाना

2678. श्री अनंत कुमार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मारे गए विदेशी पर्यटकों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत को एक सुरक्षित पर्यटन स्थल बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) पर्यटकों की सुरक्षा राज्य का विषय है तथा इस संबंध में पर्यटन मंत्रालय द्वारा कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते।

(ख) और (ग) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के सभी प्रमुख पर्यटक केंद्रों/गंतव्यों पर पर्यटन पुलिस तैनात करने की सलाह दी है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति कर विशेष पुलिस दल तैयार करने पर विचार करने का भी अनुरोध किया गया है। आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली ने पर्यटन पुलिस तैनात कर दी है।

[हिन्दी]

इफको और कृभको के उर्वरक बिक्री केंद्र

2679. श्री मुनव्वर हसन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लि. (इफको) तथा कृषक भारती कोऑपरेटिव लि. (कृभको) के वर्तमान के कार्य कर रहे उर्वरक बिक्री केंद्रों तथा किसान सेवा केंद्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) 2004-05 के दौरान खोले गए तथा 2005-06 के दौरान खोले जाने हेतु प्रस्तावित ऐसे केंद्रों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) इस समय देश में 37381 सहकारी समितियां इफ्को उर्वरक बेचने का कार्य कर रही हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की 5630 समितियां शामिल हैं। इफ्को देश भर में अपने 157 किसान सेवा केंद्रों के माध्यम से भी अपने उर्वरकों का वितरण करता है। उत्तर प्रदेश में कोई किसान सेवा केंद्र प्रचालित नहीं हो रहा है। इसी प्रकार कृभकों वर्तमान में देश में 61 कृषक भारती सेवा केंद्र चला रहा है। उत्तर प्रदेश में 36 कृषक भारती सेवा केंद्र चल रहे हैं।

(ख) वर्ष 2004–05 के दौरान इफ्को ने कोई नया बिक्री केंद्र नहीं खोला है जबकि कृभको ने उत्तर प्रदेश में ही दो कृषक भारती सेवा केंद्र खोले हैं। इस समय इफ्को या कृभको के पास ऐसे नए केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता

2680. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री बालेश्वर यादव :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित कुछ सरकारों ने गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके पश्चात राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने भी गोधरा पंचमहल जिले के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) वर्ष 2002–03 से 2004–05 के दौरान, उत्तर प्रदेश की राज्य नोडल एजेंसी ने मंत्रालय की योजना स्कीम के तहत वित्तीय सहायता हेतु 145 परियोजना प्रस्ताव भेजे थे। बेकरी, फल तथा सब्जी परिरक्षण, दूध प्रसंस्करण, खाद्यान्न मिलिंग यूनिटों आदि की स्थापना/आधुनिकीकरण से संबंधित 30 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2003–04 में दूध क्षेत्र में मैसर्स पंचमहल जिला सहकारी दूध उत्पादक, गोधरा, गुजरात से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त सहकारी समिति से प्रस्ताव में कम पाई गई सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

बी.टी. कॉटन की चार किस्मों का अनुमोदन

2681. श्री बी. विनोद कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जी.ई.ए.सी.) ने यथा परीक्षणों के बाद देश में किसानों द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिए बी. टी. कॉटन की चार किस्मों का अनुमोदन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या फसल उपज तथा कीट अवरोधकता आदि के संबंध में इन किस्मों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न राज्यों में खेत स्तर पर कोई नमूना सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) इन सर्वेक्षणों का राज्यवार क्या परिणाम निकला?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सरकार ने अपेक्षित प्रयोग करा लेने के पश्चात देश के मध्य और दक्षिणी भाग में किसानों द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) के माध्यम से चार बी.टी. कपास संकरों के लिए अनुमोदन किया था।

(ख) और (ग) भारत सरकार के दिशा–निर्देशों पर बी. टी. कपास के निष्पादन के आकलन के लिए सभी कपास उत्पादक राज्यों में मानिटरिंग समितियां गठित की गई हैं। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों में यह पाया गया कि बी टी कपास का निष्पादन संतोषजनक था और कीटनाशाकों के अनुप्रयोग में कमी के कारण किसानों ने आर्थिक लाभ प्राप्त किए हैं।

बी. टी. कपास का क्षेत्र खरीफ 2002 के 0.70 लाख एकड़ से बढ़कर खरीफ 2003 में 2.30 लाख एकड़ हो गया है और खरीफ 2004 में यह और बढ़कर 12.00 लाख एकड़ हो गया है।

पर्यटन का विकास

2682. श्री सर्बानन्द सोनोवाल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ल्ड ट्रेवल एण्ड टूरिज्म काउंसिल ने बताया है कि भारत विश्व में तेजी से बढ़ रही दूसरी यात्रा तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था है;

(घ) यदि हां, तो क्या पूर्व वर्ष से भारत में पर्यटकों का आगमन बढ़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो पर्यटन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार का विचार कौन से ठोस कदम उठाने का है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) पर्यटन के विकास और संवर्धन का उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों का है। पर्यटन विभाग, भारत सरकार उन पर्यटन संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनका अभिनिर्धारण राज्य सरकारों के परामर्श से, किसी विशेष वित्तीय वर्ष में, निधियों की उपलब्धता की शर्त पर, उनकी पारस्परिक प्राथमिकता, मेरिट के आधार पर किया जाता है।

(ग) 'इंडिया–ट्रेवल एंड टूरिज्म फोर्जिंग अहेड' नामक भारत के लिए, विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद (डब्ल्यू.टी.टी.सी.) की 2004 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की यात्रा एवं पर्यटन अर्थव्यवस्था में, वर्ष 2004 के दौरान जी.डी.पी. का 4.9 प्रतिशत तथा 24,456,600 नौकरियों के सृजन की आशा है।

(घ) वर्ष 2003 में 2.73 मिलियन की तुलना में, वर्ष 2004 के दौरान लगभग 23.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए अनुमानित 3.37 मिलियन विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की।

(ङ) पर्यटन क्षेत्र तथा देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में सुधार हेतु, सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं :

- पर्यटक परिपथों एवं गंतव्यों के अवसंरचनात्मक विकास की इसकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पर्यटक स्थलों का विकास;
- 'इन्क्रेडिबल इंडिया' अभियान द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से ग्राहकों तक सीधी पहुंच स्थापित करना;
- विश्व स्तर की प्रचार सामग्री का सृजन करना;
- केंद्रीयकृत इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियान;
- विदेशों में टूअर ऑपरेटरों तथा थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर प्रत्यक्ष सहकारी मार्केटिंग करना;
- उभरते बाजारों, विशेषतया चीन, पूर्वोत्तर एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना;
- व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना;
- सम्पादकीय जनसम्पर्क तथा प्रचर को अधिकतम करना;
- इंटरनेट एवं वेब मार्केटिंग का प्रयोग करना;
- पर्यटन संबंधी प्रकाशनों का सृजन करना;
- विभिन्न पर्यटन उत्पादों पर स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए, मीडिया कार्मिकों और टूअर ऑपरेटरों को भारत की सुपरिचितिकरण यात्रा पर आमंत्रित करने के लिए आतिथ्य कार्यक्रम को पुनः प्रवर्तित करना, जिसमें एयर पैसेज प्रदान करना भी शामिल होगा;
- यूरोप के प्रमुख स्रोत बाजारों में रोड शोज प्रारम्भ करना;
- होटल अवसंरचना विशेषतया बजट होटलों की वृद्धि पर ध्यान देना; और
- प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के लिए एयर क्षमता में वृद्धि करने और सड़क अवसंरचना में सुधार करने के माध्यम से संपर्क बेहतर करना।

किसानों द्वारा आत्महत्या

2683. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान देश में विशेषकर कर्नाटक में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में दर्ज किए गए ऐसे मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं में अचानक आई तेजी के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों विशेष तौर पर कर्नाटक को कोई विशेष पैकेज प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में संरचनाओं का निर्माण

2684. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना के आवाह क्षेत्र में कतिपय संरचनाओं का निर्माण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन संरचनाओं की सूची तथा तत्संबंधी संगत ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना के आवाह क्षेत्र में 151 जल संचयन संरचनाओं के निर्माण होने की रिपोर्ट दी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार संरचनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	स्कीमों की संख्या	सकल क्षमता मिलियन घनमीटर में (मि.घ.मी.)	21.9.04 के अनुसार क्षमता मि.घ.मी.
1.	इंदौर	31	29.093	23.907
2.	धार	4	10.920	10.920
3.	देवास	12	13.788	12.920
4.	शाजापुर	3	1.722	1.538
5.	उज्जैन	34	94.721	80.510
6.	नीमच	22	14.802	13.831
7.	मंदसौर	23	42.436	33.792
8.	रतलाम	22	21.854	21.455
	कुल	151	229.336	198.243

[हिन्दी]

छोटे किसानों के हित

2685. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए गहन श्रम तथा मूल्य वर्धित कृषि को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेशम कीट पालन, काली मिर्च की खेती तथा कार्बनिक कृषि को बढ़ावा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की खेती करने के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों को बढ़ावा देने तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) राष्ट्रीय कृषि नीति, जुलाई, 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन पर जोर दिया गया है। वर्ष 2005–06 के संघीय बजट में भी भारतीय कृषि की रोजगार क्षमता का उल्लेख किया गया है और तदनुसार कृषि के लिए अधिक परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। देश में छोटे किसानों के बहुत अधिक अनुपात को ध्यान में रखकर भारत ने आदान सब्सिडियों की नीति को जारी रखा है।

(ख) और (ग) सरकार ने जैविकीय खेती के तहत जैविकीय उत्पादों के उत्पादन, प्रोत्साहन, प्रमाणीकरण तथा विपणन विकास के लिए उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए 57.05 करोड़ रुपये के परिव्यय से राष्ट्रीय जैविक खेती परियेजना नामक स्कीम को स्वीकृति दी है। इस स्कीम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(1) जैविकीय उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए एक तंत्र की स्थापना।

(2) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से क्षमता निर्माण।

(3) निम्नलिखित जैविक आदानों के उत्पादन हेतु वाणिज्यिक उत्पादन यूनिटों के लिए वित्तीय सहायता :

(क) फलों व सब्जियों के अवशिष्ट से निर्मित कम्पोस्ट;

(ख) जैव उर्वरक उत्पादन; एवं

(ग) वर्मिकल्चर हेतु हैचरियां।

(4) जैविक खेती को प्रोत्साहन एवं इसका विस्तार।

जहां तक काली मिर्च का प्रश्न है, इसकी खेती के लिए सहायता कृषि मंत्रालय की वृहद प्रबंध स्कीम के अंतर्गत दी जाती है।

निजी इस्पात उद्योगों द्वारा शुल्क मुक्त कच्चे माल का आयात

2686. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्री हंसराज जी. अहीर :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 से आज तक इस्पात पाइपों के लिए निर्यात आर्डरों को पूरा करने के लिए शुल्क मुक्त कच्चे माल का आयात करने वाली मध्य प्रदेश की निजी क्षेत्र की इस्पात इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है जो इस आयात के बाद इस्पात पाइपों का निर्यात नहीं कर सके हैं;

(ग) क्या उक्त उद्योगों ने इस्पात पाइपों के निर्यात में असफल हो जाने के बाद कच्चे माल का आयात करने के लिए सीमा शुल्क का भुगतान कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन उद्योगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र के वे उद्योग निम्नानुसार हैं जिन्होंने वर्ष 1999 से आज तक इस्पात पाइपों के निर्यात आर्डर को पूरा करने के लिए शुल्क मुक्त कच्चे माल का आयात किया है :

(i) एमजीएम ट्यूल्स प्रा. लि., इंदौर

(ii) फ्लैक्स ट्यूब्स, इंदौर

(iii) सिद्धार्थ ट्यूब्स लि., इंदौर

(iv) एवीएन ट्यूब्स लि., मालनपुर

(v) स्टील ट्यूब्स आफ इंडिया लि., देवास

(vi) डीटी इंडस्ट्रीज, इंदौर

(vii) मैटलमैन इंडस्ट्रीज लि., इंदौर

(viii) परफैक्ट टूल्स एंड फोर्जिंग्स प्रा. लि., इंदौर

(ix) शाइन सेफ इंडस्ट्रीज, इंदौर

(x) मॉडर्न आयरन वर्क्स, इंदौर

(xi) एस.टी.आई. सनोह (आई) लि. इंदौर

उपर्युक्त कंपनियों में से सिद्धार्थ ट्यूब्स लि., इंदौर शुल्क मुक्त कच्चे माल के आयात के बाद इस्पात पाइपों का निर्यात नहीं कर सकी।

(ग) से (ङ) निर्यात बाध्यता के एक भाग को पूरा करने में विफल रहने के कारण सिद्धार्थ ट्यूब्स लि., इंदौर द्वारा अग्रिम लाइसेंस संख्या 1096144 दिनांक 11.06.1999 के तहत ब्याज के अलावा 151302/– रुपये और अग्रिम लाइसेंस संख्या 197494 दिनांक 30.08.1999 के अंतर्गत ब्याज के अलावा लगभग 104697/– रुपये के सीमा शुल्क का भुगतान करना है। कंपनी को चूककर्ता घोषित कर दिया गया है और विदेश व्यापार नीति की किसी भी योजना के अंतर्गत उन्हें कोई और लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा है। कंपनी को ब्याज सहित उपर्युक्त उल्लिखित सीमा शुल्क का भुगतान 31.3.2005 तक करने का निदेश दिया गया है।

[अनुवाद]

इंडियन काउंसिल फॉर वेटिरिनरी एंड फिशरी रिसर्च का गठन

2687. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन काउंसिल फॉर वेटिरिनरी एंड फिशरी रिसर्च के गठन का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से निकाल कर मात्स्यिकी मामलों सहित भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए समय–समय पर विभिन्न मंचों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है तथा मंत्रालय की यह राय है कि फार्मिंग के संबंध में समेकित

दृष्टिकोण पर दिए गए बल को देखते हुए, जो कृषि, पशुधन एवं मात्स्यिकी क्षेत्रों के एकीकरण की मांग करता है, पशुचिकित्सा एवं मात्स्यिकी अनुसंधान के लिए एक अलग परिषद के सृजन का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश औषध तथा भेषज लिमिटेड

2688. श्री अशोक कुमार रावत : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश औषधालय भेषज लिमिटेड (यू.पी. डी.पी.एल), एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से घाटे में चल रहा है और उक्त कंपनी को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (घ) बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनर्वास योजना के फलस्वरूप आई.डी.पी.एल., केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी शेयर धारिता 1.4.2004 से उत्तर प्रदेश सरकार को अंतरित कर दी गई है। वर्तमान में यू.पी.डी.पी.एल. राज्य का एक पी.एस.यू. है। यू.पी.डी.पी.एल. से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और उनसे वह प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सेल द्वारा निर्यात में कमी

2689. श्री तूफानी सरोज : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003 तथा 2004 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा निर्यात किया गया कुल इस्पात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सेल अब अपने निर्यात में 6 प्रतिशत की कमी करने की योजना बना रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के संयंत्रों द्वारा वर्ष 2003–04, 2004–05 (अप्रैल–दिसंबर) के दौरान किए गए इस्पात के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है :

मात्रा : हजार एम.टी.

श्रेणी	2003–04	अप्रैल–दिसंबर, 2004
क. मृदु इस्पात		
बिलेट	486.0	105
वॉयर रॉड	38.0	17.8
संरचनाएं	1.0	2.3
टी.एम.टी. बार	9.0	0
एच.आर. क्वायलें/शीटें	240.0	13.6
सी.आर. क्वायलें/शीटें	11.0	0.2
प्लेटें	355.0	123.6
सी.आर.एन.ओ.	1.0	0
योग	1141.0	262.5
ख. विशेष इस्पात	28.0	36.4
योग (क+ख)	1169.0	298.9

(ख) सेल द्वारा अप्रैल–दिसंबर, 2004 के दौरान इस्पात का निर्यात गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में लगभग 67% कम था। सेल तथा इस्पात मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004–05 के लिए हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में 2004–05 के दौरान सेल चार एकीकृत इस्पात संयंत्रों से 400 हजार टन इस्पात (स्तर–3) का निर्यात करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी तुलना में सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों से अप्रैल–दिसंबर, 2004 के दौरान 262.5 हजार टन इस्पात उत्पादों का निर्यात किया गया है।

(ग) घरेलू बाजार में इस्पात की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से चालू वर्ष के दौरान निर्यात को सीमित कर दिया गया है।

सहकारी वित्तपोषण संस्थाओं को सुदृढ़ करने संबंधी समिति

2690. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी वित्तपोषण संस्थाओं को सुदृढ़ करने

संबंधी समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त सोसाइटियों के पुनरुद्धार हेतु किसी पैकेज की घोषणा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में कितनी सोसाइटी घाटे में चल रही हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सरकार ने अगस्त, 2004 में सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया था। कार्य बल ने 15 फरवरी, 2005 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) कार्य बल ने ऋण सहकारी संस्थओं के लिए 14,839 करोड़ रु. के वित्तीय पैकेज की सिफारिश की है। इस पैकेज में संचयी घाटों, अप्रदत्त मांगी गई प्रतिभूतियां, राज्य सरकारों से प्राप्तियां, राज्य सरकारों की अंश पूंजी का प्रतिफल, मानव संसाधन विकास, विशेष आडिट का आयोजन, कम्प्यूटरीकरण क्रियान्वयन लागत आदि शामिल हैं। वित्तीय सहायता का प्रावधान सहकारिता क्षेत्र में सुधारों से जुड़ा हुआ है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा कार्य बल की सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप से क्रियान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया गया है।

(च) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार 31 दिसंबर, 2004 की स्थिति के अनुसार 53,626 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां घाटे में चल रही हैं।

[अनुवाद]

भू-जल संबंधी सर्वेक्षण

2691. प्रो. चन्द्र कुमार : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय भू-जल बोर्ड ने देश में भू-जल की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) संबंधित राज्य भूमि जल संगठनों की सहायता से देश में भूमि जल की उपलब्धता का आवधिक आकलन करता है। देश की वार्षिक पुनर्भरणीय जल संसाधन क्षमता को 432 बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.) आंका गया है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश में पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधन का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	पुनर्भरणीय भूमि जल संसाधन (बी.सी.एम./वर्ष)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	35.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.44
3.	असम	24.72
4.	बिहार	26.99
5.	छत्तीसगढ़	16.07
6.	दिल्ली	0.29
7.	गोवा	0.22
8.	गुजरात	20.38
9.	हरियणा	8.53
10.	हिमाचल प्रदेश	0.37
11.	जम्मू-कश्मीर	4.43
12.	झारखंड	6.53
13.	कर्नाटक	16.19
14.	केरल	7.90
15.	मध्य प्रदेश	34.82
16.	महाराष्ट्र	37.87
17.	मणिपुर	3.15
18.	मेघालय	0.54

1	2	3
19.	मिजोरम	आकलन के अधीन
20.	नागालैंड	0.72
21.	उड़ीसा	20.00
22.	पंजाब	18.66
23.	राजस्थान	12.71
24.	सिक्किम	आकलन के अधीन
25.	तमिलनाडु	26.39
26.	त्रिपुरा	0.66
27.	उत्तर प्रदेश	81.12
28.	उत्तरांचल	2.70
29.	पश्चिम बंगाल	23.09
	कुल राज्य	431.77
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	आकलन के अधीन
2.	चंडीगढ़	0.030
3.	दादरा और नगर हवेली	0.042
4.	दमन और दीव	0.013
5.	लक्षद्वीप	0.002
6.	पांडिचेरी	0.029
	कुल संघ शासित प्रदेश	0.116
	कुल जोड़	431.886 (अर्थात 432)

[हिन्दी]

बिहार को खाद्यान्नों की आपूर्ति

2692. श्री गणेश प्रसाद सिंह :
श्री आलोक कुमार मेहता :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा वर्ष 2004–05 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत बिहार को 12 लाख टन खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती थी;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान तथा आज तक राज्य को आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों की मात्रा कितनी है;

(ग) खाद्यान्नों के शेष कोटा की आपूर्ति करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2005–06 के दौरान राज्य को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां। ग्रामीण विकास स्कीमों के अधीन बिहार को 11.92 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया था।

(ख) स्कीमवार आवंटन और उठान बताने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बिहार राज्य की आवश्यकता के अनुसार तथा रेलवे रैकों की उपलब्धता के अनुसार बिहार राज्य को मासिक आधार पर खाद्यान्नों का पारेषण किया जा रहा है।

(घ) नोडल मंत्रालय अर्थात् ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अब तक वर्ष 2005–06 के लिए बिहार हेतु आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2004–05 के दौरान बिहार को खाद्यान्नों के योजनावार किए आवंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

स्कीम	आवंटन	उठान (जनवरी, 2005 तक)
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	5.17	1.67
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक	3.84	0.00
राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम	2.71	0.00
अन्नपूर्णा	0.20	0.08
जोड़	11.92	1.75

पर्यटन स्थलों का विकास

2693. श्री सीता राम यादव :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए चुने गए ऐतिहासिक व्यक्तियों श्री महावीर, भगवान बुद्ध तथा महात्मा गांधी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों से संबंधित स्थानों की संख्या कितनी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) पर्यटक स्थलों का विकास मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार प्रति वर्ष राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से चिह्नित किए गए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाले पर्यटन संबंधी स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान बिहार के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	मायासरोवर झील, बोधगया के सामने से मौजूदा हाई स्कूल का स्थान परिवर्तन करना तथा नए हाई स्कूल के भवन का निर्माण	33.11	33.11
2.	भीमबांध (मुंगेर) में पारिस्थितिकी–पर्यटन का विकास	370.00	296.00
3.	मनेर में पर्यटक रिजार्ट का विकास	407.20	325.76
4.	बाल्मिकी नगर (पश्चिमी चम्पारण) के पारिस्थितिकी–पर्यटन का विकास	300.06	240.00
5.	गया में विष्णु विहार का विकास	271.06	216.84
6.	मनेर शरीफ, पटना में पर्यटक परिसर का निर्माण	500.00	400.00
7.	कामरूप जिले में नेपुरा गांव में जीओआई–यूएनडीपी इंडोजेनस टूरिज्म प्रोजेक्ट	19.80	15.84

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

2694. श्री दुष्यंत सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) ने मदर डेयरी फूड्स लिमिटेड को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एन.डी.डी.बी. का अपनी गतिविधियों का विविधीकरण करने तथा इसे विभिन्न राज्यों तक पहुंचाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए एन.डी.डी.बी. द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) मदर डेयरी फूड्स लिमिटेड (एफ.डी.एफ.एल.) को इसकी स्वामी कम्पनी मदर डेयरी फल एवं सब्जी लिमिटेड के साथ मिला दिया गया है क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इसका सृजन हुआ था, वह अब शेष नहीं रह गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों की 88 सहकारी संघों/परिसंघों ने एन.डी.डी.बी. की सहायता से परिदृश्य योजनाएं तैयार की हैं जिनमें प्रसंस्करण तथा विनिर्माण सुविधाओं, गुणवत्ता आश्वासन, उत्पादकता बढ़ोत्तरी, संस्थागत भवन एवं समिति संगठन, राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क तथा बाजार विकास आदि गतिविधियों को शामिल किया गया है।

ठोस कचरा प्रबंधन पर कार्यशालाएं

2695. श्री विक्रम केशरी देव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश के शहरी केंद्रों में दीर्घ तथा व्यवहार्य जल ऊर्जा पहल के रूप में ठोस कचरा प्रबंधन तथा निकासी व्यवस्था संबंधी लागत, बेकार जल संशोधन तथा निकासी के संबंध में कितनी कार्यशालाएं आयोजित की गईं; और

(ख) पर्यावरणीय अनुकूल इस कार्यक्रम के लिए चुने गए शहरों तथा छोटे कस्बों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपयुक्त अपशिष्ट प्रक्रिया सुविधाएं स्थापित करने के लिए जागरूकता पैदा करने सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशालाओं के आयोजन के लिए देश में संगठनों और संस्थानों को सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दस राष्ट्रीय स्तर कार्यशालाओं और चालू वर्ष के दौरान चार कार्यशालाओं का विभिन्न शहरों में आयोजन किया गया। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का भी अपशिष्ट–से–ऊर्जा पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 1986 से राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान नामक स्कीम चल रही है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान का इस वर्ष का विषय 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' है। इसके उप–विषय में घरेलू अपशिष्ट और कम्पोजिटिंग/वर्मी कम्पोजिटिंग, नगरीय अपशिष्ट और जैव चिकित्सा अपशिष्ट शामिल है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान का आयोजन मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित 29 क्षेत्रीय संसाधन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय संसाधन एजेंसियां अभियान चलाने के लिए पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, शिक्षा संस्थानों और राज्य सरकारी एजेंसियों आदि को आमंत्रित करती हैं। स्कीम के अंतर्गत कार्यों में चुने हुए विषयों पर पूरे देश में वर्ष भर सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है।

वनरोपण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में इमारती लकड़ी की जब्ती

2696. श्री भणि चारेनामै : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन के बाद संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन क्षेत्र और कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो 1999 से 2004 की अवधि में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में वन क्षेत्र के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इसी अवधि के दौरान जब्त की गई लकड़ी के आंकड़े क्या हैं तथा म्यांमार मूल की तथा भारतीय मूल की जब्त इमारती लकड़ी के अलग–अलग आंकड़े क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) उच्च अधिकार समिति का गठन 6.3.1997 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 4.3.1997 के आदेश के अनुपालन में किया गया था। देश के वन क्षेत्र का आकलन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा उपग्रह आंकड़ों का प्रयोग करके प्रति दो वर्ष बाद किया जाता है। वर्ष 1999 और 2001 में किए गए पिछले दो आकलनों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन क्षेत्र निम्न प्रकार है :

(क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)

1999 आकलन	2001 आकलन
1,66,917	1,69,366

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1999 और 2001 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र का राज्यवार आंकड़ा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) असम सरकार द्वारा जब्त इमारती लकड़ी के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

(क्यूबिक मीटर में)

1999–2000		2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004	
म्यांमार मूल	भारतीय मूल	म्यांमार मूल	भारतीय मूल	म्यांमार मूल	भारतीय मूल	म्यांमार मूल	भारतीय मूल	म्यांमार मूल	भारतीय मूल
शून्य	9556	शून्य	12459	शून्य	11619	शून्य	8975	शून्य	6080

विवरण

वन स्थिति रिपोर्ट 1999 और 2001 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन क्षेत्र के राज्यवार आंकड़े

(क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1999 आकलन	2001 आकलन
1.	अरुणाचल प्रदेश	68,847	68,045
2.	असम	23,688	27,714
3.	मणिपुर	17,384	16,926
4.	मेघालय	15,633	15,584
5.	मिजोरम	18,338	17,494
6.	नागालैंड	14,164	13,345
7.	त्रिपुरा	5,745	7,065
	कुल	1,66,917	1,69,366

भेषज उपयोग के लिए अणुओं का विकास

2697. डा. सुजान चक्रवर्ती : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भेषज उपयोग हेतु नए अणुओं के विकास के लिए कार्यवाही करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए 2005–06 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या मंत्रालय नए अणु विकास के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के अन्य अनुसंधान संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान भेषज उपयोग के लिए विकसित किए गए अणुओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितने अणुओं को विभिन्न भेषज कंपनियों द्वारा वास्तव में प्रयोग किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का 'औषध एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम' इस उद्देश्य की ओर एक महत्वपूर्ण पहल है। वर्ष 2003–04 के दौरान 150 करोड़ रु. की आरंभिक निधि से भेषज अनुसंधान और विकास सहायता निधि (पी.आर.डी.एस.एफ.) की स्थापना की गई तथा औषध एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम को पी.आर.डी.एस.एफ. योजना के साथ मिला दिया गया। इस निधि से प्राप्त ब्याज का उपयोग भेषज सेक्टर में आर एंड डी के लिए किया जाएगा। चूंकि इस धन पर ब्याज एक वर्ष के बाद ही प्राप्त होगा, अतः वित्त वर्ष 2003–04 के दौरान विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए 10 करोड़ रु. की आरंभिक बजटीय सहायता दी गई। वित्त वर्ष 2005–06 के दौरान इस निधि में 160 करोड़ रु. की राशि का आवंटन किया गया है।

(ग) ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

जारी की गई निधि (लाख रु. में)

वर्ष	2001–02	2002–03	2003–04
आवंटित राशि	400.00	975.00	975.00
खर्च की गई राशि	398.00	975.00	934.00

(घ) से (च) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और उद्योग जैसी अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों/संगठनों की साझेदारी के जरिए सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं में आर एंड डी की सहायता की जाती है।

नए सिंथेटिक मॉलिक्यूल

क्र.सं.	कार्यकलाप	स्थिति
1.	हाइपोलीपिडेमिक	कैडिला फार्मास्युटिकल्स के साथ 2004 में कोलैबोरेटिव–कम–लाइसेंसिंग करार
2.	मलेरिया रोधी	कोलैबोरेटिव–कम–लाइसेंसिंग करार इप्का लैबोरेट्रीज के साथ 24.11.04 को हुआ
3.	अल्सर रोधी	प्रक्रियाधीन
4.	एंटीआस्टीयोपोरोटिक	प्रक्रियाधीन
5.	तनाव का उपचार और प्रबंधन	प्रक्रियाधीन

इसके अतिरिक्त, फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा गत तीन

वर्षों के दौरान भेषज प्रयोग हेतु विकसित नए मॉलिक्यूलों की एक सूची विवरण में संलग्न है। ये मॉलिक्यूल औषध और सौंदर्य प्रसाधन नियमावली के अनुसार नैदानिक परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। अतः, देश में इन मॉलिक्यूलों के विपणन की अभी मंजूरी नहीं दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	प्रक्रियाधीन नए मॉलिक्यूलों का नाम
1.	एलएल–4218
2.	आरबीएक्स–7644 (रेनबिजोलिड)
3.	एलएलएल–3348 (डिसोरिस)
4.	133–एच
5.	एलएल–4858 (सुडोटर्ब)
6.	डब्ल्यूसीक–1152
7.	आरबीएक्स–11160
8.	डीआरएफ–10945
9.	जेडवाईएच1
10.	आरबीएक्स–10558
11.	आरबीएक्स–10416
12.	आरबीएक्स–11082
13.	थोमबिनेस
14.	सीटी–1
15.	आरबीएक्स 9841
16.	सीडीआर–134डी–123

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले शिक्षकों की नियुक्ति

2698. श्री अजीत जोगी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि 1983 में हुई भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की स्थापना के बाद से इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले एक भी शिक्षक की स्थायी आधार पर नियुक्ति नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो आरक्षित तथा अनारक्षित श्रेणियों से संबंध रखने वाले उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय यात्रा एवं प्रबंधन संस्थान (आई.आई.टी.टी.एम.) में प्रोफेसर के एक पद को छोड़कर सभी शिक्षण पदों पर नियुक्ति 'संविदा आधार' पर की गई है। प्रोफेसर के पद के लिए एकमात्र नियमित पदधारी सामान्य वर्ग से है। चूंकि नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई है इसलिए किसी भी पदधारी को नियमित नियुक्ति प्रदान करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में संविदा के आधार पर कार्य कर रहे शिक्षकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.स.	पद का नाम	शिक्षकों की संख्या	वर्ग
1.	प्रोफेसर एवं प्रशासक	01	01 सामान्य
2.	रीडर	01	01 सामान्य
3.	लेक्चरर	08	07 सामान्य एवं 01 अन्य पिछड़ा वर्ग

[अनुवाद]

दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा

2699. श्री काशीराम राणा :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध पाउडर तथा दुग्ध से संबंधित उत्पाद कम दरों पर देश में आ रहे हैं जिससे कि मांग कम हुई है तथा छोटे दुग्ध उत्पादकों को घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो देश में आने वाले दुग्ध पाउडर तथा पदार्थों को रोकने तथा अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी पेंशन योजना को घाटे

2700. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री विजय कृष्ण :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002–2003 के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत देनदारियों तथा परिसंपत्तियों के कारण 19,291 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2003–2004 के दौरान क्या उक्त देनदारी में और वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त देनदारी के भार में लगातार वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(च) ई.पी.एफ.ओ. द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का विचार है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई घाटा नहीं हुआ है। तथापि, 7वीं वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में 31.03.2003 की स्थिति के अनुसार 19,291 करोड़ रुपये के मूल्यांकन घाटे का उल्लेख किया गया है जो नकद घाटे से अलग है।

(ग) और (घ) वर्तमान में मूल्यांकन बीमांकक द्वारा 8वें वार्षिक मूल्यांकन (31.3.2004 की स्थिति के अनुसार) का कार्य किया जा रहा है।

(ङ) पेंशन की देनदारी विभिन्न कारकों अर्थात् सदस्यों की संख्या, पेंशन योग्य सेवा, पेंशन योग्य वेतन, पेंशनरों की संख्या, जीवन की प्रत्याशा तथा मृत्यु दर आदि का ही परिणाम है। चूंकि सदस्यता, पेंशनरों की संख्या तथा पेंशन योग्य सेवा प्रति वर्ष बढ़ रही है अतः देनदारी में भी वृद्धि हो रही है।

(च) मूल्यांकन तथा परामर्शदाता बीमांकक द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा की गयी है :

(i) अधिवर्षिता पेंशन दिये जाने के लिए आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाना।

(ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सारणी 'ख' तथा 'घ' को संशोधित किया जाना।

(iii) समयपूर्व पेंशन के मामलों में रियायती दर (डिस्काउंट रेट) को 3% से बढ़ाकर 5% किया जाना।

(iv) सदस्य पेंशन की गणना हेतु पिछली सेवा अवधि को पिछली मजदूरी/मजदूरी की अधिकतम सीमा के साथ जोड़ा जाना।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

2701. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के कर्मचारियों को प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाएं संतोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) राउरकेला इस्पात अस्पताल के लिए वार्षिक बजट कितना है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में अस्पताल को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(च) इस अस्पताल में चिकित्सा विशेषज्ञों के रिक्त स्वीकृत पदों का ब्यौर क्या है; और

(छ) इन पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां। राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के कर्मचारियों को प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाएं संतोषजनक हैं।

(ख) इस्पात जनरल हास्पिटल और फर्टीलाइजर हास्पिटल राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबंधनाधीन चलाए जा रहे हैं जिनमें इंडोर और आउटडोर चिकित्सा सुविधाओं सहित कुल 715 बिस्तर उपलब्ध हैं। इसके अलावा आर.एस.पी. ने इस्पात बस्ती में चार स्वास्थ्य केंद्र और संयंत्र में स्थित एक व्यवसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र भी उपलब्ध करवाए हैं।

नैदानिक और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेषज्ञतायुक्त इकाइयों की सूची निम्नानुसार है :

1. इंटेंसिव केयर यूनिट
2. हैमोडाइलेसिस यूनिट
3. न्यूक्लीयर मैडिसिन लैब
4. मोहन कुमार मंगलम बर्न सैंटर एंड प्लास्टिक सर्जरी
5. न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी क्लीनिक
6. हैमेटोलॉजी क्लीनिक
7. कार्डियक क्लीनिक
8. डाइबिटिक क्लीनिक
9. नेफ्रोलॉजी क्लीनिक
10. साइकैट्री क्लीनिक
11. ऑर्थोपैडिक क्लीनिक
12. लैप्रोसी एंड वेनेरोलॉजी क्लीनिक
13. रैटिना फोटो कोगुलेशन एंड ऑर्थोप्टिक यूनिट
14. एनस्थैशिओलॉजी क्लीनिक
15. क्लीनिकल कैमिस्ट्री ऑटो एनेएलाइजर
16. होल बॉडी अल्ट्रा साउंड यूनिट
17. एंडोस्कोपिक यूनिट
18. सीटी स्केन यूनिट
19. सामुदायिक कल्याण संबंधी कार्यकलाप
20. इम्यूनोजेशन क्लीनिक
21. गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी क्लीनिक
22. एंटी रेबीज प्रोफीलैक्टिक क्लीनिक
23. फीजियाथैरेपी
24. स्पीच थैरेपी एंड आडियोमैट्री क्लीनिक
25. पोस्टमार्टम यूनिट
26. ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनो–हैमेटोलॉजी
27. न्यू एक्सरे यूनिट एंड सुपर एम–100
28. व्यवसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र संयंत्र के अंदर
29. लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सुविधाएं
30. जैविक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कंप्यूटरीकृत नियंत्रण सहित वैपोक्लेव, श्रेडर, बॉयलर और कनवेयर सिस्टम
31. मॉलीक्युलर बायोलॉजी लेबोरेटरी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) आर.एस.पी. के इस्पात जनरल हॉस्पिटल को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए किया गया बजट आवंटन निम्नानुसार है :

2001–02	2493 लाख रुपये
2002–03	2938 लाख रुपये
2003–04	2993 लाख रुपये
2004–05	3088 लाख रुपये

(च) कंसलटैंट, नेफ्रोलॉजी (ई–4), कंसलटैंट, कार्डियोलॉजी (ई–4) और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (रेडियोलॉजी) (ई–2) प्रत्येक का एक पद रिक्त है।

(छ) समाचार पत्र में विज्ञापन के जरिए इन पदों को भरने के लिए पहले ही कार्रवाई की गई है।

ई.पी.एफ. में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंधन

2702. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री विजय कृष्ण :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबंधन की जानकारी है जैसा कि 13 दिसंबर, 2004 के बिजनेस स्टैंडर्ड में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) से (ग) जब कभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी कर्मचारी

की ओर से किसी प्रकार की धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितता या अवैध परितोषण की मांग करने और स्वीकार करने से संबंधित कोई मामला पता चलता है तो इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारक कदम उठाए जाते हैं और नियमों के अधीन यथा अपेक्षित विधिवत दाण्डिक कार्रवाई भी की जाती है।

[हिन्दी]

कृषि कालेज, इन्दौर में चिकित्सकीय एवं सुगंधित पौधों की योजना को जारी रखना

2703. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि कॉलेज, इन्दौर (मध्य प्रदेश) द्वारा चिकित्सकीय एवं सुगंधित पौधों की योजना को जारी रखने के लिए भेजे गए प्रस्ताव के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) केंद्र के कार्यों की समीक्षा करने के बाद पंचवर्षीय समीक्षा दल ने सिफारिश की है कि संस्थान का कार्य निष्पादन इसको आगे जारी रखने को न्यायोचित नहीं ठहराता है। तदनुसार, स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.)/आर्थिक एवं वित्तीय समिति (ई.एफ.सी.) के निर्णयानुसार दिनांक 1.4.2004 से केंद्र को बंद कर दिया गया है।

तथापि, इस क्षेत्र के आसपास मंदसौर में औषधीय एवं सुगंधीय पादपों का दूसरा केंद्र है, यह इंदौर के आस–पास के क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा कर रहा है।

[अनुवाद]

ऑटोमोबाइल में प्रयोग के लिए ईंधन की सफाई

2704. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इंजीनियरों ने ऑटोमोबाइल में प्रयोग के लिए ईंधन साफ करने हेतु एक प्रणाली ईजाद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनसे आटो उद्योग को क्या लाभ प्राप्त होंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ग) ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइलों के लिए आदिप्ररूप अनुमोदन प्रदान करने में कार्यरत है। तथापि, भारतीय परिष्करण शालाओं ने स्वच्छतर ईंधन उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया है।

[हिन्दी]

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत फसलें

2705. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवार, मोठ, धनिया, जीरा, मेथी, लहसुन तथा इसबगोल राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं;

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत इन फसलों को शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) राजस्थान में ये फसलें कुल फसल क्षेत्र का लगभग 18% हिस्सा तथा राज्य के कुल कृषि उत्पादन का केवल लगभग 7% हिस्सा कवर करती हैं।

(ख) से (घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत उन जिंसों को कवर किया जाता है जो अधिकांशतया अखिल भारतीय स्तर पर उचित रूप से दीर्घ काल तक रखी जाने वाली मदें हैं और/या खाद्य/पोषकीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। सरकार बागवानी जिंसों की अधिप्राप्ति के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम क्रियान्वित करती है। अत्यधिक फसल होने की स्थिति में बागवानी जिंसों के उत्पादकों को संकटकालीन बिक्री से बचाने के लिए राज्य सरकार जो इसके क्रियान्वयन में होने वाली हानि, यदि कोई हो, का 50% हिस्सा (उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में 25%) वहन करने के लिए सहमत है, के अनुरोध पर मंडी हस्तक्षेप स्कीम किसी विशेष जिंस के लिए क्रियान्वित की जाती है।

[अनुवाद]

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

2706. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996–2003 के दौरान 24 राज्यों में 13,823.05 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद सरकार अपर्याप्त योजना तथा राज्य सरकारों के साथ तालमेल के अभाव में त्वरित सिंचाई लाभों के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आज की तारीख के अनुसार लंबित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनकी राज्यवार वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति क्या है?

ऊर्जा संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने तथा पूरी हो चुकी परियोजनाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के दोहरे उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ऐसी निर्माणाधीन अनुमोदित वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को जो राज्यों की संसाधन क्षमता से बाहर हैं और पूरी होने की उन्नत अवस्था में हैं, केंद्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) मुहैया कराने के लिए वर्ष 1996–97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) आरंभ किया। मार्च, 2004 तक ए.आई.बी.पी. के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय ऋण सहायता के रूप में 24 राज्यों में वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 14347.68 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि के जारी करने से मार्च, 2004 तक 2657.575 हजार हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा सकेगा और 32 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा सकेंगी। ए.आई.बी.पी. ने समग्र रूप से सिंचाई क्षेत्र के विकास तथा विशेष रूप से सी.एल.ए. प्राप्त परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा दिया है। पिछले 5–6 वर्षों के अनुभव के आधार पर जल संसाधन मंत्रालय ने वर्ष 2003 एवं 2004 में व्यापक दिशानिर्देशों सहित ए.आई.बी.पी. को पूर्णतया पुनर्गठित किया है।

(ग) लंबित सिंचाई परियोजनाओं का वास्तविक तथा वित्तीय ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है।

विवरण

(राशि रुपये करोड़ में) (क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्माणाधीन परियोजनाएं			नवीनतम अनुमानित लागत	मार्च 2004 तक संभावित व्यय	1.4.2004 को शेष लागत (प्रत्याशित)	चरम क्षमता	मार्च 2004 तक संभावित सृजित क्षमता	1.4.2004 को शेष क्षमता (प्रत्याशित)
		वृहद	मध्यम	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	15	9	24	18075.03	9496.03	8579	2353.48	1647.4	706.08
2.	असम	5	5	10	1840.88	496.13	1344.75	268.17	131.22	136.95
3.	बिहार	9	3	12	4624.82	2320.66	2304.16	811.19	131.86	679.33
4.	छत्तीसगढ़	3	5	8	1932.33	1582.3	350.03	1744.62	586.39	158.23
5.	गोवा	1	0	1	966.56	501.61	464.95	26.89	13.21	13.68
6.	गुजरात	3	18	21	31961.79	17255.66	14706.13	1908	269.48	1638.52
7.	हरियाणा	4	0	4	962.13	770.82	191.31	254	168	86
8.	हिमाचल प्रदेश	1	2	3	288.57	93.02	1095.55	33.15	1.11	32.04
9.	जम्मू–कश्मीर	0	7	7	226.3	143.07	83.23	34.55	10.34	24.21
10.	झारखंड	5	19	24	5747.99	1844.81	3903.18	513.57	11.46	502.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	कर्नाटक	16	18	34	20538.85	12976.67	7562.18	1872.72	1068.03	804.69
12.	केरल	4	4	8	2608.8	1520.25	1088.55	220.73	86.09	134.64
13.	मध्य प्रदेश	16	5	21	17996.63	6149.63	11847	1827.61	203.15	1624.46
14.	महाराष्ट्र	56	95	151	39695.56	18807.73	20887.83	3703.24	1382.44	2320.8
15.	मणिपुर	2	1	3	702.32	343.74	267.58	55.94	4	51.94
16.	मेघालय	0	1	1	57.07	22.59	34.48	5.15	0	5.15
17.	उड़ीसा	10	10	20	7178.52	3553.9	3624.62	793.78	291.92	501.86
18.	पंजाब	1	0	1	1324.18	128.09	1196.09	0	0	0
19.	राजस्थान	4	4	8	6863.95	4497.23	2366.72	1217.35	818.69	398.66
20.	तमिलनाडु	0	2	2	105.36	86.12	19.24	7.19	0.	7.19
21.	त्रिपुरा	0	3	3	178	137.61	40.39	26.72	3.3	290.6
22.	उत्तरांचल	3	0	3	5334.1	253.08	5081.03	311.6	21	290.6
23.	उत्तर प्रदेश	9	0	9	7534.32	4247.39	3286.93	2152.27	711.99	1440.28
24.	पश्चिम बंगाल	2	8	10	2728.42	1038.95	1689.47	660.58	139.79	520.79
	कुल	169	219	388	179472.49	88358.09	91114.4	19802.5	7700.87	12101.63

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन

2707. श्री जुएल ओराम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों की सिंचाई परियोजनाएं कौन–कौन सी हैं जहां कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) सी.ए.डी.पी. के अंतर्गत परियोजनाएं किस वर्ष में सम्मिलित की गई थीं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 1.4.2004 से पुनर्संरचित किया गया है और इसे 'कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन' कार्यक्रम का नाम दिया गया है। शामिल किए जाने के वर्ष सहित ऐसी सिंचाई परियोजनाओं, जहां इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है, की राज्यवार सूची संलग्न विवरण–I के रूप में संलग्न की गई है।

(ग) इस कार्यक्रम के तहत केंद्र प्रायोजित अनुदान का परियोजनावार और राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। राज्यों को केंद्रीय सहायता निर्धारित लागत मानकों और वित्तीय प्रणाली के अनुसार वास्तविक और वित्तीय प्रगति के आधार पर जारी की जाती है। पिछले तीन वर्ष के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

ऐसी सिंचाई परियोजनाओं की राज्यवार सूची जिनमें कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है तथा कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत उन्हें शामिल किए जाने का वर्ष

क्र.सं.	परियोजना का नाम	शामिल किए जाने का वर्ष
1	2	3
I.	**आंध्र प्रदेश**	
1.	श्रीरामसागर	1974–75

1	2	3
	2. श्रीसैलम दायां तट नहर	1995–96
II.	अरुणाचल प्रदेश	
	3. पपुम्पारे जिले में चार पंचायतों अर्थात सागाली, मेन्जिओं, बालीजान और इटानगर में 62 लघु सिंचाई का समूह	2000–01
	4. 7 लघु सिंचाई अर्थात खरसांग, जोंग्लिम, पाथेर, चंगलांग और सिमरांग, केंग्कूट, सिमारी और पंचाओं का समूह	2000–01
	5. 6 लघु सिंचाई परियोजनाओं अर्थात रेमगांग, सिरेंग, कोरोंग, सोसो कोरोंग और सिब्रुम, एलोंग और सिपिर का समूह	2000–01
III.	असम	
	6. बोरदीकराई	1992–93
	7. कल्दिया	1992–93
	8. डाकाडोंग	1992–93
IV.	बिहार	
	9. गंडक	1974–75
	10. बदुआ और चंदन	1974–75
	11. कोसी	1974–75
	12. सोन	1974–75
V.	छत्तीसगढ़	
	13. बल्लार	1985–86
	14. महानदी, पैरी, तंदुला, जोंक और कोदार	1983–84
	15. हसदेव फेज–2	2003–04
VI.	गुजरात	
	16. कर्जन	1985–86
	17. सरदार सरोवर फेज–I	2003–04
VII.	हरियाणा	
	18. भाखड़ा नहर परियोजना	2003–04
	19. पश्चिमी यमुना नहर फेज–4	2003–04
	20. पश्चिमी यमुना नहर फेज–5	2003–04
VIII.	हिमाचल प्रदेश	
	21. प्रवाह सिंचाई परियोजना (हाइड्रो कुल्ह) जोगिन्दर नगर तहसील, मांडी जिला	1997–98
	22. 14 प्रवाह सिंचाई स्कीमें चौंतरा ब्लाक	2000–01
	23. कांगड़ा जिले में नूरपुर कमान जवाली तहसील में 24 लघु सिंचाई स्कीमें	2000–01
	24. मांडी जिले के ड्रांग और सदर ब्लाक में 40 लघु सिंचाई स्कीमों का समूह	2003–04
	25. उना जिले की उना तहसील में पांडोंगा हरोली सालोह क्षेत्र में 38 लघु सिंचाई स्कीमों का समूह	2003–04
	26. कांगड़ा जिले में थुराल के आई.पी.एच. प्रभाग के तहत 3 लघु सिंचाई स्कीमों का समूह	2003–04
	27. मांडी जिले में सरकाघाट तहसील में 42 लघु सिंचाई स्कीमों का समूह	2003–04
	28. सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र में 27 लघु सिंचाई स्कीमों का समूह	2003–04
	29. शिमला जिले के रामपुर ब्लाक में 12 लघु सिंचाई स्कीमों का समूह	2003–04
IX.	जम्मू-कश्मीर	
	30. इगो–फे नहर	1987–88
	31. मार्वल चरण–IV	2001–02
	32. मार्तंड	2001–02
	33. रफियाबाद	2001–02
	34. रावी नहर	1979–80
	35. तावी लिफ्ट सिंचाई	1974–75
	36. आहारबल कमान श्रीनगर कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	2003–04

1	2	3
37.	पुंछ नहर कमान (जम्मू कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण)	2003–04
38.	जैनगीर नहर (कश्मीर कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण)	2003–04
39.	बृंगी नहर कमान (श्रीनगर कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण)	2003–04
40.	कथुआ नहर कमान (जम्मू कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण)	2003–04
X.	झारखंड	
41.	कांची वीयर स्कीम	2003–04
42.	मयूराक्षी बायां तट नहर प्रणाली	2003–04
XI.	कर्नाटक	
43.	तराका	1993–94
44.	तुंगा एनीकट	1996–97
45.	घटप्रभा	1974–75
46.	मलप्रभा	1974–75
47.	तुंगभद्रा	1974–75
48.	ऊपरी कृष्णा	1974–75
49.	भद्रा जलाशय	1996–97
50.	अमरजा	2003–04
51.	वेन्टोरा	2003–04
52.	हीरेहल्ला	2003–04
XII.	केरल	
53.	पंबा	1992–93
54.	पेरियार घाटी	1992–93
55.	कन्हीरापुझा	1998–99
56.	पसाइस	1998–99
XIII.	मध्य प्रदेश	
57.	कोलार	1985–86
58.	रानी अवंतीबाई (बारगी)	1990–91
59.	ऊपरी वेनगंगा	1985–86
60.	बाघ	1985–86
61.	हारसी	1985–86
62.	कुंवर चैन सागर (दुधी) परियोजना	2003–04
XIV.	महाराष्ट्र	
63.	खड़कवासला	1983–84
64.	कुकादी	1979–80
65.	सूर्या	1983–84
66.	कृष्णा	1974–75
67.	घसकमान	1996–97
68.	ऊपरी पेनगंगा	1974–75
69.	ऊपरी वर्धा	1996–97
70.	निचली वुन्ना	1996–97
71.	भीमा	1974–75
72.	वान परियोजना	2003–04
XV.	मणिपुर	
73.	इंफाल बैराज	1993–94
74.	थोबल बहुउद्देश्यीय	1995–96
75.	लोकतक लिफ्ट सिंचाई	1974–75
76.	सिंग्दा बहुउद्देश्यीय परियोजना	2000–01
77.	8 लघु सिंचाई परियोजनाओं अर्थात साइकोट, मासेमलोक, वंगू, इथेइ मारू, हैपी, लामलांग, सीतालोक और सेरोऊ का समूह	2000–01
XVI.	मेघालय	
78.	10 लघु सिंचाई स्कीमों अर्थात तिएंगलेम और प्डेम इत्यादि का समूह	2001–02
XVII.	मिजोरम	
79.	40 लघु सिंचाई परियोजनाओं का समूह	2000–01

1	2	3
	जिसमें आइजाल जिले में 36 (29 प्रवाह और 7 लिफ्ट) स्कीमें तथा लुंगलेइ जिले में 4 लघु सिंचाई प्रवाह स्कीमें शामिल हैं	
80.	60 लघु सिंचाई स्कीमों का समूह (फेज–III आइजाल, लुंगपेट और चिम्तुइपुई जिला)	2003–04
XVIII.	**नागालैंड**	
81.	मेडजीफेमा बाउल	2001–02
XIX.	**उड़ीसा**	
82.	दाहा	1998–99
83.	जयमंगला	1998–99
84.	हीराकुंड	1974–75
85.	साल्की	1994–95
86.	महानदी डेल्टा	1974–75
87.	रुशिकुल्या	1994–95
88.	सालंदी दायां तट नहर	1994–95
89.	वैतरणी	1998–99
90.	पोट्टेरू	1985–86
91.	ऊपरी कोलाब	2003–04
92.	कंग्साबहल	2003–04
93.	कुनारिया	2003–04
XX.	**पंजाब**	
94.	कोटला शाखा	2003–04
95.	पूर्वी नहर प्रणाली	2003–04
96.	ऊपरी बारी दोआब नहर कमान	2003–04
XXI.	**राजस्थान**	
97.	चंबल	1974–75
98.	इंदिरागांधी नहर परियोजना	1974–75
99.	भाखड़ा नहर प्रणाली की अमर सिंह उप–शाखा और जासना जिला	1998–99
100.	सिघमुख नोहर	2003–04
XXIII.	**सिक्किम**	
101.	सिक्किम के उत्तर और पूर्वी जिलों की 17 लघु सिंचाई स्कीमों का समूह	2000–01
102.	सिक्किम के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों की 21 लघु सिंचाई स्कीमों का समूह	2000–01
XXII.	**तमिलनाडु**	
103.	थोप्पैयार परियोजना सलेम और धर्मापुरी जिले	2000–01
104.	कावेरी प्रणाली	1974–75
105.	परम्बिकुलम अलियार	1983–84
106.	तंबिरापारानी	1998–99
107.	डिंडीगुल जिले में पालार पोरान्दालार परियोजना	2000–01
108.	कृष्णागिरि	2000–01
109.	11 मध्यम सिंचाई स्कीमों का समूह	2003–04
XXIV.	**त्रिपुरा**	
110.	4 लघु सिंचाई परियोजनाओं का समूह	2003–04
XXV.	**उत्तर प्रदेश**	
111.	देवकली पंप नहर	2000–01
112.	तुमड़िया बांध नहर प्रणाली	2000–01
113.	सारदा नहर परियोजना	1989–90
114.	सरयू नहर प्रणाली–I	1997–98
115.	पूर्वी गंगा नहर	1990–91
116.	पूर्वी जमुना नहर	1990–91
117.	बेतवा और गुरसराय नहर	1990–91
118.	केन नहर प्रणाली	1990–91
119.	बेलन पंप नहर प्रणाली	1997–98
120.	टोन्स पंप नहर प्रणाली	1997–98

1	2	3
121.	ज्ञानपुर पंप नहर प्रणाली	1997–98
122.	स्रेन पंप नहर प्रणाली	1997–98
123.	नारायणपुर पंप नहर	2000–01
124.	ऊपरी गंगा नहर	1990–91
125.	मध्य गंगा नहर	1990–91
XXIV.	**उत्तरांचल**	
126.	लास्टर नहर के ऑफशूट्स	2001–02
127.	नाथूवाला और बालावाला नहरें	2001–02
128.	जाटोवाला और प्रतीतपुर नहर	2001–02
129.	तुमड़िया बांध नहर प्रणाली	2003–04
XXVII.	**पश्चिम बंगाल**	
130.	दामोदर घाटी निगम प्रणाली	1974–75
131.	कंग्साबती	1974–75
132.	मयूराक्षी	1974–75
133.	तीस्ता बैराज	1983–84

विवरण-II

पिछले तीन वर्ष (2001–02 से 2003–04 तक) के दौरान कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत राज्यों को जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	34.75	125.13	0.00
3.	असम	35.00	0.00	0.00
4.	बिहार	300.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	46.32	148.45	174.64
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	2321.79	620.92	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	155.95	182.21	118.07
10.	जम्मू–कश्मीर	171.22	344.00	417.09
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	3423.84	2652.61	2653.87
13.	केरल	507.94	0.00	108.31
14.	मध्य प्रदेश	15.86	615.05	203.56
15.	मिजोरम	6.88	9.14	9.11
16.	महाराष्ट्र	744.72	331.33	214.61
17.	मणिपुर	0.00	211.03	124.15
18.	मेघालय	0.00	11.34	15.99
19.	नागालैंड	133.16	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	504.76	264.90	299.45
21.	पंजाब	0.00	1622.00	1002.80
22.	राजस्थान	2654.66	2939.27	2038.30
23.	सिक्किम	5.50	1.25	0.00
24.	तमिलनाडु	1336.14	2305.80	2025.85
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	2274.19	2279.40	4738.91
27.	उत्तरांचल	0.00	75.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	284.00	0.00
	कुल	14672.68	15022.83	14144.71

हाथी उत्सव

2708. श्रीमती मेनका गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजीरंगा अभ्यारण्य में हाथी उत्सव के दौरान हाथियों की मॉक फाइटिंग तथा उनके अन्य खेलों की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस अवैध उत्सव की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के शताब्दी समारोह के दौरान ऐसा कोई शो आयोजित नहीं किया गया जिसमें हाथियों द्वारा अप्राकृतिक कार्य किए गए हों।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

घाटघर परियोजना

2709. श्री देविदास पिंगले : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की घाटघर परियोजना को क्रियान्वयन के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी.ए.डी.पी) के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

चतुर्थ मुंबई (मिडल-वैतरागा) जल आपूर्ति परियोजना को मंजूरी

2710. श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री वाई. जी. महाजन :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने चतुर्थ मुंबई (मिडल–वैतराना) जल आपूर्ति परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) टाटा कन्सलटिंग इंजीनियर्स की 1992 की मूल रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की मूल अनुमानित लागत कितनी थी तथा अब तक कितनी लागत वृद्धि हुई है; और

(च) परियोजना को बिना और विलंब के पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र के थाणे, जिला नासिक में चतुर्थ मुंबई (मिडल–वैतराना) जल आपूर्ति परियोजना के निर्माण के लिए 634.00 हैक्टेयर वनभूमि के वनेतर प्रयोग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। यह अनुमोदन गैर वनभूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण, ऐसी भूमि को आरक्षित वन घोषित करने और निवल वर्तमान मूल्य के भुगतान आदि की सामान्य शर्तों की शर्त पर प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक द्वारा इस परियोजना को सहायता उपलब्ध करवाने के बारे में व्यक्त की गई किसी सहमति के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ङ) प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा वानिकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों में दी गई सूचना के अनुसार परियोजना की कुल लागत 1996 के मूल्य स्तर पर 285 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2002 के अनुसार प्रत्याशित लागत लगभग 1,250 करोड़ रुपये है।

(च) चतुर्थ मुंबई (मिडल–वैतरणा) जल आपूर्ति के निर्माण के लिए 634.00 हैक्टेयर वन–भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए सामान्य शर्तों की शर्त पर 27.4.2004 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति

2711. श्री जी. वी. हर्ष कुमार : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय इस्पात नीति बनाई है जैसा कि दिनांक 1 जनवरी, 2005 के 'द हिंदू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 2020 तक 100 मिलियन टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य भी निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय इस्पात नीति (एन.एस.पी.) का मूल उद्देश्य भारतीय इस्पात उद्योग के सुधार, इसकी पुनर्संरचना और वैश्वीकरण के लिए एक योजना तैयार करना है। एन.एस.पी. का दीर्घकालिक लक्ष्य भारत को इस्पात क्षेत्र में स्वावलंबी और वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाना है।

(ग) 1991–1992 में इस्पात क्षेत्र को अविनियमित, लाइसेंस मुक्त और नियंत्रणमुक्त किया गया था। अतः इस्पात क्षेत्र में उत्पादन के लक्ष्य और निवेश संबंधी निर्णय बाजार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फिर भी, यह अनुमान लगाया गया है कि देश को इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए 2020 तक इस्पात का 1000 लाख टन से अधिक वार्षिकी स्वदेशी उत्पाद करना होगा जबकि 2004 में इसका उत्पादन 350 लाख टन था।

(घ) 2019–2020 तक 1000 लाख टन इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति में नियंत्रण मुक्त, वैश्विक स्तर पर एकीकृत और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में इस उद्योग के विकास में सामने आ रही आपूर्ति संबंधी बाधाओं को दूर करने की बात कही है। नीतिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नीति संबंधी विस्तृत ब्यौरे के अलावा राष्ट्रीय इस्पात नीति में विशिष्ट कार्य बिंदु भी तैयार किए गए हैं।

नदियों के पानी का बेकार होकर समुद्र में चले जाना

2712. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्नाटक की नदियों का जल बड़ी मात्रा में समुद्र में बेकार चला जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र तथा राज्य सरकारों ने पानी के बहाव को रोकने तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी द्वारा इसे कृषि, विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध कराने हेतु कोई नीतिगत निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदी प्रणालियां समुद्र में गिरती हैं। कर्नाटक सरकार ने समुद्र में गिरने वाले जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है। तथापि, राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर क्षेत्रों/बेसिनों की आवश्यकता को देखते हुए एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन सहित दूसरे क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल हस्तांतरण द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मत्स्यन बंदरगाहों का आधुनिकीकरण

2713. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार देश में मत्स्यन बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तथा राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए चालू वर्ष में राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या केरल सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) देश में प्रत्येक बंदरगाह पर गुणवत्ता तथा सफाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) विवरण संलग्न है।

(च) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार गुणवत्ता तथा स्वास्थ्यकर मत्स्य हैंडलिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यमान मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केंद्रों के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत हमारे देश के तटीय क्षेत्रों से लगी राज्य सरकारों को 50% तथा केंद्र

शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए वाणिज्य मंत्रालय भी निर्यात तथा सहायक गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचा विकास के लिए राज्यों को सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रहा है। राज्यवार सूचना संलग्नक के अनुसार है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	एफ.एच./एफ.एल.सी. के नाम	वर्तमान स्थिति	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1.	तमिलनाडु	चेन्नई एफ.एच.	ए.एस.आई.डी.ई. के तहत धनराशि पहले ही जारी कर दी गई है।	638.00
		टुटीकोरिन एफ.एच.	–तदैव–	504.41
2.	कर्नाटक	माल्पे एफ.एच.	राज्य सरकार को ए.एस.आई.डी.ई. कार्यक्रम के तहत उन्नयन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देना है।	100.00
3.	आंध्र प्रदेश	काकिनाडा एफ.एच. और निजामपटनम एफ.एच.	ए.एस.आई.डी.ई. कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को धनराशि पहले ही जारी कर दी गई है।	40.00 प्रत्येक
		मछलीपटनम एफ.एच.	ए.एस.आई.डी.ई. कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।	45.37
4.	गुजरात	वेरावल एफ.एच.	कार्य प्रगति पर है। ए.एस.आई.डी.ई. कार्यक्रम के तहत फिंगर जेटी सं. 1 से 5 तक को कंक्रीट करने का काम पूरा हो गया है।	381.26
		मंगरोल एफ.एच.	राज्य सरकार ए.एस.आई.डी.ई कार्यक्रम के तहत सहायता प्रस्ताव को अंतिम रूप देने वाली है।	54.67
5.	उड़ीसा	धामरा एफ.एच.	राज्य सरकार ए.एस.आई.डी.ई कार्यक्रम के तहत सहायता प्रस्ताव को अंतिम रूप देने वाली है।	150.00
6.	गोवा	मलिम लैंडिंग सैंटर	राज्य सरकार ए.एस.आई.डी.ई. कार्यक्रम के तहत सहायता प्रस्ताव को अंतिम रूप देने वाली है।	–
		कटबोना एफ.एल.सी.	–तदैव–	–
7.	केरल	निंदाकारा एफ.एच.	वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ए.एस.आई.डी.ई. कार्यक्रम के तहत सहायता एम.पी.ई.डी.ए. ने प्रस्ताव का सिफारिश कर दिया है।	650.00
		बेपोर एफ.एच.	–तदैव–	490.00
		पुथियाप्पा एफ.एच.	–तदैव–	277.00
		मुनाम्बम एफ.एच.	ए.एस.आई.डी.ई. कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव मंजूर।	227.00
		कोचीन एफ.एच.	उन्नयन कार्य पूरा होने के करीब है।	170.00
8.	महाराष्ट्र	ससून डॉक एफ.एच. तथा न्यू फेरी वार्फ एफ.एच.	पोर्ट ट्रस्ट प्रस्ताव को अंतिम रूप देने वाला है।	शून्य

नदियों का कटाव

2714. श्री किरिप चालिहा : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में धनश्री नदी के कारण हो रहे कटाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कटाव–रोधी उपायों के लिए कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। असम सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्तमान में कोरदोई गुड़ी (धनसिरीपार), ओल्ड कमरगांव, बरपाथर सिमालू–छापरी के इसके दायें तट पर स्थित विभिन्न पहुंचों में तथा सावनटोली रेलवे स्टेशन के नजदीक तथा कुरुवाबाही में इसके बाएं तट पर और मोइनापार क्षेत्र में धनसिरी नदी से कटाव हो रहा है।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने वर्ष 2001–2002 के दौरान असम में धनसिरी नदी की कटावरोधी स्कीमों, नामतः (i) असम, कारबी आंगलांग जिला चरण–I में धनसिरी नदी के कटाव से विभिन्न पहुंचों की सुरक्षा और (ii) असम, कारबी आंगलांग जिला चरण–II में धनसिरी नदी के कटाव से विभिन्न पहुंचों की सुरक्षा के लिए नान लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज (एन.एल.सी.पी.आर.) के अंतर्गत 3.75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, असम सरकार ने कुरुआबाही और बारपाथर सिमलु–छपरी क्षेत्रों में कटाव रोधी कार्य प्रारंभ किया है।

हैल्थ रिसोर्ट्स की स्थापना

2715. श्री पी. करूणाकरन : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में 'हैल्थ रिसोर्ट्स' की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) अवसंरचना के विकास का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का होता है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास तथा उत्पाद/गंतव्यों की अवसंरचना विकास की अपनी योजना के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता रहा है।

कृषि-वानिकी परियोजनाएं

2716. श्री जुएल ओराम : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन–किन राज्यों में कृषि वानिकी परियोजनाएं आरंभ की गईं;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) आज तक इन परियोजनाओं के संबंध में राज्यवार कितनी प्रगति की गई तथा इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा देश में गत तीन वर्षों के दौरान कोई कृषि वानिकी स्कीम अथवा परियोजना न तो कार्यान्वित की जा रही है और न ही आरंभ की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विकास कार्यों के लिए वृक्षों को काटा जाना

2717. श्री बालेश्वर यादव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में बनाए जाने वाले मेगा रेलवे स्टेशन के लिए हजारों हरे वृक्षों को काटे जाने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की अनुमति प्रदान करने से पूर्व उन वृक्षों के बदले में नए वृक्षों के समानुपातिक रोपण के लिए रेल मंत्रालय से कोई आश्वासन लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। आनंद विहार रेलवे टर्मिनल के निर्माण के लिए 15,462 वृक्षों की कटाई की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। रेलवे प्राधिकरणों द्वारा प्रतिपूर्ति वनीकरण किए जाने के उद्देश्य से पहचान किए गए 25 स्थलों पर 1,21,290 वृक्ष उगाए जाने की शर्त पर अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत और अधिक वस्तुओं को लाया जाना

2718. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दाल और खाद्य तेलों जैसी और अधिक खाद्य वस्तुओं के वितरण हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) इस समय केंद्रीय सरकार उचित दर दुकानों के जरिए वितरण के लिए राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराती है। प्रणाली के तहत उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि उचित दर दुकानों को दालों, नमक, खाद्य तेल, चाय आदि जैसी रोजमर्रा की खपत की मदों का कारोबार करने की अनुमति दी जाए।

इंडियन वाटर बैंक प्रोग्राम

2719. श्री सुबोध मोहिते : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों को जल की आपूर्ति करने के लिए 'इंडियन वाटर बैंक प्रोग्राम' के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षण हेतु धनराशि

2720. श्री अधीर चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि अनुसंधान एवं शिक्षण हेतु सरकार से और अधिक धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो आवश्यक धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धनराशि की कमी से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) आवश्यक धनराशि जारी करने के लिए सरकार द्वारा राज्यवार उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) डेयर/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2005–06 की वार्षिक योजना के अंतर्गत 1900 करोड़ रुपये की मांग की है। योजना आयोग/वित्त मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत 1150 करोड़ रुपये तथा गैर–योजना के अंतर्गत 792 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उभरते मुद्दों से निपटने के लिए अपने कृषि अनुसंधानों की प्राथमिकता निर्धारित की है, ताकि निधियों की कमी से कृषि उत्पादन के वर्तमान स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसी भी राज्य सरकार को निधियां जारी नहीं करती है। तथापि, देश के विभिन्न भागों में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सीधे निधियां जारी की जाती हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं और बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण

2721. श्री बापू हरी चौरे : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रशिक्षण द्वारा कितनी महिलाएं और बालिकाएं लाभान्वित हुईं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) देश में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा कौशल प्रशिक्षण के संवर्धन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं :

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (आई.टी.आईज/आई.टी.सीज) में प्रशिक्षण हेतु 36 नए व्यवसाय आरंभ किए गए हैं व सात अप्रचलित व्यवसाय हटा दिए गए हैं।
- बाजार मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में आवधिक संशोधन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, श्रम बाजार की मांग के अनुसार 9 व्यवसाय पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में संशोधन किया गया।
- कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं की बेहतर भागीदारी के लिए, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में महिलाओं की अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
- सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं हेतु 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

इस समय विभिन्न राज्यों/संघ शासित सरकारों के अंतर्गत 218 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा सामान्य व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 582 महिला प्रशिक्षण विंग हैं, जिनकी कुल सीट क्षमता 46658 है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अंतर्गत 3092 की सीट क्षमता सहित 11 महिला औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2002, 2003 व 2004 में क्रमशः 8852, 8916 एवं 9485 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। और इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य में क्रमशः 1320, 1407 व 1895 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

असंगठित क्षेत्र हेतु न्यूनतम मजदूरी

2722. श्री थावरचंद गेहलोत :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को दी गई न्यूनतम मजदूरी का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्र में पुरुष और महिला कामगारों द्वारा राज्यवार और वर्षवार कितनी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त की गई;

(ग) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र में कामगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी को पर्याप्त मानती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी आधार क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय और राज्य क्षेत्रों में अकुशल कामगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण–I में है।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करता है और पुरुष एवं महिला कामगारों में कोई भेद नहीं करता। उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय और राज्य क्षेत्रों कृषि नियोजन में अकुलशल कामगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण–II में है।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की दरें 1957 में भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा संस्तुत मानदंडों और भोजन, मकान, वस्त्र और अन्य विविध मदों की पारिवारिक जरूरतों के आधार पर अन्य दिशा–निर्देशों पर विचार करते हुए निर्धारित की जाती हैं।

विवरण-I

क्र.सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन (रुपयों में)		
		2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	49.08 से 106.04	52.00 से 96.38	52.00 से 109.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.87 से 42.11	39.87 से 42.11	39.87 से 42.11

1	2	3	4	5
3.	असम	50.00	50.00 से 63.00	25.00 से 63.00
4.	बिहार	45.00 से 64.62	45.18 से 64.62	50.00 से 64.62
5.	छत्तीसगढ़	–	52.87 से 79.13	52.87 से 79.13
6.	गोवा	60.00 से 125.00	60.00 से 125.00	56.00 से 94.00
7.	गुजरात	50.00 से 101.40	50.00 से 99.20	50.00 से 95.00
8.	हरियाणा	74.61	83.31	84.29 से 88.29
9.	हिमाचल प्रदेश	51.00	60.00	65.00
10.	जम्मू–कश्मीर	45.00	45.00	45.00
11.	झारखंड	–	64.73	64.73
12.	कर्नाटक	51.63 से 84.22	51.63 से 84.22	22.20 से 91.50
13.	केरल	30.00 से 143.67	67.14 से 169.70	67.14 से 169.70
14.	मध्य प्रदेश	51.80 से 74.34	54.56 से 82.58	56.96 से 86.62
15.	महाराष्ट्र	45.00 से 116.55	45.00 से 161.58	45.00 से 161.58
16.	मणिपुर	62.15 से 65.15	66.00	66.00
17.	मेघालय	50.00	50.00	70.00
18.	मिजोरम	84.00	84.00	84.00
19.	नागालैंड	45.00	50.00	50.00
20.	उड़ीसा	52.50	52.50	52.50
21.	पंजाब	72.38 से 82.08	82.65	87.59
22.	राजस्थान	60.00 से 63.31	60.00 से 70.65	73.00 से 75.92
23.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1.10.2004 से लागू किया गया है।		
24.	तमिलनाडु	44.93 से 115.80	52.66 से 125.20	54.00 से 133.88
25.	त्रिपुरा	25.00 से 53.05	50.00 से 53.00	50.00 से 53.00
26.	उत्तर प्रदेश	53.73 से 83.81	58.00 से 105.07	57.40 से 110.27
27.	उत्तरांचल	–	58.00 से 106.31	58.00 से 106.31
28.	प. बंगाल	58.90 से 165.78	62.42 से 203.86	62.42 से 203.86
29.	अंडमान एवं निकोबार	70.00 से 88.88	100.00 से 124.42	100.00 से 107.00

1	2	3	4	5
30.	चंडीगढ़	81.65	100.00	100.00
31.	दादरा और नगर हवेली	50.00 से 80.00	50.00 से 80.00	84.00
32.	दमन और दीव	50.00 से 60.00	50.00 से 60.00	50.00 से 60.00
33.	दिल्ली	102.60	107.10	110.10
34.	लक्षद्वीप	46.80	52.00	52.00
35.	पांडिचेरी	45.00 से 65.00	19.25 से 100.00	45.00 से 100.00
36.	केंद्रीय क्षेत्र	54.52 से 97.12	90.05 से 100.48	56.71 से 94.04

विवरण-II

क्र.सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन (रुपयों में)		
		2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	52.00 से 55.50 (क्षेत्रों के अनुसार)	52.00 से 55.50 (क्षेत्रों के अनुसार)	52.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	39.87 (क्षेत्र–I) 42.11 (क्षेत्र–I) (क्षेत्र के अनुसार)	39.87 (क्षेत्र–I) 42.11 (क्षेत्र–I) (क्षेत्र के अनुसार)	39.87 (क्षेत्र–I) 42.11 (क्षेत्र–I) (क्षेत्रों के अनुसार)
3.	असम	38.60 भोजन, मकान और वस्त्र सहित 45.00 भोजन, मकान और वस्त्र के बिना	50.00 भोजन, मकान और वस्त्र सहित 60.00 भोजन, मकान और वस्त्र के बिना	50.00 भोजन, मकान और वस्त्र सहित 60.00 भोजन, मकान और वस्त्र के बिना
4.	बिहार	45.18	45.18	50.00
5.	छत्तीसगढ़	–	52.87	52.87
6.	गोवा	58.00	58.00	94.00
7.	गुजरात	50.00	50.00	50.00
8.	हरियाणा	74.61	79.31 भोजन सहित 83.31 भोजन के बिना	84.29 भोजन सहित 88.29 भोजन के बिना
9.	हिमाचल प्रदेश	51.00	60.00	65.00
10.	जम्मू–कश्मीर	45.00	45.00	45.00
11.	झारखंड	$	$	$
12.	कर्नाटक	51.63	51.63	56.30

1	2	3	4	5
13.	केरल	32.00 हल्के कार्य के लिए 40.20 भारी कार्य के लिए	100.00 हल्के कार्य के लिए 150.00 भारी कार्य के लिए	100.00 हल्के कार्य के लिए 150.00 भारी कार्य के लिए
14.	मध्य प्रदेश	51.80	54.56	56.96
15.	महाराष्ट्र	क्षेत्र–I 51.00 क्षेत्र–II 49.00 क्षेत्र–III 47.00 क्षेत्र–IV 45.00	क्षेत्र–I 51.00 क्षेत्र–II 49.00 क्षेत्र–III 47.00 क्षेत्र–IV 45.00	क्षेत्र–I 51.00 क्षेत्र–II 49.00 क्षेत्र–III 47.00 क्षेत्र–IV 45.00
16.	मणिपुर	62.15 घाटी क्षेत्रों के लिए 65.15 पहाड़ी क्षेत्रों के लिए	66.00	66.00
17.	मेघालय	50.00	50.00	70.00
18.	मिजोरम	84.00	70.00	84.00
19.	नागालैंड	45.00	50.00	50.00
20.	उड़ीसा	52.50	52.50	52.50
21.	पंजाब	72.38 भोजन सहित 82.08 भोजन के बिना	82.65	87.59
22.	राजस्थान	60.00	60.00	73.00
23.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 दिनांक 1.10.2004 से लागू किया गया है।		
24.	तमिलनाडु	54.00	54.00	54.00
25.	त्रिपुरा	45.00	50.00	50.00
26.	उत्तर प्रदेश	58.00	58.00	58.00
27.	उत्तरांचल		$	58.00
28.	पश्चिम बंगाल	58.90 भोजन सहित 62.10 भोजन के बिना	108.57 भोजन सहित 111.77 भोजन के बिना	107.99 भोजन सहित 110.97 भोजन के बिना
29.	अंडमान एवं निकोबार	70.00 (अंडमान) 75.00 (निकोबार)	100.00 (अंडमान) 107.00 (निकोबार)	100.00 (अंडमान) 107.00 (निकोबार)
30.	चंडीगढ़	81.65	100.00	100.00
31.	दादरा और नगर हवेली	60.00	60.00	84.00
32.	दमन और दीव	$	$	$
33.	दिल्ली	102.60	107.10	110.10
34.	लक्षद्वीप	46.80	52.00	$

1	2	3	4	5
35.	पांडिचेरी	45.00 से 100.00	45.00 से 100.00	45.00 से 100.00
	पांडिचेरी	30.00 हल्के कार्य के लिए	30.00 हल्के कार्य के लिए	30.00 हल्के कार्य के लिए
	माहे क्षेत्र	40.20 भारी कार्य के लिए	40.20 भारी कार्य के लिए	40.20 भारी कार्य के लिए
	यनम क्षेत्र	19.25 से 26.25	19.25 से 26.25	55.00 से 75.00
	करईकल	45.00 से 100.00	45.00 से 100.00	45.00 से 100.00
36.	केंद्रीय क्षेत्र	87.01 से 97.12	90.05 से 100.48	94.04 से 104.89

टिप्पणी : $ लागू नहीं

सुपर सिंगल फास्फेट का उत्पादन और बिक्री

2723. श्री रामस्वरूप कोली : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इंदौर में रामा फास्फेट द्वारा सुपर सिंगल फास्फेट के लिए राजसहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि की मांग की गई और उसे वास्तव में कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त उद्योग द्वारा फास्फेट का कितना उत्पादन किया गया और बिक्री दर्ज की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) इंदौर (मध्य प्रदेश) स्थित मैसर्स रामा फॉस्फेट लिमि. की सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) इकाई को वर्ष 2001–2002 से अब तक एसएसपी की वर्षवार बिक्री पर दी गई राजसहायता (रियायत) इस प्रकार है :

वर्ष	रियायत (करोड़ रु.)
2001–2002	9.61
2002–2003	6.33
2003–2004	6.04
2004–2005 (अप्रैल से नवंबर, 2004)	4.99

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त इकाई की सिंगल सुपर फॉस्फेट के उत्पादन की मात्रा निम्नवत है :

वर्ष	उत्पादन (हजार मी. टन में)
2001–2002	78.200
2002–2003	90.300
2003–2004	99.926

माजुली द्वीप

2724. श्री अतीक अहमद :
डा. के. एस. मनोज :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में कटाव के कारण माजुली द्वीप के लुप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस द्वीप को बचाने के लिए कोई निवारक उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस द्वीप का वर्ष 1956 में कितना क्षेत्रफल था और वर्तमान क्षेत्रफल कितना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। माजुली द्वीप में कटाव की समस्या से निपटने के लिए द्वीप को बचाने के लिए निवारक उपाय शुरू किए गए हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा कटाव की समस्या अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक आधार पर निपटायी जाती है। अल्पकालिक उपायों

के संबंध में ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा 6.22 करोड़ रुपये की लागत से एक स्कीम सफलतापूर्वक पूरी की गई है। दीर्घकालिक उपाय के रूप में भारत सरकार द्वारा 41.28 करोड़ रुपये की लागत से फेज–I संबंधी कार्य का अनुमोदन जनवरी, 2005 में किया गया है और इसे ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू कर दिया गया है।

वर्ष 1950 में इस द्वीप का क्षेत्रफल 1246 वर्ग कि.मी. था। 1950 के भूकंप के बाद बाढ़ और कटाव की समस्या काफी गम्भीर हो गई है और उपलब्ध राजस्व रिकार्डों के अनुसार, 50 वर्षों में इस द्वीप का 370 वर्ग कि.मी. क्षेत्र समाप्त हो गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक की सिंचाई परियोजनाओं हेतु सहायता

2725. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए कृष्ण निर्वाणी नदी के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25000 करोड़ रुपये की मांग की है और कावेरी नदी पर कृष्णराजसागर की मरम्मत और आधुनिकीकरण हेतु 5000 करोड़ रुपये की भी मांग की है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार को सहायता देने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (घ) सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के वास्ते केंद्र सरकार को कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केंद्र सरकार 8 निर्माणाधीन वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 1996–97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत केंद्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) मुहैया करा रही है और 15 मार्च, 2005 तक 2111.79 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इन 8 परियोजनाओं में से एक परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई गई केंद्रीय ऋण सहायता से पूरी की जा चुकी है।

[हिन्दी]

मिनरल वाटर का अवैध उत्पादन

2726. श्री गणेश सिंह : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जिन कंपनियों को आई.एस.आई. चिह्न आवंटित किया गया उनका और उनके ब्रांड नामों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आई.एस.आई. चिह्न आवंटित करने से पूर्व समुचित रूप से नमूने लिए गए थे और उनका परीक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने आई एस 13428 : 1998 के अनुसार पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल के लिए 7 लाइसेंस मंजूर किए हैं जिनमें से एक लाइसेंस विदेशी विनिर्माता प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत है। ब्रांड नामों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस मंजूर करने से पूर्व संबंधित आवेदक की विनिर्माण क्षमताओं, प्रक्रिया नियंत्रणों, इन हाऊस परीक्षण सुविधाओं, परीक्षण कार्मिकों की क्षमता, स्वास्थ्यकर परिस्थितियों तथा नमूनों की संबंधित भारतीय मानकों से समनुरूपता को सत्यापित करता है। उत्पाद के नमूने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लिए जाते हैं तथा भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला/भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में उनका परीक्षण करवाया जाता है ताकि संबंधित भारतीय मानक में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं का परीक्षण किया जा सके। संतोषजनक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा अन्य शर्तों को पूरा करने पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आवेदक को लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाता है। लाइसेंस की वैधता एक वर्ष के लिए होती है तथा उसके बाद कार्य निष्पादन के आधार पर उसकी अवधि बढ़ाई जाती है।

विवरण

आई एस 13428 : 1998 के अनुसार पैकबंद नेचुरल मिनरल वाटर के लाइसेंसधारकों की सूची

हिमाचल प्रदेश

क्र.सं.	लाइसेंसधारी का नाम तथा पता	ब्रांड नाम
1.	हिमाचल प्लाइवुड प्राइवेट लिमिटेड, 1–2, औद्योगिक क्षेत्र, शमशी, जिला कुल्लू	मनाली
2.	माऊंट एवरेस्ट मिनरल वाटर लिमिटेड, गांव तथा डाकघर, धौला कुआं, तहसील पोंटा साहिब, जिला सिरमौर	हिमालयन
3.	धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड गांव रायसन, जिला कुल्लू	कैच एण्ड रोहतांग
4.	जी.सी. बिवरेज, प्लाट नं. 63, एच.पी.एस.आई.डी.सी., बद्दी, जिला सोलन	लाइफ स्प्रिंग एण्ड नैचुरल स्प्रिंग
5.	मनाली फूड एंड बिवरेज, इंडस्ट्रीय, विलेज वाशिंग, डाकघर बबेली, जिला कुल्लू	लाइफ

उत्तरांचल

क्र.सं.	लाइसेंसधारी का नाम तथा पता	ब्रांड नाम
1.	अल्फा एकुआ एसोसिएट, 7/1, औद्योगिक क्षेत्र, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर	हमारा डालमिया नं. 1

फ्रांस

विदेशी विनिर्माता तथा अन्य प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत

क्र.सं.	लाइसेंसधारी का नाम तथा पता	ब्रांड नाम
1.	एस.ए. डेस औक्स मिनरल्स 'डि' इवियन, फ्रांस	इवियन

[अनुवाद]

मुख्य फसलों की उत्पादकता का स्तर

2727. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्य फसलों की उत्पादकता का स्तर बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत और अन्य देशों में मुख्य फसलों के उत्पादकता स्तर में कितनी असमानता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) प्रमुख फसलों के उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। तथापि, वार्षिक तौर पर उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। उत्पादकता का संवर्धन करके और विभिन्न फसलों के क्षेत्र कवरेज को बढ़ाकर उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है।

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) उत्पादन वर्ष पुस्तिका, 2002 के अनुसार वर्ष 2002 में भारत और विश्व में कुछ देशों में प्रमुख फसलों की उत्पादकता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उपज : किलोग्राम/हेक्टेयर

देश	चावल	गेहूं	ज्वार	मक्का	मूंगफली	आर/सरसों	कपास बीज	गन्ना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विश्व	2611	2720	1280	4343	1381	1486	1788	65802

1	2	3	4	5	6	7	8	9
भारत	1943	2770	743	1705	794	1000	754	68049
यू.एस.ए.		2373	3179	8157	2870		1902	
फ्रांस		7449		8813		3100		
चीन	4177	3885	3619	5022	2966	1504	3978	66353
इंडोनेशिया	2955				1538			
ब्राजील				2989				71235
मैक्सिको			3280	2437				74746
नाईजीरिया			1090		970			
पाकिस्तान							1867	48056

बाल श्रम के संबंध में भारत-अमरीकी संयुक्त सहयोग का क्रियान्वयन

2728. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सी. सी.ई.ए.) ने 13 अक्तूबर, 2004 को बाल श्रम के संबंध में भारत–अमरीका संयुक्त सहयोग के क्रियान्वयन को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग ने श्रम व रोजगार मंत्रालय तथा अमरीकी श्रम विभाग के बीच अगस्त, 2000 में हस्ताक्षरित 'बाल श्रम उन्मूलन हेतु वृहत्तर भारत–अमरीकी सहयोग' संबंधी संयुक्त वक्तव्य के अनुसरण में इंडस (भारत–अमरीकी) नामक बाल श्रम परियोजना शुरू की है। इंडस परियोजना का लक्ष्य एवं उद्देश्य शिक्षा विभाग के साथ प्रभावी सामंजस्य स्थापित कर चिह्नित जिलों में बाल श्रम का उन्मूलन सुनिश्चित करना है। परियोजना में, सभी जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रमों से बाल श्रम के उन्मूलन का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 20 जिलों में परियोजना को कार्यान्वित किया जाना है।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

2729. मो. मुकीम : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात के मूल्य को बढ़ाने की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे गरीब उपभोक्ताओं सहित सभी क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) उदारीकृत माहौल में कीमतें बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। अतः कीमतों सहित वाणिज्यिक निर्णय संबंधित इस्पात उत्पादकों द्वारा लिए जाते हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने घरेलू बाजार में इस्पात की पर्याप्त उपलब्धता और इसकी कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ इस्पात और

साथ ही इस्पात उत्पादन हेतु आदानों पर आयात शुल्क में यथेष्ट कमी, इस्पात मदों के संबंध में डी.ई.पी.बी. दरों में कमी, लोहा और इस्पात तथा फैरो मिश्र की सभी मदों के लिए अधिकतम कीमतें निर्धारित करना, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए लोहा और इस्पात सामग्रियों का आवंटन बढ़ाना और सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों को घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के बाद ही निर्यात किए जाने की सलाह देना आदि शामिल हैं।

नदियों का राष्ट्रीयकरण

2730. श्री के. सी. पलनिसामी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कतिपय राज्यों के बीच जल विवाद के कारण देश में नदियों और जल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों के बीच जल के समान रूप से बंटवारे हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्यों के बीच 'जल का बंटवारा/वितरण' के संबंध में राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में दिया गया प्रावधान नीचे दिए गए अनुसार है :

"21.1 राज्यों के बीच जल के बंटवारे/वितरण को जल संसाधन की उपलब्धता और नदी बेसिन के भीतर की आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान देते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निर्देशित होना चाहिए। बेसिन के बाहर के भी जल की कमी वाले राज्यों सहित बेसिन राज्यों के बीच भावी समझौतों को सुगम बनाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश विकसित किए जाने की आवश्यकता है।"

"21.2 अधिकरण को भेजे गए जल विवाद को समय से अधिनिर्णय के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की उपयुक्त रूप से समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिए।"

अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 को अगस्त, 2002 में संशोधित किया गया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा फैक्ट्रियों की स्थापना

2731. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई नाडम : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में अलंग पत्तन सहित देश में भारतीय इस्पात प्राधिकरण की कोई फैक्ट्री स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जानी है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) वर्तमान में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) की गुजरात राज्य सहित देश में कोई नया इस्पात कारखाना स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्यों में पर्यटन स्थलों का विकास

2732. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सहित राज्यों के किन-किन पर्यटन स्थलों के विकास हेतु विदेशी सहायता प्राप्त की है;

(ख) ऐसे पर्यटन स्थलों को विदेशी सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) ऐसी सहायता से अब तक राज्यवार किन-किन पर्यटन स्थलों का विकास किया गया है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) विदेशी सहायता के माध्यम से विकास के लिए पर्यटक स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधार पर और पर्यटकों के हित के लिए इन स्थानों/परिपथों का सभी उपलब्ध संसाधनों एवं विशेषज्ञों का समिश्रण करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकास करने के लिए चिह्नित किया जाता है। तथापि, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल में पर्यटक स्थलों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) विदेशी सहायता से अभी तक विकसित किए गए

राज्यवार पर्यटक स्थलों में उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा तथा श्रावस्ती और बिहार में बोधगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली शामिल हैं। इन राज्यों में बौद्ध परिपथ में अवसंरचना विकास की परियोजना पर कार्य किया गया और यह परियोजना वर्ष 1998 में पूरी कर ली गई। महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा संरक्षण का प्रथम चरण एवं अजंता एवं एलोरा पर पर्यटन विकास परियोजना पर विदेशी सहायता से कार्य किया गया जो 2002 में पूरा कर लिया गया। इस परियोजना का दूसरा चरण वर्ष 2003 में आरंभ हुआ और इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले स्थान हैं, पिठलखोड़ा, औरंगाबाद, दौलताबाद, पटना देवी, लोनार, नासिक, पुणे, एलिफेंटा गुफाएं, भज तथा बेड़सां, शिवनेरी, मलसेज तथा अजंता एवं एलोरा के अलावा कोलवन।

[अनुवाद]

गैर-अनुसूचित औषधियों के मूल्यों की गणना

2733. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) की गैर–अनुसूचित औषधियों के मूल्य के अनुवीक्षण में क्या भूमिका है;

(ख) देश में अनुसूचित औषधियों की तुलना में गैर–अनुसूचित औषधियों के अधिकतम खुदरा मूल्यों की गणना के क्या मानक और आधार हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान एन. पी.पी.ए. द्वारा गैर–अनुसूचित औषधियों के मूल्य–निर्धारण के संबंध में किए गए ऐसे कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी.पी.सी.ओ., 1995) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट औषध और उन पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा डी.पी.सी.ओ., 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। यदि किसी अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग के स्वीकृत/अधिसूचित मूल्य का कोई उल्लंघन होता है तो डी. पी.सी.ओ., 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

गैर–अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण, विनिर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान एवं विकास व्यय, व्यापारिक कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्धा, उत्पाद सुधार, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

व्यापार चैनल के द्वारा विपणित आम उपभोग की दवाओं के मूल्यों के प्रचालन को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण/सरकार नियमित रूप से मानीटर करती है तथा जब कभी जनहित को प्रभावित करने वाली अनुचित मूल्य वृद्धि के उदहारण मिलते हैं, हस्तक्षेप किया जाता है।

[हिन्दी]

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड

2734. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में अधिकारियों की भर्ती के लिए कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ए.एस.आर.बी.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड की संरचना किस प्रकार की है;

(ग) क्या उक्त बोर्ड के कुछ सदस्यों ने पिछले तीन वर्षों में बोर्ड की चयन प्रक्रिया का बायकॉट किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, जिनका उक्त अवधि के दौरान चयन किया गया परंतु जिन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) के नियमों और उपनियमों के अनुसार कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (कृ.वै. च.मं.) के अंतर्गत एक पूर्णकालिक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की लखनऊ न्यायपीठ के रोक आदेश को ध्यान में रखते हुए केवल एक नियुक्ति नहीं की गई है। अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष,

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी गई स्वीकृति के बाद, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की सिफारिशों पर नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-विविधता का संरक्षण और इसे बढ़ावा देना

2735. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने इस साल फरवरी में सौ वर्ष पूरे किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समारोह की विशेषताएं क्या थीं;

(ग) क्या इस समारोह के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-विविधता के संरक्षण तथा इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी लागत कितनी है; और

(च) इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समारोह की विशेषताएं हैं :

(i) हाथी जुलूस और जैव विविधता रैली।

(ii) 'नेचर टूरिज्म', 'मैन-एनीमल कोइग्जिस्टेन्स', 'ग्रासलैंड मेनेजमैंट', 'एविफाउनल डाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन', 'विजन काजीरंगा : वियाण्ड 2005', 'रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ वाइल्ड एनीमल्स' विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां।

(iii) काजीरंगा के संतरियों को ट्रिब्यूट।

(iv) वन्य जीव और पर्यावरण से संबंधित फिल्मों और छायाचित्रों की प्रदर्शनी।

(v) पूर्वोत्तर राज्यों की अद्वितीय प्रजातियों को रोपित करके जैव विविधता उद्यान की स्थापना।

(घ) और (ङ) अलग से कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वन्यजीव के संबंध में प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों का उद्देश्य प्रदेश की जैव विविधता का संरक्षण करना है।

(च) विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों पर उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

राशन कार्डों की अतिरिक्त यूनिटें

2736. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या की तुलना में राशन कार्डों में दर्ज यूनिटों की संख्या अधिक है;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस व्यापक अनियमितता का कारण मतदाता सूची के साथ ऐसी प्रवृष्टियों की जांच करने हेतु कोई प्रणाली नहीं होना है;

(घ) यदि हां, तो क्या अवैध अप्रवासियों को भी कार्ड जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो अवैध रूप से ऐसे कार्ड जारी करना रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय नागरिकता पंजी तैयार करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राशन कार्डों में प्रविष्ट की गई यूनिटों की संख्या के बारे में सूचना केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की वसूली करने और भारतीय खाद्य निगम के प्रमुख वितरण केंद्रों तक इनकी ढुलाई करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और लाभार्थियों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने तथा उचित दर दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

(घ) और (ङ) सरकार को अवैध अप्रवासियों को राशन कार्ड जारी करने के बारे में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, राशन कार्ड जारी करने वाली राज्य सरकारों से आशा की जाती है कि वे राशन कार्ड जारी करने से पूर्व लाभार्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करें।

(च) और (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ई.पी.एफ.ओ. लेखा का कम्प्यूटरीकरण

2737. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) ई.पी.एफ.ओ. के लेखाओं के कम्प्यूटरीकण का कार्य पूरा करने की तिथि क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के मुख्य कार्यकलाप जैसे अंशदान प्राप्ति, पेंशन भुगतान, लेखा पर्चियों को जारी करना और दावों के निपटान आदि इस समय कंप्यूटरीकृत हैं। तथापि, लेखाओं का रखरखाव एकल प्रविष्टि लेखा प्रणाली (नकद लेखा प्रणाली) के आधार पर किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 'रि–इन्वेंटिंग ई.पी.एफ. इंडिया' नामक आधुनिकीकरण परियोजना शुरू की है जिसके क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप सभी क्रियाकलाप 100 प्रतिशत कम्प्यूटरीकृत हो जाएंगे। इसके अलावा, दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (लेखा संचयन प्रणाली) के लिए लेखा प्रणाली में परिवर्तन भी किया जाएगा।

बिजनेस प्रोसेस रि–इंजीनियरिंग रिपोर्ट, साफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसीफिकेशन्स, साफ्टवेयर डिजाइन डाकुमेंट की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के पश्चात् यह परियोजना साफ्टवेयर विकास करने के चरण में है।

मैंजेण्टो बी.टी. कॉटन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव

2738. श्री पी. मोहन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बी.टी. कॉटन के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीटनाशाकों की जरूरत होती है तथा इसकी उपज दर भी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास मैंजेण्टो बी.टी. कॉटन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार के पास किसानों की क्षतिपूर्ति करने हेतु मैंटेण्जो कम्पनी पर दाबव डालने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन मवेशियों और उनके दूध पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की जांच करवाई है जिन्हें नियमित रूप से बी.टी. कॉटन से बनी खली खिलाई जाती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने मवेशियों जैसे–गाय, भैंस, मुर्गी एवं मछलियों पर जांच की है और परिणाम दर्शाते हैं कि खाद्य या चारे के रूप में बी.टी. कपास का लक्षित मवेशियों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है।

(च) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एन.डी.आर.आई.), करनाल में दूध देने वाली गायों पर, पशु पौषणिक विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान कालेज, जी.बी. पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर में दूध देने वाली भैंसों पर, केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान (सी.ए.आर.आई.) इज्जतनगर में मुर्गी पर और केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान (सी.आई.एफ.ई.) मुंबई में मछलियों पर अध्ययन आयोजित किए गए।

वन विभागों का कार्यक्रम

2739. श्री गिरिधारी यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति वन विभागों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित काष्ठ आधारित उद्योगों को विनियमित/निगरानी करें;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित राज्यों में उक्त आदेश का क्रियान्वयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा किए गए विनियमन/निगरानी के क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों में न्यायालय के आदेशों के कड़ाई से क्रियान्वयन की देखरेख तथा इमारती लकड़ी उत्पादों, वनों या ट्रांजिट डिपुओं में तथा मिल परिसरों में पड़ी इमारती लकड़ी सहित सभी प्रकारों में समस्त इमारती लकड़ी की सूची तैयार करने के लिए दिनांक 4.3.1997 के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में उच्च शक्ति प्राप्त समिति (एच.पी.सी.) गठित की गई है। सभी राज्यों से इसके अनुपालन की रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) से (ङ) उच्च शक्ति प्राप्त समिति (एच.पी.सी.) द्वारा दिए गए नियमन/मॉनीटरिंग के परिणाम निम्नलिखित हैं :

(i) राज्य वन विभाग एवं निगम इमारती लकड़ी या इमारती लकड़ी उत्पादों की बिक्री एच.पी.सी. के दिशानिर्देशों के अनुसार कर रहे हैं।

(ii) एच.पी.सी. द्वारा स्वीकृत काष्ठ आधारित उद्योग/इकाइयों के पुनः स्थापन के लिए औद्योगिक संपदाएं स्थापित की गई हैं।

(iii) एच.पी.सी. द्वारा स्वीकृत न की गई काष्ठ आधारित चालू इकाइयों को बंद करने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।

कपास की भारी पैदावार

2740. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे विश्व में कपास की भारी पैदावार और इसके कारण मूल्य में आयी भारी गिरावट की वजह से देश में कपास उत्पादक किसान गंभीर संकट में पड़ गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) वर्ष 2004–05 में कपास का उत्पादन भारत और विदेश दोनों में पिछले साल से काफी अधिक हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर उत्पादन को ध्यान में रखते हुए कपास के मूल्यों में गिरावट आती रही है। तथापि कपास के किसानों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारतीय कपास निगम वर्ष 2004–05 के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कपास की खरीद करता रहा है। 16 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार 25.79 लाख लिंट गांठों के समतुल्य 132.57 लाख क्विंटल कपास (सीड कॉटन) की खरीद की गई है। कपास की खरीद हेतु अवसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को ध्यान में रखतो हुए सरकार ने हाल ही में कपास की खरीद करने हेतु भारतीय कपास निगम के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड को एक एजेंसी के रूप में घोषित किया है।

टूरिज्म ट्रैंगल

2741. श्री राकेश सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जबलपुर क्षेत्र में टूरिज्म ट्रैंग्ल की संभावनाएं तलाश रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं का लाभ उठाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य सहित देश में पर्यटन अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए पर्यटन का विकास एवं संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य भी शामिल है, परामर्श करके प्रति वर्ष प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह देश में स्थित अपने बीस भारत पर्यटन कार्यालयों तथा विदेश स्थित तेरह पर्यटन कार्यालयों एवं 'इन्क्रेडिबल इंडिया' अभियान के माध्यम से पर्यटक रुचि वाले स्थानों/स्थलों का संवर्धन भी करता है।

मध्याह्न भोजन योजना से चावल का अन्यत्र उपयोग

2742. श्री राम कृपाल यादव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कुछ अधिकारियों और

कर्मचारियों को मणिपुर में मध्याह्न भोजन योजना हेतु निर्धारित चावल का अन्यत्र उपयोग करने हेतु गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त भंडार का उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि कर्मचारी भूमिगत संगठनों से नहीं मिले हुए हैं।

(ग) और (घ) दोषी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अनियमितताओं में शामिल पाए गए अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

''कार्सिनोजेनिक सल्फरस वेस्ट'' के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी खतरे

2743. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल रेयॉन कंपनी द्वारा महाराष्ट्र के एम्बीवैली में डाले जा रहे कार्सिनोजेनिक सल्फरस वेस्ट का प्रयोग झुग्गीवासियों द्वारा वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप वहां के निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कौन से खतरे पैदा हो गए हैं; और

(ग) इसे रोकने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी, नहीं। जैसा कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि मैसर्स नेशनल रेयान कारपोरेशन, एम्बीवैली, महाराष्ट्र द्वारा उत्पन्न होने वाले सल्फ्यूरस खतरनाक अपशिष्ट का कंपनी के परिसर के भीतर क्षेत्र में ही भंडारण किया जाता है। इसलिए अपशिष्ट स्लम बस्तियों सहित आवासीय क्षेत्र में नहीं पहुंचता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 2003 में संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 1989 के अंतर्गत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मैसर्स राष्ट्रीय रेयान कारपोरेशन को अनुमत प्राधिकरण के अंतर्गत उनके द्वारा उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट की मुंबई वेस्ट मेनेजमेंट लि. द्वारा एम.आई.डी.सी. औद्योगिक इस्टेट–तलोजा जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट के लिए चलाए जा रहे सामूहिक शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा में निपटान करना अपेक्षित है।

नारियल गिरी हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य

2744. श्री एम. शिवन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक कार्य मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सी.सी.ई.ए.) ने नारियल गिरि (कोपरा) का न्यूनतम समर्थन मूल्य तत्काल प्रभाव से बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने वर्ष 2005 मौसम के लिए दिनांक 13 जनवरी, 2005 को 3570/– रु. प्रति क्विंटल पर मिलिंग खोपरा तथा 3820/– रुपये प्रति क्विंटल पर बाल खोपरा के उचित औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित किये हैं। मिलिंग खोपरा और बाल खोपरा के विगत वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में वर्ष 2005 मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 70 रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई है।

लौह अयस्क का निष्कर्षण

2745. श्री सुग्रीव सिंह : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की खानों में उपलब्ध अनुमानित लौह अयस्क तथा उनमें से अब तक निकाले गए लौह अयस्क की मात्रा का स्थान–वार और खान–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) संबंधित राज्यों में से प्रत्येक को अब तक कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) लौह अयस्क की अनुमानित उपलब्धता और स्टील आथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) की निजी खानों से अभी तक उत्खनित किए गए लौह अयस्क की मात्रा का खान–वार तथा स्थान–वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

खान का नाम	स्थान–स्थिति	उत्खनन योग्य अनुमानित भंडार (मिलियन टन)	प्रारंभ से अब तक उत्खनित अनुमानित लौह अयस्क (मिलियन टन)
किरीबुरु	झारखंड	44*	116
मेघाहातावुरु	झारखंड	26*	56
बोलानी	उड़ीसा	154*	78
बरसुआ	उड़ीसा	52*	51
काल्टा	उड़ीसा	70*	33
राजहरा	छत्तीसगढ़	21**	101
दल्ली	छत्तीसगढ़	46**	79
झारन दल्ली	छत्तीसगढ़	13**	25
दुल्की सहित महामाया	छत्तीसगढ़	12**	6

*1.03.2005 की स्थिति के अनुसार।

**1.01.2005 की स्थिति के अनुसार।

(ख) वर्ष 2002–03, 2003–04 और 2004–05 (अप्रैल–दिसंबर, 2004) के दौरान राज्यों को भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि निम्नानुसार है :

(लाख रुपये)

राज्य	2002–03	2003–04	2004–05 (अप्रैल–दिसंबर, 2004)
झारखंड	775	823	562
उड़ीसा	633	635	470
छत्तीसगढ़	761	962	659

[हिन्दी]

प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाना

2746. श्रीमती अनुराधा चौधरी :
श्री मो. ताहिर :
श्री मुन्शी राम :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में भूमि और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर और अधिक ध्यान देने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या देश के विभिन्न भागों में अधिक उपज वाली नई फसलों की सिंचाई हेतु काफी मात्रा में भूमिगत जल निकालने की जरूरत पड़ती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या ऐसे क्षेत्रों के लिए सिंचाई के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) भूमि एवं जल संसाधन के विकास के लिए स्कीमें तैयार करना राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। तथापि, यू.पी.ए. सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत इन विषयों को पर्याप्त महत्व दिया गया है। जल संसाधन मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 300 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय से 'कृषि से सीधे रूप में जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय परियोजना' पर एक प्रायोगिक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम को जनवरी, 2005 में अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार निवल सिंचित क्षेत्र, निवल बुवाई क्षेत्र का 39.6% है।

(घ) अधिक उपज वाली नई फसलों की सिंचाई हेतु काफी मात्रा में भूमिगत जल निकालने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में उर्वरकों का मूल्य

2747. श्री जोवाकिम बखला :
श्री हितेन बर्मन :
श्री सुव्रत बोस :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में उर्वरकों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य में उर्वरकों की हो रही काला बाजारी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस कालाबाजारी को रोकने तथा पश्चिम बंगाल विशेषकर जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के किसानों को राज सहायता प्राप्त मूल्य पर उर्वरक की आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (घ) किसानों को वहनीय मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक मात्र नियंत्रित उर्वरक, सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचा जाता है और डी.ए.पी., एम.ओ.पी. और एन.पी.के. मिश्रित उर्वरक जैसे नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेचे जाते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट का अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तय किया जाता है। एस.एस.पी. को छोड़कर नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्देशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य पश्चिम बंगाल सहित देश भर में एक समान हैं। उर्वरकों का विक्रय मूल्य 28.2.2002 से नहीं बढ़ाया गया है। 28.2.2003 को उर्वरकों के विक्रय मूल्य में की गई मामूली वृद्धि 12.3.2003 से वापस ले ली गई थी।

वर्ष 2004–05 में पश्चिम बंगाल राज्य में उर्वरकों की काला बाजारी की कोई शिकायत नहीं मिली है। उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफ.सी.ओ.) 1985 के खंड 21 के तहत सांविधिक मूल्य नियंत्रण के तहत आने वाले या सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र में न आने वाले सभी प्रकार के उर्वरकों के बैगों पर अधिकतम खुदरा मूल्य मुद्रित करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति बैग पर मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य नहीं लेगा। एफ.सी.ओ. के इस अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एक एफ. सी.ओ. और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकारें प्रवर्तन एजेंसियां हैं और किसी भी प्रकार के अनाचार में लिप्त दोषी व्यक्ति के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उन्हें पर्याप्त अधिकार हैं।

उर्वरक संयंत्र

2748. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने ओमान में उर्वरक काम्पलैक्स की स्थापना हेतु ओमान सल्तनत की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौता ज्ञापन की निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) भारतीय कंपनियों को दिए गए इक्विटी शेयरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर अनुमानित कितना व्यय आएगा; और

(ङ) इस परियोजना की अद्यतन प्रगति क्या है तथा इसके कब तक पूरा होने तथा प्रचालित होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार और ओमान सल्तनत सरकार के बीच ओमान में संयुक्त उद्यम गैस आधारित उर्वरक परियोजना की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए भारतीय और ओमानी प्रायोजकों के बीच सहयोग करने के लिए 15 जून, 1993 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे।

इसके बाद, ओमान सरकार और भारत सरकार तथा दोनों पक्षों के प्रायोजकों के बीच 30 जुलाई, 1994 को एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें भारतीय और ओमानी प्रायोजकों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर सहमति हुई :

(i) विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

(ii) विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट को पूरा करने तक कार्यक्रमों का प्रबंधन करना।

(iii) ओमान–भारत उर्वरक कंपनी (ओमिफको) के नाम से संयुक्त उद्यम कंपनी (जे.वी.सी.) निगमित करना।

(iv) संयुक्त उद्यम कंपनी का पूंजी ढांचा, वित्तीय भागीदारी तथा प्रबंधन और संचालन।

(v) जे.वी.सी. के शेयरों के स्थानांतरण/बिक्री को अधिशासित करने के प्रावधान।

(vi) जे.वी.सी. के अधिकार और प्रतिबद्धताएं।

(ग) से (ङ) वर्तमान में, भारतीय कंपनियों अर्थात् कृभको और इफको प्रत्येक की सामय धारिता 80 मिलियन अमेरिकी डालर (344 करोड़ रुपये के बराबर) है जो ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (ओमिफको) की कुल 320 मिलियन अमेरिकी डालर की साम्य का 50% है। परियोजना की कुल लागत 969 मिलियन अमेरिकी डालर है।

3 फरवरी, 2005 तक परियोजना की समग्र संचयी प्रगति 98.88% है। परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन 15.7.2005 से शुरू होना है।

[हिन्दी]

लंबित पर्यटन योजनाएं

2749. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :
श्री संतोष गंगवार :
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तरांचल की कितनी पर्यटन योजनाएं केंद्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) ये योजनाएं केंद्र सरकार के पास कब से लंबित पड़ी हैं और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को उनके परामर्श से परस्पर प्राथमिकता, गुणवत्ता तथा किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में धन राशि की उपलब्धता और इसके साथ-साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, विस्तृत लागत आकलन, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर सहायता प्रदान करता है।

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

2750. श्री संतोष गंगवार :
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सहित राज्यों में निर्माणाधीन उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम और संख्या क्या हैं जिन्हें विदेशी सहायता प्राप्त हुई है तथा तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं को किस तिथि को शुरू किया गया था; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) बाह्य सहायता प्राप्त निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की संख्या 11 है। परियोजना के संबंध में करार की तारीख और पूरा करने की तारीख का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं के नाम	करार की तारीख	पूरा करने की तारीख
1	2	3	4	5
(क)	**विश्व बैंक**			
1.	आंध्र प्रदेश	ए.पी. इकोनोमिक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट सिंचाई घटक	04.02.1999	30.09.2005
2.	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	04.06.2002	31.01.2009
3.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना	31.11.2004	30.09.2010
4.	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना	15.03.2002	31.03.2008
5.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना	08.03.2002	31.10.2007

1	2	3	4	5
(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय				
6.	उड़ीसा	उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	03.07.1995	31.12.2005
(ग) द्विपक्षीय सहायता (जेबीआईसी जापान)				
7.	आंध्र प्रदेश	कुर्नूल–कुडप्पा नहर का आधुनिकीकरण	25.01.1996 (ट्रेंच–I)	26.02.2005
			31.03.2004 (ट्रेंच–II)	22.03.2009
8.	मध्य प्रदेश	राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	25.02.1997	29.05.2006
9.	उड़ीसा	रेंगाली सिंचाई परियोजना	12.12.1997 (ट्रेंच–I)	31.12.2004
			31.03.2004 (ट्रेंच–II)	31.12.2007
(जर्मनी)				
10.	महाराष्ट्र	लघु सिंचाई परियोजना	31.12.1998	30.12.2006
11.	हिमाचल प्रदेश	लघु सिंचाई एवं ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना	31.10.2002	31.12.2005

तालाबों का सूखना

2751. श्रीमती जयाप्रदा :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पूर्व दशक के दौरान करीब 2.77 से 2.92 लाख तालाब सूख गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इतने बड़े पैमाने पर तालाबों के सूख जाने के कारण देश में जल भंडारण क्षमता में कितनी कमी आई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जल राज्य का विषय है। तालाबों की संख्या और सूखे तालाबों की संख्या के संबंध में सूचना सभी राज्यों के पास उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1993–1994 में राज्यों द्वारा कराई गई एवं जल संसाधन मंत्रालय द्वारा संकलित की गई लघु सिंचाई गणना के अनुसार 3,50,239 लघु सिंचाई टैंक/तालाब/बंध उपयोग में थे। ऐसे 59,224 तालाब उपयोग में नहीं थे, जिनमें से 9889 सूखे तालाब थे।

(ग) तालाबों की जल भंडारण क्षमता में कमी साधारणतः तालाबों के सूखने के कारण नहीं बल्कि विभिन्न कारणों से गाद भरने/कचरे के भरने के परिणामस्वरूप होती है। तालाबों की भंडारण क्षमता में कमी संबंधी आंकड़े तैयार नहीं किए गए हैं।

(घ) तालाबों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए इसकी गहराई एवं गाद हटाने संबंधी कार्य राज्य सरकारों द्वारा कराया जाता है। नए भंडारण सृजित करने तथा जल आपूर्ति के संवर्धन के लिए अन्य कार्यों हेतु संरचनाओं के निर्माण का कार्य भी कराया जाता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान राज्यों द्वारा प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से संघ सरकार ने 300 करोड़ रुपये की लागत से "कृषि से सीधे रूप में जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनर्स्थापन पर राष्ट्रीय परियोजना" नामक एक प्रायोगिक स्कीम का अनुमोदन किया है। इससे जल निकायों की भंडारण क्षमता के पुनर्स्थापन एवं संवर्धन तथा नष्ट हो चुकी सिंचाई क्षमता को पुनः प्राप्त करने और इसे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। प्रायोगिक परियोजनाओं के पूरा एवं अनुसमर्थन होने पर समस्त जल निकायों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन विकास परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी

2752. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) को 80 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या 13.67 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का एक प्रस्ताव था जिसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सिपेट के लिए उक्त ऋण को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां। योजना में, बाह्य सहायता–प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत, 80 करोड़ रु. का निवेश किया जाना था जिसमें से 15 मिलियन अमेरिकी डालर ओपेक ऋण तथा 1.67 मिलियन अमेरिकी डालर प्रतिरूप निधि के रूप में भारत सरकार द्वारा दिया जाना था।

(ख) से (घ) सिपेट ने इस राशि की ओपेक से अनुदान के रूप में मांग की थी जिस पर ओपेक सहमत नहीं हुआ। अतः परियोजना के आकार को घटाकर 13.67 मिलियन अमेरिकी डालर (16.52 करोड़ रु.) कर दिया गया जिसमें 12.30 मिलियन अमेरिकी डालर ओपेक ऋण तथा 1.37 मिलियन अमेरिकी डालर योजना सहायता थी। ओपेक द्वारा भेजे गए ऋण करार के प्रारूप में कतिपय शर्तों के चलते ऋण करार को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। ऋण करार को अंतिम रूप देने के लिए इन ऋण शर्तों के मसले को विधायी कार्य विभाग के साथ उठाया गया है।

[हिन्दी]

कृषि को आयकर के दायरे में लाना

2753. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि को आयकर के दायरे में लाने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लघु और मध्यम स्तर के किसानों की स्थिति सुधारने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छोटे एवं सीमांत किसानों सहित किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने सिंचाई, ऋण एवं अन्य आदान और प्राकृतिक आपदा के कारण हुए उत्पादन के नुकसान के एवज में फसल बीमा से संबंधित कई उपाय किए हैं। सरकार बीज, पौध संरक्षण रासायनों एवं उपकरणों आदि की खरीद के लिए किसानों को सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एन.ए.आई.एस.) के तहत छोटे एवं सीमांत किसान प्रीमियम की 50% राजसहायता के पात्र हैं, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन किया जाता है।

[अनुवाद]

मंगलोर मत्स्यन पत्तन

2754. श्री डी. वी. सदानन्द गौडा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने मंगलोर मत्स्यन पत्तन चरण–2 हेतु कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 144.67 लाख रुपये का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। संघ सरकार ने सितम्बर, 1997 में केंद्रीय प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के तहत 75 लाख रुपये की लागत से मंगलौर मत्स्यन बंदरगाह चरण–2 के

लिए कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार को केंद्रीय हिस्सेदारी की 50% परियोजना लागत दो किस्तों में जारी की गई थी, जुलाई, 2000 में 30 लाख रुपये की पहली किस्त तथा जून, 2003 में 7.50 लाख रुपये की दूसरी किस्त।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत 144.67 लाख रुपये के संशोधित लागत प्राक्कलन के एक प्रस्ताव पर अगस्त, 2004 में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे अनुमोदित परियोजना से हटने तथा अतिरिक्त मदों को शामिल करने तथा परियोजना के पूरा होने की ठोस अवधि के बारे में पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत करें।

नया वेतन बोर्ड

2755. श्री गुरुदास दासगुप्त : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के कर्मचारियों के एक शिष्टमंडल ने नया वेतन बोर्ड गठित करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) जी, हां।

(ख) पी.टी.आई. कर्मचारी परिसंघ, यू.एन.आई कामगार संघ और अखिल भारतीय समाचारपत्र कर्मचारी परिसंघ के शिष्टमंडल ने श्रमजीवी पत्रकारों तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों के लिए नए वेतनबोर्ड के गठन के लिए एक ज्ञापन सौंपा था।

(ग) पिछले वेतन बोर्ड अर्थात् मनीसाना वेतन बोर्ड की दिसंबर, 2000 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरी तरह कार्यान्वयन अभी किया जाना शेष है। तथापि, प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के दृष्टिगत इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

तिलहन उत्पादन

2756. श्री वीर सिंह महतो :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोटे अनाज के स्थान पर तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तिलहन उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भारत सरकार मोटे अनाजों की तुलना में तिलहनों का उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित कर रही है ताकि किसानों को मोटे अनाजों से तिलहन की और अपनी फसल उत्पादन में विविधीकरण लाने में प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा, प्रजनक बीज की खरीद, आधारी बीज के उत्पादन, प्रमाणिक बीज के उत्पादन और वितरण बीज मिनीकिटों के वितरण, पौध संरक्षण रसायनों, पौध संरक्षण उपकरणों, खर–पतवार नाशियों के वितरण, राइजोबियम कल्चर/फास्फेट, घुलनशील बैक्टीरिया, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइट की आपूर्ति, स्प्रिंकलर सेटों और जल वाहक पाइपों के वितरण, प्रचार आदि के लिए "समेकित, तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का स्कीम' नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत सहायता दी जा रही है ताकि किसानों को तिलहन उगाने में प्रोत्साहन दिया जा सके। किसानों के बीच उन्नत उत्पादन प्रौद्योगियों पर सूचना के प्रसार के उद्देश्य से राज्य कृषि विभाग के जरिए क्षेत्र प्रदर्शनों और समेकित कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.) प्रदर्शनों तथा भा.कृ.अ.प. के जरिए अग्रणी लाइन प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में तिलहन के कुल उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	उत्पादन (लाख मी. टन)
2001–02	206.62
2002–03	150.58
2003–04	251.43

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना

2757. श्री अतीक अहमद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में समेकित कीटनाशी संबंधी व्यवस्था की प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश में दलहन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1990 से 2003–04 तक केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना का क्रियान्वयन किया। इस स्कीम के तहत बीजों के उत्पादन व वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, उन्नत फार्म उपकरणों के वितरण, स्प्रिंकलर सेटों, राइजोबियम कल्चर, सूक्ष्म पोषक तत्त्व आदि जैसे विभिन्न आदानों पर वित्तीय सहायता दी गई थी। किसानों में बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार–प्रसार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अग्रणी प्रदर्शन और राज्य कृषि विभाग द्वारा ब्लाक स्तर पर प्रदर्शन आयोजित किए गए थे।

तथापि, कार्यक्रमों को संकेंद्रित प्रणाली प्रदान करने के लिए और क्षेत्रीय दृष्टि से विभेदित प्रणालियों के आधार पर राज्यों को क्रियान्वयन में लचीलापन प्रदान करने के लिए एन.पी.डी.पी. संबंधी स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय प्रायोजित समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का स्कीम में शामिल कर दिया गया है, जिसे 1.4.2004 से उत्तर प्रदेश सहित देश के 14 प्रमुख राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

गत तीन वर्षों के दौरान एन.पी.डी.पी. स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता निम्नलिखित है :

वर्ष	निर्मुक्त राशि (रुपये लाख में)
2001–02	107.00
2002–03	60.00
2003–04	172.00

(ग) आइसोपाम के तहत किसानों के खेत पर समेकित कीट प्रबंध से संबंधित प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में दलहन की खेती करने वाले सभी जिलों में किसानों को जैव–एजेंटों की आपूर्ति करने के लिए भी सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

मुक्त आकाश नीति

2758. श्री सुबोध मोहिते : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपनायी गयी 'मुक्त आकाश नीति' का देश के पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी नीति पर पुनर्विचार करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र पर इसके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, नहीं। पर्यटक सीजन के दौरान सीमित ओपनस्काई नीति का उद्देश्य विदेशी पर्यटक आगमन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में तथा आसपास पड़े विषैले अपशिष्ट पदार्थों को हटाना

2759. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री टी. के. हमज़ा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अमेरिकी जिला न्यायालय में 28 जून, 2004 को अनापत्ति पत्र दायर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मै. यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया अथवा इसकी उत्तराधिकारी, डोव केमिकल्स कंपनी को पीड़ितों को धनराशि और यूनियन कार्बाइड फैक्टरी, भोपाल में तथा इसके

आसपास पड़े विषैले अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए कोई अनुदेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में उक्त कंपनी से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के कौंसल जनरल न्यूयार्क द्वारा न्यूयार्क के दक्षिण जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में दयार 'अनापत्ति' पत्र के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

भारत का प्रधान कौंसल
न्यूयार्क

सं. एनवाईसीजी/161/2004

28 जून, 2004

दस्ती

अमेरिका जिला न्यायाधीश जॉन एफ. कीनन
अमेरिका जिला न्यायालय
न्यूयार्क का दक्षिण जिला
500 पर्ल स्ट्रीट,
न्यूयार्क, न्यूयार्क 10007–312

संदर्भ : बानो और अन्य बनाम यूनियन कार्बाइड, 99 सिविल 11329 (जेएफके)

सेवा में अमेरिकी जिला न्यायालय :

भारत संघ की ओर से तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके बाकायदा अधिकृत कौंसलर प्रतिनिधि के रूप में हम उपरोक्त संदर्भ के विषय में भोपाल, भारत में यूनियन कार्बाइड संयंत्र द्वारा पूर्व में अधिगृहित भूमि तथा परिसर के पर्यावरण उपचार के संबंध में इस पत्र में संप्रभु भारत सरकार की आधिकारिक स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं।

भारत संघ यह निवेदन करता है कि अमेरिका के किसी सक्षम न्यायालय या ट्राइब्यूनल द्वारा भोपाल से पूर्व यूनियन कार्बाइड संयंत्र के पर्यावरणीय उपचार के लिए राहत पर न तो भारत सरकार और न ही मध्य प्रदेश राज्य सरकार या इसके प्रतिनिधियों को कोई आपत्ति है। इसके अलावा, भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार तथा उनके संबंधित प्रतिनिधि, अमेरिकी जिला न्यायालय द्वारा जब कभी भी ऐसी राहत जारी की जाएगी, उसके साथ सहयोग करेंगे। यूनियन कार्बाइड द्वारा संयंत्र स्थल पर अपशिष्टों ओर विषैले रसायनों का उचित निपटान, प्रदूषित भूमि का उपचार/निपटारा और संयंत्र मशीनरी को बंद करने सहित ऐसे पर्यावरणीय उपचार का, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे भारत सरकार के विशिष्ट संगठनों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिमानकों और मानदंडों के अनुरूप है, भारत सरकार पर्यवेक्षण और मानीटर करेगी।

उपचार तथा निपटारे की प्रक्रिया के दौरान जान–माल की हुई किसी भी क्षति के लिए यूनियन कार्बाइड उत्तरदायी होगा। अमेरिका और भारत दोनों द्वारा स्वीकृत इस सिद्धांत कि 'प्रदूषक भुगतान करता है' के अनुसरण में पर्यावरणीय सफाई तथा उपचार का वित्तीय बोझ और लागत यूनियन कार्बाइड वहन करेगी। इस उद्देश्य के लिए भारत संघ या मध्य प्रदेश राज्य सरकार कोई खर्च नहीं उठाएगी।

उपरोक्त के बावजूद, भारत संघ की ओर से इस आधिकारिक टिप्पणी में, निहितार्थ या अन्यथा द्वारा, कुछ भी ऐसा समझा या पढ़ा नहीं जाना चाहिए कि भारत संघ या मध्य प्रदेश राज्य सरकार को अमेरिकी जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में इस मुकदमे के पक्षों के रूप में प्रस्तुत करने का इरादा है। भारत संघ तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रभुतासंपन्न प्रतिरक्षा की हकदार है तथा इस निवेदन के द्वारा उन प्रतिरक्षाओं का परित्याग नहीं करती है।

इसके अतिरिक्त, इस निवेदन में, निहितार्थ या अन्यथा के द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं समझा जाना चाहिए कि उपरोक्त मामले में वादियों को भारत संघ या मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से दावों का अनुसरण करने या जताने का कोई अधिकार दिया गया है। उपरोक्त संदर्भित मामले में, इस निवेदन के आधार पर, वादियों को यह भी अधिकार नहीं होगा कि वे इस मुकदमे में अमेरिकी जिला न्यायालय के समक्ष या भारत सरकार या मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विरुद्ध किसी दावे का अनुसरण कर सकें या जता सकें।

अंततः, यह भारत संघ की आधिकारिक स्थिति है कि न्यायालय में, मामले में उठाए गए पर्यावरण संदूषण मुद्दों से यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार के बीच 1984 भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित दावों के पूर्व निपटारे से किसी भी प्रकार का या

विधायी संबंध नहीं होगा। इस निवेदन में, निहितार्थ या अन्यथा द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं समझा जाना चाहिए कि पूर्व दावों के निपटारे की वैधता पर प्रश्न खड़े करने या पुनर्विचार की कोई मंशा है।

तदनुसार, भारत संघ एतद्द्वारा इस मामले में सेकेंड सर्किट हेतु अमेरिकी अपीली न्यायालय द्वारा वांछित ऐसी राहत के आदेश देने के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय से अनुरोध करता है।

सादर प्रस्तुत,

ह./–

(प्रमतेश रथ)
भारत का कौंसल जनरल
भारत का कौंसलेट जनरल
3 पूर्व, 64वीं गली,
न्यूयार्क, न्यूयार्क 10021–7097

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का अन्यत्र उपयोग

2760. श्री कीरेन रिजीजू :
श्रीमती करूणा शुक्ला :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाए गए गेहूं और चावल सहित खाद्यान्नों की मात्रा राज्यवार और वर्षवार कितनी है;

(ख) क्या राज सहायता प्राप्त ये अधिकांश खाद्यान्न जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच सके हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के करोड़ों रुपये के खाद्यान्नों का गुप्त तरीके से अन्यत्र उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी रोकथाम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों हेतु कोई पृथक् योजना तैयार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आवंटन और उठान संलग्न विवरण I से III में दिया गया है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र तथा राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत चलाई जाती है। केंद्रीय सरकार खाद्यान्न की वसूली करने तथा भारतीय खाद्य निगम के मुख्य वितरक केंद्रों तक उनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है, जबकि राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने तथा देश भर में फैले लगभग 4.77 लाख उचित दर दुकानों के विशाल नेटवर्क के जरिये लाभभोगियों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे तथा अंत्योदय अन्न योजना के अधीन विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए खाद्यान्नों के उठान का प्रतिशत निम्नानुसार है :

	उठान प्रतिशत	
	गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना
2001-02	56.26	85.62
2002-03	60.27	85.73
2003-04	70.08	91.42

(ग) और (घ) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के नोटिस में खाद्यान्नों के विपथन की कुछ घटनाएं आई हैं। प्रणाली को मजबूत करने और गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय मौजूद हैं :

(i) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि सामाजिक लेखा परीक्षा उपाय के रूप में उचित दर दुकानों के कार्यकरण की मानीटरिंग करने के काम में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय रूप से शामिल करें;

(ii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी कहा गया है कि वे राज्य, जिला, ब्लाक और उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करें;

(iii) पारदर्शी तरीके से उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया है ताकि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इसे अपना सकें; और

(iv) राज्य सरकारों के हाथ मजबूत करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वस्तुओं का जानबूझ कर किया जाने वाला अपमिश्रण, प्रतिस्थापन, विपथन आदि रोकने की दृष्टि से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन 31 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 जारी किया गया है। इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करने पर किया गया अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आपराधिक मामला होगा।

(ङ) और (च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर एक समान रूप से किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कोई अलग योजना नहीं है।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2001-2002 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				% उठान			
		गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1470.96	1591.68	186.84	3249.48	972.35	571.53	191.52	1735.40	66.10	35.91	102.51	53.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.02	76.68	1.13	104.84	26.72	23.86	0.74	51.32	98.88	31.12	65.26	48.95
3.	असम	515.06	434.88	28.15	978.09	429.83	115.31	28.52	573.65	83.45	26.51	101.29	58.65
4.	बिहार	1820.87	174.34	150.00	214.21	378.11	1.01	108.55	487.68	20.77	0.58	72.37	22.73
5.	छत्तीसगढ़	393.35	101.11	86.22	580.68	187.94	2.00	77.88	267.82	47.78	1.98	90.33	46.12
6.	दिल्ली	114.17	576.84	2.40	693.41	86.76	26.30	1.20	114.25	76.00	4.56	49.79	16.48
7.	गोवा	9.85	63.12	0.98	73.95	3.54	5.56	0.73	9.83	35.93	8.81	74.97	13.29
8.	गुजरात	869.54	570.00	61.75	1501.29	444.18	3.97	56.75	404.90	51.08	0.70	91.89	33.63
9.	हरियाणा	182.54	8.64	27.35	218.53	71.35	0.00	22.66	94.00	39.09	0.00	82.85	43.02
10.	हिमाचल प्रदेश	248.24	101.16	23.62	373.01	133.73	9.26	23.09	166.08	53.87	9.15	97.78	44.52
11.	जम्मू-कश्मीर	151.76	238.44	25.41	415.61	162.51	175.44	7.27	345.21	107.08	73.58	28.60	83.06
12.	झारखंड	567.49	63.26	91.63	722.39	229.06	6.47	62.79	298.32	40.36	10.23	68.53	41.30
13.	कर्नाटक	807.72	555.00	84.11	1446.83	798.87	45.66	80.80	1330.33	98.90	81.20	96.06	91.95
14.	केरल	374.96	1828.08	71.46	2274.50	371.49	119.54	61.51	552.54	99.08	6.54	86.07	24.29
15.	मध्य प्रदेश	985.98	174.89	189.72	1350.59	582.27	7.10	173.56	762.93	59.05	4.06	91.48	56.49
16.	महाराष्ट्र	2096.21	765.12	267.86	3129.19	1162.91	3.31	234.37	1400.59	55.48	0.43	87.50	44.76
17.	मणिपुर	35.14	54.84	1.91	91.89	25.46	0.00	0.74	26.20	72.45	0.00	38.66	28.51
18.	मेघालय	44.24	126.36	3.52	174.12	43.28	10.85	2.81	56.94	97.83	8.58	80.00	32.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	मिजोरम	16.46	93.84	3.16	113.46	16.17	27.82	3.16	47.14	98.22	29.64	100.00	41.55
20.	नागालैंड	30.12	122.04	2.84	155.00	30.12	15.46	2.84	48.42	100.00	12.67	100.00	31.24
21.	उड़ीसा	907.05	44.64	88.47	1040.15	488.65	11.58	87.28	587.51	53.87	25.95	98.66	56.48
22.	पंजाब	114.36	21.48	19.72	155.57	45.94	0.00	8.07	54.01	40.17	0.00	40.92	34.72
23.	राजस्थान	916.27	401.52	111.78	1429.57	559.37	10.62	102.78	672.77	61.05	2.64	91.95	47.06
24.	सिक्किम	11.21	36.84	1.18	49.22	11.37	6.57	1.15	19.09	101.48	17.84	97.45	38.78
25.	तमिलनाडु	1350.42	461.28	35.48	1847.18	1040.75	0.00	24.76	1065.51	77.07	0.00	69.80	57.68
26.	त्रिपुरा	62.72	124.80	7.92	195.44	61.12	18.36	6.79	86.26	97.44	14.71	85.71	44.14
27.	उत्तर प्रदेश	2339.79	377.30	260.79	2977.88	1149.20	8.75	246.43	1404.37	49.12	2.32	94.49	47.16
28.	उत्तरांचल	109.72	23.14	11.45	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	1254.37	905.16	109.93	2269.46	523.26	188.30	56.91	768.47	41.71	20.80	51.77	33.86
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5.45	36.36	0.82	42.63	4.44	12.12	0.43	16.99	81.38	33.33	52.43	39.84
31.	चंडीगढ़	5.68	13.68	0.32	19.68	0.11	0.00	0.32	0.42	1.85	0.00	100.00	2.15
32.	दादरा और नगर हवेली	3.76	2.76	0.84	7.36	2.96	0.98	0.78	4.72	78.79	35.33	92.38	64.05
33.	दमन व दीव	0.97	1.80	0.18	2.95	0.08	0.23	0.11	0.42	7.84	13.00	63.33	14.38
34.	लक्षद्वीप	0.04	7.06	0.04	7.14	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	42.49	0.00	41.99
35.	पांडिचेरी	22.70	3.72	1.13	27.55	8.50	0.44	0.92	9.85	37.45	11.69	81.51	35.77
	जोड़	17866.19	10181.86	1960.08	30008.12	10052.37	1836.37	1678.19	13566.92	56.26	18.04	85.62	45.21

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2002–2003 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन				उठान				% उठान			
		गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1444.8	2266.74	261.576	3973.116	1441.322	350.133	234.646	2026.101	99.759	15.447	89.705	51.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.148	73.701	6.348	115.197	32.103	41.161	5.708	78.972	91.337	55.849	89.918	68.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	682.284	958.115	118.236	1758.635	529.474	415.923	104.931	1050.328	77.603	43.411	88.747	59.72
4.	बिहार	2244.184	2291.52	420	4955.704	438.328	3.517	333.090	775.754	19.532	0.153	79.502	15.65
5.	छत्तीसगढ़	579.672	1045.8	120.708	1746.18	82.816	4.932	4.654	92.402	14.287	0.472	3.856	5.29
6.	दिल्ली	158.34	1102.917	13.44	1274.697	130.366	145.04	11.594	287	82.333	13.151	86.265	22.52
7.	गोवा	12.888	119.802	3.072	135.762	6.456	6.644	2.254	15.353	50.093	5.546	73.372	11.31
8.	गुजरात	762.713	2858.433	136.5	3757.646	393.747	29.631	115.539	538.917	51.625	1.037	84.644	14.34
9.	हरियाणा	260.892	1148.838	46.968	1456.698	182.229	43.549	42.899	268.677	69.848	3.791	91.337	18.44
10.	हिमाचल प्रदेश	170.873	359.325	33.06	563.257	141.479	21.856	32.633	195.968	82.798	6.083	98.708	34.79
11.	जम्मू–कश्मीर	228.077	425.04	47.424	700.541	209.119	256.733	32.232	498.084	91.688	60.402	67.966	71.10
12.	झारखंड	814.692	216.3	153.936	1184.928	226.117	3.657	109.701	339.475	27.755	1.691	71.264	28.65
13.	कर्नाटक	1113.903	2070.6	200.373	3384.876	1095.286	559.455	179.943	1834.684	98.329	27.019	89.804	54.20
14.	केरल	552.564	1808.94	100.044	2461.548	323.623	174.472	99.528	597.623	58.568	9.645	99.484	24.26
15.	मध्य प्रदेश	1274.292	2765.469	265.608	4305.369	985.419	29.508	251.621	1266.548	77.331	1.067	94.734	29.42
16.	महाराष्ट्र	2323.584	5013.615	420.72	7757.919	1383.894	20.66	363.687	1768.241	59.559	0.412	86.444	22.79
17.	मणिपुर	43.884	47.46	10.716	102.06	38.314	9.793	10.963	59.07	87.307	20.834	102.305	57.88
18.	मेघालय	65.052	44.058	11.808	120.918	60.788	12.712	10.86	84.376	93.445	28.853	92.107	69.68
19.	मिजोरम	24.264	48.114	4.416	76.794	24.263	46.709	4.416	75.388	99.996	97.080	100.00	98.17
20.	नागालैंड	44.136	73.503	7.944	125.583	45.264	24.08	7.953	77.227	102.556	32.733	100.113	61.53
21.	उड़ीसा	1484.376	1285.098	212.316	2981.79	362.044	62.823	181.697	606.564	24.390	4.889	85.579	20.34
22.	पंजाब	166.416	1632.975	30.12	1829.511	88.179	10.539	15.211	113.929	52.987	0.645	50.501	6.23
23.	राजस्थान	804.048	3002.592	156.492	3963.132	636.493	147.013	149.144	932.65	79.161	4.896	95.305	23.53
24.	सिक्किम	15.42	39.204	2.82	57.444	15.062	8.229	2.878	26.169	97.678	20.990	102.057	45.56
25.	तमिलनाडु	1751.881	3841.95	290.495	5884.326	1316.734	21.27	287.553	1625.557	75.161	0.554	98.987	27.63
26.	त्रिपुरा	104.904	181.674	18.996	305.574	100.562	27.23	18.845	146.637	95.861	14.988	99.205	47.99
27.	उत्तर प्रदेश	3688.477	7840.76	685.418	12214.655	2366.408	17.179	695.807	3079.394	64.157	0.219	101.516	25.21
28.	उत्तरांचल	161.814	431.919	32.052	625.785	96.214	5.92	19.244	121.378	59.460	1.371	80.040	19.40
29.	पश्चिम बंगाल	1702.752	4246.77	307.788	6257.31	953.272	278.739	203.575	1435.588	55.984	6.584	66.141	22.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7.44	36.36	1.8	45.6	3	19.806	–	22.806	40.323	54.472	0.000	50.01
31.	चंडीगढ़	8.748	79.212	0.888	88.848	1.44	0.06	0.888	2.388	16.461	0.076	100.000	2.69
32.	दादरा और नगर हवेली	5.544	7.14	1.176	13.86	2.829	1.308	0.86	4.997	51.028	18.319	73.129	36.05
33.	दमन व दीव	1.428	10.005	0.252	11.685	0.34	0.127	0.181	0.648	23.810	1.269	71.825	5.55
34.	लक्षद्वीप	0.372	5.195	0.168	5.735	–	2.65	–	2.65	0.000	51.011	0.00	46.21
35.	पांडिचेरी	31.262	50.853	3.85	85.965	10.75	0.707	3.143	14.6	34.387	1.390	81.636	16.98
	जोड़	22,771.123	47429.997	4,127.528	74328.647	13723.734	2803.745	3538.713	20066.192	60.268	5.911	85.734	26.997

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 2003–2004 (अनंतिम) के लिए चावल और गेहूं का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/	आवंटन				उठान				% उठान			
	संघ राज्य क्षेत्र	गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़	गरेनी	गरेऊ	अअयो	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1368.43	2266.74	337.946	3973.116	1319.231	434.289	330.659	2084.179	96.405	19.159	97.844	52.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.148	64.206	6.348	105.702	33.897	55.5	6.231	95.628	96.441	86.441	98.157	90.47
3.	असम	682.284	735.14	118.236	1535.66	628.166	343.616	112.266	1084.048	92.068	46.742	94.951	70.59
4.	बिहार	2219.184	2291.52	420	4930.704	627.119	7.1	380.872	1015.091	28.259	0.310	90.684	20.59
5.	छत्तीसगढ़	566.226	1045.8	155.967	1767.993	509.173	23.2	147.141	69.514	89.924	2.218	94.341	38.43
6.	दिल्ली	158.34	996.516	13.44	1168.296	165.223	346.739	12.989	524.951	104.347	34.795	96.644	44.93
7.	गोवा	12.888	118.296	3.072	134.256	6.959	4.963	2.408	14.33	53.996	4.195	78.385	10.67
8.	गुजरात	753.948	2787.564	136.5	3678.012	473.951	41.453	55.286	570.69	62.863	1.487	40.503	15.52
9.	हरियाणा	274.004	1014.204	47.664	1335.872	228.889	96.524	45.804	373.217	83.535	9.714	96.098	27.94
10.	हिमाचल प्रदेश	195.872	348.9	33.06	577.832	177.198	68.968	33.099	279.265	90.466	19.767	100.118	48.33
11.	जम्मू–कश्मीर	261.66	443.94	47.424	753.024	253.097	257.78	47.368	558.245	96.727	58.066	99.882	74.13
12.	झारखंड	839.268	216.3	153.936	1209.504	297.369	11.285	139.541	448.195	35.432	5.217	90.649	37.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	कर्नाटक	1095.996	2070.6	218.28	3384.876	1048.154	839.788	196.471	2084.413	95.635	40.558	90.009	61.58
14.	केरल	534.551	1808.94	118.057	2461.548	440.186	137.125	117.405	694.716	82.347	7.580	99.448	28.22
15.	मध्य प्रदेश	1225.343	2535.372	330.605	4091.32	1049.194	30.369	318.297	1397.86	85.625	1.198	96.277	34.17
16.	महाराष्ट्र	2293.204	4700.88	451.1	7445.184	1580.159	28.524	391.325	2000.008	68.906	0.607	86.749	26.86
17.	मणिपुर	43.884	47.46	10.716	102.06	44.356	18.05	11.094	73.5	101.076	38.032	103.527	72.02
18.	मेघालय	65.052	45.024	11.808	121.884	69.503	18.992	12.567	101.062	106.842	42.182	106.428	82.92
19.	मिजोरम	23.19	54.564	5.49	83.244	23.727	51.043	4.953	79.723	102.316	93.547	90.219	95.77
20.	नागालैंड	42.12	86.688	9.96	138.768	43.228	66.079	9.304	118.611	102.631	76.226	93.414	85.47
21.	उड़ीसा	1484.376	1155.564	212.316	2852.256	632.892	148.92	209.274	991.086	42.637	12.887	98.587	34.75
22.	पंजाब	166.416	1473.24	30.12	1669.776	120.195	16.057	16.824	153.076	72.226	1.090	55.857	9.17
23.	राजस्थान	757.509	2763.756	181.852	3703.117	619.442	111.073	107.297	900.812	81.774	4.019	93.646	24.33
24.	सिक्किम	14.636	25.812	3.604	44.052	14.676	13.272	3.49	31.438	100.273	51.418	96.837	71.37
25.	तमिलनाडु	1742.352	3787.98	300.024	5830.356	1782.975	228.641	311.361	2322.977	102.332	6.036	103.779	39.84
26.	त्रिपुरा	104.904	179.232	18.996	303.132	102.15	34.109	18.922	155.181	97.375	19.031	99.610	51.19
27.	उत्तर प्रदेश	3654.295	6494.46	830.885	1099.64	2121.809	10.669	806.835	2939.313	58.063	0.164	97.105	26.77
28.	उत्तरांचल	177.12	333.552	32.052	542.724	148.288	19.412	27.175	194.875	83.722	5.820	84.784	35.91
29.	पश्चिम बंगाल	1702.752	4089.18	307.788	6099.72	1215.756	477.595	218.558	1911.909	71.399	11.679	71.009	31.34
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7.434	36.36	1.806	45.6	4.67	14.151	2.306	21.127	62.819	38.919	127.685	46.33
31.	चंडीगढ़	8.748	75.516	0.888	85.152	0.785	–	0.733	1.518	8.973	0.000	82.545	1.78
32.	दादरा और नगर हवेली	5.54	7.14	1.176	13.86	3.044	0.899	0.83	4.773	54.906	12.591	70.578	34.44
33.	दमन व दीव	1.428	9.42	0.252	11.1	0.792	0.195	0.149	1.136	55.462	2.070	59.127	10.23
34.	लक्षद्वीप	0.372	3.708	0.168	4.248	–	2.85	–	2.85	0.000	76.861	0.000	67.09
35.	पांडिचेरी	30.736	13.2	4.376	48.312	17.667	0.549	3.413	21.629	57.480	4.159	77.994	44.77
	जोड़	22.549.214	44126.774	4555.912	71231.9	15803.92	3961.779	4165.247	23930.946	70.086	8.978	91.425	33.596

[अनुवाद]

पी.जी. एवं पी-एच.डी. छात्रों को अध्येतावृत्ति

2761. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पी.जी. एवं पी–एच.डी. के छात्रों को अनुसंधान हेतु प्रदान की गई अध्येतावृत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति और वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति में वृद्धि करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अखिल भारतीय स्तर पर स्नातकोत्तर छात्रों को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां और पी–एच.डी. के छात्रों को वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां प्रदान करती है। ये अध्येतावृत्तियां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में मैरिट पर आधारित होती हैं। इन अध्येतावृत्तियों का विवरण निम्न प्रकार से है :

कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

संख्या – 475

विषय – 87

दरें

–गैर–पशुचिकित्सा छात्रों के लिए 5,760/– रु. प्रति माह

–पशुचिकित्सा के छात्रों के लिए 8,000/– रु. प्रति माह

–सभी छात्रों को 6,000/– रु. प्रति वर्ष फुटकर अनुदान

वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां

संख्या – 202

विषय – 56

दरें

–गैर–पशुचिकित्सा छात्रों के लिए पहले दो वर्षों के लिए 8,000/– रु. तथा तीसरे वर्ष के लिए 9,000/– रु.

–पशुचिकित्सा के छात्रों के लिए पहले दो वर्षों के लिए 9,500 रु. तथा तीसरे वर्ष के लिए 10,000/– रु.

–सभी छात्रों को 10,000/– रु. प्रति वर्ष फुटकर अनुदान

इन उपरोक्त अध्येतावृत्तियों के अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समतुल्य विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान) भी निम्नलिखित दरों पर स्नातकोत्तर और पी–एच.डी. के छात्रों को संस्थान स्तर की छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं।

–स्नातकोत्तर के लिए : 5,040/– रु. प्रति माह निर्धारित

–पी–एच.डी. के लिए : 7,000/– रु. प्रति माह निर्धारित

(ख) जी, नहीं। हाल ही में, दिनांक 22.8.2003 को वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति की तथा दिनांक 26.1.2004 को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति की दिनांक 1 अप्रैल, 2002 से राशि बढ़ायी गई है।

(ग) लागू नहीं।

(घ) लागू नहीं

कृषि उत्पादों की भारी बर्बादी

2762. श्री राजेश वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कृषि उत्पादों की भारी बर्बादी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त बर्बादी के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त बर्बादी से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा शीत भंडार एवं भंडारण के संबंध में गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का अनुमान है कि फसलोपरांत प्रौद्योगिकी एवं समेकित परिवहन, भंडारण एवं विपणन सुविधाओं के अभाव में प्रतिवर्ष 25–30% फल व सब्जियां तथा 8–10% अनाज नष्ट हो जाता है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय फसलोपरांत इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना एवं फसलोपरांत

प्रौद्योगिकी से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के माध्यम से देश में कृषि उत्पादों की बरबादी को न्यूनतम करने के लिए नयी तकनीकों/प्रणालियों का विकास किया जा रहा है।

फसलोपरांत प्रौद्योगिकी से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के देश भर में स्थित 33 सहयोगी केंद्रों द्वारा फसलोपरांत नुकसान को कम करने, प्रमुख उत्पादों एवं उप उत्पादों के मूल्य वर्धन के उद्देश्य से फसलों, पशुधन उत्पादों एवं मत्स्य उत्पादों के लिए क्षेत्रीय रूप से भिन्न फसलोपरांत प्रौद्योगिकी पैकेजों का विकास किया जा रहा है। इस विभाग द्वारा भी कोल्ड स्टोरेजों तथा देश के ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण गोदामों के निर्माण/आधुनिकीकरण स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों द्वारा अपने उत्पादों के भंडारण हेतु उन्हें वैज्ञानिक भंडारण सुविधा प्रदान करता है। इससे कृषि उत्पादों की बरबादी पर रोक लगेगी। इस स्कीम के अंतर्गत 38 लाख मी. टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता तथा 127 लाख मीटरी टन ग्रामीण भंडारण क्षमता स्वीकृत की गई है।

मछुआरा समुदाय को धनराशि प्रदान किया जाना

2763. श्री हितेन बर्मन :
श्री सुव्रत बोस :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी देश में मछुआरों की कुल संख्या का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सर्वेक्षण को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान बजट में इस समुदाय हेतु कोई विशेष योजना बनाई है अथवा आवंटन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा 2003 में की गई 17वीं पशुधन गणना के अनुसार मात्स्यिकी क्षेत्र देश में 14.48 मिलियन लोगों की जीविका का साधन है। राज्य/संघ शासित प्रदेश वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। मछुआरा समुदाय के लाभ के लिए दसवीं योजना के दौरान 2005–06 में 109.00 करोड़ रुपये (प्रस्तावित) के कुल बजट आवंटन के साथ निम्नलिखित केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं :

(1) अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास

(2) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास

(3) मात्स्यिकी प्रशिक्षण और विस्तार संबंधी योजना

(4) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य	कुल
1	2
आंध्र प्रदेश	893400
अरुणाचल प्रदेश	4400
असम	390400
बिहार	4959500
छत्तीसगढ़	1911400
गोवा	14000
गुजरात	493300
हरियाणा	16500
हिमाचल प्रदेश	5600
जम्मू–कश्मीर	30500
झारखंड	1930900
कर्नाटक	159000
केरल	747800
मध्य प्रदेश	717000
महाराष्ट्र	171800
मणिपुर	70500

1	2
मेघालय	2400
मिजोरम	17900
नागालैंड	14900
उड़ीसा	180000
पंजाब	9100
राजस्थान	7300
सिक्किम	26800
तमिलनाडु	476600
त्रिपुरा	46700
उत्तर प्रदेश	179100
उत्तरांचल	100
पश्चिम बंगाल	911600
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	17600
चंडीगढ़	500
दादरा और नगर हवेली	0
दमन एवं दीव	25500
दिल्ली	2500
लक्षद्वीप	13000
पांडिचेरी	38000
कुल	14485600

[हिन्दी]

प्रदूषणकारी औद्योगिक इकइायां

2764. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :
श्रीमती भावना पुंडलिक राव गवली :
श्री गिरिधर गमांग :
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल :
श्री जे. एम. आरुन रशीद :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री वी. के. दुग्मर :
श्री रामदास आठवले :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में वैसी निजी/सरकारी क्षेत्र की कंपनियों/कारखानों/औद्योगिक इकाइयों के राज्यवार और संघ राज्य-क्षेत्रवार नाम क्या हैं जो विषैले बहिस्रावों का उत्सर्जन कर भू-जल की गुणवत्ता को प्रभावित और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने बहिःस्राव उपचार संयंत्रों (ई.टी.पी.) लगाने अथवा बंद करने या अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु उन्हें नोटिस जारी किए हैं/अनुदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान उन इकाइयों का स्थानवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने ई.टी.पी. लगाए हैं अथवा जिनको स्थानांतरित किया गया है/जिन्हें बंद किया गया है;

(च) क्या प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थानांतरित/बंद करने हेतु कोई समय-बद्ध कार्य योजना तैयार की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनारायन मीना) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक को सहायता

2765. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से नदी जल का 'गारलैंड' नहरों के माध्यम से उपयोग किए जाने के संबंध में संभाव्यता सर्वेक्षण करने हेतु 12.50 करोड़ रुपये तक की सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नहरों के पूरा हो जाने पर

टुमकुर, चित्रदुर्ग, मांड्या, कोलार और हासन जिलों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तुंग, भद्रावती और नेत्रावती नदियों के अतिरेक जल का उपयोग हो सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रुग्ण डेयरी कॉपरेटिव यूनियनों को पुनः सक्रिय बनाना

2766. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000 में रुग्ण डेयरी कॉपरेटिव यूनियनों को पुनः सक्रिय बनाने हेतु योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उनको उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाते हुए इस योजना के वित्त पोषण के तौर–तरीकों में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान 'सहकारिताओं को सहायता' नामक योजना के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) फिलहाल इस योजना की वित्त पोषण पद्धति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

'सहकारिताओं को सहायता' नामक योजना के तहत विगत तीन वर्षों में जारी धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य और दुग्ध संघ का नाम	जारी धनराशि 2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
	मध्य प्रदेश			
1.	ग्वालियर	–	150.00	–
2.	उज्जैन	105.00	53.41	–
3.	जबलपुर	220.00	145.00	–
	छत्तीसगढ़			
4.	रायपुर	–	20.00	–
	कर्नाटक			
5.	बीजापुर	85.00	40.00	–
6.	गुलबर्गा	115.00	50.00	–
	उत्तर प्रदेश			
7.	इलाहाबाद	260.04	–	–
8.	मुरादाबाद	–	351.04	–
9.	मथुरा	–	–	21.00
10.	वाराणसी	–	–	25.00
	केरल			
11.	एर्नाकुलम	–	31.10	–
	महाराष्ट्र			
12.	पुणे	125.00	125.00	–
13.	वर्धा	30.00	34.45	–
14.	लातूर	–	–	25.00
	पश्चिम बंगाल			
15.	हिमुल	150.00	75.00	–
	असम			
16.	पश्चिम असम	15.00	210.00	–
	नागालैंड			
17.	कोहिमा	5.00	5.24	–
	पंजाब			
18.	होशियारपुर	75.00	–	–
19.	अमृतसर	24.96	–	–
20.	जालंधर	210.00	–	–

1	2	3	4	5
	तमिलनाडु			
21.	विल्लुपुरम	–	150.00	50.00
22.	इरोड	–	225.00	150.00

खाद्यान्नों हेतु राजसहायता को पुनः आरंभ करना

2767. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्टेट कमेटी ऑफ ऑल केरल रॉशन डीलर्स एसोसिएशन से खाद्यान्नों हेतु पुनः राजसहायता आरंभ करने की मांग संबंधी ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। ऑल केरल राशन डीलर्स एसोसिएशन से प्राप्त ज्ञापन में अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया है कि उत्तर–पूर्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली राजसहायता की तरह केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्नों हेतु केंद्रीय राजसहायता बहाल की जाए। जहां तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध है, सरकार ने इस प्रणाली के अधीन लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों को वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों पर से न तो राजसहायता वापस ली है और न ही इसमें कमी की है।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों की गुणवत्ता सहित कदाचार संबंधी शिकायतें कभी–कभार प्राप्त होती हैं। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम से आशा की जाती है कि वह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति करेगा। राज्य सरकारों के प्रतिनिधि अथवा नामिति और भारतीय खाद्य निगम जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के स्टाक का संयुक्त निरीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित स्टाक विहित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप है। ऐसे कदाचारों को रोकने की दृष्टि से सरकार ने 31 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 अधिसूचित किया है। इसके अलावा, सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे उचित दर दुकान, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करें तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की निगरानी करने के काम में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करें।

यूरिया की मांग और आपूर्ति

2768. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री जुएल ओराम :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में यूरिया की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मांग को पूरा करने हेतु देश में उत्पादित यूरिया की मात्रा का कंपनीवार ब्यौरा क्या है और आयातित यूरिया की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में देश में यूरिया की भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में यूरिया की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में यूरिया की मांग और आपूर्ति संबंधी विवरण नीचे दिया गया है।

(लाख मी. टन)

वर्ष	अनुमानित आवश्यकता	आपूर्ति/उपलब्धता
2001–2002	213.06	230.99
2002–2003	213.68	215.90
2003–2004	211.59	215.96

(ख) यूरिया के कंपनीवार स्वदेशी उत्पादन और आयात संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

गत तीन वर्षों के लिए यूरिया का कंपनीवार उत्पादन और आयात

(000 मी. टन)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5
	सरकारी क्षेत्र			
1.	एफ.सी.आई. : सिंदरी आधु.	76.3	0.0	0.0
2.	एन.एफ.एल.	3190.7	3212.1	3255.2
3.	बी.वी.एफ.सी.एल.	64.3	186.4	240.6
4.	फैक्ट : कोचीन	22.2	9.6	0.0
5.	आर.सी.एफ.	1490.4	1558.2	1749.0
6.	एम.एफ.एल. : चैन्नई	286.9	401.3	387.7
7.	एन.एल.सी. : नेवेली	62.0	0.0	0.0
	कुल (सरकारी)	5192.8	5367.6	5632.5
	सहकारी क्षेत्र			
8.	इफको	3490.5	3685.4	3600.6
9.	कृभको : हजीरा	1694.1	1603.4	1773.0
	कुल (सहकारी)	5184.6	5288.8	5373.6
	निजी क्षेत्र			
10.	जी.एस.एफ.सी. : बडोदरा	321.8	239.1	300.4
11.	एस.एफ.सी. : कोटा	330.1	393.7	364.0
12.	एस.आई.एल. : कानपुर	658.7	0.0	0.0
13.	जेड.आई.एल. : गोवा	419.5	390.0	398.5
14.	एस.पी.आई.सी. : तूतिकोरिन	600.1	569.7	621.1
15.	एम.सी.एफ. : मंगलौर	340.0	380.0	334.8
16.	जी.एस.एफ.सी. : भरुच	644.1	636.9	636.7
17.	आई.जी.सी.एल. : जगदीपुर	850.2	864.6	862.1
18.	एन.एफ.सी.एल.	1221.9	1187.3	1193.9
19.	सी.एप.सी.एल.	1714.7	1729.7	1762.5
20.	टी.सी.एल.–बबराला	8535	864.8	864.8
21.	ओ.सी.एफ.–शहजहांपुर	840.6	814.5	957.8
	कुल निजी	8795.2	8070.3	8196.6
	योग (सरकारी + सहकारी + निजी क्षेत्र	19172.6	18726.7	19202.7
	आयात	220.0	शून्य	शून्य

पर्यटन संबंधी परियोजनाएं

2769. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में पर्यटन संबंधी कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं;

(ख) क्या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में और अधिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने और इनमें सुधार करने तथा इस क्षेत्र में पारिस्थितिकीय पर्यटन को विकसित करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, पश्चिम बंगाल सहित, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए अनुमोदित पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को, उनसे प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर पर्यटक अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। पश्चिम बंगाल सरकार से सुन्दरवन राष्ट्रीय पार्क में सुविधाओं को बेहतर बनाने और अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा इस क्षेत्र में इको–टूरिज्म का विकास करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दसवीं योजना (31.12.2004 तक) के दौरान स्वीकृत की गई राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000–03			2003–04			2004–04 (31.12.2004 तक)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	507.50	195.00	6	946.50	896.44	11	2750.81	2191.92
2.	असम	9	766.13	618.85	3	313.46	313.06	6	955.88	742.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	41.30	32.50	6	1044.60	700.00	6	1285.70	905.52
4.	बिहार	8	505.00	505.00	6	1019.42	913.89	7	1901.23	1527.55
5.	छत्तीसगढ़	9	308.00	98.50	6	1005.00	364.00	4	1086.26	869.01
6.	गोवा	1	0.50	0.50	2	36.76	34.76	2	10.00	8.00
7.	गुजरात	2	197.12	59.13	8	920.51	815.82	2	138.93	111.14
8.	हरियाणा	8	332.25	311.00	16	1215.38	879.23	5	678.55	501.64
9.	हिमाचल प्रदेश	30	779.32	760.38	4	182.32	85.00	5	2620.00	1736.00
10.	जम्मू–कश्मीर	3	94.38	89.47	5	895.00	895.00	2	805.00	644.00
11.	झारखंड	0	0	0	2	1109.00	774.60	1	474.97	379.97
12.	कर्नाटक	6	902.49	625.49	14	932.66	792.51	8	2432.76	1914.37
13.	केरल	11	861.36	829.86	6	608.50	764.15	5	2148.63	1718.88
14.	मध्य प्रदेश	18	711.18	574.79	10	621.90	394.51	8	1285.46	783.03
15.	महाराष्ट्र	8	623.46	546.25	10	931.83	914.58	6	1576.38	1260.10
16.	मणिपुर	2	5.24	2.62	1	82.44	24.73	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	3	70.35	21.20	2	40.22	24.92	2	963.30	807.91
18.	मिजोरम	6	141.16	48.46	5	567.70	188.75	3	1081.28	927.09
19.	नागालैंड	5	360.50	323.43	4	711.00	220.80	5	2165.69	1731.40
20.	उड़ीसा	2	47.50	15.75	5	419.55	138.50	5	1316.48	999.69
21.	पंजाब	3	23.00	14.60	2	96.00	12.30	4	846.41	561.28
22.	राजस्थान	13	1096.70	1096.20	14	1644.81	1414.25	2	39.31	31.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	सिक्किम	13	346.24	269.76	8	1151.09	681.49	6	1005.81	805.13
24.	तमिलनाडु	5	559.00	316.10	14	1339.82	850.53	6	876.92	702.72
25.	त्रिपुरा	5	216.13	67.78	6	45.17	135.16	0	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	3	548.00	418.00	4	230.44	203.94	3	1412.93	1125.56
27.	उत्तर प्रदेश	3	295.00	295.00	7	1115.80	916.26	7	1037.43	825.19
28.	पश्चिम बंगाल	5	201.10	60.00	10	717.44	384.34	5	480.04	384.03
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	3	7.75	6.63	2	10.00	8	1	457.00	365.60
31.	दादरा और नगर हवेली	2	8.07	6.46	0	0	0	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	14	504.00	449.02	17	3316.28	3222.13	1	500.00	400.00
33.	दमन एवं दीव	3	49.50	16.90	1	265.07	238.56	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	2	7.87	6.30	1	245.17	73.55	2	451.00	360.00
	कुल	212	11121.10	8680.93	207	24185.84	18073.76	130	32784.16	25320.26

खनन हेतु वन-भूमि को दिया जाना

2770. श्री अनन्त नायक :
श्री गिरिधर गमांग :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 से आज की तिथि तक उड़ीसा सहित देश के अन्य राज्यों में खनिजों के खनन हेतु पट्टा प्राप्त करने वाले उद्योगों/फर्मों का राज्य–वार और खनिज–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु इनमें से प्रत्येक को कितनी भूमि प्रदान की गई है और माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार इसमें से कितनी भूमि वन–भूमि के अंतर्गत आती है;

(ग) क्या खनन कार्य आरंभ करने से पूर्व इन्हें पर्यावरणीय एवं वानिकी संबंधी मंजूरी प्रदान की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त मंजूरी प्राप्त करने वाले उद्योगों/फर्मों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मंजूरी प्राप्त किए बगैर कार्य आरंभ करने वाले उद्योगों/फर्मों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जाएगी और इनके राज्य–वार नाम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनारायन मीना) : (क) से (ङ) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 केवल भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत अधिसूचित वन क्षेत्र और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा अभिनिर्धारित किए गए डीम्ड वनों पर ही लागू होता है। पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरियों और साथ ही साथ आवश्यक वैधारिक स्वीकृति के बिना कोई भी उद्योग/फर्म वन क्षेत्रों में खनन कार्य नहीं कर सकती। यह राज्य/संघ शासित सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे उद्योगों/फर्मों पर रोक लगाए जो कानून का अनुपालन नहीं करती। अपेक्षित मंजूरी के बिना वन–भूमियों पर खनन करना वनभूमियों को अवैधानिक रूप से खण्डित करना होता

है जिस पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26 और इस समय लागू विभिन्न राज्य अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 और अन्य राज्य अधिनियम, संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा लागू किए जाते हैं, इसलिए कानून के उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध अभियोजन/कार्रवाई के रिकार्डों का रखरखाव उनके द्वारा किया जाता है। फिर भी, उपलब्ध सूचना के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमियों के खनन हेतु उपयोग करने के लिए वर्ष 1995 से स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	राज्य	वनेतर उपयोग हेतु क्षेत्र	खनिज का नाम
1	2	3	4	5
1.	श्री एस शंकर रेड्डी के पक्ष में बैरीटस का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	2.69	ब्राईट्स
2.	महबूबा मिनरल्स के पक्ष में बैरीटस निकालने का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	4	ब्राईट्स
3.	श्री सत्यम यादव के पक्ष में चीनी मिट्टी और शेल के खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	2.82	चीनी मिट्टी
4.	एम. चंगल रेड्डी के पक्ष में मिट्टी के खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	0.81	चीनी मिट्टी
5.	श्री वी. सत्यम यादव के पक्ष में वोन्टीमिट्टा रेंज, कुडापा डिविजन के पतूर में चीनी मिट्टी और सफेद शेल के खनन पट्टे का नवीकरण–एम एंड एम	आंध्र प्रदेश	1.62	चीनी मिट्टी
6.	एस सी सी एल के पक्ष में थेलान्डु में सेनेटरी इनकलाइन	आंध्र प्रदेश	4.77	कोयला
7.	रविन्द्र खानी संख्या 08 इनकलाईन परियोजना	आंध्र प्रदेश	6.2	कोयला
8.	एस सी सी एल के पक्ष में रविन्द्र खानी नई टैक के लिए माईन एन्ट्री और अन्य कार्य	आंध्र प्रदेश	8.96	कोयला
9.	मै. एस सी सी एल के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	13.85	कोयला
10.	रविन्द्र स्वामी संख्या 58 अतिरिक्त इनकलाईन में नई खान को खोलना (मंत्रालय द्वारा मामले पर कार्रवाई की गई है)	आंध्र प्रदेश	4.85	कोयला
11.	मैसर्स एस सी सी एल के पक्ष में वैंकटेश खानी 7 इनकलाईन में नालेर का रिएलाईनमैंट	आंध्र प्रदेश	11.96	कोयला
12.	मैसर्स एस सी सी एल वैंकटेश खानी 7 इनकलाईन में नाला के रिएलाईनमैंट के लिए खम्मन सर्किल में कोठागुडेम में रामावरम आर एफ 11.96 है, का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	11.96	कोयला
13.	एस सी सी एल बेलमपल्ली के पक्ष में रेबीना (क) में गोलती आई ए इनकलाईन	आंध्र प्रदेश	4.56	कोयला
	भूमिगत माईन एन्ट्री के लिए तंदूर आर एफ की वन भूमि का वनेतर उपयोग	आंध्र प्रदेश	4.56	कोयला
14.	इन्डावैम में मैसर्स एस सी सी एल का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	1054.84	कोयला
15.	मैसर्स एस सी सी एल का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	1790	कोयला
16.	आपन कास्ट परियोजना–II चरण–III के लिए मैसर्स एम सी सी एल का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	286.25	कोयला
17.	एम सी सी लएल के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	140.3	कोयला

1	2	3	4	5
18.	आपनकास्ट परियोजना–II के लिए मैसर्स एस सी सी एल का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	32.7	कोयला
19.	मैसर्स एस सी सी एल का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	236	कोयला
20.	एम एल से एस सी सी एल	आंध्र प्रदेश	261.31	कोयला
21.	सातु पाली–I ओपन कास्ट परियोजना के लिए एस सी सी एल का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	244.02	कोयला
22.	मैसर्स एस सी सी एल के पक्ष में मनुगुरु में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	104	कोयला
23.	मैसर्स एस सी सी एल के पक्ष में गोवथम खानी ओ सी सी चरण–II के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	124	कोयला
24.	एस सी सी एल को खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	431.85	कोयला
25.	मैसर्स एस सी सी एल को ककरिया में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	144	कोयला
26.	एस सी सी एल को कोथागुडम में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	2338	कोयला
27.	मैसर्स एस सी एल का खैरागुड में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	29.85	कोयला
28.	मैसर्स एन सी एल उद्योग का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	46.356	कोयला
29.	एस सी सी एल का ओ सी पी–III मनुगुरु कोयला खान का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	75	कोयला
30.	मैसर्स एस सी एल का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	235	कोयला
31.	मैसर्स सिंगरेनी कोलारी कंपनी लि. का टाडीचेराला आरक्षित वन में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	250	कोयला
32.	मैसर्स एस सी एल लि. के पक्ष में याल्लन्दु ओ सी पी–II में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	48	कोयला
33.	मैसर्स सिंगरेनी कौलारी कंपनी से एस सी सी एल के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	253	कोयला
34.	एस सी सी एल के पक्ष में ओ सी पी–II चरण–III मनुगुरु में कोन्डापुर अस्वापुरा रेंज में खनन पट्टा का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	125.9	कोयला
35.	मैसर्स एस सी सी एल का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	49.75	कोयला
36.	मैसर्स सिंगरेनी कौलारी कं. लि. का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	4.85	कोयला
37	.एस सी सी एल को शातिखानी एक्सटेंशन ब्लाक का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	285.89	कोयला
38.	श्री साई मिनरल्स के श्री परम नागीरेड्डी के पक्ष में सरीटाइट और डोलोमाइट के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	4.05	डोलोमाइट एण्ड सरीटाइट
39.	साउथ इण्डिया कं. लि. के पक्ष में लुलाकलावा में सरीटाइट और डोलामाइट के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	8.5	–वही–
40.	नरसू एण्ड कं. के पक्ष में सरीटाइट और डोलामाइट के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	9.85	ग्रेनाइट
41.	मैसर्स रघु ग्रेनाइट के श्री मनोहर रेड्डी के पक्ष में क्वेरिंग कलर ग्रेनाइट के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	4	ग्रेनाइट

1	2	3	4	5
42.	श्री वी रमेश कुमार के पक्ष में ग्रेनाइट के खनन के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	8.65	ग्रेनाइट
43.	तिरुमाला ग्रेनाइटस, चित्तूर के पक्ष में काले ग्रेनाइट के लिए क्वेरी पट्टा मंजूर करना	आंध्र प्रदेश	8	ग्रेनाइट
44.	श्रीमती टी. सत्यावती के पक्ष में ग्रेनाइट मैटल की क्वेरिंग	आंध्र प्रदेश	1.25	ग्रेनाइट
45.	मैसर्स नागमणि ग्रेनाइट के पक्ष में काले ग्रेनाइट एक्सट्रेक्शन के लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	5.4	ग्रेनाइट
46.	मुगडा (वी) में श्रीमती सत्यावती के पक्ष में ग्रेनाइट मैटल निकालने के लिए वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	1.25	ग्रेनाइट
47.	मैसर्स श्री लक्ष्मी ग्रेनाइट एण्ड एक्सपोर्ट के पक्ष में काले ग्रेनाइट निकालने के लिए जिला चित्तूर के बासपल्ली में वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	3.187	ग्रेनाइट
48.	अनन्तपुर खनन निगम के पक्ष में आयरन ओर के लिए खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	6.5	लौह अयस्क
49.	नवभारत फैरो एलाय के पक्ष में कलावापल्ली रेंज के ब्लाक 38 में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	4.8	लौह अयस्क
50.	जी राम मोहन रेड्डी को खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	25.98	लौह अयस्क
51.	मैसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. को खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	900	लौह अयस्क
52.	वाई महाबलेश्वरप्पा एण्ड संस को खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	20.24	लौह अयस्क
53.	मैसर्स बैललारी आयरन ओर प्रा. लि. को खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	27.12	लौह अयस्क
54.	मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. को खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	200	लौह अयस्क
55.	के सी पी लि. मछरला के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	18.14	चूना पत्थर
56.	ब्रहम्बराम्बा मिनरल्स के पक्ष में गुलामअली बाग नार्थ ब्लाक में लाइमस्टोन केलसाइट और सरपेन्टाइन के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	1.765	चूना पत्थर
57.	डक्कन लाइमस्टोन मिन. (क) (प्रा.) लि. धोनी के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	18.62	चूना पत्थर
58.	के सी पी लि. के पक्ष में एरियल रेपवे के उद्देश्य के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	8.18	चूना पत्थर
59.	केसोराम सीमेंट का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	230.66	चूना पत्थर
60.	मैसर्स ओरिएन्ट सीमेंट कं. का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	100	चूना पत्थर
61.	मन्दादी आरक्षित वन ब्लाक–II में मैसर्स के सी पी लि. के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	34.98	चूना पत्थर
62.	मैसर्स ए सी सी लि. का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	80.44	चूना पत्थर
63.	मैसर्स डक्कन सीमेंट लि. का खनन पट्टा सं. 27	आंध्र प्रदेश	73.93	चूना पत्थर
64.	ककारिया सीमेंट शुगर इंडस्ट्रीज का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	121.46	चूनाव पत्थर
65.	मैसर्स ए पी मिनरल्स डिवलपमेंट का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	110	चूना पत्थर

1	2	3	4	5
66.	मैसर्स चाणक्य सीमेंट के पक्ष में नालगोंडा वन डिवीजन के पासुपुलाबोदु ब्लाक का कम्पार्टमेंट नं. 29	आंध्र प्रदेश	162.56	चूना पत्थर
67.	मैसर्स मद्रास सीमेंट लि. का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	60.72	चूना पत्थर
68.	के सी पी लि. का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	18.14	चूना पत्थर
69.	वाई के कृष्णा राव का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	29.48	मैगनीज अयस्क
70.	कृष्णा माइनिंग कं. के पक्ष में मोलाकलापुन्डला के सर्वे सं. 530 से 534 में माइको के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	18.9	मिका
71.	कृष्णा माइनिंग कं. के पक्ष में मोलाकलपुन्डला के सर्वे सं. 612, 826 से 827 में माइका के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	19.91	मिका
72.	ककालपुन्डला के सर्वे सं. 504., 505 और 528 में माइका, फिल्सपार, क्वार्टज और वर्मीकुलेट का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	19.91	मिका/क्वाट्ज
73.	सर्वे नं. 675 पेमुलोपाडु–थाम्भाला आरक्षित वन रायपुर टी क्यू में क्वार्टज–माइका और वर्मीलेट	आंध्र प्रदेश	12.14	मिका/क्वज्ज
74.	श्री थिरुपालु के पक्ष में क्वेरिंग पट्टा	आंध्र प्रदेश	4	उपलब्ध नहीं
75.	मैसर्स लक्ष्मीनरसिंहा मेटल इंडस्ट्रीज के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	4	उपलब्ध नहीं
76.	सवामी कासी रत्नम के पक्ष में बतरापलम के मदीनापाडु में खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	4.85	उपलब्ध नहीं
77.	के.टी. माईस के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	2.69	उपलब्ध नहीं
78.	टीलाबोडु कं. के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	17.63	उपलब्ध नहीं
79.	सयादपुरम में क्रमशः छगनम उत्तुकु में सर्वे सं. 553 और 537 में खनन पट्टे का नवीकरण	आंध्र प्रदेश	16.19	उपलब्ध नहीं
80.	बीबीजान के पक्ष में क्वार्टज वर्म कुलाई के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	2	क्वाट्ज
81.	वी मनीक्कम के पक्ष में पूलबाग से क्वार्टज का खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	0.99	क्वाट्ज
82.	श्रीनिवास मिनरल्स कं. के पक्ष में सटेटाईट का खन पट्टा	आंध्र प्रदेश	4.05	स्टेटाइट
83.	श्री ए सुमन्ना, टाडपतरी के पक्ष में सेरीलाइट के पक्ष में खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	2	स्टेटाइट
84.	साऊथ इण्डिया खनन कं. के पक्ष में सेटीटाइट सफेद शैल के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	2.833	स्टेटाइट
85.	वटटीवागु परियोजना की स्टोन क्वेरी	आंध्र प्रदेश	2	पत्थर
86.	श्री डी शिवकुमार रेड्डी के पक्ष में रोड मैटल और बिल्डिंग स्टोन के लिए क्वेरी पट्टा	आंध्र प्रदेश	2	पत्थर
87.	असीफाबाद में सर्वे नं. 138 कम्पार्टमेंट नं. 502 और 503 में लाइम स्टोन क्वेरी के लिए खनन पट्टा	आंध्र प्रदेश	13.75	पत्थर

1	2	3	4	5
88.	श्री कोटेश्वरा राव के पक्ष में कोन्डावेदु अरक्षित वन में क्वेरिंग रोड मेंटल और बिल्डिंग स्टोन	आंध्र प्रदेश	7.74	पत्थर
89.	श्री टी एस मल्लिकार्जुन राव के पक्ष में क्वेरी पट्टा प्रदान करना	आंध्र प्रदेश	3.61	पत्थर
90.	श्री तिरुपालु के पक्ष में क्वेली लघु खनिजों के लिए मंगलागिरी आरक्षित वन में वनभूमि का वनेतर प्रयोग	आंध्र प्रदेश	2	पत्थर
91.	श्री टी एस मल्लिकार्जुन राव की माईन और मिनरल्स के लिए क्वेरी पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन	आंध्र प्रदेश	3.61	पत्थर
92.	ब्रहारामबा मिनरल्स के पक्ष में जलाकलावा में सफेद क्ले और डोलामाइट का खनन		4.68	सफेद क्ले
93.	नामचिक नामफुक कोलफोल्डस में कोयला खनन के लिए ए पी एम डी टी एल का खनन पट्टा	अरुणाचल प्रदेश	128.97	कोयला
94.	नामचिक नामफुक कोलपुल्ड में कोयला खनन	अरुणाचल प्रदेश	4.55	कोयला
95.	धुबरी डिवीजन के अंतर्गत न्यू महल की नं. 4 की ओपनिंग और दूधनाथ हिल स्टोन महल की नं. 1	असम	0.5	स्टोन
96.	नक्कारी हिल स्टोन क्वेरी 2 का नवीकरण	असम	0.5	स्टोन
97.	नागांव साउथ डिवीजन के अंतर्गत स्टोन/सैण्ड महल खनन	असम	3.1	स्टोन
98.	ए एम डी सी क्षरा बुल्डर के लिए क्वेरिंग	असम	20	स्टोन
99.	10 अदद स्टोन मील और 9 अदद बालु महल का नवीकरण	असम	12.8	स्टोन
100.	मैसर्स रॉक प्राडक्ट ट्रेडर्स के पक्ष में राक क्वेरिंग के लिए 6 वर्ष का पट्टा	असम	5	स्टोन
101.	बहुबरी वन डिवीजन के अंतर्गत मकरीजोहरा बालु और ग्रेवेल महल	असम	3	स्टोन
102.	पी पी सी एल का खनन पट्टा	बिहार	297.06	
103.	अजीत कुमार सिंह द्वारा स्टोन क्वेरी	बिहार	0.858	स्टोन
104.	श्रीमती प्रेम जैन द्वारा स्टोन क्वेरी	बिहार	4.33	स्टोन
105.	विवेक झम्मारी द्वारा स्टोन क्वेरी	बिहार	2.31	स्टोन
106.	अजय झंझारी द्वारा स्टोन क्वेरी	बिहार	4.98	स्टोन
107.	हिन्डलाको इंडस्ट्रीज लि. का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	798.827	स्टोन
108.	हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लि. का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	514.019	
109.	हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लि. का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	124.109	
110.	एस ई सी एल द्वारा ओपन कास्ट खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	15.42	
111.	एस ई सी एल द्वारा ओपन कास्ट खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	9.6	कोयला

1	2	3	4	5
112.	एस ई सी एल द्वारा ओपन कास्ट खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	2.32	कोयला
113.	एस ई सी एल द्वारा खनन पट्टा (दीपिका) का नवीकरण	छत्तीसगढ़	19.975	कोयला
114.	एस ई सी एल के पक्ष में ओपन कास्ट खनन, पश्चिम चिरामरी	छत्तीसगढ़	30.55	कोयला
115.	मैसर्स एस ई सी एल का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	19	कोयला
116.	एस ई सी एल के लिए अमरपुरा अन्डरग्राउण्ड कोल माइन का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	297.608	कोयला
117.	जयसवाल नीको लि. का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	419.887	कोयला
118.	एस ई सी एल का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	33.84	कोयला
119.	एस ई सी एल देहल वाधी की अन्डरग्राउण्ड परियोजना का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	355.463	कोयला
120.	साउथ ईस्टन कोल फील्डस लि. (शिवानी परियोजना) का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	268	कोयला
121.	साउथ ईस्टन कोल फील्डस लि. (राजेन्द्र परियोजना) का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	36.364	कोयला
122.	मैसर्स डब्ल्यू सी एल चिरिमरी परियोजना का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	160.234	कोयला
123.	मैसर्स एस ई सी एल का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	82	कोयला
124.	मैसर्स डब्ल्यू सी एल का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	31.088	कोयला
125.	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि. (नवापुरा परियोजना) का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	71.98	कोयला
126.	मैसर्स एस ई सी एल का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	5.02	कोयला
127.	मैसर्स एस ई सी एल का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	1607.05	कोयला
128.	मैसर्स एस ई सी एल का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	541.787	कोयला
129.	मैसर्स एस ई सी एल का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	124.54	कोयला
130.	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि. (न्यू कुमदा परि.) का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	83	कोयला
131.	मैसर्स एस ई सी एल का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	1050.823	कोयला
132.	मैसर्स एस ई सी एल	छत्तीसगढ़	547.012	कोयला
133.	मैसर्स एस ई सी एल	छत्तीसगढ़	137.178	कोयला
134.	मैसर्स जिन्दल पावर लि. का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	48.208	कोयला
135.	अशोक कुमार का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	2	कोयला
136.	श्री जीवन लाल जैन के पक्ष में गांव वारबस पुर में आयरन ओर के खनन के लिए खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	14.714	लोहा अयस्क
137.	एन एम डी सी के पक्ष में आयरन ओर की प्रास्पैक्टिंग	छत्तीसगढ़	83	लोहा अयस्क
138.	नापुर अलाय कास्टिंग लि. का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	25	लोहा अयस्क

1	2	3	4	5
139.	एच ई जी लि. द्वारा आयरन ओर की प्रास्पैक्टिंग	छत्तीसगढ़	326	लोहा अयस्क
140.	श्री राधा इण्डस्ट्रीज लि. के पक्ष में आयरन ओर की प्रास्पैक्टिंग	छत्तीसगढ़	200	लोहा अयस्क
141.	भिलाई स्टील प्लांट का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	84	लोहा अयस्क
142.	मैसर्स स्टील प्लांट का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	155	लोहा अयस्क
143.	बालको का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	376.924	लोहा अयस्क
144.	जयसवाल नीको लि. (नागपुर अलाय कास्ट्रिग लि.) का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	91	लोहा अयस्क
145.	एन एम डी सी लि. का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	322.368	लोहा अयस्क
146.	एन एम डी सी लि. का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	309.34	लोहा अयस्क
147.	एन एम डी सी लि. को बेलाडिलया और प्रोलजैक्ट के लिए खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	506.742	लोहा अयस्क
148.	रायपुर एलाय एण्ड स्टील लि. के खनन पट्टे की प्रोस्पैक्टिंग	छत्तीसगढ़	124.32	लोहा अयस्क
149.	एन एम डी सी लि. का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	322.368	लोहा अयस्क
150.	बोरिया रिब्बु आरन और डियालिट के लिए जयसवाल नीको के पक्ष में खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	41	लोहा अयस्क
151.	मैसर्स रायपुर अलाय एंड स्टील का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	80.71	लोहा अयस्क
152.	भिलाई स्टील प्लांट (सेल) में खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	283.6	लोहा अयस्क
153.	भिलाई स्टील प्लांट (सेल) में खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	100.76	लोहा अयस्क
154.	भारतीय स्टील प्राधिकरण का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	100	लोहा अयस्क
155.	मैसर्स इस्पात गोदवरी लि. के खनन पट्टे की प्रास्पैक्टिंग	छत्तीसगढ़	200	लोहा अयस्क
156.	मैसर्स इस्पात मनीत इस्पात लि. का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	340.6	लोहा अयस्क
157.	एन एम डी सी लि. का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	142.8	लोहा अयस्क
158.	एन एम डी सी लि. बेलसदिना आयरन आर प्रौजैक्ट का खनन पट्टा	छत्तीसगढ़	1767.14	लोहा अयस्क
159.	एम पी माइनिंग कारनोरेशन द्वार कोरूडम खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	3.7	
160.	एम पी ई बी द्वारा पलाई एश डायकी का निर्माण	छत्तीसगढ़	20	
161.	मैसर्स ओ सी एल इंडिया लि. द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	छत्तीसगढ़	9.8	
162.	वी एल दीम्बो एंड कम्पनी लि. के पक्ष में मानी गया खनन पट्टा सं. 21/54 का नवीकरण	गोवा	15.0769	लोहा अयस्क
163.	सीसागोआ का खनन पट्टा काजूमोल टी सी नं. 26/1995 का नवीकरण	गोवा	3.5	लोहा अयस्क
164.	वी एम सालगोकर एंड ब्रदर्स लि. के पक्ष में खनन पट्टा सं. 29/54 का नवीकरण	गोवा	11.3125	लोहा अयस्क
165.	श्री अत्युचुन वी एस वेलीनगरकर के खनन पट्टे का नवीकरण	गोवा	16.56	लोहा अयस्क

1	2	3	4	5
166.	सालगांकर एंड ब्रदर्स के पक्ष में खनन पट्टा सं. 44/1956 का नवीकरण	गोवा	16.47	लोहा अयस्क
167.	मैसर्स तालोलीकर एंड संस (प्र.) लि. का खनन पट्टा सं. 2/51	गोवा	33.247	लोहा अयस्क
168.	ए वी एस वेलिंगकर का खनन पट्टा सं. 67/52	गोवा	36.38	लोहा अयस्क
169.	मैसर्स एमको गोवा (प्र.) लि. का खनन पट्टा सं. 23/53	गोवा	57.97	लोहा अयस्क
170.	सोकियाडेल टिबली इरमोस का खनन पट्टा 88/1952	गोवा	0.64	लोहा अयस्क
171.	हीरू बोम्बो गोनास का खनन पट्टा	गोवा	15.4175	लोहा अयस्क
172.	वी एस डीमपो एंड का. का खनन पट्टा सं. 29	गोवा	15.0769	लोहा अयस्क
173.	मैसर्स सालगोआकर एण्ड ब्रदर्स लि. का खनन पट्टा 29/55	गोवा	11.3125	लोहा अयस्क
174.	अच्युत्य वी एस वेलिंगकर के पक्ष में खनन पट्टा 29/55	गोवा	38.87	लोहा अयस्क
175.	मैसर्स दमोदर मंगलजी एंड कं. का खनन पट्टा सं. 84/53	गोवा	46.79	लोहा अयस्क
176.	वी एस डम्पो एण्ड कं. का खनन पट्टा सं. 40/53	गोवा	135.6175	लोहा अयस्क
177.	चोगेले एण्ड कं. लि. का खनन पट्टा सं. 40/57	गोवा	57.96	लोहा अयस्क
178.	चोगेले एण्ड कं. लि. का खनन पट्टा सं. 42/57	गोवा	45.16	लोहा अयस्क
179.	श्री चद्र कांत नायर का खनन पट्टा सं. 63/51	गोवा	16.1139	लोहा अयस्क
180.	बदरुदीन भवानी का खनन पट्टा सं. 14/52	गोवा	31.4598	लोहा अयस्क
181.	मैसर्स वी एम सालगोच्छर एण्ड ब्रदर्स का खनन पट्टा सं. 19/1952	गोवा	72.85	लोहा अयस्क
182.	आत्माराम पोन्डीकर का खनन पट्टा सं. 19/1952	गोवा	44.69	लोहा अयस्क
183.	दामोदर मंगल जी का खनन पट्टा सं. 26/60	गोवा	23.4	लोहा अयस्क
184.	जी एन अग्रवाल के पक्ष में खनन पट्टा सं. 8/41	गोवा	66.719	लोहा अयस्क
185.	दामोदर मंगल जी कंपनी का खनन पट्टा सं. 46/56	गोवा	28.1513	लोहा अयस्क
186.	डा. प्रफुल्ल आर हीडी के पक्ष में खनन पट्टा 30/50	गोवा	30.5888	लोहा अयस्क
187.	मैसर्स वी एल सालगोच्छर एंड ब्रदर्स का खनन पट्टा	गोवा	15.67	लोहा अयस्क
188.	मैसर्स वी एम सालगोच्छर के पक्ष में खनन पट्टा 13/55	गोवा	35.1525	लोहा अयस्क
189.	हैदर कासिक खान के पक्ष में खनन पट्टा 10/52	गोवा	12.466	लोहा अयस्क
190.	सासेवा के पक्ष में खनन पट्टा 45/54	गोवा	43.9951	लोहा अयस्क
191.	मैसर्स वी. एम. सालगोच्छर के पक्ष में खनन पट्टा 50/53	गोवा	28.7805	लोहा अयस्क
192.	श्री मिगुइल मासक्रोनहास का खनन पट्टा 60/51	गोवा	15	लोहा अयस्क
193.	नूर मोहम्मद अब्दुल करीम का खनन पट्टा 43/53	गोवा	9.39	लोहा अयस्क

1	2	3	4	5
194.	वी.डी. चोगले के पक्ष में खनन पट्टा 53/52	गोवा	13.6355	लोहा अयस्क
195.	श्री अशोक कुचदकर के पक्ष में खनन पट्टा 53/52	गोवा	6.34	लोहा अयस्क
196.	श्री अशोक कुचदकर के पक्ष में खनन पट्टा 100/53	गोवा	3.32	लोहा अयस्क
197.	वास्को के मैसर्स चोगले के पक्ष में खनन पट्टा सं. 31/54 का नवीकरण	गोवा	9.5	लौह अयस्क
198.	वी एस डीम्पी के पक्ष में खनन पट्टा सं. 35/52 का नवीकरण	गोवा	12.1644	लौह अयस्क
199.	मैसर्स साल्गोकर एण्ड ब्रदर्स लि. के पक्ष में खनन पट्टा 39/56 का नवीकरण	गोवा	12.141	लौह अयस्क
200.	श्री यचारिया एन्टी के पक्ष में खनन पट्टा सं. 55/53 का नवीकरण	गोवा	15.3918	लौह अयस्क
201.	मैसर्स कमर्शियल स्टोर सप्लाइंग कं. का खनन पट्टा	गुजरात	5	डोलोमाईट एवं लाईम स्टोन
202.	गुजरात मिनरल्स डिवेलप्मेंट कारपो. का खनन पट्टा	गुजरात	32	फ्लोरस्पार
203.	मैसर्स गुजरात मिनरल्स डिवेलप्मेंट कारपोरेशन का खनन पट्टा	गुजरात	31.2	फ्लोरस्पार
204.	अम्बुजा में मार्बल इन्डस्ट्रीज का खनन पट्टा	गुजरात	190	मारबल
205.	कांतीलाल ए पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	1.2141	पत्थर
206.	के. बी. कंसारा द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	4.7146	पत्थर
207.	कांतीलाल अम्बालाल का खनन पट्टा	गुजरात	2.0234	पत्थर
208.	अम्बालाल एम पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	2.0234	पत्थर
209.	श्रीमती प्रभावती बेन जे परमार द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	1.902	पत्थर
210.	जयंतीबाई डी पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	1.98	पत्थर
211.	श्रीमती प्रभावती बेन जे परमार द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	0.66	पत्थर
212.	श्रीमती चन्द्रबेन वी शाह द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	0.07	पत्थर
213.	दयाल जी भाई वाडगामा द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	1.8617	पत्थर
214.	चन्द्रकांत सी पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	1.46	पत्थर
215.	अम्बालाल एम पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	1.9121	पत्थर
216.	रमेश सी डी पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	2.02	पत्थर
217.	श्री चन्द्रकांत सी पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	1.2849	पत्थर
218.	श्रीमती चन्द्रिका बेन वी शाह द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	2.02	पत्थर
219.	चन्द्रकांता सी पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	0.46	पत्थर
220.	रमेश सी डी पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	0.9611	पत्थर

1	2	3	4	5
221.	जयंती भाई डी पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	0.4856	पत्थर
222.	चन्द्रकांत सी पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	0.87	पत्थर
223.	इन्दुभाई सी पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	3.97	पत्थर
224.	पी एम जडेवा द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	0.9814	पत्थर
225.	श्रीमती गिरजाबेन जी पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	4.95	पत्थर
226.	दातुभाई एम पटेल द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	0.8963	पत्थर
227.	अली हुसैन हाजी मोहम्मद अली द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	18.88	पत्थर
228.	एलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज द्वारा क्वार्टजाइट खनन	गुजरात	19.3	क्वार्टजाइट
229.	सौराष्ट्र साल्ट इंडस्ट्रीज को आर एम एल	गुजरात	679.44	नमक
230.	द्वारकादास वाला जी साल्ट वर्क्स को आर एम एल	गुजरात	162.73	नमक
231.	नवानगर साल्ट एण्ड कैमीकल्स इंडस्ट्रीज को आर एम एल	गुजरात	509.08	नमक
232.	सौराष्ट्र घियु साल्ट वर्क्स को आर एम एल	गुजरात	671.6	नमक
233.	बलारपुर इंडस्ट्रीज लि. को आर एम एल	गुजरात	1214.04	नमक
234.	सौराष्ट्र घीरी साल्ट वर्क्स को आर एम एल	गुजरात	496.95	नमक
235.	सिक्का साल्ट वर्क्स को आर एम एल	गुजरात	202.34	नमक
236.	सौराष्ट्र घीर साल्ट वर्क्स को आर एम एल	गुजरात	588.63	नमक
237.	साल्ट एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज को आर एम एल	गुजरात	955.88	नमक
238.	वरुण साल्ट वर्क्स को आर एम एल	गुजरात	60.7	नमक
239.	श्रीराम साल्ट वर्क्स को आर एम एल	गुजरात	101.17	नमक
240.	मारुति साल्ट वर्क्स को आर एम एल	गुजरात	60.7	नमक
241.	नेशनल साल्ट वर्क्स को आर एम एल	गुजरात	141.23	नमक
242.	गायत्री साल्ट एण्ड घीरू वर्क्स को आर एम एल	गुजरात	134.15	नमक
243.	शाह साल्ट एण्ड घीरू वर्क्स को आर एम एल	गुजरात	141.23	नमक
244.	साल्ट बनाने के लिए सेंचुरी कैमीकल्स को खनन पट्टा	गुजरात	742.6	नमक
245.	घोंगल (प्र) लि. को आर एम एल	गुजरात	2023.5	नमक
246.	मैसर्स गुजरात स्टोन द्वारा खनन पट्टा	गुजरात	2.0234	पत्थर
247.	अम्बिका मिनरल स्टोन सप्लाई	गुजरात	74.13	पत्थर
248.	मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि. का खनन पट्टा	हिमाचल प्रदेश	102.8	चूना पत्थर

1	2	3	4	5
249.	मैसर्स गगल सीमेंट वर्क्स का खनन पट्टा	हिमाचल प्रदेश	103.02	चूना पत्थर
250.	भगल सीमेंट वर्क्स बिलासपुर, हि.प्र. के पक्ष में खनन के लिए वनभूमि	हिमाचल प्रदेश	103.02	चूना पत्थर
251.	मैसर्स सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया का खनन पट्टा	हिमाचल प्रदेश	0.257	चूना पत्थर
252.	मैसर्स सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया का खनन पट्टा	हिमाचल प्रदेश	172.3	चूना पत्थर
253.	राजवन वन डिवीजन पोंटा साहिब में सीमेंट का. आफ इण्डिया के पक्ष में खनन पट्टा	हिमाचल प्रदेश	242.3	चूना पत्थर
254.	लारसन एण्ड टुबरो लि. का खनन पट्टा और सीमेंट फैक्टरी स्थापित करना	हिमाचल प्रदेश	138.1476	चूना पत्थर
255.	मैसर्स गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि. द्वारा चूना पत्थर खनन	हिमाचल प्रदेश	19.38	चूना पत्थर
256.	श्री संतराम गांव मरवाना के पक्ष में चूना पत्थर खनन	हिमाचल प्रदेश	1.5	चूना पत्थर
257.	मिनरल्स डिवेलप्मेंट कारपोरेशन को खनन पट्टा	हिमाचल प्रदेश	148.96	लागू नहीं
258.	श्रीमती चन्दल नागर, चम्बा निवासी के पक्ष में खनन पट्टा	हिमाचल प्रदेश	0.4842	लागू नहीं
259.	मैसर्स बुशहार लघु उद्योग पशाहादा वन डिवीजन रामपुर के पक्ष में वनभूमि पर 10 वर्ष का पट्टा	हिमाचल प्रदेश	0.5348	लागू नहीं
260.	मैसर्स सगागल सीमेंट वर्क्स के पक्ष में बिलासपुर में सीमेंट निर्माण के लिए क्वार्टजाइट का खनन	हिमाचल प्रदेश	4.88	क्वार्टजाइट
261.	जी सी आई राजबंस सीमेंट फैक्टरी के पक्ष में वन डिवीजन पोंटा साहिब में सैण्डस्टोन के खनन के लिए वनभूमि	हिमाचल प्रदेश	0.075	सैण्डस्टोन
262.	उद्योग विभाग द्वारा स्लेट खनन	हिमाचल प्रदेश	25	स्लेट
263.	चम्बा वन डिवीजन में मौजा गीहारा में उद्योग विभाग द्वारा स्लेटों का उत्खनन	हिमाचल प्रदेश	1.392	स्लेट
264.	जिला मण्डी में मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	हिमाचल प्रदेश	0.78	पत्थर
265.	नाथपा जाकरी के पक्ष में क्रेशर क्वेरी और भरण स्थल के लिए वन भूमि	हिमाचल प्रदेश	48.1304	पत्थर
266.	मैसर्स जय दुर्गा स्टोन क्वेरी बागी–मण्डी क्वेर्ले द्वारा स्टोन क्वेरी की स्थापना	हिमाचल प्रदेश	0.265	पत्थर
267.	मण्डी वन डिवीजन में बेतुर जोली में स्टोन क्वेरी की स्थापना	हिमाचल प्रदेश	0.095	पत्थर
268.	हुरला पारबती वन डिवीजन में मैसर्स आशापुरी स्टोन क्रेशर के पक्ष में स्टोन क्रेशर क्वेरिंग	हिमाचल प्रदेश	0.4	पत्थर
269.	मैसर्स आशापुरी स्टोन क्रेशर की कोट–डांडी–III हुरला वन रेंज कुल्लू में 30 वर्षों के पट्टे की स्टोन क्वेरी के लिए फीडिंग स्टोन क्रेशर	हिमाचल प्रदेश	0.4	पत्थर
270.	चुगोला पारबती वन डिवीजन कुल्लू से मैसर्स भुवनेश्वरी स्टोन क्रेशर की फीडिंग के लिए स्टोन क्वेरिंग	हिमाचल प्रदेश	1.2	पत्थर
271.	श्री अशोक सूद, गांव चुहीबाग तह. रामपुर के पक्ष में स्टोन क्रेशर और क्वेरी की स्थापना	हिमाचल प्रदेश	0.96	पत्थर

1	2	3	4	5
272.	अशोक कुमार सूद, प्रो. हिमालयन क्रेशर और क्वेरी रामपुर के पक्ष में 10 वर्ष का पट्टा	हिमाचल प्रदेश	0.19	पत्थर
273.	मैसर्स मेहता क्रेशर, रामपुर तहसील के पक्ष में स्टोन क्रेशर/क्वेरी	हिमाचल प्रदेश	1.13	पत्थर
274.	हि.प्र. उद्योग निगम लि. 20 वर्ष के लिए पट्टे गांव कोगी, तह. सदर के पक्ष में वन–भूमि	हिमाचल प्रदेश	4.68	पत्थर
275.	अभिषेक ठाकुर के पक्ष में खनन और स्टोन क्रेशर स्थापित करना	हिमाचल प्रदेश	0.35	पत्थर
276.	बी एस एम डी सी की सिबनी कोयला परियोजना	झारखण्ड	19.83	कोयला
277.	सी सी एल की मुराघी ओ सी पी (विस्तार)	झारखण्ड	7.6	कोयला
278.	ईस्टोर कोल फील्ड लि. (राजमहल परि.) को खनन पट्टा	झारखण्ड	20.03	कोयला
279.	मैसर्स सी सी एल के पक्ष में हुरीलुंग कोयला परियोजना	झारखण्ड	782.27	कोयला
280.	सी सी एल को राजरप्पा ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखण्ड	510.82	कोयला
281.	कर्मा ओपनकास्ट खनन परियोजना के लिए मैसर्स सेंट्रल कोलफील्ड को खनन पट्टा	झारखण्ड	132.28	कोयला
282.	टर्मी ओ सी पी के लिए सी सी एल को खनन पट्टा	झारखण्ड	55.06	कोयला
283.	सी सी एल द्वारा सौन्दा 'डी' परि. में कोयला खान के लिए खनन पट्टा	झारखण्ड	99.69	कोयला
284.	सी सी एल को अमलो ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखण्ड	222.324	कोयला
285.	सी सी एल को न्यू गिडी सी ओपन कास्ट खनन पट्टा	झारखण्ड	73.58	कोयला
286.	पनीम कोल माइन्स लि. के पक्ष में खनन पट्टा	झारखण्ड	400	कोयला
287.	मैसर्स सी सी एल (अशोका ओपनकास्ट परियोजना) को खनन पट्टा	झारखण्ड	166.91	कोयला
288.	सी सी एल की गिडी 'ए' परियोजना	झारखण्ड	1.44	कोयला
289.	सी सी एल को कावेरी ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखण्ड	77.43	कोयला
290.	सी सी एल को खनन पट्टा	झारखण्ड	148.167	कोयला
291.	सी सी एल को खास महल ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखण्ड	174.48	कोयला
292.	सी सी एल की पुन्डी ओपनकास्ट परियोजना	झारखण्ड	52.97	कोयला
293.	सी सी एल को खनन पट्टा	झारखण्ड	28.22	कोयला
294.	मैसर्स सी सी एल (झारखण्ड ओपनकास्ट परि.) को खनन पट्टा	झारखण्ड	57.94	कोयला
295.	सी सी एल को झारखंड ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखण्ड	96.28	कोयला
296.	सी सी एल को अरगाडा भूमिगत खनन पट्टा	झारखण्ड	90.1	कोयला
297.	सी सी एल को खनन पट्टा	झारखण्ड	101.87	कोयला

1	2	3	4	5
298.	कीडला ओ सी पी के लिए मैसर्स सेन्ट्रल कोलफील्डस लि. को खनन पट्टा	झारखण्ड	168.5	कोयला
299.	सी सी एल को खनन पट्टा	झारखण्ड	71.98	कोयला
300.	कुजु परियोजना के लिए सी सी एल को खनन पट्टा	झारखण्ड	115	कोयला
301.	सी सी एल आरा ओ सी पी माइन्स को खनन पट्टा	झारखण्ड	166.9	कोयला
302.	सी सी एल के पक्ष में तपनि नार्थ ओपनकास्ट परियोजना	झारखण्ड	55.69	कोयला
303.	मैसर्स सेन्ट्रल कोलफील्ड लि. के पक्ष में सयाल 'डी' परियोजना	झारखण्ड	192.32	कोयला
304.	सी सी एल रीलीगारा ओ सी पी माइन्स परियोजना को खनन पट्टा	झरखण्ड	135.66	कोयला
305.	सी सी एल को पिन्डरा भूमिगत खनन परियोजना का खनन पट्टा	झारखण्ड	54.79	कोयला
306.	मैसर्स सी सी एल की डरीमरी ओपनकास्ट परियोजना	झारखण्ड	91.04	कोयला
307.	सी सी एल की दोरी ओपनकास्ट परियोजना	झारखण्ड	69.183	कोयला
308.	सी सी एल के लइयो भूमिगत खनन पट्टा	झारखण्ड	78.59	कोयला
309.	सी सी एल को गिडी सी ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखण्ड	237.3	कोयला
310.	सी सी एल को गिडी खनन पट्टा	झारखण्ड	232.42	कोयला
311.	सारूबेरा ओपनकास्ट खनन के लिए सी सी एल को खनन पट्टा	झारखण्ड	196.55	कोयला
312.	मैसर्स सी सी एल की टोपा ओपनकास्ट परियोजना	झारखण्ड	77.3	कोयला
313.	सी सी एल को सिरका ओपनकास्ट खनन पट्टा	झारखण्ड	50.8	कोयला
314.	के.डी. हिसालोंग कोल माइन के लिए सी सी एल को खनन पट्टा	झारखण्ड	101.41	कोयला
315.	सी सी एल को दोरी खास भूमिगत खनन पट्टा	झारखण्ड	172.2	कोयला
316.	सी सी एल की टोपा ओ सी पी	झारखण्ड	17.3	कोयला
317.	सी सी एल की हिन्द गिरी परियोजना	झारखण्ड	9.06	कोयला
318.	राजमहल ओपनकास्ट खनन के लिए ई सी एल को खनन पट्टा	झारखण्ड	69.75	कोयला
319.	हिन्दुस्तान कॉपर लि. को खनन पट्टा	झारखण्ड	203.62	ताम्र अयस्क
320.	मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि. को खनन पट्टा	झारखण्ड	203.62	ताम्र अयस्क
321.	मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि. को खनन पट्टा	झारखण्ड	184.8	ताम्र अयस्क
322.	एम एम इंडस्ट्रीज की कुन्द्रेकोछा गोल्ड माइन	झारखण्ड	19.5	सोना
323.	किरीबुरु आयरन ओर एम एल के विस्तार के लिए टेलिंग बांध	झारखण्ड	8.7	लौह अयस्क
324.	मैसर्स निर्मल कुमार और प्रदीप कुमार के खनन पट्टे का नवीकरण	झारखण्ड	13.96	लौह अयस्क
325	–वही–	झारखण्ड	3.7	लौह अयस्क

1	2	3	4	5
326.	इस्को की गुआ आयरन ओर माइन के खनन पट्टे का नवीकरण	झारखण्ड	8.958	लौह अयस्क
327.	एस के एस के घोष की नोआमुन्डी आयरन खान का नवीकरण	झारखण्ड	10.056	लौह अयस्क
328.	मैसर्स सिंहभूम मिनरल कं. के खनन पट्टे का नवीकरण	झारखण्ड	18.69	लोह अयस्क
329.	बरायबुरु और तातीबा खनन पट्टे का नवीकरण	झारखण्ड	2.03	लौह अयस्क
330.	घटकरी वन में मैसर्स उषा मार्लि इंडस्ट्रीज के पक्ष में आयरन ओर के लिए खनन पट्टा	झारखण्ड	29.4648	लौह अयस्क
331.	ज्ञान चन्द जैन को खनन पट्टा	झारखण्ड	32.94	लौह अयस्क
332.	सुकरी लुतुर के लिए मैसर्स सेल को खनन पट्टा	झारखण्ड	33.4	लौह अयस्क
333.	रूंगटा माइन्स प्रा. लि. को खनन पट्टा	झारखण्ड	31.319	लौह अयस्क
334.	इस्को (सेल) को खनन पट्टा	झारखण्ड	29.411	लौह अयस्क
335.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि. को खनन पट्टा	झारखण्ड	346.49	लौह अयस्क
336.	सेल को खनन पट्टा	झारखण्ड	24	लौह अयस्क
337.	सेल की तुलसीदमार खान का नवीकरण	झारखण्ड	101.32	लौह अयस्क
338.	रूंगटरा माइन्स लि. का खनन पट्टा	झारखण्ड	31.319	लौह अयस्क
339.	बोकारो स्टील प्लांट (सेल) को खनन पट्टा	झारखण्ड	608.06	लौह अयस्क
340.	इस्को (सेल) को खनन पट्टा	झारखण्ड	32.11	लौह अयस्क
341.	मैसर्स सेल को खनन पट्टा	झारखण्ड	8.7	लौह अयस्क
342.	चूना पत्थर के खनन के लिए बी एस एम डी सी को खनन पट्टा	झारखण्ड	50.69	चूना पत्थर
343.	देविका वेलजी के आयरन और मिनरल खनन पट्टे का नवीकरण	झारखण्ड	32.416	मैगनीज अयस्क
344.	करमपाडा आयरन और मेग्निशिया ओर के लिए शाह ब्रदर्स का खनन पट्टा	झारखण्ड	24.856	मैगनीज अयस्क
345.	सचिव शाहना द्वारा फेल्डस्पार, क्वार्टज और माइका खनन	झारखण्ड	2.42	माइका, क्वार्टज
346.	प्रवीन कुमार सुखानी द्वारा स्टोन क्वेरी	झारखण्ड	2.298	पत्थर
347.	उमाशंकर प्रसाद द्वारा स्टोन क्वेरी	झारखण्ड	2.38	पत्थर
348.	संजय रामपाल और हेमंत रामपाल द्वारा स्टोन क्वेरी	झारखण्ड	1.206	पत्थर
349.	नीता रामपाल द्वारा स्टोन क्वेरी	झारखण्ड	3.157	पत्थर
350.	मैसर्स क्रश वैल, मीरा सिंह का खनन पट्टा	झारखण्ड	2.023	पत्थर
351.	हर्षवर्धन पाण्डेय के खनन पट्टे का नवीकरण	झारखण्ड	1.21	पत्थर
352.	मैसर्स कमरुदीन एण्ड संस द्वारा मार्बल स्टोन का नवीकरण	झारखण्ड	2.02	पत्थर

1	2	3	4	5
353.	मैसर्स जय श्रीराम स्टोन इंडस्ट्रीज के पक्ष में स्टोन क्वेरी	झारखण्ड	4.994	पत्थर
354.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बसरदा एण्ड कुमारडीह–कुन्हारा काला स्टोन क्वेरी	झारखण्ड	7.878	पत्थर
355.	भारत राज सिंह का खनन पट्टा	झारखण्ड	10.081	पत्थर
356.	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के पक्ष में बन्धु डुरंग यूरेनियम परि.	झारखण्ड	130.82	यूरेनियम
357.	मैसर्स यूरेनियम कारपो. ऑफ इण्डिया के लिए जादू गोडा खनन परि. के लिए खनन पट्टा	झारखण्ड	53.783	यूरेनियम
358.	अजनाहाली गांव में हुट्टी गोल्ड माइन्स के पक्ष में गोल्ड निकालना	कर्नाटक	18	सोना
359.	–वही–	कर्नाटक	19.94	सोना
360.	मैसर्स वेंकटेश्वर ग्रेनाइट के पक्ष में ग्रेनाइट क्वेरिंग के लिए वनभूमि का वनेतर	कर्नाटक	0.8094	ग्रेनाइट
361.	मैसर्स एस के जे एस ग्रेनाइटस के पक्ष में ग्रेनाइट क्वेरिंग के लिए वनेतर	कर्नाटक	0.8903	ग्रेनाइट
362.	सुंदर तालुक में मैसर्स ए. एम. मिनरल्स के पक्ष में आयरन ओर निकालना	कर्नाटक	2.032	लौह अयस्क
363.	मैसर्स मिनरल सिन्डिकेट (आयरन ओर) के खनन पट्टे का नवीकरण	कर्नाटक	2.12	लौह अयस्क
364.	बेलागान आरक्षित वन में गावीसिद्धेश्वर एन्टरप्राइज के लिए आयरन ओर एक्सट्रेक्शन	कर्नाटक	5.67	लौह अयस्क
365.	मेहबूब ट्रांसपोर्ट के पक्ष में गांव विटालपुरा में खनन पट्टे नं. 109 (आयरन ओर) का नवीकरण	कर्नाटक	16.18	लौह अयस्क
366.	गोगा गुरु शांता एण्ड ब्रदर्स के पक्ष में जिला बलैरी में आयरन ओर खनन	कर्नाटक	15.1	लौह अयस्क
367.	श्री सत्यनारायण, बल्लैरी का आयरन ओर खनन पट्टा का आवेदन	कर्नाटक	15	लौह अयस्क
368.	श्रीमती के. एम. पार्वतीम्मा के पक्ष में खनन पट्टा (आयरन ओर) सं. 1625 का नवीकरण	कर्नाटक	15.24	लौह अयस्क
369.	हिन्द ट्रेडर्स, बल्लैरी के पक्ष में आयरन ओर खनन पट्टा	कर्नाटक	19.63	लौह अयस्क
370.	मैसर्स मिनरल एन्टरप्राइज (प्र.) लि. के पक्ष में खनन पट्टा (आयरन ओर) का नवीकरण	कर्नाटक	12.87	लौह अयस्क
371.	एसोसिएटिड खनन कं. के पक्ष में खनन पट्टा सं. 625 (आयरन ओर) का नवीकरण	कर्नाटक	10.12	लौह अयस्क
372.	श्री एन शेखसाब गांव सिद्धपुर के पक्ष में खनन पट्टा	कर्नाटक	15	लौह अयस्क
373.	मैसर्स कुमार स्वामी मिनरल एक्सपोर्ट, बल्लैरी के पक्ष में आयरन ओर खनन पट्टा के लिए 30.00 हे. वनभूमि का वनेतर	कर्नाटक	30	लौह अयस्क
374.	जीनथ ट्रांसपोर्ट कं. को खनन पट्टा	कर्नाटक	50	लौह अयस्क
375.	एच जी रंगगंनगोड को खनन पट्टा	कर्नाटक	41.16	लौह अयस्क
376.	मैसर्स पी. बालासुबा शैट्टी एण्ड कं. को खनन पट्टा	कर्नाटक	44.11	लौह अयस्क

1	2	3	4	5
377.	मैसर्स एन डी एम सी लि. को खनन पट्टा	कर्नाटक	608	लौह अयस्क
378.	मैसर्स पी बाला सुब्बा शैट्टी एण्ड संस के पक्ष में खनन पट्टा सं. 1898	कर्नाटक	44.11	लौह अयस्क
379.	मैसर्स एस बी मिनरल्स को खनन पट्टा	कर्नाटक	40.47	लौह अयस्क
380.	मैसर्स तुंगभद्रा मिनरल्स लि. को खनन पट्टा सं. 1703	कर्नाटक	33.97	लौह अयस्क
381.	तुंगभद्रा मिनरल्स लि. को खनन पट्टा	कर्नाटक	196.46	लौह अयस्क
382.	टिडेन्ट मिनरल्स को खनन पट्टा सं. 122	कर्नाटक	32.27	लौह अयस्क
383.	मैसर्स दोदनवार ब्रदर्स को खनन पट्टा	कर्नाटक	39.2	लौह अयस्क
384.	एस ए तवाब को खनन पट्टा	कर्नाटक	24.72	लौह अयस्क
385.	श्री अबुबकीर, एन ई ब्लाक को खनन पट्टा सं. 2183	कर्नाटक	44	लौह अयस्क
386.	गोगा गुरु शान्ताथिया एण्ड ब्रदर्स को खनन पट्टा सं. 2093	कर्नाटक	42.9	लौह अयस्क
387.	चोगले एण्ड कं. लि. के पक्ष में खनन पट्टा सं. 130/1190 का नवीकरण	कर्नाटक	100	लौह अयस्क
388.	मैसर्स बालाजी माइन्स एण्ड मिनरल्स (प्र.) लि. को खनन पट्टा सं. 432/631	कर्नाटक	22.66	लौह अयस्क
389.	मैसर्स गोडगी मिनरल्स कं. को खनन पट्टा सं. 1468	कर्नाटक	39.63	लौह अयस्क
390.	लक्ष्मी नारायन माइनिंग कं. को खनन पट्टा	कर्नाटक	105.22	लौह अयस्क
391.	मैसर्स दोदानवर ब्रदर्स को खनन पट्टा	कर्नाटक	30.33	लौह अयस्क
392.	तुंगभद्रा मिनरल्स लि. को खनन पट्टा सं. 825/1646	कर्नाटक	125.58	लौह अयस्क
393.	तुंगभद्रा मिनरल्स लि. को खनन पट्टा	कर्नाटक	36.3	लौह अयस्क
394.	मैसर्स ओरो मिनरल्स को खनन पट्टा	कर्नाटक	31	लौह अयस्क
395.	जीनथ ट्रांसपोर्ट कं. को खनन पट्टा	कर्नाटक	36.42	लौह अयस्क
396.	एच आर गवीप्पा एण्ड कं. को खनन पट्टा	कर्नाटक	34	लौह अयस्क
397.	विश्वेश्वरया आयरन एण्ड स्टील लि. को खनन पट्टा सं. 1966	कर्नाटक	40.12	लौह अयस्क
398.	वेमूतिगुद्दा माइनर (प्र.) लि. को खनन पट्टा सं. 1193	कर्नाटक	55	लौह अयस्क
399.	मैसर्स भारत माइन्स एण्ड मिनरल्स को खनन पट्टा सं. 2245	कर्नाटक	26.2	लौह अयस्क
400.	मैसर्स जीनथ ट्रांसपोर्ट कं. को खनन पट्टा	कर्नाटक	44.13	लौह अयस्क
401.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि. को खनन पट्टा	कर्नाटक	1452.74	लौह अयस्क
402.	मैसर्स वी एस लाड एण्ड संस को खनन पट्टा सं. 1524	कर्नाटक	105.06	लौह अयस्क
403.	मैसर्स एस वी श्रीनिवसुली को खनन पट्टा सं. 1634	कर्नाटक	60	लौह अयस्क
404.	के सी थिम्मा रेड्डी को खनन पट्टा	कर्नाटक	80.97	लौह अयस्क

1	2	3	4	5
405.	पी. वेंगन शेट्टी एण्ड ब्रदर्स को खनन पट्टा सं. 1046	कर्नाटक	50	लौह अयस्क
406.	मैसर्स मनीर एन्टरप्राइज का खनन पट्टा	कर्नाटक	36.4	लौह अयस्क
407.	मैसर्स करीगुनार मिनरल माइनिंग इंडस्ट्रीज को खनन पट्टा	कर्नाटक	129.43	लौह अयस्क
408.	आर पम्पोली का खनन पट्टा	कर्नाटक	101.5	लौह अयस्क
409.	मैसर्स ट्रीडेन्ट माइनिंग कं. का खनन पट्टा	कर्नाटक	5.26	लौह अयस्क
410.	मैसर्स एस बी मिनरल्स का खनन पट्टा	कर्नाटक	80.94	लौह अयस्क
411.	मैसर्स लक्ष्मीनारयण माइनिंग कं., बंगलौर का खनन पट्टा	कर्नाटक	105.22	लौह अयस्क
412.	मैसर्स मिनरल एन्टरप्राइज का खनन पट्टा	कर्नाटक	105	लौह अयस्क
413.	मैसर्स भारत माइन्स एण्ड मिनरल का खनन पट्टा	कर्नाटक	26.2	लौह अयस्क
414.	मैसर्स होथुर ट्रेडर्स का खनन पट्टा	कर्नाटक	32.38	लौह अयस्क
415.	मिलान मिनरल्स का खनन पट्टा सं. 1842	कर्नाटक	43.93	लौह अयस्क
416.	श्री ई राममूर्ति का खनन पट्टा सं. 1481	कर्नाटक	50.58	लौह अयस्क
417.	श्रीमती के. एम. पार्वतीम्मा का खनन पट्टा सं. 1481	कर्नाटक	31.835	लौह अयस्क
418.	मैसर्स वीरभद्रप्पा संगप्पा एण्ड कं. का खनन पट्टा	कर्नाटक	51	लौह अयस्क
419.	अलोर वीरभद्रप्पा का खनन पट्टा सं. 1712	कर्नाटक	28.07	लौह अयस्क
420.	रामगढ़ मिनरल्स प्रा. लि. का खनन पट्टा सं. 622	कर्नाटक	20.23	लौह अयस्क
421.	मैसर्स कुमार गौड़ा के पक्ष में खनन पट्टा	कर्नाटक	83.62	लौह अयस्क
422.	के एम पार्वतीम्मा का खनन पट्टा	कर्नाटक	50.59	लौह अयस्क
423.	मैसर्स रामगढ़ मिनरल्स का खनन पट्टा	कर्नाटक	20.23	लौह अयस्क
424.	श्री वी नागम्मा का खनन पट्टा	कर्नाटक	50.47	लौह अयस्क
425.	के पी सी लि. के लिए कद्रा डैम परि. कार्य के पक्ष में क्वेरी पट्टा	कर्नाटक	1.88	
426.	मैसर्स मैसूर सीमेंट लि. के पक्ष में लाइम स्टोन खनन पट्टा	कर्नाटक	19.38	
427.	डालमिया सीमेंट लि. का खनन पट्टा	कर्नाटक	201.5	
428.	ओमकर्मा (मैग्नीशिया ओर) के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	कर्नाटक	5.39	मैगनीज अयस्क
429.	श्री दशरथराम रेड्डी के पक्ष में (आयरन एण्ड मेग्नीशियम ओर) के खनन पट्टे 1534 का नवीकरण	कर्नाटक	19.95	मैगनीज अयस्क
430.	गोयल ब्रदर्स के पक्ष में खनन पट्टा सं. 1826 का नवीकरण (एम ओ)	कर्नाटक	8	मैगनीज अयस्क
431.	के विश्वनाथ का खनन पट्टा 1584	कर्नाटक	20.23	मैगनीज अयस्क

1	2	3	4	5
432.	मै. मैसूर मिनरल्स लि. को खनन पट्टा	कर्नाटक	80.93	मैगनीज अयस्क
433.	मैसूर मिनरल्स लि. के पक्ष में कुसमी खनन पट्टे का नवीकरण	कर्नाटक	24.55	मैगनीज अयस्क
434.	मै. सुंदर मैग्नशिया एण्ड आयरन कं. लि. का खनन पट्टा सं. 1952	कर्नाटक	85	मैगनीज अयस्क
435.	सिमोर का खनन पट्टा 1179	कर्नाटक	629.9	मैगनीज अयस्क
436.	मैसर्स मैसूर मिनरल्स लि. का खनन पट्टा सं. 2002	कर्नाटक	176.724	मैगनीज अयस्क
437.	मैसूर मिनरल्स लि. का खनन पट्टा	कर्नाटक	98.224	मैगनीज अयस्क
438.	–वही–	कर्नाटक	23.8	मैगनीज अयस्क
439.	मैसर्स होथुर ट्रेडर्स का खनन पट्टा	कर्नाटक	21.11	मैगनीज अयस्क
440.	मै. वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि. का खनन पट्टा	कर्नाटक	80	मैगनीज अयस्क
441.	मैसूर मिनरल्स लि. का खनन पट्टा 1659	कर्नाटक	38.45	मैगनीज अयस्क
442.	वी एन के मेनन का खनन पट्टा	कर्नाटक	22.45	मैगनीज अयस्क
443.	एर्क माधव नारायण का खनन पट्टा	कर्नाटक	163.5	मैगनीज अयस्क
444.	सुगालम्मा गुड्डा माइनिंग एण्ड कं. का खनन पट्टा	कर्नाटक	10.11	
445.	वी एस पदमावती के पक्ष में आरेंज क्वार्ट उत्खनन	कर्नाटक	8.1	
446.	वी आई एस एल का खनन पट्टा	कर्नाटक	40.12	चूना पत्थर
447.	स्थानी लोग द्वारा पत्थर इकट्ठा करना	केरल	29.196	चूना पत्थर
448.	खजुराहो मिनरल्स द्वारा खनन पट्टे पायरो फिलाइट	मध्य प्रदेश	5	
449.	मैसर्स रामचन्द्र बंसल द्वारा ब्राक्साइट खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	10.92	
450.	श्री निसार अहमद सिद्दिकी द्वारा खनन पट्टे बाक्साइट	मध्य प्रदेश	16.18	
451.	श्री रामेश्वर प्रसाद द्वारा बाक्साइट खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	13.54	
452.	एस ई सी एल की लोहागपुर में सरफेस राइट का नवीकरण	मध्य प्रदेश	2.902	कोयला
453.	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि. के पक्ष में खनन यू जी धनपुर	मध्य प्रदेश	5	कोयला
454.	एस ई सी एल द्वारा सरफेस राइट का नवीकरण	मध्य प्रदेश	12.87	कोयला
455.	एस ई सी एल (कपिलधारा) द्वारा भूमिगत खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	9.286	कोयला
456.	एस ई सी एल लि. द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	6.547	कोयला
457.	–वही–	मध्य प्रदेश	18.9	कोयला
458.	डब्ल्यू सी एल दमुआ क्षेत्र के पक्ष में खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	8.5	कोयला
459.	एस ई सी एल का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	36	कोयला

1	2	3	4	5
460.	मैसर्स एन सी एल (अमलोरही कोल परि.) का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	300	कोयला
461.	वेस्टर्न कोल फील्ड लि. का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	169.668	कोयला
462.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लि. (घनपुरी परि.) का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	351.205	कोयला
463.	एस ई सी एल का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	309	कोयला
464.	डब्ल्यू सी एल पथखेड़ा का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	1349.248	कोयला
465.	एन सी एफ एल जयंत ओपनकास्ट परि. का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	68.29	कोयला
466.	वेस्टर्न कोल फील्ड लि. का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	39.809	कोयला
467.	साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि. हसदेव क्षेत्र का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	55.03	कोयला
468.	मै. डब्ल्यू सी एल के लिए निहारिया भूमिगत कोल माइन का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	206.562	कोयला
469.	मै. डब्ल्यू पी एल का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	35.966	कोयला
470.	धर्मताल कोल परियोजना के अंतर्गत बी एल ए इंडस्ट्रीज का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	158.714	कोयला
471.	वेस्टर्न कोल फील्ड लि. का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	157.545	कोयला
472.	एन सी एफ एल जयंत ओपनकास्ट परि. का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	100	कोयला
473.	मैसर्स डबल्यू सी एल का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	83.083	कोयला
474.	एस ई सी एल का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	126.372	कोयला
475.	एस ई सी एल और भूमिगत कोयला खनन का सरफेस राइट	मध्य प्रदेश	747.92	कोयला
476.	डब्ल्यू सी एल पथखेड़ा का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	44.473	कोयला
477.	मैसर्स डब्ल्यू सी एल (धीसगेरा–मांथानी परि.) का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	215.303	कोयला
478.	साउट ईस्टर्न कोल फील्ड लि. का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	216.147	कोयला
479.	एन सी एल के लिए जयंत ओ सी पी कोल खनन को खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	50.881	कोयला
480.	शोभापुर भूमिगत कोल खनन परि. के लिए मैसर्स डब्ल्यू सी एल का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	42	कोयला
481.	मै. डब्ल्यू सी एल (तावा परि.) का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	195.2	कोयला
482.	हीरों के खनन के लिए एन एम डी सी को खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	74.018	
483.	मैसर्स उड़ीसा सीमेंट को डोलोमाइट खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	19.22	
484.	श्री संजीव कुमार गुप्ता द्वारा डोलोमाइट खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	1	
485.	श्री अरुण कुमार डोंगसरे द्वारा डीलोमाइट खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	1.4	
486.	कुमारी सैदया सिपटीन द्वारा डोलोमाइट खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	3.4	
487.	एम पी स्टेट मिनरल कार. लि. का खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	29.036	ग्रेनाइट

1	2	3	4	5
488.	एम पी स्टेट कार. लि. को खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	44.645	ग्रेनाइट
489.	एम पी स्टेट मिनरल्स का. को खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	50	ग्रेनाइट
490.	बाल्को को खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	35.855	लौह अयस्क
491.	मैहर सीमेन्ट क. को खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	163.898	चूना पत्थर
492.	मै. पसिफिक मिनरल्स प्रा. लि. के खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	10	मैगनीज अयस्क
493.	मै. पेसिसिक मिनरल्स के खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	20	मैगनीज अयस्क
494.	प्रफुल चन्द्र जे त्रिवेदी द्वारा मैगनीज अयस्क का खनन	मध्य प्रदेश	4.959	मैगनीज अयस्क
495.	मै. जे के मिनरल्स को खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	33	मैगनीज अयस्क
496.	मै. स्वास्तिक बागदा टाईल्स द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	0.364	मार्बल
497.	श्री घनश्याम यादव द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	5	उपलब्ध नहीं
498.	एम पी माईनिंग विभाग द्वारा कैरो फुलाइट का नवीकरण	मध्य प्रदेश	5	उपलब्ध नहीं
499.	श्री शरद कुमार बंसल द्वारा आघर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	8	ओचरी
500.	श्री सुरिन्द्र सिंह चौहान द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	0.402	उपलब्ध नहीं
501.	श्री सुरिन्द्र सिंह चौहान द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	9.1	उपलब्ध नहीं
502.	श्रीमती किरण देवी वर्मा द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	2	उपलब्ध नहीं
503.	मै. जिन्दल मिनरल्स द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	12.8	उपलब्ध नहीं
504.	मै. खुजराहो मिनरल्स के पक्ष में डायास्कोर/पयारोकायलाईट खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	0.873	पायरोफायलाईट
505.	श्री रमाकान्त शर्मा द्वारा पारसी पत्थर खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	1	पत्थर
506.	श्री दिनेश कटारे के पारसी पत्थर खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	1	पत्थर
507.	श्री संजय शुक्ला द्वारा पारसी पत्थर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	1	पत्थर
508.	श्री संजय कटारे द्वारा पारसी पत्थर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	1	पत्थर
509.	मै. देविक मिनरल्स द्वारा पारसी पत्थर खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	4	पत्थर
510.	श्री रमेश नारायण तिवारी द्वारा पारसी पत्थर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	1	पत्थर
511.	श्री नीतेश कुमार द्वारा पारसी पत्थर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	0.885	पत्थर
512.	श्री भुपिन्द्र सिंह यादव द्वारा पारसी पत्थर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	1	पत्थर
513.	श्री अखिलेश चौकसी द्वारा पारसी पत्थर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	0.915	पत्थर
514.	श्री अर्जुन सिंह यादव द्वारा पारसी पत्थर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	0.855	पत्थर

1	2	3	4	5
515.	श्री जीवन लाल पटेल द्वारा पारसी पत्थर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	4.5	पत्थर
516.	श्री राजेश यादव द्वारा पारसी पत्थर खनन पट्टा	मध्य प्रदेश	1	पत्थर
517.	पारसी पत्थर के खनन पट्टे का नवीकरण	मध्य प्रदेश	930.73	पत्थर
518.	मै. इन्दाल एवं रोड निर्माण को खनन पट्टा	महाराष्ट्र	106.76	अल्मुनियस लेटराइट
519.	डब्ल्यू सी एल द्वारा दुर्गापुर ओपन कास्ट	महाराष्ट्र	80.77	कोयला
520.	मैसर्स डब्ल्यू सी एल को खनन पट्टा	महाराष्ट्र	680.78	कोयला
521.	दुर्गापुर ओपनकास्ट माईन के लिए मैसर्स वेस्टर्न कोल फील्ड को खनन पट्टा	महाराष्ट्र	172.54	कोयला
522.	मैसर्स डब्ल्यू सी एल को खनन पट्टा	महाराष्ट्र	18.44	कोयला
523.	मैसर्स डब्ल्यू सी एल को खनन पट्टा	महाराष्ट्र	26.44	कोयला
524.	मैसर्स डब्ल्यू सी एल को खनन पट्टा	महाराष्ट्र	5.66	कोयला
525.	मानिकगढ़ सीमेंट को खनन पट्टा	महाराष्ट्र	24.96	चूना पत्थर
526.	मै. मैगनीज ओर इण्डिया लि. द्वारा मैगनीज खनन का खनन पट्टा	महाराष्ट्र	6.81	मैगनीज अयस्क
527.	–वही–	महाराष्ट्र	5.72	मैगनीज अयस्क
528.	गुमगाव खाया द्वारा मैगनीज खनन पट्टा	महाराष्ट्र	15.61	मैगनीज अयस्क
529.	मैसर्स मैगनीज ओर इण्डिया लि. मैगनीज मिनरल्स का उत्खनन	महाराष्ट्र	0.97	मैगनीज अयस्क
530.	मैसर्स मैगनीज ओर इण्डिया लि. द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	3.4	मैगनीज अयस्क
531.	मैसर्स मैगनीज और इण्डिया लि. का खनन पट्टा	महाराष्ट्र	12.15	मैगनीज अयस्क
532.	–वही–	महाराष्ट्र	0.55	मैगनीज अयस्क
533.	–वही–	महाराष्ट्र	37.82	मैगनीज अयस्क
534.	–वही–	महाराष्ट्र	34.43	मैगनीज अयस्क
535.	–वही–	महाराष्ट्र	59.21	मैगनीज अयस्क
536.	–वही–	महाराष्ट्र	70.07	मैगनीज अयस्क
537.	धातु उत्खनन के लिए वन भूमि और खनन पट्टे के नवीकरण के लिए वन भूमि	महाराष्ट्र	0.85	उपलब्ध नहीं
538.	मै. संदीप स्टोन को खनन पट्टा स्वीकृत	महाराष्ट्र	0.92	पत्थर
539.	मै. हिन्दुस्तान स्टोन कं. को उत्खनन पट्टा स्वीकृत	महाराष्ट्र	0.95	पत्थर
540.	मै. मुकेश स्टोन द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.17	पत्थर
541.	मै. रघुवंश स्टोन द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.19	पत्थर

1	2	3	4	5
542.	मै. प्रभात स्टोन द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.328	पत्थर
543.	मै. पटेल कुयैरी द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	1.165	पत्थर
544.	मैसर्स मनोज स्टोन द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.2	पत्थर
545.	मै. डी आर म्हात्रे द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	1.06	पत्थर
546.	मै. महावीर स्टोन द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.21	पत्थर
547.	मै. जे पी शिन्दे द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	1.05	पत्थर
548.	परम्परागत स्टोन कुयैरी के लिए खनन पट्टा स्वीकृति—मुकेश एंड कं.	महाराष्ट्र	1	पत्थर
549.	मै. हरिसिद्ध स्टोन द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.478	पत्थर
550.	मै. डी एन पवार द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	0.66	पत्थर
551.	परमिट आधार पर उत्खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.2	पत्थर
552.	मै. उमा स्टोन द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.52	पत्थर
553.	मै. मंगल सिंह एंड कं. द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	1.47	पत्थर
554.	मै. रवि स्टोन द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	0.71	पत्थर
555.	श्री एन जी आजवानी द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.42	पत्थर
556.	मै. शाह इब्राहिम द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	0.95	पत्थर
557.	मै. बी एम यादव द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.04	पत्थर
558.	मै. राम स्टोन कं. द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	1.08	पत्थर
559.	मै. मुम्बटा स्टोन द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.22	पत्थर
560.	मै. पी एस शिन्दे के खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	0.98	पत्थर
561.	32 स्टोन कुयैरी का नवीकरण	महाराष्ट्र	12.834	पत्थर
562.	मै. पटेल स्टोन द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.16	पत्थर
563.	मै. विजय ट्रेडर द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	1.03	पत्थर
564.	मै. बी एम कुरदुकट द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	1.11	पत्थर
565.	मै. एम. ए. पाटिल द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	1.26	पत्थर
566.	मै. राजी तायदे एंड कं. द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	0.81	पत्थर
567.	मै. त्रिशुल कं. द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1	पत्थर
568.	मै. सिकन्दर इब्राहिम शेख द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	1.03	पत्थर
569.	मै. अजय इंडस्ट्रीज द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	2.28	पत्थर

1	2	3	4	5
570.	श्री के एस वेखण्डे द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	2.43	पत्थर
571.	मै. जयदीप मिनरल्स द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	7.7	पत्थर
572.	मै. जयदीप मिनरल्स द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	5.67	पत्थर
573.	श्री नीला पवार द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.3	पत्थर
574.	श्री ए आर बलौच द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.8	पत्थर
575.	मैसर्स एच एम द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	1.72	पत्थर
576.	मैसर्स निमजी स्टोन कम्पनी द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.95	पत्थर
577.	मैसर्स राहुल स्टोन मैटल द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.9	पत्थर
578.	मैसर्स जयदीप मिनरल्स द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	2.65	पत्थर
579.	श्री डी पी गर्ग द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.99	पत्थर
580.	श्री वसंत कुमार बेमरिया द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.99	पत्थर
581.	मैसर्स बाम्बे खदान द्वारा खनन का नवीकरण	महाराष्ट्र	1.29	पत्थर
582.	श्री अवतार सिंह सदाना द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.98	पत्थर
583.	श्री रामचंद कवालरामती द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.96	पत्थर
584.	श्री सरीचंद डसवानी द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.98	पत्थर
585.	श्री महेश एच खेदिया द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.99	पत्थर
586.	मैसर्स संजय स्टोन्स द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	1	पत्थर
587.	श्री नीरज रोज खेडिया द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.99	पत्थर
588.	पी डब्ल्यू डी द्वारा खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	2	पत्थर
589.	पी डब्ल्यू डी द्वारा माइनर मिनरल्स का एक्सट्रेक्शन	महाराष्ट्र	4	पत्थर
590.	मैसर्स आर टी वानोड द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	2.832	पत्थर
591.	मैसर्स साबिर स्टोन द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.99	पत्थर
592.	मैसर्स ब्राकेरे द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	2.832	पत्थर
593.	मैसर्स एस एस एस एन्टरप्राइजिज द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.119	पत्थर
594.	मैसर्स सलीम अहमद द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.99	पत्थर
595.	मैसर्स इद्रावाई गिराडे द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	3.6	पत्थर
596.	श्री एल बी पिपटाले द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.0929	पत्थर
597.	मैसर्स श्याम सुन्दर द्वारा लघु खनिजों का उत्खनन	महाराष्ट्र	1.005	पत्थर

1	2	3	4	5
598.	मैसर्स राजेश जायसवाल द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.45	पत्थर
599.	मैसर्स सावला ट्रेडर्स द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.95	पत्थर
600.	मैसर्स शाह ब्रदर्स द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.98	पत्थर
601.	मैसर्स पटेल ब्रदर्स द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	2.91	पत्थर
602.	श्री चन्द्रजीत सिंह बग्गा द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.61	पत्थर
603.	मैसर्स लक्ष्मी स्टोन्स द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	2.42	पत्थर
604.	मैसर्स डी 176 स्वास्तिक काम्पलैक्स द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	2.02	पत्थर
605.	मैसर्स महावीर स्टोन्स द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.218	पत्थर
606.	मैसर्स जमील अहमद द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	2.02	पत्थर
607.	श्री चोटीराम वी. कुबनानी द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.011	पत्थर
608.	श्री आर जे पुकशावनी द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	2.023	पत्थर
609.	श्री श्यामलाल जसवानी द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	4.046	पत्थर
610.	मैसर्स कारवरि कामगर लेबर सोसायटी द्वारा पारम्परिक पत्थर उत्खनन	महाराष्ट्र	4.04	पत्थर
611.	मैसर्स पावरी, म्यानाइट द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	6.5589	पत्थर
612.	श्रीमती वारानवाई सीताराम काम्वाले द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	0.809	पत्थर
613.	मैसर्स अखिल अहमद द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.011	पत्थर
614.	श्रीमती कंचनशंकर लाल घोपड़ा द्वारा खनन पट्टा	महाराष्ट्र	1.62	पत्थर
615.	पत्थर उत्खनन के लिए एन जी अजवानी के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	महाराष्ट्र	1.42	पत्थर
616.	68 पारम्परिक खदान पट्टा	महाराष्ट्र	9.711	पत्थर
617.	पारम्परिक पत्थर खदान का नवीकरण	महाराष्ट्र	128.828	पत्थर
618.	सिडको के पक्ष में लघु खनिजों (पत्थर) का उत्खनन	महाराष्ट्र	138.07	पत्थर
619.	इण्डिया एल्युमिनियम लिमिटेड का खनन पट्टा	उड़ीसा	45.46	एल्युमिनियम
620.	धानउरजयपुर क्रोमाइट माइन्स ऑफ इम्फा	उड़ीसा	0.339	क्रोमाइट
621.	मिश्रा लाल माइंस प्राइवेट लिमिटेड का खनन पट्टा	उड़ीसा	224.63	क्रोमाइट
622.	मैसर्स फैकोर लिमिटेड का खनन पट्टा	उड़ीसा	187.03	क्रोमाइट
623.	आई सी सी एल को खनन पट्टा	उड़ीसा	63.91	क्रोमाइट
624.	क्रोमाइट खनन के लिए मैसर्स ओईकैम का खनन पट्टा	उड़ीसा	14.836	क्रोमाइट
625.	मैसर्स जिन्दल स्ट्राइप्स लिमिटेड द्वारा कालियापानी क्रोमाइट माइंस के खनन पट्टा	उड़ीसा	22.8	क्रोमाइट

1	2	3	4	5
626.	मैसर्स फैकोर द्वारा खनन पट्टा	उड़ीसा	113.312	क्रोमाइट
627.	टिस्को लि. के लिए सुखिदां क्रोमाइट द्वारा खनन पट्टा	उड़ीसा	73.697	क्रोमाइट
628.	मैसर्स वी. सी. मोहन्ते द्वारा खनन पट्टा	उड़ीसा	101.85	क्रोमाइट
629.	आई डी सी लि. द्वारा खनन पट्टा	उड़ीसा	17.483	क्रोमाइट
630.	फैकोर का खनन पट्टा	उड़ीसा	68.424	क्रोमाइट
631.	एम सी एल का लिंगराज एरिया में कनिहा ओ सी पी	उड़ीसा	2.307	कोयला
632.	मचान नदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड द्वारा नैलपहार ओ सी पी के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	103.52	कोयला
633.	मैसर्स एस ई सी एल का खनन पट्टा	उड़ीसा	35.152	कोयला
634.	तलचर में मैसर्स एस ई सी एल का खनन पट्टा	उड़ीसा	193.743	कोयला
635.	मैसर्स तलचर कोलीरी का खनन पट्टा	उड़ीसा	33.925	कोयला
636.	मैसर्स एम सी एल द्वारा सामेलश्वरी ओ सी पी के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	167.232	कोयला
637.	महानदी कोल फील्ड्स लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	227.89	कोयला
638.	भुवनेश्वरी ओ सी पी के लिए महानदी कोल फील्ड्स लि. का पट्टा	उड़ीसा	112.521	कोयला
639.	महानदी कोल फील्ड्स का खनन पट्टा	उड़ीसा	21.58	कोयला
640.	तेलेचर में मैसर्स एस ई सी एल का भरतपुर के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	74.64	कोयला
641.	महानदी कोल फील्ड्स लि. के पक्ष में अन्नभा एक्सटेंशन ओपनकास्ट परियोजना	उड़ीसा	62.67	कोयला
642.	चहेन्दीपाड़ा के लिए मैसर्स एम सी एल के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	24.3	कोयला
643.	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड वसुन्धरा (वेस्ट) के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	149.5	कोयला
644.	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड का जगन्नाथ एक्सटेंशन ओपनकास्ट प्रो.	उड़ीसा	58.096	कोयला
645.	महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड का तालेचर खेत्र का नांदीरा भूमिगत कोलमाइन	उड़ीसा	325.38	कोयला
646.	नअराज में महानंदी कोल फील्ड के पक्ष में अंडरग्राउंड कोलमाइनिंग	उड़ीसा	289.856	कोयला
647.	रासेसल माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	152.229	डोलामाइट
648.	जे पी के पी झुनझुनवाला का तालावास्ता फायरक्ले माइंस	उड़ीसा	19.62	फायरक्ले
649.	मैसर्स कोणार्क मिनरल्स लि. द्वारा फामरक्ले माइनिंग	उड़ीसा	19.5	फायरक्ले
650.	के सी प्रधान का खनन पट्टा	उड़ीसा	39.582	फायरक्ले
651.	टाटा रेफ्रेक्टरीज का खनन पट्टा	उड़ीसा	58.5	फायरक्ले
652.	के सी प्रधान का खनन पट्टा	उड़ीसा	31.313	फायरक्ले
653.	पी सी अग्रवाल द्वारा ग्रेफाइट माइनिंग	उड़ीसा	4.876	ग्रेफाइट

1	2	3	4	5
654.	मैसर्स टी पी मिनरल्स इंडस्ट्रीज द्वारा ग्रेफाइट माइनिंग	उड़ीसा	12.75	ग्रेफाइट
655.	गिरधारीलाल अग्रवाल का खनन पट्टा	उड़ीसा	23.24	ग्रेफाइट
656.	बोनाई वन प्रभाग में मैसर्स फीग्राडे एण्ड कम्पनी द्वारा आयरन ओर का खनन	उड़ीसा	39.309	आयरन ओर
657.	मैसर्स एम. जी मोहंती द्वारा बोनई अनुमंडल के पाटाबेड़ा गांव में लौह अयस्क खान–उड़ीसा	उड़ीसा	12.058	लौह अयस्क
658.	मैसर्स मोहन्ती, भुवनेश्वर के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	23.581	लौह अयस्क
659.	बी. डी. पटनायक का कलापरबत लौह खान	उड़ीसा	18.02	लौह अयस्क
660.	ओ एम सी लि. का बगियाबुरु लौह खान	उड़ीसा	17.083	लौह अयस्क
661.	मैसर्स पटनायक खनिज का जारीबहल लौह खान	उड़ीसा	3.179	लौह अयस्क
662.	एस. प्रधान का बलिता लौह खान	उड़ीसा	18.347	लौह अयस्क
663.	एस एन महतो का रायकेला लौह खान	उड़ीसा	14.618	लौह अयस्क
664.	भनजापल्ली और कोइरा गांव में श्री जे. एन. पटनायक का लौह अयस्क खान	उड़ीसा	3.921	लौह अयस्क
665.	मैसर्स रोहतक इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा श्री रुद्रसेन सिंघू के पक्ष में खनन पट्टा	उड़ीसा	41.839	लौह अयस्क
666.	डी सी जैन के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	16.464	लौह अयस्क
667.	ओ एम सी लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	41.34	लौह अयस्क
668.	रुंगटा माइंस लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	15.95	लौह अयस्क
669.	मैसर्स लाल ट्रेडर्स एंड एजेंसीज प्रा. लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	117.84	लौह अयस्क
670.	ओ एम सी लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	142.73	लौह अयस्क
671.	खटाऊ नरमेरम आफ कं. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	27.1	लौह अयस्क
672.	ओ एम सी लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	77	लौह अयस्क
673.	कुर्मीतर माइन्स में उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	28.802	लौह अयस्क
674.	ओ एम डी सी लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	702.053	लौह अयस्क
675.	रोएडा 'सी' आयरण एंड मैगनीज माइन्स में जी एम सी लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	96.783	लौह अयस्क
676.	नेशनल इन्टर प्राइजेज के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	37.317	लौह अयस्क
677.	रुंगटा माइन्स प्रा.लिं. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	80.94	लौह अयस्क
678.	मैसर्स रुंगटा सन्स (प्रा.) लि. के पक्ष में खनन पट्टा	उड़ीसा	52.742	लौह अयस्क
679.	साउद कालियापाणी क्रोमाइट माइन्स में मैसर्स ओ एम सी लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	306.047	लौह अयस्क
680.	केयपी इन्टर प्राइजेज के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	42.843	लौह अयस्क

1	2	3	4	5
681.	ठाकुराणी आयरन और माइन्स के लिए मैसर्स केयपी इन्टरप्राइजेज के पक्ष में खनन पट्टा	उड़ीसा	146.726	लौह अयस्क
682.	उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लि. के पक्ष में खनन पट्टा	उड़ीसा	95.6	लौह अयस्क
683.	बोलानी लौह अयस्क खान में सेल के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	1050.15	लौह अयस्क
684.	के जे एस अबलुवालिया के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	371.192	लौह अयस्क
685.	कलापरबत लौह अयस्क खान के लिए एस. प्रधाजी के पक्ष में खनन पट्टा	उड़ीसा	52.002	लौह अयस्क
686.	रुंगटा सन्स (प्रा.) लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	60.616	लौह अयस्क
687.	टिस्को लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	521.622	लौह अयस्क
688.	नालको के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	300	लौह अयस्क
689.	मैसर्स घनश्याम मिश्रा एंड सन्स के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	518.77	लौह अयस्क
690.	श्रीमती मैत्री शुक्ला के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	54.4	लौह अयस्क
691.	एसेल माइनिंग एंड इण्डस्ट्रीज लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	75.489	लौह अयस्क
692.	मैसर्स इन्दिरा मेटल्स एंड फेरो अलायज लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	26.62	लौह अयस्क
693.	गंधामरधासे स्पोंज इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	19.5157	लौह अयस्क
694.	जिंदल स्ट्रिप्स लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	36.422	लौह अयस्क
695.	सेल के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	465.62	लौह अयस्क
696.	बेलाकुंडी लौह अयस्क खान के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	384.54	लौह अयस्क
697.	रुंगटा माइन्स (प्रा.) लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	44.7	लौह अयस्क
698.	बरसुअन लौह खान में सेल के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	395.639	लौह अयस्क
699.	मैसर्स रुंगटा माइन्स लि. के पक्ष में खनन पट्टा	उड़ीसा	53.55	लौह अयस्क
700.	ग्वाली लौह अयस्क खान के लिए आर. पी. साद के पक्ष में खनन पट्टा	उड़ीसा	42.417	लौह अयस्क
701.	एस.एल. सारदा एंड एम. सारदा के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	865.276	लौह अयस्क
702.	उड़ीसा सीमेंट लि. के लिए लंगीरना खान के पक्ष में खनन पट्टा	उड़ीसा	62.39	चूना पत्थर
703.	सन अलायज एंड मिनरल्स लि. का मैगनीज खनन पट्टा	उड़ीसा	0.453	मैगनीज अयस्क
704.	एस. प्रधान का इंगानी झारण आयरन एंड मैगनीज	उड़ीसा	15.316	मैगनीज अयस्क
705.	कलिंगा माइनिंग कारपोरेशन का जोरूरी आयरन एंड मैगनीज	उड़ीसा	6.008	मैगनीज अयस्क
706.	मंगीलाल रुंगटा के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	139.736	मैगनीज अयस्क
707.	बोनाई इंडस्ट्रीज लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	38.026	मैगनीज अयस्क

1	2	3	4	5
708.	सिराजुदोलाइन एंड कम्पनी के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	24.446	मैगनीज अयस्क
709.	ए एम टी सी (प्रा.) लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	227	मैगनीज अयस्क
710.	ए एम टी सी (प्रा.) लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	244.327	मैगनीज अयस्क
711.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	382.504	मैग्नीज अयस्क
712.	भारत प्रोसेस एंड माल्हन इंजीनियर्स के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	119.502	मैगनीज अयस्क
713.	बी पी एंड एम ई लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	167.187	मैगनीज अयस्क
714.	अराय एवं बी. राय के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	111.58	मैगनीज अयस्क
715.	मैसर्स ए एम टी सी प्र.लि. के पक्ष में महलसुखा मैगनीज लौह खान के लिए पट्टा का नवीनीकरण	उड़ीसा	227	मैगनीज अयस्क
716.	एस के साहु द्वारा पाइरोफायलाइट एंड क्वाट्जाइट का खनन	उड़ीसा	3.92	पाइरोफीलीट
717.	सरस्वती सिसु द्वारा सुकराना क्वार्टज माइन्स	उड़ीसा	2.306	क्वार्टस
718.	मैसर्स लक्ष्मी स्टोन द्वारा पत्थर उत्खनन भाग–IV	उड़ीसा	9	स्टोन
719.	मैसर्स हेनराक्स (I) प्रा. लि. द्वारा पत्थर उत्खनन	उड़ीसा	9.647	स्टोन
720.	मैसर्स एन. एम. पंडा, स्वर्णाचुडा द्वारा पत्थर उत्खनन	उड़ीसा	17	स्टोन
721.	हिन्दुस्तान जिंक लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	72.16	जिंक
722.	मैसर्स राजस्थान ब्राइटस लि. के लिए खनन पट्टा	उड़ीसा	31	ब्राइट्स
723.	मैसर्स रामनारायण एवं ब्रदर्स के पक्ष में ब्राइट्स का खनन पट्टा	राजस्थान	8.315	ब्राइट्स
724.	श्री राम मिनेरक्स के पक्ष में ब्राइट्स का खनन पट्टा	राजस्थान	3.789	ब्राइट्स
725.	मैसर्स वोलकेम इण्डिया लि. के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	41.652	कैलसाइट
726.	मैसर्स पी आई इंडस्ट्रीज का खनन पट्टा	राजस्थान	54.13	कैलसाइट
727.	मैसर्स वालकेन इण्डिया लिमिटेड का खनन पट्टा	राजस्थान	41.652	कैलसाइट
728.	मैसर्स मोदी मिनरल ग्राइंडिंग मिल्स के पक्ष में केलसाइड का खनन पट्टा	राजस्थान	12.259	चाइना क्ले
729.	मोदी मिनरल्स ग्राइंडिंग मिल्स लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टा	राजस्थान	16.22	चाइना क्ले
730.	मैसर्स ओझा एण्ड कम्पनी का खनन पट्टा	राजस्थान	32.37	चाइना क्ले
731.	मोदी मिनरल्स का खनन पट्टा	राजस्थान	12.375	चाइना क्ले
732.	मैसर्स मोदी लेनीगेटिड काओलिंग का खनन पट्टा	राजस्थान	40	चाइना क्ले
733.	मैसर्स मोदी लेनीगेडिट काओलिंग का खनन पट्टा	राजस्थान	21	चाइना क्ले
734.	मैसर्स हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड का खनन पट्टा	राजस्थान	161.83	कॉपर

1	2	3	4	5
735.	मैसर्स हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड का खनन पट्टा	राजस्थान	165.175	कॉपर
736.	–वही–	राजस्थान	95.51	कॉपर
737.	मैसर्स मोदी मिनरल्स एण्ड ग्राइंडिंग मिल्स के पक्ष में डोलामाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	7.425	डालोमाइट
738.	आर. एम. गुप्ता के पक्ष में फायरक्ले के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	4.7305	फारयक्ले
739.	सतीश मोहन गुप्ता के पक्ष में फायरक्ले का खनन पट्टा	राजस्थान	3.746	फारयक्ले
740.	आर एस एम डी सी के पक्ष में फ्लोरस्पर का खनन पट्टा	राजस्थान	2.29	फ्लोरस्पर
741.	आर एस एम डी सी के पक्ष में फ्लोरस्पर का खनन पट्टा	राजस्थान	1.774	फ्लोस्पर
742.	आर एस एम डीसी–ए के पक्ष में फ्लोरस्पर का खनन पट्टा	राजस्थान	16.44	फ्लोरस्पर
743.	आर एस एम डी सी के पक्ष में फ्लोस्पर का खनन पट्टा	राजस्थान	10.54	फ्लोरस्पर
744.	आर एस एम डी सी को खनन पट्टा	राजस्थान	27.888	फ्लोरस्पर
745.	–वही–	राजस्थान	5.788	फ्लोस्पर
746.	राजस्थान स्टेट मिनरल डिवैलैपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के खनन पट्टे का नवीकरण	राजस्थान	60.530	फ्लोस्पर
747.	सुप्रीम मार्बल एण्ड ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	30.5116	ग्रेनाइट
748.	8 पट्टाधारकों के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	13.7	ग्रेनाइट
749.	3 पट्टाधारकों के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	6	ग्रेनाइट
750.	3 पट्टाधारकों के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	4.02	ग्रेनाइट
751.	7 पट्टाधारकों के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	14.478	ग्रेनाइट
752.	2 पट्टाधारकों के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	2.371	ग्रेनाइट
753.	नागरेन ग्रेनाइट के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	1	ग्रेनाइट
754.	8 पट्टा धारकों के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	2.9553	ग्रेनाइट
755.	निधी ग्रेनाइट के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	4	ग्रेनाइट
756.	4 पट्टाधारकों के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	5.2353	ग्रेनाइट
757.	3 पट्टाधारकों के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	4.015	ग्रेनाइट
758.	3 पट्टाधारकों–ए के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	2	ग्रेनाइट
559.	2 पट्टाधारकों के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	2.7324	ग्रेनाइट
760.	3 पट्टाधारों के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	6.65	ग्रेनाइट
761.	2 पट्टाधरकों–ए के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	2.204	ग्रेनाइट
762.	छगनराम के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	1	ग्रेनाइट

1	2	3	4	5
763.	कस्तूरा राम के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	1	ग्रेनाइट
764.	5 पट्टधारों के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	9.4845	ग्रेनाइट
765.	अग्रवाल के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	1	ग्रेनाइट
766.	मंगल ग्रेनाइट के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	1	ग्रेनाइट
767.	श्री मौलाराम के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	1.33	ग्रेनाइट
768.	निधि ग्रेनाइट के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	3	ग्रेनाइट
769.	इब्राहिम खान के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	1	ग्रेनाइट
770.	2 पट्टाधारकों के पक्ष में ग्रेनाइट का खनन पट्टा	राजस्थान	3.357	ग्रेनाइट
771.	राजस्थान स्टेट मिनरल डेव. का. लि. के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	102.6136	जिटसम
772.	नन्दलाल अग्रवाल के पक्ष में लौह अयस्क का खनन पट्टा	राजस्थान	7.913	लौह अयस्क
773.	नन्दलाल अग्रवाल के पक्ष में लौह अयस्क का खनन पट्टा	राजस्थान	19.6	लौह अयस्क
774.	मैसर्स हिन्दुस्तान लाइम लि. के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	114.94	चूना पत्थर
775.	मैसर्स ए सी सी सीमेंट वर्क्स के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	108	चूना पत्थर
776.	ए सी सी लि. के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	28	चूना पत्थर
777.	मैसर्स लकी मिनिमल (प्रा.) लि. के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	40	चूना पत्थर
778.	बिरला सीमेंट वर्क्स के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	27.13	चूना पत्थर
779.	उदयपुर मिनरल डेवलपमेंट डायडिकेट के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	641.86	चूना पत्थर
780.	ए सी सी सीमेंट, सान्दलनाला के पक्ष में खनन पट्टा	राजस्थान	13.5	चूना पत्थर
781.	श्री गप्पू लाल मोदी के पक्ष में चूना पत्थर का खनन पट्टा	राजस्थान	0.9893	चूना पत्थर
782.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता के पक्ष में चूना पत्थर का खनन पट्टा	राजस्थान	9.0.8	चूना पत्थर
783.	के सी व्यास और पी एल व्यास के पक्ष में चूना पत्थर का खनन पट्टा	राजस्थान	6.355	चूना पत्थर
784.	राम सिंह के पक्ष में मैग्नाइट का खनन	राजस्थान	0.86	मैग्नाइट
785.	3 पट्टाधारकों के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	20.3078	मर्ब्बल
786.	मैसर्स गणेश कुमार अग्रवाल के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	27.3234	मार्बल
787.	रिसमदेव ब्लाक में 36 खनन पट्टाधारकों के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	281	मार्बल
788.	50 खनन पट्टाधारकों के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	45.65	मार्बल
789.	19 पट्टा धारकों के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	45.9056	मार्बल
790.	6 पट्टाधारकों के पक्ष में मार्बल का खनन पट्टा	राजस्थान	4.6921	मार्बल

1	2	3	4	5
791.	3 पट्टाधरकों के पक्ष में मार्बल स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.788	मार्बल
792.	श्रीमती गुलकुंडी देवी के पक्ष में मार्बल का खनन पट्टा	राजस्थान	0.5	मार्बल
793.	2 पट्टाधारकों के पक्ष में मार्बल स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.6	मार्बल
794.	श्री अब्दुल सत्तार के पक्ष में मार्बल का खनन पट्टा	राजस्थान	1	मार्बल
795.	7 पट्टाधारकों के पक्ष में मार्बल स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	3.401	मार्बल
796.	किसन अग्रवाल के पक्ष में मार्बल का खनन पट्टा	राजस्थान	1	मार्बल
797.	श्रीमती शकुन्तला गुप्ता के पक्ष में माइका, फेल्सपर का खनन पट्टा	राजस्थान	2	माइका, फेल्सपर
798.	श्री प्रभुलाल गुर्जर के पक्ष में चेजाततत्थर का खनन पट्टा	राजस्थान	0.3125	उपलब्ध नहीं
799.	विष्णु कुमार अग्रवाल का खनन पट्टा	राजस्थान	12.899	क्वार्ट्ज
800.	श्री राकेश कुमार एंड कं. के पक्ष में क्वार्ट्ज का खनन पट्टा	राजस्थान	4.1753	क्वार्ट्ज
801.	वेस्ट केमिकल लाइमस्टोन इंडस्ट्रीज के पक्ष में क्वाटर्स ओर फेल्स्पर का खनन पट्टा	राजस्थान	10.05	क्वार्ट्स
802.	जी. एल. मोदी के पक्ष में सिलिका मिट्टी और क्वाटर्स का खनन पट्टा	राजस्थान	2.3225	क्वाटर्स
803.	श्रीमती मधु अग्रवाल के पक्ष में क्वाटर्स का खनन पट्टा	राजस्थान	5.15	क्वाटर्स
804.	मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड को खनन पट्टा	राजस्थान	270.795	रॉक फोसफेट
805.	के एल घाटीवाला को खनन पट्टा	राजस्थान	104.34	सोप स्टोन
806.	6 लीज होल्डर को खनन पट्टा	राजस्थान	23.89	सोप स्टोन
807.	35 लीज होल्डर्स को खनन पट्टा	राजस्थान	38.04	सोप स्टोन
808.	4 लीज होल्डर्स को खनन पट्टा	राजस्थान	14.4006	सोप स्टोन
809.	मैसर्स के एल घाटीवाला को खनन पट्टा	राजस्थान	41.6	सोप स्टोन
810.	निर्मल कुमार जिन्दी को खनन पट्टा	राजस्थान	7.9	सोप स्टोन
811.	10 व्यक्तियों के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	13.039	सोप स्टोन
812.	16 लीज होल्डर के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	18.21	सोप स्टोन
813.	7 लीज होल्डर्स के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	7.95	सोप स्टोन
814.	श्री रामपाल के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.72	सोप स्टोन
815.	8 लीज होल्डर्स के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	5.1322	सोप स्टोन
816.	9 लीज होल्डर्स के पक्ष में सैंड स्टोन का पट्टा	राजस्थान	11.588	सोप स्टोन
817.	मोहनलाल/उलजचंद के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.72	सोप स्टोन
818.	7 पट्टाधारकों ए के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	7.4666	सोप स्टोन

1	2	3	4	5
819.	5 पट्टा धारकों ए के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	5.4757	सोप स्टोन
820.	5 पट्टा धारकों 9 के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	5.5288	सोप स्टोन
821.	5 पट्टा धारकों के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	7.72	सोप स्टोन
822.	3 पट्टा धारकों के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	3.243	सोप स्टोन
823.	श्री जसवन्त सिंह के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.349	सोप स्टोन
824.	श्री राजेन्द्र कुमार के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.92	सोप स्टोन
825.	श्रीमती राजकली देवी के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.76	सोप स्टोन
826.	श्री अशोक कुमार के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.72	सोप स्टोन
827.	सलीम के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.5372	सोप स्टोन
828.	कन्हैया लाल के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.72	सोप स्टोन
829.	श्री नरेन्द्र विरला के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.97	सोप स्टोन
830.	5 पट्टा धारकों सी के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	4.9577	सोप स्टोन
831.	2 पट्टा धारकों के पक्ष में सेंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.282	सोप स्टोन
832.	2 पट्टा धारकों को पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	4.276	सोप स्ओन
833.	श्री मिश्रीलाल के पक्ष में सैंड स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.0301	सोप स्टोन
834.	10 पट्टा धारकों के पक्ष में सर्पेंटाइन का खनन पट्टा	राजस्थान	12.734	सोप स्टोन
835.	31 पट्टा धारकों को खनन पट्टा	राजस्थान	30.7	सोप स्टोन
836.	श्रीमती सामरथ देवी के पक्ष में सर्पेन्टाइन का खनन पट्टा	राजस्थान	2.0256	सोप स्टोन
837.	7 पट्टा धारकों को खनन पट्टा	राजस्थान	118.7562	सोप स्टोन
838.	महावीर ट्रेडिंग कम्पनी को खनन पट्टा	राजस्थान	34.22	सोप स्टोन
839.	मैसर्स महावीर ट्रेडिंग कम्पनी को खनन पट्टा	राजस्थान	30.24	सोप स्टोन
840.	लक्ष्मी सोप स्टोर को खनन पट्टा	राजस्थान	8.2	सोप स्टोन
841.	पद्मचंद जैन और प्रकाशचंद जैन को खनन पट्टा	राजस्थान	22.0963	सोप स्टोन
842.	मैसर्स एसोसिएटिड सोप स्टोन डिस्ट कम्पनी (प्रा.) लि. को खनन पट्टा	राजस्थान	16.6	सोप स्टोन
843.	एसोसिएटिड सोप स्टोन डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी (प्रा.) लि. को खनन पट्टा	राजस्थान	8.646	सोप स्टोन
844.	मैसर्स मांगी लाल दादवानिया को खनन पट्टा	राजस्थान	32.37	सोप स्टोन
845.	लक्ष्मी सोप स्टोन माइन्स को खनन पट्टा	राजस्थान	24.8016	सोप स्टोन
846.	मैसर्स ओरिएन्टल टैल्क प्रोडक्टर्स प्राइवेट लि. को खनन पट्टा	राजस्थान	8.9087	सोप स्टोन

1	2	3	4	5
847.	ओरिएण्टल टैल्ड प्रोडक्र्स प्रा. लि. को खनन पट्टा	राजस्थान	36.6107	सोप स्टोन
848.	मैसर्स एसोसिएटिड सोप स्टोन डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी (प्रा.) लि. को खनन पट्टा	राजस्थान	70.4	सोप स्टोन
849.	मैसर्स नालवाया मिनरल्स इण्डिया (पी) लि. को खनन पट्टा	राजस्थान	31.91	सोप स्टोन
850.	मैसर्स नालवाया मिनरल्स इण्डिया (पी) लि. को खनन पट्टा	राजस्थान	31.39	सोप स्टोन
851.	श्री शाह कस्तूरमल के पक्ष में खनन पट्टा	राजस्थान	25.78	सोप स्टोन
852.	मैसर्स कृष्णा मिनरल्स एण्ड ट्रेडर के पक्ष में खनन पट्टा	राजस्थान	24.63	सोप स्टोन
853.	श्री सोहन सिंह के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	9	सोप स्टोन
854.	मैसर्स अशोका मिनरल्स के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	4.46	सोप स्टोन
855.	अमरीक सिंह के पक्ष में सोप स्टोन के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	19.14	सोप स्टोन
856.	मैसर्स एसोसिएटिड सोप स्टोन डिस्ट्रीब्यूटरी कम्पनी के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	17.83	सोप स्टोन
857.	मैसर्स एसोसिएटिड सोप स्टोन डिस्ट्रीब्यूटरी कम्पनी के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	6.55	सोप स्टोन
858.	धरती धरण प्रा. लि. के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	17.83	सोप स्टोन
859.	शाह कस्तूरमल के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	7.64	सोप स्टोन
860.	मैसर्स इण्डस्ट्रीज मिनरल्स सप्लाइयर्स के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	6	सोप स्टोन
861.	एसोसिएटिड सोप स्टोन डिस्ट्रीब्यूटरीज के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	12.72	सोप स्टोन
862.	कान्ति लाल शाह के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	6.6	सोप स्टोन
863.	मैसर्स एसोसिएटिड सोप स्टोन डिस्ट्रीब्यूटरीज के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.9	सोप स्टोन
864.	सुभाषचंद सिंघल के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	10.966	सोप स्टोन
865.	प्रकाश जैन के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	8.4	सोप स्टोन
866.	श्री लक्ष्मीचंद गुप्ता के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	4.9616	सोप स्टोन
867.	निर्मल कुमार पतनी के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	4.99	सोप स्टोन
868.	धरती धरन प्रा. लि. के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	14.47	सोप स्टोन
869.	खानमालिकों को खनन पट्टा	राजस्थान	77.834	स्टोन
870.	42 पट्टाधारकों को खनन पट्टा	राजस्थान	59.748	स्टोन
871.	20 पट्टाधारकों को खनन पट्टा	राजस्थान	26.08	स्टोन
872.	श्री अक्षय दीप माथुर के पक्ष में मार्बल का खनन पट्टा	राजस्थान	0.44	स्टोन
873.	41 पट्टाधारकों के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	6.847	स्टोन

1	2	3	4	5
874.	55 पट्टाधारकों के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	14.384	स्टोन
875.	21 पट्टाधारकों के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	8.6656	स्टोन
876.	सत्यानारायण चामर के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	2.34	स्टोन
877.	बाबुलाल शर्मा के पक्ष में मेसोनरी स्टोन को खनन पट्टा	राजस्थान	0.72	स्टोन
878.	4 पट्टाधारकों के पक्ष में चेजा स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	3.6849	स्टोन
879.	11 पट्टाधारकों के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	7.5999	स्टोन
880.	2 पट्टाधारकों के पक्ष में चेजा स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.5362	स्टोन
881.	लाबुराम के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1	स्टोन
882.	जे के स्टोन के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1	स्टोन
883.	श्री दशरथ सिंह के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.077	स्टोन
884.	5 पट्टाधारकों के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	5.279	स्टोन
885.	श्री अशोक कुमार के पक्ष में मार्बल का खनन पट्टा	राजस्थान	1	स्टोन
886.	2 पट्टाधारकों के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	3.644	स्टोन
887.	श्री गुरपाल सिंह के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.66	स्टोन
888.	श्री अखराज जाटव और श्रीमती बत्ती साई के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	2.6464	स्टोन
889.	3 पट्टाधारकों–लक्ष्मी नारयण मीना के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	2.742	स्टोन
890.	मैसर्स शंकर उद्योग के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	2.8548	स्टोन
891.	सिराज मोहम्मद के पक्ष में चेना स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.335	स्टोन
892.	योगेश सोनी के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.362	स्टोन
893.	श्री खेम राम के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.5	स्टोन
894.	2 पट्टाधारकों के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.25	स्टोन
895.	देवानन्द के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.656	स्टोन
896.	योगेश सैनी के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.795	स्टोन
897.	रघुनाथ मीना और आर एस मीना के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.595	स्टोन
898.	विनोद के अग्रवाल के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.4945	स्टोन
899.	लक्ष्मी स्टोन स्टोर क्रशर क. के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.9084	स्टोन
900.	मोहम्मद कासिम के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.121	स्टोन
901.	मंगीलाल के पक्ष में चेजा स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.3624	स्टोन

1	2	3	4	5
902.	चित्तगिरि के पक्ष में चेजा स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.4	स्टोन
903.	राम सहाय मीना के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.3	स्टोन
904.	श्री नानक राम मीना के पक्ष में चेजा स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.33	स्टोन
905.	श्री राम किशोर मीना के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.424	स्टोन
906.	रामजी लाल नाथ के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.394	स्टोन
907.	श्री मूलचन्द के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.29	स्टोन
908.	देवी लाल के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1.05	स्टोन
909.	भवरसिंह के पक्ष में मेसोनरी स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	1	स्टोन
910.	मैसर्स श्रुति मार्बल्स के पक्ष में मार्बल स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	4.01	स्टोन
911.	10 पट्टाधारकों के पक्ष में स्लैब और मेसोनरील स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	8.6192	स्टोन
912.	एम. आर. मीना के पक्ष में चेजा स्टोन का खनन पट्टा	राजस्थान	0.5935	स्टोन
913.	ए एस माथुर के लिए खनन पट्टा	राजस्थान	6.6345	स्टोन
914.	दुर्गा प्र. अग्रवाल के पक्ष में वाइट क्ले का खनन पट्टा	राजस्थान	5	स्टोन
915.	पैथुर आरक्षित वन बिट I, II, III में काले ग्रेनाइट क्वेरिंग	तमिलनाडु	11.84	ग्रेनाइट
916.	मैसर्स इण्डिया सिमेंट लक. को खनन पट्टा	तमिलनाडु	96.71	चूना पत्थर
917.	मैसर्स तमिलनाडु मिनरल्स लि. को खनन पट्टा	तमिलनाडु	177.96	मैग्नेसाइट
918.	स्टोन क्वेरी के लिए पट्टा	तमिलनाडु	7.3158	पत्थर
919.	मैसर्स एन सी एल के लिए बीना कोल माइन का खनन पट्टा	उत्तर प्रदेश	258	कोयला
920.	नार्दर्न कोलफील्ड लि. के पक्ष में कृष्ण शिला ओपन कास्ट परि.	उत्तर प्रदेश	235.99	कोयला
921.	मैसर्स हिमालयन स्टोन एंड जाइम कं. ऋषिकेश के पक्ष में खनन पट्टे का नवीकरण	उत्तरांचल	6.47	चूना पत्थर
922.	अल्मोड़ा मैग्नीसाइट लि. का खनन पट्टा	उत्तरांचल	111.8793	मैग्नसाइट
923.	टी एच डी सी के पक्ष में असीना पट्टी कोटी पायगुल में बाक्साइट का खनन पट्टा	उत्तरांचल	9.45	बाक्साइट
924.	पायराइट फास्फेट एंड कैमिकल्स लि. का खनन पट्टा	उत्तरांचल	44.34	पाइराइट्स
925.	कान्तन्स दिवेद का श्रीकोट गंग नाली में स्टोन सेण्ड का खनन	उत्तरांचल	1.61	बालू पत्थर
926.	एन एस कारपोरेशन झरकोट के पक्ष में सोप स्टोन का खनन पट्टा	उत्तरांचल	7.529	सोप स्टोन
927.	एन बी मिनरल्स कार गांव हुन्द के पक्ष में मेगनेसाइट/सोप स्टोन पट्टे का नवीकरण	उत्तरांचल	2.291	सोप स्टोन
928.	जी एम वी एन द्वारा कीटेश्वरी पट्टी जलानसु श्रीकोट में स्टोन खनन	उत्तरांचल	1.42	स्टोन
929.	मैसर्स हल्दवानी स्टोन कम्पनी ओलाल कोन के खनन पट्टे का नवीकरण	उत्तरांचल	8.9	स्टोन

1	2	3	4	5
930.	अरुण कुमार बैनर्जी प्रोपराइटर आफ जम क्ले माइंस को खनन पट्टा	पश्चिम बंगाल	8.44	क्ले
931.	जया क्ले माइंस	पश्चिम बंगाल	8.44	क्ले
932.	ई सी एल की पारसी ओपन कास्ट परियोजना	पश्चिम बंगाल	15.5	कोयला
933.	ई सी एल को खनन	पश्चिम बंगाल	90.3	कोयला
934.	सी ई एम सी एल की इन्टीग्रेटिड कोल माननिंग को खनन पट्टा	पश्चिम बंगाल	154.23	कोयला

बोतलबंद पेयजल के नमूने लिया जाना

2771. श्री पी. सी. थामस : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोतलबंद पेयजल उद्योग के प्रतिनिधियों से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्डस द्वारा नमूने लिए जाने और जांच करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग ने पहले नमूने की विफलता की स्थिति में दूसरा नमूना लेने का प्रावधान करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पहले नमूने की विफलता प्राप्त होने के बाद 'स्टॉप मार्किंग' अनुदेश जारी करने का निर्णय जुलाई, 2003 में लिया गया था। तथापि, 'स्टॉप मार्किंग' आदेशों के तहत यूनिट को अस्थाई तौर पर बंद करना होता है जिससे भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंसधारियों को परेशानियां उठानी पड़ीं, इसलिए फरवरी, 2005 में प्रक्रिया की समीक्षा की गई और उसको संशोधित किया गया।

केरल में फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड को पुनर्जीवित करना

2772. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास केरल में फर्टिलाजइर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड को पुनर्जीवित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस इकाई को बंद करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस इकाई को पुनर्जीवित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) जी, हां। फर्टिलाजइर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) के पुनर्संरचना प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है जिसमें कुछ राहत/रियायतें मांगी गई हैं। संयंत्र के पुराना होने तथा प्रोद्यो–आर्थिक अव्यवहार्यता के कारण केवल अमोनिया यूरिया इकाई का प्रचालन ही रोका गया है। फैक्ट की अन्य इकाइयां प्रचालनरत हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता अदालतें

2773. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर तमिलनाडु में स्थापित उपभोक्ता अदालतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त उपभोक्ता अदालतों के स्वरूप और कार्यकरण संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और उपभोक्ता अदालतें स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) उपभोक्ता संरक्षण, 1986 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला मंच स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। उनको जहां न्यायसंगत हो एक जिले में एक से अधिक जिला मंच स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त है। प्रत्येक जिले में जिला मंच की अवस्थिति के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपभोक्ता संरक्षण नियमों के उपबंधों के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

देश में स्थापित जिला मंचों की राज्यवार सूचना संलग्न

विवरण में दी गई है। जहां तक तमिलनाडु राज्य का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा बताए गए जिला मंचों के नाम इस प्रकार हैं :

(1) चेन्नई दक्षिण, (2) चेन्नई उत्तर, (3) तिरुचि, (4) इरोड, (5) मदुरई, (6) श्रीविल्लीप्रत्तुर, (7) नागरकोइल, (8) वेल्लोर व तिरुवनमल्लई, (9) सलोम व धर्मपुरी, (10) कोयम्बतूर, (11) दि नीलगिरीज, (12) चेंगलपुट व विल्लुपुरम, (13) कुड्डालोर, (14) तंजावुर, (15) नागापट्टिनम, (16) डिन्डिगुल व पुड्डुकोट्टई, (17) शिवांगई व रामनाथपुरम, (18) तिरुनेलवेली व तूतीकोरिन, (19) तिरुवल्लुर, (20) तिरुवरुर, (21) थेनी, (22) नामक्कल, (23) करूर और (24) पेराम्बलूर। छः जिला मंचों को एक साथ मिला दिया गया है जिससे कुल संख्या 30 हो गई है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित उपभोक्ता मंच अर्धन्यायिक स्वरूप के हैं और उनका कार्य खरीदी गई वस्तु में कोई दोष अथवा ली गई सेवाओं में कोई त्रुटि, जिसमें व्यापार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा अपनाए गए प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अथवा अनुचित व्यापार व्यवहार शामिल हैं, के खिलाफ दुखी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर निर्णय देना है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिला मंचों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	29
2.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	15
4.	असम	23
5.	बिहार	37
6.	चंडीगढ़	2
7.	छत्तीसगढ़	16
8.	दादरा और नगर हवेली/दमन व दीव	2
9.	दिल्ली	9
10.	गोवा	2
11.	गुजरात	19
12.	हरियाणा	19
13.	हिमाचल प्रदेश	12
14.	जम्मू–कश्मीर	2
15.	झारखंड	22
16.	कर्नाटक	30
17.	केरल	14
18.	लक्षद्वीप	1
19.	मध्य प्रदेश	45
20.	महाराष्ट्र	34
21.	मणिपुर	8
22.	मेघालय	7
23.	मिजोरम	8
24.	नागालैंड	8
25.	उड़ीसा	31
26.	पांडिचेरी	1
27.	पंजाब	17
28.	राजस्थान	33
29.	सिक्किम	4
30.	तमिलनाडु	30
31.	त्रिपुरा	3
32.	उत्तर प्रदेश	70
33.	उत्तरांचल	13
34.	पश्चिम बंगाल	20
	कुल	588

धन का दुरुपयोग

2774. श्री जशुभाई दानाभाई बारड़ : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान सरकार को गुजरात सहित अन्य राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं हेतु संस्वीकृत किए गए धन के दुरुपयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने यह उद्घाटित किया है कि गत पांच वर्षों के दोरान केन्द्र सरकार द्वारा वित्त–पोषित उक्त परियोजनाएं अभी तक अपूर्ण हैं और राज्य सरकार ने या तो धन का अन्यत्र उपयोग किया है अथवा करोड़ों रुपये अन्यत्र लगाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) धन के अन्यत्र उपयोग और दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों पर कार्रवाई, उनका कार्यान्वयन तथा रख–रखाव/प्रबंधन का दायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

2775. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) का विचार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सम्मिलित वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा प्रतिमाह वैधानिक अंशदान से अधिक अतिरिक्त धनराशि जमा करने की सुविधा को प्रतिबंधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ब्याज दर में वृद्धि के कारण होने वाली अतिरिक्त मांग को पूरा करने हेतु अपने उचन्त खाते से आहरण करना होगा और अपनी बकाया धनराशि को वसूली में तेजी लानी होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दलहन एवं तिलहन की नई किस्में विकसित करना

2776. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमांत क्षेत्रों में निर्धन किसानों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले दलहन और तिलहन जैसी फसलों की नई किस्में विकसित करने और उनको नई तकनीक उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ख) वर्तमान में देश में विकसित दलहन एवं तिलहन की किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि विज्ञानियों ने दलहन एवं तिलहन की किस्मों एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु विदेशों में अपनाई गई तकनीकों का अध्ययन करने हेतु कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दलहनों और तिलहनों की उच्च उपजशील तथा चने और अरहर में मुरझान रोग, मूंग, उड़द और सोयाबीन में पीला मोजैक विषाणु, सूरजमुखी में मृदुरोमिल फफूंद, अरण्डी में मुरझान रोग, मूंगफली और अन्य में अंगमारी जैसे प्रमुख रोगों की रोगरोधी उन्नत किस्मों का विकास करने में पहल की है। चने और अरहर में हेलिकोवर्पा सूरजमुखी और अरण्डी में कटवर्म, हेयरी कैटरपिलर एवं थ्रिप्स तथा तिलहनों और दलहनों की अन्य कीट–व्याधियों की रोकथाम के लिए अरहर में संकरों का विकास करने के लिए समेकित नाशीजीव प्रबन्ध प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। प्रभावी कोशिकाद्रव्य नर बन्ध्यता प्रणाली विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त, लघु अवधि की किस्मों का विकास करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं, जो सूखारोधी हो सकती हैं। सीमान्त क्षेत्रों के लिए सस्ती उन्नत कृषि क्रियाओं का विकास किया गया है। अग्रपंक्ति के प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय ने किसानों को नई प्रौद्योगिकियों से परिचित कराने की पहल की है।

(ख) वर्ष 2001–2004 के दौरान विभिन्न दलहनों और तिलहनों की जारी की गई किस्मों/संकरों का ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अन्तर्राष्ट्रीय अर्ध–शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट) तथा अन्तर्राष्ट्रीय बारानी कृषि अनुसंधान केन्द्र (इकार्डा) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सक्रिय सहयोग रहा है, जो विभिन्न देशों के लिए उपयुक्त उन्नत किस्मों का विकास करने के लिए अधिदेशित हैं। इसके अलावा, विभिन्न देशों से दलहनों और तिलहनों के जननद्रव्य

का हमारे देश की कृषि में उपयुक्तता के लिए उनकी जांच करने हेतु भारतीय दशाओं के अन्तर्गत मूल्यांकन भी किया जाता है।

(ङ) इस समय घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दलहनों की कम आपूर्ति होती है। तथापि, दलहनों और तिलहनों का कम मात्रा में निर्यात किया जाता है। गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई है, ताकि मूंगफली में अफलाटॉक्सिन तथा निर्यात की संभावना को बढ़ाने के लिए तोरिया–सरसों के तेल में इरूसिक एसिड को कम किया जा सके। देश में तिलहनों और दलहनों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तिलहनों, दलहनों, तेलताड़ और मक्का पर समेकित स्कीम (आई.एस.ओ.पी.ओ. एम.) नामक कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय की एक विशेष स्कीम के माध्यम से उपाय किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2001–04 की अवधि के दौरान जारी की गई दलहनों और तिलहनों की किस्मों की सूची

दलहन

चना	आर एस जी–888, एच के 94–134, जे के जी–92337, विहार (फूले जी–9531), हरियाणा चना 3 (एच के 98–155), अन्विता (आर एस जी 931), आर एस जी–963
अरहर	लक्ष्मी (आई सी पी एल–85063), ए के टी–8811, पूसा–992, एम एम–6 (मालवीय विकास) जी ए यू ओ 001ई, जी टी एच 1 (संकर), सी ओ आर जी 9701, एन डी ए 98–1
मूंग	एम एल–818, कामदेव (ओ यू एम–11–5) मालवीय जनचेतना (एच यू एम–12) आई पी एम 99–125, सी ओ जी जी–912, टी एम 99–37
उड़द	के यू–300, एन डी यू 99–2, के यू 96–3
मसूर	एन डी एल–94, के एल एस–218, एच यू एल–57
मटर	आई पी एफ–27, आई पी ए 99–25, आई पी ई डी 99–13
राजमा	आई पी आर 96–4 (अम्बेर), आई पी आर 98–5
मोठ	आरएम ओ–435, सी जैड एम–45, सी जैड एम799
लोबिया	जी सी–9714, सी ओ वी यू–702
कुलथी	ए क–42
ग्वार	आर जी सी–1017, आर जी एम–112

तिलहन

मूंगफली	वी जी–9521, वी आर आई (जी एन) 5, वी आर आई (जी एन) 4, जे एस पी–28, डी एच–86, ए के–159, टी जी–41, सी एस एम जी–9510, जे एस एस पी–15, टी जी 37 ए, जी पी बी डी–4, जे एस पी–35
तोरिया–सरसों	जे ओ सी–1, पी सी 5–17, टी ई आर आई (ओ ई) आर–03 (टी ई आर आई यू एन एन ए टी), गीत (आर बी 9901), वसुन्धरा (आर एच–9304), स्वर्ण ज्योति (आर एच–9801), माया (आर के 9902), महोन–8 (शिवालिक), पूसा स्वर्णिम (आई जी सी–01), सी एस 614–4–1–4 (सी एस 54), जे डी 6, आर जी एन–48, आर एल–99–27, आर के–01–03, सी एस सी–5 (सी एस सी 3 ए)
सोयाबीन	एम ए यू एस–61, एल एस बी–1, पालम सोया, जे एस 93–95, एम ए यू एस 6–2, एम ए यू एस 71, आर ए यू एस–5 (प्रताप सोया) एम ए यू एस 81, एस एल 525
सूरजमुखी	के बी एस एच–44 (एच), पी एस एफ एच–118, एच एस एफ एच–848, डी आर एस एफ–108
कुसुम	एन ए आर आई–एन एच–1 (पी एच–6), फूले कुसुम (जे एल एस एफ–414)
अरण्डी	आर एच सी–1, आर जी–109, आर जी–724, डी सी एच–519
तिल	जे टी एस–8, निर्मला (ओ एस सेल 164), ए के टी–101, एम टी–75, गुजरात तिल–10, चंदाना, प्राची (ओ आर एम–17), थिलारानी
रामतिल	गुजरात रामतिल–1, जे एन सी–6, जे सी–1, एन आर एस–96–1, जे एन एस–9, बिरसा नाइजर–2 (पूजा)
अलसी	के एल–21, एस एल एस–27, आर एल यू–6, आर एल–914, के एल–224

उत्तर प्रदेश में वन्यजीव और वन पर्यटन

2777. श्री ब्रजेश पाठक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में वन्यजीव और वन पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन सम्भावना के दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) वन्यजीव एवं वन्य पर्यटन सहित पर्यटन की अवसंरचना वाले क्षेत्रों का पता लगाने और उनका विकास करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का होता है।

राज्यों में पर्यटन अवसंरचना में सुधार करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य विकास तथा वृहत् राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता की अपनी योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से चिह्नित की गई पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुमोदित परियोजना का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	सहारनपुर जिले में गंगोह में (1) मां शाकम्भरी देवी मंदिर (2) बाबा हरिदास मंदिर (3) कुतब आलम दरगाह का विकास	49.28	40.00
2.	मथुरा जिले में राधा कुण्ड तथा श्याम कुण्ड का नवीकरण	145.35	116.28
3.	गोरखपुर में आधुनिक स्वागत केन्द्र की स्थापना	245.66	200.00
4.	गोवर्धन (जिला मथुरा) में कुसुम सरोवर का नवीकरण/सौन्दर्यीकरण	100.77	80.00
5.	वाराणसी में अस्सीघाट का विस्तारीकरण एवं विकास	464.78	362.00
6.	लखनऊ में ला मार्टिनियर कॉलेज में विजय स्तंभ तथा हजरत गंज में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास फ्लड लाइटिंग	11.84	10.75
7.	सहारनपुर जिले में भगुवाला गांव में जीओआई यूएनडीपी इन्डोजेनस टूरिज्म प्रोजेक्ट	19.75	15.50

जल के उपयोग हेतु भारत और नेपाल के बीच बैठक

2778. श्री मुन्शी राम :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच नदी जल के बंटवारे संबंधी विवाद को सुलझा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार और नेपाल ने हाल ही में जल संसाधनों और नेपाल से निकलने वाली नदियों के जल के बंटवारे में सहयोग के संबंध में वार्ता की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नेपाल सरकार इन नदियों पर बैराज के निर्माण के लिए भारत को पट्टे पर जमीन देने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) नेपाल की कई नदियां भारत में मिलती हैं और इन नदियों के जल संसाधनों का विकास करने के लिए इस मुद्दे का समाधान करने तथा स्कीमों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते/संधि हुई है। जल संसाधन के क्षेत्र में नेपाल की महामहिम सरकार और भारत सरकार के बीच निम्नलिखित संधि/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं :

(i) दिनांक 23.8.1920 को शारदा बैराज और बनबसा पर समझौता।

(ii) 4.12.1959 को गंडक परियोजना पर समझौता तथा दिनांक 30.4.1964 को संशोधित समझौता।

(iii) 19.12.1966 को कोसी पर संशोधित समझौता।

(iv) शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृत विकास से संबंधित महाकाली संधि पर दिनांक 12.2.1996 को हस्ताक्षर किए गए।

(ग) और (घ) उपरोक्त संधि/समझौतों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में नेपाल के साथ चर्चा की गई है। सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार और सचिव, जल संसाधन, नेपाल की महामहिम सरकार की अध्यक्षता में जल संसाधन संबंधी भारत–नेपाल संयुक्त समिति की दूसरी बैठक 7–8 अक्तूबर, 2004 को हुई जिसमें जल संसाधन संबंधी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। अन्य बातों के साथ–साथ इस बात पर सहमति हुई कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में संभावित बाधाओं का निर्धारण करने के लिए सप्त कोसी–सन कोसी परियोजनाओं के संयुक्त परियोजना कार्यालय द्वारा कमला का व्यवहार्यता अध्ययन तथा बागमती बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रारंभिक अध्ययन भी किया जाएगा ताकि इनका उपयुक्त ढंग से समाधान निकाला जा सके।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ई.एस.आई. नेटवर्क का आधुनिकीकरण

2779. श्री रामदास आठवले : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में विशेषज्ञ डाक्टरों और चिकित्सा उपकरणों की कमी एवं औषधियों की अनुपलब्धता है तथा ई.एस.आई. अस्पतालों/औषधालयों की संख्या भी अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई.एस.आई. नेटवर्क के पुनर्निर्माण, उन्नयन एवं आधुनिकीकरण करने तथा बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ई.एस.आई. अस्पतालों/औषधालयों पर वर्ष–वार एवं राज्य–वार कितना व्यय किया गया; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य–वार कितने कर्मचारियों ने चिकित्सा सुविधा प्राप्त की?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि कुछ कर्मचारी, राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों में दवाइयां, विशेषज्ञ डाक्टरों और चिकित्सा उपकरणों के समय पर न मिलने, उपलब्ध न होने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा देखभाल को उन्नत और आधुनिक बनाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :

(i) अति–विशिष्ट इलाज और प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रति बीमांकित व्यक्ति परिवार इकाई के लिए 50/– रुपये परिक्रामी निधि में रखे गए हैं।

(ii) अस्पतालों में उपकरण और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कार्रवाई योजनाएं बनाई गई हैं।

(iii) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1999–2000 से 2003–2004 की अवधि के दौरान 7 करोड़ रुपये से अधिक के उपकरणों की मंजूरी प्रदान की है।

(iv) राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि बढ़िया किस्म की दवाइयों की आपूर्ति में होने वाली देरी से बचने के लिए केन्द्रीय दर संविदाओं का उपयोग किया जाए।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण–I में दर्शाई गई है।

(ङ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण–II में दर्शाई गई है।

विवरण-I

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2001–2002 के दौरान चिकित्सा देखभाल पर खर्च	वर्ष 2002–2003 के दौरान चिकित्सा देखभाल पर खर्च	वर्ष 2003–2004 के दौरान चिकित्सा देखभाल पर खर्च
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5326.44	5064.47	7241.39
2.	असम	459.92	407.44	311.53
3.	बिहार	553.06	430.73	407.70
4.	चंडीगढ़	197.94	207.41	214.75

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	253.44	277.94	308.45
6.	दिल्ली	6417.90	7432.11	8189.04
7.	गुजरात	6875.69	6772.23	6886.75
8.	गोवा	417.15	435.76	768.04
9.	हरियाणा	2426.32	2599.24	2832.74
10.	हिमाचल प्रदेश	229.59	228.75	220.55
11.	जम्मू–कश्मीर	80.08	83.02	86.28
12.	झारखंड	547.63	507.46	509.10
13.	कर्नाटक	4813.22	4984.24	4815.64
14.	केरल	3380.81	3514.76	4060.98
15.	मध्य प्रदेश	2157.45	2369.93	2379.99
16.	महाराष्ट्र	9884.83	10551.58	11010.05
17.	मेघालय	23.12	23.28	24.60
18.	उड़ीसा	1252.13	1315.45	1256.23
19.	पांडिचेरी	459.42	485.27	517.65
20.	पंजाब	3137.27	3583.67	3120.03
21.	राजस्थान	2426.78	2144.56	2055.15
22.	तमिलनाडु	8033.04	7673.43	7695.91
23.	उत्तर प्रदेश	4572.62	4692.91	5053.40
24.	उत्तरांचल	101.47	99.24	91.92
25.	पश्चिम बंगाल	6860.55	6867.32	6639.57
	कुल	70,887.87	72,752.20	76,697.09

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001–2002		2002–2003		2003–2004	
		बीमांकित व्यक्ति	परिवार	बीमांकित व्यक्ति	परिवार	बीमांकित व्यक्ति	परिवार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	17,44,621	22,86,104	14,25,265	18,02,146	21,80,176	25,92,820
2.	असम	38,515	32,487	33,686	31,713	36,488	34,775
3.	बिहार	25,055	28,118	57,765	44,361	67,068	46,528
4.	चंडीगढ़	94,646	62,954	87,143	56,733	80,761	48,546
5.	दिल्ली	18,51,024	31,39,117	16,64,290	24,44,111	18,15,184	26,39,721
6.	गोवा	1,00,591	1,07,710	1,15,878	1,15,076	1,26,359	1,22,850
7.	गुजरात	14,76,622	22,61,553	11,88,084	15,61,687	13,80,060	19,20,667
8.	हरियाणा	5,56,70	7,54,380	5,60,887	7,46,879	6,19,366	8,51,267
9.	हिमाचल प्रदेश	18,475	18,012	14,557	12,248	1,44,639	1,53,411
10.	जम्मू–कश्मीर	40,036	2,908	32,389	21,916	38,377	23,470
11.	कर्नाटक	11,21,824	12,71,962	10,39,877	11,90,926	10,38,935	11,65,544

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	केरल	23,43,052	25,67,693	16,78,440	17,52,264	16,55,741	20,07,930
13.	मध्य प्रदेश	9,13,898	1,23,881	8,45,213	10,96,047	7,51,719	9,39,243
14.	महाराष्ट्र	11,21,524	6,53,370	10,85,386	10,77,248	9,69,090	9,73,748
15.	मेघालय	1,420	1,573	2,002	2,212	2,157	2,203
16.	उड़ीसा	4,69,543	3,51,672	4,38,563	5,71,922	4,48,099	5,65,936
17.	पांडिचेरी	1,61,350	38,946	1,64,277	1,67,551	1,72,465	1,68,236
18.	पंजाब	6,54,135	6,59,672	5,60,018	5,55,120	5,90,625	6,55,739
19.	राजस्थान	9,77,783	7,11,944	9,49,300	11,69,522	10,20,736	12,66,464
20.	तमिलनाडु	30,16,576	13,15,256	26,97,734	33,54,723	21,23,125	24,26,378
21.	उत्तर प्रदेश	3,54,465	2,31,537	7,50,943	8,40,045	5,90,638	6,72,002
22.	पश्चिम बंगाल	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	11,40,410	9,06,538
23.	छत्तीसगढ़	1,11,364	1,48,330	88,968	1,16,844	1,06,261	1,33,450
24.	झारखण्ड	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	84,775	87,492
25.	उत्तरांचल	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	36,360	42,378

बाल पहाड़ी बांध परियोजना

2780. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम का बाल पहाड़ी बांध परियोजना के पुनरुद्धार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) झारखंड राज्य में तिलैया और मैथान बांध के बीच बराकर नदी पर बाल पहाड़ी बांध परियोजना के प्रस्तावित निर्माण के लिए दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने संबंधित मंत्रालयों और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड की भागीदार राज्य सरकारों को उनकी सहमति के लिए व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

भेड़ और बकरी पालकों को प्रोत्साहन

2781. श्री के. एस. राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में भेड़ और बकरी पालकों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाड़ी और अफ्रीकी देशों में कितनी मात्रा में मांस का निर्यात किया गया; और

(घ) भेड़ पालकों और निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) इस समय देश में भेड़ और बकरी पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है। तथापि, हिसार (हरियाणा) में स्थित केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म भेड़ एवं बकरी के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मृग एवं मेढ़ों की आपूर्ति करने में लगा हुआ है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि तथा

प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए) विभिन्न योजनाएं चला रहा है जिसके अंतर्गत आधारभूत संरचना बनाने, एच ए सी सी पी, आई एस ओ–9000 इत्यादि जैसी अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली के कार्यान्वयन, इन हाऊस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को स्थपित करने तथा व्यवहार्यता अध्ययन, बाजार विकास तथा पेकेजिंग विकास इत्यादि के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड (सी डब्ल्यू डी बी) के भी गड़ेरियों के हितों के लिए कुछ कार्यक्रम हैं।

विवरण

(मात्रा मी. टन में, मूल्य लाख रुपये में)

उत्पाद	2001–02		2002–03		2003–04	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
भैंस मीट						
खाड़ी	68130.53	32326.62	82455.31	37442.1	98802.27	48484.88
आफ्रीकी देश	4221.92	20790.41	53695.71	22771.62	48700.48	18860.48
भेड़ और बकरी						
खाड़ी	3768.86	3219.18	4631.91	3804.61	9792.11	7965.82
अफ्रीकी देश	1.00	1.03	27.49	7.83	1000.67	375.47

प्रदूषण स्तर जांच योजना

2782. श्री मधु गौड यास्खी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तीन लाख से अधिक आबादी वाले शहरों एवं कस्बों में विभिन्न रूप से प्रदूषण स्तर की जांच हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को कोई सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (घ) परिवेशी वायु गुणता मॉनीटरी के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में 54 नॉन–अटेनमैंट नगर अभिनिर्धारित किए हैं जिनमें से अधिकांश नगरों की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। इन नगरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिशानिर्देश तैयार करके सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेजे हैं। राज्य सरकारों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके अभिनिर्धारित नगरों में कार्य–योजनाएं आरंभ की हैं। इन कार्य योजनाओं में वाहन जनित प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण और बायो–मॉस ज्वलन से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय शामिल हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं जिनमें शामिल हैं–

– सामान्य और स्रोत विशिष्ट उत्सर्जन मानक अधिसूचित करना।

– नए वाहनों के लिए निर्माण प्रावस्था में ही स्वत: निर्गम उत्सर्जन मानक प्रवृत्त करना।

– उन्नत ईंधन गुणता।

– तापीय विद्युत स्टेशनों में लाभकारी कोयले का उपयोग।

– उद्योगों की 17 श्रेणियों में पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन हेतु नियमित मॉनीटरी।

– नए और पुराने वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए 2010 तक रोड मैप विकसित किया गया है।

–उपयोग में लाए जा रहे वाहनों के लिए अक्टूबर, 2004 से नए उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं।

खरीद के लिए प्रोत्साहन

2783. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य खाद्य सचिवों द्वारा पारित सभी संकल्पों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य द्वारा इन प्रस्तावों को अब तक किस हद तक कार्यान्वित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों के लिए उनके अभिहित एजेंसियों के माध्यम से खरीद और वितरण हेतु प्रोत्साहन का पैकेज देने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने उक्त प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इन सम्मेलनों की सिफारिशों के अनुसार अन्य बातों के साथ–साथ सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दे दिए गए हैं कि प्रवासी श्रमिकों/विस्थापित व्यक्तियों/बेघर आबादी सहित भुखमरी के खतरे वाले सभी परिवारों को राशन पात्रता प्राधिकार पर्ची जारी की जाए; उचित दर दुकानों के लाइसेंसों का आवंटन करने के मामले में महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाए; उचित दर दुकान के लाइसेंसधारकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को उचित दर दुकानों का आवंटन करने में प्राथमिकता दी जाए; खाद्यान्नों की जारी की जाने वाली मात्रा, मूल्य, उपलब्धता आदि के बारे में सूचना का प्रचार किया जाए; खाद्यानों की वसूली विकेन्द्रीकृत वसूली के अधीन की जाए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सस्ता बनाया जा सके और स्थानीय पसंद को पूरा किया जा सके। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इन सिफारिशों का क्रियान्वयन विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ग) से (ङ) जी, हां। विकेन्द्रीकृत वसूली योजना, जो पहले ही विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है, के अधीन राज्य एजेंसियों द्वारा वसूली करने हेतु पहले ही लागत के निम्नलिखित अतिरिक्त घटक मंजूर कर दिए गए हैं :

(i) वसूली केन्द्र से भण्डारण केन्द्र तक और भण्डारण केन्द्र से मिलिंग स्थान तक ढुलाई लागत;

(ii) सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1% कमीशन;

(iii) रेल शीर्षों से वसूली केन्द्रों तक बोरियों की ढुलाई के प्रति लागत का भुगतान; और

(iv) सेला चावल की मिलिंग दर को 15 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति क्विंटल करना।

[हिन्दी]

ई.एस.आई. अस्पतालों का विकास

2784. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई.एस.आई.सी. ने आदर्श अस्पतालों को विकसित करने के बारे में किसी योजना की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावित अस्पतालों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 16.02.2001 को आयोजित अपनी बैठक में प्रत्येक संबंधित राज्य सरकार से एक कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पताल को अधिकार में लेने और इसे आदर्श अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अभी तक नाचरम, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), बेलओला, गुवाहाटी (असम), फुलवारी शरीफ, पटना (बिहार), रांची (झारखंड), राजाजीनगर, बैंगलूर (कर्नाटक), असरामम, कोल्लम जिला (केरल), राऊरकेला (उड़ीसा), लुधियाना (पंजाब), जयपुर (राजस्थान) और साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) में स्थित 10 अस्पतालों को अधिकार में लिया गया है।

[अनुवाद]

जल का अभाव

2785. श्री निखिल कुमार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उद्घाटित किया है कि आगामी वर्षों में देश के अधिकांश भागों में जल की कमी होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जल के अभाव को पूरा करने हेतु अधिक संसाधन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास निष्प्रभावी साबित हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार का

देश में जल की कमी से निपटने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान जिसे ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) के रूप में पुनर्नामित किया गया है, की कुछ रिपोर्टों में जनसंख्या वृद्धि तथा जल के अस्थाई एवं स्थानिक असमान वितरण की दृष्टि से प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में कमी करने की बात कही गई है। तथापि, एक रिपोर्ट में किए गए इस आकलन से 2050 तक भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 750 घनमीटर से कम रहेगी, के समर्थन में कोई विश्लेषणात्मक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। एकीकृत जल संसाधन विकास योजना संबंधी राष्ट्रीय आयोग के निष्कर्ष के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या 1640 मिलियन हो जाएगी और तदनुसार प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1140 घनमीटर आंकी गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यावरण अदालतों की स्थापना

2786. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के मामलों से निबटने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय और विधि आयोग द्वारा विशेष पर्यावरण अदालतों की स्थापना संबंधी की गई टिप्पणी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रदूषणरोधी कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और किसी उल्लंघन के लिए इकाई/एजेंसी के प्रमुख को जिम्मेदार ठहराने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर संस्थागत मशीनरी को सुदृढ़ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी, हां। विधि आयोग ने अपने 186वें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के अंतर्गत अपीलों के संबंध में अपीलीय अधिकार रखने के अतिरिक्त पर्यावरणीय विवादों को निपटाने के लिए राज्य स्तर पर 'पर्यावरण न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की है जिनमें न्यायिक और वैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल हों। प्रतिवेदन की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर संस्थानिक मेकेनिज्म को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों को शक्तियां प्रायोजित की हैं। पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत वैयक्तिक दायित्व सौंपा जाता है। किए गए किसी भी अपराध के जिम्मेदार व्यक्ति को अपराध का दोषी समझा जाता है और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

ताजमहल का विकास

2787. श्री अनन्त कुमार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'ताजमहल' की 350वीं वर्षगांठ की पूर्व संख्या पर घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'ताज महोत्सव' विश्व का ध्यान आकर्षित करने में सफल नहीं हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसकी असफलता के लिए कुप्रबंधन जिम्मेदार है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) पर्यटन मंत्रालय घरेलू पर्यटन का संवर्धन करता है और ताजमहल की 350वीं वर्षगांठ के दौरान भी यही किया जा रहा है।

(ख) से (घ) ताज महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।

कीटनाशकों का कुप्रभाव

2788. श्री वी. विनोद कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन किसानों/कृषि कामगारों के संबंध में आंकड़ा रखा है जिनका स्वास्थ्य कीटनाशकों के उपयोग के दौरान श्वास लेने/सम्पर्क में आने/जहर फैलने आदि के कारण प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कीटनाशकों के शिकार लोगों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप किसी के मरने का भी समाचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या शिकार लोगों को किसी मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(च) यदि हां, तो कितने किसानों को मुआवजे का भुगतान किया गया;

(छ) क्या सरकार ने किसानों को शिक्षित करने और कीटनाशकों के उपयोग से होने वाले कुप्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के कोई उपाय किए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 26 के अनुसार राज्य सरकारें किसानों और कृषि श्रमिकों के स्वास्थ्य पर कीटनाशकों के प्रभाव के संबंध में आंकड़े दर्ज करती है।

(ख) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(छ) जी, हां।

(ज) सरकार ने देश में पौध संरक्षण के प्रमुख सिद्धांत और मुख्य धारा के रूप में समेकित कीट प्रबंध (आई पी एम) को अपनाया है, जिसमें आवश्यकता आधारित कीटनाशकों का उपयोग और संवर्द्धनात्मक, यान्त्रिक तथा जैव–वैज्ञानिक विधियां शामिल हैं। सरकार राज्य सरकारों और इसके केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंध केन्द्रों के जरिये समेकित कीट प्रबंध प्रणाली को प्रोत्साहित कर रही है। इन केन्द्रों का अधिदेश किसानों के खेत पर कृषक क्षेत्र स्कूलों का आयोजन करके आधारभूत स्तर पर कृषि विस्तार अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षण देकर कीट व रोग की मानीटरगि, जैव नियंत्रण एजेन्टों का उत्पादन तथा निर्मुक्ति, जैव–नियंत्रण एजेंटों का संरक्षण तथा समेकित कीट प्रबंध में मानव संसाधन विकास है। इन कृषक क्षेत्रीय स्कूलों के जरिए किसानों के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाता है तथा रासायनिक कीटनाशकों के आवयकता आधारित युक्तिसंगत तथा उचित उपयोग और कीटनाशकों के गलत उपयोग, अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग के खतरों पर बल दिया जाता है।

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पैकेज

2789. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें विशेष रूप से कर्नाटक ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु अधिक पैकेज देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों विशेष रूप से कर्नाटक द्वारा कुल कितनी योजनाएं शुरू की गईं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि प्रदान करने तथा विदेशी पर्यटकों को सुविधाएं देने एवं उनके बीच विश्वास बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) पर्यटक स्थानों/स्थलों के विकास एवं संवर्धन से संबंधित परियोजना प्रस्तावों का प्रतिवर्ष राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, जिसमें कर्नाटक राज्य भी शामिल है, के परामर्श से प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 40916.29 लाख रुपये लागत की 628 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं जिनमें से 2089.91 लाख रुपये की लागत की 28 परियोजनाएं कर्नाटक राज्य के लिए थीं।

(घ) पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों को पर्यटन अवसंरचना के विकास एवं संवर्धन की अपनी योजनाओं के अंतर्गत, जिसमें विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधाएं भी शामिल हैं, धन उपलबध करवाता है।

[हिन्दी]

मिलावटी खाद्य तेल का वितरण

2790. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली खाद्य तेल कंपनियां कुछ जानी–मानी तेल कंपनियों के रैपर, कंटेनर और होलोग्राम का उपयोग कर देश के विभिन्न भागों में मिलावटी तेल वितरित करते हुए पकड़ी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कंपनियों और उनके मालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों, नामतः विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में कुछ जानी-मानी कंपनियों के रेपर्स, कंटेनर और होलोग्रामों का उपयोग करके नकली तेल वितरण कर रही जाली खाद्य कंपनियों के बारे में ऐसा कोई मामला नहीं पाया गया है। तथापि, झूठी सूचना देने अथवा नकली ट्रेड मार्क का प्रयोग करने, नकली कारोबारी विवरण देने आदि को रोकने के लिए ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के आधीन निवारक तंत्र मौजूद है। ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 के अधीन उपलब्ध समाधान ट्रेड मार्क में मौजूद बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा करने से संबंधित हैं और इसमें पंजीकृत ट्रेड मार्क के मालिकों के लिए सिविल तथा आपराधिक दोनों समाधान उपलब्ध हैं। इसके अलावा नकली तेल के वितरण पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रावधान भी लागू होते हैं।

कोई भी पीड़ित उपभोक्ता किसी व्यक्ति द्वारा अपनाई गई प्रतिबंधात्मक व्यापारिक पद्धतियों अथवा अनुचित व्यापारिक पद्धतियों सहित खरीदे गए सामान में किसी दोष के प्रति अथवा ली गई सेवा में कमी के प्रति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन स्थापित उपभोक्ता मंच में शिकायत का प्रतितोष भी करवा सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा रोजगार सृजन

2791. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख : क्या खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा रोजगार सृजन की क्षमता एवं आय अर्जन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) एक अनुमान के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रतिवर्ष 2.5 लाख रोजगार सृजित करने की दर से आगे बढ़ रहा है। यह भी अनुमान है कि इस उद्योग में सृजित होने वाले प्रत्यक्ष रोजगार की तुलना में इस उद्योग से संबद्ध क्षेत्रों में 2.4 गुना अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के और भी लाभ हैं, वे कृषि उपज हेतु भी बाजार उपलब्ध कराते हैं जिससे किसानों को आमदनी होती है।

[अनुवाद]

ए.जी.सी.पी. का कार्यान्वयन

2792. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट (ए.जी.सी.पी.) की शुरूआत को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सुलझाए जाने वाले बाकी मुद्दों का ब्यौरा क्या है और ए.जी.सी.पी. के कार्यान्वयन के लिए सभी स्वीकृतियों को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और अब तक कितनी प्रगति हुई?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) से (ग) असम गैस क्रैकर परियोजना के बारे में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (गेल) ने एक नई व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट की, परियोजना की व्यवहार्यता, फीडस्टॉक की सतत रूप से उपलब्धता, केन्द्र/राज्य सरकार से आर्थिक सहायता/रियायतें आदि जैसे विभिन्न दृष्टिकोणों के मद्देनजर जांच की जा रही है। सरकार द्वारा उपर्युक्त घटकों पर विचार-विमर्श के बाद इस मामले में निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

रोजगार के अवसर

2793. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं;

(ख) चालू योजनावधि के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु क्या उपलब्धि हासिल की गई;

(ग) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु कोई नई नीति अपनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) और (ख) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

संगठन द्वारा समय–समय पर किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पिछले दो सर्वेक्षण वर्ष 1993–94 एवं 1999–2000 के दौरान किए गए। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, वर्ष 1993–94 तथा 1999–2000 के दौरान देश में सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्रमशः लगभग 75 लाख तथा 90 लाख थी।

(ग) ओर (घ) सरकार ने 10वीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित करने हेतु निम्नलिखित कार्यनीतियां निर्धारित की हैं :

- सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% प्रतिवर्ष वृद्धि दर को मानते हुए सामान्य विकास प्रक्रिया से लगभग 3 करोड़ रोजगार अवसरों का सृजन।
- विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 2 करोड़ रोजगार अवसरों का सृजन।
- कृषि, सिंचाई, कृषि–वानिकी, लघु एवं मझौले उद्यमों, पर्यटन, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, एवं अन्य सेवाओं जैसे श्रम सघन क्षेत्रों पर विशेष बल।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्षा बीमा योजना

2794. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्रीमती अनुराधा चौधरी :
श्री मो. ताहिर :
श्री मुन्शी राम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खरीफ 2004 के दौरान प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई वर्षा बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) इससे राज्य–वार अब तक कितने किसान लाभान्वित हुए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कृषि बीमा कम्पनी इण्डिया लिमिटेड (ए.आई.सी.) ने चार राज्यों के चयनित क्षेत्रों में खरीफ 2004 के दौरान पाइलेट आधार पर वर्षा बीमा योजना शुरू की थी। स्कीम की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- वर्षा बीमा एक तन्त्र है जिसका उद्देश्य प्रतिकूल वर्षा की घटना से प्रभावित होने वाले किसानों को प्रभावकारी जोखिम प्रबन्धन सहायता प्रदान करना है।
- वर्षा बीमा गारन्टी ग्रेडेड स्केल पर दावों पर दिया जाने वाला भुगतान है जो प्रतिकूल वर्षा की घटना पर दिया जाता है।
- दावे तब किए जाते हैं जब बीमा की अवधि के दौरान वर्षा की घटना सामान्य से कम होती है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) सामान्य वर्षा के आंकड़े और वास्तविक वर्षा के आंकड़े प्रदान करता है।
- वर्षा बीमा किसानों की मांग के अनुसार बीमा कवरेज के पांच विकल्प प्रदान करता है।
- कृषि बीमा कम्पनी इण्डिया लिमिटेड वर्षा बीमा को पाइलेट आधार पर चार राज्यों में प्रमुख फसलों के लिए कार्यान्वित करता है।

(ख) खरीफ 2004 मौसम में कार्यान्वित वर्षा बीमा योजना पर पाइलेट परियोजना से आंध्र प्रदेश में 966 और उत्तसर प्रदेश में 18 किसान लाभान्वित हुए हैं।

[अनुवाद]

सोयाबीन उत्पादकों की समस्याएं

2795. श्री दुष्यंत सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सोयाबीन उत्पादकों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान और अन्य राज्यों के सोयाबीन का उत्पादन करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने तथा अन्य प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। देश के सोयाबीन उत्पादक जिन प्रमुख समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे हैं—वर्षा सिंचित स्थितियों में इसकी बड़े पैमाने पर खेती के कारण उत्पादकता में कमी, अच्छी गुणवत्ता के बीजों की अनुपलब्धता, बीजों का अंकुरण न होना तथा आयु कम होना, कीटों, रोगों तथा खरपतवार का प्रकोप आदि।

(ग) तिलहन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार राजस्थान सहित देश में सोयाबीन के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित कर रही है। सरकार ने वर्ष 2003–04 के लिए पीली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 930 रुपये/क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2004–05 के

लिए 1000 रुपये/क्विंटल तथा काली सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2003–04 के लिए 840 रुपये/क्विंटल से बढ़ाकर 900 रुपये/क्विंटल कर दिया गया है। बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से नीचे गिर जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) जो केन्द्रीय नोडल एजेंसी है, द्वारा सोयाबीन की खरीद की जाती है।

इसके अलावा देश में सोयाबीन सहित तिलहनों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार राजस्थान सहित तिलहन की खेती वाले 14 प्रमुख राज्यों में एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम 'तिलहन, दलहन, मक्का तथा आयल पाम से संबंधित समेकित स्कीम' का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को तिलहनों की खेती हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रजनक एवं आधारी बीजों की खरीद, प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, पौध संरक्षण रसायनों के वितरण, पौध संरक्षण उपकरणों, खरपतवार नाशियों राइजोबियम/फॉस्फेट में घुलनशील बैक्टिरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराइट/डोलोमाइट के वितरण, छिड़काव यंत्रों एवं जलवाहक पाइपों के वितरण, प्रचार आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। किसानों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार के लिए राज्य के कृषि विभाग द्वारा प्रखण्ड प्रदर्शन तथा समेकित कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) प्रदर्शन एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फ्रंट लाइन प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

'ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस' को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु विदेशी सहायता

2796. श्री तथागत सत्पथी :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने करीब 12,000 टन ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल (ओ.डी.पी.) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु 350 से भी अधिक परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओ.डी.पी. को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी सहायता दी गई;

(घ) अब तक कितनी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के सुचारु कार्यान्वयन हेतु कौन सी नीति बनाई गई एवं क्या राजकोषीय उपाय किए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) मांट्रियल प्रोटोकाल के बहुपक्षीय कोष सचिवालय ने ओजोन क्षयकारी पदार्थों जिनकी ओजोन क्षयकारी पोटेंशल 60,524.6 टन है, को समाप्त करने के लिए भारत में 272 निवेश परियोजनाओं को अनुमोदित किया था।

(ग) मांट्रियल प्रोटोकाल के बहुपषीय कोष द्वारा अनुमोदित निवेश परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) अब तक 252 निवेश परियोजनाएं सम्पन्न हो चुकी हैं और शेष कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं।

(ङ) सरकार द्वारा किए गए नीति एवं वित्त उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- विभिन्न ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समाप्त करने के लिए भारत में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- कुछ ओजोन क्षयकारी पदार्थों के आयात एवं निर्यात के लिए लाइसैंसिंग प्रणाली अपनाना।
- गैर ओजोन क्षयकारी पदार्थ प्रौद्योगिकी के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए सामान के सीमा एवं उत्पादन शुल्क के भुगतान में छूट देकर वित्तीय प्रोत्साहन देना।
- उन देशों के साथ ओजोन क्षयकारी पदार्थों के व्यापार पर रोक लगाना जो ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों पर मांट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकार नहीं हैं।

विवरण

ऐरोसोल सेक्टर

क्र.सं.	इन्टरप्राईज का नाम	समाप्त की जाने वाली ओडीपी (टन)	अनुमोदित निधियां (अमेरिकी डालर)
1	2	3	4
1.	ऐसे फार्मा ऐरोसोल कनवर्जन, महाराष्ट्र	36.0	62.250

1	2	3	4
2.	माय केयर लेडी ऐरोसाल कनवर्जन, नई दिल्ली	59.4	128,792
3.	ऐरोल फार्यूलेशन ऐरोसोल कनवर्जन, नई दिल्ली	31.0	78.479
4.	टैक्सास इन्टरप्राईज ऐरोसाल कनवर्जन, नई दिल्ली	31.2	79.100
5.	अल्ट्रा टेंक स्पैशलटी कैमीकल्स प्रा. लि. ऐरोसोल कनवर्जन, महाराष्ट्र	30.8	79,100
6.	एकरापैक इन्डिया प्रा. लि. ऐरोसाल कनवर्जन, गुजरात	52.0	146,550
7.	स्टैला इन्डस्ट्रीज लि. एरोसाल कनवर्जन, नई दिल्ली	105.0	304,168
8.	एरोप्रेस एरोसाल कनवर्जन, गुजरात	50.0	165,952
9.	एरोपैक प्रोडक्ट्स ऐरोसाल कनवर्जन, गुजरात	20.4	107,875
10.	एशियन ऐरोसाल प्रा. लि. कनवर्जन, गुजरात	25.0	102,706
11.	ऐरोसाल डी एशिया प्रा. लि. कनवर्जन, गुजरात	18.0	78,479
12.	ए ए अत्तरवाला एंड कं. प्रा. कनवर्जन, महाराष्ट्र	30.6	151,703
13.	ऐरो इन्डस्ट्रीज, ऐरोसोल कनवर्जन, गुजरात	27.6	137,561
14.	कैम वर्सा कन्सलटैन्ट लि. महाराष्ट्र	18.0	76,076
15.	सारा कैम प्रा. लि., ऐरोसाल कनवर्जन, महाराष्ट्र	23.3	100,755
16.	स्प्रे प्रोडक्ट लि. ऐरोसाल कनवर्जन, महाराष्ट्र	16.8	73,999
17.	सुन्दर कैमीकल्स लि., ऐरोसाल, दिल्ली	15.0	67,678
18.	माजा कास्मैटिक प्रा. लि. दिल्ली	31.3	141,521
19.	मिवास केयर फार्मस्युटिकल लि., महाराष्ट्र	25.2	125,294
*20.	सिनकैप ऐरोसाल, महाराष्ट्र	53.5	182,515
21.	रूबी ऐरोसाल, दिल्ली	22.2	51,754
22.	वमिसन्स ऐरोसाल, गुजरात	18.2	75,145
*23.	टर्मिनल अम्ब्रेला प्रोजेक्ट ऐरोसाल सैक्टर	132.5	657,130
	कुल	873.0	3,174,582

*चालू परियोजनाएं। शेष परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

फोम सेक्टर

क्र.सं.	इन्टरप्राईज का नाम	समाप्त की जाने वाली ओडीपी (टन)	अनुमोदित निधियां (अमेरिकी डालर)
1	2	3	4
1.	कैमफर एण्ड एलाइड प्रोडक्टस लि., गुजरात	120.0	316,400

1	2	3	4
2	सुनप्रा लि. पुणे, महाराष्ट्र	20.0	467,820
3.	ईगल फ्लास्क इंडस्ट्रीज लि., महाराष्ट्र	20.0	412,450
4.	यू–फोम प्रा. लि. (आंध्र प्रदेश)	35.0	371,205
5.	बैकेलाईट हेलक लि., सिकन्दराबाद	58.0	414,710
6.	एलफाफोम, महाराष्ट्र	19.0	248,487
7.	ब्लूस्टार लि., महाराष्ट्र	13.0	253,120
8.	ड्यूरोफलेक्स क्वायर इंडस्ट्रीज प्रा. लि., कर्नाटक	10.0	113,904
9.	इंडस्ट्रियल फोम प्रा. लि., नई दिल्ली	35.0	361,600
10.	ईश्वर आर्टस, गुजरात	8.0	136,674
11.	ईश्वर आशीष प्लास्टिक प्रा. लि., गुजरात	8.0	136,674
12.	कर्नाटक कन्जयूमर प्रोडक्ट लि., कोरलोन, कर्नाटक	27.0	286,116
13.	मद्रास पोलीमाउन्टस टी एन	10.0	189,501
14.	मिल्टन प्लास्टिक लि., महाराष्ट्र	30.0	515,845
15.	मिल्टन पोली प्लास्ट, महाराष्ट्र	15.0	266,680
16.	ट्रंक्विल रबड़ सेल्स प्रा. लि. टी एन	17.0	243,233
17.	विक्रम प्लास्ट, गुजरात	15.0	266,860
18.	पैनोरामा प्लास्टिक, गुजरात	8.0	136,674
19.	पोलीनेट फोम्स प्रा. लि., कर्नाटक	20.0	314,140
20.	पोलीफलेक्स (इण्डिया प्रा. लि.), कर्नाटक	40.0	251,312
21.	रियल पालीमर्स, नई दिल्ली	35.0	312,106
22.	विजय ज्योत सीड्स लि., गुजरात	49.0	379,115
23.	भारत सीड्स लि., हरियाणा	55.0	581,456
*24.	पी यू आर पालीअर्थीन प्रोडक्टस प्रा. लि., नई दिल्ली	17.0	212,286
25.	पी फेडा सिन्थेटिक प्रा. लि., नई दिल्ली	30.0	379,373
26.	एस डी सी पालीअर्थीन प्रोडक्ट्स लि., गुजरात	24.0	181,897
27.	आफ टैक्सटाईल लि., महाराष्ट्र	25.0	222,836
28.	हरिता ग्रामर लि., कर्नाटक	26.0	183,512
29.	पंजाब स्कूटर लि., पंजाब	39.0	352,786

1	2	3	4
30.	अमित पालीसीट्स लि., यू पी	19.3	274,590
31.	मीनाक्षा पालीमर प्रा. लि., दिल्ली	15.0	241,820
32.	बीयर्ड शेल लि., तमिलनाडु	21.2	145,770
33.	आशा हैण्डीक्राफ्ट, महाराष्ट्र	19.4	138,425
34.	वीमको पेन कंपनी, महाराष्ट्र	18.5	134,798
35.	लायर्डस इन्सुलेखन इंडिया लि., दिल्ली	76.7	565,000
36.	सैलोप्लास्ट, दमन	21.0	159,692
37.	सैलोथर्मोवेयर लि., दमन	17.4	146,245
38.	पोली प्रोडक्टस, गुजरात	18.5	158,415
39.	के जी फोम्स प्रा. लि., महाराष्ट्र	33.0	245,493
40.	प्री टो फोक्स, हैदराबाद	11.5	188,823
41.	पभारत प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दमन	25.0	108,480
42.	इनआलसा लि., नई दिल्ली	28.9	138,990
43.	महावीर इन्टरप्राइजेज, महाराष्ट्र	19.4	106,785
44.	ओमकार पी यू एफ इसुंलेशन, महाराष्ट्र	10.6	66,670
45.	कृष्णा फेब्रीकेशन्स लि., कर्नाटक	13.0	185,320
46.	के बी पाली इंड. प्रा. लि., उड़ीसा	10.0	168,370
47.	बोरा कार्क इंड., महाराष्ट्र	39.6	298,885
48.	बेस्ट प्लास्ट्रोनिकस् प्रा. लि., नई दिल्ली	19.5	145,770
49.	भारत प्लास्ट, दमन	10.6	80,230
50.	अमर इन्टरप्राइजेज, महाराष्ट्र	16.2	135,600
51.	डकन इंजीनियरिंग इन्टरप्राइजेज, आंध्र प्रदेश	8.3	72,320
52.	भारत काटेज इंड., महाराष्ट्र	7.8	68,930
53.	80 लघु और मध्यम आकार उद्यम–ग्रुप परियेजना एस एम ई	290.0	1,586,520
54.	सुपर अर्दन प्रोडक्टस प्रा. लि., दमन	39.1	320,920
55.	ब्लोकिंग्स के एफ टी जेड़, महाराष्ट्र	17.6	149,160
56.	डेल्टा फोम्स इंजीनियरिंग कंपनी, महाराष्ट्र	12.0	96,050
57.	पन्ना इन्टरनेशनल, गुजरात	9.7	54,240

1	2	3	4
58.	विराल कारपोरेशन, गुजरात	11.8	94,920
59.	रास पोलीबिल्ड प्रोडक्ट प्रा. लि., आंध्र प्रदेश	17.7	144,640
60.	अलास्का इन्डस्ट्रीज, दमन	17.6	144,640
61.	ब्लू प्लास्ट कार्पोरेशन, महाराष्ट्र	10.1	85,880
62.	रिलायबल रोटोमोल्डर्स प्रा. लि., पश्चिम बंगाल	8.7	71,190
63.	मालानपुर एनटैक प्रा. लि., मध्य प्रदेश	18.9	167,240
64.	निम्सान थर्मोवेयर प्रा. लि., दमन	15.4	125,430
65.	के.जे. पोलीमर्स प्रा. लि., दिल्ली	30.0	144,132
66.	वीनस ऑटो प्रा.लि., उ.प्र.	21.0	155,093
67.	श्री कृष्णा पोल्यूरेथाने इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि., दिल्ली	19.2	217,494
68.	सिद्धी पोलीमर प्रा.लि., कर्नाटक	7.5	85,033
69.	लीजेण्ट इन्टीरीयर्स, दिल्ली	9.0	140,120
70.	नेशनल प्लास्क इंडस्ट्रीज लि., गुजरात	36.9	230,373
71.	सेनटैक्स इंडस्ट्रीज लि., गुजरात	10.9	71,167
72.	जयसन इंडस्ट्रीज, दिल्ली	12.9	100,457
73.	दूब इंटरनेशनल, हरियाणा	13.4	118,074
74.	जेपी टैक्नोप्लास्ट प्रा. लि., जम्मू	18.5	158,042
75.	ग्लैक्सी एफ आर पी प्रा.लि., हरियाणा	18.5	163,633
76.	अजय कोरूगेटिंग एंड प्लास्टिक्स प्रा.लि., गुजरात	10.3	91,310
77.	पफ इन्सुलेटर, दिल्ली	10.6	93,960
78.	ज्योति फोम प्रोडक्टस प्रा. लि., महाराष्ट्र	37.6	196,948
79.	बंसल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, दिल्ली	20.4	77,777
80.	बाबा इन्सुलेटर्स, दिल्ली	14.4	66,778
81.	श्रीनाथ प्लास्टिक, दिल्ली	13.9	69,348
82.	आर.एस. इन्सुलेटर्स, दिल्ली	10.3	61,924
83.	पी.के. कन्स्ट्रक्शन कं., दिल्ली	10.6	83,814
84.	गंगा थर्मोवेयर प्रा.लि., उ.प्र.	10.1	89,116
85.	शिवाथेने लाइनोपैक, हि.प्र.	119.0	236,170

1	2	3	4
86.	नव टैक्सफेब प्रा.लि., उ.प्र.	32.4	185,300
87.	अशोक मैटल्स, दिल्ली	12.5	76,915
88.	ओ.के. इंडस्ट्रीज, दिल्ली	12.5	76,915
89.	28 छोटे और मध्यम आकार के इंटरप्राइजिज ग्रुप प्रोजेक्ट	105.7	786,044
90.	देवीसन्स प्रा.लि., दिल्ली	15.3	129,882
91.	वारिवर प्लास्ट प्रोडेक्ट्स प्रा.लि., उ.प्र.	12.3	108,688
92.	सुपरटैक इंटरनेशनल, दिल्ली	10.6	94,018
93.	स्टैन्डर्ड इलैक्ट्रिक एप्पनलाइन्सिस, तमिलनाडु	10.0	88,294
94.	एन. डी. प्लास्टिक, दिल्ली	12.9	114,457
95.	प्राईमर्स मल्टीप्लास्ट प्रा.लि., दिल्ली	9.6	132,329
96.	डीलाईट फोम एंड पोलीमर, हरियाणा	11.2	213,380
97.	रिएक्टिव पोलीमर्स लि., गुजरात	29.6	400,218
98.	नेशनल प्लास्टिक, दमन	36.2	240,104
99.	टोक्यो प्लास्ट इंटरनेशनल लि., दमन	30.5	221,925
100.	क्रिसटल इलेक्ट्रोनिक्स एंड प्लास्टिक, उत्तर प्रदेश	18.3	139,378
101.	मयूर जग प्रा. लि., दिल्ली	16.9	134,936
102.	सनटैक इंडस्ट्रीज, पंजाब	14.7	130,064
103.	सैडल पोली प्रोडक्टस प्रा.लि., ए पी	15.2	134,568
*104.	लघु एवं मध्यम स्तर के 24 इंटरप्राईज	97.7	994,108
105.	हरजस प्लास्टिक एंड मेटल कम्पोनैंट प्रा.लि., महाराष्ट्र	20.2	278.416
106.	नौरंग प्लास्ट, दिल्ली	13.5	60,083
107.	16 स्प्रे फोम इंटरप्राईज	211.1	1,224,969
108.	क्राउन इंडस्ट्रीज, गुजरात	22.5	127,814
109.	एवर शाईन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, प्रा.लि., उत्तर प्रदेश	16.2	80,060
110.	रामाकृष्णा मोलडर्स, दिल्ली	15.7	88,681
111.	संजय इंडस्ट्रीज, पश्चिम बंगाल	15.7	112,183
112.	एनरटैक इंडस्ट्रीज प्रा.लि., ए.पी.	15.3	139,113
113.	एम प्लास्ट, दिल्ली	13.0	105,405

1	2	3	4
114.	रायपुर इंडस्ट्रीज, छत्तीसगढ़	16.3	163,361
115.	प्यारेलाल कोचर प्रोडक्टस लि., यू.पी.	18.5	189,141
116.	अल्का इंटरनेशनल लि., उत्तर प्रदेश	18.5	195,665
117.	एस आर पोली स्टील प्रा.लि., हरियाणा	14.9	163,058
118.	निन्द्रा फोम, दिल्ली	11.0	168,149
119.	आर एच इंडस्ट्रीज, पंजाब	11.3	173,901
120.	ण्नि,कल इंडस्ट्रीज लि., मध्य प्रदेश	13.0	210,623
121.	कूलवैल आटोमोबाइल इंजीनियर, हरियाणा	15.8	150,540
122.	जैसवाल इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली	13.1	171,839
123.	प्रीमियम मोलडिंग एंड प्रैसिंग प्रा. लि., हरियाणा	17.7	156,428
124.	साहनी सीटिंग सिस्टम, हरियाणा	28.0	273,029
*125.	सन स्टीरिंग वील्स लि., हरियाणा	15.6	163,148
126.	नेटप्लास्ट लि., उत्तर प्रदेश	18.0	200,263
127.	ग्रुप प्रोजेक्ट स्प्रे एंड इनसीटू इनसुलेशन 14 एंटरप्राइज	174.8	852,673
128.	एस आर पोलीमर एंड प्रिंटर, नई दिल्ली	19.6	107,352
129.	रूम प्लास्टिक प्रा. लि., राजस्थान	18.1	113,617
130.	अपोलो स्टील क्राफ्ट, दिल्ली	13.7	86,925
131.	17 स्माल एंड मीडियम साईज एंटरप्राईज	55.8	472,046
132.	सोल्वे मोलडिंग प्रा. लि., दादरा एवं नगर हवेली	26.1	222,480
133.	पोलीरब इंडस्ट्रीज, गुजरात	12.5	110,687
134.	प्रिंस प्लास्ट वेयर लि., दमन	9.4	83,631
135.	नंददीप साइबरोटैक प्रा. लि., महाराष्ट्र	11.3	100,034
136.	लीर इनसुलेखन इड. प्रा. लि., महाराष्ट्र	10.6	93,301
137.	एस्सा ऐरोकोन लि., दमन	13.9	122,986
138.	यू एन सी प्लास्ट इंडस्ट्रीज, नवी मुम्बई	11.4	101,256
139.	पोलीग्लास साइबर इंडस्ट्रीज प्रा.लि., नई दिल्ली	17.1	151,689
140.	कैरीएयर इक्युपमैंट इंडिया प्रा.लि., उत्तर प्रदेश	17.0	150,865
141.	भाटिया प्लास्टिक, नई दिल्ली	11.1	98,389

1	2	3	4
142.	फ्लैक्सो मोम प्रा. लि., हरियाणा	19.4	209,372
143.	मालविका पोलीमर, हरियाणा	20.0	222,169
*144.	न्युकोन रबर इंडस्ट्रीज प्रा. लि., हरियाणा	15.6	180,970
145.	सतलुज कोच प्रोडक्टस प्रा. लि., पंजाब	18.0	211,862
146.	वायकिंग इंजीनियर प्रा.लि., उत्तर प्रदेश	13.3	163,737
147.	ओटो इंडस्ट्रीज प्रा.लि., हरियाणा	12.7	157,879
*148.	प्रिसीजन इंजीनियरिंग टूल्स एंड कम्पोनेंट	22.0	226,319
*149.	प्रमुख पोलीमर	27.0	254,038
150.	एनके फोम प्रा.लि., उत्तर प्रदेश	16.6	183,443
151.	मनाली पैट्रोकैमीकल्स लि., मद्रास	490.0	700,000
152.	यू बी पैट्रोकैमिकल्स लि., मद्रास	464.0	585,684
153.	एक्सपैंडेड इनकारपोरेशन, मुम्बई	72.0	502,130
154.	पोलीमरमान (एशियार) प्रा.लि., मुम्बई	290.0	435,050
*155.	फोम सैक्टर में सी एफ सी को समाप्त करने के लिए सैक्टरल फेस आऊट प्लान जिसमें लघु मध्यम स्तर के 99 एंटरप्राईज शामिल हैं।	673.5	8,959,077
	कुल	5869.8	43,031,216

*चालू परियोजनाएं। शेष परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

हैलोन सेक्टर

क्र.सं.	इन्टरप्राईज का नाम	समाप्त की जाने वाली ओडीपी (टन)	अनुमोदित निधियां (अमेरिकी डालर)
1	2	3	4
1.	विजय फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लि., गुजरात	292.0	247,642
2.	नितिन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लि., महाराष्ट्र	212.0	187.374
3.	न्यू एज इंड., तमिलनाडु	116.0	149.440
4.	स्टील एज इंड., तमिलनाडु	116.0	149,064
5.	विमल इंडस्ट्रीयल सेफ्टी इक्पमेंट, बड़ोदा	133.0	210,352
6.	एटकिंग्स, न्यू दिल्ली	37.0	61,879
7.	अशोका इंजीनयरिंग कंपनी, नई दिल्ली	34.0	56,862
8.	स्टैंडर्ड कास्टिंग प्रा. लि., दिल्ली	64.1	103,960
9.	भारत इंजीनयरिंग वर्क्स महाराष्ट्र	49.5	82,784

1	2	3	4
10.	जनित फायर सर्विस, महाराष्ट्र	36.0	60,206
11.	न्यू फायर इंजीनियर्स प्रा. लि., महाराष्ट्र	120.0	146.900
12.	कासकेड काऊंसिल लि., नई दिल्ली	54.0	90,310
13.	कोवरजी देवसी एण्ड कंपनी प्रा. लि., महाराष्ट्र	25.5	42,646
*14.	एस आर एफ एण्ड एन एफ आई भारत में 2 संयंत्रों को बंद करने के लिए अम्ब्रेला परियोजना	556.0	2,834,000
*15.	नेशनल हैलोन मैनेजमेंट एंड बैंकिंग प्रोग्राम (कनाडा आस्ट्रेलिया)	427.2	515,970
	कुल	2289.3	4,939,389

*चालू परियोजनाएं। शेष परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

रेफ्रीजेरेशन एवं वातानुकूलित सेक्टर

क्र.सं.	इन्टरप्राईज का नाम	समाप्त की जाने वाली ओडीपी (टन)	अनुमोदित निधियां (अमेरिकी डालर)
1	2	3	4
1.	ब्लू स्टार लि., महाराष्ट्र	36.0	567,000
2.	शुभरोज लि. नई दिल्ली	84.0	1,710,000
3.	मेघदूत रेफ्रीजरेशन इंड., महाराष्ट्र	18.0	185,987
4.	वी कृष्णा एंड कंपनी, महाराष्ट्र	14.8	166,133
5.	फ्रीज–टेक प्रा. लि., महाराष्ट्र	11.5	150,200
6.	वी कृष्णा प्रा. लि., महाराष्ट्र	17.0	229,153
7.	रॉकवेल डिवाइसेस प्रा. लि., कर्नाटक	18.0	204,535
8.	रैवी रन रेफ्रीजरेान प्रा. लि., कर्नाटक	14.0	161,163
9.	सेतिया अपलाइन्सेस प्रा. लि. आं. प्र.	16.0	195,924
10.	सिपरा रेफ्रीजरेशन प्रा. लि., महाराष्ट्र	15.0	194,258
11.	शक्ति फेब्रीकरेटर्स, पंजाब	13.5	179,930
12.	सुपर कोल्ड रेफ्रीजरेशन सिस्टम, केरल	11.0	151,160
13.	मुरली रेफ्रीजरेशन एण्ड इंजीनयरिंग कंपनी, केरल	9.0	142,928
14	गोदरेज–जी ई एप्लाइंसेस लि., महाराष्ट्र	568.0	3,041,474
15.	स्टैंडर्ड रेफ्रीजरेशन एप्लाइंसेस, महाराष्ट्र	18.8	192,303
16.	पालर इंटरप्राइजेज, महाराष्ट्र	10.8	156,155

1	2	3	4
17.	रेफ्रीजरेटर्स एण्ड होम अप्लाइंसेस प्रा. लि., नई दिल्ली	11.3	166,449
18.	हिन्दुस्तान रेफ्रीजरेशन इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली	10.1	149,522
19.	रेफ्रीजरेशन कोमोपोनेंटस एण्ड एसेसरीज, नई दिल्ली	9.5	141,668
20.	शीतल इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि., गुजरात	8.87	144,222
21.	विडियोकोन एपलाइन्स लिमिटेड, महाराष्ट्र	351.7	2,706,290
22.	वोल्टास लिमिटेड, आंध्र प्रदेश	354.0	3,591,627
23.	इलेक्ट्रोलक्स–केलविनेटर लिमिटेड (महाराजा इन्टरनेशल लि.), राजस्थान	59.8	646,710
24.	प्रणव विकास इण्डिया लि., हरियाणा	–	1,067,753
25.	सनदेन विकास इण्डिया लि., हरियाणा	8.4	554,627
26.	आर के इण्डस्ट्रीज, गोवा	19.8	170,547
27.	साईकृपा इण्डस्ट्रीज, महाराष्ट्र	14.8	153,840
28.	सरकार रेफ्रीजरेशन इण्डस्ट्रीज, महाराष्ट्र	12.0	140,364
29.	सिदवाल रेफ्रीजरेशन, दिल्ली	11.7	197,658
30.	बी पी एल रेफ्रीजरेशन लि., कर्नाटक	136.0	1,163,161
31.	संदीप रेफ्रीजरेशन, महाराष्ट्र	9.9	121,683
32.	वर्लपूल ऑफ इण्डिया लि., हरियाणा	200.6	1,090,698
33.	फीडक्स् लोएड कोरपोरेश लि., यू.पी.	21.2	290,894
34.	सन्दलस एयर फोम सिस्टम प्रा. लि., पंजाब	23.3	258,224
35.	तीन कर्मिशयल रेफ्रीजरेशन एण्टरप्राईज की अमरेला परियोजना, दिल्ली	27.3	371,650
36.	कमर्शियल रेफ्रीजरेशन के नौ एन्टरप्राइजिज	53.5	886,262
37.	कमर्शियल रेफ्रीजरेशन के पांच एन्टरप्राइजिज	22.0	365,699
38.	कमर्शियल रेफ्रीजरेशन के लिए पांच उद्यम	56.5	816,357
39.	कमर्शियल रेफ्रीजरेशन के लिए चौदह उद्यम	68.0	1,075,708
40.	आइस–मेक रेफ्रीजरेशन	12.4	177,755
41.	कोणार्क रेफ्रीजरेशन एप्लांयसिस	13.1	206,433
42.	सुब्रोस लि., नई दिल्ली (चरण–II)	–	1,404,588
*43.	रेफ्रीजरेशन (निर्माण) क्षेत्र में सी एफ सी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की योजना	732.0	3,721,623
*44.	रेफ्रीजरेशन सर्विस सेक्टर में राष्ट्रीय सी एफ सी खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की योजना पर ध्यान देना (यू एन डी पी, स्विट्जरलैण्ड, जर्मनी, यू एन ई पी)	1006	2,445,223

1	2	3	4
45.	श्रीराम इण्डस्ट्रियल एन्टरप्राइज लि., हैदराबाद	18.0	685,000
46.	किर्लोस्कर कोपलैण्ड लि., कराड, महाराष्ट्र	125.5	547,900
47.	फ्रीजिंग इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली	35.0	240,500
48.	गोदरेज जी.ई. (कम्प्रैशर), महाराष्ट्र	71.7	2,285,500
	कुल	4388.6	35,762,450

*चालू परियोजनाएं। शेष परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

सोलवेन्ट सेक्टर

क्र.सं.	इन्टरप्राईज का नाम	समाप्त की जाने वाली ओडीपी (टन)	अनुमोदित निधियां (अमेरिकी डालर)
1	2	3	4
1.	आई टी आई, मानकपुर, उ.प्र.	36.0	689,481
2.	हिन्दुस्तान सिरिंज व मेडीकल डिवाइस प्रा. लि., हरियाणा	53.2	481,000
3.	इलेक्ट्रानिक्स रिसर्च लि., बंगलौर, कर्नाटक	17.5	217,436
4.	आई टी आई, पल्काड, केरल	15.0	266,391
5.	आई टी आई, बंगलौर, कर्नाटक	7.0	121,988
6.	मोदी जेरोक्स, उत्तर प्रदेश	6.1	147,825
7.	मल्होत्रा सेविंग प्रोडक्ट लि., आंध्र प्रदेश	17.0	288,277
8.	हरिवंश लाल मल्होत्रा एण्ड संस लि., पश्चिम बंगाल	16.0	349,056
9.	विद्युत मैटेलिक्स लि., महाराष्ट्र	19.7	254.761
10.	माइक्रोराज इलेक्ट्रानिक प्रा. लि., आंध्र प्रदेश	4.3	96,537
11.	वीडियोकान ग्रुप, गुजरात	7.2	265,525
12.	एक्सल इंडस्ट्रीज लि., गुजरात	375.0	413,580
13.	ब्लूस्टार लि., महाराष्ट्र	6.6	85,911
14.	अल्फा ड्रग इंडिया लि., पंजाब	69.7	169,205
15.	डा. आर्गेनिक कैमिकल्स लि., आंध्र प्रदेश	94.6	362,616
16.	स्वीसलैवस लि., रानीपेट, तमिलनाडु	53.2	281,785
17.	सत्यदीपता फार्मास्युटिकल प्रा. लि., कर्नाटक	27.9	293,950
18.	सपना कायल, महाराष्ट्र	22.8	276,877
19.	इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज, महाराष्ट्र	20.2	269,817

1	2	3	4
20.	सपना इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र	14.5	271,692
*21.	प्रदीप सेट्टी लि., महाराष्ट्र	133.9	315,271
*22.	बैंजोकेमिकल्स इन्डस्ट्रीज, महाराष्ट्र	23.0	154,568
*23.	एफ डी सी लि. महाराष्ट्र	34.1	269,359
24.	जी आर डी कैमिकल्स लि., मध्य प्रदेश	17.9	144,264
25.	ऋषिरूप आर्गेनिक्स प्रा. लि. एवं ऋषिरूप पालीमर प्रा. लि., गुजरात	248.8	2,312,473
26.	चिपलन फाईन केमिकल्स लि., महाराष्ट्र	16.7	176,088
27.	अमोली आरगेनिक्स लि.	38.5	435,465
*28.	नवद्वीप इंजीनियरिंग, पलघर, महाराष्ट्र	53.9	744,645
*29.	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि. बंगलौर	16.0	164,907
		1467.3	10,320,750

*चालू परियोजनाएं। शेष परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

सी एफ सी सेक्टर

क्र.सं.	इन्टरप्राईज का नाम	समाप्त की जाने वाली ओडीपी (टन)	अनुमोदित निधियां (अमेरिकी डालर)
1.*	भारत में चार सी एफ सी उत्पादकों द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को चरणबद्ध रूप से धीरे–धीरे समाप्त करना	22,588	82,000,000

*चालू परियोजनाएं।

सी टी सी सेक्टर

क्र.सं.	इन्टरप्राईज का नाम	समाप्त की जाने वाली ओडीपी (टन)	अनुमोदित निधियां (अमेरिकी डालर)
1.*	नॉन फीड बैक अनुप्रयोग के लिए सी टी सी के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए अम्ब्रेला परियोजनाएं	23,058	52,000,000

*चालू परियोजनाएं।

भारत में ओजोन ह्रास को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए मान्ट्रियल प्रोटोकाल की बहुपक्षीय नीति द्वारा सेक्टर वार अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	सेक्टर	अनुमोदित परियोजना की संख्या	पूरी हो चुकी परियोजना की संख्या	अनुमोदि राशि (अमरीकी डालर)	चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने वाले ओजोन ह्रास पदार्थ (टन में)
1	2	3	4	5	6
1.	ऐरोसोल	23	21	3,174,582	873.0

1	2	3	4	5	6
2.	फोम	155	148	43,031,216	5869.8
3.	हैलोन	15	13	4,939,389	2289.3
4.	रेफ्रीजरेशन एवं वातानुकूलित	48	46	35,614,438	4379.2
5.	सोलवेन्ट	29	24	10,320,750	1467.3
6.	क्लोफ्लोरोकार्बन	1	–	82,000,000	22,588
7.	कार्बनटेट्राक्लोराइड	1	–	52,000,000	23,058
		272	252		60,524.6
8.	सहायक कार्य	80	18	9,690,060	–
	कुल	352	269	231,080.375	60,524.6

उड़ीसा में तिलहन और सब्जी परियोजनाओं की स्थापना

2797. श्री विक्रम केशरीदेव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन डी डी बी) ने उड़ीसा में तिलहन एवं सब्जी परियोजनाओं की स्थापना के लिए वर्ष 1986 में उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना के दूसरे चरण का विस्तार कालाहांडी, कोरापुट, बोलंगीर और फूलबनी जिलों तक किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना को कब शुरू किए जाने एवं पूरा किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कालाहांडी, कोरापुट, फूलबनी तथा बोलंगीर परियोजनाओं को सिद्धांत रूप में जारी आवंटित निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

उड़ीसा सरकार तथा भारत सरकार का अंशदान	579.80 लाख रुपये
एनडीडीबी वित्तपोषण–ऋण	922.60 लाख रुपये
एनडीडीबी वित्तपोषण–अनुदान	1199.80 लाख रुपये
एनडीडीबी की शेयर पूंजी तथा कार्यकारी पूंजी	323.90 लाख रुपये
कुल	3027.10

(ङ) आवंटित धनराशि के लिए एनडीडीबी की सिद्धांत रूप में स्वीकृति मिलने के बाद यह परियोजना अगस्त, 1991 में शुरू हुई। वित्तपोषण 1997 तक जारी रहा। परियोजना संचालन में है।

[हिन्दी]

सेल से बीएसपी को अलग करना

2798. श्री अजीत जोगी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.) से छत्तीसगढ़ स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र को पृथक करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिए गए?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया गया।

कृषि श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं

2799. श्री काशीराम राणा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कृषि श्रमिकों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा की तर्ज पर अलग से चिकित्सा सुविधा लागू करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस श्रेणी की चिकित्सा आवश्यकता की पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) खेतिहर मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए श्रम व रोजगार मंत्रालय किसी योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है। किन्तु असंगठित क्षेत्र की कुछ श्रेणियों जैसे–बीड़ी लपेटने, कतिपय कोयला खानों में कार्यरत श्रमिकों, सिने कामगारों के लिए संबंधित कल्याण निधियों के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाली कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। पुनर्नामित सर्वजन स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है जिनमें खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं। इस योजना के तहत खेतिहर मजदूरों को व्यक्तिगत रूप से 165/– रुपये, पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए 248/– रुपये और सात व्यक्तियों वाले परिवार के लिए 330/– रुपये का आर्थिक सहायता के रूप में वार्षिक प्रीमियम देना होता है। योजनान्तर्गत, फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार 30,000/– रुपये तक के अस्पताल व्यय की प्रतिपूर्ति और दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में 25,000/– रुपये के कवरेज की व्यवस्था है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जहां तक दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के अस्पतालों जैसे डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली और जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी का संबंध है, आम लोगों के साथ–साथ खेतिहर मजदूरों का भी मुफ्त इलाज किया जाता है। अन्य के साथ–साथ खेतिहर मजदूर भी देशभर के राज्य/जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप–केंद्र स्तर पर चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाते रहे हैं।

बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलना

2800. श्री रामजी लाल सुमन :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं योजना में देश में बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य के अनुसार कितने भू–क्षेत्र को कृषि योग्य बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) मार्च, 2004 तक लक्ष्य के अनुसार राज्यवार कितना भू–क्षेत्र कृषि योग्य बनाया गया है; और

(घ) दसवीं योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने हेतु अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। देश में बंजर भूमि सहित अवक्रमित भूमि के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 209.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का विकास प्रस्तावित है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत दसवीं योजना के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

कृषि एवं सहकारिता विभाग

	(लाख हेक्टेयर)
(i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास योजना	20.00
(ii) नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	7.30
(iii) ऊसर मृदा का सुधार	1.30
(iv) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास	0.80
भूमि संसाधन विभाग	
(v) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	68.00
(vi) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	44.00
(vii) मरुस्थल विकास कार्यक्रम	68.00
कुल	209.04

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान विकसित बंजर भूमि सहित अवक्रमित भूमि तथा व्यय की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I से VII में दिया गया है।

विवरण-I

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों (2002–03 तथा 2003–04) के दौरान उपचारित क्षेत्र एवं व्यय की गई राज्यवार धनराशि

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में) (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	उपचारित क्षेत्र	व्यय की गई राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.11	4.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.02	1.35
3.	असम	0.06	2.88
4.	बिहार	0.00	0.02
5.	छत्तीसगढ़	0.26	11.60
6.	गोवा	0.01	0.89
7.	गुजरात	0.25	12.97
8.	हरियाणा	0.02	1.46
9.	हिमाचल प्रदेश	0.02	1.82
10.	झारखण्ड	0.14	15.62
11.	जम्मू–कश्मीर	0.00	0.06
12.	कर्नाटक	0.20	25.20
13.	केरल	0.00	1.46
14.	मध्य प्रदेश	0.56	18.19
15.	महाराष्ट्र	0.24	15.38
16.	मणिपुर	0.03	2.37
17.	मेघालय	0.13	7.76
18.	मिजोरम	0.10	7.70
19.	नागालैंड	0.09	5.30
20.	उड़ीसा	0.24	9.90
21.	पंजाब	0.01	0.68
22.	राजस्थान	1.23	64.25
23.	सिक्किम	0.04	2.81
24.	तमिलनाडु	0.65	29.33
25.	त्रिपुरा	0.07	4.84
26.	उत्तर प्रदेश	0.34	20.70
27.	उत्तरांचल	0.21	14.21
28.	पश्चिम बंगाल	0.01	0.43
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01	0.69
	कुल	5.05	284.78

विवरण-II

नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा सर्वेक्षण के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों (2002–03 तथा 2003–04) के दौरान उपचारित क्षेत्र एवं व्यय की गई राज्यवार धनराशि

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में) (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	उपचारित क्षेत्र	व्यय की गई राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.19	15.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3.	असम	0.02	1.48
4.	बिहार	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.08	2.81
6.	गोवा	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.12	10.80
8.	हरियाणा	0.10	3.17
9.	हिमाचल प्रदेश	0.08	11.92
10.	झारखण्ड	0.00	0.00
11.	जम्मू–कश्मीर*	0.10	10.09

1	2	3	4
12.	कर्नाटक	0.82	25.16
13.	केरल	0.04	4.03
14.	मध्य प्रदेश	0.51	20.49
15.	महाराष्ट्र	0.34	25.53
16.	मणिपुर	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.02	2.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.04	1.58
21.	पंजाब	0.00	0.00
22.	राजस्थान	0.45	31.10
23.	सिक्किम	0.002	0.20
24.	तमिलनाडु	0.08	10.83
25.	त्रिपुरा	0.008	0.94
26.	उत्तर प्रदेश	0.61	31.85
27.	उत्तरांचल	0.06	4.54
28.	पश्चिम बंगाल	0.02	2.85
29.	डी.वी.सी.	0.21	22.30
	कुल	3.90	239.58

*जम्मू–कश्मीर राज्य के लिए प्रधान मंत्री जी के विशेष पैकेज सहित।

विवरण-III

ऊसर मृदा के सुधार (आर.ए.एस.) के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों (2002–03 तथा 2003–04) के दौरान उपचारित क्षेत्र एवं व्यय की गई राज्यवार धनराशि

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में) (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	उपचारित क्षेत्र	व्यय की गई राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश		
2.	अरुणाचल प्रदेश		
3.	असम		
4.	बिहार		
5.	छत्तीसगढ़		
6.	गोवा		
7.	गुजरात	0.08	3.76
8.	हरियाणा	0.22	6.18
9.	हिमाचल प्रदेश		
10.	झारखण्ड		
11.	जम्मू–कश्मीर		
12.	कर्नाटक	0.02	2.54
13.	केरल		
14.	मध्य प्रदेश		
15.	महाराष्ट्र		
16.	मणिपुर		
17.	मेघालय		
18.	मिजोरम		
19.	नागालैंड		
20.	उड़ीसा		
21.	पंजाब	0.01	0.20
22.	राजस्थान	0.08	1.20
23.	सिक्किम		
24.	तमिलनाडु	0.01	
25.	त्रिपुरा		
26.	उत्तर प्रदेश	0.01	0.09
27.	उत्तरांचल		
28.	पश्चिम बंगाल		
	कुल	0.43	13.99

विवरण-IV

झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों (2002–03 तथा 2003–04) के दौरान उपचारित क्षेत्र एवं व्यय की गई राज्यवार धनराशि

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में) (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	उपचारित क्षेत्र	व्यय की गई राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश		
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.02	1.78
3.	असम	0.09	7.55
4.	बिहार		
5.	छत्तीसगढ़		
6.	गोवा		
7.	गुजरात		
8.	हरियाणा		
9.	हिमाचल प्रदेश		
10.	झारखण्ड		
11.	जम्मू–कश्मीर		
12.	कर्नाटक		
13.	केरल		
14.	मध्य प्रदेश		
15.	महाराष्ट्र		
16.	मणिपुर	0.05	3.41
17.	मेघालय	0.04	5.50
18.	मिजोरम	0.09	9.70
19.	नागालैंड	0.08	7.50
20.	उड़ीसा		5.44
21.	पंजाब		
22.	राजस्थान		
23.	सिक्किम		
24.	तमिलनाडु		
25.	त्रिपुरा	0.05	
26.	उत्तर प्रदेश		
27.	उत्तरांचल		
28.	पश्चिम बंगाल		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		
	कुल	0.42	40.88

विवरण-V

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों (2002–03 तथा 2003–04) के दौरान उपचारित क्षेत्र एवं व्यय की गई राज्यवार धनराशि

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में) (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	उपचारित क्षेत्र	व्यय की गई राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.72	48.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.86	8.10
3.	असम	1.74	31.70
4.	बिहार	0.45	4.37
5.	छत्तीसगढ़	0.40	17.48
6.	गोवा	0.10	0.82
7.	गुजरात	0.57	32.28
8.	हरियाणा	0.20	5.95
9.	हिमाचल प्रदेश	0.43	28.50
10.	झारखण्ड	0.33	3.14
11.	जम्मू–कश्मीर	0.05	4.63

1	2	3	4
12.	कर्नाटक	0.514	37.14
13.	केरल	0.15	4.11
14.	मध्य प्रदेश	0.94	59.55
15.	महाराष्ट्र	0.45	16.57
16.	मणिपुर	0.74	9.55
17.	मेघालय	0.28	4.67
18.	मिजोरम	0.80	17.68
19.	नागालैंड	0.97	36.09
20.	उड़ीसा	0.38	28.25
21.	पंजाब	0.00	0.51
22.	राजस्थान	0.45	28.69
23.	सिक्किम	0.18	4.53
24.	तमिलनाडु	0.55	28.31
25.	त्रिपुरा	0.00	0.32
26.	उत्तर प्रदेश	0.65	36.31
27.	उत्तरांचल	0.38	7.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.10	0.82
	कुल	13.384	505.47

विवरण-VI

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों (2002–03 तथा 2003–04) के दौरान उपचारित क्षेत्र एवं व्यय की गई राज्यवार धनराशि

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में) (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	उपचारित क्षेत्र	व्यय की गई राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.89	97.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00
4.	बिहार	0.60	5.73
5.	छत्तीसगढ़	1.16	29.29
6.	गोवा	0.00	0.00
7.	गुजरात	2.45	66.36
8.	हरियाणा	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.45	9.00
10.	झारखण्ड	1.82	17.66
11.	जम्मू–कश्मीर	0.66	6.45
12.	कर्नाटक	2.19	54.81
13.	केरल	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	2.67	97.43
15.	महाराष्ट्र	2.98	27.79
16.	मणिपुर	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	1.53	19.55
21.	पंजाब	0.00	0.00
22.	राजस्थान	1.04	34.10
23.	सिक्किम	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	1.52	34.61
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	1.59	32.16
27.	उत्तरांचल	0.93	8.50
28.	पश्चिम बंगाल	0.52	3.51
	कुल	25.00	544.87

विवरण-VII

मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों (2002–03 तथा 2003–04) के दौरान उपचारित क्षेत्र एवं व्यय की गई राज्यवार धनराशि

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में) (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	उपचारित क्षेत्र	व्यय की गई राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.10	17.79
2.	अरुणाचल प्रदेश		
3.	असम		
4.	बिहार		
5.	छत्तीसगढ़		
6.	गोवा		
7.	गुजरात	2.87	90.30
8.	हरियाणा	1.19	37.30
9.	हिमाचल प्रदेश	0.61	16.38
10.	झारखण्ड		
11.	जम्मू–कश्मीर	0.59	20.29
12.	कर्नाटक	1.69	37.32
13.	केरल		
14.	मध्य प्रदेश		
15.	महाराष्ट्र		
16.	मणिपुर		
17.	मेघालय		
18.	मिजोरम		
19.	नागालैंड		
20.	उड़ीसा		
21.	पंजाब		
22.	राजस्थान	7.79	180.40
23.	सिक्किम		
24.	तमिलनाडु		
25.	त्रिपुरा		
26.	उत्तर प्रदेश		
27.	उत्तरांचल		
28.	पश्चिम बंगाल		
	कुल	15.80	399.79

अतिथि देवो भव

2801. प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्रीमती अनुराधा चौधरी :
श्री मो. ताहीर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अतिथि देवो भव नामक अभियान शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अभियान हेतु चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2004–05 के दौरान एक अभियान "अतिथि देवो भव" पहले ही चालू कर दिया गया है।

(ख) "अतिथि देवो भव" एक जागरूकता अभियान है जिसका उद्देश्य यहां आने वाले पर्यटक को यह अनुभूति प्रदान करना है कि उसका इस देश द्वारा और इस देश में स्वागत है। इस अभियान का आमतौर पर लक्ष्य आम जनता है जबकि विशेष रूप से इसका लक्ष्य पर्यटन उद्योग के स्टेक होल्डर्स हैं। टैक्सी ड्राइवरों, गाइड्स, आप्रवासन अधिकारियों, पर्यटक पुलिस तथा पर्यटकों के साथ सीधे सम्पर्क में आने वाले अन्य कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा इसके साथ–साथ प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए एक ब्रांड इक्विटी का निर्माण करना इस अभियान के मुख्य घटक हैं। "अतिथि देवो भव" में भारत के पर्यटन उद्योग के प्रमुख स्टेक होल्डर्स को संवेदनशील बनाना उनकी स्क्रीनिंग कर उन्हें शामिल करना, उनका प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण, प्रमाणीकरण तथा फीडबैक शामिल हैं। लगभग 26,300 स्टेक होल्डरों जिनमें टैक्सी ड्राइवर, कुली, सिक्योरिटी

स्टाफ, आप्रवासन एवं कस्टम स्टाफ, रेलवे कर्मचारी शामिल हैं, को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस अभियान के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 497 लाख रुपयों का आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

पौधरोपण क्षेत्र में लघु कृषकों हेतु बीमा योजना

2802. श्री डी. विट्टल राव :
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना के अन्तर्गत पौध रोपण क्षेत्र में लघु किसानों हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) चाय, कॉफी, रबड़ तथा तम्बाकू की खेती करने वाले जिन छोटे किसानों को मूल्य स्थिरीकरण कोष (पी.एस. एफ.) के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है, उन्हें उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वैयक्तिक दुर्घटना बीमा में कवर किया गया है।

वैयक्तिक दुर्घटना बीमा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- बीमे में बाह्य घातक तथा देखे जा सकने वाले साधनों जैसे आग, डूबने, सर्पदंश, सड़क/रेल दुर्घटना, बिजली का करंट लगने, वन्य पशुओं के हमले से हुई मृत्यु/विकलांगता को कवर किया गया है। बंध्यकरण जोखिम को भी कवर किया गया है।

- (क) जानबूझकर स्वयं को चोट पहुंचाने, आत्महत्या, पागलपन, मद्यपान (ख) अपराधिक नीयत से कानून तोड़ने तथा (ग) युद्ध अथवा युद्ध सदृश्य स्थितियों एवं/अथवा नाभिकीय साधनों से हुई मृत्यु, चोट अथवा विकलांगता को बीमा कवर के दायरे से बाहर रखा गया है।

- कवर की गुंजाइश इस प्रकार है :

(क) दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु	25,000/– रु.
(ख) दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थाई पूर्ण विकलांगता	2,500/– रु.
(ग) एक आंख अथवा एक हाथ/पैर का नुकसान	12,500/– रु.
(घ) दोनों हाथ/पैरों, एक आंख तथा एक हाथ/पैर अथवा दोनों आंखों का नुकसान	25,000/– रु.

- बीमा कवरेज युनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

समेकित डेयरी विकास परियोजनाओं की उपलब्धियां

2803. श्री रघुनाथ झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़, पर्वतीय तथा पिछड़े गैर–प्रचालन क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजनाओं (आईडीडीपी) की उपलब्धियां लक्ष्य से काफी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या आईडीडीपी के अन्तर्गत चुने गए क्षेत्रों में पशुपालन तथा डेयरी कार्य के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं है या बहुत कम है; और

(च) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (च) गैर–ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में आईडीडीपी को जैसा कि नाम से स्पष्ट है ऐसे पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है जहां पशुपालन तथा डेयरी के लिए बहुत ही कम या कोई ढांचागत सुविधाएं नहीं हैं। 9.37 लाख कृषक सदस्यता के साथ 13,941 ग्रामीण स्तर की डेयरी सहकारिता सोसाइटियों (डीसीएस) को बनाने के संचयी लक्ष्य की तुलना में 30.9.04 तक 6.66 लाख कृषक (71.1 प्रतिशत) सदस्यता के साथ 11,194 डीसीएस (89.3 प्रतिशत) गठित की गई है। ढांचागत सुविधाओं को बनाने सहित इन क्षेत्रों के सभी घटकों के लिए भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान आधार पर सहायता दी जा रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान आईडीडीसी स्कीम के तहत जारी निधि

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त राशि 2001–02	निर्मुक्त राशि 2002–03	निर्मुक्त राशि 2003–04
1.	अंडमान एवं निकोबार	45.00	25.00	22.00
2.	आंध्र प्रदेश	–		150.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	–		14.20
4.	असम	149.34		
5.	बिहार	64.47	56.79	100.00
6.	झारखंड	–	160.00	99.91
7.	हरियाणा	38.75		
8.	हिमाचल प्रदेश	200.00	100.00	50.75
9.	जम्मू–कश्मीर	–	40.00	
10.	मध्य प्रदेश	–	98.79	
11.	छत्तीसगढ़	479.20	29.52	
12.	महाराष्ट्र	500.00	200.00	
13.	मेघालय	–		50.00
14.	मिजोरम	59.17	72.41	
15.	नागालैंड	132.07		
16.	उड़ीसा	–	288.21	
17.	सिक्किम	84.98	90.82	324.80
18.	त्रिपुरा	56.51		
19.	उत्तर प्रदेश	217.58		325.09
20.	उत्तरांचल		476.59	483.00
	कुल	2027.07	1613.13	1619.75

खेती के लिए गेहूं/आम की किस्में

2804. श्री बालासाहिब विखे पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) ने खेती के लिए गेहूं की छः तथा आम की पांच किस्में जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फसलों की विभिन्न किस्मों में सुधार लाने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई योजना विद्यमान हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) वर्ष 2004 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की पांच किस्में नामतः एच.डी.–2864, एच.आई.–2826, एच.डब्ल्यू.–5001, एच.डी.–2851 और पूसा गोल्ड विकसित की हैं। वर्ष 2002 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए आम की दो किस्में नामतः पूसा अरूणिमा और पूसा सूर्य विकसित की हैं।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान समय–समय पर फसलीय किस्मों को सुधारने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु लघु अवधि के अनेक प्रशिक्षणों का आयोजन करता है।

राज्यों में कटावरोधी कार्य

2805. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री किरिप चालिहा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तटीय क्षेत्रों तथा अन्य गंगा बेसिन राज्यों को खतरनाक कटावरोधी कार्यों के तहत सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के दक्षिण समुद्र तटीय क्षेत्रों में हाल ही में आई सुनामी लहरों के बाद उक्त योजना में कुछ परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तटीय राज्यों में समुद्री कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) मार्च 2004 में प्रायोगिक आधार पर

शुरू की गई "तटीय और गंगा बेसिन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य" नामक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में सहायता मुहैया कराती है। विभिन्न राज्य सरकारों को मुहैया कराई गई सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	
		2003–04	2004–05
1.	कर्नाटक	0.50	–
2.	केरल	0.50	–
3.	उड़ीसा	0.50	–
4.	महाराष्ट्र	–	1.00
5.	तमिलनाडु	–	1.00
6.	पांडिचेरी	–	1.00
	कुल	1.50	3.00

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बीज विकास कार्यक्रम के लिए धनराशि

2806. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी कृषि फार्मों में बीज विकास कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को विशेषकर कर्नाटक को उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2004–05 के दौरान उक्त कार्यक्रम के तहत इन राज्यों को विशेषकर कर्नाटक को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) घाटे में चल रहे कृषि फार्मों की विशेषकर कर्नाटक में संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) राज्य–वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

बीज विकास कार्यक्रम के लिए राज्यवार धनराशि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी कृषि फार्मों में बीज विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि	2004–05 के दौरान प्रदत्त राशि	घाटे में चल रहे कृषि फार्मों की कुल सं.	किए गए उपचारात्मक उपाय
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	4	संबंधित अधिकारी पर जिम्मेवारी निर्धारित की गई। आकस्मिकता से बचने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं दी गईं।
2.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	22	ये फार्म उचित मूल्य पर किसानों के लिए गुणवत्ताप्रद प्रमाणित बीज का उत्पादन करने के लिए मॉडल फार्म के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे पूर्णतया वाणिज्यिक आधार पर कार्य नहीं कर रहे हैं। ये फार्म पिछले वर्षों के दौरान लगातार सूखे की

1	2	3	4	5	6
					स्थिति के कारण नुकसान में चलते हैं। सिंचाई सुविधाएं अर्थात कुओं को गहरा करने, छिड़काव आदि के सुधार के लिए उपाय किए जा रहे हैं। व्यय को कम करने और प्राप्तियों को बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कृषि आय को बढ़ाने के लिए जेट्रोपा और सिमारूबा जैसे पौधों को लगाकर बंजर भूमि का विकास शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
	तमिलनाडु (बागवानी)	शून्य	शून्य	18	उन्नत किस्मों के पौधों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्मों के अन्तर्गत मदर प्लांट एरिया बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अनुत्पादक क्षेत्रों को उत्पादक क्षेत्रों में बदलने के कदम उठाए जा रहे हैं। हाइटैक बागवानी तकनीकों का कुशलता पूर्वक अनुसरण करने और व्यय को न्यूनतम करने और प्राप्तियों को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
3.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	198	12 फार्मों को वित्तीय सहायता दी गई है। कृषि फार्मों की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और कुशल उपयोग के लिए राष्ट्रीय एवं कृषि ग्रामीण विकास बैंक के जरिए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के अधीन वित्तीय सहायता देने की पहल की जा रही है।
4.	केरल	2001–02 रु. 5.07 लाख 2002–03 रु. 30.52 लाख 2003–04 रु. 106.93 लाख	रु. 152.88 लाख	57	जिला पंचायतों और कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से परिप्रेक्ष्य मास्टर योजना तैयार की गई है। उचित दरों पर किसानों को अधिक मूल्य देने वाली फसलों की गुणवत्ताप्रद पौध–रोपण सामग्रियां मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य के चयनित फार्मों में वनिला, आर्थुरियम जैसे टिशूकल्चर प्लांटलेट की हार्डेनिंग यूनिट और आरकैड स्थापित किए जा रहे हैं। फार्म को लाभप्रद बनाने के लिए संतरा और सब्जी फार्म, नेलियामपथी, पालाकाड जिले में वाणिज्यिक पुष्पकृषि प्रारंभ की गई है। फल प्रसंस्करण यूनिट

1	2	3	4	5	6
					का प्रस्तावित आधुनिकीकरण फार्म की प्राप्तियों में वृद्धि करेगा। पांच वर्ष की योजना तैयार कर ली गई है तथा चयनित फार्मों में जैव कृषि शुरू करने का और हाल ही में निर्मुक्त की गई किस्मों की अधिक उपज देने वाली पौध सामग्रियों और बीजों के विकास और बहुलीकरण का प्रस्ताव है।
5.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	4	ये फार्म प्रदर्शन/प्रयोगात्मक/बीज उत्पादन प्रयोजन आदि के लिए न कि वाणिज्यिक उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं।
6.	मणिपुर	2001–02 शून्य 2002–03 रु. 22.00 लाख 2003–04 रु. 33.00 लाख	रु. 28.86 लाख	10	मैक्रो मैनेजमेंट के अधीन केवल आर्थिक रूप से व्यवहार्य फार्मों पर ही ध्यान दिया जाता है।
7.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	यह प्रश्न नहीं उठता।
8.	मिजोरम	रु. 72.00 लाख	रु. 3.00 लाख	शून्य	यह प्रश्न नहीं उठता।
9.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	यह प्रश्न नहीं उठता।
10.	हिमाचल प्रदेश	2001–02 रु. 21.60 लाख 2002–03 रु. 46.31 लाख 2003–04 रु. 39.46 लाख	रु. 79.38 लाख	21	बीज फार्म केवल लाभार्जन के लिए नहीं हैं अपितु गुणवत्ताप्रद बीज उत्पादन के लिए है तथापि फसलोत्पादन के लिए राज्य कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के प्रयास किए गए हैं।
11.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	यह प्रश्न नहीं उठता।
	हरियाणा (बागवानी)	2003–04 रु. 12 लाख	रु. 14 लाख	2 फार्म घाटे में चल रहे हैं तथा 17 फार्मों के लाभ और हानि के लेखों की तैयारी प्रगति पर है और वास्तविक स्थिति बाद में स्पष्ट होगी।	इन फार्मों पर अवसंरचना सृजन जैसे नवीनतम मशीनरी और औजार, बाड़ लगाना, सिंचाई सुविधाएं, नए बाग लगाना, बेकार के खर्च कम करना, उत्कृष्ट फल पौध सामग्री का अधिकतम संख्या में उत्पादन तथा उन्नत फसल योजनाओं को अपनाना के द्वारा इन नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण।
12.	कर्नाटक	2001–02 रु. 50 लाख 2002–03 रु. 30 लाख 2003–04 रु. 30 लाख	रु. 20 लाख	49	5 फार्मों को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर/धारवाड़ में स्थानान्तरित कर दिया गया तथा तीन फार्मों को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलौर/धारवाड़ में स्था–नान्तरित करने का प्रस्ताव है। राजस्व विभाग, वन विभाग और कर्नाटक बागवानी

1	2	3	4	5	6
					बोर्ड प्रत्येक में एक–एक कृषि फार्म पहले ही स्थानान्तरित कर दिया गया है। कर्नाटक राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, कावाडा, कावेरी जल निगम, थाराबालू संगठन तथा कर्नाटक चीनी फैक्ट्री प्रत्येक को एक–एक कृषि फार्म स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है। बेरोजगार कृषि स्नातकों/ निजी संगठनों को पट्टे के आधार पर हस्तांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित 17 कृषि फार्मों के लिए कर्नाटक सरकार का अनुमोदन प्रतीक्षित है।
13.	उड़ीसा	2001–02 रु. 7.00 लाख 2002–03 रु. 6.53 लाख 2003–04 रु. 5.72 लाख	शून्य	4	सरकार ने घाटे में चल रहे फार्मों को बेचने के लिए अंतिम निर्णय पर पहुंचने हेतु फार्म क्रियाकलापों की समीक्षा करने के लिए उड़ीसा कृषि विभाग में निदेशक, पनधारा मिशन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
14.	मध्य प्रदेश	2000–01 से 2003–04 रु. 407.60 लाख	रु. 56.67 लाख	25	उत्पादकता को बढ़ाने हेतु पर्याप्त उप–चारात्मक उपाय पहले ही कर लिए गए हैं।
15.	छत्तीसगढ़	2001–02 रु. 30.00 लाख 2002–03 रु. 15.00 लाख 2003–04 रु. 25.00 लाख	रु. 55.00 लाख	13	सभी फार्मों के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार कर ली गई है, वर्ष 2003–04 से 2009–10 तक के लिए बीज रोलिंग योजनाएं तैयार कर ली गई हैं तथा रोलिंग योजना के अनुसार फार्मों पर बीज बहुली–करण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
					सरकारी फार्मों को सुदृढ़ बनाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत नए ट्रैक्टरों, फार्म उप–करणों, अवसंरचना के विकास तथा सिंचाई संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा।
					फार्म में ही विशेषज्ञ पर्यवेक्षण में बीज प्रसंस्करण, ग्रेडिंग तथा पैकिंग की जाएगी ताकि बीज उत्पादों के लाभकारी मूल्य प्राप्त किए जा सकें।
16.	महाराष्ट्र	2003–04 रु. 200 लाख	रु. 200 लाख	64	सरकार ने इन फार्मों को कृषि–पालि–क्लिनिक–सह–कृषक प्रशिक्षण केन्द्र में

1	2	3	4	5	6
					परिवर्तित करने का निर्णय लिया है ताकि किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, फसल उत्पादन की नवाचार कृषि तकनीकों संबंधी प्रदर्शन आयोजित करने, जल एकत्रीकरण, जैव–उर्वरकों के उपयोग तथा समेकित कीट प्रबंध, ग्रीन हाउस, आर्गेनिक एवं सुव्यवस्थित खेती संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सके। फार्मों का उपयोग सेवा एवं किसानों के सेवा एवं प्रौद्योगिकी अंतरण के रूप में किया जाता है।
17.	अंडमान एवं निकोबार	शून्य	शून्य	इन 33 फार्मों के लाभ/ हानि का आकलन नहीं किया गया क्योंकि इन द्वीपसमूह के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन/परीक्षण के उद्देश्य से इन फार्मों को बनाया गया था।	प्रश्न नहीं उठता।
18.	राजस्थान	2003–04 रु. 438.59 लाख	रु. 493.39 लाख	शून्य	कोई नहीं।
19.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	झारखण्ड	2001–02 रु. 90.00 लाख 2002–03 रु. 137.52 लाख 2003–04 रु. 125.97 लाख	शून्य	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।	बीज बहुलीकरण की राज्य योजना स्कीम 105 बीज बहुलीकरण बीज फार्मों में प्रगति में है।
21.	चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	उत्तर प्रदेश	2001–02 शून्य 2002–03 रु. 1456.75 लाख 2003–04 रु. 667.97 लाख	रु. 860 लाख	42	पुराने ट्रैक्टरों का प्रतिस्थापन, सिंचाई प्रयोजन के लिए नए नलकूपों का प्रावधान, फसलन पैटर्न में परिवर्तन, उच्च आदान वाली फसलों के कम आदान वाली फसलों से प्रतिस्थापन।
	उत्तर प्रदेश (बागवानी)	2001–02 रु. 22.31 लाख 2002–03 रु. 45.61 लाख 2003–04 रु. 63.19 लाख	रु. 159.63 लाख	88	सब्जी उत्पादन तथा आलू बीज फार्मों का राज्य की सरकारी इकाइयों में मानदण्डों के अनुसार होना सुनिश्चित किया जा रहा है और अनुत्पादक तथा हानि दे रही इकाइयों के वैकल्पिक उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने विभागीय उत्पादन इकाइयों को फार्म प्रबंधन परिषद (एम.एम.सी.) के अधीन

1	2	3	4	5	6
					चलाने का निर्णय लिया है जिससे आगे इन इकाइयों को वित्तीय व्यवहार्य बनाने में मदद मिलेगी।
23.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	2001–02 रु. 20.95 लाख 2002–03 रु. 7.50 लाख 2003–04 रु. 1.25 लाख	रु. 3.20 लाख	9	पद एवं रखरखाव पर होने वाले खर्च में कटौती। फसल नष्ट होने के मामले में वैकल्पिक फसल उगाना। मृदा स्थिति में सुधार लाने के लिए हरी खाद डालना और जैव पदार्थ का उपयोग। कृषि जलवायु उपयुक्तता के अनुसार पूरे वर्ष फसल उगाना। फार्म क्षेत्र में अविकसित भूमि का उपयोग। श्रम लागत कम करने के लिए मशीनरी के उपयोग पर जोर देकर कुछ फार्मों में सिंचाई मुहैया कराना।
25.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं।
26.	दमन एवं द्वीव	शून्य	शून्य	3	खर्च घटाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी संभव कदम उठाने की शुरूआत की जा रही है।
27.	त्रिपुरा	2001–02 शून्य 2002–03 रु. 5 लाख 2003–04 रु. 11 लाख	रु. 60 लाख	13 फार्म	फार्मों की बहाली के लिए विभिन्न फसल कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाकर पहले ही कार्रवाई की गई है।
28.	सिक्किम	2001–02 रु. 20 लाख 2002–03 रु. 37.50 लाख 2003–04 रु. 37.00 लाख	रु. 43.20 लाख	1	सरकारी फार्मों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं और हानि को न्यूनतम करने के लिए सरकारी फार्मों में गुणवत्ताप्रद बीज उत्पादन कार्यक्रम पर जोर दिया जाता है।
29.	जम्मू–कश्मीर	2002–03 रु. शून्य 2003–04 रु. 3087 लाख	रु. 15.00 लाख	21	वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार और नाबार्ड के इन फार्मों के उन्नयन/सुधार के लिए प्रस्ताव रखकर उपचारी उपाय पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।
30.	नागालैण्ड	2001–02 रु. 23.00 लाख 2002–03 रु. 40.00 लाख 2003–04 रु. 60.00 लाख	रु. 50.00 लाख	राज्य में बीज कार्यक्रम अनुसंधान अथवा प्रदर्शन उद्देश्य से चलाए जा रहे	प्रश्न नहीं उठता।

1	2	3	4	5	6
				हैं और फार्म वाणिज्यिक/ राजस्व उद्देश्य से नहीं चलाए जा रहे हैं।	
31.	असम	2001–02 रु. 18.50 लाख 2002–03 रु. 23.41 लाख 2003–04 रु. 12.25 लाख	रु. 35.00 लाख	33	असम सरकार ने प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों के उत्पादन के लिए निजी पक्षों को कृषि बीज फार्मों को चरणवार पट्टे पर देने के लिए नीतिगत निर्णय लिया है।
32.	बिहार	शून्य	शून्य	220 (वर्ष 2000 में बिहार सरकार द्वारा सूचित)	वर्ष 2000 में बिहार सरकार ने सूचित किया है कि कोषों के अनुपलब्धता के कारण इन कृषि फार्म में बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं चलाए गए थे। तथापि राज्य फार्मों में खेती/और पुनरूद्धार के लिए कार्यक्रम बिहार सरकार के विचाराधीन थे।

सिंचाई के लिए मास्टर प्लान

2807. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सहित राज्यों में सिंचाई के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों में सिंचाई के लिए मास्टर योजना संबंधित राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाती है। जल संसाधन मंत्रालय ने सिंचाई के लिए राज्यवार मास्टर योजना तैयार नहीं की है।

पर्यटन सर्किट

2808. श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री पी. के. तुम्मर :
श्री काशीराम राणा :
श्री के. सी. पलनिसामी :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री इलियास आजमी :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में स्थापित पर्यटक सर्किटों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे सर्किटों का विकास करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि खर्च हुई तथा राज्य सरकारों को आवंटित/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और पर्यटन सर्किट बनाने की कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ग) वर्ष 2004–05 से 31.12.2004 तक विकास हेतु लिए गए पर्यटक परिपथों की सूची संलग्न विवरण–I के अनुसार है।

(घ) पिछले तीन वर्षों से 31.12.2004 तक अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों को स्वीकृत/अवमुक्त की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण–II के अनुसार है।

(ङ) और (च) पर्यटन मंत्रालय, पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास की अपनी योजना के अन्तर्गत, परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर, उनकी गुणवत्ता, पारस्परिक प्राथमिकता तथा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर, पर्यटक परिपथों के विकास में राज्य सरकारों को सहायता देता है।

विवरण-I

2004–2005 के दौरान पर्यटन सर्किटों का विकास

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परिचय	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4
1.	कुरनूल परिपथ, आंध्र प्रदेश	800.00	640.00
2.	खाममम परिपथ, आंध्र प्रदेश	797.47	637.98
3.	इको-पर्यटन परिपथ, छत्तीसगढ़	648.35	518.68
4.	बेलूर–हेलिबिड/श्रवलबेला परिपथ, कर्नाटक	798.50	638.80
5.	नार्दन कर्नाटक परिपथ, कर्नाटक	800.00	640.00
6.	मालाबार परिपथ	795.56	636.48
7.	हाई रेंज पर्यटन परिपथ, केरल	783.07	626.40
8.	कॉकण रिवियरा परिपथ, पार्ट–II महाराष्ट्र	685.87	548.70
9.	एकीकृत पर्यटक परिपथ, शिमला, हिमाचल प्रदेश	800.00	640.00
10.	कांगड़ा परिपथ, हिमाचल प्रदेश	800.00	640.00
11.	एकीकृत बौद्ध परिपथ, उड़ीसा	740.67	592.52
12.	दायारा बुगयाल परिपथ, उत्तरांचल	536.36	429.08
13.	उत्तर–पूर्व ट्रेवल परिपथ, असम	437.75	350.00
14.	ट्रेवल परिपथ, मेघालय	674.15	576.59
15.	परिपथ विकास, मिजोरम	634.00	570.28
16.	6 स्थानों में ट्रेवल परिपथ, नागालैंड	766.50	613.20
17.	पूर्वी सिक्किम में पर्यटक परिपथ	355.00	284.00
18.	पश्चिमी सिक्किम में पर्यटक परिपथ	396.00	316.80
19.	तशिंग, पश्चिमी सिक्किम में बौद्ध परिपथ	181.00	144.80
20.	एकीकृत पर्यटक परिपथ, श्रीनगर, कश्मीर	800.00	640.00

विवरण-II

दसवीं योजना (31.12.2004 तक) के दौरान स्वीकृत की गई राज्यवार पर्यटन परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000–03			2003–04			2004–04 (31.12.2004 तक)		
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	507.50	195.00	6	946.50	896.44	11	2750.81	2191.92
2.	असम	9	766.13	618.85	3	313.46	313.06	6	955.88	742.10
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	41.30	32.50	6	1044.60	700.00	6	1285.70	905.52
4.	बिहार	8	505.00	505.00	6	1019.42	913.89	7	1901.23	1527.55
5.	छत्तीसगढ़	9	306.00	98.50	6	1005.00	364.00	4	1096.26	869.01
6.	गोवा	1	0.50	0.50	2	36.76	34.76	2	10.00	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	गुजरात	2	197.12	59.13	8	920.51	815.82	2	138.93	111.14
8.	हरियाणा	8	332.25	311.00	16	1215.38	879.23	5	678.55	501.64
9.	हिमाचल प्रदेश	30	779.32	760.38	4	182.32	85.00	5	2620.00	1736.00
10.	जम्मू–कश्मीर	3	94.38	89.47	5	895.00	895.00	2	805.00	644.00
11.	झारखंड	0	0	0	2	1109.00	774.60	1	474.97	379.97
12.	कर्नाटक	6	902.49	625.49	14	932.66	792.51	8	2432.76	1914.37
13.	केरल	11	861.36	829.86	6	608.50	764.15	5	2148.63	1718.88
14.	मध्य प्रदेश	18	711.18	574.79	10	621.90	394.51	8	1285.46	783.03
15.	महाराष्ट्र	8	623.46	546.25	10	931.83	914.58	6	1576.38	1260.10
16.	मणिपुर	2	5.24	2.62	1	82.44	24.73	0	0.00	0.00
17.	मेघालय	3	70.35	21.20	2	40.22	24.92	2	963.30	807.91
18.	मिजोरम	6	141.16	48.46	5	567.70	188.75	3	1081.28	927.09
19.	नागालैंड	5	360.50	323.43	4	711.00	220.80	5	2165.69	1731.40
20.	उड़ीसा	2	47.50	15.75	5	419.55	138.50	5	1316.48	999.69
21.	पंजाब	3	23.00	14.60	2	96.00	12.30	4	846.41	561.26
22.	राजस्थान	13	1098.70	1096.20	14	1644.81	1414.25	2	39.31	31.45
23.	सिक्किम	13	346.24	269.76	8	1151.09	681.49	6	1005.81	805.13
24.	तमिलनाडु	5	559.00	316.10	14	1339.82	850.53	6	876.92	702.72
25.	त्रिपुरा	5	216.13	67.78	6	45.17	135.16	0	0.00	0.00
26.	उत्तरांचल	3	548.00	418.00	4	230.44	203.94	3	1412.93	1125.56
27.	उत्तर प्रदेश	3	295.00	295.00	7	1115.80	916.26	7	1037.43	825.19
28.	पश्चिम बंगाल	5	201.10	60.00	10	717.44	384.34	5	480.04	384.03
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	3	7.75	6.63	2	10.00	8	1	457.00	365.60
31.	दादरा एवं नगर हवेली	2	8.07	6.46	0	0	0	0	0.00	0.00
32.	दिल्ली	14	504.00	449.02	17	3316.28	3222.13	1	500.00	400.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	दमन एवं दीव	3	49.50	16.90	1	265.07	238.56	0	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	2	7.87	6.30	1	245.17	73.55	2	451.00	360.00
	कुल	212	11121.10	8680.93	207	24185.84	18073.76	130	32784.16	25320.26

[हिन्दी]

प्रतिनिधि संगठनों की मांगें

2909. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूरे देश के 40 किसान प्रतिनिधि संगठनों के संयुक्त मांग पत्र के प्रति आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संगठनों द्वारा दिसम्बर, 2004 में उक्त मांग पत्रों को सरकार के पास भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) इन संगठनों द्वारा सरकार के समक्ष रखी गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) श्री पी. चेंगल रेड्डी द्वारा भारतीय उद्योग संघ तथा श्री सनत मेहता, गुजरात प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से दिसम्बर, 2004 के महीने में पत्र प्राप्त हुए हैं। कृषक संघों की मांग निम्नलिखित से संबंधित है :

(I) नीतिगत मुद्दे

1. कृषि मंत्री द्वारा अलग से केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता।
2. कृषि को समवर्ती सूची में शामिल करने पर विचार किए जाने की आवश्यकता।
3. सरकार को राष्ट्रीय कृषि इन्डेक्स तैयार करने के लिए उपाय करना चाहिए।
4. कृषि उत्पादों और अन्य सम्बद्ध उत्पादों के लिए परिवहन (अन्तःराज्य परिवहन और समुद्रपारीय परिवहन, दोनों के लिए) लागत पर सब्सिडी दी जाए।
5. सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश तथा सिंचाई क्षेत्र में पुनः निवेश।
6. जिंस बोर्डों का पुनर्गठन करना तथा नए जिंस बोर्डों की स्थापना करना।

(II) वित्तीय मुद्दे

1. बैंकों से कृषि ऋण की सुविधा में वृद्धि की जाए तथा ब्याज की दर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित की जाए।
2. फसल बीमा।
3. विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धात्मकता हासिल करने के लिए कृषि उपकरणों पर टैक्स में छूट।
4. कीटों व रोगों से 30,000 करोड़ की फसल हानि को बचाना।
5. संसाधनहीन किसानों के लिए बीज प्रतिस्थापन हेतु सहायता।
6. नस्ल सुधार के लिए सहायता।
7. आयातित कृषि जिंसों पर शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना।

(III) कृषि मंत्रालय के मुद्दे

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य–लाभकारी मूल्यों के रूप में परिवर्तित किए जाएंगे।
2. मत्स्य संवर्धन और कुक्कुट को कृषि का दर्जा देना।
3. राष्ट्रीय मत्स्य संवर्द्धन विकास बोर्ड।
4. कृषि टी.वी. चैनल के क्रियाकलापों को सक्रिय बनाना और उसका विस्तार करना।

(iv) अवसंरचनात्मक मुद्दे

1. व्यापक पैमाने पर मूल्य परिवर्द्धन, शीतागार तथा सस्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना।

(ङ) कृषि राज्य का विषय होने की वजह से राज्य सरकार राज्यों में कृषि के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। केन्द्र सरकार कृषि क्षेत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी से परिचित है। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा इसके अनुसार उपाय किए जाते हैं। किसानों की आय में वृद्धि करने तथा उनके जीवन स्तर को परिमार्जित करने के लिए विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए योजनागत प्रावधान किए गए हैं। योजना आवंटनों में अन्य बातों के साथ–साथ फसल उत्पादन कार्यक्रमों, विपणन सुधारों तथा गोदामों व शीतागारों जैसी विपणन व भण्डारण अवसंरचना के सृजन, मृदा व जल संरक्षण, पूर्वी भारत में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए फार्म पर जल प्रबंधन, पौध संरक्षण उपाय, सहकारिता, बागवानी विकास तथा बीजों की उच्च पैदावार देने वाली किस्मों को प्रोत्साहन शामिल है। कृषक समुदाय को जानकारी प्रदान करने के लिए कृषि विस्तार को जन संचार सहायता स्कीम जिसके तहत दूरदर्शन, आकाशवाणी और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (आई.जी.एन.ओ.यू.) की मौजूदा सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है, के तहत कृषि विस्तार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जोखिम प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम, न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम तथा मण्डी हस्तक्षेप स्कीम जैसी बहुत सी स्कीमें किसानों के लिए सुरक्षा तन्त्र के रूप में क्रियान्वित की जा रही हैं।

भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के कार्य को पंजाब को सौंपना

2810. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोपड़ हतिके और फिरोजपुर के हैड वर्क्स पंजाब के नियंत्रण में हैं;

(ख) क्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के खंड 79 के अनुसार इन कार्यों का नियंत्रण भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के पास होना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड इन हैड वर्क्स को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं लेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार इन हैड वर्क्स को अपने क्षेत्राधिकार में लेने के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड को निर्देश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 79(1) में रोपड़, हतिके और फिरोजपुर के सिंचाई हैड वर्क्स के अन्य बातों के साथ–साथ भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड (अब भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड) द्वारा प्रशासन, अनुरक्षण और प्रचालन की व्यवस्था है।

(ग) से (ङ) संबंधित राज्यों के बीच पंजाब से भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड तक उक्त हैड वर्क्स के नियंत्रण को हस्तांतरित करने संबंधी मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान करने तथा तदनुसार भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड से अनुरोध करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। अब तक समझौता न हो पाने को ध्यान में रखते हुए दो अन्तर्राज्यीय बैठकें, जिनमें इस मुद्दे पर विचार–विमर्श किया गया था, होने के बावजूद पंजाब निरस्तीकरण अधिनियम, 2004 के मामले में राष्ट्रपतीय संदर्भ का परिणाम आने के बाद उपयुक्त समय पर आगे की कार्रवाई संभव होगी।

[अनुवाद]

कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र

2811. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ऐसे स्थानों पर कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र स्थापित किए हैं जहां किसानों की बहुलता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो किसानों की बहुलता वाले स्थानों की बजाय राज्यों की राजधानियों अथवा महत्वपूर्ण नगरों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसानों को देश के दूर–दराज के क्षेत्रों से इन केन्द्रों पर आना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों के बीच ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) ऐसे केन्द्रों में शुरू किए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है

और केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक ऐसे प्रत्येक केन्द्र को कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) किसानों तक प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी की पहुंच को सरल बनाने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई है। आसान पहुंच के लिए कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और विश्वविद्यालयों के द्वारों पर की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के अन्तर्गत उनके संबंधित स्थानों में ऐसे 44 केन्द्रों की स्थापना की है।

(ग) और (घ) इन केन्द्रों की स्थापना से 60.03 लाख किसान क्वालिटी बीज/रोपण सामग्रियों : मृदा/जल/पादप नमूना विश्लेषण तथा पशु चिकित्सा सेवाओं : पुस्तकों/पत्रिकाओं तथा विस्तार साहित्यों और अन्य सलाहकार सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे और केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) केन्द्रों के कार्यकलापों में प्रौद्योगिकी उत्पादों, नैदानिक सेवाएं और किसानों तथा अन्य उपभोक्ताओं को प्रौद्योगिकी सूचना मुहैया कराना शामिल है। इन केन्द्रों की वर्ष 1998–99 से तीन चरणों में स्थापना की गई थी। वर्ष 2000–2001 तक निधियों का प्रमुख भाग मुहैया किया गया था। पिछले तीन वर्षों (2001–02 से 2003–04) के दौरान इन केन्द्रों को आवश्यकता पर आधारित 313.28 लाख रुपये की राशि जारी की गई जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (2001–2002 से 2003–2004) के दौरान 44 कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों में से प्रत्येक को जारी की गई निधियों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र	2001–02	2002–03	2003–04	योग
1	2	3	4	5	6
1.	शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर	–	1.89	–	1.89
2.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी	–	7.36	–	7.36
3.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	–	4.73	–	4.73
4.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	–	4.12	–	4.12
5.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	–	4.23	–	4.23
6.	डा. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला	–	3.37	–	3.37
7.	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी	–	1.46	–	1.46
8.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	–	–	–	–
9.	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नई	–	6.17	–	6.17
10.	विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, नादिया	–	3.77	–	3.77
11.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	–	4.09	–	4.09
12.	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर	–	2.69	–	2.69

1	2	3	4	5	6
13.	उ.पू.प. क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, बारापानी	–	38.70	–	38.70
14.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	–	3.29	–	3.29
15.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	–	1.95	–	1.95
16.	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	–	–	–	–
17.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	–	–	–	–
18.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिसूर	–	2.95	–	2.95
19.	आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	–	19.42	–	19.42
20.	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन	–	2.23	–	2.23
21.	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन	–	2.99	–	2.99
22.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	–	2.21	–	2.21
23.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर	–	1.44	–	1.44
24.	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल	–	3.94	–	3.94
25.	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड़	–	4.61	–	4.61
26.	चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	–	1.12	–	1.12
27.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	–	0.43	–	0.43
28.	सी एस के हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	–	3.19	–	3.19
29.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	–	1.33	–	1.33
30.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	–	8.17	–	8.17
31.	डा. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	–	1.21	–	1.21
32.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	–	1.91	–	1.91
33.	सरदार कुषी नगर दंतीवाला कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कुषीनगर	–	1.42	–	1.42
34.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	–	4.42	–	4.42
35.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	35.59	4.10	–	39.69
36.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	–	2.06	–	2.06
37.	बी बी एस कॉकण कृषि विद्यापीठ, डपोली	–	2.16	–	2.16
38.	गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
39.	नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	1.00	0.20	–	1.20
40.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	–	0.30	–	0.30
41.	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	35.59	4.47	–	40.06
42.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर	–	1.11	–	1.11
43.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, बनारस	–	38.75	–	38.75
44.	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	–	35.88	1.26	37.14
	कुल	72.18	239.84	1.26	313.28

[हिन्दी]

बिहार में औषधीय पौधरोपण को प्रोत्साहन

2812. श्री दुष्यंत सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में औषधीय पौधरोपण को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में ऐसी कोई योजना चलाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) कृषि मंत्रालय कृषि में वृहद प्रबन्ध–कार्य योजना के जरिए राज्य के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आयोजित कर रहा है। इस स्कीम के तहत राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं और महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने के लिए स्वतन्त्र हैं, जिनमें औषधीय पौधों के विकास से संबंधित कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसके तहत राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर में जड़ी–बूटी उद्यानों की स्थापना/रखरखाव, गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के उत्पादन व वितरण जैसे कार्यकलापों के लिए सहायता दी जा रही है। इसके अलावा राज्य बागवानी विभाग के माध्यम से प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना और क्षेत्र विस्तार से संबंधित कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड भी बिहार राज्य में जड़ी–बूटी उद्यानों की स्थापना और अभिज्ञात औषधीय पौधों की ठेके पर खेती के लिए सहायता दे रहा है।

निधियों का उपयोग

2813. श्री कैलाश मेघवाल :
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण :
श्री मोहन सिंह :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004–05 के दौरान आज तक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आवंटित धनराशि तथा उसमें से व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिसम्बर 2004 में 233 करोड़ रुपये व्यय हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय के लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत, बजट आकलन 2004–05 (प्लान) में आवंटित धनराशि, दिसम्बर, 2004 में हुए व्यय तथा 28.2.2005 तक हुए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बजट आकलन 2004–05 (योजना) में योजनावार आवंटन, दिसम्बर 2004 में व्यय तथा 28.2.2005 तक हुआ व्यय

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	अनुमोदित बजट अनुमान 2004–05	दिसम्बर माह 2004 में हुए व्यय	28.2.05 तक हुआ व्यय
I.	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सी एस)**			
1.1	(क) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	7.50	0.40	0.83
	(ख) यू एन डी पी इंडोजेनस पर्यटन	2.50**	2.24	4.01
1.2	आईएचएम्स/एफसीआईज/आईआईटीटीएम/एनआईडब्ल्यूएस/एनआईएस/ एनसीएचएमसीटी को सहायता	25.00	10.03	24.25
1.3	सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	3.00	0.27	0.94
1.4	मार्किट विकास सहायता सहित विदेशों में संवर्धन तथा प्रचार	90.00	24.74	54.78
1.5	आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन तथा प्रचार	14.00	1.10	14.35
1.6	आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन	10.00	2.56	6.65
1.7	गुलमर्ग कश्मीर (जम्मू व कश्मीर पैकेज) में आई आईएसएम के लिए भवन निर्माण	0.00	–	4.00
1.8	कुल–सीएस योजना (1.1–1.7)	158.00	41.34	109.81
II.	**केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस)**			
2.1	कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी	17.00	4.05	6.55
2.2	मार्किट अनुसंधान सहित 20 वर्षीय भावी योजना	3.00	0.43	0.92
2.3	पर्यटक परिपथों का समन्वित विकास	85.00	97.73*	111.11
2.4	उत्पाद/अवसंरचना तथा गंतव्य विकास	140.00	92.69*	157.38
2.5	वृहत राजस्व सृजक परियोजनाओं के लिए सहायता	18.00	–	0.33
2.6	जम्मू कश्मीर में पर्यटन का पुनरूद्धार (जे एंड के पैकेज)	9.00	4.00	9.00
2.7	पर्यटन अवसंरचना विकास खंड	20.00	–	–
2.8	कुल–सीएसएस योजनाएं (2.1–2.7)	292.00	–	285.29
2.9	कुल–सीएस एवं सीएसएस योजनाएं (1.8+2.8)	450.00	–	395.10
III.	**पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए 10 प्रतिशत का एकमुश्त प्रावधान**			
	पूंजीगत	35.00		
	राजस्व	15.00		
3.1	कुल–उत्तर पूर्व क्षेत्र तथा सिक्किम	50.00		
3.2	कुल जोड़ (2.9+3.1)	500.00	240.24	395.10

*पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं पर हुए व्यय शामिल। **3.50 करोड़ रुपये की अनुपूरक प्राप्त की गई है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बेरोजगार

2814. श्रीमती मेनका गांधी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ऐसे काफी परिवार हैं जहां परिवार के सभी सदस्य बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे परिवारों की पहचान करने तथा इन परिवारों के कुछ सदस्यों को रोजगार देने हेतु कोई सर्वेक्षण करवाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान कर ली गई है तथा रोजगार प्रदान करने के लिए अनेक गरीबी उन्मूलन योजनाएं कार्यान्वित की गई है। इनके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक दिसम्बर, 2004 में संसद के पटल पर पहले ही रखा जा चुका है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का भंडारण

2815. श्री देविदास पिंगले : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) ने खाद्यान्नों की ढुलाई में आने वाली करोड़ों रुपये की लागत से बचने के लिए कुछ राज्यों में खाद्यान्नों के भंडारण के प्रबंध करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कदम से इन राज्यों के किसानों को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन जिलों में भांडागार स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम विभिन्न राज्यों में आवश्यकता के आधार पर खाद्यान्नों के सुरक्षित भण्डारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करता है। भारतीय खाद्य निगम के पास राज्यवार भंडारण क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा पर्याप्त क्रय केन्द्र खोलकर किसानों को विनिर्दिष्टियों के अनुरूप उनके खाद्यान्न उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाता है।

(घ) 2004-05 (31.1.2005 तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सृजित की गई भंडारण क्षमता निम्नानुसार है :

1. मनमाड (महाराष्ट्र) – 11920 टन
2. तुमकुर (कर्नाटक) – 5000 टन
3. कोपल (कर्नाटक) – 10000 टन

विवरण

समस्त देश में भारतीय खाद्य निगम के पास राज्य-वार कुल भंडारण क्षमता (ढकी हुई और कैप/अपनी और किराए की) का ब्यौरा

31.1.2005 की स्थिति के अनुसार

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य का नाम	कुल भण्डारण क्षमता (ढकी हुई और कैप/ अपनी और किराए की)
1	2
बिहार	4.92
झारखण्ड	1.11
उड़ीसा	5.99
पश्चिम बंगाल	10.55
सिक्किम	0.11
असम	2.52
अरुणाचल प्रदेश	0.18
मेघालय	0.19
मिजोरम	0.18
त्रिपुरा	0.24

1	2
मणिपुर	0.20
नागालैण्ड	0.27
दिल्ली	3.70
हरियाणा	23.23
हिमाचल प्रदेश	0.26
जम्मू–कश्मीर	1.03
पंजाब	77.89
चंडीगढ़	1.06
राजस्थान	9.21
उत्तर प्रदेश	25.87
उत्तरांचल	1.81
आंध्र प्रदेश	33.89
केरल	5.46
कर्नाटक	6.17
तमिलनाडु	7.67
पांडिचेरी	0.42
गुजरात	5.79
महाराष्ट्र	15.87
गोवा	0.15
मध्य प्रदेश	5.43
छत्तीसगढ़	8.49
जोड़	259.95

सिंचाई के अंतर्गत कृषि भूमि बढ़ाने हेतु नीति

2816. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई के अंतर्गत कृषि भूमि बढ़ाने हेतु सरकार की नीति, सहायता और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) तिलहन, दलहन आदि जैसे प्रमुख अनाजों के संदर्भ में चालू पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के अंत तक वर्तमान में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने हेतु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सिंचाई के विकास, नियोजन, कार्यान्वयन तथा सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण संबंधी कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि चालू बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए भारत सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के अंतर्गत 1996–97 से जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता (सी एल ए) उपलब्ध करा रही है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण–सहायता वर्ष 1999–2000 से विशेष वर्गों के राज्यों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम, पर्वतीय राज्यों जैसे जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल एवं उड़ीसा के सूखा प्रवण जिलों जैसे कालाहाण्डी, बोलांगिर एवं कोरापुट को भी छोटी सिंचाई स्कीमों के लिए दी जा रही है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) को अप्रैल, 2004 से संशोधित किया गया है और केन्द्रीय सहायता गैर–विशेष वर्गों के राज्यों को 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान तथा विशेष वर्ग के राज्यों को 10 प्रतिशत ऋण तथा 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जाती है।

इसके अलावा सतह पर तथा भूमि के नीचे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जल के दोहन के लिए पूर्वी भारत के दस राज्यों यथा बिहार, प. बंगाल, उत्तर प्रदेश (पूर्वी भाग), उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, असम, मिजोरम, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश में "पूर्वी भारत में फसल उत्पादन में वृद्धि हेतु खेतों पर जल प्रबंध" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन भी किया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत किसानों को पम्पसैट युक्त उथले नलकूपों की स्थापना, लो लिफ्ट इरीगेशन प्वाइंट्स, डग वेल्स तथा पंप सैटों के लिए सहायता दी जाती है। स्कीम का वित्त पोषण पैटर्न 20 : 30 : 50 अर्थात् परियोजना लागत का 20 प्रतिशत लाभानुभोगियों का अंशदान, 30 प्रतिशत भारत सरकार से अनुदान तथा 50 प्रतिशत बैंक ऋण है। इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) कृषि उत्पादन के लक्ष्य वार्षिक तौर पर निर्धारित किए जाते हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2002–03 तथा 2004–05 के लिए कृषि उत्पादन से संबंधित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए 151.54 लाख हैक्टेयर का समग्र लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

(उत्पादन लाख मीटरी टन में)

फसल	2002–2003		2003–2004		2004–2005	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन*	लक्ष्य	उत्पादन**
चावल	930.00	726.60	930.00	870.00	935.00	878.00
गेहूं	780.00	651.00	780.00	720.60	795.00	730.30
मोटा अनाज	330.00	252.90	340.00	377.70	368.00	318.80
दलहन	160.00	111.40	150.00	152.30	153.00	136.70
तिलहन	270.00	150.58	247.00	251.43	261.99	248.42
कपास***	150.00	87.16	150.00	137.88	150.00	170.68
पटसन व मेस्ता****	120.00	113.77	120.00	111.97	118.00	97.10
गन्ना	3200.00	2815.75	3200.00	2361.76	2700.00	2341.53

*चौथे अग्रिम अनुमान।

**दूसरे अग्रिम अनुमान।

***170 किलोग्राम प्रत्येक की लाख गांठें।

****180 किलोग्राम प्रत्येक की लाख गांठें।

विवरण-II

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्य

(000 हैक्टेयर)

राज्य	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई	मध्यम सिंचाई	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	739.88	195.40	935.28
अरुणाचल प्रदेश	4.00	20.00	24.00
असम	116.10	116.10	232.20
बिहार	948.42	264.60	1213.02
छत्तीसगढ़	305.00	55.00	360.00
गोवा	26.66	4.54	31.20
गुजरात	1904.00	66.00	1970.00
हरियाणा	119.00	42.50	161.50
हिमाचल प्रदेश	8.00	10.00	18.00
झारखण्ड	315.00	निर्धारित नहीं	315.00
जम्मू–कश्मीर	25.00	निर्धारित नहीं	25.00
कर्नाटक	999.89	221.29	1221.18
केरल	90.00	50.00	140.00
मध्य प्रदेश	265.30	125.00	390.30
महाराष्ट्र	1276.43	158.00	1434.43
मणिपुर	28.15	14.45	42.60
मेघालय	–	12.50	12.50
मिजोरम	–	1.66	1.66
नागालैण्ड	–	9.43	9.43

1	2	3	4
उड़ीसा	465.07	132.37	597.44
पंजाब	160.30	निर्धारित नहीं	160.30
राजस्थान	413.80	50.00	43.80
सिक्किम	0.00	5.00	5.00
तमिलनाडु	9.38	9.02	18.40
त्रिपुरा	–	32.40	32.40
उत्तर प्रदेश	1000.76	3616.80	4617.56
उत्तरांचल	6.20	11.88	18.08
पश्चिम बंगाल	700.00	निर्धारित नहीं	700.00
कुल राज्य	9926.34	5228.94	15150.28
कुल संघ	0.00	4.43	4.43
अखिल भारत कुल योग	9926.34	5228.37	15154.71

*छोटी सिंचाई में भूजल से की गई सिंचाई भी शामिल है।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाओं के लिए
वन भूमि का उपयोग

2817. श्री प्रहलाद जोशी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 से 2004 तक देश में रेल परियोजनाओं के लिए उपयोग किए गए कुल वन क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वनों की ऐसी क्षति की भरपाई करने के लिए वनरोपण योजनाएं आरम्भ की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई और खर्च की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इन कार्यों को कब आरंभ करेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) देश में वर्ष 2001 से 2004 तक रेलवे परियोजनाओं के लिए 1896.78 हैक्टेयर वनभूमि वनेतर प्रयोग के लिए दी गई है। वनेतर प्रयोग के लिए दी गई भूमि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। वनेतर प्रयोग के लिए दिए गए वन क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनीकरण करके अच्छा बनाया गया है। वर्ष 2001–2004 के दौरान मंजूर की गई रेलवे परियोजनाओं के संबंध में 3099.15 हैक्टेयर क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनीकरण विचाराधीन है। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए जारी की गई और प्रयोग की गई निधि का ब्यौरा मंत्रालय में नहीं रखा जाता है। यद्यपि, राज्य वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 7.23 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। इसकी तुलना में अब तक 75.01 लाख रुपये प्रयोग किए गए हैं। उक्त अवधि के दौरान जारी की गई और खर्च की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) चूंकि प्रतिपूरक वनीकरण एक लगातार चलने वाला कार्य है, अतः इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	वनेतर क्षेत्र (हैक्टेयर)
1.	बिहार	36.11
2.	चण्डीगढ़	1.74
3.	छत्तीसगढ़	30.17
4.	दिल्ली	0.38
5.	गुजरात	1.50
6.	हरियाणा	3.80
7.	हिमाचल प्रदेश	1.83
8.	झारखण्ड	1347.31
9.	कर्नाटक	33.84
10.	मध्य प्रदेश	14.64
11.	महाराष्ट्र	31.51
12.	उड़ीसा	3.88
13.	पंजाब	16.80
14.	राजस्थान	46.03
15.	तमिलनाडु	0.98
16.	त्रिपुरा	268.32
17.	उत्तर प्रदेश	57.94
	कुल	1896.78

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य का नाम	वनेतर वन क्षेत्र (हैक्टेयर)	निर्धारित प्रतिपूरक वनीकरण (हैक्टेयर)	प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा दी गई राशि (हजार रुपये में)	उपयोग की गई राशि (हजार रुपये में)
1.	बिहार	36.11	72.23	1380.768	633.752
2.	चण्डीगढ़	1.74	1.73	1972.930	4.062
3.	छत्तीसगढ़	30.17	60.34	*	*
4.	दिल्ली	0.38	0.38	921.500	*
5.	गुजरात	1.50	3.00	62.500	*
6.	हरियाणा	3.80	20.89	1996.772	1280.317
7.	हिमाचल प्रदेश	1.83	4.00	197.400	50.400
8.	झारखण्ड	1347.31	2217.21	39275.460	533.752
9.	कर्नाटक	33.84	33.84	172.000	172.000
10.	मध्य प्रदेश	14.64	15.33	*	*
11.	महाराष्ट्र	31.51	49.24	*	*
12.	उड़ीसा	3.88	3.88	*	*
13.	पंजाब	16.80	32.38	3734.690	110.979
14.	राजस्थान	46.03	42.65	*	*
15.	तमिलनाडु	0.98	शून्य	शून्य	शून्य
16.	त्रिपुरा	268.32	542.05	22577.061	4716.473
17.	उत्तर प्रदेश	57.94	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	1896.78	3099.15	72291.081	7501.735

*ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय वेतन नीति

2818. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नई राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक राष्ट्रीय मजदूरी नीति के बारे में विचार नहीं किया गया है, क्योंकि मजदूरी का संबंध आय, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, भुगतान क्षमता आदि जैसे कारकों से है, जो राज्य-दर-राज्य एवं उद्योग-दर-उद्योग भिन्न-भिन्न होते हैं।

आरक्षित वन को अनारक्षित करना

2819. श्री किरिप चालिहा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम सरकार से राज्य के गोलाघाट जिले में दोयांग आरक्षित वन को अनारक्षित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से दोयांग आरक्षित वन में 1960 से रह रहे हजारों लोगों को कानूनी हक देने के लिए भी अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कामगारों को नियमित करना

2820. श्री पी. करुणाकरन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई के औद्योगिक अधिकरण ने भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न डिपों में कार्यरत कामगारों को नियमित करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, चेन्नई के आदेश की भारतीय खाद्य निगम द्वारा जांच की गई थी और यह पाया गया कि पूर्व ठेकेदारों के कामगारों को पूर्व प्रभाव से नियमित करने का निर्णय न्यायोचित नहीं है क्योंकि प्रश्नाधीन कामगार उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी नहीं थे। इसे देखते हुए चेन्नई अधिकरण के उक्त आदेश को भारतीय खाद्य निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, चेन्नई में चुनौती दी गई है। यह मामला न्यायनिर्णयाधीन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को शपथ ग्रहण करने के लिए बुलाएं।

अपराह्न 12.02 बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा)।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल) : मैंने विशेषाधिकार नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे अभी नहीं मिला है। मैं इसका पता लगाऊंगा।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय, मैं बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (पैक की गई वस्तुएं) दूसरा संशोधन नियम, 2005, जो 1 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 143(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1794/05)

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर

रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1795/05)

(3) (एक) इंस्टिट्यूट आफ पेस्टीसाइड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ पेस्टीसाइड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1796/05)

(5) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 की।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1797/05)

(दो) रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 की।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1798/05)

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं वित्त मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1799/05)

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 की।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1800/05)

(2) लघु उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 की।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1801/05)

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1802/05)

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1803/05)

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1804/05)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानबाका लक्ष्मी) : महोदय, मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1805/05)

[हिन्दी]

पर्यटन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1806/05)

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 1807/05)

(2) (एक) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1808/05)

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1809/05)

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनारायण मीना) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत ओजोन अपक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2004 जो 17 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 929 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 56(अ) जो 14 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 489(अ) में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1810/05)

(4) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 1811/05)

(6) पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 2005–2006 की

अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1812/05)

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1813/05)

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 1814/05)

अपराह्न 12.07 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग विधेयक, 2005 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे गोवा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2005 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 18 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे गोवा विनियोग विधेयक, 2005 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 18 मार्च, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न 12.08 बजे

याचिका समिति

पांचवां और छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, मैं याचिका समिति का पांचवां और छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.08½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.09 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

(एक) तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : महोदय, मैं सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति को तीसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : महोदय, मैं सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदय, मैं यह वक्तव्य लोक सभा समाचार भाग–2, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 द्वारा जारी माननीय लोक सभा, अध्यक्ष के 73 ए के निदेश के अनुसरण में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थाई समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की प्रथम रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में दे रहा हूं।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में निहित सभी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/स्थिति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। यह नोट किया जाए की रिपोर्ट में 25 सिफारिशें हैं। समिति की इन सिफारिशों की उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई है और 22 सिफारिशें स्वीकार की गई हैं तथा उन पर कार्रवाई की गई है। शेष तीन सिफारिशों को संलग्न अनुबंध में उनके सामने दिए गए कारण की वजह से स्वीकार नहीं किया जा सका है।

की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर 8 दिसम्बर, 2004 को समिति को भेज दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वह बहुत ही नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अपने विचारों को अवश्य व्यक्त करूंगा कि कई माननीय मंत्रियों ने उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया है। मैं उनसे इस पर गौर करने का अनुरोध करता हूं और यह भी अनुरोध करता हूं कि वे यथाशीघ्र इसका अनुपालन करें। मेरा यह सभी से अनुरोध है, अन्यथा कुछ हो सकता है।

...(व्यवधान)

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1815/05

अपराह्न 12.11 बजे

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पेंशन निधियों की स्कीमों के अभिदाताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए पेंशन निधियों को स्थापित, विकसित और विनियमित करके वार्धक्य आय प्रतिभूति का संवर्धन करने हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पेंशन निधियों की स्कीमों के अभिदाताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए पेंशन निधियों को स्थापित, विकसित और विनियमित करके वार्धक्य आय प्रतिभूति का संवर्धन करने हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, हमने इसका विरोध करने संबंधी नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी बात करूंगा। मंत्री जी अभी अभी बैठे हैं।

अब, श्री वरकला राधाकृष्णन जी बोलेंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप अध्यादेश नहीं चाहते हैं। विरोध का कोई आधार नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं इसकी बात कर रहा हूं।

महोदय, मैंने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव का मुख्य दो संवैधानिक कारणों से विरोध किया है। अनुच्छेद 311 में सरकारी सेवकों की सेवा शर्तों का उपबंध है और वर्तमान विधेयक में उक्त अनुच्छेद की अवहेलना है। अध्यक्ष महोदय, कृपया यह गौर करें कि यह विधेयक नई पेंशन योजना के संबंध में पुरःस्थापित किया जा रहा है।

नई पेंशन योजना या यह व्यवस्था 01.01.2004 से लागू हुई है। सरकार के पास इस विधेयक को लाने के लिए 15 महीने का समय था। इसे इस अवधि के दौरान लाया जाना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। यह नियमों का पूरा उल्लंघन है। किसी को नियमों की चिन्ता ही नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : कृपया, मुझे इसे सभा में रखने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह क्या है। कृपया, एक सेकिण्ड के लिए प्रतीक्षा करें।

हमने इस बात की व्यवस्था करते हुए नियमों में विशेष रूप से सुधार किए हैं कि ऐसे मामलों में नोटिस में आपत्ति हेतु विशेष आधारों का उल्लेख किया जाए। आपके नोटिस में उल्लेख है कि आप अध्यादेश को नहीं चाहते और यह अध्यादेश के रूप में क्यों होना चाहिए। यह पहले ही स्थापित है कि इस पर सांविधानिक मुद्दों के रूप में कार्रवाई की जानी है। इसका हर दिन उल्लंघन हो रहा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इस विधेयक को अध्यादेश के स्थान पर लाना है। अध्योदशों को संविधान के अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत प्रख्यापित किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह उस प्रावधान का उल्लंघन है क्योंकि अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान है कि जब कभी आवश्यक हो और तत्काल कार्रवाई अपेक्षित हो तो इस स्थिति में अध्यादेश अनुज्ञेय है।

यहां, स्थिति यह है कि यह 15 महीने से भी अधिक समय से अस्तित्व में रहा है। सरकार यह भी मानेगी कि उन्होंने दिसम्बर 2003 में अधिसूचना जारी की थी। यह प्रावधान 01.01.2004 से लागू हुआ। अब, कई महीने व्यपगत होने के बाद सरकार संविधान के अनुच्छेद 123 के उपबंध का उल्लंघन करते हुए अध्यादेश जारी कर रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा है यह बात बिल्कुल स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : काफी हो गया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, और तो और, मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि संविधान में अनुच्छेद 311 का उपबंध भी है।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक का पुरःस्थापन गलत कैसे हो सकता है? कृपया मेरी बात सुनें। इस आधार पर विधेयक के पुरःस्थान का विरोध कैसे किया जा सकता है?

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड–2, दिनांक 21.3.05 में प्रकाशित।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं इसके पुरःस्थापन का विरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह अनुच्छेद 123 का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : यह अस्वीकार किया जाता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह मेरी स्थिति है। यह अनुच्छेद 123 का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक को अनुच्छेद 123 के तहत नहीं लाया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : अनुच्छेद 123 में उपबंध है कि यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं तो वह तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन 'तत्काल कार्रवाई' बहुत पहले कर दी गई थी। माननीय अध्यक्ष जी हमें सभा को सारहीन नहीं मानना चाहिए। अध्यादेश का जारी होना कृत्रिम गर्भाधान जैसे है। इस सभा में कानून बनाए जाने चाहिए। इसलिए, यह अनुच्छेद 123 का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपको संविधान के अनुच्छेद 123 के लोप हेतु प्रस्ताव करना चाहिए।

अब श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक का विरोध करता हूं। मैं इसका संवैधानिक, विधायी और नैतिक आधार पर विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : इसमें मोरल ग्राउंड कहां से आ गई।

अध्यक्ष महोदय : संवैधानिक नैतिकता।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, अध्यादेश प्रख्यापित किया गया और नई योजना 01.01.04 से शुरू की थी, विनियामक की नियुक्ति की गई थी। अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्या थी और तब अध्यादेश को विधान से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता क्या थी? इस कानून के बनने से हमारे देश के वे लाखों कर्मचारी प्रभावित होंगे जो इसमें अंशदान कर रहे हैं। इसमें उनका ही हित नहीं जो नई योजना में हैं बल्कि पुरानी योजना वालों का हित भी प्रभावित होगा। बाद में अन्य कर्मचारी भी इसका अनुभव करेंगे । धन का शेयर बाजार में निवेश किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप विधेयक के गुण–दोषों पर जा रहे हैं। मुझे खेद है।

श्री बसुदेव आचार्य : हमारे लाखों कर्मचारी प्रभावित होंगे। आज हमारे देश के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध यह एकमात्र सामाजिक सुरक्षा है और इसे भी कानून बनाकर वापस लिया जा रहा है। यही कारण है कि हम इस विधेयक का पुरःस्थापन की स्थिति में ही विरोध कर रहे हैं।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं अपने आपको जो कुछ श्री बसुदेव आचार्य ने अभी कहा उससे सहबद्ध करती हूं। पेंशन निधि को शेयर बाजार में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करना है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है लेकिन फिर भी इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है।

क्या मैं आपकी अनुमति से कुछ टिप्पणियां कर सकता हूं? मैं यहां किसी को भी बोलने की अनुमति देने के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन यह नियमों के अंतर्गत होना चाहिए। नियम 72 बहुत ही स्पष्ट है। श्री राधाकृष्णन इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यदि वह अध्यक्ष पीठ पर होते तो वह भी इसकी अनुमति नहीं देते। नियम कहता है :

> "जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभी की विधायिकी क्षमता से परे है।"

ऐसा किसी भी माननीय सदस्य ने उल्लेख नहीं किया है। इसमें आगे कहा गया है :

> "किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करने की सूचना उस दिन 10.00 बजे तक दी जाएगी जिस दिन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव कार्य सूची में शामिल किया हो।"

नोटिस में सदस्य उठाई जाने वाली आपत्तियों का स्पष्ट और सटीक उल्लेख करेंगे। मुझे दो नोटिस मिले हैं और उनमें पुरःस्थापन करने के अलावा कुछ भी उल्लेख नहीं है, इसलिए, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूं। श्री गुरुदास दासगुप्त मुझसे मिल थे।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसुकुरा) : महोदय क्या आपकी अनुमति से, मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। आप निवेदन कर सकते हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैंने आज देर से नोटिस इसलिए दिया है क्योंकि मेरा विमान देर से पहुंचा है। आपने कई बार सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को इस सम्माननीय सभा में मुद्दे उठाने की अनुमति दी है जो नियमों के अनुरूप नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसका सन्दर्भ न दें। श्री दासगुप्त, संदर्भों की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की तुलना मत कीजिए। मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। तथापि, आप यह कह सकते हैं कि

श्री प्रफुल पटेल के मंत्रालय के कार्य न करने की वजह से आप देर से आए हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति तभी दूंगा यदि आपकी आपत्ति विधायी औचित्य के प्रश्न पर आधारित होगी। इसे पूर्वोद्धाहरण की तरह न माना जाए। कृपया संक्षेप में अपनी बातें कहें।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैं मन, वचन, कर्म से इस अध्यादेश का विरोध करता हूं क्योंकि यह अध्यादेश का पूर्णतः दुरुपयोग है। चूंकि यह योजना 1 जनवरी, 2004 को लागू हुई है तो माननीय वित्त मंत्री इस विधेयक के साथ सीधे ही सभा में आ गए होंगे। योजना पहले से ही चल रही थी। इसके लिए एक विनियामक भी था। इस अध्यादेश को जारी करने की क्या जल्दी थी? यह सरकार की सत्ता का पूर्णतः दुरुपयोग है। मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : इसको स्थायी समिति को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं इसका विरोध कर रहा हूं क्योंकि यह विधेयक प्रत्यक्ष रूप से गुप्त नीति है। माननीय मंत्री जी अपनी इच्छानुसार नीति बना रहे हैं। वे विनियामक की बात तो कर रहे हैं किन्तु वे यह नहीं कह रहे हैं कि वे धन को स्टाक बाजार में निवेश करने की अनुमति देंगे। उन्हें स्टाक बाजार से प्रेम है। उनका रुझान स्टाक बाजार की ओर है। इससे कामगारों के हित प्रभावित होंगे। निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के नाम पर, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। नियमों के विरुद्ध मैंने आपको अनुमति दी है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : स्वीकार्यता पर*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। विनम्रतापूर्वक, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। क्या आपने कोई नोटिस दिया है जो पर्याप्त होता। मैंने उन्हें सिर्फ इसलिए अनुमति दी क्योंकि उनका विमान विलम्ब से पहुंचा था।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं केवल यह कह रहा हूं कि इस अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह अध्यादेश और विधेयक संसद के विधायी क्षेत्राधिकार में है। इस विधेयक की खूबियों पर, मैं चर्चा कर चुका हूं और भी चर्चा कर सकता हूं। हम इस विधेयक पर चर्चा के दौरान वाद–विवाद कर सकते हैं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से सादर अनुरोध है कि जब इस विधेयक पर चर्चा की जाए तो इस विधेयक के घटकों पर उनकी जो भी आपत्तियां हों उनका उल्लेख करें। मैं उन्हें सन्तुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। इनमें से कई आशंकाएं बिना किसी आधार के हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पेंशन निधियों की स्कीमों के अभिदाताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए पेंशन निधियों को स्थापित, विकसित और विनियमित करके वार्धक्य आय प्रतिभूति का संवर्धन करने हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम इस विधेयक के पुरःस्थापन का पूरी तरह से विरोध करते हैं। इसलिए, विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

अपराह्न 12.21 बजे

(इस समय, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, यह पूर्णतः संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के विरुद्ध हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। हम इसके विरोध में मतदान करेंगे। मैं सभी से इस विधेयक का विरोध के लिए आह्वान करता हूं। हम विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.22 बजे

(इस समय, श्री गुरुदास दासगुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। मंत्री जी अब इस विधेयक को पुरःस्थापित कर सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 12.22½ बजे

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अध्यादेश द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 8) द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1817/05)

अपराह्न 12.23 बजे

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जनरल खंडूडी, एम्स दिल्ली की तर्ज पर छह राज्यों में चिकित्सा संस्थानों की स्थापना हेतु, लिए गए निर्णय की स्थिति के संबंध में 12 दिसम्बर, 2004 के आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा ऋषिकेश में प्रस्तावित एम्स हेतु राशि की स्वीकृति के संबंध में दिनांक 9 मार्च, 2005 के आपके अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कथित रूप से विरोधाभासी जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर दिनांक 21 मार्च, 2005 का आपका नोटिस मुझे मिल गया है। यह मामला मेरे विचाराधीन है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के विभिन्न भागों में गो–घर की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों और भूमाफियाओं द्वारा किए गए कब्जों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके साथ ही, इसी से सम्बन्धित दिल्ली सरकार द्वारा गोसदनों की भूमि का जबरन अधिग्रहण करने संबंधी प्रस्ताव की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। महोदय, गोवंश भारतीय धर्म और संस्कृति के साथ–साथ भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का भी आधार–स्तम्भ है। जननी और जन्मभूमि से बढ़कर, गोवंश की पूजा सम्पूर्ण भारत में होती आई है। आज राजनीतिक स्वार्थों के चलते पूरे देश में गोहत्या और गोवंश की तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

महोदय, दिल्ली सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत दिल्ली के अन्दर कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे गोसदनों, जिनमें गोपाल गोसदन, कृष्ण गोशाला, भारत गोसदन, सुशील गोसदन आदि हैं, से सम्बन्धित 75 से 80 प्रतिशत भूमि का जबरन अधिग्रहण करने का प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा राजनीतिक विद्वेष और दुराग्रह से ग्रसित होकर किया जा रहा है। महोदय, पूरे देश के तमाम नगरों और महानगरों में पहले से ही गोवंश सड़कों पर लावारिस स्थिति में घूमने के लिए मजबूर है।

अगर कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं अपनी ओर से पहल करके उन आवारा लावारिस घूमने वाले गोवंश को ले जाकर, सेवा और सुरक्षा का दायित्व निभाने का प्रयास करता है तो दिल्ली सरकार उसमें बाधक बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली सरकार के, इस प्रकार के अनैतिक कृत्य को रोका जाए। दिल्ली के अन्दर विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा गोसदनों को संचालित करने के पहले से प्रयास हो रहे हैं, उनमें दिल्ली सरकार सहयोगी बने। दिल्ली राज्य सरकार ने यह व्यवस्था दी है कि एक एकड़ में 100 गोवंश रखा जाए, यह अव्यवहारिक है जो किसी संस्था के लिए संभव नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

[अनुवाद]

योगी आदित्यनाथ : महोदय, एक एकड़ में केवल 10 गोवंश ही रखे जा सकते हैं और उसके तहत जितनी क्षमता गौशालाओं की है तथा एक एकड़ में 10 गोवंश के हिसाब से उनको जो जमीन दी जानी है, उसी के हिसाब से उनको भूमि आवंटित की जाए और गौशालाओं की भूमि अधिग्रहण से संबंधित दिल्ली सरकार के अनैतिक कृत्य पर लगाम लगाई जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ, मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने पहले आपका नाम पुकारा है।

श्री राहुल गांधी (अमेठी) : महोदय, शून्य काल के दौरान मुझे हमारे देश के गन्ना उगाने वाले किसानों से संबंधित मामले को उठाने की अनुमति दीजिए।

गन्ना उत्पादक कड़ा परिश्रम करते हैं तथा उनका हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जनवरी, 2005 को उच्चतम न्यायालय में बयान दिया था कि निजी चीनी मिलों ने उत्तर

प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को सभी बकाया का भुगतान कर दिया है। हालांकि, उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने हाल ही में आज तक में बताया कि वर्ष 2002–03 के बकाया 517 करोड़ रुपये का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। हमारे किसानों के लिए यह बहुत ही गलत बात है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह यह देखे कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 5 मई, 2004 को दिए गए अंतिम निर्णय में समाहित निर्देशों का अनुपालन करे तथा हमारे किसानों को उनका बकाया दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले भाषण पर बधाई देता हूं।

श्री मन्नान भोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं सरकार तथा पूरी सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार एक विदेशी सरकार हमारे देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है। हमें देश के गैस–आधारित उद्योगों के लिए गैस की आवश्यकता है। सरकार ईरान से भारत तक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए ईरान के साथ समझौते की प्रक्रिया में लगी हुई है। परन्तु, दुर्भाग्यवश, पिछले सप्ताह अमरीकी राजदूत श्री डेविड मलफोर्ड ने हमारे पेट्रोलियम मंत्री से कहा कि वह यह बात ध्यान में रखें कि ईरान के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं तथा ईरान की कुछ समस्याएं हैं और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। और तो और सुश्री कॉंडोलिजा राइस ने ऐसा न करने की चेतावनी दी।

महोदय, एक विदेशी सरकार को हमारे आर्थिक हित के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान, ईरान तथा इराक जैसे देशों को तबाह कर दिया है और अब वे हमारे आर्थिक हितों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार को इसके आगे झुकना नहीं चाहिए और इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। पूरा देश हमारे आर्थिक हितों में हस्तक्षेप का प्रयास करने वाली शक्तियों का मुकाबला करने में सरकार के साथ है। मुझे आशा है कि सरकार सभा में वक्तव्य देगी तथा यह स्पष्ट करेगी कि वह हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का षड़यंत्र रच रही है तथा हमारे राष्ट्रीय हितों के रास्ते में आने की किसी को भी अनुमति नहीं देगी।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलना चाहता हूं। लोकतंत्र का सबसे मजबूत और चौथा स्तम्भ मीडिया कहा जाता है। मीडिया द्वारा लगातार जिस तरह से व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के लोगों को, अपनी लेखनी के द्वारा, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, वह एक गंभीर मामला है। मैं और मेरा पूरा परिवार इससे काफी आहत हुआ है। मैं मधेपुरा कोर्ट में गया था और जब मैं मधेपुरा से लौटा तो मीडिया के द्वारा बहुत प्रचार किया गया कि मैं माननीय लालू यादव जी के चुनाव कम्पेन में गया था, जबकि यह बात गलत थी।

मैं कोर्ट गया था, कोर्ट से लिखित में आ चुका है। इससे हमारी व्यक्तिगत छवि और आचरण पर उंगली उठी है। बिहार सरकार की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिल गई है। उन्होंने कह दिया है कि पप्पू यादव का कहीं किसी चीज में कनाइवेंस नहीं है। ऐसे में मीडिया ने किस तरीके से प्रचार किया? खास तौर पर "दैनिक जागरण" अखबार ने मेरे आचरण को लेकर लगातार प्रचार किया कि मैं टीवी देखता हूं, लालू प्रसाद के हार जाने के बाद खुश हूं, बजट पेश होने के बाद दुखी हूं जबकि इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। कोई ऐसा मामला नहीं है जिस में उन्होंने मेरे खिलाफ गलत प्रचार न किया हो। मीडिया और दूसरे कई ऐसे तत्व हैं, जिन्होंने मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया। मैं यह नहीं कहता कि सभी लोग दुष्प्रचार करते हैं। मीडिया में 2–3–5 परसेंट अच्छे लोग भी हैं जिनके चलते देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। सारे मीडिया के लोग दूध के धुले नहीं हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग और दूसरे लोग गलत हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मेरा पूरा परिवार इससे मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ है। क्या हमारे यहां कोई ऐसी व्यवस्था होगी जो मीडिया पर अंकुश लगा सके कि वे कब क्या बोलेंगे? कल हम देख रहे थे कि मीडिया का रोल किस तरह का था? लालू जी के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मीडिया का जो रोल रहा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मीडिया के अपने अधिकार हैं। संविधान में उसे स्वतंत्रता दी गई है। आप उससे प्रभावित हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुखी हूं। आप हमारे संरक्षक हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए, मैंने आपको आपकी मनोव्यथा अभिव्यक्त करने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आप हमारे गार्जियन हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या गार्जियन की कोई सुनता है?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि एज–ए–स्पीकर, एज–ए–मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट आप हमारे संरक्षक हैं और वैसे भी मेरे गार्जियन हैं। मेरा आग्रह है कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि किसी के व्यक्तिगत जीवन पर राजनीतिक और सामाजिक रूप से कोई हाथ होता है, उसे देखने की किसी को जिम्मेदारी दी जाए। आप इसे जरूर देखें। हरेक व्यक्ति का किसी न किसी चीज में हाथ होता है और हर कोई इसके शिकंजे में आते हैं। मैं केवल इसकी लपेट में नहीं आया हूं। इस चीज पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। आपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नए कदम उठाए हैं। इसके लिए केवल नए सांसद ही धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, मैं चार बार संसद का सदस्य रहा हूं और पांच बार विधायक रह चुका हूं। आप इसमें दखल देकर इसे मजबूत कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि संयम और सहयोग का फल मिलात है।

...(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मसले की ओर आपका ध्यान दिला रहा हूं। हिन्दुस्तान भर में एक पक्षी विहार है और वह भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। यह 29 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध केवलादेव नेशनल पार्क पानी की कमी के कारण संकटग्रस्त है। इससे वहां पक्षी नहीं आ रहे हैं। विलायती बबूल में बढ़ोत्तरी के कारण वहां पक्षी नहीं आ रहे हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए मुख्य पानी का स्रोत पार्क से 600 मीटर की दूरी पर स्थित अजान बांध है। अजान बांध में पानी गंभीर नदी एवं बाण गंगा नदी से प्राप्त होता रहा है। गत कुछ वर्षों से बाण गंगा से पानी प्राप्त होना लगभग नगण्य हो गया है। गम्भीर नदी ही पानी का मुख्य स्रोत है। अजान बांध से पानी जुलाई से सितम्बर माह तक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में घना नहर द्वारा छोड़ा जाता है। पानी की कमी के कारण पार्क में बहुत कम पक्षी आते हैं। राज्य सरकार ने चम्बल से पानी की पाइप लाइन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए केन्द्र सरकार के पास सौ करोड़ रुपये की योजना भेजी है। इस योजना को भारत सरकार शीघ्र मंजूर करे जिससे उस राष्ट्रीय उद्यान में हर साल पक्षी आएं। वर्षों से उन्हें यहां आने की आदत पड़ गई है जिससे वे यहां आते हैं। यह पक्षी विहार पूरे हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है। इस पक्षी विहार में पानी की व्यवस्था हो और भारत सरकार इसके लिए सौ करोड़ रुपये मंजूर करे जिससे इसे बचाया जा सके। यह राष्ट्रीय उद्यान केवल राजस्थान का नहीं, पूरे हिन्दुस्तान का है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे–उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं वैट को लेकर वित्त मंत्री जी से रिकवैस्ट करना चाहूंगी। वैट को लेकर जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसे दोबारा कंसिडर किया जाए। मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि कोई भी स्टेट इसे एक अप्रैल से इम्पलीमैंट न करे।

[अनुवाद]

सरकार बैठक बुला सकती है तथा व्यापारियों और व्यापार संगठनों से बात कर सकती है।

मुझे लगता है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। यदि वे इसे 1 अप्रैल से आरम्भ करेंगे तो छोटे दुकानदारों तथा छोटे व्यापारियों पर इसका असर पड़ेगा और फिर इससे आम लोग प्रभावित होंगे। इसलिए मैं सरकार से इस पर विचार करने का अनुरोध कर रही हूं। भाजपा ने पहले ही कह दिया है कि भाजपा–शासित राज्य 1 अप्रैल से वैट लागू नहीं करेंगे।

मैं सभा के नेता, श्री प्रणव मुखर्जी, जो कि यहां उपस्थित हैं के माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं कि भारत सरकार, राज्य सरकारों को 1 अप्रैल, 2005 से वैट लागू न करने के निर्देश दे। अन्यथा, इससे देश में बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाएंगी।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों समाचार पत्रों में बराबर छप रहा है कि तेल कंपनियां डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाना चाहती हैं। यह भी छपा है कि दो किश्तों में, पहली अप्रैल से और बाद में पहली मई से 2.80 रुपये और दो रुपये डीलल और पेट्रोल पर बढ़ोत्तरी की जाएगी। इस सरकार ने नवम्बर महीने में पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की थी और सात–आठ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया और 55–56 डॉलर प्रति बैरल हो गया। लिहाजा डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाना मजबूरी है। दिसम्बर, जनवरी और फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम 40 डालर प्रति बैरल था। उस समय उपभोक्ता संस्थाओं ने यह मांग की थी जो आधार संस्थाओं ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड

ऑयल का दाम बढ़ गया है इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना हमारी मजबूरी है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया तो इससे दाम कम होना चाहिए। सरकार जब चाहती है तब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देती है। मैं समझता हूं इस तरह की बेतहाशा वृद्धि की जो संभावना है, उससे निश्चित रूप से भाड़ा बढ़ेगा और आम आदमी प्रभावित होगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह जो समाचार पत्र में छप रहा है कि 2.80 रुपये और दो रुपये डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे हैं... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुमन आपने अपनी बात कह दी।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सरकार बताए कि समाचार पत्र में जो छप रहा है, वास्तविकता क्या है? क्या सरकार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा कर आम आदमी पर भार डालना चाहती है? अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। इस सदन में नेता मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं, यहां सरकार को सफाई देनी चाहिए। मुझे लगता है कि 24 तारीख तक यह सदन होगा, जब यह सदन नहीं चलेगा तो सरकार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा देगी, जो किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि सरकार क्या चाहती है? आम आदमी पर भार डालना किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है।

श्री गणेश सिंह (सतना) : हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार खेती है। कुल आबादी का 75 प्रतिशत आदमी खेती का काम करता है। यह सही है कि किसान को शासन से जो आशा थी वह पूरी नहीं हो पाई है। किसान दिन रात मेहनत में, पूरे परिवार के साथ जुटा रहता है। देश में सीमांत किसानों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे एक ही कारण है कि जिस तरह से आबादी में वृद्धि हो रही है उसी तरह से किसानों की जमीन घटती जा रही है। मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसान की जो फसल है, उसे फसल बीमा योजना के लाभ मिलने चाहिए। उसे इन कारणों से लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका जो क्षेत्र निर्धारित है वह तहसील स्तर का है जबकि उसको पटवारी स्तर पर होना चाहिए तथा किसान की जो फसल गंभीर कीटों–इल्ली, गेरुआ, मांहू, उकठा, टिड्डी जैसे भयंकर रोगों से ग्रसित होकर नष्ट हो जाती है। उसे फसल बीमा योजना में शामिल नहीं किया गया है। मेरी मांग है कि उसे फसल बीमा में शामिल किया जाए। मेरी अपील है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से बात करके, फसल बीमा का प्रीमियम, जो किसानों से लिया जाता है, यदि दोनों सरकारें मिलकर उसे सब्सिडी के रूप में दें तो निश्चित रूप से किसानों को मदद मिलेगी। इस तरह से किसान कर्ज के बोझ से और लगातार खेती के घाटे में जाने से आत्महत्या कर रहा है, उसमें रोक लगेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर तत्काल कुछ न कुछ कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर एक जिला मुख्यालय है लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र में एक मुख्य डाक कार्यालय नहीं है। कोलीगल में एक मुख्य डाक कार्यालय है कोलीगल एक तालुका मुख्यालय है। इसलिए पैसों से संबंधित सभी लेन–देन कोलीगल में ही करने पड़ते हैं। इसके कारण अधिकारियों, पेंशनभोगियों और अन्य लोगों को बहुत कठिनाई होती है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र देश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। मैं पिछले कई वर्षों से चामराजनगर में एक मुख्य डाक कार्यालय के लिए मांग कर रहा हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः अपील करता हूं कि चामराजनगर में एक मुख्य डाक कार्यालय स्थापित करे। मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह प्रत्येक जिले में एक मुख्य डाक कार्यालय स्थापित करे। सरकार इससे राजस्व अर्जित कर सकती है और जनता, अधिकारी और पेंशनभोगी बहुत ही आसानी से लेन–देन करने में समर्थ होंगे। मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह किसी मानक की आवश्यकता के बिना चामराजनगर में एक मुख्य डाक कार्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृति दे। मैं आशा करता हूं कि संचार मंत्री इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर के लोगों की सहायता करेंगे।

महोदय मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बिहार के समस्तीपुर जिला की ओर दिलाना चाहता हूं जहां पिछली 19 मार्च को ओलावृष्टि एवं चक्रवाती तूफान से हजारों एकड़ फसल बरबाद हो गई। गांवों के मकान ध्वस्त हो गए, कई लोग जख्मी हो गए। इस विनाशकारी प्राकृतिक आपदा ने हजारों एकड़ गेहूं और मकई की फसल पूर्णरूपेण बरबाद कर दी। कुछ

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

दिन पहले आई बाढ़ से किसान किसी तरह उबरने की कोशिश कर रहे थे कि इस ओलावृष्टि और चक्रवाती तूफान ने किसानों की कमर ही तोड़ दी। उनके सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। बिहार में राष्ट्रपति शासन है। ऐसी परिस्थिति में किसानों की जो क्षति हुई है, चाहे वह कृषि की हो या जान–माल की हो, जिनके घर बरबाद हो गए हैं या विभिन्न प्रकार की हानियां हुई हैं, उन सब का सर्वेक्षण कराकर सरकार द्वारा उन्हें शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा दिलाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, मैं प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर बोलना चाहता हूं। क्या मुझे ऐलीगेशन पार्टी का बना दिया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। इसलिए इसे रोका जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, गत एन.डी.ए. सरकार ने ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की थी। मुख्य अभियंता स्तर के रिटायर्ड लोगों को उसकी मानिटरिंग करने के लिए अस्थाई रूप से नियुक्ति दी गई थी। इसका कारण यह था कि अगर क्वालिटी में कहीं गड़बड़ होगी, तो ठेकेदार को मार्गदर्शन दिया जाएगा और यदि ठेकेदार कोई कार्यवाही नहीं करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। एक अंदाज के अनुसार इन पर प्रतिमाह 50 हजार रुपया खर्च पड़ता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 दिन के लिए 1500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कार्य दिया जाता है। इसके अलावा उनको आने–जाने का हवाई जहाज का खर्चा भी दिया जाता है। इस प्रकार की मानिटरिंग देश के विभिन्न राज्यों–बिहार, सिक्किम, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि में की गई है। उस मानिटरिंग की रिपोर्ट भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिल गई है। मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कों के निर्माण में घटिया किस्म का मैटिरियल इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है जिसके आधार पर कार्यवाही हो सके। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि मानिटरिंग प्रतिवेदनों पर गम्भीरता से विचार किया जाए। जहां घटिया किस्म का काम हो रहा है, उन प्रतिवेदनों के आधार पर जो ठेकेदार कार्यवाही नहीं करते हैं, उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जाए। जो ठेकेदार उन प्रतिवेदनों के आधार पर कार्रवाई नहीं करते हैं, उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सूचना और मिली है। मैं बताना चाहता हूं कि जिन मॉनीटर्स ने प्रान्तों के खिलाफ प्रतिवेदन दिए हैं, जहां घटिया किस्म के काम हो रहे हैं, वहां कुछ ठेकेदार और पदाधिकारियों की मिलीभगत से उन प्रतिवेदनों को कूड़ेदान में फेंका गया है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके साथ ही वहां मॉनीटर्स को काम से वंचित करने की एक साजिश वहां की जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि उन प्रतिवेदनों के आधार पर सरकार गम्भीरतापूर्वक कार्रवाई करे, ताकि वहां जो घटिया निर्माण हो रहे हैं, उनमें सुधार हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संचार मंत्री का ध्यान वर्क–टू–रूल के चलते इस संचार नेटवर्क के फेल होने के बारे में और भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारियों तथा एग्जीक्यूटिवों द्वारा अपनाए गए अन्य प्रकार के आंदोलनों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। प्रेस रिपोर्टों से यह पता चला है कि प्रदर्शन करने वाले संगठन अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि सरकार उनसे बातचीत करके उनकी मांगों का समाधान करे। मेरे सहित, हम में से अनेक सदस्य ऐसे हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों विशेषकर उत्तरी बंगाल में स्थित निर्वाचन क्षेत्रों से पूरी तरह से कटे हुए हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह प्रदर्शन करने वाले संगठनों से बातचीत करे और वर्तमान स्थिति को समाप्त करे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि इस मामले पर विचार किया जाएगा और विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 1980 के पूर्व वन भूमि पर जो कब्जे हैं, उन्हें सदन में नियमित करने का निर्णय लिया गया था। केन्द्र की बाजपेयी जी की सरकार ने भी वर्ष 1993 तक के आदिवासियों के कब्जों को नियमित करने का निर्णय लिया था। लेकिन इतना लम्बा अरसा व्यतीत होने के बाद भी वन भूमि पर जो कब्जे किए गए हैं,

उन्हें नियमित नहीं किया गया है। जिसके कारण देश के कोने–कोने से वन भूमि पर कब्जा करने वाले समय–समय पर राजधानी में आकर धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। परन्तु केन्द्र सरकार और वन मंत्री का ध्यान इस ओर नहीं गया है। मेरा आग्रह है कि वन भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा जो कब्जे किए गए हैं, उन कब्जों के मुकाबले अवैध खनन और विभिन्न परियोजनाओं में इससे ज्यादा अवैध कब्जे हुए हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर इन कब्जों को नियमित न करने का जो सरकार ने मन बना रखा है, उससे हटकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करके स्टे खारिज कराया जाए और उन कब्जों को शीघ्र ही नियमित किया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : महोदय, मैं अपने आपको इस मामले से सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह द्विपक्षीय मामला है इसलिए मैं इसकी अनुमति देता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अपनी बात उचित ढंग से कहने की अनुमति देता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, कल के अखबार में खबर छपी है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दलों के शासन वाली राज्य सरकारें वैट प्रणाली को लागू नहीं कर रही हैं। इस प्रणाली पर लम्बे समय तक विचार–विमर्श किया गया और देश में इस प्रणाली को लागू करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। निःसंदेह राज्य सरकारों को इससे कुछ नुकसान हो सकता है लेकिन इस प्रणाली को लागू न करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। विशेषकर केरल जैसे उपभोक्ता वाले राज्य में ऐसा हो सकता है यदि पड़ोसी राज्यों ने वैट प्रणाली को लागू नहीं किया तो इससे राज्य का राजस्व बुरी तरह प्रभावित होगा। तमिलनाडु जैसे पड़ोसी राज्यों और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा शासित राज्यों में वैट को लागू नहीं किया जा रहा है। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद से केरल के लोग पहले ही उलझन में हैं। अब जब दिनांक 1.4.2005 से वैट प्रणाली लागू की गई तो इससे और अधिक उलझन उत्पन्न हुई है क्योंकि व्यापारिक समुदाय टकराव के रास्ते पर हैं। उन्होंने इसके विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह इस प्रणाली को लागू करेगी। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करे।

सरकार को यह भी देखना चाहिए कि वैट प्रणाली को लागू करने के मामले में एक समान प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। या तो सरकार इन्हें लागू न करने की शक्ति प्रदान करे अथवा वे अन्य राज्य सरकारों से कहें कि वह जहां तक उचित हो इसका पालन करें।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करे।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : माननीय अध्यक्ष जी, आज देश में दूर संचार के क्षेत्र में जो क्रान्ति आई है, उससे मोबाइल फोन का उपयोग बढ़ा है और जनता ने आम तौर पर इसको स्वीकार किया है। जितना अधिक इसका उपयोग हो रहा है, उतना ही अधिक इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस समय सर्वाधिक मोबाइल फोन का उपयोग छात्र एवं छात्राएं कर रहे हैं जिसके कारण उनको अध्ययन करने में बाधा पड़ रही है और उनके परीक्षा परिणामों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। देश में जो शासकीय तथा निजी स्कूल हैं, वहां पर छात्रों द्वारा मोबाइल फोन लाने पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि विगत दिनों में मोबाइल का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, वह किसी से छिपा नहीं है। वर्तमान में अश्लील चित्र एवं एस.एम.एस. कांड जैसी घटनाएं स्कूलों और कालेजों में हो रही हैं जो गंभीर चिन्ता का विषय है। जब अश्लील चित्र और एस.एम.एस. कांड जैसी घटनाएं घटती हैं तो इसमें सबसे अधिक आहत छात्राएं और महिलाएं होती हैं। उनकी भावनाओं को ठैस पहुंचती है, पीड़ा पहुंचती है और किसी न किसी रूप में वे अपने को अपमानित महसूस करती हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : महोदय, मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करती हूं।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, मैं सरकार और संबंधित मंत्री जी का ध्यान केरल के उत्तरी भाग और कर्नाटक के कुछ भागों में मराती समुदाय के सामने आ रही समस्याओं की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा।

महोदय, इस मराती समुदाय को वर्ष 2002 तक अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया गया था। इस समुदाय को वर्ष 1956 से सभी लाभ मिल रहे थे परन्तु राजग सरकार की अवधि में इस समुदाय के संबंध में अधिक जांच और मूल्यांकन किए बिना ही इसे सूची से निकाल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप, इस

समुदाय के बालकों को कोई छात्रवृत्ति या शैक्षिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। किसानों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है।

इस मुद्दे को जानकर, केरल सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और साथ ही केरल के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने सर्वसम्मति से इस समुदाय को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए निर्णय लिया है। इस जनजाति के संबंध में इनकी विशेषताएं, पिछड़ापन तथा इसकी भौगोलिक विशेषताएं आदि अभी भी जीवंत हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मैंगलोर में रहने वाली यही जनजाति लाभ प्राप्त कर रही है परन्तु इसी सभा में, यदि केरल में कासरगोड की बात आती है तो वहां उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

महोदय, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। केरल और कर्नाटक राज्य शुरू से ही उन्हें यह दर्जा दे रहे हैं। परन्तु अब, इस जनजाति को सिर्फ केरल राज्य में यह दर्जा देने से मना कर दिया गया है। इस कारण राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान संसद द्वारा पारित एक संशोधन था या गलती से ऐसा हो सकता है, इस कारण नहीं कि इस मामले में अधिक जांच की गई थी, और उन्हें इस सूची से अलग कर दिया गया है।

इस संबंध में मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी और सरकार इस गरीब जनजाति के साथ न्याय करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा।

आप अपने स्थान पर जाइए। ऐसा करके आप इस सभा का भला नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र मिर्जापुर भदोही उद्योगशून्य क्षेत्र है। वह जंगल–झाड़ी और नदी–नालों से घिरा हुआ इलाका है। वहां आदिवासी, वनवासी और गिरिवासी रहते हैं। वहां पानी का विषम संकट है। अभी तक लोग नदी–नालों से लाकर पानी पीते थे। कुएं सूख गए हैं और जल स्तर नीचे गिर गया है। वहां लोग पानी के बिना मरने की स्थिति में हैं। मैंने इस सदन में मांग की थी, माननीय वित्त मंत्री जी से भी निवेदन किया था, प्रधान मंत्री जी से भी मिलकर पत्र दिया था। विशेष परिस्थितियों में जहां उद्योगशून्य इलाका हो, आदिवासी बहुल इलाका हो, उनके लिए प्रधान मंत्री महादेय लालकिला से आदिवासियों के लिए प्राक्कलन और प्रावधान जरूर करने का भाषण देते हैं। ऐसी दशा में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में जितने भी नदी नाले हैं, वे सभी सूख गए हैं। यदि आप आदिवासियों के प्राणों से मोहब्बत करते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तात्कालिक प्रभाव से वहां जल सुविधा मुहैया कराने की व्यवस्था की जाए। विगत 19 तारीख को मेरे लोक सभा क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक और वहां की पुलिस ने मिल कर स्वतन्त्रता सेनानी श्री लालता मोर्या को बुरी तरह से मारा है, गोलियां भी चलाई हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वे बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे थे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का मुद्दा है। कृपया कानून और व्यवस्था के मुद्दे को यहां मत लाइए।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, आप समय नहीं देते हैं। मुझे एक और विषय पर कुछ कहना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप राज्य के मामले को यहां नहीं ला सकते। मैंने आपको अनुमति दी है परन्तु विधान सभा के मामले को यहां मत लाइए। हमारी अपनी ही काफी समस्याएं हैं।

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : जो केन्द्रीय विद्यालय हैं... *(व्यवधान)* जो कूपन दिया गया है, उस पर कमल का फूल है। यह किसी पार्टी का चिह्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपको मौका दे दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, बैंक कर्मचारी सरकार की कतिपय नीतियों नामतः निजी क्षेत्र के बैंकों में उनकी पूंजी के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 74 प्रतिशत तक वृद्धि, राष्ट्रीयकृत बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंक बनाने के लिए उनका विलय और सममेलन और राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार पूंजी में 51 प्रतिशत तक की कमी और इस प्रकार बैंकों में 49 प्रतिशत तक निजी क्षेत्र की पूंजी की अनुमति के विरोध में कल हड़ताल पर जा रहे हैं।

महोदय, 70 प्रतिशत मतदान अधिकारों के साथ 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर, जैसा कि प्रस्ताव किया जा रहा है, विदेशी उन निजी बैंकों को अपने हाथों में ले लेंगे जो हमारे देश की जनता की बचतों के लेन–देन का कार्य भी कर रहे

हैं। 29 निजी बैंकों की कुल पूंजी 3000 करोड़ रुपये से कम है परन्तु जमाराशियां तीन लाख करोड़ से अधिक हैं। यह एक खतरनाक कदम है। सरकार जो कदम उठा रही है।

महोदय, केवल पिछले वर्ष गैर–निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में 25000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। सरकार गैर–निष्पादक आस्तियों में फंसी धनराशि को वसूल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। अशोध्य ऋण भी हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में हुआ था। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में क्या होगा?

महोदय, सरकार द्वारा विदेशी बैंकों को निजी बैंकों में अपने शेयर को बढ़ाने की अनुमति देना और राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार के शेयर को कम करने संबंधी पहल से हमारे देश के करोड़ों लोगों के हित को ठेस पहुंचेगी।

महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए तथा इसे निजी बैंकों में 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार के शेयर को कम करने और साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय तथा समामेलन के संबंध में अपने निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : अभी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैं 'शून्य काल' के अंतर्गत पहले ही 21 सूचनाओं पर कार्रवाई कर चुका हूं। आपके नाम से एक सूचना है। आप इसे उठानां नहीं चाहती हैं।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : मैं इसे नियम 377 के अधीन उठाना चाहती हूं...*(व्यवधान)*

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है। कृपया मुझे इस मामले को उठाने की अनुमति दें।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप श्री गिरधारी लाल भार्गव से कुछ सीखिए।

[अनुवाद]

उन्हें कक्षाएं लेनी चाहिए।

अब, डा. के. एस. मनोज। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

अपराह्न 1.00 बजे

डा. के एस. मनोज (अलेप्पी) : ठीक है। महोदय, मैं संसद और माननीय कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री का ध्यान केरल में पारंपरिक नारियल जटा फैक्ट्री के कामगारों की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वहां करीब चार लाख नारियल जटा फैक्ट्री के कामगार हैं जिनमें से दो लाख महिला कामगार हैं। वे पारंपरिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। करीब 12,000 नारियल जटा फैक्ट्री सहकारी हैं लेकिन इन नारियल जटा फैक्ट्री सहकारी समितियों और इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे लोगों का भविष्य खतरे में है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : यह सब आपके विरुद्ध जा रहा है। जब मैंने आपको पुकारा तब आप अनुपस्थित थे। आपको इंतजार करना पड़ेगा। कृपया इंतजार कीजिए। मैं मौका देने की कोशिश करूंगा। अन्य लोगों के भाषण में व्यवधान न डालें।

डा. के. एस. मनोज : महोदय, पहले, नारियल जटा उत्पादों को उत्पादन और विपणन सुविधा देने के क्रम में राजसहायता और छूट दी गई थी, लेकिन अब सभी प्रकार की छूट और राजसहायता को वापस ले लिया गया है। छूट की बजाय एम.डी.ए.–विपणन विकास सहायता दी जाती है। लेकिन यह समय से नहीं दी जाती है। इन सहकारी समितियों को दैनिक गतिविधियों के लिए विपणन विकास सहायता के उपयोग की अनुमति नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि एम.डी.ए. की बजाय छूट दी जानी चाहिए। पहले तो नारियल जटा उत्पादों के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य और न्यूनतम क्रय मूल्य दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए, लघु उद्योग निर्माताओं और सहकारी समितियों को बहुत ही कम मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। निर्यातक बहुत कम मूल्य पर उत्पाद बेचने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि नारियल जटा उत्पादों के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य और न्यूनतम क्रय मूल्य की व्यवस्था लागू की जाए और एम.डी.ए. की बजाय नारियल जटा उत्पादों को छूट दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री गढ़वी, कृपया सुनिए। मैं सबको समय देने की कोशिश कर रहा हूं। बात इतनी है कि आप ऐसा मामला उठा रहे हैं जिस पर माननीय प्रधान मंत्री के स्तर पर सरकार ने अपना रवैया बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। क्या आप उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे?

श्री पी. एस. गढ़वी : इसलिए, मुझे केवल उन्हें धन्यवाद ही देना है।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री और भारत सरकार को गुजरात सरकार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को इन्द्री बीजा देने से

इनकार करने पर अपनी चिन्ता व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री और भारत सरकार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। कल, "भारत स्वाभिमान रैली" में भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया था। पुनः मैं भारत सरकार और विशेष रूप से प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि देश में राज्यों की दूरी कम करने के लिए नदियों पर तमाम पुल बने हैं। इधर मेरे क्षेत्र में एक यमुना नदी है जिस पर पीपे का पुल प्रति वर्ष बनता है। उस पर लाखों रुपये प्रति वर्ष खर्च होते हैं। नदी में बाढ़ आने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो जाता है जिससे लाखों यात्रियों का इधर से उधर जाना रुक जाता है। इससे व्यापार को भी नुकसान होता है, पर्यटन का भी नुकसान होता है और आवागमन अवरुद्ध होने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में महेबा घाट है। वहां एक बड़े पुल की आवश्यकता है। राज्य सरकार उसमें मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि उस पुल के निर्माण में वह आर्थिक योगदान दे। इससे बुन्देलखंड और पूर्वांचल के साथ-साथ मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड प्रदेशों की दूरियां भी कम हो सकेंगी। इससे पर्यटन तथा व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी सुविधा प्राप्त होगी।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, मैं इस चेतावनी के साथ आपको यह मौका देता हूं कि आप यदि भविष्य में अनुपस्थित रहे तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा।

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं खड़ी हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्पष्टीकरण न दें। आप अपनी बात कहिए। आपको संक्षेप में बोलना पड़ेगा। सभा का अनुचित लाभ न उठाएं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होने से पहले हमारे देश में ईस्ट बंगाल और वैस्ट बंगाल भी थे। 15 अगस्त, 1947 को पार्टीशन हुआ और जो हिन्दू कम्युनिटी के लोग थे, वे काफी संख्या इंडिया में, वैस्ट बंगाल में भी आए। शेड्यूल्ड कास्ट्स के भी काफी लोग भारत-पाक युद्ध के बाद 1971 में भारत में आए क्योंकि उन्हें बांगलादेश में काफी तकलीफें होती थीं। हिन्दू धर्म के लोगों के लिए भारत और मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए पाकिस्तान बना। 1971 के बाद आने वाले जो लोग हैं और जो वैस्ट बंगाल में रहते हैं, ये कम से कम 30 लाख से ऊपर हैं। इनमें नमोशूद्र, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं और बुद्धिस्ट भी हैं।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि जो लोग भारत में ईमानदारी के साथ रहना चाहते हैं, अगर वे लोग बांगलादेश जाते हैं तो बंगला गवर्नमेंट का कहना है कि आप लोग इधर के नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन 30 लाख लोगों को यहां की नागरिकता मिलनी चाहिए और जो कट ऑफ डेट 71 की है, उसे दूर करना चाहिए। मैं प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी से भी मिला हूं, उन्होंने आश्वासन दिया है, मगर जल्दी से जल्दी इन 30 लाख लोगों को सिटिजनशिप मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, 25 सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री पी. मोहन मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि वे माननीय सदस्य जिनका नाम मैंने आज नहीं पुकारा है, कृपया कल वे अपना नया नोटिस दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी. मोहन (मदुरई) : कल भी मैंने नोटिस दिया था। लेकिन, आज, आपने मेरा नाम नहीं पुकारा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसे में आप समझते हैं कि आसन आपके विरुद्ध है।

...(व्यवधान)

श्री पी. मोहन : नहीं, महोदय,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप दूसरा नोटिस दीजिए। मैं आपको समय दूंगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(दो) निजी विश्वविद्यालय*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, हम अनुपूरक कार्य सूची शुरू करेंगे। निजी विश्वविद्यालय के बारे में श्री अर्जुन सिंह वक्तव्य देंगे। चूंकि यह एक लम्बा वक्तव्य है, अतएव आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में माननीय सदस्य—श्री बालेश्वर यादव और श्री बाडिगा रामकृष्ण द्वारा दिनांक 15.3.2005 को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. 163 के उत्तर के दौरान मुझे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों से जुड़े इस विषय पर एक विस्तृत विवरण तैयार करने का निर्देश माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया था। तदनुसार मैं निम्नलिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं :

*हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 19/2004: प्रो. यशपाल एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के मामले में 11 फरवरी, 2005 के अपने आदेश के जरिए छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के प्रावधानों को संविधान प्रदत्त अधिकार से परे घोषित किया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे निजी विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित संस्थाओं में वास्तव में पढ़ रहे विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं को छत्तीसगढ़ में पहले विद्यमान राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने के लिए उपयुक्त उपाय करे और संस्था को संबद्धन तभी प्राप्त होगा जब वह इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अपेक्षित मानदंडों और मानकों को पूरा करे।

जैसा कि माननीय सदस्य अवगत होंगे "विश्वविद्यालयों को शामिल करना, उनको विनियमित करना और बंद करना" राज्यों के विधायी अधिकार क्षेत्र का विषय है। तथापि, राज्य विधायिका के अधिकार विशेष तौर पर "उच्चतर शिक्षा संस्थाओं अथवा अनुसंधान और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और निर्धारण" तथा तकनीकी, चिकित्सा, शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा के विषय संबंधी समवर्ती सूची में शामिल करने के संबंध में राज्य विधायिका के अधिकार संसद के अधिकारों द्वारा परिसीमित हैं।

निजी निवेश के साथ उच्चतर शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को समर्थन देने की प्रवृत्ति निजी संस्थाओं के संबंध में गुणवत्ता और मानकों के मुद्दों पर विशेष बल देने की आवश्यकता का संकेत देती है। हालांकि संसद ने देश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके विनियमन के संबंध में विधान लाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा ऐसे ही अधिकार प्राप्त परिषदों जैसे निकायों के सृजन के माध्यम से आवश्यक सांविधिक कार्यढांचों का सृजन किया है, केन्द्र सरकार ने 25 अगस्त, 1995 को राज्य सभा में "निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 1995" को पेश किया। उच्च सदन में पेश किए जाने के बाद विधेयक को विभाग से संबंधित संसदीय स्थाई समिति के पास भेज दिया गया और समिति ने दिनांक 26.3.1996 को राज्य सभा के अध्यक्ष को कतिपय सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति द्वारा की गई कुछ विशिष्ट सिफारिशों को विधेयक में शामिल कर दिया गया। तथापि, सरकार ने फरवरी, 1999 में यह निर्णय लिया कि राज्य सभा में लंबित निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मामले को उठाने की बजाय इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के संशोधन पर "डा. अमरीक सिंघ रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल किया जाए।" कुछ राज्य विधान मंडलों ने अपने राज्य अधिनियमों के जरिए निजी विश्वविद्यालयों का सृजन किया है और इस प्रकार अपने संबंधित राज्यों में निजी विश्वविद्यालयों को स्थापना के लिए सांविधिक अधिनियमों के प्रख्यापन के बाद उत्तर प्रदेश (2001), हिमाचल प्रदेश (2002), उत्तरांचल (2002), छत्तीसगढ़ (2002) और गुजरात (2003) राज्यों में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए।

छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 को लागू किया। राज्य अधिनियम की धारा 5 में मूल रूप में यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हुए ऐसे नाम और ऐसे क्षेत्राधिकार और परिसर के स्थान के साथ विश्वविद्यालय की स्थापना इस प्रकार कर सकता है कि "विश्वविद्यालय स्थापित करने की वांछनीयता" धारा 5(1)(क), तथा "पाठ्यक्रम संचालित करने और डिग्रियां अथवा डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र" प्रदान करने के लिए तत्काल प्रभावी किसी अन्य विधान के अंतर्गत अपेक्षित मान्यता अथवा प्राधिकार" धारा 5(1)(ख) के संबंध में विनिर्दिष्ट हो। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने निजी विश्वविद्यलायों को स्थापित करने के लिए प्रारम्भ में "सिद्धान्त रूप में" 108 प्रस्तावों को अपना अनुमोदन प्रदान किया जिनमें से 97 विश्वविद्यलायों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया। हालांकि राज्य अधिनियम में "यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं का मानक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राष्ट्रीय

*ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1816/05

*वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया।

अध्यापक शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारतीय चिकित्सा परिषद और फार्मेसी परिषद आदि द्वारा निर्धारित मानक से कम न हो" धारा 3(11), जिम्मेदारी निजी विश्वविद्यालयों को दी गई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद आदि जैसे सांविधिक प्राधिकरणों से किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा कोई पूर्व मान्यता या प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया जैसाकि राज्य विधान में प्रावधान था। राज्य सरकार ने भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास प्रस्ताव नहीं भेजा था। राज्य अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि निजी विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से "किसी कॉलेज या अन्य संस्था को संबद्धन प्रदान कर सकता है अथवा एक से अधिक परिसर स्थापित कर सकता है।" तथापि, यह मानते हुए कि राज्य अधिनियम का क्षेत्राधिकार "सम्पूर्ण छत्तीसगढ़" के लिए लागू है, किसी कॉलेज या किसी संस्था का संबद्धन अथवा एक से अधिक परिसर स्थापित करना केवल छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत ही वैध था।

निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में बेहिसाब वृद्धि और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26(1)(च) और (छ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनमें मानक का अनुरक्षण) विनियम, 2003 दिनांक 27.12.2003 को अधिसूचित किया। उपरोक्त विनियमों के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षण के स्तर को बनाए रखने, शोधकार्य करने तथा विस्तार सेवाओं हेतु एक प्रभावी विनियामक तंत्र की व्यवस्था करना है। इन विनियमों को इस सदन में 13 जुलाई, 2004 को और राज्य सभा में 19 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत किया गया था।

छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2002 के अधिनियम में संशोधन किया और 18 फरवरी, 2004 से छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियम) संशोधन अधिनियम, 2004 लागू किया गया। इस संशोधित अधिनियम में "ऑफ कैम्पस केन्द्र" और "ऑफ–शोर कैम्पस" की स्थापना की व्यवस्था है, जबकि इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र को संपूर्ण छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रखा गया। इस संशोधित राज्य अधिनियम की अन्य प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं–प्रतिभूति के रूप में उपयोग किए जाने हेतु विन्यास निधि की स्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये विश्वविद्यालय इस अधिनियम, सांविधियों तथा अध्यादेशों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें; इन निजी विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की मॉनीटरी हेतु एक विनियामक आयोग की स्थापना करना; यह विनियामक आयोग "विश्वविद्यालयों तथा/अथवा देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली संबंधी विनियामक कार्य से जुड़े अन्य निकायों यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, एम.सी.आई., फार्मेसी परिषद तथा शिक्षा के विनियमन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित ऐसे अभिकरण/अभिकरणों के परामर्श से", "विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा तथा शोध के स्तर का निर्धारण तथा अनुरक्षण हेतु सभी ऐसे कदम उठा सकता है जो वह आवश्यक समझे।" (धारा 24)(9)(ए))

मूल राज्य अधिनियम, 2002 के तहत अधिसूचित 97 विश्वविद्यालयों में से साठ विश्वविद्यालयों द्वारा संशोधित अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2004 को उनकी अधिसूचना रद्द कर दी गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 23 मार्च, 2004 को पूर्वोल्लिखित वर्ष 2003 के विनियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। इस आयोग ने इस प्रयोजनार्थ निरीक्षण समितियों का गठन किया। छत्तीसगढ़ में सभी अधिसूचित विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के आधार पर आयोग ने 22 दिसम्बर, 2004 को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी ताकि सरकार इस पर अपनी टिप्पणी दे सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 30 अक्तूबर, 2004 को राज्य सरकार का ध्यान ऑफ–कैम्पस केन्द्रों और ऑफ–शोर केन्द्रों तथा अध्ययन केन्द्रों के खोले जाने से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की ओर आकृष्ट किया। राज्य सरकार ने 20 दिसम्बर, 2004 को आयोग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2(एफ) के तहत विश्वविद्यालयों की सूची में 17 निजी विश्वविद्यालयों को शामिल किए जाने की सूचना दी। इस प्रस्ताव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पाई गई कतिपय विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए, इस आयोग ने राज्य सरकार को इस विषय पर एक संयुक्त बैठक आयोजित करने हेतु आमंत्रित किया। इसी बीच भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसके पास मौजूद रिट याचिकाओं, जैसा कि इस विवरण के प्रारंभ में उल्लेख किया गया है, के संबंध में अपना निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि "प्रतिवादित अधिनियम, जो विशेषतः किसी विश्वविद्यालय को राज्य से बाहर ऑफ–कैम्पस केन्द्र खोलने हेतु प्रावधान करता है, स्पष्टतः छत्तीसगढ़ की विधायी सक्षमता से परे है।"

छत्तीसगढ़ सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 37 अधिसूचित विश्वविद्यालयों में से 19 विश्वविद्यालय क्लास रूम शिक्षण प्रदान कर रहे थे, और लगभग 23 हजार विद्यार्थियों ने इन पूर्व निजी विश्वविद्यालयों में दाखिला ले रखा था। प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों में से अधिकांश विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर स्थित ऑफ–कैम्पस केन्द्रों में दाखिला लिया था।

[श्री अर्जुन सिंह]

महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है छत्तीसगढ़ राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना करना राज्य विधान मंडल की विधायी सक्षमता के भीतर आता है, अतः राज्य विधान की संवैधानिकता के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के आलोक में उपयुक्त उपाय करना राज्य सरकार का दायित्व है। तथापि, राज्य का विधान तत्कालीन निजी विश्वविद्यालय के ऑफ–कैम्पस केन्द्रों तथा ऑफ–शोर केन्द्रों में नामांकित प्रभावित छात्रों को निजात दिलाने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होगा। महोदय, मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मेरा मंत्रालय उन हजारों छात्रों के भविष्य के बारे में अत्यन्त चिन्तित है जो अब इन बंद हो चुके निजी विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे थे।

याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तुरन्त बाद मेरे मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से यह सूचित करने का अनुरोध किया कि क्या इस मामले में भारत सरकार द्वारा विशिष्ट हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी निर्णय तथा इसके निहितार्थों की जांच करने, इन तत्कालीन निजी विश्वविद्यालयों में नामांकित वास्तविक छात्रों के संबंध में सतर्क होने का अनुरोध किया गया ताकि यदि आवश्यकता पड़े तो आयोग से इस मामले में उपयुक्त उपाय करने का अनुरोध किया जा सके।

इस दिशा में एक समाधान की तलाश करने तथा प्रभावित छात्रों के भविष्य की रक्षा करने के उद्देश्य से, मैंने छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री को विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया था। महामहिम राज्यपाल जो राज्य के वर्तमान विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में, राज्य के अधिनियम के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालयों के विजिटर भी हैं, भी इस बैठक में उपस्थित हुए। उन्होंने मुद्दे अपने स्तर पर किए जा रहे उपायों की जानकारी दी और सांविधिक निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि से अपेक्षा की कि वे इस मामले में उनका मार्गदर्शन करें। हमने इन निकायों को शासित करने वाले संबंधित कानूनों के अंतर्गत यथापेक्षित कार्यविधि संबंधी दायित्वों के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने का वायदा किया है ताकि राज्य में उच्चतर शिक्षा के मानदंडों को बनाए रखा जा सके। महोदय, हमने राज्य सरकार से पाठ्यचर्या, अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रम, डिग्रियों, शुल्क संरचना तथा संस्थाओं की वास्तविक अवसंरचना जो तत्कालीन निजी विश्वविद्यालय के भाग के रूप में थे, के संबंध में संस्थावार विस्तृत सूचना देने का भी अनुरोध किया है। हम राज्य सरकार से सभी प्रासंगिक सूचना प्रदान करने की आशा करते हैं ताकि राज्य सरकार द्वारा जहां कहीं महसूस किया जाए, केन्द्रीय एजेंसियां कारगर ढंग से हस्तक्षेप कर सकें। हमने राज्य सरकार को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में प्रभावित संस्थाएं विद्यमान राज्य विश्वविद्यालयों के साथ संबंधन की मांग कर सकती हैं जिनके लिए रायपुर तथा बिलासपुर स्थित विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत संविधियों एवं अध्यादेशों के अंतर्गत स्वयं में सक्षम हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय शिक्षा के मानदंडों अथवा डिग्रियों अथवा अन्य अवार्डों की समकक्षता के निर्धारण के लिए किसी भी प्रकार की तकनीकी अथवा शैक्षणिक सहायता स्वेच्छा से प्रदान करेंगी।

महोदय, चूंकि अधिकांश प्रभावित छात्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित ऑफ–कैम्पस केन्द्रों में नामांकित थे, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो इस मुद्दे पर काफी गंभीर हैं, ने दिल्ली के छात्रों की समस्याओं पर विचार–विमर्श किया। हमारी बैठक के अनुसरण में मेरे मंत्रालय के अधिकारियों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधियों ने गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति के साथ प्रभावित कैम्पस केन्द्रों के संबंधन के लिए विस्तृत विचार विमर्श किया।

गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति ने इस बात पर सिद्धान्त रूप में सहमति व्यक्त की है कि 31 मार्च, 2005 तक प्राप्त ऐसे सभी अनुरोधों पर 'विशेष मामले' के रूप में संबंधन के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी संस्थाएं उच्चतर तथा व्यावसायिक शिक्षा के अपेक्षित मानकों को पूरा करती हों। जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय प्रभावित संस्थाओं की शीघ्र जांच करने हेतु मूल्यांकन तथा निरीक्षण समितियों को पुनर्गठित करने के लिए सहमत हो गया है, जहां भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ संयुक्त रूप से अपेक्षित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो और आधिकारिक राज्य सरकारों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाली ऐसी संस्थाओं के विषय जिसमें ये ऑफ–कैम्पस केन्द्र स्थित हो सकते हैं। जीजीएसआईपी विश्वविद्यालय भी उन छात्रों के लिए क्रेडिट हस्तांतरण प्रणाली तैयार करने के लिए सहमत हो गया है जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई मौजूदा डिग्रियों के बराबर समझे जाने वाले पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों में नामांकित है। मेरा मंत्रालय सभी राज्य सरकारों को लिख चुका है कि वे अपने–अपने राज्यों में कार्य कर रहे निजी विश्वविद्यालयों तथा ऑफ–कैम्पस केन्द्रों के संबंध में पूर्ण ब्यौरा दे और यह मानते हुए कि कुछ मामलों में एक से अधिक राज्य शामिल हो सकते हैं, हम राज्यों से अनुरोध करने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करेंगे ताकि प्रभावित छात्रों के हितों में शामिल की गई विभिन्न औपचारिक प्रक्रियाओं पर तुरन्त कार्रवाई की जा सके। महोदय, अब हम आशा करते हैं कि पूर्व निजी विश्वविद्यालयों के प्रायोजक जो प्रभावित

संस्थाओं का प्रबंधन करते हैं, ऐसी तत्परता दिखाएंगे जिनके साथ केन्द्र तथा राज्य सरकारें इस मुद्दे पर ध्यान दे रही हैं—इन प्रबंधनों को संबंधन प्राप्त करने के लिए राज्यों में स्थानीय विश्वविद्यालयों से सम्पर्क करने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए जिनके क्षेत्राधिकार में प्रभावित संस्थाएं स्थित हैं और जहां स्थानीय राज्य सरकार को औपचारिक अनापत्ति प्रमाणपत्रों के लिए सम्पर्क करना होता है, उनको ऐसा करना चाहिए। उनको उचित राज्य सरकारों सहित समुचित प्राधिकारियों को सभी प्रासंगिक सूचना भेजनी चाहिए ताकि शामिल की गई प्रक्रियाओं पर तुरन्त कार्रवाई की जा सके। इस महान सदन के माध्यम से महोदय मैं सभी निजी प्रायोजकों को एक स्पष्ट संदेश देना चाहूंगा कि उनको सब बातों को भुलाकर प्रभावित छात्रें के हितों की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे छात्र प्रभावित हों तथा चिन्तित हों।

छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा मेरे मंत्रालय को उपलब्ध कराई सूचना से यह देखा गया है कि निजी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए अनेक कार्यक्रमों तथा डिग्रियों की नामावली मौजूदा राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों से अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए गए अनुमोदन से मेल नहीं खाती हैं। पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या की संभव समानता लाने के लिए उचित सांविधिक निकायों द्वारा जांच की जानी होगी। महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि हमने सभी प्रक्रियात्मक विलम्बों से बचने तथा प्राथमिकता आधार पर प्रभावित संस्थाओं की जांच करने के लिए सभी संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों के सभी कर्मचारियों को पहले से अनुदेश जारी कर दिए हैं।

महोदय, मैं निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में लम्बित केन्द्रीय विधान के मुद्दे पर वापिस आना चाहूंगा जिसका मैंने प्रारम्भ में बहुत संक्षिप्त उल्लेख किया था। महोदय, उच्चतर तथा व्यावसायिक शिक्षा के वाणिज्यीकरण को किसी रूप में प्रोत्साहित किए बिना हमें उच्चतर शिक्षा तथा विश्वविद्यालय प्रणाली को वित्तपोषित करने में सभी प्रासंगिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है—कुछ मुद्दों का पहचानना आसान है; क्या केन्द्रीय कानून सभी मुद्दों को शामिल करने के रूप में होना चाहिए जिसको पहले पेश किया गया था, अथवा क्या उनकी स्थापना के लिए व्यवस्था किए बिना निजी विश्वविद्यालयों के मानदण्डों के नियमन तथा रख—रखाव के लिए कार्य ढांचे तक सीमित किया जाना चाहिए जिसे राज्यों पर छोड़ा जा सकता है क्योंकि यह राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा बहुत से अन्य मुद्दे हैं, विशेषकर वे जो समानता को प्रभावित करते हैं। उदाहरणस्वरूप निजी विश्वविद्यालयों में समाज के कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व। महोदय, सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि निजी विश्वविद्यालयों संबंधी सम्पूर्ण मुद्दों का लोक नीति संबंधी अनेक आयाम हैं और इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जरूरत है। जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन कर परामर्श की प्रक्रिया को फिर से आरंभ किया है और इस बोर्ड ने अपनी विभिन्न समितियों के जरिए कार्य करना शुरू कर दिया है। महोदय, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड प्रख्यात व्यक्तियों, प्रतिष्ठित विद्वानों, शिक्षाविदों तथा राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से युक्त हमारे संघीय संरचना की सर्वोच्च नीति संबंधी परामर्शी निकाय है। प्रो. बी.एल. मुंगेकर, सदस्य, योजना आयोग, की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक समिति विशेष रूप से उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के वित्तपोषण संबंधी सभी मुद्दों की जांच कर रही है। समिति के विचारार्थ विषयों में निवेश की पर्याप्तता की जांच करना तथा उच्चतर शिक्षा हेतु संसाधन स्रोत में वृद्धि के तरीकों को ढूंढ़ना, सकल घरेलू उत्पाद में से उच्चतर शिक्षा के लिए 6 प्रतिशत हिस्सा संबंधी मामले की जांच करना और उच्चतर/तकनीकी शिक्षा में निवेशों तथा निजी सहभागिता को विनियमित तथा प्रोत्साहित करने के तरीकों से संबंधित सुझाव देना है।

हमारे सांविधिक स्कीम के तहत, शिक्षा संबंधी लोक नीति के सभी मामलों में राज्यों को सक्रिय भागीदार होना होता है। इसलिए उच्चतर शिक्षा में निजी सहभागिता हेतु किसी अनुशासन के निर्धारण के संबंध में राज्य सरकारों के साथ सार्थक संवाद के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए। मुझे पता चला है कि संसद में लंबित केन्द्रीय विधेयक के संबंध में इस तरह का कोई भी परामर्श न तो केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (जो कि करीब एक दशक के बाद पुनः गठित किया गया है) स्तर पर और न ही राज्यों के साथ किया गया था। हाल में, मेरे मंत्रालय ने सभी राज्यों के उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया। निजी विश्वविद्यालयों के इस मुद्दे संबंधी राज्य सरकारों की चिन्ताओं को हमने सुना। इस संबंध में एक केन्द्रीय विधान हो इस पर स्पष्ट आमसहमति नहीं थी, क्योंकि कुछ राज्यों के विचार अलग थे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों ने भी निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। हमने सभी राज्यों को छत्तीसगढ़ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तरफ ध्यान आकर्षित किया और उनसे सूचना मांगी कि क्या उनके अपने—अपने राज्य अधिनियमों द्वारा ऑफ—कैम्पस केन्द्र स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ को छोड़कर, किसी भी राज्य ने इस तरह के किसी केन्द्र के बारे में सूचना नहीं दी है।

महोदय, मुझे इस समस्या संबंधी अपनी धारणा पर कोई संदेह नहीं है। इसके बावजूद कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी उपचारी कार्रवाई राज्य अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर लेने को कहा है, फिलहाल हमें प्रभावित वास्तविक छात्रों

[श्री अर्जुन सिंह]

को सहायता का आश्वासन देना होगा। विभिन्न स्टेक–होल्डरों को एक साथ करने हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा मैंने पहले ही दे दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जैसे हमारे सारे केन्द्रीय निकाय, उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के गुणवत्ता तथा मानदण्डों पर समझौता किए बिना, प्रभावित छात्रों के हित को ध्यान में रखकर प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम कर देंगे। अल्प काल के लिए, हमें यह भी देखना होगा कि ऐसा कोई जो केवल अपने व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देने के कारण समस्या के व्यावहारिक तथा न्यायपूर्ण हल के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, उससे सख्ती से तथा सही प्रकार से निपटा जाए। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं अपने शिक्षा के मंदिरों–विश्वविद्यालय प्रणाली की पवित्रता को व्यावसायिक मनोवृत्ति वालों द्वारा दूषित नहीं होने दूंगा। और यह केवल स्वदेशीय विश्वविद्यालयों के लिए ही लागू नहीं होगा। महोदय, राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किए गए मुद्दों में एक मुद्दा विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का भी था और यह निर्णय लिया गया कि प्रो. सी.एन. राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए जो भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश संबंधी सभी संगत मुद्दों की जांच करेगी। मैं आश्वस्त हूं कि हमारे द्वारा अब तक किए गए इस व्यापक विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप विनियमन तंत्र के सुदृढ़ीकरण के जरिए दीर्घकालिक व्यावहारिक समाधान प्राप्त होगा। महोदय, इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के विचार प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) हिमाचल प्रदेश की चांशल-शिमला-सोलन बहुउद्देशीय परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला) : महोदय, हिमाचल प्रदेश की वर्तमान राजधानी शिमला अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पेयजल योजना से मूल रूप से 30 हजार व्यक्तियों को पेयजल प्रदाय किया जा सकता था। शिमला की आबादी शनैः–शनैः बढ़ती रही और समय–समय पर पुरानी पेयजल योजना के संवर्धन से जैसे तैसे काम चलाया जाता रहा है, लेकिन अब कठिनाई बढ़ती जा रही है।

इससे निपटने के लिए प्रदेश ने एक बहुउद्देशीय जलप्रदाय योजना चांशल–शिमला–सोलन बनाई है, जिसके लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस योजना की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये है। इस योजना से 50 लाख की आबादी को पेयजल, एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में पशुओं को पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी और लगभग 100 वर्ष तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना से हिमाचल की तस्वीर बदल जाएगी। मेरा आग्रह है कि इसे तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को तुरन्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

(दो) कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ शहरों की पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंडोवी नदी के जल का संरक्षण करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. वैंकटेश नायक (रायचूर) : मंडोवी नदी पश्चिमी घाट में पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्तरराज्यीय नदी है। इस नदी का कुल जल भराव क्षेत्र 2032 वर्ग कि.मी. है जिसमें से 375 वर्ग कि.मी. क्षेत्र कर्नाटक में है। लगभग सारी नदी का पानी समुद्र में जाता है और इसका समुचित उपयोग नहीं होता है। अतः हुबली–धारवाड़ शहरों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस नदी के पानी का उपयोग करना एक काफी अच्छा विचार है। कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, तीनों राज्यों ने केन्द्रीय जल आयोग के साथ कई बैठकें की हैं। किन्तु आज तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और जल संसाधन मंत्रालय को बिना और विलम्ब किए दिनांक 19.9.2002 के आस्थगित रखे जाने संबंधी पत्र को वापस लेने के लिए हिदायत देने का अनुरोध किया है।

(तीन) यह सुनिश्चित किए जाने कि नियंत्रण की दृष्टि से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं राज्य के विनियामक उपबंधों के माध्यम से सीमित न हो जाएं की आवश्यकता

श्री फ्रान्सिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट) : संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा उनका संचालन करने का मूलभूत अधिकार दिया गया है। यद्यपि यह अनुच्छेद कार्यात्मक दृष्टि से एक पक्का वादा है, राज्य की एजेंसियां उन उपबंधों को लागू करने में काफी हस्तक्षेप करती हैं और प्रतिबंध लगाती हैं जो इसे स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार देते हैं। इसके फलस्वरूप अल्पसंख्यकों द्वारा अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए काफी संसाधन खर्च किए जाते हैं।

सरकार ने पिछले अनुभवों को देखते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग स्थापित करने का अतिआवश्यक कदम उठाया है ताकि उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को संबद्ध करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।

सरकार को उन उपबंधों पर विचार करना चाहिए जो इस उपबंध को स्पष्टता प्रदान करें ताकि अल्संख्यक अपने शैक्षणिक संस्थानों को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकें और किसी अल्पसंख्यक संस्थान को राज्य के विनियामक प्रावधानों के द्वारा इन संस्थानों पर से नियंत्रण हटाने हेतु बाध्य न किया जा सके।

(चार) उत्तर प्रदेश की राजभर जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : महोदय, उत्तर प्रदेश में राजभर समाज आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़ा समाज है। सदियों से इस समाज के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार से राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार के पास इस अनुरोध को अग्रसारित करके भेजा है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राजभर समाज के उत्थान के लिए उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।

(पांच) आश्रम एक्सप्रेस को राजस्थान के ब्यावर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, अजमेर जिले के अंतर्गत ब्यावर 1.50 लाख से अधिक आबादी वाला महत्वपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र है। इस नगर के चारों ओर मगरा मेरवाड़ा नामक अरावली का वह पहाड़ी अंचल है, जहां के बहादुर लोग सेना में भर्ती होने में गौरव का अनुभव करते हैं। उनका अपने सेवा क्षेत्र में आने–जाने का रेलवे स्टेशन ब्यावर ही पड़ता है। ब्यावर स्वाधीनता सेनानियों की कर्मस्थली रहा है। यहां के अनेक क्रांतिकारियों एवं स्वाधीनता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में भाग लेकर स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्यावर के हजारों व्यापारी गुजरात, महाराष्ट्र एवं दक्षिणी भारत में विभिन्न उद्योगों, व्यवसायों तथा व्यापारिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिनका लगातार आना–जाना लगा रहता है। कपड़े, ऊन तथा कपास की यह बहुत बड़ी मण्डी है। ऐसे महत्वपूर्ण नगर में दिल्ली अहमदाबाद के मध्य ब्रॉडगेज पर चलने वाली सुपरफास्ट आश्रम एक्सप्रेस (2915/2916) का नहीं रुकना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इस गाड़ी का ब्यावर से छोटे नगरों में ठहराव प्रदान कर दिया गया है। इस गाड़ी के रुकने पर व्यापारियों, सैनिकों तथा किसानों को बाहर आने जाने में अत्यधिक सुविधा रहेगी। अनेक सामाजिक संगठनों, मजदूर संगठनों, व्यापारिक संघों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत कर इस गाड़ी के ठहराव की मांग की है।

अतः रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध है कि ब्यावर रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट आश्रम एक्सप्रेस (2915/2916) का व्यापक जनहित में ठहराव सुनिश्चित किया जाए।

(छह) पाकिस्तान सामुद्रिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा कैद में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई और उनके प्रत्यावर्तन के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : पाकिस्तान ने 586 भारतीय मछुआरों को उनकी नौकाओं सहित पकड़ रखा है और अभी उनका प्रत्यावर्तन होना है। इसके लिए भारत सरकार और गुजरात ने 8.2.2005 को विदेश मंत्रालय को पाकिस्तानी सामुद्रिक सुरक्षा एजेंसी से उनकी रिहाई और उनके प्रत्यावर्तन हेतु पत्र लिखा था।

मैं केन्द्र सरकार से इन मछुआरों और उनकी नौकाओं की शीघ्र रिहाई कराने हेतु अनुरोध करती हूं।

(सात) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर कस्बे का पर्यटन के महत्व वाले स्थान के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : महोदय, मैं आपके माध्यम

[श्री सुरेश चन्देल]

से सदन का ध्यान हिमाचल प्रदेश के प्राचीन, ऐतिहासिक एवं व्याव ऋषि की तपाभूमि बिलासपुर नगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश में जलविद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु जिला बिलासपुर में भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया। इस कारण वहां से लोगों को उजड़ना पड़ा। नए बसे बिलासपुर शहर में नागरिकों के आमोद–प्रमोद का एक भी स्थान नहीं है। जिला बिलासपुर में लुहणू मैदान के निकट गोविन्द सागर झील है, लेकिन उसका पानी उतरता एवं चढ़ता रहता है। इसलिए वह स्थान पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित नहीं हो पाया है। अतः मेरा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से आग्रह है कि लुहणू मैदान के निकट स्थित बड़े नाले में एक दीवार लगाकर उसे कृत्रिम झील का स्वरूप प्रदान किया जाए ताकि उसमें पानी स्थिर रह सके और उसका प्रयोग जल–क्रीड़ा (वाटर गेम) के रूप में पर्यटक कर सकें। इसी स्थान पर एक कैफेटेरिया एवं पार्क विकसित किया जाए ताकि बिलासपुर के नागरिकों एवं पर्यटकों को पर्यटन स्थल मिल सके।

(आठ) कर्नाटक के बेलारी में कृषि भूमि से लौह अयस्क के उत्खनन की अनुमति प्रदान किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेलारी) : मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कर्नाटक विशेष रूप से बेल्लारी में किसानों को अपने जीवनयापन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सूखे के कारण वे गत पांच वर्षों से अधिक समय से फसल नहीं उगा पा रहे हैं तथा ऐसा नहर की व्यवस्था के न होने के कारण भी है। कुछ सूखा प्रभावित/सूखे क्षेत्रों में किसानों को कृषि भूमि में उसे 5 फीट की गहराई में कम मात्रा में लौह अयस्क मिल रहा है और वे यह कार्य हाथ से ही कर रहे हैं। लेकिन इस खनन के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया काफी लम्बी है। उन्हें पहले राज्य सरकार से और फिर केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि किसान अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इस प्रयोजन के लिए किसान सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी रॉयल्टी देने के लिए तैयार हैं।

मैं सरकार से किसानों को पेश आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(नौ) केरल में त्रिवेन्द्रम स्थित जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र का सरकार द्वारा प्रबंध ग्रहण किए जाने की आवश्यकता

श्री चरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : हमारे देश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। देश में पहला जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर त्रिवेन्द्रम में स्थापित किया गया था। परन्तु इस संस्थान का विश्व स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में विकास करने हेतु इसे भारत सरकार के नियंत्रण में लेने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा समर्थन नहीं मिल पाया, हालांकि यह घोषणा की गई है कि जैव प्रौद्योगिकी का विकास सरकार का प्राथमिकता वाला विषय है। मैं व्यैक्तिक तौर पर उक्त बात माननीय प्रधान मंत्री की जानकारी में ला रहा हूं ताकि मेरी उस बात पर गौर किया जा सके कि महत्वपूर्ण विकासात्मक प्रस्तावों पर कार्यान्वयन मंत्रालयों की प्रतिक्रिया प्रायः जनता के समक्ष सरकार द्वारा किए गए संकल्पों के प्रतिकूल होती है।

(दस) उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदी के तटबंधों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा वर्मा (हरदोई) : महोदय, मेरे हरदोई क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 74 विलग्राम विधान सभा में गंगा, राम गंगा, कुण्डा, गंभीरी, नीलम एवं गर्रा इत्यादि नदियां बहती हैं। प्रतिवर्ष इन नदियों में बाढ़ आने के कारण हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है और करोड़ों रुपये की फसल/सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। गर्रा नदी में बाढ़ विशेषकर उत्तरांचल राज्य में स्थित नानकसार बांध से पानी छोड़ने पर आती है। जिससे गर्रा नदी और कुण्ड नदी के किनारे बसे 25–30 गांवों के किनारे कट जाते हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष किनारे कटने की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो जाती है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन नदियों के किनारे गांव के समीप पत्थरों की सोलिंग लगाकर पक्का कर दिया जाए, जिससे इनके किनारे कटने के बच जाएं। यदि इन किनारों को सोलिंग लगाकर पक्का नहीं किया गया तो आने वाले समय में गांववासियों को पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

इसलिए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को इस कार्य हेतु आवश्यक धन उपलब्ध कराएं।

(ग्यारह) बिहार के नवादा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री वीरचन्द्र पासवान (नवादा) : महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नवादा, बिहार में बिजली की कमी के कारण सामान्य जीवन एवं कारोबार प्रभावित हो रहा है तथा कृषि सिंचाई में किसानों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे किसान त्रस्त हैं। पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण

जनता में असंतोष एवं रोष व्याप्त है। रजौली में पॉवर ग्रिड की स्थापना तथा रजौली, सिरदला, मिसकौर आदि में पॉवर सब स्टेशन स्थापित करने की अति आवश्यकता है।

अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि नवादा, बिहार में बिजली की सप्लाई नियमित एवं सुचारु रूप से करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई जाए तथा पॉवर ग्रिड स्टेशन एवं उपरोक्त जगहों पर पॉवर सब स्टेशन स्थापित किया जाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश के शाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गर्रा नदी पर मौजूदा पुल का विस्तार करने के लिए "सम विकास योजना" के अन्तर्गत अधिक धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र शाहाबाद में गर्रा नदी पर बने पुल के पास नदी ने रास्ता बदल लिया है, जिससे नदी पुल के किनारे से बह रही है। इसके कारण करीब 100 गांव शाहाबाद से कट गए हैं। अब या तो पुल के किनारे कंकरीट की दीवार बनाकर नदी का रुख मोड़ा जाए या पुल का 3 या 4 खम्बों का एक एक्सटेंशन किया जाए।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हरदोई जिले में लागू सम विकास योजना का पैसा बढ़ाकर जिला प्रशासन को निर्देश दिया जाए कि पुल को इस योजना के माध्यम से चालू करके उन 100 गांवों को जिले से जोड़ने का कार्य अविलम्ब करे।

(तेरह) जोलारपेट्टई और होसूर के बीच बरास्ता तिरूपट्टुर-सुलागिरी एक नई रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई. जी. सुगावनम (कृष्णागिरि) : महोदय, तिरूपट्टुर–बारागुर–कन्डीकुप्पम–कृष्णागिरि–सुलागिरी से होते हुए जोलारपेट्टई और होसूर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने की मांग काफी समय से की जाती रही है। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु दलगत भावना से उठकर कृष्णागिरि निर्वाचन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कई अभ्यावेदन दिए हैं।

महोदय, पता चला है कि लगभग 50 वर्ष पूर्व इस मार्ग पर रेल सेवाएं उपलब्ध थीं। समय के साथ–साथ सेवाएं बन्द कर दी गईं और लाइन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में आ गई। हाल ही में एक नई लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था और डाटा एकत्र किया गया था परन्तु अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। रेल लाइन के न होने के कारण इस क्षेत्र में सड़क यातायात बढ़ गया है। कृषकों, व्यवसायिओं तथा आम जनता को यात्रा करने तथा अपने माल की ढुलाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि लाइन बिछा दी जाती है तो सामान तथा यात्रियों का सड़क से जाना कम होगा तथा रेलवे को भारी राजस्व की प्राप्ति होगी। बंगलौर निकटतम शहर है। यह लाइन कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों को जोड़ेगी।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में तत्काल कदम उठाए जाएं और इसी वर्ष के दौरान एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए।

(चौदह) केरल के क्विलोन में कुन्नीकोड स्थित मौजूदा ई.एस.आई. अस्पताल को एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में उन्नयन किए जाने और उसके लिए भवन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अदूर) : केरल के क्विलोन के पठानपुरम तालुक में कुन्नीकोड स्थित ई.एस.आई. अस्पताल किराए के भवन में चल रहा है। इस क्षेत्र में स्थित 34 काजू कारखानों में 17000 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, 5000 अन्य मजदूर हैं जो यत्र–तत्र कार्य करते हैं और जिन्हें ई.एस.आई. के लाभ प्राप्त हैं। अब उन्हें या तो ई.एस.आई. अस्पताल, एझूकोन या फिर ई.एस.आई. अस्पताल, अरामॉम क्विलोन के लिए स्पेशियलिटी उपचार के लिए जाना पड़ता है। ये अस्पताल कुन्नीकोड से बहुत दूर हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में, मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि वह अरामॉम की तर्ज पर कुन्नीकोड स्थित ई.एस.आई. अस्पताल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में उन्नयन करने के लिए और वर्षों पहले अधिग्रहित भूमि पर स्पेशियलिटी अस्पताल के भवन का निर्माण करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

(पन्द्रह) उत्तर बिहार के बरौनी में एक उर्वरक कारखाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सूरज सिंह (बलिया, बिहार) : महोदय, उत्तर बिहार का एक मात्र औद्योगिक नगर बरौनी, बेगूसराय में अवस्थित है। विगत पच्चीस सालों से इस क्षेत्र में कोई औद्योगिक विस्तार नहीं होने एवं विगत आठ सालों से इस क्षेत्र का अति जन–उपयोगी, किसान हितकारी खाद कारखाना समुचित रख–रखाव तथा आधुनिकीकरण के अभाव में बंद होने के कारण इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास धीमा हो गया तथा विकास ठप्प पड़ गया है। किसानों को समायनुसार यूरिया की आपूर्ति नहीं होने के कारण कृषि उत्पादन को भी धक्का लगा है। साथ ही क्षेत्र में बेरोजगारी एवं असंतोष की भावना व्याप्त हुई।

[श्री सूरज सिंह]

मेरा उर्वरक एवं रसायन मंत्री जी से आग्रह है कि उत्तर बिहार की एकमात्र औद्योगिक नगरी में बंद पड़े कारखाना स्थल, जहां पर तकनीकी आधुनिकीकरण का अभाव छोड़ कर बाकी सभी सुविधा चाहे वह स्थल हो, भवन हो, परिवहन सुविधा या औद्योगिक वातावरण हो, उपलब्ध है। यदि इस यूनिट में यूरिया बनाना मंहगा पड़ रहा है तो इसी कारखाने में कम्पोजिट खाद का कम लागत पर निर्माण किया जा सकता है। राज्य में एक भी खाद कारखाना उपलब्ध नहीं है, अतः इस स्थल पर एक नया खाद कारखाना एवं रसायन संयंत्र की तत्काल स्थापना आवश्यक प्रतीत होती है। मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने के लिए एवं औद्योगिक विकास को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए तथा क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए माननीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें ताकि इस क्षेत्र से व्याप्त असंतोष की भावना को दूर कर विकास प्रक्रिया का शुभारंभ किया जा सके।

अपराह्न 2.04 बजे

पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा एक साथ मद संख्या 25 और 26 पर विचार करेगी। मुझे माननीय सदस्य श्री बची सिंह रावत जी का यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उनके स्थान पर प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को बोलने दिया जाए। इसलिए, अब मैं श्री मल्होत्रा जी से बोलने का आग्रह करता हूं।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : डिसएग्रूवल संबंधी रिजौल्यूशन तो बाद में आएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सबमीशन करना है कि जो आज पेटेण्ट्स बिल आया है, जिसके बारे में सरकार ने आर्डिनेंस इश्यू किया और जिस पर हम बिल के रूप में विचार करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको कार्यान्वित किया गया तो उसके क्या परिणाम होंगे, इस पर डब्ल्यू.एच.ओ. ने भी बहुत सी आशंकाएं प्रकट की हैं। डब्ल्यू.एच.ओ. विशेषकर इसके जीवन–रक्षक दवाओं पर प्रभाव के बारे में।

लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमत पर इसका क्या असर पड़ेगा, उन्होंने उस पर बड़ी चिन्ता प्रकट की है। स्पेसिफिक केसेज आए हैं कि जहां पर एण्टी कैंसर ड्रग, जो आज कम से कम भारत में बहुत सस्ती मिलती है, उसकी कीमत एक हजार रुपये पर पिल हो जाएगी। डब्ल्यू.एच.ओ. का लैटर भी मैंने देखा है।

लेकिन हमें जो बात कहनी है, वह दूसरी है। विगत दिनों में मंत्री जी आए थे, मुझसे मिले थे और कहा था कि पेटेण्ट्स बिल के बारे में एन.डी.ए. का सहयोग चाहिए और खासकर इसलिए, क्योंकि यह पेटेण्ट्स बिल वही है, जो आपकी सरकार ने प्रस्तुत किया था और उसको ही हम एक प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं। उसमें मामूली सा परिवर्तन है, वह भी आपकी ही इच्छा से, आपके मंत्री जी ने सुझाया, उसे हमने इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद हम बैठे थे। हमारे प्रमुख साथी और सहयोगी बैठे और श्री कमलनाथ जी भी बैठे थे। एक घंटे चर्चा हुई और उस चर्चा में यह बात भी समझाई गई कि जब एनडीए की सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया था और वह जिस रूप में प्रस्तुत किया गया था, हम उससे बहुत संतुष्ट नहीं थे। लेकिन हमारे मन में यह था कि हम सन् 2003 के अंत में प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे लिए समय की जो सीमा है, वह 1 जनवरी, 2005 है और हम इसको स्थाई समिति में भेज देंगे तो स्थाई समिति में सब पहलू आ जाएंगे और जो फार्मास्युटिकल कंसर्न्स हैं, उनके पहलू आ जाएंगे या जो कृषि से संबंधित लोग हैं, उनके भी पहलू आ जाएंगे और कुल मिलाकर के एक अच्छा परिष्कृत रूप इसको मिल जाएगा। खैर, वह इसलिए नही हो पाया कि उसके थोड़े ही समय बाद सरकार ने यह निर्णय कर लिया कि हाउस डिसोल्व करके चुनाव करवा लिया जाए। इसलिए वह स्थाई समिति को नहीं जा पाया। आपकी सरकार आने के बाद 1 जनवरी, 2005 में भी काफी समय था। यदि उस समय आप लाते तो वह स्थायी समिति को चला जाता। लेकिन आप उस समय नहीं लाए। आपने दिसम्बर के अंत में एक आर्डिनेन्स इश्यू कर दिया। मुझे याद है कि दिसम्बर के अन्त में एक आर्डिनेन्स कर जारी कर दिया गया। हमारी संसदीय पार्टी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि इसको आर्डिनेन्स के माध्यम से नहीं करना चाहिए। इसको बाकायदा विचार–विमर्श करके करना चाहिए। आज जो स्थिति है उसमें हमारी तरफ से सुझाव दिया गया कि कॉमर्स की जो स्थाई समिति है उसके अध्यक्ष डा. मुरली मनोहर जोशी स्वयं बैठे थे और उन्होंने कहा कि अगर इस सत्र में पारित भी करना है तो भी यदि एक बार स्थाई समिति को चला जाएगा तो मैं डे–टू–डे बेसिस पर उस पर चर्चा करके रिपोर्ट दे दूंगा और कम से कम जो चिन्ता के पहलू हैं उनको हम डील कर लेंगे। जितनी चर्चा हुई उसमें मैं स्वीकार करूंगा कि मंत्री जी ने यह कमिटमेंट नहीं किया। लेकिन लगभग लगता था कि वह इस बात से सहमत

हो गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपने साथियों से बात करके फिर आपसे बात करूंगा।

[अनुवाद]

आज जब मैं बोल रहा हूं तो वह न तो मेरे पास आए हैं और न ही मेरे किसी सहयोगी के पास। उन्होंने अभी–अभी मुझसे बात की है और मैंने सारा प्रकरण बताया और उनसे कहा कि यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

इस बीच में आपके लेफ्ट के मित्रों से बात हुई। लेफ्ट तो पेटेंट के हमारे से भी ज्यादा खिलाफ है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। उन्हें आपने स्वीकार भी किया है। हम को उन्हें देखने का भी अवसर नहीं मिला है कि वे कौन–कौन से सुझाव हैं और क्या हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस पर चर्चा आज न कराएं और कल तक के लिए स्थगित कर दें। उसके बाद हम अपना निर्णय देंगे, मेरा इतना ही अनुरोध है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, 1994 में डब्ल्यूटीओ के तहत हमने इस पर हस्ताक्षर किए थे और उस समय से लेकर आज तक कितना वक्त गुजर गया है। इस पर जो विचार–विमर्श होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। यह देश के हित का सवाल है। यह बहुत गंभीर मामला है और मैं समझता हूं कि इसमें जल्दबाजी करना राष्ट्र के हित में नहीं है। इसलिए इस पर व्यापक विचार–विमर्श की आवश्यकता है। इसे स्थाई समिति को भिजवा दिया जाए। इसके बाद फिर यह सदन कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर किसी और दिन चर्चा करवाई जाए। आज इसकी आवश्यकता नहीं है। इस पर पूरे देश को तथा सदन को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। भारत के हितों का ख्याल रखा जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि कम से कम इस सवाल पर आज चर्चा नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री कमलनाथ ने संसद के समक्ष पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया है जिसे पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 के स्थान पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मौजूदा विधेयक में सरकार की ओर से कतिपय संशोधन किए हैं। हमें अभी–अभी प्राप्त हुआ है...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : हमें प्राप्त नहीं हुआ है...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : मुझे यह अभी–अभी प्राप्त हुआ है। इस विधेयक पर काफी चर्चा की आवश्यकता है। इसी कारण इस विधेयक को और चर्चा के लिए वाणिज्य संबंधी स्थाई समिति को भेजा जाना है। फिर भी, वाणिज्य संबंधी स्थाई समिति के अध्यक्ष ने मंत्री जी को यह वचन दिया है कि वे विधेयक पर दैनिक आधार पर चर्चा करेंगे और संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे अन्यथा आप इसे कल आस्थगित कर दें।

इसी बीच, हम सभी उपबंधों, निहितार्थों और अन्य बातों का अध्ययन करेंगे। इस विषय पर न केवल संसद, बल्कि अन्य संगठन भी कार्य कर रहे हैं। इसलिए, हमें अन्य निकायों की सलाह और राय लेनी होगी। केवल तभी, प्रत्येक सदस्य इसका स्वागत करेंगे। हम इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहे हैं। आम सहमति के आधार पर, हमें इस विधेयक का अनुमोदन करना होगा। इसलिए, मैं यह आग्रह करता हूं कि हम इस विधेयक को आस्थगित कर सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी तभी हम इसके लिए तैयार होंगे। इस मामले में हम अपनी राय रखेंगे लेकिन इस विषय पर बोलने के लिए हमें समय की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, मैं आपको इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : विपक्ष के नेता ने एक मुद्दा उठाया है लेकिन इस मामले में हम अपना पक्ष रखेंगे। इस मामले में हम निश्चित रूप से अपनी राय व्यक्त करेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता माननीय आडवाणी जी ने जैसा कहा है, मैं अपने आपको उससे सम्बद्ध करते हुए, अलग से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला बहुत ही संवेदनशील और गंभीर है। इस देश का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इसे स्टैंडिंग कमेटी में तो भेजा ही जाए, लेकिन ऐसे सवालों पर इस देश में राष्ट्रीय बहस भी चलानी चाहिए और देश की भावना जाननी चाहिए कि देश के लोग क्या चाहते हैं। बिना पूर्ण बहस करवाए हुए, इसे सदन में लाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा, यह मेरा सुझाव है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि आज कम से कम इस बहस को जरूर रोका जाए।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : धन्यवाद, महोदय।

[कुमारी ममता बनर्जी]

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत इम्पार्टेंट है लेकिन सैनसिटिव भी है। हमारे देश में वैसे ही मेडीसन्स के भाव बढ़ते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

थैलेसेमिया रोगियों, कैंसर रोगियों की औषधियों का मूल्य और यहां तक कि जीवनरक्षक दवाओं के मूल्य प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इस विधेयक के पारित होने के बाद, इन दवाओं के मूल्य आसमान छूने लगेंगे। क्या सरकार सभा को यह आश्वासन दे सकती है कि इनके मूल्यों में वृद्धि नहीं होने दी जाएगी? यह ऐसा नहीं कर सकती।

[हिन्दी]

अभी पेटेण्ट बिल के अन्तर्गत पीएमआर में आप हमारे देश की फार्मास्यूटीकल्स कंपनियों को राइट टू रिप्रैजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन राइट टू ऑब्जैक्ट नहीं दे रहे हैं। इससे उनको नुकसान हो सकता है। देश में मेडीसन्स के भाव इतने बढ़ गए हैं कि गरीबों को सरकारी अस्पतालों में जैलुसिल भी नहीं मिल रही है। पूरा प्राइवेटाइज हो गया है। इसलिए हम भी चाहेंगे कि माननीय आडवाणी जी ने जो राय दी है

[अनुवाद]

कि इस पर स्थाई समिति में चर्चा की जानी चाहिए। हमें भेषज क्षेत्र के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए क्योंकि हम उनके विचारों को भी रखना चाहते हैं। इसलिए, हमें उन लोगों को विश्वास में लेना होगा। तत्पश्चात् इस मामले पर चर्चा करनी होगी। मैं नहीं समझती कि हमें जल्दीबाजी में विधेयक पारित कर देना चाहिए जिससे देश का अहित हो। मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने का आग्रह करती हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, अब इसे स्थाई समिति या प्रवर समिति को भेजने का उचित समय नहीं है। विपक्ष के नेता ने जो यहां कहा है वह अलग मामला है। यदि चर्चा करने की अनुमति दी जाती है तो इस मुद्दे पर हम अपनी राय व्यक्त करेंगे। विपक्ष द्वारा व्यक्त विचारों के बारे में मैं कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा हूं। इसलिए जहां तक हमारा संबंध है हमें बिल के कतिपय उपबंधों पर आपत्ति है, तथा, यदि संभव हो तो, हम बिल में इन आपत्तियों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस मुद्दे पर वर्तमान में यह स्थिति है...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल) : क्या आपने संशोधनों को पढ़ लिया है?

श्री वरकला राधाकृष्णन : हमें बिल के कतिपय उपबंधों विशेषकर, औषधियों तथा औषधियों में रसायनों के प्रयोग के संबंध में कतिपय आपत्तियां है। हमें इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है।

यह सरकार को निर्णय करना है कि क्या इसे स्थाई समिति को भेजा जाए या इसे पारित किया जाए। जहां तक हमारा संबंध है, हम अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं।

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत) : महोदय, यदि यह विधेयक केवल भारत को प्रभावित करता है तब भी यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। किन्तु यह विधेयक विश्व के अधिकांश भागों को प्रभावित करता है। हम विश्व में पापुआ न्यू गिनी, लाओस, केन्या, अफ्रीका आदि देशों को सस्ती औषधियों की 50 प्रतिशत आपूर्ति कर रहे हैं। इन सभी देशों ने इस विधेयक के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से शिकायत की है।

विश्व के दो सर्वाधिक बड़े स्वास्थ्य संगठनों अर्थात् विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा मेडीसिन्स सान्स फ्रंटीयर्स ने सरकार को लिखा है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। यह विश्व भर में अमेरिका से लेकर प्रत्येक देश बंग्लादेश, कम्बोडिया, चीन, इंडोनेशिया, नैरोबी, कोरिया, लाओस, थाइलैंड, वियतनाम आदि में संपादकीय का विषय बना हुआ है। इन सभी ने हमारे विधेयक की शिकायत की है। यह विधेयक विश्व के बहुत से भागों को प्रभावित करता है। क्या आप नहीं समझते कि इसे पारित करने के बजाय इस पर हमें थोड़ा और गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए?

यह माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर हमने देरी कर दी है। शायद, हमने देरी की है, लेकिन ब्रिटेन ने भी देरी की है। उसने कहा है कि उनका छोटा सा देश भी इसे पारित करने से पूर्व कुछ औषधियों पर विस्तृत चर्चा करना चाहता है। इसी कारण उन्हें देरी हो गई है। इस प्रकार—हमें जो शेष विश्व को प्रभावित करते हैं—इस बारे में विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बहुत गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। 200 कंट्रीज हमारे बिल पर नजर रखे हुए हैं। यहां जो पेटेंट बिल आया है, इसके कारण 200 कंट्रीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। विश्व के गरीब देश भारत पर नजर रखे हुए हैं कि पेटेंट बिल कैसे पार्लियामेंट में पारित होता है। 'न्यूयार्क टाइम्स' अखबार में जो कुछ निकला है, यह बहुत सीरियस मैटर है। इसके कारण करोड़ों लोग अफैक्ट होंगे। जो ड्रग्स और केमिकल्स पेटेंट होने जा रहा है, मैं उसकी मैरिट में नहीं जाना चाहता।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इलियास आजमी, मैं आपको बोलने का अवसर तभी दूंगा यदि आप अपनी जगह पर चले जाएं।

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : मेरा अनुरोध है कि सरकार को जल्दबाजी में यह बिल पारित नहीं करना चाहिए। अभी आदरणीय आडवाणी जी ने सुझाव दिया है कि इस बिल को पहले स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, जहां इस पर सीरियसली डिसकशन होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि गरीब जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? जब मेडिसन्स के प्राइज बढ़ जाएंगे तो आम जनता कैसे मेडिसन्स खरीद पाएगी, यह सोचना चाहिए। जब हम आम जनता के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर हम पार्लियामेंट में क्यों आए हैं? मेरा कहना है कि पेटेंट बिल जल्दबाजी में पास नहीं होना चाहिए। अगर यह बिल आज पास नहीं होगा तो कोई आकाश नहीं गिर जाएगा। वैसे भी इसमें अभी छः महीने का टाइम है। 4 अप्रैल तक पास नहीं होने से भारत के स्वाभिमान में, हमारी इंडिपैंडेंस में कोई आंच नहीं आएगी। ब्रिटेन ने भी इस पर टाइम लिया है और दूसरे देश भी टाइम ले रहे हैं इसलिए हमें भी इस पर ज्यादा टाइम लेना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का भी कमिटमैंट आया है कि उनकी रुचि इसे सत्र अंतराल में पूरा करने में है। उन्हें समय देना चाहिए, टाइम से भेजा जाना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसे जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिए।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संवदेनशील मामला है। यह गरीबों की जेबों पर पूंजीपतियों द्वारा डाका डालने के समान है। मैं खासकर अपने कांग्रेस के साथियों से कहूंगा कि वे अधिनायकवादी रास्ते पर न बढ़ें और अपने सहयोगियों का, जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखें। आप एकदम ऐसा न समझ लें कि आपकी अकेले की सरकार हो गई है, इसलिए गरीबों को जितना चाहें प्रताड़ित करते रहें। मैं कहूंगा कि सरकार सदन का इस्तेमाल न करके खुद प्रस्ताव करके इसे स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दे और व्यापक बहस के लिए लम्बा समय दे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : कतिपय विवादास्पद उपबंधों के कारण इस विधेयक के बारे में व्यापक आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। मैं सभा के भीतर तथा सभा के बाहर की गई आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कुछ संशोधन करने जा रही है? यदि सरकार फिर भी कुछ संशोधन करने जा रही है, हमें उन संशोधनों की प्रतियां नहीं मिली हैं। इसलिए हमें उन संशोधनों का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह विधेयक बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए जल्दी में कुछ भी निर्णय लेना जनहित में ठीक नहीं होगा। यह बिल जैसा माननीय श्री आडवाणी जी ने कहा कि उनके माध्यम से यह बिल लाया गया था, दो बार लाया गया था। हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है, हम शुरू से पेटेंट बिल के खिलाफ रहे हैं तथा हम इसका विरोध करते रहे हैं। हमारा कोई नया स्टैंड नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस बिल पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का अवसर प्रदान किया जाए और सोच समझकर कोई निर्णय लिया जाए। आपने सदन की भावना देखी होगी। चारों तरफ से यही कहा गया है कि मंत्री जी जिद न करें और इस बिल को वापस स्टैंडिंग कमेटी में भेजें, इस पर तत्काल कोई निर्णय न लें और हमारे वामपंथी साथियों द्वारा जो संशोधन आए हैं, उन पर स्टडी करने का मौका दें।

आप चाहें तो कल ही इसे सदन में लाएं। मैं समझता हूं कि एनडीए, जो आज इसका विरोध कर रही है, एनडीए को पहले ही इसका विरोध करना चाहिए था, इसलिए आज उन्हें इसका विरोध करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यह बिल तो उन्हीं का है। माननीय मंत्री जी, आपको इस बिल पर कभी मुहर नहीं लगानी चाहिए थी। आप लगाने का काम कर रहे हैं, यह गलत काम कर रहे हैं। यह जनता के हित में नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आज इस पर बहस नहीं हो और इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करने का अवसर दिया जाए ताकि सोच-समझ कर हम लोग निर्णय लें और इस बिल का जो इम्पलीकेशन होने वाला है, उससे हम जनता को बचाने का काम करें, अन्यथा बड़ा जुल्म होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसे कल ही यहां लाएं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिए। आपको जो कहना था, वह आपने कह दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप इस पर खड़े होकर बोलिए न। बोलते क्यों नहीं हैं?...*(व्यवधान)* आप देश को चलाना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा। मैं अपनी पार्टी की ओर से बोलने जा रहा हूं। मैं पेटेंट विधेयकों के बारे में संयुक्त प्रवर समिति का सदस्य था। उस समिति में हमने एक वर्ष तक बहुत कड़ी मेहनत की है। फिर भी मैं इस मुद्दे पर बोलने जा रहा हूं, अब तक, सरकार द्वारा लाए गए संशोधन मुझे नहीं मिले हैं। क्या उनके लिए मुझे मंत्री जी से अपील करते रहना चाहिए? क्या मुझे मंत्री जी दिए गए प्रस्तावों को जानने का अधिकार नहीं है? उन्हें जाने बिना मैं बहस में कैसे भाग ले सकता हूं? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि आज हमें बहस नहीं करनी चाहिए। जैसा कि विपक्ष के नेता पहले ही अनुरोध कर चुके हैं तो इसे कल तक के लिए टाल देना चाहिए। यह मेरी अपील है।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, निश्चित रूप से मुद्दा पेचीदा है। इसमें इस देश के किसानों, वैज्ञानिक, अनुसंधान तथा आर्थिक विकास का भविष्य जुड़ा है। मैं समझता हूं कि सरकार के समक्ष विकट स्थिति थी क्योंकि सरकार को अध्यादेश जारी करना पड़ा। यह सत्य है कि सरकार का समर्थन दे रही कुछ पार्टियों के बीच चर्चा चल रही है। किन्तु यह भी सत्य है कि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पूरे मामले की गंभीरता पर विचार करते हुए प्रभावों के मद्देनजर, जिसे पारित करने के लिए हम से अपेक्षा की जा रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि हम अध्यादेश का अनुसमर्थन करें, मेरी समझ से यह बेहतर होगा कि इस पर थोड़ा और विचार-विमर्श किया जाए। सरकार एक तरीका निकालने का प्रयास करे जिसके माध्यम से और अधिक परामर्श किया जा सके तथा आशंकाओं को दूर किया जा सके। कुल मिलाकर, यह मामला पिछली सरकार की नीति का प्रतिफल है। हमें ऐसा कहने में गर्व महसूस नहीं करना चाहिए कि

[हिन्दी]

देश को बेचना चाहते हो। देश को तो आप भी बेचना चाहते थे।

[अनुवाद]

उस समय आप भी देश को बेचना चाहते थे। उस समय ऐसे विचार-विमर्श नहीं किए गए।...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए?

श्री गुरुदास दासगुप्त : आपने इसका अनुकरण किया। कांग्रेस सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।...*(व्यवधान)* हमने इसका विरोध किया था परन्तु भाजपा ने उनकी बातों का समर्थन किया।...*(व्यवधान)*

विपक्ष को फायदा उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें फायदा उठाने जैसी कोई बात नहीं है। जब वे सरकार में थे तो उन्होंने बदलाव लाने की कोई कोशिश नहीं की। जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने पिछली सरकार का अनुकरण मात्र किया। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने किसी अवसर पर अन्य दलों से परामर्श नहीं किया था। कम से कम श्री कमल नाथ ने कुछ परामर्श तो किया है चाहे उनका परिणाम जो भी रहा हो, भले ही वह दिखावे के लिए हो। परन्तु आपने उस समय कोई परामर्श नहीं किया। जो भी हो, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। गंभीर परिणामों को देखते हुए हम संसद में इस पर जल्दबाजी न करें।

[हिन्दी]

कमल नाथ जी, कृपया पार्लियामेंट को बुलडोज मत करिए।

[अनुवाद]

हम परामर्श करें। हम सभी किसानों और कृषि की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृपया यह अवसर दें।

[हिन्दी]

इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

एक समिति गठित हो और वह समिति एक निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना निर्णय दे।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक भारत सरकार द्वारा इस संबंध में किया गया तीसरा प्रयास है। भारत सरकार ने चाहे सरकार किसी भी दल की हो, विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के फलस्वरूप बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं से उत्पन्न हुए उत्तरदायित्वों को पूरा करने हेतु प्रयास किए हैं। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने से पहले, यह मामला स्थाई समिति के सामने आया था—उस समय श्री आई. के. गुजराल इस स्थाई समिति के अध्यक्ष थे—स्थाई समिति ने सर्वसम्मति से सरकार के कदम का और विश्व व्यापार संगठन में

देश के शामिल होने की आवश्यकता का समर्थन किया था। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के पश्चात्, राजग सरकार ने इस क्रम में दो संशोधन प्रस्तुत किए। यह तीसरा संशोधन है जो उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।...*(व्यवधान)* विश्व व्यापार संगठन ने हम पर अपनी सदस्यता थोपी नहीं थी बल्कि हमने सदस्यता की मांग की थी। इसके बाद से सभी चीजें एक पैकेज में साथ-साथ चल रही हैं—चाहे आप इसे अपनाएं अथवा छोड़ें। एकमात्र महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र की सरकार अपने हितों की रक्षा करने के लिए अधिकार रखती है। इस विधेयक का अध्ययन करने से पता चलता है कि माननीय सदस्यों द्वारा जो चिन्ताएं प्रकट की गई हैं उनका समाधान विधेयक में हो रहा है। सभी संबंधित पक्षों की बैठक हुई, कृपया परिचालित किए गए संशोधनों को देखें...*(व्यवधान)*। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक पर व्यापक चर्चा के पक्ष में हूं। प्रत्येक सदस्य को इस पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिए और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम इस चर्चा को इसी समय शुरू करें। हम आज पूरे दिन और कल पूरे दिन इस पर चर्चा कर सकते हैं।

एक बात कही गई है कि पिछली सरकार के सत्ताच्युत होने तथा वर्तमान सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने के बीच काफी समय गंवाया जा चुका है। मैं उन परिस्थितियों को पुनः स्वीकार करना नहीं चाहता हूं जिनकी वजह से पिछले तीन सत्रों के दौरान इस सरकार द्वारा सभा की कार्यवाही चलाने के प्रयास बाधित होते रहे हैं। हमारे पास इसके लिए कितना समय है? इसलिए अंततः मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह एक अध्यादेश है और संविधान के प्रावधानों के अनुसार यह अध्यादेश करीब 15 दिनों के पश्चात् व्यपगत हो जाएगा। संसद स्थगित हो रही है। हम मात्र चार दिन के बाद ही स्थाई समिति की बैठकों में भाग लेने जा रहे हैं। अन्यथा, दूसरे अध्यादेश का प्रस्थापन करना होगा। तब यह कहा जाएगा कि सरकार अध्यादेश लाती जा रही है। विधिक शून्यता की स्थिति है।...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए। यदि, यह विधेयक पारित नहीं किया जाता है और अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक नहीं आता है तो विधिक शून्यता पैदा हो जाएगी और तब उससे भी अधिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी जिनके बारे में हम अभी सोच रहे हैं। इन सभी चिन्ताओं का समाहार किया जा चुका है तथा कुछ भी हमें इन बातों को यहां व्यक्त करने और इसका समाधान प्राप्त करने का प्रयास करने में रोक नहीं रहा है।

मैं अनुरोध करता हूं कि हम चर्चा आज शुरू करें। हम चर्चा को आज और कल तक जारी रखें। इससे हमें अधिक समय मिलेगा। हम इस बात से हट क्यों रहे हैं?

जहां तक स्थाई समिति का प्रश्न है, स्थाई समिति प्रणाली की शुरूआत कांग्रेस सरकार द्वारा की गई थी। हम सभी इस बात को जानते हैं। हमने हमेशा इसकी मांग की है। परन्तु इसके बावजूद ऐसे अवसर आ सकते हैं। परन्तु विपक्ष के हमारे मित्रों को पता है कि अध्यादेश जारी करने के माध्यम से कितने विधान पारित किए गए हैं। ऐसे अवसर आ ही जाते हैं जहां एकमात्र विकल्प अध्यादेश होता है। हम पर जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व हैं, जिन्हें हमें पूरा करना है और जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने के कारण ट्रिप्स की वजह से उत्पन्न हुए हैं, उनके मद्देनजर इस विधेयक पर चर्चा करना जरूरी है। हम इस पर दो दिनों तक चर्चा करें। हम इस पर चर्चा बंद क्यों करें?

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लाए जाने के तरीके का हम विरोध करते हैं। हम इस पर चर्चा कर सकते थे। इस सभा के सत्ता पक्ष व विपक्ष के लोग इस पर चर्चा कर सकते थे। हमें पता है कि भाजपा के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि यह उन्हीं का विधेयक है। इस विधेयक को सबसे पहले उन्हीं लोगों ने प्रस्तुत किया था।...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : क्या आप अपने ही द्वारा लाए गए विधेयक को अनैतिक कह रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री सारवेल स्थाई : क्या आप उस समिति के सदस्य नहीं थे?...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : मैं स्थान नहीं ग्रहण कर रहा हूं।... *(व्यवधान)* यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। हमने बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। हमने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जो संशोधन सामने आए हैं उनमें हम पाते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण संशोधन इसमें शामिल हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : लगता है कि आपकी उनसे मिलीभगत हो गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल : यह कई स्रोतों, मीडिया और अन्य स्रोतों से आया है।...*(व्यवधान)* हम सरकार की मंशा नहीं जानते हैं।... *(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी : हमारे पास संशोधन नहीं हैं। हम इसे कैसे जान सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : आप भी नहीं जानते हैं और हम भी नहीं जानते हैं...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यह प्रक्रिया नहीं है। आप मंत्री नहीं हैं। इमें संशोधन प्राप्त करने का अधिकार है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : इस स्थिति का मनन करने पर मुझे यह समझ नहीं आया है कि सरकार की मंशा क्या है। परन्तु मैं उनके विचार जानता हूं। यह उनकी ही उपज है...(व्यवधान) मैं यह सुझाव देता हूं कि गूढ़ बातों के समझने के लिए हम कुछ समय चाहते हैं। इसे कुछ घंटों तक देने से आसमान नहीं गिर जाएगा और इस सत्र में, हम उसे पुनः उठा सकते हैं...(व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : क्या हमने बहस शुरू कर दी है?...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक ही विवादास्पद है। मैं बताना चाहता हूं कि एनडीए के शासनकाल में दो बार इस विधेयक को लाने का प्रयास किया गया था। आज यह सदन में आया है। निश्चित रूप से इस पर काफी विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है और पूरे सदन को विश्वास में लेने की जरूरत है। यह विधेयक न केवल जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों से जुड़ा हुआ है, बल्कि जो हमारा भारतीय औषध उद्योग है, उसमें आत्मनिर्भरता का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। जल्दबाजी में इस विधेयक को पास नहीं करना चाहिए। यह हमारे राष्ट्रीय हितों का सवाल है। इसलिए आज किसी भी हालत में इस विधेयक को नहीं लिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, सीपीआई और सीपीएम सहित उनकी तरफ से दस माननीय सदस्य बोल चुके हैं। कृपया उन्हें केवल दो मिनट और बोलने की अनुमति है।...(व्यवधान)

श्री उदय सिंह (पूर्णिया) : महोदय, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। व्यक्तिगत अनुभव से मैं यह जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी विचारधारा के अलावा किसी अन्य मुद्दे को वर्णित करना कठिन है क्योंकि वे सोचते हैं कि वे सबकुछ जानते हैं। दुर्भाग्य से न उनके अब ऐसे दोस्त हैं जो दलों को कोसते हुए इधर से उधर डोलते रहते हैं। उन्हें नहीं पता वे कहां जाएं।...(व्यवधान)

वर्तमान में, जिस प्रकार इस विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है, वह आपत्तिजनक है। जो कुछ विधेयक में है वह आपत्तिजनक है। सरकार हम से सभा में बस यही चाहती है कि इसे पारित करें जो कि आपत्तिजनक है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने सभा में आम सहमति देखी है। एक भी सदस्य को असंतुष्ट नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मैं केवल यही अनुरोध करता हूं कि इसे स्थाई समिति को भेजा जाना चाहिए। स्थाई समिति में, सभापति ने इसे एक सप्ताह के अन्दर वापस भेजने का वचन दिया है। इसलिए, इसे स्थाई समिति को अवश्य भेजा जाना चाहिए।

श्री कमल नाथ : महोदय, चर्चा के दौरान तीन मुद्दे उठ कर आए हैं—एक माननीय विपक्ष के नेता द्वारा, दूसरा, इस विधेयक को किसी भी तरह पारित कराने का प्रयास है, और इसकी विषयवस्तु ज्ञात नहीं है, और तीसरा इसे स्थगित कर बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है।

महोदय, सभा को मैं बता दूं कि मुझे प्रसन्नता है कि आडवाणी जी ने इस मुद्दे को उठाया। हमारी सरकार मई, 2004 के अंत में आई और हम सभी जानते हैं कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यता थी।

[हिन्दी]

प्रो विजय कुमार मल्होत्रा : आप नौ महीनों तक क्या करते रहे?

श्री कमल नाथ : वही तो बता रहा हूं।

[अनुवाद]

जून में यह एक अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यता के रूप में जाना गया था। वर्ष 1995 में, यह पता चला था कि यह हमारी अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यता है। ऐसा अचानक नहीं हुआ है कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यता बन गई है।...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : वर्ष 1994 में संसद में ऐसा हुआ था...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : महोदय, पेटेंट (संशोधन) विधेयक के बारे में मैं सदस्यों के लाभ हेतु बस यही कर रहा हूं कि संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।

मार्च, 1999 में पहला संशोधन किया गया था। जून, 2002 में दूसरा संशोधन किया गया था। इस प्रकार, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : यह गलत प्रक्रिया थी।...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : अच्छा।...*(व्यवधान)*

महोदय, प्रक्रिया उनके द्वारा आरंभ की गई थी। यह हमारा कायदा था। हमारी प्रतिबद्धता थी। हमने इसे क्यों स्वीकार किया? यह एक बड़ा मुद्दा है कि क्या हमने विश्व व्यापार संगठन की बात मान कर सही किया। विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता की शर्त के रूप में हम से इस ट्रिप्स समझौते और मल्टीफाइबर समझौते का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती थी।

इसलिए, जब मैं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की बात करता हूं तो यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता अलग-थलग नहीं है। यह केवल ट्रिप्स के बारे में ही नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ है, जो कि दूसरों द्वारा स्वीकार की गई है। हमने कहा की हम यह करेंगे, उन्होंने कहा कि वे यह करेंगे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 31 दिसम्बर, 2004 की समाप्ति पर मल्टीफाइबर समझौता समाप्त हो जाएगा तथा 1 जनवरी, 2005 से कोटा प्रणाली समाप्त हो जाएगी। इसका निर्णय अब नहीं, 1995 में किया गया था। हमारी सरकार आने के बाद यह नहीं किया गया।

महोदय, जब हमारी सरकार आई तो उस समय एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। सभा में एक विधेयक लाया गया था। परन्तु लोक सभा भंग होने के कारण यह आगे नहीं बढ़ाया जा सका। मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने विधेयक को समझने का प्रयास किया था। मैंने व्यापक विचार-विमर्श किया। किस विधेयक पर। उस विधेयक पर जो वे लाए थे। मैंने उपलब्ध रिकार्डों में देखा कि विधेयक लाने से पहले, उन्होंने परामर्श किया था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने परामर्श नहीं किया था। उन्होंने परामर्श किया था, उन्होंने बैठकें की थीं, उन्होंने विभिन्न हित समूहों से बातचीत की थी तथा उसके पश्चात् उन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया था। मेरा मानना है कि जब भी कोई सरकार विधेयक लाती है तो वह यह अच्छा सुविचारित विधेयक लाती है।

यह कहना कि हम राष्ट्रीय बहस कराने के लिए यह विधेयक लाए हैं, मुझे लगता है कि बहुत गलत होगा...*(व्यवधान)*। मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। यह बहुत ही गलत होगा...*(व्यवधान)* जब आप बोल रहे थे तो मैंने व्यवधान नहीं डाला था...*(व्यवधान)* मुझे मेरी बात समाप्त करने दीजिए।

इसलिए, वे यह विधेयक लाए थे...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : उन्होंने भी मात्रात्मक प्रतिबंधों को वापस ले लिया था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय जो कह रहे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री कमल नाथ : वे समझ-बूझकर यह विधेयक दिसम्बर, 2005 में लाए थे। विधेयक लाने वाली कोई भी सरकार यह नहीं कहती कि इसके लिए विकल्प खुले हैं, हम ऐसा कह रहे हैं। जहां तक स्थाई समिति की बात है तो मुझे लगता है कि स्थाई समिति ने इसे देखा है। हम भी इसे स्थाई समिति के पास ले जाते। ऐसा मैं बाद में करूंगा। तत्पश्चात् यह घटना घटी। जब यह मेरे पास आया तो मैंने नवम्बर में प्रत्येक राजनीतिक दल को पत्र लिखा था। मैंने विपक्ष के माननीय नेता को लिखा था कि एक विधेयक है। मैंने यह अब नहीं, नवम्बर के माह में इस विधेयक के बारे में पत्र सभी राजनीतिक दलों को लिखा था। यह हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। क्या हमें आपके सुझाव मिल सकते हैं? मैं इस पर विचार-विमर्श के पक्ष में हूं। भाजपा के लोग मुझसे मिले और मैंने उन्हें बताया कि यह उनका ही विधेयक है। उन्होंने मुझे एक संशोधन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि विधेयक ऐसा होना चाहिए । तत्पश्चात् अन्य दल के लोग आए। उन्होंने विधेयक के महत्व, विधेयक की आवश्यकता को समझा।

[हिन्दी]

यह संवेदनशील और गम्भीर बिल है जिसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं उसे अस्वीकार नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमने बहुत सोच-समझ कर यह तय किया कि अगर एक समझौते के तहत अन्तर्राष्ट्रीय मजबूरी है तो हम इसके एक-एक पहलू को, एक-एक सैक्शन को और एक-एक प्रावधान को बड़ी बारीकी से समझें। भारतीय जनता पार्टी ने जो सुझाव दिया, हमने उनका सुझाव सुना। यह नवम्बर के आखिर की बात है, लेकिन मुझे डेट ठीक याद नहीं है, मैंने फॉरमली चिट्ठी लिखी थी, हर पार्टी को चिट्ठी लिखी।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कमल नाथ]

[अनुवाद]

वामपंथी दलों, समाजवादी पार्टी तथा अन्य दलों के मेरे मित्र मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बात की। मैंने उनके साथ विचार–विमर्श किया।

महोदय, दिसम्बर में लोक सभा व्यवधानों के कारण बहुत संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर सकी। मेरी निर्धारित तारीख 31 दिसम्बर थी। तो, मुझे क्या करना था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे कुछ तो करना था, तो मैं ऐसा करूंगा। मल्टीफाइबर समझौता 31 को समाप्त हो रहा है, कोटा प्रणाली समाप्त हो रही है। हजारों करोड़ रुपये का वस्त्र निर्यात हो रहा है, जो कोटा प्रणाली की समाप्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक पहचान बनाने को तैयार है। अतः हमारे पास, यह अध्यादेश लाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। हमने अध्यादेश में क्या किया? मैंने भाजपा के अपने विधेयक में उनके सुझाव को स्वीकार किया–उनके सीमित सुझाव को।

[हिन्दी]

प्रो विजय कुमार मल्होत्रा : पहली दिसम्बर से यहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। यह सदन पूरे 14 दिन तक चला था। एक दिन भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। आप गलत स्टेटमैंट मत दें कि बीजेपी ने राइटिंग में अमैंडमैंट दिया और आपने मान लिया हो...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : आप सब अधिकारियों के सामने फॉरमल चर्चा में आए।

प्रो विजय कुमार मल्होत्रा : मैं नहीं आया।

श्री कमल नाथ : आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। मेरे एक फॉरमल पत्र पर आपके लोग आए थे। मैंने सब अधिकारियों को बुलाया। शायद उनको फिर से समझाने की आवश्यकता थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि बहुत सोच–समझ कर बिल लाए हैं, फिर भी मैंने उनसे चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया और सब ने सुझाव दिए। मैंने कुछ सुझाव और भारतीय जनता पार्टी के जो सुझाव थे, उन्हें स्वीकार किया, जिन्हें अध्यादेश के माध्यम से लेकर आया। इस पर जब बहस चलेगी और बिल पर चर्चा होगी तब बताऊंगा। मैं अभी सबस्टैंटिव इशू पर नहीं आना चाहता हूं लेकिन स्वीपिंग स्टेटमैंट दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

कि जैसे हमारी एक गैर–जिम्मेदार सरकार है, जैसे कि हम गैर–जिम्मेदारी से कुछ कर रहे हैं। मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। यह ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। कृपया इसका राजनीतिकरण मत कीजिए।

अगली बात यह कही जाएगी कि हम इसे थोप रहे हैं। मुझे यह कहने दीजिए। एक अध्यादेश की अपनी बाध्यताएं होती हैं। यही तथ्य कि हमें 31 दिसम्बर की समय–सीमा का ध्यान रखना था तथा विकल्प यह था कि या तो हम अपनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करें अथवा एक अध्यादेश लाएं। इसलिए हम अध्यादेश ले आए तथा छह माह में हमें इसे स्वीकृत करना है।

विपक्ष के नेता ने क्या कहा था? मैंने विपक्ष के नेता से बातचीत की। मैं सभी राजनीतिक दलों से बात कर रहा था। मैंने उनके सुझावों को स्वीकार किया। मैंने विपक्ष के नेता से बात की। उन्होंने एक बैठक निर्धारित की थी, वह एक गंभीर बैठक थी, जिसमें मैंने अपनी बाध्यताएं बताईं।

बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि इसे स्थाई समिति के पास भेजना चाहिए और स्थाई समिति इस कार्य को अन्तरसत्रावधि की समाप्ति तक अर्थात् 18 अप्रैल या यह अवधि जितनी भी हो तक समाप्त कर लेगी। मैंने उस समय कहा था कि मैं वापस जाकर इस पर चर्चा करूंगा, यह पर्याप्त है। मैंने कहा था कि मैं वापस जाकर इस पर चर्चा करूंगा।

हमें अपने आप ही यह सोचना चाहिए कि क्या ऐसा कर पाना सम्भव होगा, बजट चर्चा भी होगी और क्या स्थाई समिति के लिए इस कार्य को 5–10 दिन में करना संभव हो पाएगा। इस विधेयक में द्वितीय संशोधन के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी। सभा की संयुक्त संसदीय समिति ने प्रतिवेदन देने में दो वर्ष लगा दिए। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है जिसे हल्के ढंग से किया जाए। संयुक्त संसदीय समिति ने इस पर विचार किया है। मुझे बताया जा रहा है कि इस समिति की 40 बैठकें हुईं और उन्होंने दो वर्ष का समय लिया है। संयुक्त संसदीय समिति ने 'पेटेंट' की अवधारणा पर गहराई से विचार किया, क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1995 में हमें पता था कि 1 जनवरी, 2005 को हमें क्या करने की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा तभी होता है जब हमारी सरकार है। हमने उस समय इसका अनुभव किया था। इसलिए इसे लादने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

मैं चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई सभी आशंकाओं का समाधान हो जाएगा। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि ब्रिटेन ऐसा नहीं कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि ब्रिटेन को काफी समय पहले से उत्पाद का पेटेंट मिला हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं। वस्तुतः यह तथ्यों का प्रश्न है न कि मत का प्रश्न है। इस बात का उल्लेख किया गया है कि यह ब्रिटेन के पास भी नहीं है। लेकिन यह सही नहीं है।

उन्होंने मूल्य वृद्धि जैसी अन्य चिन्ताएं भी व्यक्त की हैं। जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करने का प्रयास करूंगा। वास्तव में एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमें इन तथ्यों पर विचार करना चाहिए कि क्या मूल्य वृद्धि होगी और इस विधेयक की अड़चनें क्या होंगी इत्यादि।

श्री उदय सिंह : यदि मूल्यों में वृद्धि होगी तो आपका क्या उत्तर होगा?

श्री कमल नाथ : क्या हम अभी चर्चा शुरू कर रहे हैं? वास्तव में मूल्य वृद्धि नहीं होगी। अन्यथा हम मूल्य वृद्धि सुनिश्चित करने वाला विधेयक नहीं लाते।...*(व्यवधान)* मेरी बात सुनें। यदि आप पिछली लोक सभा में थे तो आपको पता होगा कि यह विधेयक किस बारे में है। लेकिन दुर्भाग्यवश आप यहां नहीं थे।

कोई बात नहीं, फिलहाल हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं लेकिन जैसे ही हम ऐसा करेंगे, हम आपको आश्वस्त करेंगे।

महोदय, क्या अब आप मुझे चर्चा शुरू करने की अनुमति देंगे? क्या अब हम चर्चा शुरू करें?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं नहीं जानता कि हम कब शुरू करेंगे।

श्री कमल नाथ : इसे आज आस्थगित किया जाए या नहीं। इस मुद्दे पर सभा के नेता टिप्पणी करेंगे।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, मैं आदर के साथ यह कहना चाहता हूं कि मैंने विपक्ष के नेता को सुना है। मैं आशा करता हूं कि वह मुझे समर्थन देंगे। मुझे 1999 की याद आती है और मैं आशा करता हूं कि विपक्ष के नेता मुझे इस विधेयक पर अपने दल का समर्थन देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वह मैं ही था जिसने अप्रैल, 1994 में विश्व व्यापार संगठन से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जो 1 जनवरी, 1995 से लागू हुआ था। दिनांक 1.1.1995 से देश के लिए पांच वर्षों की अवधि हेतु अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करना आवश्यक हो गया है। हमें काफी जद्दोजहद के बाद पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन के लिए 10 वर्षों का समय दिया गया था। जिसमें तीन चीजों नामतः औषध और भेषज, कृषि तथा उर्वरक एवं कतिपय खाद्य वस्तुओं को छोड़कर सभी क्षेत्रों के उत्पादों का पेटेंट प्रदान करता है। हमने कहा था कि हमें समय की आवश्यकता है। इसलिए बातचीत के बाद हमें 10 वर्षों का समय दिया गया था। लेकिन इसमें एक शर्त थी।

हमें यह बताया गया था कि हमें पेटेंट अधिनियम 1970 में संशोधन के लिए 10 वर्ष का समय मिल जाएगा लेकिन हमें दिनांक 1.1.1995 से अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करने थे। लोक सभा ने इस संशोधन को पास कर दिया था। लेकिन हम उस समय विपक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी के कारण ऐसा नहीं कर पाए। जहां तक वाम दलों का संबंध है वह पहले दिन से ही इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं लेकिन मैं विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं और मैं क्यों उनसे समर्थन चाहता हूं, इसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद मामले को विवाद निवारण हेतु भेज दिया गया। हम दो बार हारे। तत्पश्चात् 1999 में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि देश को इनमें से कुछ पर भारी धनराशि अदा करनी पड़ी थी और तो और हमें यहां तक सुनाई पड़ा कि विश्व व्यापार संगठन से बाहर हो सकते हैं। तब उस समय की सरकार ने सोचा कि इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए इसमें संशोधन करना ही पड़ेगा। कृपया याद रहे कि 1999 में ही हमें इस अधिनियम में संशोधन करना ही पड़ेगा और 1.1.1995 से भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करने थे। राज्य सभा में उनका बहुमत नहीं था। जैसे लोक सभा में हमारा बहुमत है ठीक इसी प्रकार लोक सभा में इनका भी बहुमत था। उन्होंने इसे पास करा लिया था। मेरे कुछ सहयोगियों ने हमारी पार्टी की बैठक में मुझे अपशब्द तक कहे थे। मैंने यह कहते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि मात्र सीटों के परिवर्तन हो जाने से नीतियों में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। यदि मैं अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करने के लिए कोई विधेयक प्रस्तुत करता हूं और इसमें असफल हो जाता हूं और यदि सत्ता पक्ष पर काबिज होने वाले अन्य राजनीतिक दल बाध्यता, अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपना समर्थन देना चाहिए। हमें अपना समर्थन देना चाहिए और मैं अत्यन्त आदर से यह कहना चाहता हूं कि आपसी दूरी बनाए रखते हुए भी वाम दलों के हमारे मित्रों ने जो उस समय राज्य सभा में विपक्ष में थे, मैं सोचता हूं कि प्रो. मल्होत्रा भी राज्य सभा में थे ने उनके विरुद्ध मत दिया था लेकिन हमने उनके पक्ष में मत दिया था क्योंकि यह सिद्धान्तों का प्रश्न था। यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा करने का था। इसे स्थाई समिति के माध्यम से क्यों नहीं लाया गया? जबकि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सबसे पहले विधेयक का अध्ययन किया गया था। दो वर्ष के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने 40 सत्रों के बाद पेटेंट अधिनियम के प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया था कि इस पेटेंट अधिनियम में संशोधन क्यों किया जाए।

इसलिए हमें इसके विस्तार में जाना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं सरकार की ओर से उनके सुझावों को सादर स्वीकार करता हूं। यह उचित और सही होगा कि सरकार ने कल जिन संशोधनों का प्रस्ताव किया था, जिन्हें आज परिचालित किया गया है। सदस्यों को इन संशोधनों का अध्ययन करने दिया

[श्री प्रणव मुखर्जी]

जाए। हम इस विधेयक को कल प्रस्तुत करेंगे और तब हम इस पर विचार करेंगे। महोदय मैं आपसे तथा संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह आज के दिन के लिए अन्य कार्यों का प्रबंध करें। मैं विपक्ष के नेता से सादर निवेदन करता हूं कि वह इस विधान पर विचार करें। हो सकता है कि इन्होंने पहले भी इस विधान पर विचार किया होगा। कृपया मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि यदि हम इस मुद्दे पर 20 वर्षों तक वाद-विवाद करते रहे तो हम इसके किसी न किसी मुद्दे पर कभी भी सहमत नहीं हो सकते क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण हित समाहित है। हमारी एक समस्या है कि हमारे पास मोल-भाव की सभी शक्तियां हैं और उन देशों में समस्या है जहां पर मोल-भाव की शक्तियां नहीं हैं। इसलिए हमें कोई उपाय करना पड़ेगा। क्योंकि आप दूसरी तरफ बैठे हैं, आप गैर-जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर सकते। यह बात मैं बिल्कुल आदर के साथ कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी, सदन के नेता ने जो बात अभी कही है, मैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं कि देश की जो जवाबदारियां रहती हैं, सरकारों के बदल जाने के कारण, उनके बारे में कोई दूसरा पक्ष, क्योंकि वह विपक्ष में चला गया, इसलिए उपेक्षा नहीं करता। श्री कमल नाथ यहां बैठे हैं। उन्हें स्मरण होगा कि इस विषय पर घंटाभर चर्चा हुई, उस दिन किसी ने भी यह बात नहीं कही कि हम पेटेंट बिल के खिलाफ हैं। सब लोग मानकर चलते थे कि हमारा इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, जिसे हमें पूरा करना है।

सब लोग मानकर चलते थे कि हमारे कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जिन्हें हमें पूरा करना है और साथ ही साथ यह भी समझते थे, जैसे आपका यह कहना कि पेटेंट बिल हम लोग विचार करके लाए थे, यह सही है कि विचार करके लाने के बाद भी, मन में यह था कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए और समय भी था। हमारी शिकायत आपसे प्रमुख रूप से यह थी कि सचमुच में तो इसे शुरू में ही आना चाहिए था। आखिर में भी ऑर्डिनैन्स के प्रोसैस के थ्रू लाते हैं, इसीलिए कठिनाइयां पैदा हुई हैं। उन्हें हल करने के लिए जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स के अध्यक्ष थे, जो उस चर्चा में उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसे प्रतिदिन करवाकर आठ दिन में फाइनेलाइज करवा दूंगा। क्योंकि हमारे पास उस समय कोई चारा नहीं था।

[अनुवाद]

अतः इस श्रम का भी संज्ञान लिया गया कि सरकार को अध्यादेश का रास्ता अपनाना उसकी मजबूरी थी।

[हिन्दी]

मेरी शिकायत यह थी कि उसके बाद हमें जानकारी ही नहीं मिली कि क्या हुआ। कमल नाथ जी ने किससे सलाह की, किस निष्कर्ष पर पहुंचे-हमें केवल इतना पता लगा कि मंत्री जी इसे आज पास कराने वाले हैं। इसीलिए हमने कहा कि आज पास मत कराइये। मैंने आपसे इसीलिए निवेदन किया और मुझे खुशी है कि आपने उसे स्वीकार किया है कि इसे आज पास नहीं करेंगे। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि उस दिन जो हमारा प्रपोजल था कि यह मामला स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, जब आठ तारीख को इसका ऑर्डिनैन्स लैप्स होगा, उसके बावजूद जब भी सदन फिर से मिलेगा, तब तक सारी चर्चा पूरी हो चुकी होगी। उसमें हमारे लैफ्ट मित्रों के भी विचार आ जाएंगे और हमारे विचार भी आ जाएंगे। हमारे जो उस समय जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, वह स्टैंडिंग कमेटी के स्वयं मैम्बर हैं, इसीलिए वह सब पहलुओं से अच्छी तरह से परिचित हैं। उनकी भी कमपल्शंस हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उसे फिर से दोहराऊंगा कि आज कम से कम इस चर्चा को स्थगित करके, कल फोर्मली लाकर, इसे स्टैंडिंग कमेटी को रैफर कर दीजिए, यही मेरा निवदेन होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा की सहमति हो तो मद संख्या 25 और 26 पर होने वाली चर्चा को कल तक के लिए टाला जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अपराह्न 2.58 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

नेपाल में घटनाक्रम तथा विदेश मंत्री की अफगानिस्तान और पाकिस्तान यात्राएं

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 27 पर विचार करेगी। श्री सी. के. चन्द्रप्पन बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.59 बजे

(श्री अजय माकन *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय : श्री चन्द्रप्पन, कृपया बोलिए।

श्री सी. के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन सभा में बहुत शोर–शराबा हो रहा है।

सभापति महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, आज हम इस वर्ष दिनांक 9 मार्च को लोक सभा में–नेपाल की घटनाओं और हमारे माननीय विदेश मंत्री की अफगानिस्तान और पाकिस्तान की यात्रा के बारे में–विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ई. अहमद द्वारा दिए गए स्वतः वक्तव्य पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, हमारे विदेश मंत्री ने तीन देशों का दौरा किया। उन देशों में हाल ही में कुछ घटनाएं घटी हैं। सबसे पहले, नेपाल को ही लेते हैं। नेपाल हमारा निकट पड़ोसी देश है और ऐसा देश है जिसके साथ हमारी 1400 कि.मी. की खुली सीमा लगी है। उस देश में अचानक कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं। सत्तासीन राजा श्री ज्ञानेन्द्र ने उस देश के प्रशासन को हाथ में ले लिया है, और उस देश की सारी जनतांत्रिक संस्थाओं की निंदा करते हुए अपने आतंक का शासन थोप दिया है। यह ऐसा देश है जिसके साथ हमारा ऐतिहासिक संबंध है और हमारे साथ बहुत अच्छे पड़ोसी का संबंध रहा है। हमारा उस देश के साथ आर्थिक संबंध भी है। लेकिन हाल ही में, लोगों ने और इस देश की सरकार ने कुछ गंभीर और अनुचित घटनाएं देखी थीं। सत्तासीन राजा की हत्या कर दी गई थी और जिस तरह से राजमहल में सत्ता पलट हुई और वर्तमान राजा सत्ता में आए और जिस तरह से उन्होंने अपने आपको सिंहासन पर आसीन किया वह स्पृहणीय नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सी. के. चन्द्रप्पन : महोदय, करीब 15 वर्ष पूर्व, उस सत्ता के सत्तासीन राजा ने उस देश के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर दिया था। नेपाल के लोग अलग–अलग राजनीतिक विचाराधारा के होने के बावजूद भी एक व्यक्ति की तरह संगठित हुए और उस देश पर लगाए गए तानाशाही के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उस समय हुए उस विद्रोह के कारण ही, वे सिर्फ जनतांत्रिक संस्थानों की पुनर्स्थापना में ही सफल नहीं हुए थे वरन् उस देश में वे बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना में भी सफल हुए। यह करीब 14–15 वर्ष पूर्व हुआ। उस समय से वहां लोकतंत्र कमोबेश स्थिति में स्थापित हो गया। अब, वहां हाल ही में राजमहल सत्ता पलट हुआ और उसके बाद कई सरकारें बदलीं और इस समय उस देश में एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता कायम हो गई है।

महोदय, इसके साथ ही, वहां माओवादी आतंकवाद भी अपना सिर उठा रहा है। आतंकवाद के नाम पर जो वहां हो रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं समझता कि उस देश के लोग, उस देश में जो हो रहा है, उससे वास्ता रखते हैं। उस देश में आतंकवाद से लड़ने के नाम पर नेपाल के लोगों पर निरंकुश शासन थोप दिया गया है। वहां कोई और रास्ता निकल सकता है। इसलिए, हमें नेपाल के लोगों के साथ अपना समर्थन एवं सहयोग व्यक्त करना चाहिए। नेपाल के लोगों ने स्थिति का सामना करने के लिए अपने सुस्थापित राजनीतिक दलों से पहले ही सम्पर्क किया था।

उन्होंने भारत में हमारे राजनीतिक दलों, हमारी सरकार तथा दुनिया भर की सरकारों से संपर्क किया है। वे अपने देश में लोकतंत्र चाहते हैं। यदि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना होनी है तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बहुदलीय प्रणाली और बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित हो, वहां संसद कार्य करना आरंभ करे और सामान्य राजनीतिक जीवन स्थापित हो। यह नेपाल के लोगों को तय करना है कि वह राजशाही प्रणाली वाला लोकतंत्र चाहते हैं अथवा नहीं। हमें यह तय नहीं करना है। किन्तु नेपाल में एक स्वस्थ लोकतांत्रिक सरकार और प्रजातांत्रिक संस्थाएं काम करें इसके प्रति हम चिन्तित हैं। वहां बड़ी संख्या में राजनीतिक नेता जेल में हैं। उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए और सामान्य राजनीतिक गतिविधियों को अनुमति दी जानी चाहिए। जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं। निस्संदेह, उस पर भारत सरकार ने नेपाल की सरकार को अपनी नाराजगी से अवगत करा दिया है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार नेपाल के लोगों का एकजुटता से साथ देगी जो आज अपने देश में प्रजातंत्र की बहाली के लिए कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें आशा है कि भारत के लोग पहले की ही तरह लोकतंत्र का साथ देंगे और उनका समर्थन करेंगे। यह इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

जिस प्रकार से राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया गया है, संसद भंग की गई है तथा अन्य घटनाएं हुई हैं उस पर सरकार ने जिस प्रकार अपनी असहमति जताई है वह अच्छी बात है। किन्तु हमें उस देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए वहां के लोगों की लड़ाई में उनका साथ देना जारी रखना चाहिए। महोदय, इससे यहां भी लोकतंत्र को मदद मिलेगी क्योंकि हमारी सीमा से सटे देश में यदि निरंकुश शासन पनपता है चाहे उसका जो भी स्वरूप हो उससे हमारे देश के लोकतंत्र पर भी खतरा आएगा। अतः हमने जिन उच्च

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सी. के. चन्द्रप्पन]

मूल्यों और परम्पराओं का हमेशा निर्वाह किया है उसके अनुकूल आचरण करते हुए हमें सहायता करनी चाहिए। हमें नेपाल के उन लोगों को संकट की घड़ी में सहायता करनी चाहिए जो अपने देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नेपाल के संबंध में मेरी सरकार से यही अपील है।

उनके पाकिस्तान दौरे के संबंध में, जैसा कि उनके वक्तव्य में कहा गया है कि यह बहुत ही सकारात्मक घटनाक्रम है कि वे पाकिस्तान का दौरा कर पाए और कुछ समझौते भी हो सके। यह बहुत अच्छी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों की जनता के बीच संबंध बहुत तेजी से सुधर रहे हैं। हमने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए टैस्ट मैच को देखा। हमने यह भी देखा कि हमने कैसे हजारों लोगों को सीमा पार करके मोहाली में मैच देखने आने की अनुमति दी। यह सद्भावनापूर्ण कार्य है। पाकिस्तान और भारत के लोगों ने मैच का मजा लिया। यह लगभग एक उत्सव के समान था जिसे हम मना रहे थे। हम क्रिकेट मैच के दौरान प्रदर्शित सद्भावनापूर्ण संबंधों का उत्सव मना रहे थे। ऐसा होता रहना चाहिए।

पाकिस्तान टीम यहां है। कल कोलकाता में वे टैस्ट मैच हार गए। आशा है उन्होंने इसे खेल की भावना से लिया होगा। हम आने वाले दिनों में भी उनके साथ क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों का यह एक अच्छा पहलू है।

हाल ही में, वाम दलों के दो शीर्ष नेताओं सीपीआई(एम) के महासचिव कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के महासचिव ए. बी. वर्धन ने पाकिस्तान के विभिन्न दलों के आमंत्रण पर वहां का दौरा किया था। उन्होंने वहां के विभिन्न दलों के साथ उनके स्तर पर और राष्ट्रपति श्री मुशर्रफ सहित सरकार से भी मुलाकात की।

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें आने वाले दिनों में दोनों देश और उनके लोग बेहतर संबंध चाहते हैं। सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। सरकार ने कहा है कि जब वे पाकिस्तान गए थे तब उन्होंने कई समझौते किए हैं यथा श्रीनगर और सीमा पार मुजफ्फराबाद के बीच नई बस सेवा के लिए समझौता।

जब हमारी पार्टी के नेतागण वहां दौरे पर गए थे तब उन्होंने उन मछुआरों को मुक्त किए जाने के प्रश्न पर भी चर्चाएं कीं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमा पार करने पर गिरफ्तार किया गया है। यह उनकी गलती नहीं है। संभवतः गरीब मछुआरों को यह मालूम नहीं होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमा कहां समाप्त होती है। इसलिए वे सीमा पार कर गए होंगे। उन्हें गिरफ्तार किया गया और वहां जेल में रखा गया।

इसी प्रकार, कुछ लोग जो विदेश में रोजगार के लिए गए थे जिन्हें शायद एजेंटों ने ठग लिया वे फंस गए। जब वे पाकिस्तान के रास्ते आ रहे थे वे गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे सैकड़ों लोग वहां जेल में हैं। जब वामपंथी दलों के नेताओं ने पाकिस्तान सरकार के साथ इस मसले को उठाया तो स्वयं राष्ट्रपति मुशर्रफ ने उन्हें बताया कि इन गरीब लोगों को लंबे समय तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा। यदि आवश्यक सरकारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं तो उन्हें शीघ्र छोड़ दिया जाएगा। मैं भारत सरकार से इस अवसर का लाभ उठाते हुए यह अनुरोध करता हूं कि ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे गरीब मछुआरे और नौकरी की तलाश करने वाले जो रोक लिए गए हैं—शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हो सकें और भारत में अपने निकट संबंधियों के पास लौट सकें। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की संभावना के ये सब संकेत हैं। इसे अब उच्च स्तर पर ले जाया जाना चाहिए।

अब मैं बरास्ता पाकिस्तान भारत और ईरान के बीच प्रस्तावित पाइपलाइन परियोजना की बात करूंगा। मुझे पता है कि अमरीका इससे प्रसन्न नहीं है। सम्भवतः उन्हें इस बात से खुशी नहीं है कि भारत और पाकिस्तान अपने विवाद निपटा रहे हैं और अच्छे पड़ोसी संबंध बनाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्हें यह कभी भी पसंद नहीं है। किन्तु हम उस देश के साथ अच्छे व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक और पड़ोसी संबंध रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं और वे भी इसका सकारात्मक जवाब दे रहे हैं। यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो इस उपमहाद्वीप का भविष्य में अच्छा समय आएगा। कभी लोग सोचा करते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद से तीसरा विश्वयुद्ध शुरू हो जाएगा। यदि यह शांति प्रक्रिया आगे बढ़ती है, यदि दक्षेस क्षेत्र के दो बड़े पड़ोसियों के बीच संबंध दोस्ताना हों तो संभवतः आने वाले दिनों में पूरे एशिया के लिए बेहतर समय आएगा। अतः मैं प्रसन्न हूं कि सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। भविष्य में बेहतर संबंधों और बेहतर समझदारी के लिए इन प्रयासों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

वे वक्तव्य में मंत्री जी की अफगानिस्तान की यात्रा का उल्लेख कर रहे हैं। अफगानिस्तान अनेकों साजिशों और युद्ध का अड्डा है। आतंकवाद से लड़ने और कुछ वर्ष पूर्व संयुक्त राज्य अमरीका में जो कुछ हुआ था, उसके नाम पर अमरीका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था। संयुक्त राज्य अमरीका के निर्णय पर अफगानिस्तान पर एकतरफा आक्रमण किया गया। सम्मान बहाली के लिए तो इसे संयुक्त राष्ट्र की छत्रछाया मिल गई। खैर, हाल ही में इसने अफगानिस्तान में चुनाव भी कराए हैं। यद्यपि ये चुनाव अमरीका ने अपने निरीक्षणाधीन, अपने तरीके से कराए हैं।

किन्तु अगानिस्तान में एक नया माहौल बन रहा है। हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम वहां की नई सरकार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे है। हम यह प्रयास भी कर रहे हैं कि भविष्य में उस देश के साथ हमारी बेहतर समझ बने। अतः संक्षेप में, यदि हम सभी दौरों के परिणामों के बारे में निष्कर्ष निकालें तो मैं यही कहूंगा कि यह सरकार का सकारात्मक नजरिया ही है कि इसने उन तीन देशों, जहां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की काफी समस्याएं हैं, का दौरा करने की पहल की है। हमें कतिपय बातों विशेष रूप से अफगानिस्तान के हमारे दौरे के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। अफगानिस्तान में खून–खराबे के बाद अमरीका ने यह निर्णय लिया था कि इसे संयुक्त राष्ट्र की छत्रछाया की जरूरत नहीं है। इसने संयुक्त राष्ट्र की भी परवाह नहीं की। यह यूरोप के अपने घनिष्ठ मित्रों तथा विश्व के 'जनमत' की भी परवाह नहीं कर रहा है। इसने इराक पर हमला किया। इराक पर हमले के बाद यह हमारे समय की सर्वाधिक खूनी लड़ाई है और इसने बिना कोई समय गंवाए और संभवतया बहुत कम नुकसान उठाकर इलेक्ट्रानिक युद्ध को जीत लिया। किन्तु इलेक्ट्रानिक युद्ध जीतने के बाद जब इसने वहां मची उथल–पुथल को व्यवस्थित करना शुरू किया तो संभवतया इसे युद्ध में हुए नुकसान से भी ज्यादा नुकसान हुआ और यह अपने काफी सैनिक खोता जा रहा है और यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। इराक के लोग अमरीकी आदेशों को मानने को तैयार नहीं हैं चाहे उनके पास परमाणु हथियार, हमला करने के लिए मिसाइलें और काफी अधिक धन, जिस पर वे गर्व करते हैं, ही क्यों न हों। किन्तु इन सबके बावजूद यह वहां पर लोगों की इच्छाशक्ति पर अधिकार नहीं कर सका। जो लोग वहां पर कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वे सद्दाम हुसैन की तानाशाही का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वे सद्दाम हुसैन की तानाशाही के खिलाफ हैं। किन्तु इसके साथ–साथ वे उन नए आकाओं के खिलाफ भी हैं जिन्होंने अपनी ताकत से उन पर अधिकार किया हुआ है। जब हम अपनी अफगान नीति के बारे में बात करते हैं तो हमें संयुक्त राज्य अमरीका की उस नीति का ख्याल करना होगा जिसके अंतर्गत उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था और उसे अपने अधीन किया था तथा इसी नीति के तहत इसने खुल्लमखुल्ला इराक पर आक्रमण किया था। आज यह उस नीति को छुपा नहीं रहा है। वह कह रहा है कि उसका अगला निशाना ईरान होगा। हमें इस पर अपना विचार करना होगा। वह कहता है कि ईरान के बाद या उससे पहले एक और लक्ष्य है–उत्तरी कोरिया। क्या हम इस पर चुप रह सकते हैं? क्या हम इस पर चुप रहें? हमें अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करनी होगी। अमरीका अपनी सुरक्षा या अपने हित के नाम पर एक देश के बाद दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है और उन पर कब्जा जमा रहा है। सारा संसार जानता है कि वह क्या चाहता है। विगत में इसके राष्ट्रपतियों ने इसके बारे में बताया है। इसने कहा है कि मध्य पूर्व में इसके व्यापक हित हैं। उनमें एक मुख्य बात है–तेल। यह संसार में तेल–समृद्ध क्षेत्र है और शायद 3–4 दशकों के बाद वहां तेल कम हो जाएगा। शायद तब वहां तेल रूपी धन न रहे। इसलिए यह पश्चिमी एशिया के तेल को लूटना और उस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता है। यह एक देश के बाद दूसरे देश पर कब्जा करना चाहता है। यह उन देशों को पसंद नहीं करता है जो किसी भी तरीके से उस पर उंगली उठा रहे हैं। यह हरेक को सबक सिखाना चाहता है। इस संदर्भ में हमें भारत की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करनी होगी।

हमें यह बात स्पष्ट कर देनी होगी कि हम अमरीका के इस साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेंगे कि वह अपनी इच्छानुसार शत्रुओं का चयन करे और अपनी शक्ति से, अपने मनमाने तरीके से हरेक पर कब्जा करे। हमें यह बात स्पष्ट करनी होगी। हमें मित्रता, शांति और गुट–निरपेक्षता की परम्परागत नीति को बरकरार रखना होगा। शायद इस संसार में गुट–निरपेक्षता की नीति को उस तरीके से बरकरार रखना आसान न हो जिस प्रकार से वह पुराने दिनों में रखी जाती थी। किन्तु आज यह संभव है कि अमरीका के दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी यूरोप और एशिया में कई ऐसे देश हैं जो सारे संसार के प्रति अमरीका के दृष्टिकोण पर उंगुली उठा रहे हैं क्योंकि अमरीका के पास ताकत है। भारत को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। विगत में भी भारत ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया था। हमें उस स्थिति को बनाए रखना होगा।

नेपाल के संबंध में एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि नेपाल में लोकतन्त्र की बहाली हमारी प्राथमिकताओं में से एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इससे नेपाल की समस्याएं भी सुलझ जाएंगी। हमें नेपाल के लोगों के लोकतन्त्र हेतु लड़ाई में सहायता करनी चाहिए।

पाकिस्तान के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमें मित्रता और आपसी समझ की नीति को आगे बढ़ाना होगा। मुझे आशा है कि यह चर्चा सरकार की उस नीति को और आगे प्रतिपादित करेगी जिसका हम इन मुद्दों पर समर्थन करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति जी, आज जिस विषय पर हम लोग बहस कर रहे हैं, ऐसा अनुमान था कि वह विषय आज नहीं आएगा और कल के लिए उसे तय किया गया था। परन्तु आज परिस्थितियों के कारण इस विषय पर हम बहस कर रहे हैं। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है।

तीनों देशों में जहां पर हमारे विदेश मंत्री जी गए थे, उनकी

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

जो कुछ बातचीत हुई, उसका उन्होंने सदन में आकर अपना विवरण दिया था। जहां तक विदेश नीति का संबंध है, विदेश नीति पर यह देश प्रायः एकमत रहा है और विदेश नीति के जितने भी प्रश्न आते रहते हैं, उनको हम मिलकर सुलझाते रहे हैं। इसलिए नीति पर ज्यादा मतभेद कभी भी नहीं हुए, परन्तु उसका कार्यान्वयन के बारे में जरूर अनेक बातों पर, खासकर पाकिस्तान के बारे में हमारे मतभेद उसमें चलते रहे हैं। परन्तु अभी जहां नेपाल के बारे में हमारे विदेश मंत्री जी, जहां पर उन्होंने देखा था, हमारे स्टेट मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया। उनकी इस बात से तो हम पूरी तरह से सहमत हैं कि वहां पर कांस्टीट्यूशनल मोनार्की और मल्टी पार्टी डैमोक्रेटिक सिस्टम, ये दो चीजें वहां होनी चाहिए और भारत की यह नीति है कि नेपाल के अन्दर इस प्रकार की दोनों चीजें वहां पर रहें। हम इससे सहमत हैं कि वहां जनतंत्र होना चाहिए और हम सारे संसार में जनतंत्र के पक्षधर हैं। नेपाल में जनतंत्र हो, विरोधियों को जेलों से छोड़ा जाए, जो विपक्षी जेल में डाले हैं और वहां पर जो सेंसरशिप लागू है, वह सेंसरशिप हटनी चाहिए। वहां पर जनतंत्र दोबारा आना चाहिए, चुनाव होने चाहिए। वहां की जनता को यह अधिकार देना चाहिए। परन्तु मैं इसके साथ इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि वहां पर जिस समय यह सारा काण्ड हुआ, वहां के राजा ने जब अपने हाथ में सत्ता ली, उससे पहले भी वहां कोई इलेक्टिड गवर्नमेंट नहीं थी, वहां प्रधानमंत्री जी नोमिनेटिड थे और एक प्रधानमंत्री को नोमिनेट किया गया था। वहां पर चुनाव करके चुनाव की प्रक्रिया से उसको नहीं बनाया गया था, इसलिए यह कहना कि जनतंत्र की अभी हत्या हुई और उससे पहले नहीं थी, यह स्थिति ठीक नहीं है।

दूसरे यह भी कि वहां पर जनतंत्र लाने के लिए जो मैंने पहले ही आपसे कहा कि सेंसरशिप, जेलों से विपक्षियों को छोड़ना, इमरजेंसी के दौरान हमने बहुत भुगता है, हमने देखा है कि क्या हालात पैदा होते हैं। जब इमरजेंसी लगती है तो किस प्रकार से पूरे के पूरे मानवाधिकार समाप्त हो जाते हैं, यह बात हमने देखी है। मैंने भी 19 महीने जेल काटी है और भी बहुत से लोगों ने जेल काटी थी, इसलिए हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वहां की परिस्थिति के साथ सहानुभूति होना बड़ा स्वाभाविक है। परन्तु मैं इसके साथ जरूर कहना चाहता हूं कि वहां पर जहां यह खतरा है, वहां इमरजेंसी लगी है और धीरे–धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है।

परन्तु यह भी है कि वहां पर जो माओवादियों का खतरा है, जिससे हमारे देश में खतरा बढ़ रहा है। 150 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं और प्रतिमास बल्कि प्रतिदिन एक–एक, दो–दो जिले इससे प्रभावित होते जा रहे हैं। जो नक्सलवाद और हिंसा है, जो आतंकवाद है, वह सारे देश को घेर रहा है और वह नेपाल से शुरू हो रहा है। क्या नेपाल में माओवाद को बढ़ने दिया जाए? क्या नेपाल में पूरी तरह माओवादियों का कब्जा हो जाए? क्या कब्जा होने के बाद वहां पर जनतंत्र रहेगा? क्या माओवादी जनतंत्र में विश्वास रखते हैं? हिंसा की दृष्टि से, मानवाधिकारों का हनन माओवादी करते हैं, यह पश्चिम बंगाल में भी हमारे मित्रों ने देखा है। इसलिए हमारे मित्र ने भी इसका विरोध किया है। इसलिए वहां पर माओवादियों के खिलाफ लड़ाई जारी है। माओवादी, आईएसआई और पाकिस्तान ये तीनों मिलकर नेपाल के ऊपर अपना अधिपत्य जमाना चाहते हैं। नेपाल की रक्षा करना, नेपाल को इनसे बचाना इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। नेपाल इस तरह से उनके हाथ में न चला जाए।

आपने कहा कि हमारे उनसे सांस्कृतिक संबंध हैं। नेपाल दुनिया में अकेला हिन्दू राष्ट्र है और हमारे उनसे भाषा और सांस्कृतिक संबंध हैं। पिछले पांच हजार वर्षों से उनके साथ हमारा सांस्कृतिक तालमेल रहा है। क्या उसे सैनिक सहायता न दें। अमरीका कहता है कि उसको सैनिक सहायता बंद कर दो। क्या हम उसे दूसरे देशों के हाथ में चला जाने दें। क्या वह पाकिस्तान से सैनिक सहायता लेना शुरू कर दे? क्या वह चीन के हाथ में चला जाए? क्या यह हमारे देश के हित में है? इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्री जी इस बात का ध्यान रखें कि वहां पर पहले वाली सरकार भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। हम चाहते हैं कि वहां पर लोकतान्त्रिक सरकार आए। लेकिन जिन देशों में लोकतान्त्रिक सरकार नहीं है, क्या हम उनको मान्यता नहीं देते हैं या कोई सहायता नहीं दे रहे हैं? क्या म्यांमार, चीन और पाकिस्तान में लोकतन्त्र है? पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है और मेरे मित्र कह रहे हैं कि पाकिस्तान से संबंध बढ़ाए जाने चाहिए। पाकिस्तान को हमने मोस्ट नेशन का स्थान दे रखा है और अमरीका ने भी उसको दे रखा है। आप पाकिस्तान से बात कीजिए, वहां के राष्ट्रपति को अपने देश में बुलाइए, व्यापार कीजिए, लेकिन नेपाल से मत करना, क्योंकि नेपाल में लोकतान्त्रिक सरकार नहीं है। विदेश मंत्री जी मत जाइए, ये यूरोपीय देशों के दबाव में मत आइए, अमरीका के दबाव में मत आइए। वह यह कह रहा है कि जब तक नेपाल में लोकतन्त्र नहीं होगा भारत कोई सहायता या सैनिक सहायता नहीं दे। यह वही अमरीका है जो पाकिस्तान को अरबों–खरबों रुपये की मदद दे रहा है। उसकी सोच के अलग–अलग दायरे हैं। पाकिस्तान के लिए अलग हैं, पूर्व, पश्चिम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अलग–अलग दायरे हैं। सबसे ज्यादा आतंकवादी देश पाकिस्तान को अमरीका जितनी सहायता अभी दे रहा है, उस पाकिस्तान के आतंकवाद का सबसे बड़ा जिम्मेदार भी अमरीका है। जो उसको दस–दस, बीस–बीस हजार

करोड़ रुपये और एफ–16 इसलिए दे रहा है ताकि वह अफगानिस्तान में उसकी मदद करे, ईरान पर हमले की तैयारी में उसको मदद करे। यह जो अमरीका कर रहा है उसके दबाव में मत आइए और उसके दबाव में आ करके नेपाल के हालात ऐसे मत बनाइए कि नेपाल पूरी तरह से भारत से कट जाए और भारत से उसके संबंध बिगड़ जाएं और वहां पर माओवादी उस पर अपना आधिपत्य जमा लें। नेपाल के चारों तरफ आईएसआई के अड्डे बन रहे हैं। नेपाल के अंदर जितनी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, जितने लोग नेपाल से दिल्ली आ रहे हैं और इसलिए नेपाल की सरकार को मजबूत करना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए कहीं पर हम से यह गलती न हो जाए कि हम लोकतन्त्र लाने की बात करते–करते उनके साथ इस प्रकार की स्थिति पैदा कर लें कि नेपाल माओवादियों के चंगुल में चला जाए। चीन, पाकिस्तान और म्यांमार में भी लोकतन्त्र नहीं है। लेकिन लोकतन्त्र नहीं होने के बावजूद भी हमने पंचशील के सिद्धांत के तहत इस बात को माना है कि उस देश के अंदर इस प्रकार की सरकार हो जिसका फैसला वहां की जनता करे। यही बात हमने इराक के संबंध में कही थी कि अमरीका को कोई अधिकार नहीं है कि वह कहे कि वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां पर डिक्टेटरशिप है इसलिए वह वहां पर हमला कर रहा है।

अगर उसे इसलिए हमला करना है कि डिक्टेटशिप कहां है, इसलिए हमला करना है कि किस–किस के पास बड़े हथियार हैं, फिर उसे पाकिस्तान में हमला करना चाहिए, इराक में नहीं जाना चाहिए था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप नेपाल के बारे में विचार करें। अपनी नीति इस प्रकार रखें कि एकमात्र नेपाल देश, जो सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हाथ से न निकल जाए। अगर वहां माओवाद आया तो हम भी नहीं बचेंगे। चारों तरफ से माओवाद फैलते–फैलते नार्थ–ईस्ट में फैल रहा है, बिहार, यूपी, बंगाल में नक्सलवाद आ गया और देश के डेढ़ सौ जिले उससे प्रभावित हैं। यह बहुत बड़ा खतरा है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए।

पाकिस्तान के बारे में जिन बातों का उल्लेख हुआ, इस समय बहुत इयूफोरिया है, क्रिकेट मैच हो रहा है, इसलिए सब तरफ से बात की जा रही है कि उनके साथ संबंध सुधारें। सुधारने चाहिए, हमने भी आपसे कहा था। हमने भी बहुत प्रयास किए, सरकार ने भी प्रयास किए। वाजपेयी जी वहां बस लेकर गए थे, और भी बहुत काम हुए, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप इस बात को जरूर देखें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बीच में इंटरप्ट न करें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ऊपर की दोस्ती और मैत्री का जैसा वातावरण बनता है, इयूफोरिया होता है, उसके नीचे के ज्वालामुखी को देखते रहना चाहिए।

आप आपने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के प्रारंभिक बैनर लाइन में पढ़ा होगा। उसमें लिखा है–

[अनुवाद]

"धीरे–धीरे आतंकवाद फैलाना–हाल ही में लश्कर के आतंकवादियों की गिरफ्तारी तथा उनके मारे जाने से इस बात का खुलासा हुआ कि विदेशी आतंकवादी किस प्रकार स्थानीय युवकों को धन देकर उन्हें अपनी गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं और किस प्रकार उन्हें अत्याधुनिक हथियारों एवं उपकरणों से लैस कर रहे हैं।"

[हिन्दी]

बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में लश्कर–ए–तोएबा के जो तीन लोग मारे गए, वे आईआईएम, देहरादून को उड़ाना चाहते थे, सॉफ्टवेयर कम्पनी, बंगलौर को उड़ाना चाहते थे। यह बिना पाकिस्तान के नहीं हो रहा है। जो लोग मारे गए थे, उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट था, बाकी सब चीजें थीं। पाकिस्तान का आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। सरकार ने खुद माना है, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और डिफैंस मिनिस्टर ने माना है कि वहां अड्डे डिमॉलिश नहीं हुए हैं, वहां अड्डे कायम हैं। वहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनके द्वारा अन्दर से किसी बात की कमी नहीं की जा रही है। मैंने पूरी रिपोर्ट देखी है कि वे अप्रैल महीने से फिर आतंकवाद शुरू कर रहे हैं। यह ऊपर की सारी चीजों के बीच में न छिप जाए, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। विदेश मंत्री जी, मुझे आश्चर्य हुआ, आपका और कसूरी जी का जो बयान आपने दिया, जिसे दोनों ने पढ़ा था, कहा गया था–

[अनुवाद]

पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री खुर्शीद अहमद कसूरी और भारत के विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह द्वारा इस्लामाबाद में संयुक्त प्रेस सम्मेलन में दिया गया वक्तव्य

[हिन्दी]

कसूरी जी ने तीसरे वाक्य में लिखा–

[अनुवाद]

"हमने जम्मू और कश्मीर के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की और मैंने भारत सरकार से इस मुद्दे को कश्मीर के लोगों की

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

भावनाओं के अनुसार शीघ्र और स्थाई समाधान करने के लिए जोर देकर कहा है।"

[हिन्दी]

आपके साथ बैठकर जो समझौता हुआ, उससे पहले उन्होंने यह स्टेटमेंट देकर हम से मनवा लिया कि कश्मीर कोर ईशू है। आपने उसके बाद बयान दिया और उस बयान में उसे कंट्राडिक्ट नहीं किया, उसके बारे में कोई बात नहीं की। सभापति महोदय, क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को कोर ईशू बनाना चाहता है जिसके लिए हम 1947 से लेकर आज तक रिजिस्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर कोर ईशू नहीं है। हमारी पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर का पूरा रेज्योलूशन है कि हमें उससे एक–तिहाई भाग वापिस लेना है और इसकी सैटलमैंट का पाकिस्तान का जो तरीका है, उसे कोर ईशू बना देना। पहली बार आपकी और उसकी बातचीत में जम्मू कश्मीर को कोर ईशू बना दिया गया और उसे अपने तौर पर हमने चुपचाप सहन कर लिया।

विदेश मंत्री जी, भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के श्री मुशर्रफ का ज्वाइंट बयान आया, जिसमें पहली बार आतंकवाद का कोई जिक्र नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। क्या पाकिस्तान से बात करते हुए आतंकवाद कोर ईशू नहीं है? आतंकवाद कोर ईशू है और उस आतंकवाद का हिन्दुस्तान सबसे बड़ा सफरर रहा है। इस आतंकवाद के हाथों 80 हजार से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए और आज भी मारे जा रहे हैं। हर रोज हमारे सैनिक अड्डों पर हमले हो रहे हैं। आप कहते हैं कि कुछ कम हो गए, कुछ ज्यादा हो गए। पाकिस्तान जिस दिन चाहता है, ज्यादा और कम कर देता है। मेरा कहना है कि कम से कम जो वार्तालाप हो रही है जिसका आपने उल्लेख किया है, उस वार्तालाप में शिमला समझौते की बात थी, श्री वाजपेयी और मुशर्रफ की ज्वाइंट स्टेटमैंट में जिन बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया था, आपके और उनके स्टेटमैंट में कम से कम उन बातों का ध्यान उस तरह से नहीं रखा गया। जम्मू और कश्मीर कोर इश्यू नहीं है, यह बात उनसे कहने की जरूरत थी। अभी भी उनसे बात की जानी चाहिए कि आतंकवाद के जितने अड्डे पाकिस्तान में हैं, वे उन्हें खत्म करें। वे अड्डे अभी भी वहां चल रहे हैं क्योंकि उनको पैसे की सहायता आ रही है। अभी आपकी गवर्नमैंट ने बयान दिया कि इनकी ऐम्बेसी से बाहर निकलते हुए आपने एक आदमी को पकड़ा। आपने अपने बयान में दुनिया को बताया कि एक आदमी पाकिस्तान ऐम्बेसी से निकला। उसके पास करोड़ों रुपये की जाली करेंसी थी जिसे वह पाकिस्तानी ऐम्बेसी से लेकर आया था। अगर उनकी ऐम्बेसी जाली करेंसी फैला रही है, टैरोरिस्टों को देने के लिए रुपया दे रही है तो यह ऐम्बेसी की बात उनसे कब की जाए, क्यों न की जाए? क्या उनसे नहीं कहा जा रहा कि आपकी ऐम्बेसी यहां पर इस तरह की कार्यवाहियां न करे और उनको रोका जाना चाहिए। आतंकवाद कोर इश्यू है, इसमें कम्यूनलिज्म का सवाल नहीं है। परन्तु जम्मू कश्मीर में मरने वाले लोगों में मुसलमान हैं। जो हिन्दुस्तान के साथ लगने की बात करता है, उनके साथ कैसा–कैसा व्यवहार हुआ, विदेश मंत्री जी, वह आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं, आपके सामने खबरें आती हैं। उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, कैसे उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, कैसे उनकी जुबानें काटी जा रही हैं, जो भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं।

अभी आपने वहां चुनाव कराया, यह बहुत अच्छी बात हुई। जम्मू–कश्मीर में लोकल चुनाव हो गए। यह भी सच्चाई है कि लोकल चुनाव होने के बाद वहां पर धमकियां दी गईं। 200 चुने हुए मैम्बर्स श्रीनगर से जम्मू में आ गए। वे इसलिए आ गए क्योंकि उनको धमकी दी जा रही है, या तो इस्तीफा दे दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। उन चुने हुए लोगों में से 10–12 लोग मार दिए गए हैं। उन्हें जम्मू में भाग कर आना पड़ता है। आप कहते हैं कि वहां पर सब हालात ठीक हैं।...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : वे 200 कौन से लोग हैं।... *(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया आप बीच में इंटरप्ट न करें। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैं पढ़कर बताता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ऐसा नहीं है। जब आपको या आपकी पार्टी में से किसी भी सदस्य को बोलने का मौका मिले तब आप अपनी बात कहिए। यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर को एड्रेस करें।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : चार पेपर्स में यह बात छपी है कि 200 चुने हुए नुमाइंदों को भाग कर आना पड़ा। क्या यह गलत है कि 10 मैम्बरों ने अखबारों में बयान दिया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यह सच्चाई है कि 10 मैम्बरों ने बयान दिया कि हमने इस्तीफा दे दिया। उनसे कहा कि चुने जाने के बाद आप इस्तीफा क्यों दे रहे हो तो उन्होंने कहा कि तीन आदमी पहले मारे गए और अब क्या हमने मरना है। अगर आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रक्षा नहीं कर सकते तो यह परिस्थिति गंभीर है। इस पर विचार करना चाहिए इसलिए पाकिस्तान से यह बात करना बहुत जरूरी है।...*(व्यवधान)*

वैसे तो हमारी पार्टी का बहुत टाइम है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मेरा कहना है कि 30 मिनट में से आप 20 मिनट बोल चुके हैं इसलिए बाकी सदस्यों को भी बोलने का कुछ समय मिल जाए। 30 मिनट में से आप 20 मिनट बोल चुके हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : विदेश मंत्री जी, उनकी जेलों में हमारे कैदी हैं। मुझे याद है कि जब हम पाकिस्तान गए थे तो यह प्रश्न उठाया था। पाकिस्तान से अभी एक आदमी छूटा है। वह कल आया। उसने बहुत ही दर्दनाक तरीके से वर्णन किया। उसने कहा कि 80 हिन्दुस्तानी वहां जेलों में थे।

उनकी अस्थियां पाकिस्तान जेलों में रखी हुई हैं। उसने कहा कि उनमें से कई के संस्कार मैंने किए थे। जिनको छोड़ा जाना चाहिए था, वे वहीं के वहीं रह गए। 1971 की लड़ाई में हमारे जो सैनिक थे, उनमें से 70–80 सैनिकों के करीब उनकी जेलों में बंद थे। उनमें से कुछ पागल हो गए, कुछ मर गए, कुछ कन्वर्ट हो गए। कहते हैं कि उनमें से अभी भी वहां कुछ बाकी हैं। यह बहुत महत्व की बात है। हमने उनके 93 हजार कैदी छोड़े थे जबकि हमारे कुछ कैदी वर्ष 1971 से वहां हैं। मेरा कहना है कि पाकिस्तान से जब कभी भी बातचीत हो तो उस बातचीत में इन प्रश्नों को, उन कैदियों को लाने की बात जरूर की जानी चाहिए अन्यथा हम उनके साथ एक प्रकार का अन्याय करेंगे।

इसलिए मैं कहना चाहता था कि आप इस पर विचार करें कि पाकिस्तान से बातचीत करते हुए जो महत्व की बात है, सबसे कोर इश्यू जो आतंकवाद का है, उसके बारे में गंभीरता से प्रश्नों को उठाया जाए और पाकिस्तान को साफ कर दिया जाए कि जब तक आतंकवाद रहेगा, जब तक आतंकवादी गतिविधियां रहेंगी, पाकिस्तान आईएसआई अड्डे बनाता रहेगा और आतंकवादी गतिविधियां चलाता रहेगा तब तक भारत और पाकिस्तान में मित्रता असंभव है। इस बात को स्पष्ट रूप में उनसे कहना चाहिए। यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : सभापति महोदय, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो अहमद साहब ने सदन पर अपना बयान रखा था, उसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आदरणीय विदेश मंत्री जी का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो उनका दौरा हुआ था और नेपाल में पिछले कुछ महीनों में घटनाक्रम रहे हैं, मैं संक्षेप में थोड़ा–बहुत पहले नेपाल के बारे में बोलना चाहूंगा। नेपाल से बहुत वर्षों तक हमारे संबंध रहे हैं, सबको यह बात मालूम है। बड़ा लंबा बॉर्डर उनके साथ रहा है। जिस तरह से उनके साथ हमारे रिश्ते रहे हैं, एक खुला बॉर्डर न केवल इस बात का प्रतीक रहा है कि उस देश और हमारे देश के बीच में एक गहरी दोस्ती रही है बल्कि वहां के नागरिकों और हमारे देश के नागरिकों के बीच में जो रिश्ते रहे हैं, हम लोगों ने क्यों एक खुला बॉर्डर नेपाल से रखा है। नेपाल से हमारे संबंध आर्थिक रूप से भी बहुत जोड़ों से जुड़े रहे हैं और कई बातों में अभी नेपाल के विकास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे विकास के लिए नेपाल बहुत महत्वपूर्ण है।

बिहार का उदाहरण बार–बार दिया जाता रहा है। जब तक नेपाल से पानी के रूप में कुछ न कुछ संधि नहीं होगी, बिहार के विकास में एक अड़चन हमेशा बनी रहेगी। लेकिन यह जो पिछले महीने–डेढ़ महीने में जो वहां घटनाक्रम हुआ है, कई विषय में यह बहुत ही चिंताजनक है। खासकर उस हर व्यक्ति के लिए जो लोकतन्त्र में आस्था और विश्वास रखता है। साउथ एशिया दक्षिण एशिया का जो इलाका है, इसमें भारत एक बड़े भाई की तरह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन हर देश के साथ हम लोग बराबरी का रिश्ता रखते हैं। इस तरह से हमारे पड़ोसी देशों में जो भी घटनाक्रम होते हैं, उससे हम अपनी नजर मोड़कर नहीं रख सकते हैं। यह बात हम जानते हैं कि उन देशों के अन्दर क्या होता है, यह उस देश के नागरिक, उस देश की सरकारें तय करें। उनके नागरिकों के साथ हमारे रिश्ते होते हैं, वहां के नागरिकों के साथ किस तरह से वहां की सरकारें व्यवहार करें या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा–बहुत हम लोग एक पड़ोसी के नाते ध्यान रखते हैं। पिछले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, वहां के नरेश ने लोकतन्त्र को एक तरीके से दरकिनार किया है। आपातकाल की स्थिति वहां घोषित की है और कांस्टीट्यूशन मोनारकी और मल्टी पार्टी डैमोक्रेसी का जो सिस्टम नेपाल ने अपने लिए स्वीकारा था, उसको दरकिनार करके अलग किया है। यह बात जरूर है कि वहां के महाराजाधिराज ने और उनके अन्य प्रतिनिधियों ने कहा है कि कुछ समय में लोकतन्त्र की बहाली के लिए वह कोशिश करेंगे। लेकिन क्या यह कोशिश सम्पूर्ण रूप से हो रही है या नहीं हो रही है, यह बात हम तो नहीं जानते हैं, हमारे माननीय विदेश मंत्री जी बेहतर जानते हैं। लेकिन हम इस सदन के माध्यम से इस बारे में अपनी चिंता बताना चाहेंगे और यह भी कहना चाहेंगे कि जिस रूप में भी हमारे देश की तरफ से हम उन तक अपनी बात पहुंचा सकें कि लोकतन्त्र की बहाली के लिए नेपाल जल्दी से जल्दी कदम रखे और दोबारा मल्टी पार्टी डैमोक्रेसी के लिए कदम रखे।

यह बात मान सकते हैं कि जिस तरह से वहां के महाराजाधिराज ने कहा, जिस तरह से माओवादी शक्तियां उस देश

[श्री सन्दीप दीक्षित]

में बढ़ रही थीं, जो मल्टी पार्टी डैमोक्रेसी थी, अपने रूप में महाराजाधिराज को लगा कि इस बात को टैकल करने के लिए सक्षम नहीं हैं। लेकिन उसके बाद जो कदम वहां उठाए गए हैं, जिस तरह से वहां के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हटा लिए गए हैं, वहां की मीडिया और प्रैस पर सेंसरशिप लगाई गई है, वहां की टेलीफोन की सर्विसेज हटा ली गई हैं, यह अपने में और भी ज्यादा चिंता का विषय बनते हैं। अगर वहां के महाराजाधिराज को, वहां की जनता को भी साथ लेकर चलना है तो कई ऐसे कदम हैं जो इस रूप में कारगर दिखाई न दें। मोनारकी अपने में उस देश का स्वीकारा हुआ तंत्र है जिससे वह अपने देश को चलाते हैं। नेपाल के बहुत से लोगों की वहां की शाही हुकूमत में आस्था है, शाही परिवार में आस्था है और न केवल उनकी आस्था ही है बल्कि हिन्दुस्तान के भी जनमानस के मन में नेपाल के शाही परिवार के प्रति बहुत आस्था है, उसके प्रति इज्जत है। जब भी वे हिन्दुस्तान आते हैं, उसी आस्था और उसी इज्जत से हम उन्हें भी देखते हैं। लेकिन इस सरकार के द्वारा हमारा आग्रह है कि दोबारा जिस तरह से उनके शाही परिवार ने नेपाल में मल्टी पार्टी डैमोक्रेसी कई वर्ष पहले स्थापित की थी और धीरे–धीरे हम उसका असर भी देख रहे थे, धीरे–धीरे नेपाल की जो तमाम लोकतान्त्रिक संस्थाएं थीं, वे अपने में जड़ पकड़ रही थीं।

लोकतंत्र की स्थापना इतनी जल्दी नहीं होती है, लेकिन जिस प्रकार धीरे–धीरे लोकतंत्र की जड़ें वहां बनती चली जा रही थीं, उसके परिप्रेक्ष्य में वहां पिछले दिनों जो कुछ हुआ वह एक अवरोध की तरह है। मैं यह नहीं जानता हूं कि हम इसमें कहां तक हस्तक्षेप कर पाएंगे या कहां तक हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते और जैसा कि विदेश मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि नेपाल में हमारे राजदूत के माध्यम से वहां के महाराजा के सामने अपनी चिन्ताएं व्यक्त कर दी हैं। मेरा मानना है कि हमारी ओर से जो भी बन सके, वहां लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया जाना चाहिए। मुझसे पहले जैसा कि मल्होत्रा जी ने अभी कहा है कि इस घटना से पहले नेपाल को जो सैन्य सहायता दी जा रही थी, उसको हटाना ठीक है कि नहीं, मैं इस विषय पर कोई सुझाव नहीं देना चाहता हूं। यह एक बड़ी संवेदनशील बात है। जिस देश के साथ हमारे संबंध इतने लम्बे समय से चले आ रहे हैं और जो हमारे और चीन के बीच बहुत लम्बे समय से बफर स्टेट के रूप में काम करता रहा है, स्वाभाविक है कि उसके साथ हमारे सैन्य रिश्ते भी हैं। लेकिन नेपाल की वर्तमान स्थिति हमारे लिए एक गंभीर चिंता का विषय अवश्य है। वहां जिस तरह से माओवादी गतिविधियां और लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या बढ़ती जा रही है, उस परिप्रेक्ष्य में, मैं समझता हूं कि नेपाल ..ज्य को उनका सामना करने के लिए कहीं न कहीं इस सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। नेपाल में जो माओवादी इन्सर्जेन्सी चल रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं और जैसा के मुझसे पूर्व इस सदन में अन्य कई वरिष्ठ साथियों ने भी कहा है, यह समस्या अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर रूप लेती जा रही है।

मुझे हाल ही में कुछ समय नेपाल में रहने का अवसर मिला। वहां मुझे देखने को मिला कि नेपाल का 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा माओवादी गतिविधियों से प्रभावित है। मुझे लगता है कि नेपाल में माओवादियों का प्रभाव बढ़ने का एक कारण यह भी है कि वहां जिस तरह का विकास अपेक्षित था, पिछले तमाम वर्षों में वह विकास नेपाल में आ नहीं पाया है और इसी कारण माओवादियों को जनता के बीच अपना असर बढ़ाने का मौका मिलता है। ये माओवादी गतिविधियां नेपाल के लिए तो समस्या हैं ही, इसका असर हमको अपने देश में नक्सलाइट गतिविधियों के रूप में देखने में मिलता है। नक्सलवादी गतिविधियों की एक पूरी लिंक बनती है, जो दक्षिण में आंध्र प्रदेश तक जाती है। इस बात को हर व्यक्ति मानता है कि नक्सलाइट समस्या अवश्य ही एक लॉ एण्ड ऑर्डर समस्या है, लेकिन कहीं न कहीं यह समस्या विकास के मुद्दे से भी जुड़ी हुई है। एक लोकतंत्र होने के नाते पूरे हिन्दुस्तान में लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, हमारी संस्थाएं लोकतान्त्रिक हैं, हर जगह और हर राज्य यह कोशिश करता है कि अगर कहीं विकास की कमी इस समस्या के जड़ में दिखाई देती है तो लोकतान्त्रिक तरीकों से उसका समाधान किया जाए। जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके ताकि अगर कहीं उनके मन में नक्सलाइट गतिविधियों के प्रति आस्था बन रही हो तो उसे भी साथ ही साथ हटाया जा सके। लेकिन अगर लोकतंत्र ही हट जाएगा तो सरकार और लोगों के बीच जनप्रतिनिधियों और मीडिया के रूप में दोनों को जोड़ने और दोनों की बातों को एक–दूसरे के सामने रखने का जो एक माध्यम बनता है, वह टूट जाता है। अतः माओवादी और नक्सलवादी गतिविधियों को हटाने में लोकतंत्र की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हो सकता है कि लोकतंत्र के कारण कभी–कभी कुछ आतंकवाद आगे बढ़े, फिर भी उसे हटाने के लिए लोकतंत्र ही एक सक्षम माध्यम है।

महोदय, इसके बाद मैं अफगानिस्तान के विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं हमारे विदेश मंत्री को मुबारकवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान की यात्रा की और वहां कई चीजों को लेकर भारत और अफगानिस्तान के बीच समझ और सहमति भी बनी, टेलीकॉम की बात हुई।

वित्त मंत्री जी से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि और भी जो मौके बन सकते हैं, जैसे विनिवेश के या हमारे लोग वहां जाकर वहां के विकास में काम करना चाहें, उन पर भी आपको

विचार करना चाहिए। हमारे वामपंथी दल के साथी ने इस डिबेट को शुरू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में आज से तीन–चार साल पहले जो हुआ, वह कहीं न कहीं इस बात को नहीं झलकाता कि दुनिया में नए सिरे से साम्राज्यवाद की शुरूआत हो रही है। यह बात हम लोगों को अपने जेहन में रखनी पड़ेगी। अमेरिका का जो रवैया अफगानिस्तान और इराक में रहा है, वह कहीं न कहीं इस बात का लोगों के मन में सन्देह उत्पन्न करता है। खासकर तीसरी दुनिया के जो हम नागरिक हैं, हम सबके मन में कहीं न कहीं यह बात रहती है, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है। खासतौर से अफगानिस्तान में वह आया और अपना राज चलाया। इससे हमारे मन में कहीं न कहीं संदेह रहता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।

अफगानिस्तान में जिस तरह से चुनाव हुए और वहां के नागरिकों ने पुरजोर तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया, वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। वही नहीं, दुनिया में जो भी लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, वे बधाई के पात्र हैं।

सभापति जी, मैं एक मिनट में समाप्त करूंगा। मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पाकिस्तान के बारे में कहा गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते जुड़ते रहते हैं। मल्होत्रा जी अभी यहां नहीं हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि अमेरिका की जो भी मंशा रही है हिन्दुस्तान के प्रति, कांग्रेस पार्टी और जितने दल इधर बैठे हैं, हमेशा किसी न किसी सवाल के अंदर तक हमने अमेरिका को देखा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अमेरिका हमारा पूर्ण दोस्त नहीं है। वह बीजेपी ही थी, जो हमेशा अमेरिका को अपना पूर्ण दोस्त मानती थी। यह ऐसी बात नहीं है कि यह कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमें संतोष है कि पिछले दिनों उसका जो रवैया रहा है, आज बीजेपी के मित्र भी मानते हैं कि अमेरिका पर हम पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते। कहीं न कहीं लोकतंत्र और आतंकवाद में उनके जो कार्य रहे हैं, वे संदेह के घेरे में आते हैं। अफगानिस्तान और इराक में उनके जो कार्य रहे हैं, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। उसमें मानवता, लोकतंत्र और शांति में अमेरिका कहां कब खड़ा हो सकता है, यह सबको मालूम पड़ गया है। इसलिए यह बात स्पष्ट हो गई है कि वह केवल अपना स्वार्थ ही देखता है, हमारा क्या स्वार्थ है, यह उसके मन में नहीं है। लेकिन मैं अपने विदेश मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो कांफीडेंस बिल्डिंग मैजर्स आपने लिए हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह बात सभी को ज्ञात है कि अभी तक हम पाकिस्तान पर पूर्ण भरोसा नहीं कर सकते। कहीं न कहीं उनकी सरकारें किसी न किसी रूप में आतंकवाद से लिंक रखती हैं। यह हिन्दुस्तान के जनमानस की भावना भी है और कहीं न कहीं प्रतीत भी होता है। लेकिन हम जानते हैं कि इस कांफीडेंस बिल्डिंग मैजर्स जो आपने लिए हैं, उससे हमारे लोग और वहां के लोग एक–दूसरे के करीब आएंगे। जो एकरूप में हम अपनी सरकारों पर प्रभाव डालते हैं, हमारे आपस में जो एनीमॉसटी होती है, उस प्रभाव का भी प्रतिबिम्ब सरकार बनती है। कम से कम उसमें कहीं न कहीं कमी रहे, यह हम सबके लिए हितकर होगा।

सभापति महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव। आपकी पार्टी को छः मिनट दिए गए हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आप स्वयं पैनल आफ चेयरमैन में हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आपने पहले ही बैरियर लगा दिया। पेटेंट बिल कल तक के लिए डैफर हो गया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उसका भी समय इस चर्चा में जोड़ दिया जाए।

श्री चन्द्रप्पन ने एक महत्वपूर्ण विषय सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया है। हाल ही में विदेश मंत्री जी की अफगानिस्तान और पाकिस्तान की यात्रा और नेपाल के साथ हमारे संबंधों संबंधी इस आसन्न विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं इसके लिए श्री चन्द्रप्पन को इस चर्चा से संबंधित प्रस्ताव लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति जी, मैं सबसे पहले नेपाल के संबंध में कहना चाहूंगा। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और मित्र देश भी है। मेरे संसदीय क्षेत्र, उत्तर बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ है। यह हमारे बगल में अवस्थित है। भारत से नेपाल का संबंध न केवल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक है, बल्कि धार्मिक भी है।

पशुपतिनाथ जी के मंदिर में भी भारत के लोगों का आना–जाना लगा रहता है।

भारत और नेपाल की दोस्ती का इतिहास बहुत लम्बा और पुराना है। वहां एक हनुमान नगर जेल है। भारत की आजादी के संघर्ष में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डा. लोहिया जी वहां गिरफ्तार होकर गए थे। नेपाल के लोगों का हमारी आजादी की लड़ाई में भी अच्छा–खासा योगदान रहा है। भारत की आजादी के संग्राम में नेपाल की अहम भूमिका रही है। इसलिए जब आज नेपाल में कुछ घटनाएं घट रही हैं तो हमें भी चुप नहीं बैठे रहना चाहिए। नेपाल में जनतांत्रिक अधिकारों को छीना गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है, इसलिए भारत का उत्तरदायित्व बनता है कि अगर वहां लोगों की आजादी पर हमला हुआ है, उनकी आजादी को छीना गया है, तो हमें भी मूकदर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। सन् 1990 में राजशाही के खिलाफ, लोकतंत्र के लिए वहां जन–आंदोलन हुआ, तब वहां राजतंत्र की पावर कुछ कम की गई

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

और बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की गई। लेकिन एक फरवरी 2005 को नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र जी ने सैन्य शक्ति के बल पर देश की संपूर्ण बागडोर अपने हाथ में ले ली, और वहां के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया। यहां तक की लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी छीन लिया गया है और आज नेपाल में अराजकता की स्थिति बनी हुई है, वहां सिविल–वार की स्थिति पैदा हो गई है।

पिछले 10 वर्षों से नेपाल में राजशाही के विरोध में, माओवादियों के द्वारा हिंसक गतिविधियां जारी हैं और वहां राजशाही के द्वारा आपातकाल लगा दिया गया है। इस तरह से एक तरफ माओवादियों की गतिविधियां और दूसरी तरफ आपातकाल, इन दोनों की चपेट में पूरा नेपाल आ गया है और वहां का जनजीवन पूरी तरह से चौपट हो गया है।

भारत एक पड़ोसी देश है और हमें इस बारे में चिन्ता होना स्वाभाविक है, हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। नेपाल में जो भारत मूल के लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो प्रजातंत्र के हिमायती हैं, जो माओवादियों से त्रस्त हैं, वे तेजी से पलायन कर रहे हैं। आपातकाल के बाद वे तेजी से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। आज वहां जो आम नागरिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनकी स्थिति भयावह और खतरनाक है और यह हमारे लिए एक दुःखदायी और चिन्ता की बात है। पूरी संसद को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहां मानवाधिकार बिल्कुल नहीं है और मानवाधिकारों का पूरी तरह से हनन हो रहा है। पिछले सालों में चक्का–जाम के कारण वहां की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई है।

अपराह्न 4.00 बजे

(श्री अर्जुन सेठी पीठासीन हुए)

नेपाल में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। नेपाल में जो भी आम निवासी हैं उनका जन–जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। आज वहां शांतिप्रिय नागरिक रहते हैं। ऐसे समय में राजनीतिक नेता क्या करें? मौजूदा कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बचने के लिए इंडिया की तरफ पलायन करने शुरू हो गए हैं। वे भारत की सीमा में धड़ल्ले से प्रवेश करके भूमिगत हो रहे हैं। माओवादी लोग भी भूमिगत हो रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे भी भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। वहां एक अद्भुत परिस्थिति पैदा हो गई है। भारत में एक असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला जो वर्तमान में कांग्रेस के सभापति भी हैं, उनके साथ सैकड़ों नेताओं को नजरबंद कर लिया गया है। श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बाबू सूरज नारायण, डा. राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उनके साथ गिरिजा प्रसाद कोइराला के संबंध बहुत गहरे थे। मैं इसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहता क्योंकि वक्त नहीं है। पहले सभापति महोदय ने मुझे वक्त कम होने की हिदायत दी थी वरना मैं विस्तार से यहां बताता कि उन्होंने किस तरह नेपाल में हनुमान नगर जेल तोड़ी थी, यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की किस तरह मदद की थी और उन्हें किस तरह जेल से रिहा करवाया था।

आज नेपाल की प्रेस पर भी सैंसर लगा दिया है। नेपाल में अराजकता बरकरार है। जो माओवादी लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं क्या उससे भारत अछूता रहेगा? क्या उसका भारत पर असर नहीं पड़ेगा? इस पर भारत सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। न केवल कूटनीतिक तरीके से बल्कि आगे होकर इसके ऊपर विचार करना चाहिए। नेपाल हमारा मित्र देश रहा है। इसका बहुत लम्बा इतिहास है। नेपाल में स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे बहाल हो यह देखना चाहिए। नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। वहां शांति बहाल करने के लिए सकारात्मक और कूटनीतिक प्रयास करना लाजमी हो गया है। भारतीय सीमा में धड़ल्ले से प्रवेश करने के कारण यहां विषम स्थिति पैदा हो रही है। नेपाल के नेताओं को रिहा करवाने के लिए भारत को प्रयास करने चाहिए। दोस्ती निभाने का यही वक्त है।

वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरूआत हुई थी। 1990 में इसकी शुरूआत हुई। अभी लोकतंत्र बहाल हुए 14–15 साल हुए थे। वहां लोकतंत्र का मात्र पौधा लगा था, वृक्ष नहीं हुआ था। वहां के लोग अभी लोकतंत्र को समझ ही रहे थे। वहां भी संसद है लेकिन वहां आपातकाल के काले बादल छा गए और सारे अधिकारों को सीज कर लिया गया। इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। दुनिया का जो भी देश अगर आजादी के लिए संघर्ष करता है तो हमारा नैतिक दायित्व है कि उसमें दखल दें क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। हमें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। नेपाल पर अमेरिका की नजर लगी है। एशिया महाद्वीप की बात नहीं है। अन्दर ही अन्दर एक खेल खेला जा रहा है। यह बहुत संवेदनशील मामला है। इस दृष्टि से इस पर विचार करने की जरूरत है। सब–कॉन्टीनैंटल के देशों पर नजर रखी जाए। जिस तरह से अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में महारक्तपात हुआ, जिस तरह का खेल हुआ।

इराक में कैसे हुआ? इराक में केवल सद्दाम हुसैन निशाना नहीं था, तेल के कुएं निशाना थे। सद्दाम तो एक बहाना था

पाकिस्तान का, तेल के कुएं निशाना थे, आर्थिक मामला निशाना था। पूरे विश्व को आधिपत्य में लाने का उनका खेल है। लेकिन इस सारे खेल में कहीं न कहीं हमें नजर आ रहा है कि अमरीका सम्पूर्ण दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर अपना आधिपत्य न कायम कर ले। हमें यह शंका है, मैं अपनी शंका को जाहिर करना चाहता हूं। अफगानिस्तान में जिस तरह से हुआ, भारत और पाकिस्तान संबंध सुधारने का काफी प्रयास हो रहा है और एक वातावरण का निर्माण हुआ है। मैं समझता हूं कि विदेश मंत्री जी के सहयोग से जिस तरह क्रिकेट के माध्यम से हुआ हो या भारत–पाकिस्तान महासंघ बनाने की कल्पना हो, जो श्री राम मनोहर लोहिया जी ने की थी। कल की स्थिति को भूलकर सावधानी बरतनी होगी। यह किसी दल का सवाल नहीं है। जब तक सीमा पर आतंकवाद रहेगा तब तक संबंध में कहीं न कहीं खलल होता रहेगा। इसलिए इन सवालों को भी निश्चित रूप से तय करना चाहिए। यह बहुत संवेदनशील मामला है लेकिन भारत और पाकिस्तान का, चाहे वह आर्थिक, व्यापारिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, भारत–पाकिस्तान का संबंध सुधरे, इस विषय में हम सब लोग और समूचा भारत आपके साथ खड़ा है। हम लोग सरकार के घटक दल हैं, जो नहीं भी हैं, करोड़ों लोग आज इस तरह की पहल में साथ हैं कि सद्भावना बने। भारत–नेपाल का संबंध सुधरने से विश्व में कही भी जो दादागिरी करने वाले देश हैं उनका दादागिरी का नक्शा टूट जाएगा जब हमारा संबंध बन जाएगा। हमारा संबंध पाकिस्तान से अच्छा हो जाए, नेपाल से हम पहल करें, मैं समझता हूं ऐसा वातावरण बन सकता है।

अभी भी हमारे हजारों मछुआरे पाकिस्तान में बंद हैं क्योंकि सीमा में रात को मछुआरे मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता। नियम के तहत, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। जो गरीब लोग गिरफ्तार हो जाते हैं उनकी रिहाई पर जोर देना चाहिए। हमारा पाकिस्तान से संबंध होगा तो उसमें कई मुद्दे होंगे, व्यापार का मुद्दा होगा, आर्थिक संबंध का मुद्दा होगा और जो भी हमारे पड़ोस के संबंध का मामला होगा। जिस तरह से अभी मछुआरे जो पाकिस्तान में हैं, मैं समझता हूं कि उनको छुड़ाने के लिए विचार करना चाहिए। पाइपलाइन का संबंध हो या हमारे विकास का, आर्थिक, व्यापारिक संबंध, वह अच्छा हो, भारत–पाकिस्तान संबंध अच्छा और बेहतर हो, मैं यह कामना करता हूं। यह मैं समझता हूं भविष्य में संबंध अच्छे हों और नेपाल से जल्द आपातकाल खत्म हो और नजरबंद नेताओं की रिहाई हो, वहां आजादी बहाल हो और नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र कायम होना चाहिए, इस पर सरकार को प्राथमिकता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री रामजीलाल सुमन।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : सभापति महोदय, हमारी पार्टी से किसी का नाम नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, एक फरवरी को नेपाल में बहुदलीय प्रजातंत्र व्यवस्था थी। उसके स्थान पर वहां के राजा ने सत्ता हथिया ली। नेपाल में आम आदमी के मौलिक अधिकारों को निरस्त किया गया।

राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारियां, पत्रकारों का उत्पीड़न, मानवाधिकार के लिए काम करने वालों की गिरफ्तारियां और पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। जो स्थिति नेपाल में बनी उसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और न सिर्फ अपने मुल्क के लोकतंत्र की हिफाजत करते हैं बल्कि दुनिया के लोकतंत्र की लड़ाई में हर देश के साथ मजबूती के साथ उसके हक में रहे हैं। नेपाल में कोई भी घटना घटित हो, उसके प्रभाव से भारत मुक्त नहीं रह सकता। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल में अगर कोई घटना घटती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। इसलिए, नेपाल का मामला बहुत ही संवेदनशील और गम्भीर है जिस पर गम्भीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

सभापति जी, नेपाल से हमारे भाषायी एवं सांस्कृतिक संबंध हैं। नेपाल की घटनाओं को हम अपने से अलग नहीं कर सकते। हमने हिन्दुस्तान में आपातकाल देखा है, हम लोग जेलों में रहे हैं। आपातकाल कितना दुखद होता है, आम आदमी को कितनी परेशानी होती है, हम भुक्तभोगी हैं। जब किसी मुल्क में आपातकाल लग जाता है तो वहां के लोगों को कष्ट होता है। नेपाल में लोकतंत्र कायम करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसा श्री डी.पी. यादव ने भी कहा है। नेपाल का संविधान पं. जवाहर लाल नेहरू की देखरेख में बना। डा. लोहिया, लोकनायक जय प्रकाश नारायण जैसे महान नेता वहां लोकतंत्र के लिए लड़ते रहे। एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद वहां लोकतंत्र कायम हुआ। श्री कोइराला हिन्दुस्तान में रहे और वहां लोकतंत्र कायम हुआ। हमारे पुरखों के त्याग, तपस्या और सतत् प्रयास से नेपाल में लोकतंत्र कायम हो सका। इस लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा धर्म है। आज नेपाल की स्थिति को गम्भीरता से देखना चाहिए। आज नेपाल से 80 लाख लोग भारत में आकर रह रहे हैं। वहां के नौजवानों का मनोबल टूट रहा है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, नौजवानों में असंतोष फैल रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि सिर्फ कपिलवस्तु से 10 हजार लोगों का पलायन हुआ है।

सभापति महोदय, मुझे ज्यादा इस विषय पर कुछ नहीं कहना है लेकिन मुझे एक–दो बातें जरूर कहनी हैं। दुनिया के किसी भी देश में लोकतंत्र कायम करने में हमारा सदैव समर्थन रहा है। मेरा

[श्री रामजीलाल सुमन]

निवेदन है कि पीठ की तरफ से सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। सरकार क्या करेगी, मैं नहीं जानता कि वह राजनैतिक, कूटनीतिक संबंध के लिए पहल करेगी लेकिन पूरे देश की तरफ से ऐसा संदेश दुनिया को जाना चाहिए कि यह संसद और हिन्दुस्तान के लोग नेपाल के लोकतंत्र के पक्ष में हैं।

सभापति जी, जहां तक पाक–भारत संबंधों का सवाल है, हम लोग पिछले दिनों पाकिस्तान गए थे। श्री मणिशंकर जी का पुराना आवास है, उनके दोस्त वहां रहते हैं। मैंने महसूस किया है कि न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान के लोग भी आपस में अमन–चैन पसंद हैं। यह एक अजीब दास्तां है। देखने की बात यह है कि स्थिति कहां खराब हो रही है? ज्यादातर लोग, जिनकी संख्या 99 प्रतिशत है, अमन चाहते हैं। जैसे हमारे देश में गरीबी, बेबसी, लाचारी है, उसी तरह से पाकिस्तान में गरीबी, लाचारी और बेबसी है। जब दोनों देशों में तनाव बढ़ता है तो बेबसी, लाचारी और बढ़ जाती है।

इसे पाकिस्तान के लोग भी भली–भांति जानते हैं। वह तमाम दौलत जो पाकिस्तान के विकास पर खर्च हो सकती थी, वहां के रक्षा मद में खर्च होती है। डा. लोहिया हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर एक महासंघ बनाने की बात करते थे। हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं। हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते सुधर सकते हैं। अभी वहां से गैस पाइप लाइन लाने की बात हो रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी स्तर पर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के संबंध मजबूत होना, ठीक होना हमारे मुल्क और पाकिस्तान ट ,ि के हक में हैं।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी एक बात दोहराना चाहता हूं कि चूंकि हम पड़ोसी देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए समूचे देश की तरफ से यह संकल्प जाना चाहिए कि नेपाल में जिस तरह से नादिरशाही ने, तानाशाही ने, वहां के राजा ने जनतंत्र का गला घोंटा है, उसके पक्ष में हिन्दुस्तान का एक भी आदमी नहीं है, कोई दल नहीं है। आपकी बड़ी कृपा होगी कि यदि पीठ के तरफ से यह संदेश जाए तो बहुत अच्छा होगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, नेपाल के घटनाक्रम में वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया ध्वस्त हुई है। वहां मिलिट्री शासन लागू है। नेपाल और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति महोदय ने भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही क्रिकेट प्रतियोगिता को भारत में देखने की जिस तरह से पहल की है और कहा है कि यदि भारतवर्ष बुलाए तो मैं भारत में जाकर इस खेल प्रतियोगिता को देखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक ही भाई थे, देश के रूप में एक ही परिवार था। ऐसी स्थितियां अब हम लोगों के सामने नए सिरे से आई हैं। देश के प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति ने यदि इस तरह से पहल की है तो यह वास्तव में एकता और भाईचारे का लक्षण है। यह बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से एक कृषि प्रधान देश, सोने की चिड़िया देश भारत को हम लोग इस तरीके से जानते और पहचानते हैं, संवारते हैं, इसे सींचते हैं, उसी तरीके से बगल की वसुंधरा पर नेपाल की धरती पर जो हमारे समान कल्चर है, रहन–सहन है, जहां हमारे भाई लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, कमजोर लोग रहते हैं, जिनका वहां शोषण हो रहा है। वहां के राजतंत्र के माध्यम से, कुलीन तंत्र के माध्यम से जिनका दोहन हो रहा है। वहां के कुलीन तंत्र को ध्वस्त करके जो वहां शासन करने वाला राजा है, उसने जिस तरह से राजा बनने का काम किया है, वह वास्तव में निंदनीय और घिनौना है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हम वहां की गरीब जनता के साथ हैं, हमें वहां की गरीब जनता के साथ जरूर रहना चाहिए। शासन, सत्ता आती–जाती रहती है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल की धरती पर जिस तरह से वहां की जनता का दोहन हो रहा है। वहां मिलिट्री शासन लगा दिया है, जिसके कारण वहां लोगों को साग–सब्जी और आवश्यक चीजें भी मुहैया नहीं हो पा रही हैं। वहां का आम जीवन अस्त–व्यस्त है। हिन्दुस्तान जिस तरह से विश्व में एक ख्याति प्राप्त देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसे देश की पहल, ऐसे देश की भूमिका, ऐसे देश की रहनुमाई, ऐसे देश का फैसला बहुत गंभीरतापूर्वक और बुलंदी के साथ होना चाहिए। विश्व में किसी भी जगह पर यदि कोई इस तरह के जुल्म और ज्यादती को बढ़ावा देता है, जो इस तरह से मिलिट्री शासन लगाकर गरीब लोगों की भावनाओं को रौंदने का काम करता है, उन्हें तत्काल रोका जाए। उनके रवैये में जल्दी ही सुधार आना चाहिए।

मैं सभापति महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नेपाल की धरती पर जिस तरह का उत्पीड़न वहां का राजा कर रहा है, उसके क्रम में मैं कहना चाहता हूं–राजा का बाजा बंद करें, चले न छुरी–कटारी और धुआं लगे मरे सब अहंकारी। हिन्दुस्तान की महिमा को बढ़ाने के लिए मैं इस सदन से प्रस्तावित करना चाहता हूं।

यदि यह प्रस्ताव सदन के सामने आया है तो वास्तव में मात्र मानव जीवन के उत्थान के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए लोकतंत्र से ऊंची कोई व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था का दूसरा रूप यह है कि एक ही घाट पर, एक ही राह पर, एक ही साथ शेर और बकरी दोनों चलने का काम करते हैं, परन्तु दोनों सुरक्षित महसूस करते हैं और दोनों सुरक्षित रहते हैं। ऐसी दशा में समतामूलक समाज की स्थापना संभव हो सकती है। मैं लोकतंत्र की

मर्यादा को फिर से दोहराते हुए कहना चाहता हूं कि नेपाल की धरती पर लोकतंत्र को निश्चित रूप से लागू कराने के लिए उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी अपील है कि इसके लिए हमारे देश की तरफ से पहल होनी चाहिए, हमारी सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान पहले एक था। हिन्दुस्तान की वसुन्धरा पर ढेर सारी खजिन संपदा है। इससे अधिक खनिज संपदा कहीं नहीं है, इससे अधिक धनी कोई देश नहीं है, लेकिन इसको खोजने की जरूरत है। मैं तो और भी देशों के लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि आदर्श सीखना चाहते हैं, यदि एकता सीखना चाहते हैं, भाईचारा सीखना चाहते हैं तो मेरी ही वसुन्धरा से, मेरे ही संस्कारों में उनको देखने को मिल सकता है कि हिन्दुस्तान में उनके देश के लोग सुरक्षित रूप से रहते हैं, सम्मानित रहते हैं, अपने को स्वतन्त्र महसूस करते हैं, किसी को कोई खतरा नहीं होता। हमारे देश पर तमाम देश के लोगों ने, यूरोपीय देश के लोगों ने कई बार यातनाएं दी हैं, कई बार हमला किया है। लेकिन मेरे देश की महिमा ऊंची है, मेरे देश की मर्यादा ऊंची है। इसी मर्यादा के क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि—

"राजा का बाजा बंद करो, चले न छुरी कटारी,
धुआं लगे सब मर जई है, जितने हैं अहंकारी।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति जी, हमारी विदेश नीति और नेपाल में जो आज स्थिति है, उस स्थिति को लेकर, तथा विदेश मंत्री जी ने जो विदेश दौरे किए और उस पर जो वक्तव्य सदन में दिया, उसके संबंध में आज सदन में चर्चा हो रही है।

हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि हमारी विदेश नीति में कभी राजनीतिक विवाद दिखाई नहीं दिया। समय–समय पर इस देश में किसी की भी सरकार बनी, जो विदेश नीति हमने आजादी के बाद से लेकर आज तक अपनाई है, उस विदेश नीति के तहत ही सरकारें अपनी भूमिका निभाती आई हैं।

सभापति जी, नेपाल में लोकतंत्र हो, जनतंत्र की बहाली हो, जनता का राज आए, इस बात से हम सब सहमत हैं। हमें इस बात का भी गर्व है कि सारी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो आदर्श के रूप में हमारी ओर देखते हैं या हम से कुछ सीखना चाहते हैं, अनुकरण करना चाहते हैं। माननीय सदस्य विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जो बात कही थी, मैं उसे दोहराना चाहूंगा। आज नेपाल में आपातकाल है और आपातकाल का समर्थन कोई नहीं कर सकता, उसका विरोधी जरूर होगा, लेकिन जिस स्थिति से आज नेपाल गुजर रहा है, उस स्थिति को देखते हुए और हमारे देश में जो बढ़ता हुआ आतंकवाद है, चाहे वह सीमा पार पाकिस्तान की ओर से होने वाला आतंकवाद हो या नक्सलवाद के नाम पर चलने वाला आतंकवाद हो या हमारे देश में जो संगठित गुनहगार हैं।

ऐसे संगठित गुनाहगारों के बारे में जब हम सोचते हैं तो कई बार आतंकवाद के संदर्भ में सवाल इस सदन में उठते हैं। चाहे श्री देवगौड़ा जी की सरकार हो, या श्री गुजराल जी की सरकार हो या श्री अटल जी की सरकार हो, या श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, हर सरकार के गृह मंत्री द्वारा इसी सदन में हर बार यही उत्तर मिलता है कि दुर्भाग्य से हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये आतंकवादी पड़ोसी देशों से हमारे देश में आते हैं। कुछ पाकिस्तान अकोपाइड कश्मीर से आते हैं या फिर नेपाल से आते हैं, भूटान से आते हैं या म्यांमार से आते हैं और जिन अन्य देशों का जिक्र किया जाता है, वे सभी हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। तब मन में एक सवाल उठता है कि जिस नीति को हमने अपनाया कि पड़ोसी देशों से हमारे संबंध अच्छे हों, उनके साथ अच्छे रिश्ते नाते हों तो कौन सी कमी है कि हम सफल नहीं होते। हमारे देश में कई वर्षों से होने वाली प्रोक्सी वार, जो पाकिस्तान की ओर से चलाई जा रही है, सीधे नहीं अप्रत्यक्ष रूप में पड़ोसी देशों द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद को सहायता देती है। श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने जो बात कही है उसे इसलिए दोहराना चाहता हूं क्योंकि वहां के राजा या महाराजा ने आपातकाल घोषित किया है। नेपाल के ऊपर पाकिस्तान और चाइना दोनों देश डोरे डाले हुए हैं। वे पूरे नेपाल को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। माओवाद नेपाल तक सीमित नहीं है। माओवाद बिहार से लेकर धीरे–धीरे महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। माओवाद का दूसरा रूप नक्सलवाद है। यही माओवाद का दूसरा रूप है। पश्चिमी तट के जितने प्रांत हैं, आज माओवाद का शिकार हो चुके हैं और इसलिए हमारी नीति इस प्रकार की हो या हमारी सरकार की भूमिका इस प्रकार की हो कि किसी भी तरह नेपाल हमारा मित्र देश बना रहे। हमारे संबंध उससे अच्छे रहें। नेपाल में जनतंत्र आए, प्रजातंत्र आए और लोकतंत्र आए। लोकतंत्र आने तक नेपाल को चाइना और पाकिस्तान से बचाने के लिए जो भी आवश्यकता है और हमारे संबंध कायम रखने के लिए जो कदम उठाने हैं, वह आवश्यक कदम भारत सरकार को उठाने चाहिए और इसलिए मैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा की बात को दोहरा रहा हूं।

सभापति जी, पिछली एनडीए की सरकार के घटक दल में शिव सेना भी थी और जब अटल जी की सरकार थी, मुझे उस संदर्भ में यहां अधिक नहीं कहना है। उसका जिक्र इसलिए मैं यहां पर कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध रहें, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए लगातार प्रयास भारत सरकार की ओर से किए जा

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि जो प्रयास भारत की ओर से किए जाते हैं, उन सारे प्रयासों को पाकिस्तान की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलता है और इसलिए हर बार जब हम सरकार में थे तब भी यही कहा करते थे कि दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाया जाना चाहिए। दोस्ती एकतरफा नहीं होती है। दोस्ती तब होती है जब हाथ दो तरफा बढ़ें। लेकिन दुर्भाय से पाकिस्तान के संबंध में जो भूमिका भारत सरकार की ओर से होती है, पिछले कई वर्षों से यदि हम उस सारे इतिहास को देखें तो लगता है कि दोस्ती का हाथ एक तरफा बढ़ रहा है।

सभापति महोदय, इसलिए सरकार में होते हुए भी हमने उस समय विरोध किया था, चाहे फिर सीज फायर की बात हो या लाहौर बस–सेवा की बात हो। हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादी यहां आ रहे हैं और हमारे जवानों की दिन–दहाड़े हत्या कर रहे हैं। जम्मू–कश्मीर से धीरे–धीरे आतंकवाद बढ़ते–बढ़ते मुम्बई तक पहुंच गया। बड़े–बड़े शहरों में बम विस्फोट होने लगे। धीरे–धीरे आतंकवाद लाल किले तक पहुंच गया और आतंकवादी धीरे–धीरे संसद भवन तक पहुंच गए।...*(व्यवधान)*

मैं यही कह रहा हूं कि इसमें किसी सरकार की बात नहीं है। इसमें किसी सरकार का दोष नहीं है। आतंकवादी हमारी संसद तक पहुंच गए। इसलिए सरकार में रहते हुए भी हमने कहा था कि जब दोस्ती होनी है, तो दो–तरफा दोस्ती का हाथ बढ़ना चाहिए, एक–तरफा नहीं। हर बार भारत सरकार की ओर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है। उसकी ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है और पाकिस्तान हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए हमारी ओर से दोस्ती किया जाना हमारी कमजोरी मानी जाती है। जब हम अपनी ओर से पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो वह हमारी कमजोरी मानी जाती है और कमजोर से कोई डरता नहीं है, कमजोर पर कोई दया नहीं करता है। इसलिए हमें अपनी ओर से सदैव दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अपनी कमजोरी प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। हमें किसी पर हमला नहीं करना है, लेकिन हमारा देश बलवान है, हमारा देश सशक्त है। हमारी ओर से किसी भी प्रकार की कमजोरी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये संदर्भ दिए हैं।

सभापति जी, जब 11 सितम्बर की घटना हुई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। 11 सितम्बर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी दुनिया और हमारे देश ने उसकी निन्दा की है, लेकिन एक घटना के बाद तुरन्त अमरीका ने कहा कि "अमरीका के विरुद्ध युद्ध" केवल वर्ल्ड ट्रेड की घटना के बाद अमरीका के प्रेसीडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि यह अमरीका के विरुद्ध युद्ध है।...*(व्यवधान)*

महोदय, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की बात तो बाद में आई। पहले तो अमरीकी प्रेसीडेंट ने घोषित कर दिया कि यह "अमरीका के विरुद्ध युद्ध" है और अफगानिस्तान पर हमला किया। अफगानिस्तान पर हमला करते–करते इराक खत्म हो जाए, तो हो जाए। मैं इसलिए ये सारे संदर्भ दे रहा हूं कि...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया कनक्लूड कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। अमरीका आतंकवाद के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से भारत की ओर से उसे सहयोग मिलेगा, मिलता रहा है और मिलना भी चाहिए, लेकिन आतंकवाद के बहाने, आतंकवाद को खत्म करने की बजाय अमरीका का साम्राज्यवाद सारी दुनिया में फैलाने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। आतंकवाद को खत्म करने के बहाने साम्राज्यवाद को दुनिया में फैलाने का काम चल रहा है, हमें इस बात पर सोचना चाहिए।

सभापति जी, हमने कई साम्राज्य देखे हैं और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, वे हमने भुगते हैं। लगभग 1500 साल तक हमारे ऊपर मुगलों ने राज किया और लगभग 150 साल तक अंग्रेजों ने राज किया। अलग–अलग साम्राज्य आए और साम्राज्यवाद का यह देश वर्षों तक शिकार रहा और अब फिर से अमरीका एक नए साम्राज्यवाद को लेकर सारी दुनिया पर छाने का काम कर रहा है और खासतौर पर जो कमजोर देश हैं, जहां पर विवाद हैं, जहां देश के अन्दर विवाद हैं, चाहे वह नेपाल हो या कोई और देश हो, उसके अन्दरूनी विवाद का लाभ उठाकर, अमरीकी साम्राज्यवाद को लादने का प्रयास जो हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, यही बात मैं सरकार से और विशेष रूप से माननीय विदेश मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

महोदय, हमारी नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम किसी भी किस्म के साम्राज्यवाद को भविष्य में नहीं सहेंगे, बल्कि हर साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे और उससे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अन्त में, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। उसकी और हमारी एक संस्कृति, एक धर्म, एक विचार और एक ही सभ्यता है। नेपाल की एक और पहचान है, जिसे मैं यहां बता देना चाहूंगा खासतौर पर नेपाल की जनता की पहचान है। उनकी ईमानदारी और वीरता, नेपाल की पहचान है जिसका अनुभव हम सारे देश में करते हैं। एक बड़े देश के नाते, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की आजादी को बहाल कराना, उसकी हिफाजत करना, बड़े भाई के नाते, हमारी जिम्मेदारी है। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान) : सभापति महोदय, आज यह

सभा उन समस्याओं के बारे में चर्चा कर रही है जिनसे भारत की जनता का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। किन्तु निश्चित तौर पर ये समस्याएं नेपाल में विद्यमान चिन्ताजनक स्थितियों के कारण विस्फोटक रूप ले चुकी हैं। इन परिस्थितियों से हम बहुत चिन्तित हैं।

आज प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण दुनिया दिन–प्रतिदिन सिमटती जा रही है। किसी देश में कुछ भी घटित होता है तो पूरे विश्व में या पड़ोसी देशों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। नेपाल में जो कुछ हुआ है वह पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि धरती के इस भाग में लोकतंत्र संकट में है।

यदि हम हमारे पड़ोसी देशों की ओर देखें जैसे अफगानिस्तान, वहां पर कोई लोकतंत्र नहीं है, म्यांमार में कोई लोकतंत्र नहीं है, बंग्लादेश में कट्टरपंथियों की पकड़ मजबूत हो रही है तथा श्रीलंका में जातीय संघर्ष समाप्त होता नहीं दिखाई दे रहा है। भारत के अतिरिक्त नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था का गठन किया गया था परन्तु वह भी अब खतरे में है। इन परिस्थितियों में नेपाल के लोगों को भारत में किसी प्रकार का विशेष दर्जा कैसे रहेगा? फिर भी भारत तथा नेपाल के लोग दोनों देशों में स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हजारों नेपाली भारत में कार्यरत हैं तथा यहां आजीविका कमा रहे हैं। वे हमारी सेना में भी हैं तथा अंग्रेजों के समय में भी थे।

इसलिए, इस संबंध में, जैसा कि हमें पता है, नेपाल के चारों ओर भूमि क्षेत्र है। नेपाल का विदेश व्यापार भी मुख्यतः कोलकाता पत्तन के माध्यम से होता है। इसलिए व्यापार प्राचीन समय से चला आ रहा है। इसके अलावा नेपाल में पर्यटन का बहुत विकास हुआ है। नेपाल जाने वाले सबसे ज्यादा पर्यटक भारत के ही हैं। नेपाल के छात्र हजारों की संख्या में भारतीय संस्थानों, विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि में अध्ययन करते हैं।

नेपाल की जनता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से सबक लिया। अन्ततः वे सफल रहे, यद्यपि वहां पर राजशाही है। उन्होंने निरंकुश राजशाही को समाप्त कर नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की। हमें नेपाल की पीड़ित आम जनता से पूरी सहानुभूति है।

किन्तु साथ ही साथ हमें सावधान रहना चाहिए। यह इसलिए कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह एशिया के दो बड़े राष्ट्रों चीन तथा भारत के बीच स्थित है। नेपाल के सामरिक महत्व के कारण, साम्राज्यवादी ताकतें वहां लोकतंत्र को विघटित करने, निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने और इसके स्थान पर अपने एजेन्ट रखने की योजनाएं बनाती हैं। षड़यंत्र पहले ही शुरू हो चुका है। साम्राज्यवादी या उनके एजेंट इस प्रकार की लड़ाई में भाग लेते हैं। हमारे दूसरे पड़ोसी ने पहले ही नेपाल में अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी है। साथ ही साथ हमें नेपाल की आम जनता से पूरी सहानुभूति है। हम नेपाल की आम जनता की पीड़ा से दुखी हैं।

अब, हम देखते हैं कि हाल ही में नेपाल में हो रही घटनाओं से भारत बहुत अधिक चिन्तित है। हम आम जनता की पीड़ा तथा वहां पर लोकतंत्र के ह्रास पर बहुत अधिक सहानुभूति रखते हैं। किन्तु, हमें विश्वास है कि नेपाल की जनता ही अपने देश के भाग्य का निर्धारण करेगी। हमें नेपाल के लोगों की बुद्धिमता पर विश्वास होना चाहिए। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते, भारत सरकार को पहल करनी चाहिए। हमें बड़ी सतर्कता और धैर्य से यह देखना चाहिए कि उस देश के साथ हमारी वर्षों पुरानी मित्रता वहां विद्यमान घटनाक्रम से न टूटे।

संक्षेप में मेरे यही विचार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, नौ मार्च को विदेश राज्य मंत्री ने नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध में अपना जो वक्तव्य सदन में पढ़ा था, उस संबंध में एक चर्चा आज इस सदन में प्रारम्भ हुई है। उसी चर्चा में भाग लेने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं।

तमाम माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने अपने विचार इस महत्वपूर्ण विषय पर रखे हैं, मैं सब को ध्यान से सुन रहा था। मुझे आश्चर्य भी हो रहा था कि नेपाल के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि दोनों हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, जब हम चर्चा करते हैं तो दोनों के लिए एक समान दृष्टि, जिसे कुछ मायनों में जिस प्रकार रखने चाहिए थे, क्यों नहीं रख पाते हैं और जिन मायनों में नहीं रखने चाहिए थे, उनमें क्यों रखना चाहते हैं।

नेपाल के इतिहास और भूगोल के बारे में जिन लोगों को कोई पता नहीं है, नेपाल की ऐतिहासिक और धार्मिक परम्परा के बारे में जिन्हें कोई जानकारी नहीं, वे लोग आज नेपाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नेपाल के अन्दर मानवाधिकारों के हनन की बात कर रहे हैं, नेपाल के अन्दर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और उन लोगों के द्वारा ही नेपाल के अन्दर वर्तमान की व्यवस्था पर प्रहार करके एक प्रकार से पिछले 10 वर्षों के अन्दर नेपाल के अन्दर जो माओवादी हिंसा प्रारम्भ हुई है, उसे किसी न किसी प्रकार से समर्थन देने का प्रयास हो रहा है।

महोदय, हम नेपाल के इतिहास के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्तमान नेपाल की नींव आज से लगभग ढाई सौ वर्ष पहले रखी गई थी, उसके बाद वर्तमान नेपाल स्वरूप में आया। तब

[योगी आदित्यनाथ]

से एक राजा के अधीन जो महाराजा पृथ्वीनारायण शाह जी से जो परम्परा प्रारम्भ हुई थी वही परम्परा सन् 1951 तक चली। वहां पर राजतन्त्र के तहत ही पूरी व्यवस्था चली थी। जिसमें महाराजाधिराज के रूप में राज करते थे। वहां पर प्रधानमंत्री को श्री तीन महाराजा कह कर पुकारा जाता था। सन् 1951 में प्रथम बार वहां पर प्रजातंत्र का आरम्भ हुआ और प्रजातांत्रिक देश के रूप में सामने आया। आज भी उनके जन्मदिन को महाराजा त्रिभुवन के नाम पर प्रजातंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेपाल में यह व्यवस्था बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। 1960 में पुनः नेपाल में एक नई व्यवस्था की गई थी जिसे नेपाली पंचायत प्रजातंत्र कहा गया था।

अपराह्न 4.46 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*)

यह व्यवस्था भी नेपाल में सफल नहीं हो पाई। उसके उपरान्त 1989 में बहुदलीय प्रजातंत्रीय व्यवस्था आरम्भ हुई जिसमें मुख्यतः भारत की प्रजातंत्रीय प्रणाली की तरह व्यवस्था कायम की गई ओर एक निम्न सदन और उच्च सदन की व्यवस्था की गई। महाराजा को संवैधानिक प्रमुख के रूप में अधिकार संविधान में दिए गए। पिछले 15 सालों से बहुदलीय प्रजातंत्र नेपाल में है। वहां पर राजनेताओं की सत्ता के प्रति लिप्सा और उनके आपसी फूट ने न केवल नेपाल में अव्यवस्था पैदा कर दी है, बल्कि भारत विरोधी गतिविधियों का भी नेपाल को अड्डा बना दिया है। जो लोग आज भारत में आकर नेपाल के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, नेपाल में जब चुनाव होते थे तो भारत विरोध वहां के चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा होता था। पिछले 10 सालों से नेपाल माओवादी हिंसा से प्रभावित है और वहां का 60 से 70 प्रतिशत भाग पूरी तरह से माओवादी हिंसा की चपेट में भी है।

जब हम नेपाल में माओवादी हिंसा की बात करते हैं तो माओवादी हिंसा केवल नेपाल की ही समस्या नहीं है, भारत के 12 राज्यों के 150 जनपद भी इससे प्रभावित हैं। हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हैं। हमारी सीमा चीन से भी लगी है तथा 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगी है। एकमात्र हिन्दू राष्ट्र होने के नाते नेपाल से हमारी खुली सीमा है। इससे हमें हर प्रकार से सुरक्षा प्राप्त होती है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज नेपाल के अन्दर हम लोकतंत्र की हिमायत कर रहे हैं लेकिन हमें ऐसा नेपाल नहीं चाहिए जिसका लोगों की हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार अन्य आपराधिक और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के अड्डों के रूप में इस्तेमाल किया जाए, इस प्रकार का लोकतंत्र नहीं चाहिए। हमें ऐसा लोकतन्त्र चाहिए जो प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान कर सके। नेपाल में शान्ति स्थापित करना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। 1 फरवरी, 2005 को वहां के महाराज ने नेपाल में वहां की आन्तरिक स्थिति में जो व्यवधान पैदा हुए थे, उनको सुधारने के लिए जो आपातकाल लागू किया है, यह एक तात्कालिक कदम है। जो नाकेबंदी का प्रयास भारत सरकार ने किया है उसे तत्काल भारत के हित में वापस लिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने नेपाल पर जो आर्थिक और सैनिक सहायता पर प्रतिबंध लगाए हैं, उसे तत्काल वापस लेने की आवश्यकता है। नेपाल को माओवादी हिंसा से निपटने के लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि माओवादी हिंसा में जो लोग लिप्त हैं, उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। क्या माओवादियों का लोकतंत्र में विश्वास है? अगर उनका लोकतंत्र में विश्वास होता, तो पिछले 10 वर्षों में नेपाल के अन्दर 15 हजार नागरिक क्यों मारे जाते। इतने अधिक लोग माओवादी हिंसा की चपेट में आए हैं और 10 से 12 लाख नागरिक माओवादी हिंसा के कारण नेपाल से विस्थापित हुए हैं। यही नहीं, आज भी सीमावर्ती क्षेत्रों में हजारों की संख्या में माओवादी हिंसा से प्रभावित लोग आए हैं। नेपाल में, जो लोग आपात काल लागू होने के बाद बात करते हैं कि वहां सैंसरशिप लागू हुआ है, उन्हें संभवतः वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है। हमने नजदीक से देखा है कि वहां की जनता माओवाद के खिलाफ उठ खड़ी हुई है और वह आज किसी भी राजनेता के साथ नहीं है। आज जन--मानस न तो माओवाद के पक्ष में है और न ही लोकतंत्रवादियों के साथ क्योंकि पिछले 15 वर्षों के अंदर, वहां के राजनेताओं ने जिस तरह उनका विश्वास खोया है, यह उसी का परिणाम है कि आज नेपाल में जनता माओवादियों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। आज हर क्षेत्र में जनता द्वारा माओवादियों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। नेपाल में पुनः लोकतंत्र की बहाली की मांग विभिन्न क्षेत्रों से प्रारम्भ हुई है लेकिन उससे महत्वपूर्ण माओवादी हिंसा से निपटना प्राथमिकता में होना चाहिए। भारत सरकार ने वहां जो आर्थिक एवं शैक्षिक सहायता की नाकेबंदी करने का प्रयास किया है, हथियार उपलब्ध कराने की भारत सरकार की जो 1950 की ट्रीटी है, जिस प्रकार भारत सरकार ने उसे एकतरफा समाप्त करने का प्रयास किया है, मैं विदेश मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर भारत सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि नेपाल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में है नेपाल का अस्तित्व भारत के हित में है।

पाकिस्तान ने नेपाल को हथियार देने के बारे में पहल की है। चीन की गिद्ध दृष्टि नेपाल पर तिब्बत की तरह लगी हुई है। सामरिक दृष्टि से अमरीका ने भी भारत और चीन को घेरने के लिए नेपाल को अपने केन्द्र के रूप में विकसित करने का सपना संजोया है। उस दृष्टि से भी हमें इस पर ध्यान देना होगा। हमारी विदेश

नीति अपने देश के हित को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, किसी और देश को लेकर नहीं।

नेपाल के बारे में जहां मुझे ये बातें रखनी थीं, वहीं दो–तीन अन्य मुद्दों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यहां अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हुई। मैं विदेश मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आप अफगानिस्तान से वार्ता करते हैं, अफगानिस्तान को मदद करते हैं, तो आज से छः वर्ष पहले बामियान की पहाड़ियों पर भगवान बुद्ध की जिन मूर्तियों को तोड़ा गया था, उन्हें वहां पुनः स्थापित करने के लिए क्या आप अफगानिस्तान से बातचीत करेंगे? साथ ही हिन्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कांधार में जो समाधि है, उसका अपमान किया जाता है, क्या भारत सरकार उसे वापिस लाने के बारे में अफगानिस्तान से बात करेगी?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : इसके अतिरिक्त मैं पाकिस्तान के बारे में कहना चाहता हूं कि अगर हमें लोकतंत्र की बहाली की मांग करनी है, तो पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए और भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र नहीं आता, जब तक पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को प्रश्रय और संरक्षण देना बंद नहीं करता, तब तक उसके साथ कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि श्रीनगर–मुजफ्फराबाद के बीच जो बस सेवा प्रारम्भ करने का निर्णय भारत सरकार ने किया है, उसे तत्काल वापिस लिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारे में जो बगलीहार हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर प्रोजैक्ट के बारे में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी का वक्तव्य आया था कि युद्ध से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : योगी आदित्यनाथ के भाषण के सिवाय कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वार्ता का क्रम समाप्त करें। एक बार पाकिस्तान से युद्ध करके, पाकिस्तान ने जो अधिकृत कश्मीर पर जबरन कब्जा किया हुआ है, उस समस्या का निपटारा हो। उसे खाली कराने के बारे में भारत सरकार को कड़ाई के साथ कदम उठाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि नेपाल के बारे में भारत सरकार अपनी नीतियों पर पुनः विचार करे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : उनका भाषण पूरा हो चुका है, आप इसे अब क्यों उठा रहे हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बोल सकते हैं लेकिन इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल श्री राव का भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री आठवले, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मित्रो, आप समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? कृपया सभा में व्यवधान न डालें। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री के. एस. राव (एलूरू) : पंडित जवाहर लाल नेहरू और अपने पूर्वजों की उस दूरदृष्टि को हम शतशत नमन करते हैं जिसके तहत हमारे देश की विदेश नीति की नींव रखी गई और आज जिसकी पूरा विश्व प्रशंसा करता है। हमारी विदेश नीति का आधारभूत पहलू प्रत्येक देश की संप्रभुता का आदर करना, किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा किसी अन्य देश की भूमि अथवा स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करना है। हम लगभग प्रत्येक राष्ट्र से मित्रता का संबंध रखना चाहते हैं और अपने पड़ोसियों से तो और भी बेहतर मित्रवत संबंध रखना चाहते हैं। ये हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री के. एस. राव]

सौभाग्य से, यद्यपि भाजपा और अन्य दल अनेक मुद्दों पर हमसे अलग मत रखते हैं परन्तु विदेश नीति पर मूलतः उनका हमसे कोई मतभेद नहीं है। जब श्री मल्होत्रा बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि वे आधारभूत विदेश नीति से सहमत हैं—जिसकी नींव हमारे पूर्वजों और कांग्रेस नेताओं ने रखी थी—परन्तु वे उस तरीके से सहमत नहीं हैं जिस तरीके से इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारे नेताओं ने अन्य बातों से ऊपर उठ कर प्रजातंत्र के प्रति अपनी दृढ़ता एवं समर्थन से अपने साहस का परिचय दिया है। यद्यपि कभी-कभी इससे राष्ट्र को थोड़ी हानि उठानी पड़ी है। इसने अनेक विकासशील देशों को यही रास्ता अपनाने की दिशा दी है यद्यपि उनमें से कुछ निर्धन और कुछ विकास के शुरूआती चरण में हैं। स्वतन्त्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है। लोकतंत्र मात्र यहां ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पसंद किया जाता है। दुर्भाग्यवश, हमारे मित्र, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के भाषण माहौल को बिगाड़ रहे हैं।

महोदय, हमने इस सभा में अनेक बार यह चर्चा की है कि हमें अपना रक्षा व्यय कम करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.00 बजे

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : सभापति महोदय, यह मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया जा रहा है। मैंने कहा था कि नेपाल में हम लोकतंत्र के समर्थक हैं लेकिन माओवादी हिंसा से त्रस्त नेपाल को वर्तमान में सहायता करने की आवश्यकता है और राजतंत्र के तहत ही नेपाल के अन्दर लोकतंत्र पनप सकता है।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : राजतंत्र के अंदर लोकतंत्र कौन देगा? बताइए।...*(व्यवधान)* सारे राजतंत्र ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उनके सहमत होने पर ही आपके निवेदन को कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा, अन्यथा श्री के. एस. राव के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री के. एस. राव : महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह सहमति जताई थी कि दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास की कमी के कारण हमारा रक्षा व्यय काफी बढ़ रहा है। इसलिए हमें अपने दोनों देशों के बीच आपसी संबंध सुधारने की जरूरत है और इस प्रकार से काफी चीजें बचाई जा सकती हैं। यह कार्य अधिकांशतः कांग्रेस सरकारों द्वारा किया गया है तथा बाद में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग गठबंधन सरकार ने भी पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया था।

माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था कि हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान में लोकतंत्र पुनः बहाल हो तथा उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में हमें पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर को उनसे हासिल किया जाना चाहिए। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास कायम नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस देश के नागरिक पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में रुचि रखते हैं बल्कि हर समय इस देश का प्रत्येक व्यक्ति मात्र उस देश के साथ संबंधों को सुधारने के प्रति इच्छुक है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इस सभा में ऐसे भाषण न दें। वह इसके बारे में अपने मित्रों के साथ व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। यह अलग मामला है। परन्तु यदि वह ऐसी बातें इस सभा में करते हैं तो इसका प्रभाव आगामी पीढ़ियों के लिए पूरे देश पर पड़ेगा। वह इस बात को बहादुरी के रूप में कह सकते हैं अथवा यह प्रदर्शित करने के लिए कह सकते हैं कि उन्हें अपने देश पर गर्व है अथवा इससे उन्हें प्रेस में अच्छी लोकप्रियता हासिल हो सकती है, परन्तु उन्हें इस बात से अवगत होना चाहिए कि इस सभा में ऐसी बातें कहने से पूरे राष्ट्र को कितनी हानि उठानी पड़ रही है।

जहां तक नेपाल के साथ हमारे संबंधों का प्रश्न है, हमारे मित्रों ने उस देश के साथ हमारे ऐतिहासिक, भाषायी और सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे दोनों देशों के बीच आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। हमारे बीच इस प्रकार के संबंध हैं। दुर्भाग्यवश, पिछले कुछ वर्षों में नेपाल की कुछ घटनाओं से दोनों देशों के बीच कुछ तनाव पैदा हुआ है। हम उनके अंदरूनी मामले में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन हमारे दोनों देशों के बीच एक साझा सीमा होने के कारण हमारी यह इच्छा है कि उस देश में शांति बहाल हो। उस देश के नरेश और वहां की जनता के बीच आवश्यक रूप से अच्छे संबंध होने चाहिए। हम इसके अलावा कुछ और नहीं चाहते हैं। किसी भी स्थिति में, यदि नेपाल में शांति प्रभावित होती है तो इसका हमारे देश पर भी प्रभाव पड़ेगा। स्वभावतः, हम उस देश में बिगड़ती स्थिति के प्रति मूकदर्शक नहीं बने रह सकते। हम सीधे हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं परन्तु हम चाहते हैं कि बहुदलीय लोकतंत्र अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से उस देश में शांति बहाल हो तथा नेपाल नरेश और आम जनता के बीच संबंध स्थापित हो। हम उन्हें

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम कभी भी माओवादियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। माओवादी सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि भारत में भी मौजूद हैं। हम आंध्र प्रदेश में चल रही उनकी गतिविधियों से परेशान हैं। लगभग प्रत्येक दिन लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। यह राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। इन परिस्थितियों में, हम नेपाल में माओवादियों का समर्थन कैसे कर सकते हैं। नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र के मन में यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र को सद्‌बुद्धि आएगी तथा वह सुनिश्चित करेंगे कि शांति बहाल हो और नेपाल की जनता की आकांक्षाओं का ख्याल रखा जाए। पूर्व में नेपाल के नरेशों ने देश में लोकतंत्र को प्रोत्साहित किया था तथा उस देश की जनता की प्रबल इच्छा है कि वहां लोकतंत्र कायम हो। इसलिए वर्तमान नरेश को भी देश में लोकतंत्र की स्थापना की परम्परा को नहीं तोड़ना चाहिए। मात्र इस कारण से कि कुछ माओवादियों ने वहां कुछ गलत कार्य किया है, वह इमरजेंसी लागू नहीं कर सकते तथा प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। इसमें उनका अहित है। यह उनके हित में भी नहीं है। इसलिए, हम चाहते हैं कि नेपाल में शांति बहाल हो क्योंकि इसका हम पर प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा, हमने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा होता। हमारे मंत्री महोदय ने भी यही बात कही है कि जेलों में बंद लोगों को मुक्त किया जाना चाहिए। उन सभी लोगों को रिहा करने के लिए कहा है क्योंकि विशेषतया पत्रकारों ने मानवाधिकार संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया है। इसमें क्या गलत है? इस विचार का सभी राष्ट्रों द्वारा समर्थन किया जाएगा। मान लीजिए कि हम ऐसा नहीं करते, तो इस अवसर का इंतजार करने वाले कुछ अन्य देश इसका लाभ उठा लेंगे और नेपाल के माहौल को बिगाड़ देंगे और इसका परिणाम उनके साथ–साथ हमारे लिए भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इस तथ्य पर राजा को गौर करना चाहिए जो वहां शासन कर रहे हैं और यह भी देखें कि वहां पहले वाली स्थिति बहाल की जाए।

पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम सभी यह प्रयास कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होने चाहिए और दोनों के बीच विश्वास होना चाहिए। हम सभी को आपसी विश्वास बहाल करने के लिए यथासंभव सबकुछ करना चाहिए। एक–दूसरे से लड़ कर, हमें किसी अन्य विकसित देश का गुलाम नहीं बनना चाहिए। अमरीका दूर बैठा हुआ दोनों देशों पर अपनी शर्तें क्यों लाद रहा है? वह ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी है। जिस क्षण दोनों देशों के बीच विश्वास बहाल हो जाएगा, तब वो एक भी शब्द नहीं बोल सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद पर अमरीका की सेवाओं की हमें क्या आवश्यकता है? कल तक, हम भाई–भाई थे। बस इसलिए कि हमारा राष्ट्र विभाजित हो गया और दो देशों में बंट गया, हमारे संबंध खत्म नहीं हो गए। उनके संबंधी और मित्र यहां हैं और उनका हित भी यहां निहित है। हमारा भी हित उनके साथ है। हम लोकतंत्र चाहते हैं और हमने शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व बनाए रखा है। इस मुद्दे को भी अवश्य महसूस किया जाना चाहिए।

मैं यह अनुरोध करता हूं कि पाकिस्तान के शासकों को यह अवश्य महसूस करना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध पारस्परिक विश्वास के साथ अच्छे होने चाहिए। केवल तभी, हम दोनों देश विकास कर पाएंगे। आज अच्छे आर्थिक विकास की आवश्यकता है। एक दूरस्थ देश हम पर अपनी शर्तें कैसे लाद सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह विकसित है, वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनके पास हथियार सहित अकूत धन है। इसलिए, वे हम पर शर्तें लादने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम उनकी तरह विकसित होते, तो उन्होंने हमारे साथ ऐसा नहीं किया होता और उन्होंने हम पर शर्तें लादने की हिम्मत नहीं की होती। इसलिए, इसके मूल में भारत और पाकिस्तान को आर्थिक रूप से विकसित होना होगा और और अधिक ताकतवर बनना होगा ताकि हमें किसी अन्य राष्ट्र की सलाह की आवश्यकता न पड़े।

इसी प्रकार, अफगानिस्तान के साथ हमारे युगों पुराने संबंध हैं। अफगानिस्तान के लोगों का हम पर राजनैतिक और आर्थिक रूप से विश्वास है। यह तो उनके हित में भी है कि यदि हमारे संबंध अच्छे हैं तो कई चीजों को आर्थिक रूप से किया जा सकता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि अच्छे संबंध विकसित करने हेतु ज्यादा सहायता दी जाए। हमारे कई कंपनियों को वहां जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें वहां जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे वहां की भी अर्थव्यवस्था का विकास करें।

इन शब्दों के साथ, मैं दूसरे पक्ष के लोगों से माहौल को नहीं बिगाड़ने का अनुरोध करता हूं जबकि इन देशों के बीच पारस्परिक विश्वास का विकास कर काफी कुछ हासिल किया जा सकता है।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के उस वक्तव्य का समर्थन करता हूं जिसे उन्होंने इस सम्माननीय सभा में दिया है।

यह बहुत प्रशंसनीय है कि भारत नेपाल नरेश द्वारा बहुदलीय सरकार को भंग किए जाने के बाद नेपाल में घटित हाल की घटनाओं के प्रति चिंतित है। नेपाल के लोगों की बहुसंख्यक जनता लोकतंत्र के पक्ष में है। हाल में, वहां लोगों के बीच एक मतदान प्रक्रिया आयोजित की गई थी और उनमें से 93 प्रतिशत लोगों ने नेपाल में लोकतंत्र के पक्ष में मतदान किया था। संयुक्त राज्य अमरीका

[श्री प्रबोध पाण्डा]

ने ऐसे तख्ता–पलट की निंदा की। ब्रिटेन ने इस तख्ता–पलट की निंदा की। एक बात मेरे लिए आश्चर्यजनक है।

जो कुछ योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है उसे सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा है वह पांचजन्य के दृष्टिकोणों के अनुसार है जिसने इस तख्ता–पलट का समर्थन किया है। यहां यह वर्णन करना प्रासंगिक है कि विश्व हिन्दू परिषद का काठमांडू में मुख्यालय है। विश्व हिन्दू परिषद का वहां एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय है और इसका नरेश के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। अतएव, नरेश ने अपने गुट में श्री तुलसी गिरी को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जो भारत में आरएसएस के व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। विश्व हिन्दू परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है, काठमांडू में नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रबोध पाण्डा के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : एक समय में एक साथ दो भाषण नहीं हो सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रबोध पाण्डा : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि इस आकस्मिक शासन परिवर्तन पर विलाप करने के अतिरिक्त सरकार क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है? भारत नेपाल की जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए अपनी कथनी को करनी में कैसे बदल पाएगा?

इस संबंध में माननीय मंत्री जी संभवतः अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से अवगत होंगे। आयोग की अपनी सिफारिशों में से एक सिफारिश है :

"ऐसा करने का सबसे सही तरीका शाही नेपाल सेना को हथियारों की पूर्ति और सरकार को प्रत्यक्ष सहायता रोक देना होगा (जनता को सेवाएं प्रदान करने वाले गैर–सरकारी संगठनों और समूहों से दूर होकर)।"

सरकार इस सिफारिश पर किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी? सरकार का इसके लिए क्या उत्तर है?

दक्षेस मंच भी अति महत्वपूर्ण मंच है। इस मंच को नेपाल के वर्तमान राजतंत्र का पर्दाफाश करने और उससे लड़ने के लिए समुचित रूप से उपयोग किया जा सकता था। ऐसा करने से क्यों बचा गया?

नेपाल में माओवादी समस्याओं की चर्चा है। यह सच है। 75 जिलों में से अधिकांश जिले उनके नियंत्रण में हैं। परंतु जहां तक हमारे देश का संबंध है तो समस्या हमारे देश के मध्य में है न कि सीमावर्ती क्षेत्रों में। अतः इसे नेपाल की माओवादी समस्या से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हमारी समस्या नेपाल की माओवादी समस्या से संबंधित नहीं है। इसे उसके साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, नेपाल में समस्या बहुत अधिक उसकी अपनी सामाजिक–आर्थिक प्रणाली से जुड़ी हुई है। यह सत्ता हथियाने के लिए नहीं है। यह नारा नहीं है। नेपाल की माओवादी समस्या उस देश की सामाजिक–आर्थिक समस्या से संबंधित है। यदि सामाजिक–आर्थिक समस्या का समाधान नहीं होता है तो इस समस्या का भी समाधान नहीं किया जा सकता है।

मेरा दूसरा मुद्दा समाचार–पत्रों में प्रकाशित एक समाचार से संबंधित है। यह समाचार भारत द्वारा नेपाल को 375 करोड़ रुपये के हथियारों की आपूर्ति से संबंधित है जिसमें हैलीकोप्टर, लैंडमाइन, एयर कंट्रोल मिसाइल आदि सम्मिलित हैं और जिन्हें लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन करने वालों और शांतिप्रिय नागरिकों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा।

इस संबंध में क्या तरीके और उपाय अपनाए जा रहे हैं ताकि हथियारों का इस्तेमाल नेपाल की लोकतांत्रिक जनता के विरुद्ध न किया जाए? हमारे हैलीकोप्टर को नेपाल की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हमारी सरकार नेपाल सरकार या दक्षेस या अन्तर्राष्ट्रीय मंचों–वैश्विक मंचों–पर दबाव डाल रही है ताकि हथियारों का इस्तेमाल नेपाल के लोकतांत्रिक जनादेश के विरुद्ध न किया जा सके। इन सभी प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दिया जाना चाहिए। मैं अवश्य ही सरकार के पक्ष का समर्थन करता हूं। सरकार ने नेपाल में इस आकस्मिक शासन परिवर्तन की जोरदार ढंग से निंदा की है। परन्तु कही गई बात पर अमल किया जाना चाहिए। अतः यदि हमारी सरकार या माननीय मंत्री जी हमारे समक्ष यह बता सकें कि वे इस

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संबंध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं तो आज की चर्चा हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अत श्री पी. चिदम्बरम को सभा पटल पर अधिसूचना की प्रति रखने की अनुमति दी जाती है।

अपराह्न 5.16 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या 30/2005–सीमाशुल्क, जो 21 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय चीन जनवादी गणराज्य, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमरीका और यूरोपीय संघ में उद्भूत या वहां से निर्यातित माइका पर्ल पिगमेन्ट पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1818/05)

अपराह्न 5.17 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

नेपाल में घटनाक्रम तथा विदेश मंत्री की अफगानिस्तान और पाकिस्तान यात्राएं–जारी

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, 9 मार्च को विदेश मंत्रालय की ओर से इस सदन के सामने जो वक्तव्य प्रस्तुत किया गया है, मैं मोटे तौर पर उसके पक्ष में हूं और एक सही दृष्टिकोण भारत सरकार ने रखा है। जब कभी भी नेपाल के ऊपर संकट आया, तो भारत और नेपाल की जो ऐतिहासिक मित्रता है, भाईचारा और घरेलू संबंध रहा है, उसके नाते, हर संकट की घड़ी में, भारत वहां की जनता के पक्ष में खड़ा हुआ। चाहे सन् 1989–90 का परिवर्तन रहा हो, सन् 1961–62 का परिवर्तन रहा हो या सन् 1951–52 का परिवर्तन रहा हो। भारत के लोकतांत्रिक नेतृत्व ने हमेशा नेपाल की लोकशाही के लिए अपने को समर्पित किया और समर्थन करने का काम किया। अंग्रेज साम्राज्यशाही के विरुद्ध, भारत के लोकतांत्रिक संघर्ष में, नेपाल के लोकतंत्र ने भी, भारत के आंदोलन का जबर्दस्त समर्थन किया। भारत के आंदोलनकारी नेपाल की तराइयों में रहकर उस जंग को लड़े और भारत को स्वाधीनता मिली। जिस तरह से भारत की आजादी के बड़े नेता इंग्लिस्तान में रहकर, वहां की लोकशाही और वैलफेयर स्टेट के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर, भारत को उसी तौर–तरीके से चलाने की एक पद्धति इस देश में ईजाद कर पाए, उसी तरह से नेपाल का जो लोकतांत्रिक नेतृत्व था, उसकी पढ़ाई–लिखाई भारत में हुई और भारत के लोक कल्याणकारी राज्य और जनतांत्रिक तौर–तरीकों में उनका प्रशिक्षण हुआ। इसलिए उन्होंने नेपाल के अंदर सदैव लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया।

आज नेपाल की स्थिति दो तरह की है। राजमहल के संघर्ष से हमारा कोई वास्ता नहीं है। राजतंत्र के जो तौर–तरीके हैं, उनका लम्बा इतिहास नेपाल में भी रहा है और दूसरे देशों में भी रहा है, जहां राजशाही हुकूमत में आती रही है, लेकिन एक सिद्धान्त इस देश में बराबर चला आया है कि भारत में लोकतंत्र केवल इसलिए सुरक्षित है कि भारत हिंदू प्रधान देश है और हिंदुत्व की ही जड़ों में लोकतंत्र रचता–बसता है, इसलिए हिंदुस्तान को हिंदू प्रधान देश रहना चाहिए। नेपाल की घटनाओं ने इस सिद्धान्त को गलत साबित किया है और यह सिद्ध किया है कि हिंदुत्व और इस्लाम से लोकतंत्र का कोई वास्ता नहीं है। वह एक पद्धति है जो विचारधारा के आधार पर चलती है। हम इस बात को निजी जानकारी के आधार पर कह सकते हैं कि माओवाद के खिलाफ वहां की जनता डंडा और लाठी लेकर खड़ी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के किनारे के इलाके से माओवाद का सफाया वहां की जनता ने अपने पैरों पर खड़े होकर किया है लेकिन उसी के साथ–साथ जिस तौर–तरीके से एमर्जेंसी और सैंसरशिप लागू की गई मैं निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आज राजशाही की सेना का जितना दमन माओवाद के खिलाफ है उससे अधिक दमन जो लोकतंत्रवादी लोग हैं उनके विरुद्ध है। दो हजार से अधिक जितने लोग नेपाल की जेलों में हैं यदि उसका विवरण प्राप्त करें तो मालूम होगा कि ढाई हजार से अधिक लोग ऐसी जेलों में हैं जो लोकतंत्रवादी और प्रजातंत्र के हिमायती हैं। माओवादियों की संख्या सौ–डेढ़ सौ के आसपास है। इसलिए यह कहना कि नेपाल में जो माओवाद है जो हिन्दुस्तान में माओवाद है, इसका अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से कोई रिश्ता नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद में इस माओवाद के तौर–तरीकों को रिजैक्ट कर दिया। यह अपने पैरों पर खड़ा एक स्थानीय आन्दोलन है जो सिद्धान्त के प्रति प्रतिबद्ध कम अपने निजी स्वार्थ के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ज्यादा है। उसने वन जन्तुओं का नाश किया है। उसने वनों, पर्यावरण का नाश किया है और निजी सम्पत्ति और सम्पदा इकट्ठी करने के लिए वहां की लकड़ी, वन्य

[श्री मोहन सिंह]

जन्तुओं को बरबाद करके उसकी तस्करी की है। नेपाल के माओवाद का रिश्ता मादक द्रव्यों की तस्करी से जुड़ गया है। इसलिए वह सैद्धान्तिक आन्दोलन नहीं है। इसका जिस सीमा तक दमन किया जाए, किया जाना चाहिए लेकिन उसे बहाना बना कर लोकतंत्र का खात्मा निन्दनीय है। उसकी कड़े शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए।

अपराह्न 5.23 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

नेपाल में सीएनएन, बीबीसी सुना जा सकता है। हिन्दुस्तान के जितने चैनल हैं ये सुनाई पड़ते हैं लेकिन जब समाचार का समय आता है तो उसे ब्लैक आउट कर दिया जाता है जो गलत पद्धति है। हिन्दुस्तान के सारे समाचार–पत्रों पर आज नेपाल में प्रतिबंध लगा है। बोलने की आजादी खत्म कर दी गई है। दुनिया में भारत का नाम इसलिए है कि कुछ बुनियादी उसूलों के लिए भारत ने अपनी आवाज दुनिया में बुलन्द की है। जब दक्षिण अफ्रीका में मानवाधिकार का सवाल था भारत ने न केवल हथियार से मदद की, आर्थिक मदद की, हमने अपने राजकीय कोष से फंड्स कोलैक्ट किए और वहां के मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वालों की मदद की।

जब पाकिस्तान में लोकशाही खत्म कर सैनिक तानाशाह आया, राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्मेलन में भारत ने अपनी आवाज उठाई और राष्ट्रमंडल से उसकी सदस्यता को समाप्त करने का काम हमारे देश की सरकार की पहल पर हुआ। दुनिया में जहां कहीं लोकतंत्र का खात्मा होता है तानाशाही आती है, राजशाही आती है, मानवाधिकारों का हनन होता है, भारत ने अगली कतार पर खड़े होकर उसके पक्ष में, जनता के पक्ष में अपनी आवाज बुलन्द की है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जो मानवाधिकार की रक्षा के लिए संगठन बने हैं उसमें नेपाल के ऊपर उन चैनल्स से दबाव डाला जाए जिससे नेपाल में लोकशाही फिर से स्थापित हो, मानव अधिकार बहाल हों, सैंसरशिप खत्म हो और आपातकालीन स्थिति समाप्त की जाए। जितने लोकतंत्रवादी नेता अपने घरों में महदूद हैं, उनको नजरबंद किया गया है, जेलों में कैद हैं और न केवल कैद हैं बल्कि उनके साथ अमानवीय यातनाएं गिरफ्तारी के बाद हो रही हैं, ये सारी चीजें दुनिया के सामने रखी जाएं और उसके खात्मे के लिए भारत सरकार पहल करे।

जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, भारत के इतिहास का ठीक से अवलोकन किया जाए तो जब कभी अफगानिस्तान कमजोर हुआ है, भारत में परदेसी हमले हुए हैं। किसी भी बहाने हम इस बात के पक्षधर नहीं हैं कि दुनिया का कोई दूसरा देश, किसी देश में हस्तक्षेप करके, वहां लोकशाही कायम करे लेकिन अफगानिस्तान में किसी भी बहाने लोकशाही आज स्थापित है। उसी का नतीजा है कि हमारे पश्चिमोत्तर इलाके में जो बाहर से प्रायोजित आतंकवाद था, उसमें काफी कमी आई है। उस कमी के पीछे अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बहाली एक बहुत बड़ा कारण है, यह मैं कहना चाहता हूं। इसलिए अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में, वहां की लोकशाही को स्थिरता प्रदान करने में जितनी मदद संभव हो भारत सरकार को करनी चाहिए, जिससे हमारे बाहर से प्रायोजित आतंकवाद का स्वतः उन्मूलन हो जाए।

जहां तक हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों का सवाल है, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान एक अलग देश कभी नहीं थे। आजादी की लड़ाई सबसे पहले वर्ष 1920 में पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1930 में सम्पूर्ण आजादी का प्रस्ताव था वह किस नगर से पास हुआ। वह लाहौर में पास हुआ था। इसलिए हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का अप्राकृतिक बंटवारा हो गया। एक भाई हिन्दुस्तान में रह गया और दूसरा भाई पाकिस्तान में। वीजा का प्रश्न आता है, दोनों देशों में एक भाई दूसरे भाई से मिल नहीं पाता। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मानवीय संबंधों से जुड़े हुए रिश्तों को केवल शासन का संबंध मानकर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जनता अपने परंपरागत प्रेम भाव को फिर से बना सके, इसके लिए हमें बहुत तेजी से भारत और पाकिस्तान के बीच की जो दीवारें हैं उनको ढा सकें, मैं ऐसा समझता हूं कि यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है और उस जरूरत को भारत सरकार पूरा करे। पाकिस्तान के प्रति आज की जो नीति है, मैं उसका समर्थन करते हुए आग्रह करता हूं कि दोनों का भाईचारा तेजी से साथ आगे बढ़े। इसके लिए भारत सरकार पहल करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री रामदास आठवले : सभापति महोदय, मेरा नाम कब आएगा?

[अनुवाद]

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, हमारे देश की सीमा से लगभग छह देश सटे हुए हैं जिनमें या तो संसदीय अथवा अर्ध लोकतांत्रिक प्रणाली अथवा सैनिक सत्ता विद्यमान है। इनमें से अधिकतर देशों के साथ हमारी समस्याएं साझा हैं। आज के संदर्भ में आतंकवाद, घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, हमारी धरती पर आतंकवादी कैम्पों की स्थापना तथा भारत में बहुतायत में लोगों को प्रवेश करवाना है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सरकार का रवैया अलग–अलग

देशों के साथ अलग–अलग है। मुस्लिम देशों के साथ हमारा अलग दृष्टिकोण है और हिन्दू देशों के साथ अलग रवैया है।

पाकिस्तान के प्रति हमारा रवैया अत्यन्त नरम है। हमने पाकिस्तान के विरुद्ध कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं। हमारा दृष्टिकोण बहुत सौहार्दपूर्ण है।

जहां तक नेपाल का संबंध है, हम उनकी कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनके विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिए हैं। मेरे विचार में यही मूल अन्तर है। मैं समझता हूं, यह 'धर्म निरपेक्षता' को परिभाषित करता है।

महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान और नेपाल के बीच वास्तव में क्या अन्तर हैं। पाकिस्तान में सेना ने सत्ता परिवर्तन किया था। नेपाल में भी पहले तो सरकार और माओवादियों में संघर्ष हुआ और अब राजा और माओवादियों में संघर्ष चल रहा है। यही वास्तविक विभेद है। नेपाल में राजा की सेना का शासन है। इसका कारण यह रहा कि माओवादियों का व्यवहार देश को हानि पहुंचा रहा था। महोदय, पाकिस्तान में जो हुआ हमने उसकी अनदेखी कर दी और नेपाल में जो हुआ उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। यही वास्तविक मतभेद है जिसके लिए मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जिसका समाधान करना बहुत कठिन है।

प्रतिबंध लगाने के बाद, शायद हम अपनी प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका यह सोचता है कि वह राष्ट्रों के समूह का बड़ा भाई है और शायद भारत यह सोचता है कि वह नेपाल का बड़ा भाई है इसलिए वह बड़े भाई की तरह अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है और मेरे विचार में भारत भी ऐसा ही करना चाहता है। यह अलोकतांत्रिक है और भारतीय संस्कृति, प्रकृति और मानसिकता के विपरीत है।

महोदय, नेपाल में अब तक कई प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उनमें से कोई भी माओवादियों को काबू में नहीं कर पाया है। बारम्बार इन असफलताओं से लोकतंत्र खतरे में पड़ता गया। राजा के लिए ऐसे में क्या विकल्प रह गया था? उन्होंने पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री से बात करने का प्रयास किया और मुझे पता चला है कि उन्होंने यह प्रयास दो या तीन बार किया किन्तु उन्हें अस्वीकृति ही मिली। अब वे और क्या कर सकते थे? यदि उन्हें माओवादियों से नेपाल को बचाना था तो उन्हें सत्ता अपने हाथों में लेनी ही थी। इसलिए, उन्होंने सत्ता अपने हाथों में ले ली और सत्ता लेने के बाद यह घोषणा कर दी कि वे तीन वर्षों तक शासन चलाएंगे। इसीलिए, उनके दिमाग में केवल माओवादी आतंकवाद को काबू में रखना था, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर भी हमने उनकी प्रत्यक्ष रूप से भर्त्सना की।

वस्तुस्थिति यह है, यदि आज राजा असफल हो जाते हैं तो नेपाल का क्या होगा? वहां निर्वात की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस निर्वात को कौन भरेगा? इस खालीपन को रानीजिज्ञ नहीं भर सकते क्योंकि वे न केवल एक या दो बार अपितु कई बार असफल हो चुके हैं। दूसरा विकल्प यह है कि स्थिति को यूं ही रहने दिया जाए और उस स्थिति में माओवादी प्रबल हो जाएंगे। यदि नेपाल में सत्ता माओवादी के पास चली गई तो क्या होगा? हम वहां से बाहर हो जाएंगे और चीन का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा और भारत का घट जाएगा। क्या हम यही चाहते हैं? मेरे ख्याल में इस सभा में ऐसा कोई नहीं चाहता है। नेपाल में राजा के रहते हुए वहां कोई भी सैन्य शासन नहीं हो सकता है। बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि उन्हें हटाया जाना चाहिए किन्तु उन्हें वहां रहना चाहिए।

मैं अपने बहुत पुराने मित्र, माननीय विदेश मंत्री जी को केवल यही सुझाव देना चाहता हूं कि वे भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के महाराज के बीच एक बैठक करवाएं। उन्हें यह देखना चाहिए कि वे नेपाल से माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने, भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ और राजनैतिक शरणार्थियों को रोकने, हमारे देश से अवांछनीय नेपाली नागरिकों का प्रत्यर्पण करने और नेपाल में चरणबद्ध तरीके से लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक वृहत योजना तैयार की जाए। एक उत्तम और मित्रतापूर्ण व्यवहार के नाते जो कि वे बारम्बार पाकिस्तान के प्रति दर्शा रहे हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि नेपाल को सहायता, अनुदान आदि देने से संबंधित सभी प्रतिबंधों को हटा दिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय विदेश मंत्री और भारत के माननीय प्रधानमंत्री महाराज से बातचीत करने में समर्थ हैं और महाराज भी इस समस्या का समाधान चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। मुझे आशा है कि इससे कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं भारत सरकार के सम्मानित विदेश मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने जिन तीन देशों की यात्रा की है, ये तीनों देश भारत के लिए बहुत ही सैन्सिटिव देश हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं–प्रथम ये तीनों देश भारत के पड़ोसी देश हैं और इन तीनों देशों के भारत से रिश्ते अच्छे होने चाहिए–यह बात हिन्दुस्तान के भी हित में है और उनके भी हित में है। दूसरा एक गंभीर विषय यह है कि आज जिस वर्तमान

[डा. राजेश मिश्रा]

परिवेश में अमरीका अपनी ताकत को फैलाने के लिए भारत को एशिया में घेरना चाहता है, उस परिप्रेक्ष्य में हिन्दुस्तान की दृष्टि से, निश्चित रूप से इन तीनों देशों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जब हम इन तीनों देशों से, हिन्दुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, रिश्तों की चर्चा करते हैं, तो हमें एनशिएन्ट इंडिया में एक राजनीतिज्ञ कौटिल्य और मैक्यावेलियन की थ्योरी याद आ जाती है। इन दोनों ने एक सिद्धान्त बनाया था कि किसी भी राष्ट्र के, जो उसका पड़ोसी राष्ट्र होगा, उससे उसके नेचुरल रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन जो उसके बगल का दूसरा राष्ट्र होगा, उसके रिश्ते उससे अच्छे होंगे। यह एनशिएन्ट इंडिया में कौटिल्य और मैक्यावेलियन की मान्यता है। इन दोनों की जो डिप्लोमैटिक पालिसी थी, वह कहीं न कहीं इस मायने में भी सही चरितार्थ होती है।

सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं कि आज जो नेपाल के साथ हमारे रिश्ते हैं, जो नेपाल का भौगोलिक परिवेश है, यह हिन्दुस्तान से बहुत मिलता है। वहां के लोगों का रहन–सहन हमसे मिलता है। पूरा सदन इस बात से सहमत है कि उनके रिश्ते हमसे मिलते हैं। हिन्दुस्तान चाहता है कि वहां लोकतंत्र की स्थापना हो। यह सही है और यहां की आम जनता भी यही चाहती है, लेकिन जब हम नेपाल के लोकतंत्र की चर्चा करते हैं तो अपने देश से नेपाल के लोकतंत्र की तुलना नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि वहां जो लोकतंत्र है, उसमें कहीं न कहीं राजा संवैधानिक दृष्टि से सर्वोपरि है। यदि हम नेपाल के इतिहास को पलटने का काम करें तो देखेंगे कि नेपाल में, जब–जब संविधान में संशोधन हुआ, चाहे जो भी समिति बनी हो, संविधान को बनाने के लिए आज भी वहां बहुदलीय संसदीय प्रणाली लागू की गई या पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया, उन सब में नेपाल का किंग संवैधानिक रूप से हैड था। आज भी आप नेपाल में चले जाइए, वहां अधिकांश लोगों के घरों में नेपाल के राजा के फोटो मिलेंगे। ये किसी ने जबरदस्ती नहीं लगवाए हैं, लोगों ने अपनी श्रद्धा से ये फोटो लगाए हैं। जब हम नेपाल की चर्चा करते हैं तो हमें इन सारे परिदृश्यों को ध्यान से देखना होगा।

महोदय, यह खुशी की बात है कि हमारी सरकार के जो सम्मानित विदेश मंत्री हैं, वह बहुत योग्य और विद्वान हैं। निश्चित रूप से उनकी नजर इन सब चीजों पर है। हम वहां लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन वह लोकतंत्र किस तरह से हो। यह बात सही है पिछले वर्षों में वहां जो बहुदलीय व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के असफल होने के कारण ही आज यह स्थिति बनी है, लेकिन जिस तरह से वहां सेंसरशिप लागू की गई, नेताओं को जेलों में बंद किया गया तथा वहां की जनता का उत्पीड़न किया गया, निश्चित रूप से इन चीजों से हिन्दुस्तान का कोई भी व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता। हम उसके विरोधी हैं। हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र की परिपाटी को और मजबूत किया जाए। आज तक वहां जो लोकतंत्र था, लोकतंत्र के जिस परिदृश्य को हम लोग समझ पाते हैं, वह लोकतंत्र वहां पिछले दिनों भी नहीं था। यदि वहां पिछले दिनों लोकतंत्र रहा होता तो आज जो कुछ वहां के राजा ने किया है, वह शायद नहीं कर पाता। लेकिन वह अपनी मनमानी करने में सफल हुआ। हमारा सरकार से अनुरोध है कि यहां से इस तह से ऑब्जर्वेशन किया जाए कि हिन्दुस्तान नेपाल की स्थिति को ठीक करने में कितना पहल कर सकता है।

जहां तक माओवादियों की बात है कि माओवादी वहां पूरी तरह से हावी हो रहे हैं, हमारी बात से कुछ लोग असहमत होंगे। हम यह नहीं मानते कि हिन्दुस्तान में जो नक्सलवादी हैं, वे पूरी तरह से माओवादियों का दूसरा रूप हैं। हो सकता है कि हिन्दुस्तान के नक्सलवादियों में कुछ बैल्ट ऐसी हों जो माओवादियों का दूसरा रूप हों, लेकिन जो नक्सलवादी एक विशेष क्षेत्र में फैले हुए हैं, वे सौ प्रतिशत माओवादियों का कनवर्टेड रूप नहीं हैं। हमारी सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। पूरे हिन्दुस्तान की जनता चाहती है कि नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हो। उसमें हमारी सरकार क्या कर सकती है, उसके लिए हमें पहल करनी चाहिए।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। सामने की बैंचों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में कहा गया। जब–जब कोई भी सरकार आतंकवादियों के सामने झुकती है तो निश्चित रूप से आतंकवाद और ज्यादा बढ़ता है। पिछली सरकार के विदेश मंत्री ने, जो विमान का अपहरण हुआ था, उसमें समझौते के रूप में, उन्होंने कंधार में उग्रवादियों को छोड़ा न होता तो आज आतंकवाद ने जितना विस्तृत रूप लिया है, शायद वह न लिया होता। लेकिन उस समय गलती हुई। जिस तरह से जहाज में बैठकर उग्रवादियों के साथ कंधार में बात की गई, वहां उग्रवादियों को छोड़ा गया, यह उसी का नतीजा है कि आज उग्रवाद बढ़ रहा है।

पाकिस्तान के बारे में चर्चा होती है। हम महसूस करते हैं कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे रहे हैं। लोग कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं करेगा या ट्रेनिंग कैम्प खत्म नहीं करेगा, हमारी सरकार को उससे वार्ता नहीं करनी चाहिए। हम याद दिलाना चाहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में, तात्कालिक प्रधान मंत्री जी और सम्मानित गृह मंत्री जी सदन के अन्दर और बाहर बयान दिया करते थे कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी कैम्पों को समाप्त नहीं करेगा, हम उससे वार्ता नहीं करेंगे, परन्तु मुशर्रफ साहब को आगरा में बुलाते थे, उनको डिनर दिए जाते थे ओर बात करते थे, और बिना वार्ता के ही मुशर्रफ साहब वापस चले जाते थे।

कथनी और करनी में ऐसा अन्तर नहीं होना चाहिए। जो कहें, उसे करके दिखाएं। हमें विश्वास है कि चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या नेपाल से रिश्तों की बात हो, हमारी सरकार के विदेश मंत्री इतने सक्षम और सुलझे हुए हैं कि जो पहल वे करेंगे, जो कदम वे उठाएंगे, वे निश्चित रूप से अच्छे होंगे।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, नेपाल का मसला हमारे देश से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। हमारे देश में लोकतंत्र है, बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी का बनाया संविधान हमारे देश ने स्वीकार किया और उसके आधार पर बहुत अच्छी तरह से हम लोकतंत्र को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आपस के झगड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और शायद दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है। नेपाल में भी लोकतंत्र था। लेकिन नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र जी ने, जो शेर बहादुर देउबा की सरकार थी, उस सरकार को बर्खास्त कर दिया। पिछले आठ सालों में वहां न जाने कितनी सरकारें आईं और चली गईं। हमारे विदेश मंत्री नटवर सिंह जी बहुत काबिल और अनुभवी मंत्री हैं। हमारे देश की विदेश नीति भी बहुत अच्छी रही है। सभी देशों की अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती नहीं होती। किसी पड़ोसी देश के साथ दुश्मनी करने से किसी देश की प्रगति नहीं होती। इसलिए नेपाल के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं।

अभी नेपाल में माओवादियों का जो आतंक चल रहा है, उसमें कम से कम 11 हजार लोगों की मौत हो गई है। जब नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र जी ने वहां की सत्ता अपने हाथ में ली तो वहां के माओवादी भी लोकतंत्र की बात करने लगे हैं, जो अच्छी बात है। वे कह रहे हैं कि यहां लोकतंत्र होना चाहिए। वहां के माओवादियों से भी हमारी अपील है कि अगर उनकी कुछ मांगें हैं तो नेपाल की सरकार के साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं। हमेशा इसी तरह का आतंकवाद अच्छी बात नहीं है इसलिए वहां की जनता मांग कर रही है कि नेपाल में लोकतंत्र होना चाहिए। हम भी यही मांग करते हैं। यह उनका आंतरिक मामला है, यह बात सही है। लेकिन जब भी गलत कदम उठाया जाता है, जिस तरह से अफगानिस्तान में तालीबान के हाथ में सत्ता थी और हमारे योगी जी बोल रहे थे कि वह तालीबान में बुद्ध मूर्ति को हटाने का प्रयत्न किया गया था, मतलब तोड़ा गया था, ऐसी मांग की गई थी कि उस मूर्ति को दोबारा बनाना चाहिए। उसी तरह अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है तो वहां पर भी उस तोड़ी हुई मस्जिद को दोबारा बना दिया जाए तो हमारे देश की एकता मजबूत हो सकती है। हमारे देश में कोई बुद्धिस्ट है, कोई मुसलमान है, कोई किसी अन्य जाति का है। हमारे देश का लोकतंत्र अच्छा है। झगड़ा होने के बाद भी जैसे भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, अभी टुकड़े होने का कोई सवाल नहीं है। देश के टुकड़े होने की बात आती है तो लोग अपने शरीर के टुकड़े करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरह हमारे आदिनाथ जी नेपाल के साथ रहते हैं। वहां के राजा के गुरु हैं। जैसे लोकतंत्र की बात है अगर वहां के राजा को समझा दें तो राजा भी कहेगा कि जो गुरु कह रहा है ठीक है। उसे मैं स्वीकार करता हूं। वहां लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव होना चाहिए और इसके लिए हमारे विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह को बात करनी चाहिए। नेपाल के राजा को समझाने की आवश्यकता है। आप राजा हैं मगर पूरी सत्ता आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने ले ली है। पाकिस्तान के संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सेना के हाथ में सत्ता नहीं जाती। कभी हम आते हैं, कभी आप आते हैं यह जो बात है यह चलती रहेगी। लेकिन अपने देश में किसी सेना के हाथ में सरकार नहीं गई है। हमारे देश के संविधान में यह बात नहीं है, इसलिए ही हमारा देश मजबूत है। हमारे देश की विदेश नीति पाकिस्तान के बारे में है, उसके तहत हमें पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ हमें दोस्ती करनी है तो हम तैयार हैं। हमारे विदेश मंत्री वहां जा कर भी आए हैं। श्री मुशर्रफ जी 17 अप्रैल को भारत में आ रहे हैं। हमने दावत दी है, आइए, आप दिल्ली के रहने वाले थे, इसलिए पाकिस्तान और भारत के साथ दोस्ती होनी चाहिए। श्री नटवर सिंह जी आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती करो, लेकिन उनकी दादागिरी से मत डरो, जम्मू–कश्मीर के साथ न्याय करो। बढ़ते हुए आतंकवाद को खत्म करो। हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल है।

महोदय, आप बोलने के लिए समय बहुत कम दे रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, तानाशाही के राज ने फैलाया है जाल, लोकतंत्र को खत्म करके राजा ने की है धमाल, राजा की तानाशाही को हटाने का जनता करेगी कमाल। यह लोकतंत्र के माध्यम से होगा। हमारी केन्द्रीय सरकार बहुत अच्छी है। विदेश मंत्री जी भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपकी विदेश नीति का हम समर्थन करते हैं। पाकिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए।

महोदय, नेपाल के साथ हमारी दोस्ती है। अमेरिका के साथ भी हमारी दोस्ती है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बुश आगे आए हैं। इसीलिए हमें अमरीका के साथ होना चाहिए, रूस के साथ भी होना चाहिए। सबके साथ हमारी दोस्ती है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने देश की इज्जत को बहुत आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। श्री नटवर सिंह जी हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। डा. मनमोहन सिंह जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों के नेतृत्व में हम देश को बहुत आगे ले जाएंगे और अपने देश का नाम रौशन करेंगे।

[श्री रामदास आठवले]

सभापति जी, हमसे पहले जो यहां सरकार थी, उसकी नीति को हम आगे चला रहे हैं। हम आपकी ही नीति को आगे चला रहे हैं और आगे पांच साल में जो हम नीति बनाएंगे, हम अपनी ही नीति के ऊपर देश को चलाएंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, अपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। माननीय विदेश मंत्री जी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दौरा किया और तत्संबंधी जो विवरण दिया और नेपाल के बारे में 9 मार्च, 2005 को जो विवरण सदन में प्रस्तुत किया गया जिसमें विदेश नीति के संबंध में राष्ट्रीय सहमति की बात कही गई है। हम उनसे पूर्णतः सहमत हैं, लेकिन एक जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल की सुरक्षा भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। नेपाल के साथ हमारे ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सभी प्रकार के संबंध हैं और यही कारण है कि आज लाखों नेपाली भारत के अन्दर, स्वतन्त्रतापूर्वक, स्वाभिमान और स्वावलंबन के साथ जीवनयापन कर रहे हैं। हमारी दोनों देशों की खुली सीमाएं हैं। कोई पासपोर्ट व्यवस्था नहीं है। ऐसे मित्र देश के ऊपर, अगर कोई संकट आता है, तो उस संकट की घड़ी में हमें उसका साथ देना चाहिए। सच्चा दोस्त वही है, जो मुसीबत के समय में साथ दे।

महोदय, हिन्दुस्तान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब भी नेपाल के अन्दर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई, विषमता उत्पन्न हुई या संकट आया, तो भारत ने बढ़-चढ़ कर नेपाल के संकट को अपना संकट मान कर, नेपाल को उस संकट से उबारा। इस समय भी हमें बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है।

मान्यवर, बहुत हर्ष का विषय है कि जिन लोगों ने हिन्दुस्तान में सन् 1975 में आपातकाल की स्थिति की घोषणा की थी, आज वही लोग, जब नेपाल के अन्दर आपातकाल की घोषणा हुई, तो उसका विरोध कर रहे हैं। यह परिवर्तन आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आपातकाल कहीं भी लगे, चाहे हिन्दुस्तान में लगे या नेपाल में लगे, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश होने के कारण, हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि आपातकाल का डटकर विरोध करें और लोकतंत्र की बहाली के लिए निरन्तर प्रयास करें। यह हमारा फर्ज है, लेकिन नेपाल के अन्दर हमें लोकतंत्र की बहाली की बात करते हुए थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं, जहां नरेशवादी आपातकाल है, वह स्थिति तो आगे आ गई है और जो माओवादी आतंकवाद है, वह नेपाल में पनपा, जिसके कारण ये सारे कदम उठाने पड़े हैं, वह स्थिति पीछे चली गई है।

माननीय विदेश मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि अब फूंक-फूंक कर कदम उठाने की जरूरत है। आज नेपाल में माओवादी आतंक का वर्चस्व कई जिलों में स्थापित हो चुका है, अधिकार स्थापित हो चुका है। हजारों नेपाली मौत के घाट उतारे जा चुके हैं और लाखों नेपाली त्रस्त होकर, पीड़ित होकर, भारत के अन्दर आ रहे हैं। परिणामस्वरूप हमें अपनी सीमाओं पर सशस्त्र सुरक्षा बलों को लगाना पड़ा है।

महोदय, माओवादी हमारे यहां भी जमीन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी सारी स्थितियों में नेपाल के राजा को आपातकाल लगाना पड़ा। आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि नेपाल के राजा को किन विशेष परिस्थितियों में आपातकाल लगाना पड़ा और ऐसे संकट के समय में जब नेपाल को सेना की सुरक्षा-संधि के अन्तर्गत हम उसे जो हथियारों की सहायता प्रदान कर रहे थे, उसकी संकट काल के समय बहाली रोकने की, भारत सरकार ने जो घोषणा की है, वह कहां तक उचित है, इस पर सोचने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम नेपाल को सहायता देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान नेपाल को हथियारों की मदद देने के लिए तैयार है। इसलिए हमें फूंक-फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है।

महोदय, पाकिस्तान की आई.एस.आई. के एजेंटों का अड्डा पहले भी नेपाल बना हुआ था और नेपाल से आतंकवादी हिन्दुस्तान के अंदर प्रवेश करते थे। कई घटनाओं की जांच होने पर यह सिद्ध हो चुका है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी ओर से थोड़ी-बहुत कमी होने के कारण नेपाल के अन्दर पाकिस्तान को पैर जमाने का मौका मिल जाए। माओवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए, नेपाल नरेश को हथियारों की पेशकश की बात होने के कारण, हम लोग, जो नेपाल की फौज है, वह स्वामिभक्त फौज है और राजा का दबदबा वहां 250 सालों तक रहा है। कोई भी हुकूमत रही हो, कितने भी प्रधानमंत्री आए हों, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से जो राजा का पद वहां प्रमुख है, जिसे प्रमुख की मान्यता हमने दी है।

हमने उसकी सैंक्टिटी को माना और स्वीकार किया है। वह संवैधानिक प्रमुखता नेपाल नरेश की भी बनी रहे। नेपाल में लोकशाही कायम हो, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। लोकशाही का समर्थन करते हुए, नरेश की जो संवैधानिक प्रमुखता और महत्व है, उनका जो वर्चस्व है, स्पष्ट रहना चाहिए। वहां लोकशाही नष्ट न हो, उसकी भी रक्षा हो, संवैधानिक प्रमुखता भी बनी रहे और वहां पनपने वाले माओवादियों को कुचला जा सके, क्योंकि वे हमारे यहां भी नक्सलवादी तत्वों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमारे कई जिलों में कब्जा जमा लिया है। नेपाल से होकर, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक उनका जाल फैल गया है। वे यहां भी निर्दोष लोगों को मौत के

घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अपहरण करने की कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। भारतीय व्यापारियों को, जो टूरिस्ट के रूप में आते हैं, वहां उन्हें उड़ा देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भारत सरकार का दायित्व बहुत बढ़ गया है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इस सारे मामले को गम्भीरता से देखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि नरेशवादी आपातकाल का विरोध करत हुए, हम माओवादी आतंकवाद के सामने झुक न जाएं और नेपाल की जनता को, जो वहां दो पाटों के बीच में पिस रही है—एक तरफ गणतंत्र, गण नहीं, गन, बंदूक तंत्र, माओवादियों का गनतंत्र और दूसरी तरफ राजतंत्र, इन दोनों के बीच में, नेपाल की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़े।

सभापति महोदय, ऐसे समय में नेपाल की राजनैतिक स्थिति त्रिभुज की तरह हो गई है। उस त्रिभुज की एक भुजा माओवादी है, दूसरी भुजा लोकतंत्रवादी है तथा तीसरी भुजा नरेश है। नरेश वाला जो मामला है, वही वहां की सबसे मजबूत भुजा है, क्योंकि वहां ढाई सौ वर्षों से नरेश का दबदबा रहा है, इसलिए उसकी निरंतरता बनी रही है। नेपाल की फौज भी स्वामीभक्त है और नेपाल के राजा का हुक्म मान कर माओवादियों को कुचलने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसे समय में हम वहां लोकतंत्र की रक्षा करें, यह हमारा कर्तव्य है। नेपाल में स्थिति बिगड़ने न दें और माओवादियों का जो मकड़जाल है, उससे नेपाल की जनता कैसे मुक्त हो सके, इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा और परम्परागत मैत्री की रक्षा करते हुए स्थिति और जटिल न हो, इसलिए फौजी सहायता देने के बारे में, विदेश मंत्री जी, हमें बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन भी निन्दा कर रहे हैं कि वहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम भी निन्दा कर रहे हैं और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन कहीं इस आड़ में पाकिस्तान जैसे शासकों को वहां पैर जमाने का मौका मिल गया तो हमारे लिए नया संकट पैदा हो जाएगा, तब और भी ज्यादा मुसीबत आएगी। इसलिए फूंक–फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, नेपाल में जो भारतीय रहते हैं, उनकी जान–माल की सुरक्षा की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। भारत और नेपाल की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जानी चाहिए ताकि वहां से माओवादी भाग कर, वहां की सेनाओं के दबाव के आगे, हमारे देश की सीमा में प्रवेश न करें। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा :

> "बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, उसी को कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं।
>
> दिलबर मर्द का लोहा सब मान लेते हैं, जो कमजोर होता है, कान उसके सब पकड़ लेते हैं।"

अगर हमारा राष्ट्र, हमारी आंतरिक स्थिति सुदृढ़, सुव्यवस्थित और सम्पन्न है तो निश्चित रूप से हमारी विदेश नीति भी सुदृढ़ होगी। फिर कोई पड़ोसी देश भी हमें तंग करने के बारे में नहीं सोच सकता। पाकिस्तान से हमें मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। सीमाएं बदली जा सकती हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं बदला जा सकता। पड़ोसी हमारा पाकिस्तान है। प्रसन्नता का विषय है कि चाहे क्रिकेट का मैच हो या बस या रेल चलाने का मामला हो, ये सारी बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन आपने अगर बस के लिए परमिट लागू किया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमारी सुरक्षा पर आंच आए और परमिट के बहाने पासपोर्ट वालों से मिलकर कुछ आतंकवादी हिन्दुस्तान की सीमा में न आ जाएं।

खोखरापार और मुनाबाव तक का जो रास्ता है, वहां रेल शुरू करने के बारे में भी आपने आश्वस्त किया था। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में यह रास्ता भी शीघ्र खुल जाएगा। पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर नहीं। कश्मीर के अन्दर, पाकिस्तान की सीमा के अन्दर जो आतंकवादियों के कैम्प हैं, उन कैम्पों को नेस्तनाबूद करने का भी ध्यान रखा जाए। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय : चूंकि 6 बज रहे हैं, इसलिए इस विषय की चर्चा समाप्त होने तक, अगर सदन सहमत हो तो सदन का समय बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आज इस विषय को एग्जास्ट होना है और अभी 6–7 स्पीकर्स बाकी हैं।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : सदन की सहमति से समय बढ़ाया जाता है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

आज हम नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे देश की सीमाओं से लगी हुई जिन देशों की सीमाएं हैं, उनके बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं। माननीय विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह जी एक तजुर्बेकार मंत्री हैं और उनकी पहले भी फॉरेन पालिसी पर अग्रणी और प्रशंसनीय भूमिका रही है। वह हमेशा सराहनीय हैं। मैं सदन में उनकी प्रशंसा करता हूं।

जहां तक नेपाल का प्रश्न है, भारतवर्ष के नेपाल से पुराने संबंध रहे हैं। ये संबंध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं हैं कि हमारी

[कुंवर मानवेन्द्र सिंह]

और नेपाल की सीमाएं लगी हुई हैं। वहां के रहने वाले और हमारे देश के रहने वालों के बीच विवाह संबंध और बहुत सी रिश्तेदारियां नेपाल में हम लोगों की हैं। नेपाल में बहुत से हम लोगों के रिश्तेदार हैं, हमारी रिश्तेदारियां नेपाल में हैं। माननीय मंत्री जी इससे भली प्रकार परिचित हैं, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरा यह भी सौभाग्य रहा है कि मैं 10 वर्ष तक भारत नेपाल मैत्री संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं । जब लोकतंत्र का वहां प्रारम्भ हुआ था और तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमंत्री भट्टराई जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, तब वे भारतवर्ष आए थे और हमने उनका स्वागत किया। उसके बाद प्रथम बार मेरी अध्यक्षता में एक डेलीगेशन 1999 में एन.आई.सी. में नेपाल गया था। मुझे याद है कि वहां एक प्रैस कांफ्रेंस हुई थी। अभी कुछ वक्ताओं ने यहां उसका जिक्र किया। मेरा बचपन का बहुत सा हिस्सा नेपाल में बीता है, माननीय मंत्री जी शायद जानते हों कि मेरे अंकल सार्दुल शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के विदेश मंत्री भी रहे और वे कई देशों में राजदूत भी रहे। बचपन से हम लोग वहां जाते थे। वहां मैंने देखा है, दशहरे पर, जैसा अभी यहां हमारे एक वक्ता ने कहा कि वहां के लोग किंगडम को भगवान विष्णु का अवतार मानते रहे हैं, और दशहरे पर बड़े–बड़े बरतन, जिसमें कि वे खाते थे, वहां प्रसाद के रूप में पब्लिक में बंटता था। यह मैंने किंग त्रिभुवन, किंग महेन्द्र और किंग वीरेन्द्र के जमाने में अपनी आंखों से देखा है। वहां लोगों की जो आस्था किंगडम में है और थी, वह अद्वितीय थी। हमारे यहां भी रियासतें थीं, मगर छोटी–छोटी और बंटी हुई थीं। वहां पर जब प्रेस कांफ्रेंस हुई तो मैंने कहा, मुझे याद है कि आप जिस ओर अग्रसर हो रहे हैं, वह एक सराहनीय कार्य है। नेपाल की जनता यह मानती है, यह जानती है और आज मांग करती है कि वहां प्रजातंत्र की स्थापना हो, और लोग अपनी बात कह सकें। लोग अपनी बात खुले रूप से कर सकें और स्वतन्त्र रूप से वहां रह सकें, आज इसकी बहुत आवश्यकता है। वह परिवर्तन हुआ था। मैंने उन्हें कहा था कि आपके यहां के लोग यहां पर राजा का भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। घर–घर में उनके चित्र लगे हुए हैं, चाहे वह मजदूर हो, चाहे अमीर या मध्यम वर्ग का परिवार हो। आपको यह चाहिए कि आप अपने प्रजातंत्र को उसी तरह से चलाएं जैसे दूध का जला छाछ भी फूंक–फूंक कर पीता है, नहीं तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको प्रजातंत्र चलाने में रुकावट आ सकती है। उसके बाद लोगों ने वहां पर अखबारों में लिखा कि जो नेपाल मित्रसंघ के अध्यक्ष आए हैं वह प्रो किंग हैं लेकिन आज वही दिन देखने को मिला। जब तक हम लोकतंत्र की व्याख्या वहां करते, वहां पर लोकतंत्र मजबूत होने की बजाय कमजोर होता गया और जिस माओवाद की बात करते हैं, वह आज बढ़ता हुआ उत्तरांचल तक आ पहुंचा है। हमने चीन से लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी हैं लेकिन जो सबसे बड़ी सीमा नेपाल की है वहां से कभी हमारे देश को खतरा नहीं हुआ। वह हमेशा एक सुरक्षा पंक्ति की तरह खड़ा रहा है। मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि यह सदन भी उससे अवगत है कि पाकिस्तान ने भी सहायता का हाथ बढ़ाया है और कहा है कि अगर आपको आवश्यकता हो तो हम सैनिक सहायता भी दे सकते हैं। यह एक चिन्ता का विषय है। अमरीका वहां पर शुरू से आंखें गढ़ाए बैठा है। आज ताइवान अमरीका की देन है और अब नेपाल पर भी उसकी नजर है। चीन ने वहां पर माओवाद फैलाया हुआ है। चीन चाहता है कि किंग त्रिभुवन और किंग महेन्द्र के जमाने में जो मूवमेन्ट चला था और उसने नेपाल को अपने शिकंजे में लेने का प्रयास किया था। हम उसकी कल्पना करके देखें कि यदि नेपाल उन शक्तियों के शिकंजे में चला गया तो क्या भारत को एक दूसरा मोर्चा नेपाल की तरफ, पाकिस्तान की तरह नहीं खोलना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों मैं नेपाल में गया था वहां के जो युवक हैं जो बालक हैं जिनके यहां पर संबंध हैं या हमारे संबंध वहां हुए हैं। आज जो नौजवान हैं, वह भारतवर्ष में शादियां नहीं करना चाहते हैं। उसका क्या कारण है? माओवादी शक्तियों ने यह प्रयास किया है कि नेपाल और भारत के संबंधों को विच्छेद कर दिया जाए और वहां पर उनका आधिपत्य हो जाए। जिससे कि वहां पर अपना आधिपत्य जमाकर हिन्दुस्तान पर एक दूसरी शक्ति का प्रारम्भ वे कर सकें।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम लोकतंत्र के प्रबल समर्थक हैं लेकिन वहां पर लोकतंत्र इतना कमजोर न हो कि जिससे दूसरी शक्तियों को अपने पैर जमाने का मौका मिल जाए और हमें एक चेतावनी मिलने लगे और फिर हमें उससे संघर्ष करना पड़े। नेपाल से हमारे संबंध सांस्कृतिक और धार्मिक हैं। हिन्दुस्तान से वहां पर लोग शिवरात्रि पर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। नेपाल से हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और वैवाहिक संबंध भी हैं।

मेरा आग्रह है कि हम नेपाल के राजा को बुलाकर एक्रॉस दी टेबल बात करें और उनसे कहें कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। यह भारतवर्ष को चाहिए कि उनके हृदय में जो कुछ वर्षों से यह भ्रांतियां पैदा हुई हैं कि भारतवर्ष उनकी मदद नहीं कर रहा है। आज इसकी आवश्यकता है कि हम नेपाल को पूरी गारंटी दें क्योंकि वह हमारा एक अंग रहा है। हम दो भाइयों की तरह हैं। हमारा पूरा समर्थन उसे मिलना चाहिए जिससे वहां का प्रजातंत्र मजबूत हो, देश सुरक्षित हो और हमारे और नेपाल के बीच सद्भाव बना रहे।... *(व्यवधान)*

पाकिस्तान के बारे में बात करने के लिए समय नहीं है इसलिए मैं अपनी बात नहीं रख पाया।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का समय दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। नेपाल से हमारे सदियों पुराने रिश्ते रहे हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र भर नहीं है, अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के मुकाबले, जैसे अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, नेपाल हमारे लिए रक्षा पंक्ति का काम करता रहा है। अगर नेपाल कमजोर हुआ, अगर नेपाल में लोकतंत्र खत्म हुआ, तो जैसे तिब्बत को चीन द्वारा हथियाने से पहले तक, चीन ने कभी भारत पर हमला करने की जुर्रत नहीं की, लेकिन जब तिब्बत, जो हमारे लिए बफर स्टेट का काम करता था, वह चीन के कब्जे में चला गया, तब चीन की हम पर आक्रमण करने की हिम्मत हुई। इसी प्रकार नेपाल हमारे लिए बफर स्टेट का काम करता रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माओवादी हिंसा से निपटने के नाम पर वहां जो आपातकाल लागू किया गया है, वहां के राजनैतिक नेताओं को नजरबंद किया गया है और कहा जा रहा है कि हमने आतंकवाद से निपटने के लिए, माओवादी हिंसा से निपटने के लिए यह काम किया है, वहां जो लोकतांत्रिक सरकार थी, अगर उससे मिलकर, आम जनता को साथ लेकर आतंकवादियों से या माओवादियों से निपटा जाता तो ज्यादा अच्छा होता। कहीं भी आपातकाल लागू हो, कोई भी देश लागू करे, किसी भी राष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो, हम उसका विरोध करते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश में आपातकाल लगा था तब भी बड़े नारे दिए गए थे। जब युद्ध होते हैं, तब शांति के नाम पर होते हैं। वहां जो आपातकाल लागू हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है।

सायं 6.12 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

अकेले नेपाल में राजशाही नहीं है, इंग्लैंड में भी वहां का संवैधानिक प्रमुख राजा है। अगर नेपाल में वहां का संवैधानिक प्रमुख राजा रहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वह लोकतंत्र का गला घोंट देगा, तो यह बर्दाश्त के बाहर है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से विगत 10–15 सालों में कुछ गलतियां हुई हैं, जैसा मानवेन्द्र सिंह जी कह रहे थे। नेपाल के लोगों को लगने लगा है कि अब भारत शायद उसका हितैषी राष्ट्र नहीं है। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि नेपाल के लोगों के साथ हमारे जो पूर्ववत् संबंध थे, वे बने रहें और वहां लोकतंत्र की बहाली हो। इसके लिए हम दबाव डालें लेकिन माओवादियों से निपटने में हमें नेपाल की मदद करनी चाहिए। नेपाल में पाकिस्तान या किसी और पड़ोसी राष्ट्र का दखल हो जाए। उसके जरिए अमेरिका या किसी और राष्ट्र का दखल हो जाए, इससे हमें सतर्क रहना चाहिए।

जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं मोहन सिंह जी की बातों से सहमत हूं कि यह हमारा स्वाभाविक बंटवारा नहीं है। आजादी की लड़ाई के हमारे नेता शायद थक गए थे। मैं एक किताब का नाम लेना चाहता हूं, आदरणीय मोहन सिंह जी ने भी उसे पढ़ा है। डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने 'गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीसन' में लिखा है कि भारत विभाजन के कुछ परोक्ष अपराधी हैं और कुछ प्रत्यक्ष अपराधी हैं। उन्होंने कहा है कि भारत विभाजन के प्रत्यक्ष अपराधी पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और परोक्ष अपराधी महात्मा गांधी और वे स्वयं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो अस्वाभाविक विभाजन हुआ है, आज हमारी और पाकिस्तान की सारी शक्ति केवल रक्षा बजट में ही खर्च हो जाती है, हम एक–दूसरे पर घात–प्रतिघात लगाते रहते हैं। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच हमारे संबंध सुधरने चाहिए। लेकिन यह एकतरफा प्रयास नहीं होना चाहिए। हम प्रयास करते हैं कि भारत का पाकिस्तान से रिश्ता सुदृढ़ हो, लेकिन पाकिस्तान इस दिशा में काम नहीं कर रहा है।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि शांति वार्ता हो, पाकिस्तान से अच्छे संबंध हों, लेकिन हमें सतर्कता भी बरतनी चाहिए। यह जो मुजफ्फराबाद से बस आ रही है, वह बहुत बढ़िया है। लेकिन बिना परमिट के आएगी, तो गड़बड़ है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जरा सोच समझकर काम करें, चतुराई पूर्वक काम करें, भारत के हितों की रक्षा करें। माओवादी हिंसा से निपटने में नेपाल की मदद करें और वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए हस्तक्षेप करने के कारगर प्रयास भी करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यही कारण है कि वह हमेशा शांति और समृद्धि चाहता है, युद्ध और आतंक नहीं। इसलिए हमें लोगों की इच्छा का सम्मान करने की जरूरत है। किसी भी देश अथवा विश्व के किसी भी भाग में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि लोगों की इच्छा जानी जाए। यही कारण है कि हमारे पड़ोसी देशों नेपाल या पाकिस्तान अथवा अफगानिस्तान में आज जो कुछ भी हुआ अथवा हो रहा है उससे हम बहुत अप्रसन्न हैं। यह किसी देश का मामला नहीं है, परन्तु यह याद रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक देश तथा पूरा विश्व, जिसमें कि भारतीय उप–महाद्वीप तथा एशियाई महाद्वीप शामिल हैं, शांति चाहता है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पूरे विश्व में शांति रहे। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया ताकि हमारे

[श्री एल. राजगोपाल]

सभी दृष्टिकोणों में समानता तथा निरन्तरता हो। जब तक संयुक्त राष्ट्र को पर्याप्त अधिकार तथा शक्तियां नहीं दी जातीं, तब तक पूरे विश्व में इस तरह की चीजें होती रहेंगी।

हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि नेपाल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हों, क्योंकि यह सामरिक रूप से चीन और भारत के बीच में स्थित है। नेपाल के अलावा पाकिस्तान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब इस क्षेत्र में एक बार शांति स्थापित हो जाएगी तो हम रक्षा पर बेकार में हो रहे खर्च में कटौती कर सकते हैं तथा लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने में अपनी ऊर्जा को पुनः केन्द्रित कर सकते हैं। इसी कारण हमें संयुक्त राष्ट्र को सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि जहां भी लोगों की इच्छा भुला दी जाती है अथवा तानाशाही अथवा किसी अन्य प्रकार की सरकार ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार के कार्यों की न केवल भर्त्सना की जाए बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की घटनाएं फिर न हों। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की घटनाएं कभी न हों।

नेपाल के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह एक छोटा–सा देश है परन्तु विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ वहां हैं। यह बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि माऊंट एवरेस्ट वहां स्थित है और यही कारण है कि बहुत लोग नेपाल को ट्रेकिंग अथवा पर्यटन के गंतव्य के रूप में देखते हैं। मैं स्वयं कई बार वहां जा चुका हूं। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर वहां है तथा बहुत से भारतीय वहां जाते हैं। नेपाल के साथ केवल हमारे सांस्कृतिक संबंध ही नहीं हैं परन्तु उसके साथ हमारे औद्योगिक तथा व्यापारिक संबंध भी हैं। बहुत से भारतीय व्यवसायियों ने नेपाल जाकर वहां व्यवसाय लगाया है। हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके नेपाल में होटल हैं। वे वहां विद्युत उत्पादन में भी लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध भी हैं। यदि वहां लोकतंत्र नहीं होगा तो निश्चित रूप से व्यवसाय से जुड़े लोगों के मन में यह भय व्याप्त होगा कि उनके व्यवसाय अथवा व्यापारिक साम्राज्य का क्या होगा। यही कारण है कि हमें सुनिश्चित करना होगा कि नरेश ज्ञानेन्द्र तत्काल चुनाव कराएं ताकि नेपाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित हो सके।

2001 से हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में वहां क्या हुआ, जब नरेश ज्ञानेन्द्र ने नेपाल के सम्राट के रूप में कार्यभार संभाला। जब से वहां संसद निलंबित हुआ है तब से वहां कोई चुनाव नहीं हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप देश पर शासन करने वाली कोई उचित चुनी हुई सरकार नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं, जो कि कह सकते हैं कि फलां देश इस्लामी देश है अथवा फलां देश हिन्दू देश है और इसलिए धर्म के आधार पर हमें इन देशों से अलग–अलग मानदण्डों के आधार पर निपटना चाहिए।

हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि धर्म हमें नहीं बांधता बल्कि मानवता हमें बांधती है। हम सभी को याद करना होगा कि भगवान राम, अयोध्या के राजा हो सकते हैं परन्तु वह धर्म के दास थे। यही कारण है कि हम भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए अपने धर्मों पर ध्यान दिए बिना हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि न केवल भारत बल्कि हमारे सभी पड़ोसी देशों में शांति और समृद्धि हो ताकि इस क्षेत्र में हम सभी शांतिपूर्वक रह सकें।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग सदन में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कर रहे हैं। नेपाल में आपातकाल स्थिति लगी हुई है। दुनिया के अधिकांश देशों ने नेपाल में लोकतंत्र की बहाली जल्दी से जल्दी हो, उसके लिए आग्रह किया जा रहा है। भारत नेपाल के बीच जो संबंध रहे हैं, हम लोग सीमावर्ती क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, हम लोगों का संबंध नेपाल से बहुत पुराना रहा है और नेपाल के संबंध भारत के साथ बहुत पुराने रहे हैं। इस समय वहां जो स्थिति बनी हुई है, लगभग 100 कि.मी. का क्षेत्र नेपाल के बार्डर से लगा हुआ है, वहां जो स्थिति बनी हुई है, माओवादी शक्तियों के चलते हिन्दुस्तान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारी सैकड़ों–सैकड़ों एकड़ जमीन नेपाल में पड़ती है और नेपाल के लोगों की जमीन हिन्दुस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ती है। ये माओवादी कहां से पैदा हुए, यह हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वहां जो स्थिति बनी हुई थी, जिस तरह मुगलकाल में होता था कि अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करके लोग सत्ता पर बैठते थे, ठीक उसी तरह से नेपाल में माओवादियों की शुरूआत हुई है। वहां सभी पत्रकार लोग बंद हैं, राजनीतिक लोग बंद हैं और वे बार–बार नेपाल के लोगों से सम्पर्क करते हैं कि हमारे यहां हिन्दुस्तान में कहीं रहने की व्यवस्था हो जाए क्योंकि हम लोगों के खिलाफ कहीं वारेंट कटे हुए हैं और कहीं कुर्की के आर्डर हैं। इसलिए हम विदेश मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो सके, उसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़े, वे कदम उठाए जाने चाहिए।

नेपाल के लोग पूर्ण रूप से हिन्दुस्तान के सामान पर निर्भर हैं। यदि हिन्दुस्तान से नेपाल सामान नहीं जाएगा तो नेपाल के लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। वहां के लोगों को हिन्दुस्तान के सामान पर निर्भर रहना पड़ता है। जब 1975 में यहां एमर्जेंसी लगी हुई थी तो हम लोग नेपाल में शरण लेते थे और अभी वहां एमर्जेंसी लगी हुई है तो वहां से कुछ लोग दिल्ली और बिहार में आए हुए

हैं। जिनके जहां भी व्यक्तिगत संबंध हैं, उन्होंने वहां शरण ली हुई है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी वहां स्थिति सामान्य हो सके, उसके लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए क्योंकि हिन्दुस्तान मूल के जो लोग वहां हैं, उनको वहां माओवादी और नेपाल सरकार द्वारा काफी त्रस्त और परेशान किया जाता है। हम लोग नेपाल और बिहार के बार्डर पर रहने वाले 7–8 सांसद हैं। नेपाल से जो गंदा पानी आता है तो उसकी बदबू इतनी होती है कि हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। इस गंदे पानी के कारण तरह–तरह की बीमारियां भी होने की पूरी–पूरी आशंका रहती है। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, उनके एमपीज के साथ निश्चित रूप से विदेश मंत्री जी बैठें। बार्डर इलाके की छोटी–छोटी समस्याएं विदेश मंत्रालय के पास भले ही न आती हों, लेकिन हमारे पास ये समस्याएं लोग लेकर आते हैं। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों के एमपी हैं, उनके साथ जो समस्या है, नेपाल सरकार के साथ मिल–बैठकर समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

जहां तक पाकिस्तान के साथ हिन्दुस्तान के संबंधों का सवाल है, मैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की जो बस यात्रा की उससे दोनों देश के मध्य कड़वाहट भरे रिश्तों में सुधार आया और आज उन संबंधों में जो प्रगाढ़ता आ रही है, मैं उसके लिए वर्तमान विदेश मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर पड़ोसी हमेशा हमें डिस्टर्ब करता रहेगा तो इसका असर हमारे विकास पर पड़ेगा। यह बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ साहब भारत आ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से हमारे संबंध मधुर होंगे।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और खासकर जिस प्रदेश से मैं आता हूं अर्थात बिहार से सटा हुआ यह देश है। नेपाल में चाहे किसी तरह का भी घटनाक्रम हो, उसका सीधा असर हमारे देश और प्रदेश पर आता है। नेपाल से हमारे बहुत पुराने ऐतिहासिक, व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। वहां के लोग यहां रह रहे हैं और यहां के लोग वहां रह रहे हैं। जैसा कि अभी मानवेन्द्र जी ने कहा और मैं समझता हूं कि नेपाल में किसी तरह का घटनाक्रम होता है तो हमारा देश उससे अछूता नहीं रह सकेगा।

महोदय, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना वर्ष 1990 में हुई लेकिन दुख की बात यह है कि लोकतंत्र वहां अधिक समय तक चल नहीं सका। कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं, कोई भी स्थिर सरकार नहीं बन सकी। इसकी वजह से वहां लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ और इसी बीच माओवादियों ने धीरे–धीरे अपनी जड़ें जमा लीं। मैं समझता हूं कि आज आधे नेपाल पर माओवादियों का पूर्णतः कब्जा हो गया है और उसका असर हमारे देश पर भी पड़ रहा है और खास तौर से हमारे प्रदेश पर। वहां के कई माओवादी आतंकवादी हमारे यहां आश्रय लेते हैं। यह एक चिन्ता का विषय है। इसीलिए बार–बार यह आशंका भी जाहिर की गई कि कुछ विदेशी ताकतें जिनके साथ हमारे संबंध ठीक नहीं हैं, नेपाल के माध्यम से हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। नेपाल हमारा बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और अगर इस देश से हमारी प्रगाढ़ मित्रता नहीं रहेगी तो यह निश्चित तौर पर नेपाल के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा ही, हमारे लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं विदेश मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हमने विश्व में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है और अन्य देशों से हमारे संबंध प्रगाढ़ हुए हैं।

एनडीए सरकार के समय हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब हुए। मैं समझता हूं आप कारगर ढंग से काम कर रहे हैं। वहां अच्छी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, नेपाल के महाराजा के साथ बात करनी चाहिए। उन्हें अपने प्रभाव में लाना चाहिए, ताकि वहां पुनः लोकतंत्र स्थापित हो सके। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जब तक किसी भी देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, तब तक उस देश का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा कोई व्यक्ति या देश नहीं जो तानाशाही बर्दाश्त कर सके, खासकर भारत। हमारे यहां जितना मजबूत लोकतंत्र है, उससे और देश भी सबक और सीख लेने का काम करते हैं। नेपाल तो हमारा पड़ोसी देश ही नहीं, भाई है। इसलिए आप पहल करें, जिससे वहां लोकतंत्र पुनः स्थापित हो सके। क्या वजह है कि वहां एकाएक 1 फरवरी, 2005 को राजशाही फिर हावी हो गई। वहां के लोगों के जनतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। इसलिए हमें वहां कारगर कदम उठाने चाहिए। वहां लोगों को बड़ी प्रताड़ना दी जा रही है। जो नेपाली कांग्रेस के लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन्हें नजरबंद किया गया है और परेशानी में डाला जा रहा है। कई माननीय सदस्यों ने यहां कहा कि वहां से कई लोग यहां आश्रय ले रहे हैं। हमारे यहां भी जब आपातकालीन स्थिति थी तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया था। इसलिए वहां लोकतंत्र स्थापित हो, ऐसा काम करना चाहिए। दूसरे कई देशों की निगाहें वहां पर लगी हुई हैं। वे चाहते हैं कि भारत के साथ अगर संबंध खराब हो जाएंगे, तो वे वहां अपना उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से वे देश हम पर भी अधिकार जमाने की कोशिश कर सकते हैं। आज चीन,

[श्री राम कृपाल यादव]

पाकिस्तान और अन्य देश वहां पर नजर लगाए हुए हैं। वे चाहते हैं कि हमारे संबंध नेपाल से खत्म हो जाएं, उनके बन जाएं और फिर उनकी जो सोच है, उस पर वे काम करें। खासकर अमेरिका का सदैव प्रयास रहा है कि पूरी दुनिया पर वह अपनी दादागिरी जमाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि हम नेपाल के माध्यम से दादागिरी कर रहे हैं। इसलिए आप कारगर ढंग से कदम उठाएं, ताकि हमारा और नेपाल का जो रिश्ता है, वह कंटीन्यू रहे और वह देश सुरक्षित रह सके।

पाकिस्तान की भी सदन में चर्चा हुई है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से हमारे संबंध सुधर रहे हैं। दोनों का दोस्ती का हाथ बढ़ रहा है। यह एक शुभ संकेत हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में और भी संबंध मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुशर्रफ साहब के पुत्र भारत आए हुए हैं। वे कल लखनऊ गए थे। वहां उन्होंने दोनों देशों के नौजवानों से कहा, जो भावना व्यक्त की, उसका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने दोनों देशों के नौजवानों से अपील की कि राजनीतिक मामलों को छोड़ कर व्यक्तिगत रिश्ते कायम किए जाएं। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। जब तक हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध नहीं सुधारेंगे, तब तक हम अपनी सुरक्षा पर ही काफी व्यय करते रहेंगे। हजारों करोड़ रुपये हम अपनी रक्षा पर खर्च कर रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और हमारा ध्यान विकास की तरफ न होकर अपनी सुरक्षा में लगा रहता है। जब तक हमारे संबंध पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल से नहीं सुधरेंगे, तब तक हमारे यहां की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। हम चाहते हैं कि हम विकास करें और तरक्की करें। लेकिन अभी हमारी सारी सोच, सारी ताकत रक्षा पर लग रही है। जिस तरह से आतंकवाद फैल रहा है, चाहे जम्मू–कश्मीर हो या असम हो, वह सही नहीं है। नेपाल में भी यह समस्या है। इसलिए इन देशों के साथ हमारे संबंध सुधरें, रिश्ते अच्छे बनें, इसके लिए विदेश मंत्री जी को प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यूपीए सरकार की जो विदेश नीति है, उससे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध सुधरेंगे। हम लोग अमन–चैन से रहना चाहते हैं। हम यह भी नहीं चाहते कि किसी और देश में अमन–चैन खत्म हो जाए। हम लोग तो जीओ और जीने दो वाले लोग हैं। हम प्यार, सद्भावना और मोहब्बत चाहते हैं और दूसरे देशों को भी यही देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के अपने साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी इसमें रचनात्मक सहयोग दें और हिन्दू–मुस्लिम विरोध की जो बातें वे करते हैं, उनको छोड़ दें।... *(व्यवधान)* मस्जिद तुड़वाने जैसा काम मत कीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : देश को जोड़ने का काम कीजिए। माननीय विदेश मंत्री जी से भी निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि आप उठिए और पड़ोसी देशों में भी चैन और अमन बहाल करने का काम कीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री खारवेल स्वाईं।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि दो मिनट का समय हमारे साथी सुरेश अंगड़ि जी को दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश अंगड़ि (बेलगाम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेपाल और भारत के बीच प्राचीन काल से ही संबंध सौहार्द्रपूर्ण हैं। अधिकतर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं।

विश्व मानचित्र पर नेपाल ही एकमात्र हिन्दू राष्ट्र है। मैं माननीय विदेश मंत्री तथा भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे नेपाल में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। कृपया भारत या उस स्थान के विरुद्ध युद्ध के लिए अमरीका अथवा पाकिस्तान अथवा किसी दुश्मन राष्ट्र को अनुमति न दी जाए।

महोदय, इस सम्माननीय सभा की ओर से भारत सरकार से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि उस हिन्दू राष्ट्र को पूरा समर्थन दे, जोकि हमारा पड़ोसी देश है।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां भाषण नहीं दूंगा, मैं माननीय विदेश मंत्री से केवल कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। सबसे पहले, नेपाल को यूनाइटेड किंगडम, भारत और अमरीका द्वारा हथियार की आपूर्ति न किए जाने की स्थिति में क्या उसे पाकिस्तान और चीन द्वारा हथियारों की आपूर्ति किए जाने की संभावना है?

दूसरी बात, ऐसा क्यों है कि कई अवसरों पर हिन्दू देश होने

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के बावजूद नेपालियों के लिए भारत का विरोध करना राष्ट्रीयता का प्रश्न बन जाता है?

तीसरी बात, क्या श्रीनगर–मुजफ्फराबाद बस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वीजा जारी करने और परमिट जारी करने के बीच कोई अंतर है?

चौथी बात, अमरीका की सेक्रेट्री ऑफ स्टेट मैडम कॉंडालिजा राइस गत 15 तारीख को भारत यात्रा पर आई थीं। पाकिस्तान को अमरीका द्वारा एफ–16 युद्धक विमान की आपूर्ति के संबंध में उनका क्या जवाब था?

पांचवीं, क्या यह सही है कि अमरीकी प्रशासन ने पाकिस्तान से होकर ईरान से भारत तक गैस पाईपलाइन बिछाए जाने पर आपत्ति जताई है?

और अंत में, क्या भारत ने अमरीका के माध्यम से पाकिस्तान से पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान जाने का रास्ता देने का अनुरोध किया है?

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री साहब।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय पप्पू यादव जी दो मिनट का समय लेंगे क्योंकि उन्हें फिर जेल ले जाना है। यह उनकी इस विषय पर मेडन–स्पीच होगी।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुद्दों पर आज बहस हो रही है। मेरा लोक सभा क्षेत्र नेपाल स्थित बार्डर पर है। हम बार्डर से लगे हैं। हमारे नेपाल के साथ रिश्ते, नाते, संबंध आज से नहीं बरसों–बरसों से, कई पुश्तों से रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत सरकार के साथ–साथ भारत के बार्डर में रहने वाले लोगों की अहम भूमिका रहेगी। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नेताओं ने नेपाल में लोकतंत्र लाने के लिए न जाने कितने संघर्ष किए हैं जिन में एक्स प्राइम मिनिस्टर चन्द्रशेखर जी भी हैं। उन्होंने और दूसरे कई नेताओं ने लोकतंत्र की बहाली के लिए काफी संघर्ष किया। बिहार के बार्डर का इलाका जो नेपाल से सटा है, वहां के लोग पूर्वकालीन समय से टोटली माइग्रेट होकर नेपाल में जाकर बस गए। उनका बिहार की भाषा, संस्कृति, संस्कारों के साथ पूरा अटैचमेंट है। वहां जो माओवादी ताकतें हैं जिन्हें बाहर की ताकतों का संरक्षण प्राप्त है, वे बिहार के इलाकों को प्रभावित कर रहे हैं। वह वहां अपनी पूरी ताकत लगा कर भारत की संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं। वे उसमें सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भारत के नेपाल के साथ अपने आप में जो संबंध रहे हैं, वे मैत्रीपूर्ण ही नहीं रहे बल्कि एक संबंध ऐसा रहा है जिस में कोई रुकावट नहीं आई, पूरी पारदर्शिता रही। हम इस पारदर्शिता की रक्षा के लिए चाहते हैं कि उसे बरकरार रखा जाए। मंत्री जी बैठे हैं। जो नेपाल से सटे इलाके हैं, वहां के संस्कार, संस्कृति, तहजीब और भाषा से जुड़ी सारी चीजें उनकी गिरफ्त में जा रही हैं। उग्रवादियों का ध्यान उस क्षेत्र की तरफ ज्यादा केन्द्रित है। ऐसे इलाकों में रहने वाले जो लोग ज्यादा प्रभावित हैं, उनके लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है? हम केवल मित्रता के लिए कुछ करें, उन लोगों की रक्षा कैसे हो और लोकतंत्र कैसे बहाल हो, यह देखें।

पाकिस्तान का सवाल मैं यहां उठाना चाहता हूं। पाकिस्तान हमारी ही संस्कृति, तहजीब और भाषा से अलग हुआ है। हम पाकिस्तान से इस जन्म में क्या, कई जन्मों में अलग नहीं हो सकते हैं। हम हिन्दू राष्ट्र, कई मजहब और धर्म की बात करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल अलग भाषा, संस्कृति और तहजीब के लोग हैं। हम किसी धर्म को लेकर नहीं चल सकते। पाकिस्तान और भारत के बीच जैसे संबंध महात्मा गांधी और अतीत के लोग देखते थे, उन संबंधों को स्थापित करने के लिए यूपीए की सरकार बनी है। वह निश्चित रूप से चाहती है कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हों। नेपाल भारत का अतीत से मित्र रहा है।

वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए हमारी सरकार को कोई न कोई कठोर कदम उठाने चाहिए और पहल करनी चाहिए। हम नेपाल में ऐसी व्यवस्था कायम करें ताकि भारत की संस्कृति, भाषा की रक्षा होते हुए, हमारे संबंध अच्छे बनें। हम यही चाहते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं खास तौर पर देवेन्द्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजद की ओर से बोलने का मौका देने का काम किया।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री के. नटवर सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले, मैं मेरे मित्र श्री ई. अहमद द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2005 को इस सभा के पटल पर रखे गए विवरण पर नियम 193 के अंतर्गत इस चर्चा को शुरू करने के लिए श्री सी. के. चन्द्रप्पन को धन्यवाद देता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्यों प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री संदीप दीक्षित, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री रामजीलाल सुमन, श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री अनंत गंगाराम गीते, श्री निखिलानन्द सर, योगी आदित्यनाथ–यद्यपि उनसे कई मामलों पर मैं सहमत नहीं हूं–श्री के. एस. राव, श्री प्रबोध पाण्डा, श्री मोहन सिंह, ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह, डा. राजेश मिश्र, श्री रामदास आठवले, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी, श्री एल. राजगोपाल, श्री सुकदेव पासवान, श्री राम कृपाल यादव, श्री सुरेश अंगड़ि, श्री खारबेल स्वाईं और श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को

[श्री के. नटवर सिंह]

धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं नेपाल से शुरू करूंगा।

[हिन्दी]

जैसा मेरे सभी साथियों ने कहा है कि हमारे संबंध नेपाल से बहुत ही नजदीकी के हैं, बहुत घनिष्ठ हैं। नक्शे पर सरहद जरूर है, मगर भारतवर्ष के नागरिक बगैर पासपोर्ट के नेपाल में आ सकते हैं और नेपाल के नागरिक बगैर पासपोर्ट के भारत में आ सकते हैं। यह हमारी खूबी है और यह जाहिर भी है कि अगर नेपाल में कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जिससे वहां किसी तरह की परेशानी पैदा हो, चाहे वह राजनैतिक दलों की तरफ से हो, वहां के सम्राट की तरफ से हो, या माओवादियों की तरफ से हो, उस पर हमें निगाह रखनी पड़ती है। हमारा प्रयत्न यह होता है जैसे कि अभी श्री राव जी ने कहा हमें इस सवाल के ऊपर बहुत ही गंभीरता से, धैर्यता और सावधानी से काम करने की जरूरत है। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है और नेपाल बहुत छोटा देश है मगर हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे नेपाल की प्रजा को कोई तकलीफ हो। जो प्रजातंत्र नेपाल में वर्ष 1990 में लाया गया था, वह कुछ साल तक चला, हमारी सरकार की दृष्टि में और मेरे खयाल से सदन में इन तीनों सवालों पर नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सहमति है। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आज से नहीं 58 साल से भारत की विदेश नीति पर एक नेशनल कन्सेन्सेस कायम है। उसको हम मजबूत कर रहे हैं और आज सबूत दिया गया है कि वह मजबूत है। हमारी उम्मीद यह थी कि नेपाल के सम्राट यहां आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश श्री नरसिंह राव जी की मृत्यु हो गई और उनका आना संभव नहीं हुआ। उसके बाद फैसला हुआ कि वे 14 दिसम्बर को यहां प्रधानमंत्री जी से दो तरफा बातचीत करने के लिए आएंगे। एक दो दिन पहले वहां के सम्राट ने हमारे प्रधानमंत्री जी को टेलीफोन किया था कि उनकी मजबूरी थी और वे 14 दिसम्बर को नहीं आ पाएंगे। मैं जब से विदेश मंत्री बना, मेरी पहली विदेश यात्रा नेपाल की थी। मैं खुद सम्राट से मिला था। मैं वहां के जितने लीडर थे, श्री कोइराला साहब, श्री देउबा साहब और बाकी जो लीडर थे, उनसे मिला था तो मैंने विनम्रतापूर्वक कहा कि अगर आप लोग साथ नहीं होंगे तो यहां डेमोक्रेसी को धक्का लगेगा। चूंकि ऐसा नहीं हो पाया और मेरे जाने के दो दिन पहले, श्री देउबा साहब को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया लेकिन उन्हें पहली फरवरी में बर्खास्त कर दिया गया। नेपाल में जो कदम उठाए गए, उससे सारा सदन परिचित है और मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। अब सवाल पैदा होता है कि भारतवर्ष क्या करेगा? हमने अपने राजदूत को यहां दो दफा बुलाया। वह एक बार सम्राट से मिले। उससे पहले पैगाम भेजा कि अगर सब पार्टियों से बातचीत हो जाए, उस सिलसिले में फिर से बातचीत शुरू की जाए। नेपाल के संविधान की धारा 127 के अनुसार सम्राट वहां इमरजैंसी लगा सकते हैं, पार्लियामेंट को बंद कर सकते हैं।

[अनुवाद]

नेपाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए कुछ प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि हमारे विचार से नेपाल को लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र की आवश्यकता है। पूर्ण राजतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र के बीच अंतर है। यही हमारा प्रयास है। नेपाल की परिस्थिति से निपटने में हम बहुत अधिक संयम बरत रहे हैं।

सौभाग्यवश, भारत सरकार ने जो रुख अपनाया है, वह नेपाल के साथ हमारे संबंधों की विशेष और अनोखी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सावधानी से विचार करने के पश्चात् अपनाया है। हमने वहां के महाराजा को भी यह बता दिया है कि हमारे अनुसार वह यथाशीघ्र नेपाल में एक बार फिर लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू करें जिसके लिए सभी राजनीतिक नेताओं को मुक्त किया जाना आवश्यक है। अभी भी श्री कोइराला सहित दो प्रमुख नेता गृहबंदी हैं। कुछ सीमा तक सेंसरशिप हटाई गई है किन्तु भारतीय चैनल अब भी प्रतिबंधित हैं। कुछ अन्य प्रतिबंध भी हैं। व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। हम परिस्थिति को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका ने भी सरकार तथा महाराजा से इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। यू.के., संयुक्त राज्य के महासचिव और यूरोपीय संघ ने भी ऐसा ही किया है। चीन के हमारे मित्रों ने यह कहते हुए एक वक्तव्य दिया है कि नेपाल में जो कुछ हुआ उसे वह आन्तरिक मामला मानते हैं किन्तु वे चाहते हैं कि सुलह–सफाई की प्रक्रिया को यथाशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।

नेपाल की सैन्य सहायता के संबंध में एक प्रश्न उठा है जो निरंतर समीक्षाधीन रहा है। वास्तव में शाही नेपाली सेना के साथ हमारे संबंध बड़े घनिष्ठ हैं। स्थिति बहुत जटिल है चूंकि नेपाल की राजनीति में माओवादी राजनीति करने हेतु प्रवेश कर गए हैं। सबसे पहले इसकी शुरूआत वर्ष 1996 में हुई थी। मैं इसके कारणों की चर्चा नहीं करूंगा। यदि कोई विकासात्मक कदम उठाए जाएं और अधिक प्रगतिशील नीतियों का पालन किया जाए तथा राजनीतिक दल अच्छा काम करें तो यह संभव है कि नेपाल में माओवाद केवल कुछ जिलों तक सीमित होकर रह जाए। आज यह काफी बढ़ गया है।

[हिन्दी]

यहां सवाल विदेश नीति और कूटनीति का आता है। विदेश नीति में आप क्या करते हैं और कूटनीति में आप कैसे करते हैं?

[अनुवाद]

आप कूटनीति कैसे करते हैं और कूटनीति में क्या करते हैं? यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि मैंने कहा, हम अधिक से अधिक संयम बरत रहे हैं और इस समय हम अपने संबंध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे हुए हैं। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हमने भी ऐसी रिपोर्टें पढ़ी हैं कि काठमांडू में पाकिस्तान के सेवानिवृत्त होने वाले राजदूत ने अपने प्रस्तान वाले दिन यह कहा था कि यदि भारत नेपाल को सैन्य सहायता देने पर रोक लगाता है तो पाकिस्तान इस कमी को पूरा देगा।

मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यदि यह संभव नहीं है तो आपको इसकी अनदेखी करनी चाहिए। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधर रहे हैं और मैं इस विषय पर थोड़ी देर बाद आऊंगा। अतः नेपाल में स्थिति के संबंध मैं सभा के समक्ष यही कह सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं किया जाए जिससे भारत और नेपाल के संबंधों के बीच किसी प्रकार का स्थाई दबाव पड़े। हम नेपाल के महाराजा पर उनके द्वारा लगाई गई उस आपातकाल की घोषणा के संबंध में विचार करने के लिए जोर देते रहेंगे जो सात सप्ताहों से लगी हुई है।

विदेश मंत्री श्री पांडेय यहां आए थे और मैंने उनके साथ काफी देर तक वार्ता की। हमने उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराया। बैठक का दौर चला और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे महाराजा प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। परन्तु हमें कुछ और समय की आवश्यकता होगी। महाराजा द्वारा आरंभिक घोषणा तीन वर्षों के लिए की गई थी जो कि नेपाल की जनता या और किसी को स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि मैंने जो पद धारण किया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए तथा उन्होंने जो पद धारण किया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करने के लिए प्रक्रिया जल्द ही आरम्भ होगी। यह एक उत्साहजनक संकेत है और यदि सरकार को सदन की स्वीकृति से इस अति नाजुक स्थिति से इसी प्रकार निबटने की अनुमति दी जाती है जैसे हम निबट रहे हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो हम समय-समय पर सदन को सूचित करते रहेंगे। परंतु हमें पूरी आशा है कि सभी राजनेताओं को रिहा किया जाएगा। उन्हें मुलाकात करने की अनुमति दी जाएगी, तब कहीं जाकर वे पुनः संसद बहाल करने के लिए महाराजा से अनुरोध कर सकेंगे जो कि वह अनुच्छेद 127 के अन्तर्गत कर सकते हैं। जो प्रतिनिधि होगा, और फिर चुनाव तो होंगे ही होंगे। अब यह एक रोड-मैप है। इस कार्य में कठिनाइयां हो सकती हैं। परन्तु हम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि रोड-मैप लागू हो।

अब आपकी अनुमति से मैं अफगानिस्तान के विषय पर आता हूं। अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध कई सदियों पीछे चले गए हैं।

[हिन्दी]

उत्तर भारत में हमारी खुराक, हमारी जबान, हमारी भाषा, हमारी पोशाक अफगानिस्तान से प्रभावित हुई है और हमारी कल्चर से वह प्रभावित हुआ है। पिछले महीने जब मैं अफगानिस्तान गया था तो मैं वहां के राष्ट्रपति जी से मिला, वहां के भूतपूर्व बादशाह बाबा-ए-मिल्लक जहीर शाह से मिला और वहां के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब से मिला। भारत सरकार ने अफगानिस्तान को 500 मिलियन डालर की इकोनोमिक एड सड़कें बनाने के लिए, बिजली ट्रांसमिशन के लिए, स्कूलों, अस्पतालों के लिए और बच्चों की पढ़ाई और दवाई आदि के लिए दी है। इसमें से काफी राहत वहां लग चुकी है और बाकी अगले महीनों और सालों में लगेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक खूबी की बात यह है कि हमारे देश में करीब 15 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मैं जहां-जहां भी जाता हूं, कहता हूं कि भारतवर्ष का एक भी मुसलमान अल-कायदा में शामिल नहीं हुआ और न तालिबान से मिलने गया। इस बात को सुनकर सब तारीफ करते हैं और आश्चर्य भी करते हैं। मैंने कहा कि आप दुनिया का नक्शा देख लीजिए, हर मुल्क के मुसलमान गए हैं, मगर हिन्दुस्तान का मुसलमान नहीं गया है। यह हमारे देश की एक मजबूती है। हर किसी के लिए यहां जगह है। अफगानिस्तान यहां से दूर नहीं है, बड़ी आसानी से जा सकते थे और हम उन्हें रोक नहीं सकते थे।

सायं 7.00 बजे

हमारे मुसलमान भाई जो वहां रहते हैं, वे भी मिलने के लिए नहीं गए। यह बात मायने रखती है, इसमें कोई वजन है। अफगानिस्तान की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। 25-26 सालों तक वहां युद्ध चलता रहा। यूएसएसआर ने कदम उठाए और उसका नतीजा उनको भोगना पड़ा। फिर तालिबान वहां पैदा हुए। ओसामा बिन लादेन कैसे पैदा हुए, किसने पैदा किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उससे आप परिचित हैं। बहरहाल एक बड़ी बात जो हुई, वह यह है कि वहां अफगानिस्तान के इतिहास में पहली दफा चुनाव हुए। मैंने प्रैजीडैन्ट गद्दाफी साहब से बहुत लंबी बात की क्योंकि वे बहुत अच्छी हिन्दुस्तानी बोलते हैं। वे शिमला में छः-सात साल रहे हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : यहां पढ़े भी हैं।

श्री के. नटवर सिंह : जी हां, यहां पढ़े भी हैं। वहां के कई मंत्री हैं, अब्दुल साहब और उनके परिवार के लोग यहां रहते हैं।

[श्री के. नटवर सिंह]

मैंने कहा कि एक बात बताइए कि आपके यहां चुनावों में 42 प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया। जहां कभी चुनाव नहीं हुए, वहां यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझे बताया और यह कोई इतनी खुफिया बात नहीं है क्योंकि जो इस लैवल पर बात होती है, उसको जरा संभलकर सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी माताओं, बहनों और बेटियों को हुई है। मर्द तो लड़ते थे, मगर मुश्किल तो उनकी होती थी। इस वजह से उन्होंने आकर वोट दिया। वे बदलाव चाहती हैं और बदलाव हुआ है। सितम्बर में वहां चुनाव होने वाले हैं। अफगानिस्तान के साथ मेरी जो बातचीत हुई है, उस पर हमने काफी गौर किया है। एक बात जरूर मैंने उनसे अर्ज की और प्रधानमंत्री ने भी अर्ज की कि आपके यहां से तिजारत का सामान पाकिस्तान के जरिए हिन्दुस्तान आ सकता है, मगर हमारा माल पाकिस्तान से आपके देश के लिए नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वह इसके बारे में मुशर्रफ साहब से चर्चा करेंगे। उन्होंने चर्चा भी की और हमने अपने अमेरिकी दोस्तों से भी बात की। जब मैं पाकिस्तान गया तो उनको अर्ज किया कि चीन के साथ हमारे सीमा पर मतभेद हैं। सीमा शांत है, बातचीत जारी है। सन् 1988 में जब राजीव गांधी चीन गए, तब से हमारी सरहद पर चैन है, मगर चीन से हमारा 13.6 बिलियन डालर का ट्रेड है और अगले दो सालों में यह 16 बिलियन डालर हो जाएगा। अगर आप 3 बिलियन डालर भी लगाइए जो हांग कांग से जाता है, तो 17–18 बिलियन डालर की चीन से तिजारत है, जबकि पाकिस्तान से 400 मिलियन डालर है। उन्होंने कहा कि 500 मिलियन भी नहीं है और उसके नजदीक है। मैंने कहा कि आबू धाबी से होकर माल जाता है तो नुकसान किसको होता है? मैंने कहा कि अगर आप हमें इजाजत दें तो ठीक रहेगा। फिर हमने जब 500 टाटा के ट्रक भेजने का फैसला किया, तो 250 को पाकिस्तान होकर जाने की इजाजत मिली, उसके बाद बंद कर दिया गया। इस सवाल को फिर उठाया जाएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान, हिन्दुस्तान और अफगानिस्तान की तिजारत बढ़ जाए तो सारा वातावरण बदल जाता है। अगर उनके किसान और हमारे किसानों का इकोनामी में स्टेक हो जाए तो आज के जमाने में पोलिटिकल चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। आज टैक्नोलाजी की वजह से और भी फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि अगले जो चुनाव होंगे, जो जून में अफगानिस्तान में होने वाले थे, वे सितम्बर के महीने में होंगे। हमने जो कुछ मदद के लिए कहा है, वह इलैक्शन कमीशन की तरफ से दी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ तिजारत और बढ़ेगी और जैसे–जैसे वहां शांति और अमन रहेगा, उनको हिन्दुस्तान से ही नहीं और देशों से भी मदद मिल रही है। यह जरूर है कि इस वक्त वहां नाटो की फौजें हैं, अमरीका की फौजें हैं और वे कुछ समय तक वहां रहेंगी। मगर इस वक्त जो सूरते हाल है वह यह है कि वर्तमान हुकूमत श्री करजई साहब की सरकार की है, वह स्थिर है और मेरे खयाल में चुनाव के बाद और मजबूत हो सकती है और हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वहां शांति और अमन–चैन रहे। अगर आप काबुल या अफगानिस्तान जाएं तो आपके दिल को गहरी चोट लगेगी। वहां बहुत ज्यादा तबाही हुई है। मासूम लड़कियां बेसहारा हो गई हैं और औरतें विधवा हो गई हैं, मकान टूट गए हैं, बिजली नहीं है। जब मैं वहां गया था तो सर्दी में तापमान एक डिग्री सैंटीग्रेट था। मकानों में शीशे भी नहीं थे। इसके बावजूद लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो कुछ उनके लिए कर सकते हैं, वह कर रहे हैं।

अब मैं पाकिस्तान की तरफ आता हूं। सन् 1999 से लेकर 2004 तक एनडीए सरकार ने पाकिस्तान से बात करने के लिए जो कदम उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने उसका साथ दिया है। वे लाहौर गए। हमने गुडलक कहा। लाहौर के बाद कारगिल हो गया। आगरा वार्ता नहीं चली। लंबी बात छोटी करने के लिए हमने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करना जरूरी है। आपरेशन पराक्रम शुरू हुआ और आर–पार की लड़ाई की चर्चा हुई। मगर श्री वाजपेयी जी ने, मुझे याद है कि 18 अप्रैल, 2003 को श्रीनगर में कहा कि मैं पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। आप हम लोगों का बयान देख लीजिए, हमने उस बयान का स्वागत किया था। फिर खबर आई कि सिर्फ सम्मेलन हो रहा है। पता चला कि प्रधानमंत्री जी वहां जाएंगे या नहीं, मगर प्रधानमंत्री जी वहां गए। कट्सी काल होगा। नतीजा निकला, 6 जनवरी 2004 को बयान निकला जिसमें हस्ताक्षर किए गए कि कम्पोजिट डायलॉग हर चीज पर शुरू होगा। हमने स्वागत किया। उसमें एक आइटम था। जनवरी 6, 2004 पैराग्राफ–5 में, यह बहुत इम्पोर्टैंट है। हमने तवज्जोह नहीं दी है। इसमें लिखा है :

[अनुवाद]

> "संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धान्तों तथा प्रयोजनों तथा लाहौर घोषणापत्र में शामिल शिमला समझौते को अक्षरशः कार्यान्वित करने हेतु दोनों देशों के निश्चय को दोहराते हुए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत शांतिपूर्वक सहअस्तित्व के सिद्धान्त के प्रति वचनबद्ध....."

हमने इसका समर्थन किया है हालांकि उस समय के विदेश मंत्री ने कहा था कि यह बैठक निश्चित समय पर हुई थी। और दुर्भाग्यवश करगिल की घटना हुई। मैं उसकी बात नहीं करने वाला।

इस्लामाबाद 6 जनवरी का संयुक्त प्रेस वक्तव्य।

[हिन्दी]

इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है–

[अनुवाद]

"सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधानमंत्री फरवरी, 2004 में सारी बातचीत की प्रक्रिया को शुरू करने पर सहमत हुए थे। दोनों नेताओं को विश्वास है कि संयुक्त बातचीत से जम्मू और कश्मीर सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों का दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक ढंग से शांतिपूर्वक ढंग से निपटान हो सकेगा।"

प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था कि बातचीत की प्रक्रिया को आगे तक चलाने तथा आगे ले जाने के लिए हिंसा, बैर तथा आतंकवाद को लगाम लगाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को पुनः आश्वासन दिया कि वह पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन किसी क्षेत्र में किसी तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देने देंगे। राष्ट्रपति मुशर्रफ ने इस बात पर जोर दिया कि सभी मुद्दों से संबंधित दीर्घकालिक तथा फलदायक बातचीत सकारात्मक परिणामों पर आधारित होगी। प्रो. मल्होत्रा के इस कथन के विपरीत इसे दोहराया गया कि राष्ट्रपति मुशर्रफ तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बैठक के बाद 24 सितम्बर को जारी वक्तव्य में 6 जनवरी का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। मैं हर जगह अपने हर भाषण को यही कह कर शुरू करता हूं कि यह प्रक्रिया जनवरी में शुरू की गई थी और हम इसे प्रभावी ढंग से आगे ले गए हैं। हमने पाकिस्तान को 72 विश्वास सृजन उपाय पेश किए हैं। इनमें से कुछ के संबंध में काफी प्रगति की गई है जबकि कुछ के संबंध में यह इतनी अधिक नहीं है।

पिछले महीने पाकिस्तान में मेरे दौरे के बाद नवीनतम घटनाक्रम के संबंध में हमने श्रीनगर से मुजफ्फराबाद तक बस सेवा शुरू करने के संबंध में अपनी-अपनी ओर से कार्य किया है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा है कि भारत की सुरक्षा के संबंध में तथा उपलब्ध प्रलेखीकरण के संबंध में हर सावधानी बरती गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य जारी है ताकि 7 अप्रैल, 2005 को बस सेवा शुरू करने हेतु सारी व्यवस्थाएं पूरी की जा सकें। सभी भारतीय व पाकिस्तानी नागरिक इस बस से यात्रा कर सकते हैं। दोनों तरफ के यात्रियों की सूची की आज जांच की जानी है। इसमें 24 घंटे तक विलम्ब हो सकता है।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं उस प्रक्रिया को पढ़ना चाहता हूं जिसका पालन किया गया है, क्योंकि कुछ शंकाएं व्यक्त की गई हैं कि आखिर हमने पासपोर्ट का प्रयोग क्यों नहीं किया। यदि आप पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं तथा इस सभा का संकल्प में इसका उल्लेख है तो आखिर आप यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि हम अपने किसी क्षेत्र से अपने ही देश के किसी अन्य क्षेत्र में आने के लिए पासपोर्ट जारी करें? इसीलिए, इस तरीके से एक आपसी समझौता हुआ है। यद्यपि कि सामान्य पासपोर्ट अथवा वीसा के फार्म पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है, किन्तु जमीनी हकीकत यह है कि पासपोर्ट और वीसा के मंजूरी हेतु की जाने वाली सारी जांचों और पूर्व जांचों की प्रक्रिया इस मामले भी अपनाई जा रही है। बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस संबंध में हमारे पक्ष से प्राधिकारी के रूप में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कश्मीर को नियुक्त किया गया है जिससे केन्द्र सरकार के साथ संबंध और पासपोर्ट की प्रक्रियाएं और उद्घाटित हुई हैं। इस प्रकार नियंत्रण रेखा के पार के व्यक्तियों द्वारा जम्मू और कश्मीर की यात्रा भारत सरकार के मोहर वाले दस्तावेजों के आधार पर होगी तथा इसके लिए दूसरे पक्ष द्वारा जारी किसी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा अथवा उसे मान्यता नहीं दी जाएगी।

मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यात्रा के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर काफी सतर्क दृष्टि रखी गई है। बस सेवा की घोषणा का व्यापक स्वागत हुआ है। इसका जम्मू व कश्मीर के लोगों द्वारा स्वागत किया गया है। यहां तब जब मैं इस्लामाबाद में था तभी जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को फोन कर यह बताया था कि यह एक ऐतिहासिक कदम है। उनकी विख्यात पुत्री, सुश्री महबूबा मुफ्ती मुझसे मिलने आई और मुझे एक शाल दिया तथा कहा कि हमने वो काम किया है जो अनेक वर्षों से नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, इसमें आपकी तारीफ है और सारे सदन की तारीफ है कि 58 साल के बाद यह वातावरण बना है कि जो परिवार 58 साल से एक-दूसरे से मिले नहीं थे, वे कम से कम अब मिल तो पाएंगे। मान लीजिए, यह प्रासैस शुरू होगा और इसमें यदि कोई कमी-बेशी होगी, तो उसे ठीक कर लिया जाएगा। यह तो हमने लिखकर नहीं दे दिया है कि यदि सुरक्षा ठीक नहीं होगी, तो भी हम इसे ऐसे ही चलने देंगे। हम सुरक्षा को सबसे पहले सुनिश्चित करेंगे और जहां-जहां कमियां पाई जाएंगी, उन्हें दूर करेंगे। हमें अपनी सुरक्षा की फिक्र है। हम यह नहीं चाहते कि उसमें जरा भी फर्क पड़े।

असलियत यह है कि जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने प्रेसीडेंट साहब के सामने जिक्र किया और कहा कि सन् 1965 से खोखरापार से मुनाबाव तक रेल गाड़ी बंद है। आपने हमारा दफ्तर कराची में बंद करा दिया और मुंबई में बंद कर दिया है, जिससे हमारे और आपके लोगों को वीजा लेने में तकलीफ होती है। वहां से इस्लामाबाद जाएं या वहां से दिल्ली आएं, अगर यह रेल गाड़ी चल जाती है तो बहुत फर्क पड़ेगा। मैंने कहा कि हमारी तरफ से तैयारी

[श्री के. नटवर सिंह]

है। जब उनके रेल मंत्री यहां आए थे, तो लालू प्रसाद जी ने भी उनसे कहा था। भारतवर्ष की तरफ से राजस्थान से ब्रौडगेज की रेल गाड़ी जाएगी और वह 2 अक्तूबर, 2005 को गांधी जी के बर्थ–डे पर तैयार हो जाएगी। आपकी तरफ से कहा गया है कि इसमें कुछ टैक्नीकल डिफिकल्टीज हैं, क्योंकि हमारे यहां मीटरगेज है और मीटरगेज को ब्रौडगेज में बदलने के लिए समय लगेगा। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि हमारे यात्री ब्रौडगेज में जाकर मुनाबाव सरहद पर उतर जाएंगे और बस लेकर मीटरगेज में बैठ जाएंगे, उसी तरह आपके लोग मीटरगेज से बस में बैठकर हमारी तरफ ब्रौडगेज में आ जाएंगे। वे इसके लिए राजी हो गए। यह कोई साधारण बात नहीं है। महोदय, हम उम्मीद करते हैं कि अगर माहौल ठीक रहा, जैसा अभी है, तो यह रेल गाड़ी भी शुरू हो सकती है।

उसके बाद अमृतसर–ननकाना साहब का सवाल उठा। पंजाब में मुख्यमंत्री उनसे मिल कर आए हैं, अगर बीच में कोई गड़बड़ न हो, तो यह शायद बैसाखी के रोज शुरू हो जाए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सौ प्रतिशत हो सकता है, मगर वातावरण ऐसा बन गया है कि कई ऐसे विषयों पर बातचीत हो रही है और ऐसे माहौल में हो रही है, जब तनाव कम है। इसे आप समझ सकते हैं। इस समय यहां मेरे से ज्यादा उम्र का कोई नहीं होगा, इसलिए मैं कह सकता हूं। मुझे इस काम में 53 साल हो गए हैं और मैं भारतवर्ष का पाकिस्तान में राजदूत भी रहा हूं। माहौल में परिवर्तन आया है।

मैं इस्लामाबाद से लाहौर गया था, वहां के चीफ मिनिस्टर मुसलमान जाट हैं। वे मेरे साथ बहुत मोहब्बत और प्यार से मिले। मैंने एक जगह पर तकरीर की, तो मुझे वहां के लोगों ने घेर लिया और कहा कि हम क्रिकेट के लिए आना चाहते हैं, इसलिए हमने हजारों वीजे दिए। आप सबको याद होगा कि चार–पांच साल पहले जब क्रिकेट मैच की बात होती थी, तो ऐसा लगता था कि युद्ध हो रहा है, क्रिकेट पिच को खोद दिया जाएगा, पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। अब अगर हिन्दुस्तान जीतता है तो भी वे उसकी खुशी में शामिल होते हैं। हिन्दुस्तान में मुसलमान आतिशबाजी कर रहे हैं। अब आप देखिए कि क्या हाल है, कितनी भारी जीत हुई और वहां के लोगों ने भी तालियां बजाईं। सहवाग ने मुलतान में 309 रन बनाए और सारा पाकिस्तान उसके लिए तालियां बजा रहा है। इसलिए परिवर्तन तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं राजदूत रह चुका हूं इसलिए जानता हूं।

[अनुवाद]

मुझे पता है कि भारत–पाकिस्तान संबंध उतार–चढ़ाव की संभावना वाले हैं। इसलिए हमें अत्यन्त सावधान और सतर्क रहना है तथा हमने किसी भी चरण में यह कहना बंद नहीं किया है कि द्विपक्षीय वार्ता वास्तविक रूप में तभी सफल होगी जब आतंकवाद को रोका जाएगा क्योंकि जैसा बताया गया है कि आतंकवाद का आधारभूत ढांचा अभी भी स्थित है। परन्तु अन्य क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस सभा में प्रत्येक व्यक्ति ने इसके बारे में कहा है और इसका स्वागत किया है। यह पक्षपात नहीं है। यह हमारे हित में एक राष्ट्रीय मामला है। 58 वर्षों से हमें इसके बारे में संदेह रहा है। अरब देश इजरायल के साथ बातचीत कर रहे हैं। जापान पर परमाणु बम गिराए जाने के बावजूद जापान और अमेरिका में काफी मधुर संबंध हैं। जर्मनी और फ्रांस ऐसा लगता है कि दोनों एक ही देश हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही पूछ रहा है कि जब आप समान संस्कृति वाले देश हैं तो आप एक साथ क्यों नहीं मिल सकते। इसलिए वर्तमान में जब मैं अपने 75वें वर्ष में शीघ्र प्रवेश करने वाला हूं, मुझे यह अच्छा एहसास हो रहा है कि

[हिन्दी]

आना–जाना शुरू हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी। उनके संगीतकार आएंगे और हमारे भी जाएंगे, क्रिकेट का मैच होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे मतभेद दूर हो गए, मतभेद हैं।

मगर बातचीत तो शुरू हो गई और जिस वातावरण में बातचीत शुरू हो रही है, उससे हमें उम्मीद लगती है कि गाड़ी आगे चलेगी। अब मुशर्रफ साहब 17 तारीख को आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप क्रिकेट देखने आएंगे तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई दावत देगा, तो मैं जाऊंगा। हमने दावत दे दी और वे 16 की शाम को यहा आएंगे, 17 तारीख को मैच देखेंगे और मैच ही नहीं, अगर किसी भी विषय पर बात करना चाहते हैं तो हकूमते हिन्द उनसे बातचीत करेगी, उनकी मिलिट्री से करेगी, उनसे करेगी और मैं यह समझता हूं कि सारा सदन चाहता है, हमारी कांग्रेस पार्टी तो खासकर चाहती है कि हमारे दोनों देशों के ये रिश्ते और मजबूत बनें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं।

[अनुवाद]

मैं भावना में बहना नहीं चाहता हूं। मात्र कल्पना कीजिए कि यदि एक भारत–पाक क्रिकेट टीम हो, हम अन्य सभी देशों को एक साथ मिलकर हरा सकते हैं। यह एक उदारहण है।

दूसरा, यदि हमारा व्यापार बढ़ता है तो जीवन–स्तर सुधरेगा। सम्पूर्ण सार्क क्षेत्र अलग दिखने लगेगा। यदि पाकिस्तान हमें अपने क्षेत्र से होकर व्यापार करने की अनुमति दे तो हम मध्य एशिया तक व्यापार कर सकते हैं। श्री मणिशंकर अय्यर यहां उपस्थित हैं। मैं भी कजाकिस्तान का दौरा कर चुका हूं।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 24 सितम्बर, 2004 को न्यूयार्क में दिए गए वक्तव्य में पाइप लाइन का विशेष उल्लेख किया गया था क्योंकि भारत की ऊर्जा आवश्यकताएं एक वर्ष में बहुत बढ़ जाएंगी। मैं अपने सहयोगी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि पाकिस्तान में वह मेरे साथ थे। मैं राजदूत था और वे कराची में बहुत ही लोकप्रिय महावाणिज्य दूत थे। इसलिए यदि हम इन चीजों में सहयोग करें तो पाइप लाइन पाकिस्तान से अफगानिस्तान से मध्य एशिया से भारत आ सकती है। यह ईरान, पाकिस्तान के माध्यम से भारत आ सकती है। इसकी स्पष्ट संभावनाएं हैं।

श्री खारबेल स्वाईं : संयुक्त राज्य अमरीका ने पाकिस्तान के माध्यम से ईरान से पाइप लाइन बिछाने पर आपत्ति की है।

श्री के. नटवर सिंह : हम इस मुद्दे पर पाकिस्तान और ईरान के साथ स्वतन्त्र रूप से चर्चा कर रहे हैं। जब अमेरिकी विदेश मंत्री यहां आईं तो उन्होंने अमरीकी दृष्टिकोण से अवगत कराया। मैंने उनकी उपस्थिति में कहा कि भारत को ईरान से कोई समस्या नहीं है, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और हम उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं।

अमरीका के साथ भी हमारे संबंध–हालांकि यहां यह वाद–विवाद का विषय नहीं है–परिपक्वता के उस स्तर तक पहुंच चुके हैं, जहां हमारे अलग–अलग विचार हो सकते हैं, परन्तु हमारे व्यापारिक संबंध दिन–प्रतिदिन बेहतर होते जा रहे हैं।

अतः महोदय मैं निष्कर्ष में कहना चाहता हूं कि मैं वाद–विवाद में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे सभा के सामने, देश के सामने उस स्थिति की जानकारी देने का अवसर प्रदान किया, जो कि इस सभा पटल पर 9 मार्च, 2005 को रखे गए वक्तव्य के कारण उत्पन्न हुई थी।

आपके सहयोग के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी से 2–3 मामलों में कुछ प्रश्न करने हैं। एक तो मंत्री जी ने नेपाल के संबंध में...*(व्यवधान)*

श्री के. नटवर सिंह : नियम 193 पर हुई चर्चा के जवाब के बाद फिर कुछ नहीं होता। आपने नेपाल के संबंध में जो शब्द इस्तेमाल किए थे, वे अच्छे नहीं थे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 22 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.24 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 22 मार्च, 2005/1 चैत्र, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्याहरह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती अनुराधा चौधरी श्री मो. ताहिर	241
2.	श्री पंकज चौधरी	242
3.	श्री सुकदेव पासवान श्री रामकृपाल यादव	243
4.	श्री बाडिगा रामकृष्णा श्री बृज किशोर त्रिपाठी	244
5.	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी श्री राजेश वर्मा	245
6.	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	246
7.	श्री विजय कृष्ण श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	247
8.	श्री संतोष गंगवार	248
9.	श्रीमती जयाप्रदा श्री रामदास आठवले	249
10.	श्रीमती जयावहन वी. ठक्कर	250
11.	श्री राकेश सिंह श्री एम. खन्ना	251
12.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	252
13.	श्री पी. करूणाकरन	253
14.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री सुग्रीव सिंह	254
15.	श्री लक्ष्मण सिंह श्री जुएल ओराम	255

1	2	3
16.	श्री गुरूदास दासगुप्त श्री मधु गौड यास्खी	256
17.	श्री बीर सिंह महतो श्री मनसुखभाई डी. वसावा	257
18.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	258
19.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	259
20.	श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार श्री हितेन बर्मन	260

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे. एम.	2764
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2651, 2768
3.	आदित्यनाथ, श्री आनंदराव विठोबा	2667
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2740, 2748, 2796, 2811
5.	अहमद, श्री अतीक	2608, 2724, 2757
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2641, 2686
7.	अजय कुमार, श्री एस.	2663
8.	अनंत कुमार, श्री	2609, 2678, 2787
9.	अर्गल, श्री अशोक	2625
10.	आठवले, श्री रामदास	2764, 2779
11.	आजमी, श्री इलियास	2674, 2808
12.	बैठा, श्री कैलाश	2615
13.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	2659, 2764, 2774, 2786
14.	बर्मन, श्री हितेन	2604, 2747, 2763
15.	बर्मन, श्री रनेन	2604
16.	बखला, श्री जोवाकिम	2613, 2747
17.	बेल्लारमिन, श्री ए. वी.	2673
18.	भगोरा, श्री महावीर	2648
19.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2684
20.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2650, 2705, 2810
21.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2591, 2766
22.	बोस, श्री सुब्रत	2604, 2747, 2763
23.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2665
24.	चक्रवर्ती, डा. सुजान	2697
25.	चालिहा, श्री किरिप	2714, 2805, 2819
26.	चन्द्र कुमार, प्रो.	2691
27.	चन्द्रप्पन, श्री सी. के.	2665
28.	चारेनामै, श्री मणि	2696
29.	चौरे, श्री बापू हरी	2592, 2649, 2721
30.	चिन्ता मोहन, डा.	2670, 2751, 2890
31.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	2639, 2746, 2794, 2801
32.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	2734, 2753
33.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	2633, 2662, 2808
34.	चौधरी, श्री अधीर	2602, 2720
35.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	2755
36.	देव, श्री बिक्रम केशरी	2695, 2797
37.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2609, 2791
38.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2759
39.	गमांग, श्री गिरिधर	2764, 2770
40.	गांधी, श्रीमती मेनका	2708, 2814
41.	गंगवार, श्री संतोष	2749, 2750
42.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2649, 2761, 2764

1	2	3
43.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2605, 2722
44.	गौडा, श्री डी. वी. सदानन्द	2644, 2754
45.	हमजा, श्री टी. के.	2759
46.	हर्ष कुमार, श्री जी. वी.	2711
47.	हसन, श्री मुनव्वर	2679
48.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2624, 2816
49.	जय प्रकाश, श्री	2601, 2732, 2749
50.	जयाप्रदा, श्रीमती	2700, 2751, 2800
51.	झा, श्री रघुनाथ	2621, 2803
52.	जोगी, श्री अजीत	2698, 2803
53.	जोशी, श्री प्रहलाद	2646, 2817
54.	कलमाडी, श्री सुरेश	2614
55.	कनोडिया, श्री महेश	2643
56.	करूणाकरन, श्री पी.	2636, 2657, 2715, 2820
57.	खारवेनथन, श्री एस. के.	2658, 2773
58.	कोली, श्री रामस्वरूप	2607, 2723
59.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2612, 2736
60.	कृष्ण, श्री विजय	2700, 2702
61.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	2639, 2690, 2746, 2794, 2801
62.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2670, 2809
63.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	2813
64.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2620, 2731
65.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2635, 2765
66.	महाजन, श्री वाई. जी.	2597, 2710
67.	महतो, श्री बीर सिंह	2756
68.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2677
69.	महताब, श्री भर्तृहरि	2701, 2764
70.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	2712
71.	मंडल, श्री सनत कुमार	2649, 2652, 2769
72.	माने, श्रीमती निवेदिता	2702
73.	मनोज, डा. के. एस.	2617, 2724
74.	मेघवाल, श्री कैलाश	2648, 2813
75.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2692
76.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2642
77.	मिश्रा, डा. राजेश	2634
78.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2703
79.	मोहन, श्री पी.	2627, 2672, 2738
80.	मुकीम, मो.	2618, 2729
81.	मो. ताहिर, श्री	2639, 2746, 2794, 2801
82.	मोहिते, श्री सुबोध	2719, 2758
83.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2657
84.	मुन्शी राम, श्री	2639, 2666, 2746, 2778, 2794
85.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2662, 2776
86.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2650, 2807
87.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2610, 2651, 2764
88.	नायक, श्री अनन्त	2653, 2770
89.	निखिल कुमार, श्री	2629, 2785
90.	ओराम, श्री जुएल	2707, 2716, 2768
91.	ओवेसी, श्री असदूद्दीन	2645, 2805
92.	पलनिसामी, श्री के. सी.	2619, 2730, 2808
93.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2654
94.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2599

1	2	3
95.	पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	2627
96.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	2764
97.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2630
98.	पाठक, श्री ब्रजेश	2664, 2777
99.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2668, 2804
100.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	2753
101.	पाटले, श्री शिशुपाल एन.	2631
102.	पिंगले, श्री देविदास	2709, 2815
103.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2611, 2722, 2727
104.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2596, 2786, 2793, 2808
105.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2657, 2772
106.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2713
107.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2690, 2748, 2805, 2811
108.	राणा, श्री काशीराम	2655, 2699, 2799, 2808
109.	राव, श्री के. एस.	2761, 2781
110.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2672, 2783, 2813
111.	राव, श्री डी. विट्टल	2638, 2802
112.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2597, 2710, 2818
113.	रावत, श्री अशोक कुमार	2688
114.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2676, 2685, 2790
115.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2683, 278
116.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2660
117.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2606, 2764, 2786
118.	रिजीजू, श्री कीरेन	2647, 2760
119.	साई प्रताप, श्री ए.	2660
120.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2725
121.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2687, 2792
122.	सरोज, श्री तूफानी	2689
123.	सत्पथी, श्री तथागत	2622, 2796
124.	सेठी, श्री अर्जुन	2640
125.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2616, 2733
126.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2634, 2752, 2796
127.	शिवन्ना, श्री एम.	2637, 2744
128.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2639, 2666, 2746, 2778, 2801
129.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	2760
130.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	2675, 2805
131.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2669, 2780
132.	सिंह, श्री लक्ष्मण	2743
133.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2661, 2775
134.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2673, 2784
135.	सिंह, श्री दुष्यंत	2694, 2768, 2795
136.	सिंह, श्री गणेश	2594, 2726
137.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	2692
138.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2700, 2702
139.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	2626, 2737
140.	सिंह, श्री मोहन	2813
141.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2706, 2812
142.	सिंह, श्री राकेश	2741
143.	सिंह, श्री सुग्रीव	2630, 2632, 2745, 2748
144.	सिंह, श्री उदय	2676
145.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	2598, 2718, 2802

1	2	3
146.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2680
147.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	2682
148.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2593, 2735
149.	सुजाता, श्रीमती सी. एस.	2603
150.	सुमन, श्री रामजीलाल	2700, 2800
151.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2636, 2767
152.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2728, 2760
153.	थामस, श्री पी. सी.	2656, 2771
154.	तुम्मर, श्री वी. के.	2764, 2808
155.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2647, 2686
156.	त्रिपाठी, श्री वृज किशोर	2690, 2748, 2805, 2811
157.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2764

1	2	3
158.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2699, 2764
159.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	2600
160.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2749, 2750
161.	वर्मा, श्री राजेश	2762
162.	विनोद कुमार, श्री बी.	2681, 2788
163.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2655, 2756, 2793
164.	यादव, श्री बालेश्वर	2595, 2680, 2717
165.	यादव, श्री गिरिधारी	2628, 2739
166.	यादव, श्री राम कृपाल	2693, 2742
167.	यादव, श्री सीता राम	2693
168.	यास्खी, श्री मधु गौड	2782
169.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2704
170.	जाहेदी, श्री महबूब	2623

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	246, 250, 251, 252, 253, 259
रसायन और उर्वरक	:	244, 254
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	243, 245
पर्यावरण और वन	:	255, 257
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
श्रम और रोजगार	:	241, 247, 256, 258
इस्पात		
पर्यटन	:	242, 248, 260
जल संसाधन	:	249

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	2597, 2598, 2600, 2602, 2603, 2613, 2617, 2624, 2627, 2630, 2636, 2640, 2641, 2643, 2646, 2647, 2648, 2649, 2658, 2659, 2660, 2662, 2663, 2671, 2672, 2681, 2683, 2685, 2687, 2690, 2694, 2699, 2703, 2705, 2713, 2720, 2727, 2734, 2738 2740, 2744, 2753, 2754, 2756, 2757, 2761, 2762, 2763, 2766, 2776, 2781, 2788, 2794, 2795, 2797, 2800, 2802, 2803, 2804, 2806, 2809, 2811, 2812, 2816
रसायन और उर्वरक	:	2594, 2605, 2607, 2614, 2616, 2619, 2620, 2629, 2637, 2650, 2652, 2665, 2668, 2669, 2679, 2688, 2697, 2704, 2723, 2733, 2747, 2748, 2752, 2759, 2768, 2772, 2792
उभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	2591, 2606, 2611, 2615, 2631, 2651, 2661, 2674, 2675, 2692, 2718, 2726, 2736, 2742, 2760, 2767, 2771, 2773, 2783, 2790, 2815, 2820
पर्यावरण और वन	:	2599, 2601, 2610, 2612, 2621, 2628, 2645, 2653, 2676, 2695, 2696, 2708, 2710, 2716, 2717, 2735, 2739, 2743, 2764, 2770, 2782, 2786, 2796, 2817, 2819
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	2592, 2608, 2680, 2791
श्रम और रोजगार	:	2595, 2618, 2623, 2625, 2635, 2638, 2642, 2655, 2664, 2666, 2673, 2700, 2702, 2721, 2722, 2728, 2737, 2755, 2775, 2779, 2784, 2793, 2799, 2814, 2818
इस्पात	:	2596, 2669, 2701, 2711, 2729, 2731, 2745, 2798

पर्यटन : 2593, 2609, 2626, 2632, 2656, 2657, 2667, 2678, 2682, 2693, 2698, 2715, 2732, 2741, 2749, 2758, 2769, 2774, 2777, 2787, 2789, 2801, 2808, 2813

जल संसाधन : 2596, 2604, 2622, 2633, 2634, 2639, 2644, 2654, 2670, 2677, 2684, 2691, 2706, 2707, 2709, 2712, 2714, 2719, 2724, 2725, 2730, 2746, 2750, 2751, 2765, 2778, 2780, 2788, 2805, 2807, 2810

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/8/17/ 2005 (एन.)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।